# हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड

# HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED

CIN: L99999MH1960GOI011895

## 61 वीं वार्षिक रिपोर्ट

## 61st Annual Report

## 2021 - 2022

कोच्चि में फिनोल कॉम्प्लेक्स

Phenol Complex at Kochi

**हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड [सीआईएन L99999MH1960GOI011895]**

**लेखापरीक्षक**
**कानूनी लेखापरीक्षक**
**मेसर्स बीएसजे एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार, कोची

**आतंरिक लेखापरीक्षक**
**मेसर्स आईसक एंड कंपनी,**
सनदी लेखाकार, कोची

**लागत लेखा परीक्षक**
**मेसर्स सीवाई एंड एसोसिएट्स**
लागत लेखाकार, मुंबई

**बैंकर्स**
भारतीय स्टेट बैंक
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

**रेजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेंटस**
**मेसर्स बिगशेयर सर्विसेस प्रा.लिमिटेड**
पंजीकृत कार्यालय : बिगशेयर सर्विसेस प्रा. लिमिटेड
कार्यालय सं S-6, 6वीं तल,पिनाक्कल बिजनस पार्क
अहुरा सेंटर के आगे, महाकाली कैवस रोड अंधेरी(पूर्व),मुंबई-400093
टेलीफोन: 022-62638200 फैक्स: 022 62638299
ई–मेल: investor@bigshareonline.com

**विषय सूची**


| | पृष्ठ सं. |
|---|---|
| निदेशक मंडल और निदेशक मंडल की समितियाँ | 2 |
| अध्यक्ष का भाषण | 4 |
| 61 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना | 6 |
| निदेशकों की रिपोर्ट एवं अनुबंध | 14 |
| **स्टैंडअलोन लेखा** | |
| स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट - स्टैंडअलोन | 41 |
| सीएंडएजी रिपोर्ट - स्टैंडअलोन | 47 |
| तुलन पत्र - स्टैंडअलोन | 48 |
| लाभ एवं हानि विवरण - स्टैंडअलोन | 50 |
| नकद प्रवाह विवरण - स्टैंडअलोन | 53 |
| वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ - स्टैंडअलोन | 54 |
| **समेकित लेखा** | |
| स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट - समेकित | 87 |
| सीएंडएजी रिपोर्ट- समेकित | 93 |
| समेकित तुलनपत्र एवं अन्य विवरण,टिप्पणी आदि | 94 |


**हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड [सीआईएन L99999MH1960GOI011895]**

**पंजीकृत एवं कॉरपोरेट कार्यालय**
कार्यालय सं. 401,402 & 403, चौथा तल,
"वी टाइम्स स्कवेयर'', प्लॉट सं.3, सेक्टर-15, सीबीडी बेलापुर,
नवीं मुंबई- 400614, महाराष्ट्र
संपर्क नं: 022–27575268/69
ई–मेल: cs@hoclindia.com,
corporate.cs@hoclindia.com
वेबसाइट: www.hoclindia.com

**कोची में विनिर्माण की सुविधा:**
अंबलमुगल पी ओ, जिला एरणाकुलम, केरल, पिन - 682 302.
टेली : (0484) 2720911 / 2720912 / 13
फैक्स : (0484) 2720893
ई–मेल : kochi@hoclindia.com

**क्षेत्रीय एवं विपणन कार्यालय दिल्ली :**
कोर–6 स्कोप कॉम्प्लेक्स,
प्रथम तल, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110 003.
दूरभाष : (011) 24361610 / 24364690 फैक्स: (011) 24360698

**सहायक कंपनी**
**हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बन्स लिमिटेड:**
3303, बाबूखान एस्टेट, बशीरबाग, हैदराबाद - 500 001
राज्य तेलंगाना, दूरभाष : (040) 23241051 / 23237125.
फैक्स : (040) 23296455
ई–मेल : hiflon@hotmail.com, hflshareholders@gmail.com

| निदेशक मंडल | |
|---|---|
| श्री सजीव बी (डीआईएन: 09344438) | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (06/09/2021 से प्रभावी)<br>निदेशक वित्त का अतिरिक्त प्रभार (22/09/2021 से 22/06/2022 तक) |
| श्री योगेंद्र प्रसाद शुक्ला (डीआईएन: 09674122) | निदेशक वित्त (04/07/2022 से प्रभावी ) निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी (04/08/2022 से प्रभावी) |
| श्री सतेन्द्र सिंह, ए एस एवं एफ़ ए (रसायन) (डीआईएन: 05195060) | सरकार नामिती निदेशक (21/12/2021 से 14/10/2022 तक) |
| श्री कनिष्क कान्त श्रीवास्तव (डीआईएन: 09699641) | सरकार नामिती निदेशक (30/03/2022 से प्रभावी) |
| डॉ भरत जे कनाबर (डीआईएन: 9466694) | गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक (24/12/2021 से प्रभावी) |
| श्री प्रत्युष मंडल (डीआईएन: 09461918) | गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक (24/12/2021 से प्रभावी) |
| श्री एस सी मुदगेरिकर (डीआईएन: 03498837) | अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक-अतिरिक्त प्रभार (02/08/2021 से 05/09/2021 तक) एवं निदेशक वित्त अतिरिक्त प्रभार (02/08/2021 से 22/09/2021) |
| श्री एस बी भिडे (डीआईएन: 05323535) | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (05/10/2016 से 31/07/2021 तक) और निदेशक वित्त का अतिरिक्त प्रभार (06/11/2020 से 31/07/2021 तक) |
| श्री समीर कुमार बिस्वास, ए एस (डीआईएन: 01664091) | सरकार नामिती निदेशक (30/03/2022 तक) |
| श्री आशिष उपाध्याय एएस एंड एफ़ ए एमओपी (डीआईएन: 06855349) | सरकार नामिती निदेशक (22/11/2021 से 21/12/2021 तक) |
| सुश्री निरूपमा कोतरू (डीआईएन: 09204338) | सरकार नामिती निदेशक (07/10/2021 से 22/11/2021 तक) |
| श्री राजेश एम अग्रवाल,एएस एंड एफ़ ए, (डीआईएन: 03566931) | सरकार नामिती निदेशक (27/05/2021 से 07/10/2021 तक) |
| श्रीमती अल्का तिवारी (डीआईएन: 03502306) | सरकार नामिती निदेशक (29/01/2019 से 26/05/2021 तक) |

| मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक | |
|---|---|
| श्री. पी.ओ. लुईस | मुख्य वित्तीय अधिकारी (06/11/2020 से 03/08/2022 तक) |
| श्रीमती. सुशीला कुलकर्णी | कंपनी सचिव (28/02/2022 तक) |
| श्री सुब्रमणियन एच | कंपनी सचिव (01/03/2022 से) |

| बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति | |
|---|---|
| **डॉ भरत जे कनाबर**<br>गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक<br>अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति | **श्री कनिष्क कान्त श्रीवास्तव**<br>गैर-कार्यकारी/सरकार नामिती निदेशक<br>सदस्य,लेखापरीक्षा समिति |
| **श्री प्रत्युष मंडल**<br>गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक<br>सदस्य, लेखापरीक्षा समिति | **श्री सुब्रमणियन एच, कंपनी सचिव**<br>सचिव, लेखा परीक्षा समिति |

| नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एन एवं आर समिति) | |
|---|---|
| **डॉ भरत जे कनाबर**<br>गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक<br>अध्यक्ष, एन एवं आर समिति | **श्री प्रत्युष मंडल**<br>गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक<br>सदस्य, एन एवं आर समिति |
| **श्री कनिष्क कान्त श्रीवास्तव**<br>गैर-कार्यकारी/सरकार नामिती निदेशक<br>एन एवं आर समिति के सचिव | **श्री सुब्रमणियन एच, कंपनी सचिव**<br>सचिव, एन एवं आर समिति |

| हितधारक संबंध समिति (एस आर सी) | |
|---|---|
| **श्री प्रत्युष मंडल**<br>गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक<br>अध्यक्ष, एस आर सी समिति | **डॉ भरत जे कनाबर**<br>गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक<br>सदस्य, एस आर सी समिति |
| **श्री सजीव बी**<br>सदस्य, एस आर सी समिति | **श्री सुब्रमणियन एच, कंपनी सचिव**<br>सचिव, एस आर सी समिति |

| कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआर समिति) | |
|---|---|
| **श्री प्रत्युष मंडल**<br>गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक<br>अध्यक्ष, सी एस आर समिति | **डॉ भरत जे कनाबर**<br>गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक<br>सदस्य, सी एस आर समिति |
| **श्री सजीव बी**<br>सदस्य, सी एस आर समिति | **श्री सुब्रमणियन एच, कंपनी सचिव**<br>सचिव, सी एस आर समिति |

| शेयर अंतरण समिति (एसटी समिति) | |
|---|---|
| **श्री सजीव बी,सीएमडी**<br>अध्यक्ष,एसटी समिति | **श्री सुब्रमणियन एच, कंपनी सचिव**<br>सदस्य एवं सचिव, एसटी समिति |

# निदेशक मंडल

**श्री सजीव बी.**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(06/09/2021 से)

**श्री एस.बी.भिडे**
(डीआईएन: 05323535)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (05/10/2016 से 31/07/2021 तक)
निदेशक वित्त का अतिरिक्त प्रभार (06/11/2020 से 31/07/2021 तक)

**श्री एस.सी.मुदगेरीकर**
(डीआईएन: 03498837)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (आर.सी.एफ.लि.)
(02/08/2021 से 05/09/2021 तक)
निदेशक वित्त का अतिरिक्त प्रभार
(02/08/2021 से 22/09/2021)

**श्री सतेन्द्र सिंह,**
ए एस एवं एफ ए (रसायन)
(डीआईएन: 05195060)
सरकार नामिती निदेशक
(21/12/2021 से 14/10/2022 तक)

**श्री कनिष्क कान्त श्रीवास्तव**
(डीआईएन: 09699641)
सरकार नामिती निदेशक (30/03/2022 से प्रभावी)

**श्री योगेंद्र प्रसाद शुक्ला**
(डीआईएन: 09674122)
निदेशक वित्त (04/07/2022 से प्रभावी )
निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी (04/08/2022 से प्रभावी)

**डॉ भरत जे कनाबर**
(डीआईएन: 9466694)
गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक (24/12/2021 से प्रभावी)

**श्री प्रत्युष मंडल**
(डीआईएन: 09461918)
गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक (24/12/2021 से प्रभावी)

**श्री समीर कुमार बिस्वास**
(डीआईएन: 1664091)
सरकार नामिती निदेशक
(30/03/2022 तक)

**श्री आशिष उपाध्याय**
एएस एंड एफ ए एमओपी
(डीआईएन: 06855349)
सरकार नामिती निदेशक (22/11/2021 से 21/12/2021 तक)

**सुश्री निरूपमा कोतरू**
(डीआईएन: 09204338)
सरकार नामिती निदेशक
(07/10/2021 से 22/11/2021 तक)

**श्री राजेश अगरवाल**
ए.एस.ॲण्ड एफ.ए.
(डीआईएन: 03566931)
सरकार नामिती निदेशक
(27/05/2021 से 06/10/2021 तक)

**श्रीमती अल्का तिवारी**
(डीआईएन:03502305)
सरकार नामिती निदेशक
(29/01/2019 से 26/05/2021 तक)

मुख्य वित्तिय अधिकारी

**श्री. पी.ओ. लुईस**
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(06/11/2020 से 03/08/2022 तक)

कंपनी सचीव

**श्रीमती. सुशीला कुलकर्णी**
कंपनी सचिव
(28/02/2022 तक)

कंपनी सचीव

**श्री सुब्रमणियन एच**
कंपनी सचिव
(01/03/2022 से)

**अध्यक्ष का भाषण**

**प्रिय शेयरधारकों,**

निदेशक मंडल के मेरे साथियों की ओर से और अपनी तरफ से, मैं कंपनी के सभी शेयरधारकों का हार्दिक स्वागत और सच्चा आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी कंपनी के वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में मुझे खुशी हो रही है। आपकी कंपनी की इस 61वीं वार्षिक रिपोर्ट में लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों, निदेशकों की रिपोर्ट और वर्ष 2021-22 के लिए सी एंड एजी के शून्य टिप्पणी सहित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल है। इसके अलावा, शेयरधारकों को 61वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का नोटिस भी है जिसमें गुरुवार, 29 सितंबर, 2022 को आयोजित होने वाली 61वीं एजीएम में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के लिए विचार की जाने वाली व्यापार मदें शामिल हैं।

**कार्यनिष्पादन:**

मुझे वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आपकी कंपनी के कार्यनिष्पादन की मुख्य विशेषताएँ आपको साझा करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है। आपकी कंपनी द्वारा प्राप्त की गयी उपलब्धियों और पहलों के विवरण निदेशकों की रिपोर्ट में प्रदान किए गए हैं।

वित्तीय मामलों की बात करें तो, वर्ष 2021–22 के दौरान, आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष की सकल आय 431.19 करोड़ रुपए की तुलना में 7.86% की वृद्धि दर्ज करते हुए 465.10 करोड़ रुपये की सकल आय हासिल की है। कंपनी को पिछले वर्ष के दौरान 15.97 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ की तुलना में वर्ष के दौरान 23.24 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ है।

एचओसीएल को केरल राज्य में अंबलमुगल, एरणाकुलम जिला में केवल एक कार्यगत इकाई है जिसे आमतौर पर कोची इकाई के रूप में जाना जाता है। कोची इकाई फिनोल,एसीटोन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के विनिर्माण में लगी हुई है। कोची इकाई में फिनोल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड संयंत्र चालू हैं। वर्ष के दौरान फिनोल संयंत्र ने 62% क्षमता उपयोग और हाइड्रोजन पेरोक्साइड संयंत्र ने 82% क्षमता उपयोग हासिल किया है।

**भविष्य योजना और पुनरुत्थान/ समग्र परिवर्तन योजना :**

**पुनर्गठन योजना**

सरकार द्वारा 22 मई 2017 के आदेश के माध्यम से अनुमोदित स्वीकृत पुनर्गठन योजना के अनुसार, आपकी कंपनी ने रसायनी यूनिट को बंद किया और संयंत्र और उपकरणों का निपटान रद्दी सामग्री के रूप में किया गया। रसायनी और पनवेल में स्थित भार मुक्त संपत्ति की बिक्री कार्य प्रगति पर है। कोची में फिनोल और हाईड्रॉजन पेरोक्साइड संयंत्र प्रचालन में हैं।

**भविष्य की योजनाएँ**

हमने उत्पादकता में सुधार के लिए नवीनतम तकनीक में अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा है। हम वित्तीय देनदारियों को कम करने के लिए भूमि की बिक्री की प्रक्रिया में तेजी लाएंगे जिससे वित्त लागत को कम किया जा सके। इसके अलावा, हम बाजार की कीमतों में उतार–चढ़ाव के खिलाफ कुछ स्तर की सुरक्षा हासिल करने के लिए मूल्य वर्धित उत्पादों में विविधीकरण का पता लगाएंगे।

**कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व**

कंपनी अपनी स्थापना से ही अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभा रही है। पिछले पांच दशकों से सामाजिक रूप से जिम्मेदार और जागरूक कॉर्पोरेट के रूप में, आपकी कंपनी लगातार सामाजिक विचारों के लिए प्रतिबद्ध रही है और आस–पास के गाँवों को बुनियादी नागरिक सुविधाएं तथा विभिन्न रूप में सहायता प्रदान करते हुए सामाजिक सेवा करती है।

आपकी कंपनी को पिछले वर्षों के दौरान हुई घाटे के कारण किसी प्रकार की सीएसआर गतिविधियों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समाज को लाभान्वित करने वाली गतिविधियों को अंजाम देने वाले अपने सामाजिक दायित्वों को मान्यता दी है। सीएसआर के तहत कंपनी द्वारा की गई गतिविधियों और कोविड–19 से लड़ने में मदद करने के लिए किए गए कार्य के विवरण निदेशकों की रिपोर्ट में दिया गया है।

कंपनी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान को सबसे अधिक महत्व दिया गया है और विविध गतिविधियां चलाई गयी है, जिसके विवरण निदेशक की रिपोर्ट में दिया गया है। आपकी कंपनी को स्वच्छता पखवाड़े के लिए वर्ष 2021 में रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग का द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर आपकी कंपनी ने अपने परिसरों में विविध सफाई गतिविधियां चलायी गयी, आज़ादी का अमृत महोत्सव का स्टिकर तैयार कर सभी पत्राचारों में लगा दिया है। विविध गतिविधियां आयोजित की गयी और अगस्त 2023 तक विविध कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है।

21 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर, सभी कर्मचारियों की सूचना के लिए सामान्य योग प्रोटोकॉल का व्यापक प्रचार एवं प्रसार हमारी पोर्टल और सोशियल माध्यम से किया गया है।

**सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण:**

स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण के क्षेत्रों में कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए आवधिक चिकित्सा जांच के साथ–साथ फॉर्म संख्या 23 के तहत फिटनेस चेक–अप की संवैधानिक आवश्यकताओं को भी पूरा किया है। अन्य सांविधिक नियमित जाँच के अतिरिक्त शब्दों से एक्स्पोस किए गए कार्मिकों के लिए ऑडियोमेट्री जाँच की गयी और बेन्जीन उपयोगकर्ताओं के लिए ऑटो टोक्सिटी जाँच की गयी। स्वच्छता,कोविड सावधानियों के संबंध में समय–समय पर जागरूकता सत्र आयोजित किया गया और दिशा–निर्देशों ज़ारी किए गए। इसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए नियमित रूप से धूमन और कीटाणुशोधन कार्य किए गए ।

पर्यावरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की ओर हमने कारखाने और आसपास के वातावरण से प्रदूषकों का स्तर अनुमेय स्तर से काफी होना सुनिश्चित किया है।

आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान कोविड़-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए कई उपाय लागू किए हैं जैसे सुरक्षात्मक उपायों जैसे मास्क, हाथ की स्वच्छता, सुरक्षित दूरी आदि के उपयोग को प्रोत्साहित करना। इस संबंध में कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर पोस्टर प्रदर्शित किए गए हैं। सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को होम्योपैथिक निवारक दवाएं प्रदान की गईं। कर्मचारियों के उपयोग के लिए विभिन्न स्थानों पर गर्म पानी के डिस्पेंसर उपलब्ध कराए गए। शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए डाइनिंग टेबल और कैंटीन के वॉश एरिया में बंटवारा किया गया।

आरएलएनजी (पुन: गैसीकृत तरल गैस) के उपयोग को जारी रखने से वायु प्रदूषण में जबरदस्त कमी आई है।

पर्यावरण की रक्षा संबंधी कार्य में, जागरूकता सत्र, प्रतियोगिताएं, स्वच्छ भारत गतिविधियां, "हरित मिशन" के तहत सब्जी की खेती के लिए कर्मचारियों को बढ़ावा देना, संगठन के पूरे कर्मचारियों को शामिल करते हुए संयंत्र परिसर का सौंदर्यीकरण कार्य किए गए।

वर्ष 2021-22 के दौरान, एचओसीएल ने वर्ष 2021 में बड़े रसायनिक उद्योगों की श्रेणी में उत्तम सुरक्षा निष्पादन के लिए नेशनल सेफ्टी काउंसिल,कोची चैप्टर से ''सुरक्षा पुरस्कार" प्राप्त किया।

**आईएसओ प्रमाणन:**

सुरक्षा सुधारों के रूप में, संयंत्र और कार्मिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संगठन द्वारा अनेक सकारात्मक उपायों को लागू किए गए। गुणता प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9001), पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 14001) और व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 45001) को समन्वित करके आईएमएस (समन्वित प्रबंधन प्रणाली) का कार्यान्वयन किया गया। यह सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पहलुओं को अधिक महत्व देता है।

**औद्योगिक संबंध:**

आपकी कंपनी में मानव सबसे शक्तिशाली रही। वर्ष के दौरान समग्र औद्योगिक संबंध की स्थिति शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रही है। वर्ष के दौरान कोई हड़ताल या तालाबंदी नहीं थी।

**निगमित अभिशासन :**

कंपनी ने निगमित अभिशासन की विभिन्न आवश्यकताओं का अनुपालन ज़ारी रखा है। इस संबंध में विस्तृत विवरण निदेशक की रिपोर्ट का हिस्सा है।

कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक संगठनों के लिए निर्धारित निगमित अभिशासन संबंधी दिशा–निर्देशों का मजबूती से अनुपालन किया है और सरकार को नियमित रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इसके माध्यम से सेबी (दायित्व सूचीकरण और आवश्यकताओं का प्रकटीकरण) विनियम,2015 के लागू विनियमों का अनुपालन किया जाता है।

**हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल) सहायक कंपनी :**

आपकी कंपनी को हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बन लिमिटेड (एचएफाएल) नामक एक सहायक कंपनी है। वर्ष के दौरान, एचएफएल ने पिछले वर्ष की निवल हानि 2,483.09 लाख रुपए के मुकाबले 612.87 लाख रुपए का निवल हानि दर्ज की है।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने दिनांक 29–01–2020 के पत्र सं पी. 51015/06/2019–सीएच. III के माध्यम से एचओसीएल की सहायक कंपनी, हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बन लिमिटेड को बंद करने का निर्देश देते हुए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के निर्णय की जानकारी दी, जिसे शेयरधारकों द्वारा 30–03–2020 को अनुमोदित किया गया था।

सहायक कंपनी हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बन लिमिटेड को बंद करने के लिए भारत सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप, कर्मचारियों को वीआरएस/वीएसएस से संबंधित खर्चों को पूरा करने और बैंक और अन्य देनदारियों के बकाया का निपटान करने के लिए भारत सरकार से ऋण के रूप में 75.87 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

**आभार:**

मुझे अपने करियर की शुरुआत से ही एचओसीएल से जुड़े रहने और कंपनी के साथ आगे बढ़ने का सौभाग्य मिला है, अब, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में, मुझे एचओसीएल का नेतृत्व करने का सौभाग्य मिला है। मैं उन सभी कर्मचारियों और अन्य हितधारकों की जिनके द्वारा वर्ष के दौरान दी गयी सहायता और सहयोग के लिए सराहना करता हूँ और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं अपने साथी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन टीम के समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं भारत सरकार के विभिन्न अधिकारियों, विशेष रूप से रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार, केरल सरकार, सभी बैंकों, निदेशक मंडल के सदस्यों, संवैधानिक/सरकारी लेखापरीक्षकों, लागत लेखा परीक्षकों और संबंधित सभी एजेंसियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। मैं शेयरधारकों और ग्राहकों के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने कंपनी के परिवर्तन के वर्तमान चरण में हमारे साथ कार्य किया हैं।

हम अपनी ओर से कंपनी के जल्द से जल्द समग्र परिवर्तन प्राप्त करने की दिशा में, अपने प्रयास में, जल्द ही पुनर्गठन योजना को पूरा करने के अपने प्रयासों को जारी रखेंगे। हम इस सतत प्रक्रिया में आपके निरंतर समर्थन की उम्मीद करते हैं।

अंत में, मैं आशावान हूँ कि कंपनी वर्ष के दौरान और आने वाले वर्षों में अपनी उपलब्धि को बनाए रखेंगी।

हस्त/-
सजीव बी
**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
डीआईएन 09344438

## सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों की 61वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरुवार दिनांक 29 सितंबर, 2022 को दोपहर 2.00 (समय) बजे निम्नलिखित कार्य निपटने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/ अन्य श्रव्य दृश्य साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से संपन्न होगी :–

**सामान्य कारोबार :**

1. स्टैंडअलोन तथा समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों जिसमें 31 मार्च, 2022 का तुलन–पत्र, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण, नकद प्रवाह विवरण, अनुसूचियाँ और उसके साथ संलग्न लेखाओं पर टिप्पणियाँ शामिल है तथा निदेशकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट सहित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना तथा स्वीकार करना।

2. सरकारी नामित निदेशक श्री सत्येंद्र सिंह, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार को भारत सरकार के आदेशानुसार पुन: नियुक्त करना जो इस वार्षिक आम बैठक पर सेवानिवृत्त हो जाएगा और पात्र होने के फलस्वरूप पुन:नियुक्ति के लिए अपने आप को प्रस्ताव देना ।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5), जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के साथ पढ़ा जाए, के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों को जब कभी नियुक्त करने पर सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान किए जाने हेतु पारिश्रमिक नियत करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना और विचार करना और यदि उचित समझे तो निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना।

   **"संकल्प किया जाता है** कि कंपनी के निदेशक मंडल को इसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा यथा नियुक्त कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक निश्चित और नियत करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

**विशेष कारोबार**

4. **वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए के लागत लेखापरीक्षक की नियुक्ति**

   वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों के रूप में मैसर्स आर एम बनसल एंड कंपनी, लागत लेखाकार, कानपुर जिनका शाखा कार्यालय टीसी49/620(2) सफनममरवा,61ए, मल्लिईडम, तिरुवनंतापुरम –695009,केरल (फर्म पंजीकरण सं 000022) की नियुक्ति पर विचार करना और अनुमोदन देना और कंपनी के लागत लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2022-23 के लिए लगता लेखा शुल्क के रूप में मैसर्स आर एम बनसल एंड कंपनी को देने योग्य पारिश्रमिक का अनुसमर्थन करना और निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :

   **"संकल्प किया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, तथा कंपनियों (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षकों) नियम, 2014 के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों के रूप में मैसर्स आर एम बनसल एंड कंपनी (फर्म पंजीकरण सं 000022) को कंपनी के लागत लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा के लिए और तत्संबंधी अनुपालन प्रमाणपत्र (त्रों) को जारी करने और वर्ष 2022-23 के लिए लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट देने और 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में कंपनी के लिए कोची यूनिट के उत्पादों के संबंध में एक्सबीआरएल ई–फोर्म्स संबंधी लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों के ई–फाइल कार्य में मदद के लिए कुल शुल्क 50,000/- रुपए और जीएसटी के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन कंपनी एतदद्वारा करती है।

5. **श्री कनिष्क कांत श्रीवास्तव (डीआईएन 09699641) की सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति**

   निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के विशेष संकल्प के रूप में पारित करना,:

   **''संकल्प किया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 के प्रावधानों और किसी भी अन्य लागू प्रावधानों जिसे इसके तहत बनाए गए नियमों (किसी भी वैधानिक संशोधन (संशोधनों) या उसके पुन: अधिनियमन के साथ पढ़ा जाए और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के लागू नियमों सहित के प्रावधानों के अनुसार, श्री कनिष्क कांत श्रीवास्तव डडीआईएन 09699641. जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के दिनांक 30 मार्च, 2022 के आदेश संख्या पी–51011/6/2011–रासायनिक–III / सीपीसी द्वारा हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में 30 मार्च, 2022 से प्रभावी तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए या आगे जो भी पहले हो नियुक्त किया गया था और इसके द्वारा कंपनी में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर नियुक्त किया जाता है और वे रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे।

6. **डॉ भरत जे कनाबर (डीआईएन 09466694) की गैर–सरकारी अंशकालिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति–**

   निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के एक विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

   **''संकल्प किया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 के प्रावधानों और किसी भी अन्य लागू प्रावधानों जिसे इसके तहत बनाए गए नियमों (किसी भी वैधानिक संशोधन (संशोधनों) या उसके पुन: अधिनियमन के साथ पढ़ा जाए और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के लागू नियमों सहित के प्रावधानों के अनुसार, डॉ. भरत जे कनाबर, डडीआईएन 09466694. जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के दिनांक 24 दिसंबर, 2021 के आदेश क्रमांक पी–53013/8/2019–रसायन III- सीपीसी के अनुसार अंशकालिक गैर–आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में नियुक्ति आदेश की अधिसूचना की तारीख से तीन (3) साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक नियुक्त किया गया था और इसके द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल में 24 दिसंबर, 2021 से प्रभावी होकर तीन (3) साल की अवधि के लिए या भारत सरकार के अगले आदेश तक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है और वे रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

7. **श्री प्रत्यूष मंडल (डीआईएन 09461918) की गैर–सरकारी अंशकालिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति**

   निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के एक विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :

   **''संकल्प किया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 के प्रावधानों और किसी भी अन्य लागू प्रावधानों जिसे इसके तहत बनाए गए नियमों (किसी भी वैधानिक संशोधन (संशोधनों) या उसके पुन: अधिनियमन के साथ पढ़ा जाए और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के लागू नियमों सहित के प्रावधानों के अनुसार, श्री प्रत्यूष मंडल, डडीआईएन 09461918.जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के दिनांक 24 दिसंबर, 2021 के आदेश क्रमांक पी–53013/8/2019–रसायन.III-सीपीसी के तहत हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में नियुक्ति आदेश की अधिसूचना की तारीख से तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए अंशकालिक गैर–आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में या अगले आदेश तक नियुक्त किया गया था और इसके द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल में 24 दिसंबर, 2021 से तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए या भारत सरकार के अगले आदेश तक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। वे रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

8. **पंजीकृत कार्यालय को महाराष्ट्र से केरल स्थानांतरित करना**

   निम्नलिखित पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, संशोधन के साथ या बिना संशोधन के विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

   **''संकल्प किया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 12, 13 के प्रावधानों और किसी भी अन्य लागू प्रावधानों जिसे कंपनी (निगमन) नियम, 2014 (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुन: अधिनियमन सहित) के साथ पढ़ा जाए और कंपनी अधिनियम, 2013 के किसी अन्य लागू प्रावधानों और क्षेत्रीय निदेशक की पुष्टि/अनुमोदन के अधीन, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को वी टाइम्स स्क्वायर, कार्यालय संख्या 401, 402 और 403, चौथी मंजिल, प्लॉट नंबर 3, सेक्टर–15, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400614 महाराष्ट्र राज्य में से

एचओसीएल कोची यूनिट, अंबलमुगल पीओ, एरणाकुलम जिला – 682302 केरल राज्य में स्थानांतरित करने के लिए सदस्यों की सहमति और इसके द्वारा दी जाती है।

**आगे संकल्प किया जाता है कि** इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप, कंपनी के संस्था के बहिर्नियम (मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन) के खंड 2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा: – "खंड 2: कंपनी का पंजीकृत कार्यालय केरल राज्य में स्थित होगा"

**आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 88, 92, 94 और ऐसे अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार (इसमें इसके कोई संशोधन या इसके पुनः अधिनियमन जिसे प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़ा जाए शामिल है ), सदस्यों की सहमति एतद्द्वारा दी जाती है केरल राज्य एरणाकुलम जिले -682302 में एचओसीएल कोची यूनिट, अंबलमुगल पीओ में कंपनी की कॉमन सील, अन्य रिकॉर्ड, विभिन्न संवैधानिक रजिस्टर और केलहा बहियों, विवरणी (रिटर्न) की प्रतियां, सदस्यों के रजिस्टर और अन्य रजिस्टर / रिकॉर्ड आदि को बनाए बनाए रखना और रखने के लिए सहमति दी जाती है।

**आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि** कंपनी सचिव या कंपनी का कोई एक निदेशक या एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव इसके द्वारा या संयुक्त रूप से या अलग–अलग रूप से, कंपनी की ओर से क्षेत्रीय निदेशक, कंपनी रजिस्ट्रार, कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय, भारत सरकार और किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण के समक्ष कंपनी की ओर से कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थानांतरण के लिए और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के स्थिति खंड के प्रस्तावित परिवर्तन के लिए दायर की जाने वाली याचिका के मामले में उपस्थित होने, प्रतिनिधित्व करने, इस तरह के बयान देने, ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने और ऐसी चीजें जिनमें कंपनी के संबंधित रजिस्ट्रार के साथ ई–फॉर्म दाखिल करने तक सीमित नहीं है यथापेक्षित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

**हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के**
**निदेशक मण्डल के आदेश द्वारा**
**हस्ता/–**
**(सुब्रमणियन एच)**
**कंपनी सचिव**
**(एफसीएस 28380)**

**स्थान: सीबीडी बेलापुर**
**दिनांक:30/08/2022**

**पंजीकृत कार्यालय:**
**401,402,403,चौथा तल, वी टाइम्स स्क्वेयर प्लॉट सं 3**
**सेक्टर 15,सीबीडी बेलापुर, नवीं मुंबई, ठाणे महाराष्ट्र 400614 भारत**

**टिप्पणियाँ :**

1. कोविड़-19 महामारी बने रहने के मद्देनजर, कॉरपोरेट मामले मंत्रालय (''एमसीए") ने दिनांक 5 मई 2022 के अपने सामान्य परिपत्र सं 2/2022 जिसे 05 मई, 2020 के सामान्य परिपत्र सं 20/2020, 13 जनवरी, 2021 के सामान्य परिपत्र सं 02/2021 और 08 दिसम्बर ,2021 के सामान्य परिपत्र सं 19/2021 और 14 दिसंबर 2021 के सामान्य परिपत्र सं 21/2021 के परिपत्रों (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्रों" के रूप में संदर्भित है) के साथ पढ़ा जाना है, द्वारा एक सामान्य स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉनफेरेंस/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") आयोजित करने की अनुमति दी है।

   कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"), सेबी (सूचीकरण बाध्यताओं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों, 2015 ("सेबी सूचीकरण विनियमों"),सेबी परिपत्रों और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी के 61वीं एजीएम को वीडियो कॉनफेरेंस/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए, कंपनी द्वारा सीडीएसएल के साथ आवश्यक व्यवस्था की गई है और वीडियो कॉनफेरेंस/ओएवीएम के माध्यम से आगामी एजीएम में उपस्थित होने और भाग लेने के संबंध में पालन करने की कार्यविधि के लिए अनुदेश इस नोटिस का हिस्सा है। एजीएम की कार्यवाही कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित करना माना जाएगा।

2. कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार, एजीएम में भाग लेने और वोट करने के लिए हकदार एक सदस्य को उसकी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि यह एजीएम वीडियो कॉनफेरेंस/ओएवीएम के माध्यम से एमसीए परिपत्रों के मुताबिक आयोजित की जा रही है, सदस्यों की भौतिक उपस्थिति अनावश्यक बना दी गयी है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची इस सूचना के साथ संलग्न नहीं हैं।

3. वीडियो कॉनफेरेंस के माध्यम से सदस्यों की भागीदारी की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अनुसार एजीएम के कोरम के प्रयोजनार्थ की जाएगी।

4. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रतिलिपि (पीडीएफ/जेपीजी फारमैट) भेजने की आवश्यकता है, इसके साथ अपने प्रतिनिधि को अपनी ओर से वीडियो कॉनफेरेंस/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और सुदूर ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के लिए अधिकृत करने हेतु विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) के प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर भेजना है। उक्त प्रस्ताव/प्राधिकरण ई–मेल के माध्यम से संवीक्षक को divya.dsmco@gmail.com पर और कंपनी को cs@hoclindia.com पर भेजा जाएगा।

5. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में विशेष व्यापार के संबंध में एक व्याख्यात्मक विवरण इस सूचना के साथ जोडा गया है।

6. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के अनुसार, कंपनी के लेखा परीक्षकों को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा नियुक्त या पुनर्नियुक्त किया जाना है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अनुसार, लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक कंपनी द्वारा एजीएम में या इस तरह से तय किया जाएगा जैसा कि कंपनी सामान्य बैठक में निर्धारित कर सकती है। वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जानी बाकी है। तदनुसार, सदस्य बोर्ड को वर्ष 2022–23 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को उचित पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं।

7. शेयरधारक कृपया नोट करें कि कंम्पनी के रजिस्ट्रार तथा हस्तांतरण एजेंट बिगशेयर सर्विसेस प्रा लि ने अपने निगमित कार्यालय/प्रचालन कार्यालय को निम्नानुसार नए पते में अंतरित किया है

   बिगशेयर सर्विसेस प्रा लि, कार्यालय सं एस–6,छठा तल, पिनाक्कल बिज़नस पार्क, आहुरा सेंटर के सामने, महाकाली कैवस रोड, अंधेरी(पूर्व) मुंबई – 400 093 महाराष्ट्र ।

   सदस्य आरटीए के साथ पत्राचार उनके ई मेल:investor@bigshareonline.com और vinod.y@bigshareonline.com पर कर सकते हैं।

   कंपनी नीचे उल्लिखित महत्वपूर्ण सूचनाओं को 61वीं एजीएम सूचना के साथ भेजी जा रही है:

   **महत्वपूर्ण जानकारी:**

   i. सेबी के दिनांक 20 अप्रैल 2018 के परिपत्र सं सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/डीओपी1/सीआईआर/पी/2018/73 के अनुसरण में, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों जिनके फ़ोलियो में पैन और बैंक विवरण नहीं है/ अपूर्ण हैं, को अनिवार्य रूप से कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को पैन और बैंक संबंधी विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

   ii. सेबी के दिनांक 08 जून, 2018 की अधिसूचना जिसे 24 जनवरी,2022 के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार प्रतिभूतियों के अंतरण/प्रेषण/प्रतिस्थापन करने के लिए आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक डीपोसटारी के साथ डिमटेरियलाइज्ड रूप में रखा जाता है। अत: भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि आपके शेयरों को यथाशीघ्र डिमटेरियलाइज्ड रूप में प्राप्त करें।

   III. सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडीऽआरटीएएमबी/पी/परि/2021/655 दिनांक 3 नवंबर, 2021 और सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडीऽआरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/687 दिनांक 14 दिसंबर, 2021 ने भौतिक रूप में शेयर धारण करनेवाले सदस्य द्वारा पैन, केवाई और नामांकन विवरण 31 मार्च, 2023 तक प्रस्तुत करना अनिवार्य बना दिया है।

   IV. भौतिक शेयर रखने वाले सदस्य विधिवत हस्ताक्षरित फॉर्म – आईएसआर 1 की हार्ड कॉपी आरटीए में उल्लिखित प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ जमा करके अद्यतन बैंक विवरण प्रदान कर सकते हैं। उक्त प्रपत्र https://www.hoclindia.com/disclosures .पर उपलब्ध है।

   V. वे सदस्य जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं और जिन्होंने अभी तक अपना नामांकन पंजीकृत नहीं कराया है,उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपना नामांकन दर्ज करने के लिए फॉर्म-एसएच 13, अपने नामांकन विवरण में परिवर्तन करने के लिए फॉर्म-एसएच 14, सदस्य के हस्ताक्षर को अपडेट करने के लिए फॉर्म-आईएसआर 2 और नामांकन से बाहर निकलने के लिए फॉर्म-आईएसआर3को संबंधित दस्तावेजों के साथ आरटीए को जमा करें।प्रासंगिक प्रपत्र https://www.hoclindia.com/disclosures पर उपलब्ध हैं।

VI. सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडीञ्आरटीएएमबी/पी/परिर/2022/8,दिनांक 25जनवरी, 2022 और सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडीञ्आरटीएएमबी/पी/परि/2022/70, दिनांक 25 मई, 2022 के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियां डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने, दावा न किए गए उचंत खाते से दावा, प्रतिभूति प्रमाणपत्र के नवीनीकरण/विनिमय, पृष्ठांकन, शेयर प्रमाणपत्र के उप–विभाजन/विभाजन आदि से संबंधित विभिन्न निवेशक अनुरोधों पर विचार करते समय केवल डीमैट मोड में प्रतिभूतियां तत्काल प्रभाव से जारी करेंगी। इसलिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे आरटीए को संबंधित दस्तावेजों के साथ विधिवत हस्ताक्षरित फॉर्म-आईएसआर 4 की हार्ड कॉपी प्रस्तुत करें। प्रासंगिक प्रपत्र https://www.hoclindia.com/disclosure पर उपलब्ध है।

VII. सेबी ने दिनांक 18 मई, 2022 के परिपत्र सं सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडीञ्आरटीएएमबी/पी/परि/ 2022/65 के माध्यम से शेयरों के अंतरण की प्रक्रिया को सरल और मानकीकृत किया है। इसलिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित दस्तावेजों के साथ आरटीए को विधिवत हस्ताक्षरित फॉर्म-आईएसआर 5 की हार्ड कॉपी जमा करके शेयरों के अंतरण के लिए सेवा का अनुरोध करें। प्रासंगिक प्रपत्र https://www.hoclindia.com/disclosures पर उपलब्ध है।

8. शेयरधारकों से अनुरोध है कि कंम्पनी में पंजीकृत अपने पते, अपने पैन, केवाईसी विवरण में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना आरटीए को तत्काल उपलब्ध कराएं।

9. कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर हस्तांतरण **बुक्स शुक्रवार दिनांक 23 सितंबर, 2022 से गुरुवार 29 सितंबर, 2022 तक (दोनों दिन मिलाकर)** बंद रहेंगे।

10. अधिनियम की धारा 170 के तहत अनुरक्षित निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का रजिस्टर और उनकी शेयरधारिता और अधिनियम की धारा 189 के तहत अनुरक्षित ठेके का रजिस्टर या व्यवस्था जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं, एजीएम के दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होगा। नोटिस में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज बिना किसी शुल्क के सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण के लिए इस सूचना के परिचालन की तारीख से 61वीं एजीएम की तारीख यानी 29-09-2022तक भी उपलब्ध होंगे। सदस्य जो ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए cs@hoclindia.com (ई मेल आईडी) पर एक ईमेल भेज सकते हैं।

11. अधिनियम की धारा 108 जिसे संबंधित नियमों और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सूची विनियमन") के विनियमन 44 के अनुपालन में, कंपनी ने अपने सदस्यों को केंद्रीय डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ("ई–वोटिंग") सुविधा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने मतदान की सुविधा प्रदान की है। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले दूरस्थ ई–वोटिंग करके अपना मतदान किया हैं, वे एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन फिर से मतदान करने के हकदार नहीं होंगे। डिमटेरियलाइज्ड, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा दूरस्थ रूप से मतदान करने का तरीका और जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उन्हें ई–वोटिंग सेक्शन के लिए निर्देश प्रदान किए गए हैं, जो इस नोटिस का हिस्सा है। निदेशक मंडल ने सर्वश्री डी एस मोमाया एंड कंपनी (एफ़आरएन सं एल2022एमएच012300),पेशेवर कंपनी सचिवों को संवीक्षक के रूप में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई–वोटिंग की जांच करने के लिए नियुक्त किया है।

12. **ई–वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 26 सितंबर, 2022 को 9.00 बजे (आईएसटी) से शुरू होती है और बुधवार, 28 सितंबर, 2022 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी)** समाप्त होती है। इस अवधि के दौरान, कट–ऑफ डेट के अनुसार, यानी **22-09-2022** (कट ऑफ तारीख) को भौतिक या डिमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखनेवाल सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने वोट डाल सकते हैं। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई–वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। किसी सदस्य को किसी भी प्रस्ताव पर फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिस पर पहले ही वोट डाला जा चुका है। सदस्यों के मतदान अधिकार निर्दिष्ट तारीख यानी यानी **22-09-2022** (कट ऑफ तारीख) को कंपनी के प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर उनके शेयर के अनुपात में होंगे।

13. एजीएम के दौरान मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। वीसी के माध्यम से एजीएम में उपस्थित सदस्य और जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से रोक नहीं गया है, एजीएम के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के लिए पात्र होंगे।

14. 61वीं एजीएम सूचना और वार्षिक रिपोर्ट भेजने की कट ऑफ तारीख 26 अगस्त 2022 है। कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयरों को प्राप्त करता है और नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तारीख को शेयर रखता है, को अपना अनुरोध vinod.y@bigshareonline.com को भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें। फिरभि, यदि उसने रिमोट ई वोटिंग के लिए सीडीएसएल में पहले ही पंजीकृत किया है तो वह अपना मौजूदा यूसर आईडी और पासवर्ड का उपयोग मतदान करने के लिए किया जा सकता/सकती है।

15. एमसीए/सेबी के परिपत्रों के अनुपालन में, 61वीं वार्षिक रिपोर्ट 2021-22, 61वीं एजीएम की सूचना और ई–वोटिंग के निर्देश केवल उन्हीं सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजे जा रहे हैं जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी (यों) के साथ निर्दिष्ट तारीख 26-08-2022 के अनुसार पंजीकृत हैं। एजीएम सूचना की भौतिक प्रति और वार्षिक प्रतिवेतन 2021–22 उन सदस्यों जो इसके लिए अनुरोध करते हैं, को भेज दी जाएगी।

16. हम सदस्यों से आग्रह करते हैं कि वे ईमेल के माध्यम से कंपनी की सूचना प्राप्त करने का चयन करके पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारी प्रतिबद्धता का समर्थन करें। डिमैट मोड में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ईमेल पते को पंजीकृत करें, और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 की प्रतियां इलेक्ट्रॉनिक मोड में प्राप्त करने के लिए कंपनी के आरटीए, बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ investor@bigshareonline.com पर अपने ई-मेल पते का अद्यतन करें।

17. सदस्य यह भी नोट कर सकते हैं कि 61वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 कंपनी की वेबसाइट, https:// www.hoclindia.com/financial-year-wise-annual-reports पर,स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

18. सेबी के सूचीकरण विनियमों के विनियम 40 जो समय–समय पर संशोधित है, के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों को प्रतिभूतियों के प्रसारण या हस्तांतरण के लिए अनुरोध के मामले को छोड़कर,1 अप्रैल,2019 से प्रभावी रूप में केवल डीमैटरियलाइज्ड रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे देखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को खत्म करने के लिए और पोर्टफोलियो प्रबंधन में सुगमता के लिए, भौतिक रूप में शेयरों को रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी होल्डिंग को डीमैटरियलाइज्ड रूप में परिवर्तित करने पर विचार करें। सदस्य इस संबंध में सहायता के लिए कंपनी या कंपनी के रजिस्ट्रारों और ट्रांसफर एजेंटों, बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं।

19. सेबी ने प्रतिभूति बाजार में प्रत्येक भागीदार द्वारा स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए, इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य से अनुरोध करते हैं कि अपने डिपोसिटरी प्रतिभागी को अपना पैन प्रदान करें। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को आरटीए यानि बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को अपना पैन विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

20. चूंकि एजीएम वीडियो कोन्फ़ेरेंस / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इस नोटिस में प्रॉक्सि फॉर्म, उपस्थिति पर्ची और रूट मैप संलग्न नहीं किया गया है।

**सीडीएसएल ई–वोटिंग प्रणाली रिमोट ई–वोटिंग और– एजीएम के दौरान ई–वोटिंग**

1. जैसा कि आप जानते हैं, कोविड़-19 वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति को देखते हुए, कंपनियों की आम बैठकें कॉरपोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) द्वारा ज़ारी सामान्य परिपत्रों की सं 14/2020,17/2020, 20/2020, 02/2021,19/2021,21/2021,2/2022 जो क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020,13 अप्रैल, 2020, 05 मई, 2020,13 जनवरी, 2021 और 8 दिसम्बर, 2021,14 दिसम्बर 2021 और 5 मई, 2022 को ज़ारी किए गए थे, के दिशा–निर्देशों के अनुसार आयोजित किया जाएगा। आगामी एजीएम/ईजीएम इस प्रकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य श्रव्य दृश्य साधनों के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। अतः, सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आगामी एजीएम/ईजीएम में भाग ले सकते हैं।

2. कंपनी आधनियम 2013 की धारा 108 के प्रावधानों जिसे कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 (यथा संशोधित) और सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकंटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 के प्रावधानों और एमसीए के दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 05 मई, 2020 के परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी एजीएम/ईजीएम में किए जाने वाले कार्य के संबंध में अपने सदस्यों को दूरस्थ ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इस प्रयोजन के लिए, कंपनी ने अधिकृत ई–वोटिंग एजेंसी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ एक समझौता किया है। दूरस्थ ई–वोटिंग के साथ–साथ ईजीएम/एजीएम की तारीख पर ई–वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके सदस्य द्वारा वोट डालने की सुविधा सीडीएसएल द्वारा प्रदान की जाएगी।

3. सदस्य नोटिस में उल्लिखित कार्यविधि का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले वीसी/ ओएवीएम मोड में ईजीएम/एजीएम में शामिल हो सकते हैं। ईजीएम/एजीएम में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भागीदारी की सुविधा पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े

शेयरधारक (2% या अधिक शेयर होल्डिंग वाले शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखापरीक्षकों आदि शामिल नहीं होंगे जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रतिबंध के बिना ईजीएम/एजीएम में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

4. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम/ईजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम का पता लगाने के उद्देश्य से गिनी जाएगी।

5. कॉरपोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) के परिपत्रों के अनुसार, सदस्यों को मतदान के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने और उनके द्वारा वोट देने की सुविधा इस एजीएम/ईजीएम के लिए उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 और धारा 113 के अनुसरण में, भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल या निकाय निगम के अध्यक्ष के रूप में सदस्यों के प्रतिनिधि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम/ईजीएम में भाग ले सकते हैं और ई–वोटिंग द्वारा अपने वोट डाल सकते हैं।

6. कॉरपोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) द्वारा ज़ारी दिनांक 13 अप्रैल, 2020 की परिपत्र संख्या 17/2020 के अनुसार एजीएम बुलाने की सूचना कंपनी की वेबसाइट http://www.hoclindia.com /announcements पर अपलोड किया गया है। प्रस्तुत सूचना को स्टॉक एक्स्चेंज यानि बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com से भी प्राप्त किया जा सकता है। एजीएम की सूचना सीडीएसएल (एजीएम के दौरान रिमोट ई वोटिंग सुविधा और ई–वोटिंग प्रणाली प्रदान करनेवाला अभिकरण) की वेबसाइट www.evotingindia.com माध्यम से प्रसारित किया जाता है।

**रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग वीसी/ओएवीएम के ज़रिए बैठक में शामिल होनेके लिए शेयरधारकों का अनुदेश नीचे दिया जाता है:**

**ई–मतदान के लिए अनुदेश**

(i) मतदान की अवधि **26 सितम्बर, 2022 सुबह 9:00 बजे (आईएसटी) से शुरु होकर 28 सितम्बर 2022 को सायं 500 बजे (आईएसटी)** समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान कंपनी के शेयरधारी जो कट ऑफ तारीख **22 सितम्बर, 2022 तक कंपनी** के शेयर भौतिक रूप में या डीमैट रूप में धारण करते हैं वे अपना मत इलेक्ट्रोनिक माध्यम से डाल सकते हैं। उसके बाद वोट करने के लिए सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मोडयूल को बंद किया जाएगा।

(ii) शेयरधारी जिन्होने बैठक की तारीख के पहले ही अपना मतदान किया हो, बैठक केंद्र में मतदान करने के लिए हकदार नहीं है।

(iii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के तहत सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/परि/पी/2020/242 दिनांक 09.12.2020 के अनुसार, सूचीबद्ध संस्थाओं को सभी शेयरधारकों के प्रस्तावों के संबंध में अपने शेयरधारकों को रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। फिरभि, यह देखा गया है कि सार्वजनिक गैर–संस्थागत शेयरधारकों/खुदरा शेयरधारकों की भागीदारी नगण्य स्तर पर है।

वर्तमान में, भारत में सूचीबद्ध संस्थाओं को ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाले कई ई–वोटिंग सेवा प्रदाता (ईएसपी) हैं। इसके लिए शेयरधारकों द्वारा विभिन्न ईएसपी पर पंजीकरण और कई यूजर आईडी और पासवर्ड के रखरखाव की आवश्यकता होती है।

सार्वजनिक परामर्श के अनुसरण में मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए, **सभी डीमैट खाताधारकों को उनके डीमैट खातों/डिपॉजिटरी की वेबसाइटों/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से एकल लॉगिन क्रेडेंशियल के जरिए ई–वोटिंग** को सक्षम करने का निर्णय लिया गया है। डीमैट खाताधारक ईएसपी के साथ फिर से पंजीकरण किए बिना अपना वोट डालने में सक्षम होंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण की सुविधा होगी बल्कि ई–वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने की आसानी और सुविधा भी बढ़ेगी।

(iv) सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/ सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर,2020 के अनुसार डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।

उपरोक्त सेबी के परिपत्र के अनुसरण में सीडीएसएल/एनडीएसएल डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को ई वोटिंग करने और बैठक में भाग लेने के लिए लॉगिन तरीका नीचे दिए जाते हैं

| शेयरधारकों का प्रकार | लॉगिन विधि |
|---|---|
| सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक | 1. जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल आसान / सबसे आसान सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी और प्रमाणीकरण के ईवोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए ईसी/ईसीएस्ट में लॉगिन करने के लिए URL https://web.cdslindia .com/myeasi/home/login या www.cdslindia.com पर जाएं और लॉग इन आइकन पर क्लिक करें और न्यू सिस्टम मईईसी चुनें।<br>2. सफल लॉगिन के बाद ईसी/ईसीएस्ट उपयोगकर्ता कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे, जहां इवोटिंग चल रही है। इवोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख सकेगा। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं यानी सीडीएसएल/ एनएसडीएल/ कार्वी/लिंकइनटाइम की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें।<br>3. यदि उपयोगकर्ता ईसी/ईसीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/Easi Registration पर उपलब्ध है।<br>4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकते हैं या https://evoting.cdslindia com/Evoting/ EvotingLogin पर क्लिक कर सकते हैं। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता उस ई-वोटिंग विकल्प को देखने में सक्षम होगा जहां वोटिंग चल रही है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली को सीधे एक्सेस करने में भी सक्षम होगा। |
| एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक | 1) यदि आप पहले से ही एनएसडीएल IDeAS सुविधा के लिए पंजीकृत हैं, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विसेज वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर यूआरएल https://eservices.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। एक बार ई-सेवाओं का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिनह्न के तहत "बेनिफिशियल ओनरह्न आइकन पर क्लिक करें, जो 9आइडीएएस"(IDeAS) सेक्शन के तहत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के तहत "एक्सेस टू ई-वोटिंगह्न पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुन: निर्देशित किया जाएगा।<br>2) यदि उपयोगकर्ता आईडीईएएस (IDeAS) ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "आईडीईएएस'' पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। |

| | |
|---|---|
| | 3) एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com / टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। ई–वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिनह्न आइकन पर क्लिक करें जो 9शेयरधारक/सदस्य" सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई–वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई–वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई–वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। |
| व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट रूप में प्रतिभूति धरण करनेवाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के जरिए लॉगिन करें | आप ई–वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। सफल प्रमाणीकरण के बाद आप ई–वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। एक बार आप ई–वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा। जिसमें आप ई–वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई–वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आप को रिमोट ई वोटिंग अवधि के दौरान अपने वोट डालने के लिए या बैठक के दौरान वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए ई–वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा। |

**महत्वपूर्ण नोट: जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।**

डिपॉजिटरी यानी सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क

| लॉगिन प्रकार | हेल्पडेस्क विवरण |
|---|---|
| **सीडीएसएल** के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक | सदस्य जो लॉगिन करने में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना कर रहे हैं, वे helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022- 23058738 और 022-23058542-43 पर संपर्क करें। |
| **एनएसडीएल** के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक | सदस्य जो लॉगिन करने में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना कर रहे हैं, वे evoting@nsdllindia.com पर अनुरोध भेजकर एनडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं। |

(v) डीमैट फॉर्म में गैर व्यक्तिगत शेयरधारकों को छोड़कर भौतिक शेयरधारकों के मामले में ई–वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि।

1) शेयरधारक को ई वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉगिन करना चाहिए ।

2) "शेयरहोल्डर्स'' मॉड्यूल पर क्लिक करें।

3) अब अपना यूजर आईडी दर्ज करें

(क) सीडीएसएल के लिए:16 डिजिट का बेनिफिशेयरी आईडी,

(ख) एनएसडीएल के लिए: 8 कैरेक्टर डीपी आईडी और उसके बाद 8 डिजिट का क्लाइंट आईडी,

(ग) प्रत्यक्ष रुप से शेयर धारण करने वाले सदस्य कंपनी के पास पंजीकृत फोलियो नंबर एन्टर करें

4) आगे प्रदर्शित इमेज वेरिफिकेशन पर एन्टर करें और लॉगिन पर क्लिक करें।

5) यदि आप डीमैटीकृत शेयर धारण करते हैं और www?evotingindia.com में लॉगिन किया गया है और किसी भी कंपनी का वोट इससे पहले किया गया हो तो आपके विद्यमान पासवर्ड का उपयोग किया जाना है।

6) यदि आप पहली बार उपयोग कर रहे हैं तो नीचे दिये अनुदेशों का पालन करें।

| | **भौतिक रूप में शेयरधारण करने वालों को और शेयरो को डीमैट में धारण करनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को छोडकर** |
|---|---|
| पैन | आयकर विभाग द्वारा जारी आपके पैन का 10 डिजिट अल्फा न्यूमरिक एन्टर करें (डीमैट शेयर धारकों तथा प्रत्यक्ष शेयर धारकों दोनो के लिए लागू है) सदस्य जो जिन्होंने अपना पैन का कंपनी/डिपाजिटरी प्रतिभागी के साथ अद्यतन नहीं किया है, से अनुरोध है कंपनी /आरटीए द्वारा भेज दी गयी क्रमांक का उपयोग करें या कंपनी /आरटीए से संपर्क करें। |
| लाभांश बैंक विवरण या जन्मतिथि | लॉगिन करने के लिए अपना डीमैट खाता में दर्ज या कंपनी के रिकार्ड में दर्ज किए गए अनुसार लाभांश बैंक विवण या जन्मतिथि (दिवस/मास/वर्ष ?रमैट) में दर्ज करे। ङयदि डिपाजिटरी (निक्षेपागार) या कंपनी के साथ दोनों विवरण दर्ज नही किया गया है तो कृपया अनुदेश (V) में उल्लेखित अनुसार लाभांश बैक विवरण क्षेत्र में सदस्य आईडी या फोलियो संख्या दें। |

(vi) इन विवरणों को उपयुक्त रूप में दर्ज करने के बाद "सबमिट" टैब क्लिक करें।

(vii) भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले शेयरधारक सीधे अपनी कंपनी चयन स्क्रीन पर पहुंचेगा। फिर भी सदस्य जो डीमेट रूप में शेयर धारण करते हैं अब "पासवर्ड क्रिएशन" मेनू पर पहुंच जाएगा। जहाँ उन्हें नए पास वर्ड क्षेत्र में अपना लॉगिन पासवर्ड अनिवार्य रूप से एंटर करना है। कृपया नोट करें कि इस पासवर्ड का उपयोग डीमैट धारक अन्य किसी कंपनी जहाँ उन्हे वोट करने की पात्रता हो, के सकंल्प के लिए वोट करने के लिए किया जा सकता है। बशर्ते कंपनी सीडीएसएल प्लेटफार्म पर ई-वोटिंग चयन करते हो, यह सख्ती से सिफारिश की जाती है। आपका पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताएं और आपका पासवर्ड गोपनीय रूप से रखने में सबसे अधिक ध्यान दें।

(viii) शेयरधारक जो भौतिक रूप से शेयर धारण करते हैं प्रस्तुत विवरणों का उपयोग केवल सूचना में निहित संकल्पों पर ई–वोटिंग के लिए किया जा सकता है।

(ix) ईवीएसएन पर संगत ढकंपनी नाम ल पर दबाएं जिस पर आप वोट करना चाहते हैं।

(x) वोटिंग पृष्ठ पर आप "रिज्योलुशन डिस्क्रप्शन'' और उक्त के विरुद्ध वोटिंग के लिए विकल्प एस/नो/ देखेंगे। अपनी इच्छानुसार यस या नो विकल्प का चयन करें। विकल्प यस का आशय है कि आप संकल्प से सहमत हैं और नो का आशय है कि आप संकल्प से सहमत नहीं हैं।

(xi) यदि आप संपूर्ण रिजोलुशन विवरण देखना चाहे तो रिजोलुशन फाइल लिंक पर दबाएं।

(xii) संकल्प चयन करने के बाद, आप वोट करना चाहते हैं, सबमिट पर क्लिक करें। पुष्टि करने संबंधी एक बाक्स दिखाई पडेगा,यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो ओके क्लिक करें अन्यथा आपके वोट में परिवर्तन करना है तो कैन्सल पर दबाएं और उसी प्रकार अपना वोट संशोधित करें।

(xiii) संकल्प पर आपके वोट की पुष्टि होने के बाद आपके वोट पर संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xiv) आप वोटिंग पृष्ठ पर दिए गए विकल्प क्लिक हियर टू प्रिंट दबाने पर अपने द्वारा किए गए वोट का प्रिंट ले सकते हैं।

(xv) यदि डीमैट खाता धारक परिवर्तित पासवड भूल जाते हैं तो तब यूजर आईडी तथा इमेज वेरिफिकेशन कोड दबाएं और फॉरगेट पासवर्ड दबाएं तथा सिस्टिम द्वारा मांगे गए विवरण प्रदान करें।

**(xvi) गैर–व्यक्तिगत शेयरधारकों और संरक्षकों के लिए अतिरिक्त सुविध - केवल रिमोट वोटिंग के लिए**

★ गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरई आदि को छो?कर) और संरक्षकों का www.evotingindia.com लागऑन तथा अपने को "कॉर्पोरेट'' के रूप में पंजीकृत करने की अपेक्षा है ।

★ उन्हें पंजीकरण प्रपत्र जिसमें संस्था की मोहर और हस्ताक्षर हो, की स्कैन की गई प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई–मेल करें।

★ लॉगिन विवरण प्राप्त होने के बाद उन्हें एडमिन लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग कर एक अनुपालन उपयोगकर्ता का सृजन किया जाना है। अनुपालन उपयोगकर्ता उस यूजर खाते जिसपर वे वोट करना चाहते है को जोडने मे सक्षम हो जाएंगे।

★ लॉगिन से जु? खातों की सूची को helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल करना चाहिए और खातों के अनुमोदन करने के बाद वे अपना मतदान कर सकेंगे।

★ बोर्ड संकल्प और पावर ऑफ एटोर्नी जिनको उन्होंने संरक्षक के पक्ष में जारी किया है, का स्कैन की गई प्रति यदि कोई हो तो, सिस्टम में पीडीएफ फारमेट में संवीक्षक को उक्त की जांच के लिए अपलोड किया जाना चाहिए।

★ वैकल्पिक रूप से गैर–व्यक्तिगत शेयरधारकों को संगत बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि के स्कैन की गई प्रति पीडीएफ/जेपीजी फारमेट में विधिवत प्राधिकृत अधिकारियों जिन्हें वोट करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, के साक्ष्यंकित नमूना हस्ताक्षर सहित संवीक्षक और कंपनी को cs@hoclindia.com (कंपनी द्वारा नामति ईमेल पता) में भेजने की आवश्यकता है, यदि उन्होने व्यक्तिगत टैब से वोट किया है और सीडीएसएल ई वोटिंग प्रणाली में संवीक्षक के लिए उक्त की जांच के लिए अपलोड नहीं किया है।

**वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम/ईजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों और बैठक के दौरान ई वोटिंग के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:**

1. बैठक में भाग लेने और एजीएम के दिवस पर ई वोटिंग की कार्यविधि ई वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित अनुदेश के बराबर है।
2. बैठक में भाग लेने हेतु वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक ई वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार सफल रूप से लॉगिन करने पर जहाँ कंपनी का ईवीएसएन प्रदर्शित किया जाएगा, उपलब्ध होगी ।
3. शेयरधारक जिन्होने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है बैठक में भाग ले सकते है लेकिन एजीएम में वोट करने के लिए हकदार नहीं होंगे।
4. शेयरधारकों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप / आईपैड के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
5. आगे, बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए शेयरधारकों को कैमरा की अनुमति और अच्छी स्पीड के साथ इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।
6. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट्स से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से जुडने वाले लैपटाप प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में विचलन के कारण ऑडियो/वीडियो की हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार के उपरोक्त गड़बड़ियों (ग्लिच) को कम करने के लिए स्थायी वाई–फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
7. शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं/प्रश्न करना चाहते हैं, कम से कम बैठक के 14 दिन पहले अनुरोध भेजकर अपने को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत करें। इसके लिए उनके नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए का अनुरोध कंपनी ईमेल आईडी पर भेजें। जिन शेयरधारकों को एजीएम के दौरान बोलने की इच्छा नहीं है, लेकिन पूछताछ है तो अपनी पूछताछ उनके नाम, डीमैटै खाता संख्या/ फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर (कंपनी ईमेल आईडी) का उल्लेख कर बैठक से 14 दिन पहले कंपनी के ईमेल आईडी में भेजा जा सकता हैं। इन प्रश्नों का उत्तर कंपनी द्वारा ईमेल द्वारा उपयुक्त रूप से दिया जाएगा।
8. जिन शेयरधारकों ने खुद को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, केवल उन्हें बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न करने की अनुमति दी जाएगी।
9. केवल ऐसे शेयरधारक, जो ईजीएम / एजीएम में वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से उपस्थित हैं और उन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से रोक नहीं है, को ईजीएम / एजीएम के दौरान उपलब्ध ई मतदान प्रणाली के माध्यम से वोट करने के लिए पात्र होंगे।
10. यदि ईजीएम/एजीएम के दौरान उपलब्ध ई–वोटिंग के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा कोई वोट दिया जाता है और अगर वही शेयरधारकों ने वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है, तो ऐसे शेयरधारकों द्वारा डाले गए वोटों को अमान्य माना जाएगा। बैठक के दौरान ई–वोटिंग की सुविधा केवल बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है।

**सूचना में प्रस्तावित संकल्पों पर ई वोटिंग के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करने हेतु डिपॉज़िटिरीस के साथ जिनका ई मेल पता पंजीकृत नहीं किए गए उन शेयरधारकों के लिए कार्यविधि :**

1. भौतिक शेयरधारकों के लिए– कृपया आवश्यक विवरण जैसे कि फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई कॉपी (आगे और पीछे),पैन (पैन कार्ड की स्वसत्यापित स्कैन कॉपी), आधार (आधार की स्वसत्यापित **स्कैन की गई प्रति) कार्ड) कंपनी/आरटीए के ईमेल आईडी** पर प्रदान करें।
2. डीमैट शेयरधारकों के लिए– कृपया डीमैट खाता विवरण (सीडीएसएल–16 अंक के लाभार्थी आईडी या एनएसडीएल– 16 अंक डीपीआईडीःसीएलआईडी), नामक्लाईंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड के स्व प्रमाणित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधारकार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति) कंपनी/आरटीए के ईमेल आईडी पर प्रदान करें यदि आपको एजीएम में भाग लेने और सीडीएसएलई वोटिंग प्रणाली के माध्यम से ई–वोटिंग के संबंध में किसी प्रकार के प्रश्न और समस्या हो तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई- मेल भेजें या टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर संपर्क करें।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतों को श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड,ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व),मुंबई– 400013 को संबोधित किया जा सकता है या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल भेजें या टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर कॉल करें।

**हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के**
**निदेशक मण्डल के आदेश द्वारा**
**हस्ता–**
**(सुब्रमनियन)**
**कंपनी सचिव**
**(एफसीएस 28380)**

**स्थान:सीबीडी बेलापुर**
**दिनांक:30/08/2022**

**पंजीकृत कार्यालय**
**401,402,403,चौथा तल, वी टाइम्स स्क्वेयर प्लॉट सं 3**
**सेक्टर 15,सीबीडी बेलापुर, नवीं मुंबई, ठाणे महाराष्ट्र 400614 भारत**

**सूचना में उल्लिखित मदों के क्रम में सेबी (एलओडीआर) के विनियम 36 (3) के अधीन अपेक्षित वार्षिक आम बैठक में पुनः नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशक का अतिरिक्त विवरण**

| विवरण | श्री सतेन्द्र सिंह |
|---|---|
| डीआईएन | 05195060 |
| जन्म तिथि | 28/08/1971 |
| आयु | 51 वर्ष |
| नियुक्ति की तारीख | 21/12/2021 |
| निदेशक/केएमपी के साथ संबंध | नहीं |
| कंपनी में शेयरधारिता | नहीं |
| योग्यताएं | बी टेक, एमए (पब्लिक पॉलिसी) आईएएस (1995 बैच) झारखंड संवर्ग |

| | |
|---|---|
| विशिष्ट कार्य क्षेत्रों में विशेषज्ञता | श्री सत्येन्द्र सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा 1995 बैच के झारखंड संवर्ग के अधिकारी है। वे फिलहाल अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार,नई दिल्ली में कार्य कर रहे हैं।<br>श्री सत्येन्द्र सिंह ने रुडकी विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया। आपने ड्यूक विश्वविद्यालय से पब्लिक पॉलिसी में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की। आपने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विविध अल्पकालिक पाठ्यक्रमों में भाग लिया है। |
| 31 मार्च 2022 को कंपनी में धारित शेयरों की संख्या | शून्य |
| अन्य कंपनियों में निदेशक का पद | **राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइसेर्स लिमिटेड** |
| अन्य कंपनियों जहां वे 31 मार्च 2022 को निदेशक है, के निदेशकों की समिति में अध्यक्ष/सदस्य | शून्य |
| वर्ष 2021–22 के दौरान भाग लिए बोर्ड बैठकों की संख्या | दो (2) |

**कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण**

**मद सं 4-वर्ष 2022–23 के लिए लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति**

कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') की धारा 148 और कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली 2014 (''नियम'') के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को उपरोक्त धारा के अनुसरण में जारी नियमों के अधीन निर्धारित उत्पादों और सेवाओं के लिए कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा के लिए लागत लेखापरीक्षकों को नियुक्त करने की आवश्यकता है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने मेसर्स आर.एम. बंसल एंड कंपनी, लागत लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या (000022) को वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी द्वारा अनुरक्षित लागत अभिलेखों की लागत लेखा परीक्षा कुल शुल्क 50,000/- रुपए और जीएसटी पर करने के लिए तथा तसंबंधी अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कोची यूनिट के उत्पादों के संबंध में एक्सबीआरएल ई–फोर्म्स से संबन्धित लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों के ई–फाइल कार्य में मदद के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त करने के लिए मंजूरी दी।

मेसर्स आर.एम. बंसल एंड कंपनी, लागत लेखाकर ने कंपनी के लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी पात्रता के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं। अधिनियम की धारा 148 जिसे नियमों के साथ पढ़ा जाए के प्रावधानों के अनुसार, लागत लेखा परीक्षक को देय पारिश्रमिक कंपनी के शेयरधारकों द्वारा अनुसमर्थित किया जाना है। तदनुसार, उक्त प्रयोजन के लिए सदस्यों की सहमति मांगी गई है।

निदेशक मंडल शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए सूचना के मद संख्या 4 में निर्धारित सामान्य संकल्प की सिफारिश करते हैं।

कंपनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, जिसमें उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं, कंपनी में अपनी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा तक अपेक्षित संकल्प में रुचि या संबंध नहीं रखते हैं।

**मद संख्या 5: श्री कनिष्क कांत श्रीवास्तव (डीआईएन 09699641) की सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति**

कंपनी के संस्था के बहिर्नियम के अनुसार, निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है। तदनुसार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग, भारत सरकार ने दिनांक 30 मार्च, 2022 के आदेश संख्या पी–510 11/6/2011–केमिकल–III-सीपीसी के तहत श्री कनिष्क कांत श्रीवास्तव को हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) के निदेशक मंडल में सरकारी नामिती निदेशक के रूप में 30 मार्च, 2022 से तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो नियुक्त किया है।

कंपनी को श्री कनिष्क कांत श्रीवास्तव से कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत आवश्यक सभी वैधानिक प्रकटीकरण/ घोषणाएं प्राप्त हुई हैं। निदेशक मंडल ने 26 मई, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में श्री कनिष्क कांत श्रीवास्तव को एचओसीएल के निदेशक मंडल में सरकारी नामिती निदेशक के रूप में 30 मार्च, 2022 से तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त करने के सरकारी आदेश को नोट किया।

संस्था के बहिर्नियम के अनुसार, हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(2) के प्रावधानों के अनुसार, एचओसीएल के निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत सरकार के पास निहित है, प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति कंपनी द्वारा आम बैठक में की जाएगी। इसलिए, निदेशक मंडल विशेष संकल्प के माध्यम से सदस्यों के अनुमोदन के लिए मद संख्या 5 में निर्धारित संकल्प की सिफारिश करता है।

श्री कनिष्क कांत श्रीवास्तव, जिनसे संकल्प संबंधित है, को छोड़कर कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार, मद संख्या 5 में निर्धारित प्रस्तावित प्रस्ताव को पारित करने में, वित्तीय या अन्यथा, रुचि या संबंधित नहीं हैं।

श्री कनिष्क कांत श्रीवास्तव की प्रोफाइल

| | |
|---|---|
| **डीआईएन** | **09699641** |
| जन्म तिथि | 14/11/1980 |
| नियुक्ति तारीख | 30.03.2022 |
| निदेशक/केएमपी के साथ संबंध | नहीं |
| कंपनी में शेयरधारिता | नहीं |
| भुगतान के लिए प्रस्तावित पारिश्रमिक | शून्य |
| विशिष्ट कार्यक्षेत्र में विशेज्ञता | सरकारी क्षेत्र में अनुभव |
| 31 मार्च 2022 को कंपनी में शेयरधारिता | शून्य |
| अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक के पद | शून्य |
| अन्य कंपनियों जहां वे 31 मार्च 2022 को निदेशक है, के निदेशकों की समिति में अध्यक्ष/सदस्य | शून्य |
| वर्ष 2021–22 के दौरान भाग लिए बोर्ड बैठकों की संख्या | लागू नहीं |

**सूचना की मद संख्या 6: डॉ भारत जे कनाबर (डीआईएन 09466694) की गैर–सरकारी अंशकालिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति**

कंपनी के संस्था के बहिर्नियम के अनुसार, निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है। तदनुसार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, भारत सरकार ने दिनांक 24 दिसंबर, 2021 के आदेश संख्या पी–53013/8/2019–सीएचईएम।III-सीपीसी के तहत डॉ भारत जे कनबर को हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) के निदेशक मंडल में तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति आदेश की अधिसूचना की तिथि से या अगले आदेश तक अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया।। डॉ भरत जे कनबर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और सेबी एलओडीआरआर के विनियमन 16 के तहत निर्धारित एक स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकता को पूरा करते हैं।

कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत डॉ भारत जे कनबर से सभी वैधानिक प्रकटीकरण /घोषणाएं प्राप्त हुई हैं। निदेशक मंडल ने माना है कि डॉ भारत जे कनबर के पास इस भूमिका के लिए प्रमुख आवश्यकताओं के रूप में विविध कौशल, नेतृत्व क्षमता, प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं में विशेषज्ञता चिकित्सा क्षेत्र में अनुभव है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निदेशक मंडल ने 28 जनवरी, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में 24 दिसंबर, 2021 से प्रभावी तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए या भारत सरकार के अगले आदेश तक एचओसीएल के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक के रूप में डॉ भारत जे कनबर की नियुक्ति के सरकारी आदेश को नोट किया। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(13) के प्रावधानों के अनुसार, स्वतंत्र निदेशक रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तदनुसार, डॉ भरत जे कनबर 24 दिसंबर, 2021 से या सरकार के अगले आदेश तक तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

संस्था के बहिर्नियम के अनुसार, हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(2) के प्रावधानों के अनुसार, एचओसीएल के निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत सरकार के पास निहित है, प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति कंपनी द्वारा आम बैठक में की जाएगी। इसलिए, बोर्ड विशेष संकल्प के माध्यम से सदस्यों के अनुमोदन के लिए मद संख्या 6 में निर्धारित संकल्प की सिफारिश करता है।

डॉ भरत जे कनाबर, जिनसे संकल्प संबंधित है, को छोड़कर कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार, मद संख्या 6 में निर्धारित प्रस्तावित प्रस्ताव को पारित करने में, वित्तीय या अन्यथा, रुचि या संबंधित नहीं हैं।

**डॉ भारत जे कनाबर की प्रोफाइल**

| | |
|---|---|
| **डीआईएन** | **09466694** |
| जन्म तिथि | 06/07/1955 |
| नियुक्ति तारीख | 24.12.2021 |
| निदेशक/केएमपी के साथ संबंध | नहीं |
| कंपनी में शेयरधारिता | नहीं |
| भुगतान के लिए प्रस्तावित पारिश्रमिक | शून्य |

| | |
|---|---|
| विशिष्ट कार्यक्षेत्र में विशेज्ञता | चिकित्सा पेशेवर के रूप में अनुभव हासिल |
| 31 मार्च 2022 को कंपनी में शेयरधारिता | शून्य |
| अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक के पद | हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बन्स में स्वतंत्र निदेशक |
| अन्य कंपनियों जहां वे 31 मार्च 2022 को निदेशक है, के निदेशकों की समिति में अध्यक्ष/सदस्य | तीन(3) समितियां |
| वर्ष 2021–22 के दौरान भाग लिए बोर्ड बैठकों की संख्या | तीन(3) |

**मद संख्या 7: श्री प्रत्यूष मंडल (डीआईएन 09461918) की गैर सरकारी अंशकालिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति**

कंपनी के संस्था के बहिर्नियम के अनुसार, निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है। तदनुसार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, भारत सरकार ने दिनांक 24 दिसंबर, 2021 के आदेश संख्या पी–53013/8/2019–सीएचईएम III-सीपीसी के तहत श्री प्रत्यूष मंडल को हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) के निदेशक मंडल में तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति आदेश की अधिसूचना की तिथि से या अगले आदेश तक अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया।। श्री प्रत्यूष मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और सेबी एलओडीआरआर के विनियमन 16 के तहत निर्धारित एक स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकता को पूरा करते हैं।

कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत श्री प्रत्यूष मंडल से सभी वैधानिक प्रकटीकरण /घोषणाएं प्राप्त हुई हैं। निदेशक मंडल ने माना है कि श्री प्रत्यूष मंडल के पास इस भूमिका के लिए प्रमुख आवश्यकताओं के रूप में विविध कौशल, नेतृत्व क्षमता, प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं में विशेषज्ञता चिकित्सा क्षेत्र में अनुभव है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निदेशक मंडल ने 28 जनवरी, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में 24 दिसंबर, 2021 से प्रभावी तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए या भारत सरकार के अगले आदेश तक एचओसीएल के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक के रूप में श्री प्रत्यूष मंडल की नियुक्ति के सरकारी आदेश को नोट किया। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(13) के प्रावधानों के अनुसार, स्वतंत्र निदेशक रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तदनुसार, श्री प्रत्यूष मंडल 24 दिसंबर, 2021 से या सरकार के अगले आदेश तक तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

संस्था के बहिर्नियम के अनुसार, हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(2) के प्रावधानों के अनुसार, एचओसीएल के निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत सरकार के पास निहित है, प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति कंपनी द्वारा आम बैठक में की जाएगी। इसलिए, बोर्ड विशेष संकल्प के माध्यम से सदस्यों के अनुमोदन के लिए मद संख्या 6 में निर्धारित संकल्प की सिफारिश करता है।

श्री प्रत्यूष मंडल, जिनसे संकल्प संबंधित है, को छोड़कर कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार, मद संख्या 6 में निर्धारित प्रस्तावित प्रस्ताव को पारित करने में, वित्तीय या अन्यथा, रुचि या संबंधित नहीं हैं।

**श्री प्रत्यूष मंडल की प्रोफाइल**

| **डीआईएन** | **09461918** |
|---|---|
| जन्म तिथि | 05/07/1979 |
| नियुक्ति तारीख | 24.12.2021 |
| निदेशक/केएमपी के साथ संबंध | नहीं |
| कंपनी में शेयरधारिता | नहीं |
| भुगतान के लिए प्रस्तावित पारिश्रमिक | शून्य |
| विशिष्ट कार्यक्षेत्र में विशेज्ञता | समाज के कमजोर, युवा महिलाओं औए पिछडे तबके के बेहतर विकास के लिए सामाजिक सेवा में अनुभव |
| 31 मार्च 2022 को कंपनी में शेयरधारिता | शून्य |
| अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक के पद | शून्य |
| अन्य कंपनियों जहां वे 31 मार्च 2022 को निदेशक है, के निदेशकों की समिति में अध्यक्ष/सदस्य | शून्य |
| वर्ष 2021–22 के दौरान भाग लिए बोर्ड बैठकों की संख्या | तीन(3) |

**मद संख्या 8: पंजीकृत कार्यालय को महाराष्ट्र से केरल में स्थानांतरित करना**

भारत सरकार ने 25 मई, 2017 को कंपनी के लिए एक पुनर्गठन योजना को अनुमोदन दिया। अनुमोदित पुनर्गठन योजना के अनुसार और कंपनी के शेयरधारकों के पूर्व अनुमोदन के साथ, रसायनी इकाई का संचालन बंद कर दिया गया था, कर्मचारियों को वीआरएस दिया गया था और चल संपत्ति की बिक्री पूरे हो गए हैं। हालांकि, ग्रामीणों / किसान जो खाली जमीन पर खेती कर रहे हैं के विरोध के कारण जमीन की बिक्री आंशिक रूप से पूरी हो गई है। इसे देखते हुए, पंजीकृत कार्यालय को स्थानांतरित करने की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, भूमि बिक्री संबंधी मामलों को केरल में पंजीकृत कार्यालय के वास्तविक स्थानांतरण से पहले कंपनी द्वारा विचार किया जाएगा।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 26 मई, 2022 को हुई बैठक में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को सीबीडी, बेलापुर, नवी–मुंबई, महाराष्ट्र से कोची, केरल में स्थानांतरित करने की मंजूरी दी थी, जो शेयरधारकों की मंजूरी और प्रशासनिक मंत्रालय और अन्य नियामक प्राधिकरणों से अंतिम अनुमोदन के अधीन है।

पंजीकृत कार्यालय को मुंबई से कोची स्थानांतरित करने का औचित्य नीचे दिया गया है: –

- कोची एचओसीएल की एकमात्र इकाई है जो अभी काम कर रही है। शीर्ष प्रबंधन का निर्माण इकाई के मामलों पर प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और नियंत्रण होगा, विशेष रूप से इस तथ्य के मद्देनजर कि कोची इकाई के वरिष्ठ अधिकारी जल्द ही सेवानिवृत्त हो गए हैं/सेवानिवृत्त हो रहे है।
- कॉर्पोरेट कार्यालय भवन के किराए पर बचत – मुंबई में कार्यालय के रखरखाव के लिए भारी किराए का भुगतान किया जाता है, जबकि निदेशकों के कार्यालय को समायोजित करने के लिए कोची में पर्याप्त कार्यालय स्थान और सुविधाएं उपलब्ध हैं।
- मजदूरी बिल पर बचत– कोची में एचआरए मुंबई की तुलना में 10% कम है। एचआरए पर बचत होगी।
- जनशक्ति का बेहतर उपयोग–कारपोरेट कार्यालय और कोची इकाई की जनशक्ति को एक स्थान पर एक साथ जोड़कर जनशक्ति का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। भूमि बिक्री मामलों आदि के लिए तैनात कर्मचारी पूरी तरह से उसी पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
- शीर्ष प्रबंधन और वरिष्ठ अधिकारियों के संयंत्र के दौरे और इसके विपरीत यात्रा खर्च पर बचत।
- विनिर्माण स्थल पर ही निर्णयकर्ताओं की उपलब्धता के कारण त्वरित संचार और मौके पर निर्णय लेने के साथ अधिक कुशल प्रशासन ।

इसके अलावा, कंपनी (निगमन) नियम, 2014 और अन्य लागू नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 12, 13 और ऐसे अन्य लागू प्रावधानों के प्रावधानों के अनुसार, यदि कंपनी का पंजीकृत कार्यालय किसी शहर,कस्बे या गांव जहां अधिनियम के प्रारंभ होने के समय कार्यालय स्थित है, की स्थानीय सीमा के बाहर स्थानांतरित किया गया है तो एक विशेष संकल्प पारित करने की आवश्यकता है और परिणामस्वरूप कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन होता है।

प्रस्तावित परिवर्तन के परिणामस्वरूप, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के खंड 2 को नीचे दिए गए अनुसार प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है: –

**खंड 2: "कंपनी का पंजीकृत कार्यालय केरल राज्य, कोची में स्थित होगा।"**

इसके अलावा, यदि कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र से दूसरे रजिस्ट्रार में बदल दिया जाता है, तो क्षेत्रीय निदेशक से पुष्टि/अनुमोदन भी आवश्यक है।

जैसा कि कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक है, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई, महाराष्ट्र से कोची, केरल में स्थानांतरित करने और कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बदलने के लिए सदस्यों की मंजूरी मांगी जाती है।

इसलिए निदेशक मंडल सदस्यों के अनुमोदन के लिए नोटिस के मद संख्या 8 में निर्धारित विशेष संकल्प की सिफारिश करता है।

कंपनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, जिसमें उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं, कंपनी में अपनी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा तक अपेक्षित संकल्प में रुचि या संबंध नहीं रखते हैं।

**हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के**
**निदेशक मण्डल के आदेश द्वारा**
**हस्ता–**

**स्थान:सीबीडी बेलापुर** **(सुब्रमनियन)**
**दिनांक:30/08/2022** **कंपनी सचिव**
**(एफसीएस 28380)**

**पंजीकृत कार्यालय**
**401,402,403,चौथा तल, वी टाइम्स स्क्वेयर प्लॉट सं 3**
**सेक्टर 15,सीबीडी बेलापुर, नवीं मुंबई, ठाणे महाराष्ट्र 400614 भारत**

## निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशक मंडल वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लेखों पर लेखापरीक्षकों का विवरण के साथ आपकी कंपनी की 61वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

**1. वित्तीय परिणाम**

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणाम तथा पिछले वर्ष के लिए कंपनी के परिचालन के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिये जाते हैं:

**(रुपए लाख में)**

| विवरण | 2021-22 | 2020-21 |
|---|---|---|
| परिचालन के राजस्व | 43,367.39 | 41,157.80 |
| अन्य आय | 3,142.73 | 1,961.29 |
| **कुल** | **46,510.12** | **43,119.09** |
| व्यय मूल्यह्रास छोड़कर | 48,718.22 | 41,401.19 |
| **मूल्यह्रास तथा कर पूर्व लाभ** | **(2,208.10)** | **1,717.90** |
| घटाएँ मूल्यह्रास | 116.37 | 120.79 |
| **कर पूर्व लाभ/(हानि)** | **(2,324.47)** | **1,597.11** |
| घटाएँ: कर के लिए प्रावधान | 0.00 | 0.00 |
| **कर बाद लाभ/(हानि)** | **(2,324.47)** | **1,597.11** |
| **वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, कर का निवल** | **1,602.93** | **1,542.78** |
| **वर्ष के लिए कुल अन्य व्यापक आय** | **(721.54)** | **3,139.89** |

**2. भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन**

कंपनी रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करती है, जो हर साल निष्पादन मापदंडों और लक्ष्यों को निर्धारित करती है। कंपनी ने वर्ष 2020-21 के लिए "अच्छा" रेटिंग प्राप्त की।

**3. कोविड़–19 के असर विश्लेषण**

**क)** 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान कोविड़-19 महामारी की वजह से विचारणीय वित्तीय प्रभाव नहीं है।

**ख)** कोविड़-19 ने उद्योग और वाणिज्य के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। इसने हमारे उत्पादों का उपयोग करने वाले लॉजिस्टिक्स, ऑटो, ड्रग्स, फार्मास्युटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं सहित सभी क्षेत्रों को गंभीर रूप से प्रभावित किया हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कोविड-19 के प्रभाव से मांग या कीमतों में गिरावट हो सकती है, कारखाने के संचालन को निलंबित या काफी कम किया जा सकता है और माल आदि के अंतरराज्यीय परिवहन को प्रभावित किया जा सकता है।

हमारे वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार, मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, व्यापार प्राप्य, निवेश और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर कोई महत्वपूर्ण असर नहीं होने की उम्मीद है और हम भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव पर निगरानी जारी रखेंगे। प्रबंधन कार्यशील संस्था के रूप में बनाए रखने की क्षमता में और जब कभी देय होने पर अपनी देयताओं को पूरा करने की क्षमता में कोई जोखिम नहीं देखता है हैं। हालांकि, कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोविड–19 का वास्तविक प्रभाव अनुमान से भिन्न हो सकता है।

**4. समेकित वित्तीय विवरण**

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") और इंड एएस 110 के प्रावधानों के अनुसार– 31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए समेकित वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण वार्षिक रिपोर्ट में प्रदान किया गया है।

**5. लाभांश**

चालू वर्ष के दौरान हुए हानि को देखते हुए, निदेशक मंडल समीक्षाधीन वर्ष के लिए किसी लाभांश की अनुशंसा नहीं करता है।

**6. कारोबार के स्वरूप में परिवर्तन,यदि कोई हो तो:**

सहायक कंपनी हिदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड को बंद करने के लिए भारत सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप, भारत सरकार से ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75.87 करोड़ रुपए की राशि सहायक कंपनी को जारी की गई है। यह कर्मचारियों को वीआरएस/ वीएसएस से संबंधित खर्चों को पूरा करने और बैंक और अन्य देनदारियों के बकाया का निपटान करने के लिए है।

**7. वित्तीय विशिष्टताएं**

वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने 7.86% की वृद्धि दर्ज करते हुए 465.10 करोड़ रुपये की सकल आय हासिल की है, जबकि पिछले वर्ष की सकल आय 431.19 करोड़ रुपये थी। कंपनी ने पिछले वर्ष के दौरान 15.97 करोड़ रुपये की शुद्ध लाभ के मुकाबले वर्ष के दौरान 23.24 करोड़ रुपये का निवल हानि अर्जित किया है।

**8. निदेशकमंडल की बैठकों की संख्या (निदेशक मंडल तथा समितियों की बैठकों की तिथियों सहित जिसमें प्रत्येक निदेशक द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उपस्थिति दर्शाई गयी है।)**

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की आठ (8) बैठकें निम्नलिखित तिथियों पर की गई :

11 जून 2021, 30 जुलाई 2021, 23 सितम्बर 2021, 29 अक्टूबर 2021, 03 दिसम्बर 2021, 28 जनवरी 2022, 25 मार्च 2022 और 28 मार्च 2022.

वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठकें निम्नलिखित तारीख पर की गई

28 जनवरी 2022, 25 मार्च 2022

अन्य विवरण इस रिपोर्ट के अनुबंध IV की निगमित अभिशासन रिपोर्ट में दिए गए हैं।

**9. वार्षिक विवरणी का सार**

कंपनी अधिनियम **2013** की धारा 134 की उप धारा 3(क) जिसे कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 के साथ पढ़ा जाए, के अनुसरण में 31.03.2022 को वार्षिक विवरणी का सार फॉर्म एमजीटी–9 में बोर्ड की रिपोर्ट अनुबंध **I** के रूप में दिया गया है।

**10. सहायक कंपनी**

आपकी कंपनी की एक (1) सहायक कंपनी है नामत: हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड (एचएफएल)। रसायन और उर्वरक मंत्रालय,रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के दिनांक 29 जनवरी, 2020 की पत्र सं पी. 51015/06/2019-केमि–III के माध्यम से एचएफएल को बंद करने का निर्देश देते हुए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्णय की जानकारी दी, जिसे शेयरधारकों द्वारा 30 मार्च, 2020 को अनुमोदित किया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पढ़ा जाए, एक विवरण फॉर्म एओसी-1 में जिसमें सहायक कंपनी की वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएं शामिल हैं, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध **II** में संलग्न किया गया है।

**11. संबंधित पार्टी लेन–देन**

वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए सभी संबंधित पार्टी लेनदेन आर्म्स लेङ्ग्त के आधार पर थे और व्यवसाय के सामान्य क्रम में थे। वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दौरान संबंधित पक्षों के साथ कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं हुआ था जो कंपनी के हितों के विपरीत था। इंड एएस–24 के तहत अपेक्षित उपयुक्त प्रकटीकरण को वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की नोट संख्या **38** में किए गए हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ किए गए अनुबंध/व्यवस्था/लेन–देन का विवरण, निर्धारित प्रपत्र एओसी–**2** में अनुबंध **III** के रूप में संलग्न है जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

**12. प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट**

इस संबंध में विवरण वार्षिक रिपोर्ट के अनुबंध IV के रूप में कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट का हिस्सा है।

**13. कॉरपोरेट अभिशासन**

वित्तीय वर्ष 2021-22 के अधिकांश अवधि में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और और सेबी (सूचिकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाओं) विनियम 2015 और इसके तहत बनाए गए विभिन्न नियमों/ विनियम के तहत कॉ

पोरेट प्रशासन की विभिन्न आवश्यकताओं को उस सीमा तक गैर–अनुपालन किया गया है। इस संबंध में विवरण वार्षिक रिपोर्ट के अनुबंध **V** के रूप में वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है। निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करने वाला पेशेवर कंपनी सचिवों से अपेक्षित प्रमाण पत्र निगमित अभिशासन पर रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

**14. सरकारी उद्यम विभाग द्वारा जारी निगमित अभिभासन मार्गदर्शी तत्वों का अनुपालन।**

सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार ने निगमित अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन के आधार पर सीपीएसई को ग्रेड करने के उद्देश्य से कुछ मापदंडों को निर्धारित किया है और यह रिपोर्ट रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार को तिमाही/वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। डीपीई द्वारा सीपीएसई के लिए निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन कंपनी द्वारा किया गया है और नियमित रूप से रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। 31.03.2022 को समाप्त चौथी तिमाही / वर्ष के लिए लागू ग्रेड ''उत्कृष्ट'' है।

**15. तरीका जिसके अंतर्गत निदेशक मंडल, उसकी समितियों तथा वैयक्तिक निदेशकों के कार्य निष्पादन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन किए गए हैं:**

अधिनियम की धारा 134 (3) (पी) के प्रावधान सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होंगे यदि निदेशक का मूल्यांकन मंत्रालय द्वारा किए जाते हैं, जो कि अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार प्रशासनिक रूप से कंपनी के प्रभारी है। एचओसीएल, सरकारी क्षेत्र की कंपनी होने के कारण, निदेशकों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय (रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय) द्वारा लागू सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

**16. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक:**

कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक निम्नानुसार हैं:

क) श्री सजीव बी,अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डडीआईएन: 09344438,

ख) श्री पी.ओ लुईस, सीएफओ और महाप्रबंधक (वित्त)

ग) श्री सुब्रमणियन एच, कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी (एसीएस:28380)

**17. निदेशकों और/या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के ब्यौरे जिन्हें वर्ष के दौरान नियुक्त किए गए है/ त्यागपत्र दिए गए हैं:**

i) 31 जुलाई 2021 को अधिवर्षिता पर श्री एस बी भिड़े की सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप भारत सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय,रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के दिनांक 2 अगस्त, 2021 के आदेश सं पी. 51011/01/2021-केमि–**III** सीपीसी के अनुसार श्री एस सी मुदगेरीकर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइर्स लिमिटेड (आरसीएफ) ने हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से तीन माह की अवधि के लिए या आगे के आदेश जो भी पहले हो तक ग्रहण किया। यह अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइर्स लिमिटेड (आरसीएफ़) के अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त है।

ii) भारत सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के दिनांक 6 सितंबर, 2021 के आदेश सं पी. 51011/01/2021-केमि–**III** सीपीसी के फलस्वरूप श्री सजीव बी, मुख्य महा प्रबन्धक, एचओसीएल को हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने तारीख से उनकी अधिवर्षिता की तारीख 31 मई 2025 या आगे के आदेश तक जो भी पहले हो नियुक्त किया जाता है। श्री सजीव बी एचओसीएल की सहायक कंपनी हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बन लिमिटेड (एचएफएल) के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त पदभार भी वहन करता है।

भारत सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के दिनांक 10 मार्च, 2022 के आदेश सं पी. 53011/02/2019-केमि–**III**-सीपीसी के अनुसार श्री सजीव बी, सीएमडी को एचओसीएल के निदेशक (वित्त) के पद का अतिरिक्त प्रभार 22 सितम्बर 2021 से नौ महीने की अवधि के लिए या इस पद के लिए नियमित पदधारी नियुक्त करने तक या आगे आदेश तक जो भी पहले हो सौंप दिया गया है।

iii) भारत सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के 21 दिसम्बर 2021 के आदेश संख्या 51015/12/2014-केमि–III-सीपीसी के अनुसार श्री सतेन्द्र सिंह, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय को हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में श्री आशिष उपाध्याय के स्थान पर सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

iv) भारत सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के 24 दिसम्बर 2021 के आदेश संख्या 53013/8/2019-केमि–III-सीपीसी के अनुसार डॉ भरत जे कनाबर को हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में आदेश की तारीख से तीन(3) वर्ष की अवधि के लिए या आगे अन्य आदेश तक नियुक्त किया।

v) भारत सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के 24 दिसम्बर 2021 के आदेश संख्या 53013/8/2019-केमि–III-सीपीसी के अनुसार श्री प्रत्युष मंडल को हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में आदेश की तारीख से तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए या आगे अन्य आदेश तक नियुक्त किया।

vi) श्रीमती सुशीला एस कुलकर्णी, कंपनी के कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी ने हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) की सेवा से 28 फरवरी 2022 को सेवानिवृत्त किया है, तदनुसार, कंपनी सचिव का प्रभार श्री सुब्रमणियन एच को 28.02.2022 को अंतरित किया। उसके बाद श्री सुब्रमणियन एच को 01.03.2022 से एचओसीएल के कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

vii) भारत सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के 30 मार्च 2021 के आदेश संख्या 51011/06/2011-केमि–III-सीपीसी के अनुसार श्री कनिष्क कान्त श्रीवास्तव, निदेशक, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग को हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में श्री समीर कुमार विस्वास, अपर सचिव,रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग जिन्हें विभाग से 31 जनवरी, 2022 को कार्यमुक्त किया गया था, के स्थान पर तीन वर्षों की अवधि के लिए या आगे अन्य आदेश होने तक सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

**18. कर्मचारियों के विवरण**

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के विवरण के बारे में जानकारी लागू नहीं है क्योंकि कंपनी के किसी भी कर्मचारी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक नहीं लिया है। ।

**19. लेखापरीक्षा समिति (एसी) का संयोजन तथा इस समिति(एसी) की किसी भी सिफारिश को स्वीकार न करना (केवल सार्वजनिक एवं सूचीबद्ध कंपनियाँ के लिए)**

31 मार्च, 2022 को लेखापरीक्षा समिति में केवल दो सदस्य हैं। निदेशक मंडल में एक और स्वतंत्र निदेशक की रिक्ति है। मंत्रालय द्वारा जब कभी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की जाती है,कंपनी लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

इस रिपोर्ट के अनुबंध IV में निगमित अभिशासन रिपोर्ट में इसकी संरचना, लेखा परीक्षा समिति/उप–समिति की बैठकों का विवरण दिया गया है।

**20. निदेशक मंडल की समितियाँ**

वित्तीय वर्ष **2021-22** के अधिकांश अवधि में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता रही थी। फिरभी, 24 दिसंबर 2022 को भारत सरकार ने एचओसीएल के निदेशक मंडल में दो (**2**) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की। 28 जनवरी 2022 को आयोजित कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में निम्नलिखित समितियों का पुनर्गठन किया गया :

i. लेखापरीक्षा समिति

ii. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

iii. शेयरधारी संबंध समिति

iv. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

**21. साचिविक मानक**

लागू साचिविक मानकों यथा एसएस–1 और एसएस–2 जो क्रमश: निदेशक मंडल की बैठकों और सामान्य बैठकों से संबन्धित हैं, का विधिवत अनुपालन कंपनी द्वारा किया गया है।

**22. निदेशकों का जिम्मेदारी विवरण**

आपके निदेशक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(5) की शर्तों के अनुसार निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करते हैं -

i 31,मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को तैयार करने में सामग्री के प्रस्थान संबंधी उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू मानकों का अनुसरण किया गया है।

ii जैसाकि लेखों पर टिप्पणियों में बताया गया है ऐसे लेखा नीतियों का लगातार प्रयोग किया गया है और निर्णय तथा अनुमान लगाया जाता है कि वे उचित तथा विवेकपूर्ण है ताकि वे 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के कार्यों तथा उस अवधि के दौरान कंपनी के लाभ या हानि को सही तथा उचित ढंग से दर्शाते है।

iii जैसाकि इसका उचित तथा पर्याप्त ध्यान रखते हैं कि कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम तथा पहचान करने के लिए पर्याप्त लेखा रिकार्ड रखे गए हैं।

iv जैसा कि 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखे कार्यशील संस्था (गोइंग कनसर्न) के आधार पर तैयार किए हैं

v जैसाकि सभी लागू क़ानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निदेशकों ने उचित प्रणाली अपनायी है और प्रणाली पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से कार्य करा रही है।

vi यह है कि निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और इस तरह की प्रणाली पर्याप्त रही और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है।

**23. स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा-**

वित्तीय वर्ष **2021-22** के अधिकांश अवधि में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता रही थी। फिर भी, भारत सरकार ने 24 दिसंबर 2022 को एचओसीएल के निदेशक मंडल में दो (**2**) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की। तदनुसार, सेबी( सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाओं) विनियम 2015 के विनियम 25(3) के प्रावधानों के अनुपालन में स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक 25 मार्च 2022 को आयोजित की और समीक्षाधीन वर्ष (वित्तीय वर्ष 2021–22) के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा की अपेक्षाओं का यथाविधि अनुपालन किया गया।

**24. स्वतंत्र निदेशकों की पुन:नियुक्ति पर प्रकटीकरण**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई स्वतंत्र निदेशकों की पुन: नियुक्ति नहीं की गई ।(2021-22)

**25. निदेशकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक जिसमें योग्यताओं की पहचान करने के मानदंड, सकारात्मक लक्षण, निदेशकों की स्वतंत्रता आदि सम्मिलित है, पर कंपनी की नीति.**

कॉर्पोरेट मामलों मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक जिसमें योग्यताओं की पहचान करने के मानदंड, सकारात्मक लक्षण, निदेशकों की स्वतंत्रता आदि सम्मिलित है, पर इसकी नीति के प्रकटन संबंधी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ई) का प्रावधान और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 की उप–धारा (3) के तहत प्रदान किए गए अन्य मामले एक सरकारी कंपनी पर लागू नहीं हैं।

कंपनी केंद्र सरकार का एक उद्यम है और कंपनी के निदेशक मंडल में सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार/भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निदेशों पर है तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग के विहित निर्देशों का पालन किया जा रहा है। स्वतंत्र तथा अन्य निदेशकों की नियुक्ति की सेवा शर्तें सरकारी आदेशों के अनुसार है और इसको कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की गई है।

**26. मध्यम कर्मचारियों के पारिश्रमिक के मुकाबले निदेशकों के पारिश्रमिक का अनुपात तथा अन्य निहित विस्तृत प्रकटीकरण तथा ब्यौरे:**

अधिनियम की धारा 134 (3) (ई) के प्रावधान एक सरकारी कंपनी पर लागू नहीं हैं। नतीजतन, निदेशकों की नियुक्ति और अन्य मामलों पर कंपनी की नीति संबंधी विवरण अधिनियम की धारा 178 (3) के तहत प्रदान नहीं किया गया है। वैसे ही, अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होगी। परिणामस्वरूप, प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक के मध्यस्थ कर्मचारी के पारिश्रमिक के अनुपात का प्रकटन और इस तरह के अन्य विवरण जिसमें कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के नाम और अन्य विवरण दिखाते हैं, जो यदि वित्तीय वर्ष के पूरे समय/आंशिक समय में कार्यरत हैं, अधिनियम की धारा 197 (12) के संदर्भ में जिसे कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 (1) / (2) के साथ पा जाए, नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक की प्राप्ति प्रदान नहीं की गई। कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और पूर्ण समय निदेशकों ने इसके किसी भी सहायक कंपनियों से कोई भी पारिश्रमिक या कमीशन प्राप्त नहीं किया है। एचओसीएल, एक सरकारी कंपनी होने के कारण, इसके निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन सरकारी/डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जिसमें योग्यता और अन्य मामलों के लिए वेतन नियतन मानदंड भी शामिल होता है।

**27. लेखापरीक्षक**

क) <u>सांविधिक लेखापरीक्षक</u>

सर्वश्री बीएसजे एंड एसोसिएट,सनदी लेखाकारों को वर्ष 2021-2022 के लिए निगमित कार्यालय और कोची इकाई के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में सीएंडएजी द्वारा नियुक्त किया गया है।

लेखापरीक्षकों ने उनकी स्वतंत्रता और कंपनी के साथ संबंध के स्वतंत्र व्यवहार पुष्टि की घोषणा प्रस्तुत की है। यह भी घोषणा करते हैं कि उन्होंने कंपनी के लिए कोई प्रतिबंधित गैर-लेखापरीक्षा समनुदेश नहीं लिया है। लेखा परीक्षा समिति स्वतंत्रता और लेखापरीक्षकों के उद्देश्य और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभाविता की समीक्षा करती है। लेखापरीक्षक कंपनी की वार्षिक सभा बैठक में भाग लिया जाता है।

लेखापरीक्षकों ने वर्ष के लिए अपनी रिपोर्ट में कंपनी के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किए गए धोखाधड़ी के कोई दृष्टांत रिपोर्ट नहीं किया है।

ख) <u>लागत लेखापरीक्षक</u>

निदेशक मंडल ने मेसर्स सी.वाई. एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार को वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए आपकी कंपनी के लागत लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है। 29 सितम्बर 2021 को सम्पन्न 60 वीं एजीएम में सदस्यों ने लागत लेखापरीक्षकों के लिए भुगतानयोग्य पारिश्रमिक का अनुसमर्थन किया है।

ग) <u>आंतरिक लेखापरीक्षक</u>

सर्वश्री आइसक एंड सुरेश, सनदी लेखाकारों को वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए आपकी कंपनी के निगमित कार्यालय और कोची इकाई के आंतरिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है।

घ) <u>सीएजी लेखापरीक्षक</u>

अनुपूरक लेखापरीक्षा वाणिज्यिक लेखा परीक्षा प्रधान निदेशक (शिप्पिंग),मुंबई द्वारा किया जाता है। सीएजी लेखापरीक्षकों ने ''शून्य'' टिप्पणी रिपोर्ट जारी की है जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

ड) <u>साचिविक लेखापरीक्षक</u>

निदेशक मंडल ने डी एस मोमाया एंड कंपनी, पेशेवर कंपनी सचिव को वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए साचिविक लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए नियुक्त किया है। 31 मार्च,2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ अनुबंध के रूप में संलग्न है और कंपनी अधिनियम की धारा 204 और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाओं) के विनियम 24 ए के साथ अनुपालन

किया है। कंपनी ने सेबी एलओडीडीआर के विनियम 24ए के अधीन वर्ष 2021-22 के लिए पेशेवर कंपनी सचिव डी एस मोमाया से वार्षिक साचिविक अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त किया है। साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के निरीक्षण और प्रबंधन के उत्तर नीचे दिये जाते हैं।

| क्रमांक. | निरीक्षण | प्रबंधन का उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | वर्ष 2021–22 के बाजार पूंजीकरण के अनुसार कंपनी 1627 रैंक पर है। इसलिए यह शीर्ष 2000 कंपनियों में है, कंपनी को बोर्ड में न्यूनतम 6 निदेशकों की आवश्यकता है। लेकिन मार्च, 31 2022 तक कंपनी के बोर्ड में केवल 5 निदेशक हैं . | एचओसीएल रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसा एवं उर्व मंत्रालय), रसायन और पेट्रो रसायन विभाग (डीसीपीसी), भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सीपीएसई (केंद्रीय पीएसयू / पीएसई) है। इसलिए, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय प्रशासनिक मंत्रालय है और कंपनी के आर्टिक्ल्स ऑ फ एसोसिएशन (एओए) के अनुसार, एचओसीएल कंपनी के निदेशक मंडल को नियुक्त करने की शक्तियां भारत सरकार/प्रशासनिक मंत्रालय के पास हैं। तदनुसार, एचओसीएल ने पहले ही ईमेल दिनांक 02.02.2022 के माध्यम से हमारी प्रस्तुति भेज दी थी और हमारी कंपनी के बोर्ड में एक स्वतंत्र महिला निदेशक की नियुक्ति पर जल्द से जल्द विचार करने के लिए बोर्ड की सिफारिशों के साथ प्रशासनिक मंत्रालय से अनुरोध किया था। जैसे ही एचओसीएल को मंत्रालय से आदेश प्राप्त होगा, निदेशकों की कुल संख्या छह (6) हो जाएगी। |
| 2. | सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं (एलओडीआर) विनियम, 2015 और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रासंगिक विनियमों के अनुपालन में लेखा परीक्षा समिति, हितधारक संबंध समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का स्वतंत्र निदेशकों के सही मिश्रण के साथ विधिवत गठित नहीं हैं। | एचओसीएल रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसा एवं उर्व मंत्रालय), रसायन और पेट्रो रसायन विभाग (डीसीपीसी), भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सीपीएसई (केंद्रीय पीएसयू / पीएसई) है। इसलिए, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय प्रशासनिक मंत्रालय है और कंपनी के आर्टिक्ल्स ऑफ एसोसिएशन (एओए) के अनुसार, एचओसीएल के निदेशक मंडल को नियुक्त करने की शक्तियां भारत सरकार/प्रशासनिक मंत्रालय के पास हैं। जैसे ही एक और स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति होगी, समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा। . |
| 3. | हालांकि, लेखा परीक्षा समिति पुनर्गठित हुई है, इसमें केवल दो स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। यह सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियमन 18 के अनुपालन में नहीं हैं, जिसमें कहा गया है कि लेखा परीक्षा समिति में सदस्यों के रूप में न्यूनतम तीन निदेशक होंगे। इसी तरह, कंपनी के एनआरसी में दो स्वतंत्र निदेशक और एक कार्यकारी निदेशक शामिल हैं जो सेबी एलओडीआर विनियमन के विनियमन 19 के अनुपालन में नहीं हैं, जिसमें कहा गया है कि समिति के सभी निदेशक गैर–कार्यकारी निदेशक होंगे। | 24.12.2021 को, प्रशासनिक मंत्रालय ने एचओसीएल के निदेशक मंडल में दो (2) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की थी, हालांकि तीन (3) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए मांग प्रस्तुत की गई थी। तत्पश्चात, 28.01.2022 को आयोजित बोर्ड की बैठक में, बोर्ड ने तीन (3) सदस्यीय लेखा परीक्षा समिति का गठन किया जिसमें दो (2) स्वतंत्र निदेशक शामिल थे, जिसमें एक स्वतंत्र निदेशक समिति के अध्यक्ष के रूप में और एक गैर–कार्यकारी निदेशक / स्वतंत्र निदेशक नामित किया जाना था। / जल्द ही नियुक्त किया गया। तदनुसार, एचओसीएल ने उपलब्ध स्वतंत्र निदेशकों के साथ लेखापरीक्षा समिति का गठन किया। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एचओसीएल प्रशासनिक मंत्रालय से एक और स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे ही नियुक्ति होगी, ऑडिट कमेटी का फिर से गठन किया जाएगा। 31.03.2022 को एचओसीएल निदेशक मंडल की संरचना इस प्रकार है: एक (1) कार्यकारी निदेशक (सीएमडी), दो (2) सरकार द्वारा नामित निदेशक और दो (2) स्वतंत्र निदेशक। इसलिए, जब भी मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की जाएगी, कंपनी नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन करेगी। |

## 28. वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए सतर्कता मामलों के विवरण

| 01.04.2021 को अथशेष | 01.04.2021 से 31.03.2022 तक प्राप्त सतर्कता मामले | निपटाए | शेष |
|---|---|---|---|
| शून्य | 01 | 01 | शून्य |

## 29. लंबित सीएजी पैरा की स्थिति और प्रबंधन का उत्तर

| ऑडिट पैरा का नाम | पैरा का संक्षिप्त | रिपोर्ट की स्थिति |
|---|---|---|
| सीएजी रिपोर्ट 2014 की 13 के पैरा 21 | एचओसीएल स्कूल के स्वायत्त प्रबंधन को महात्मा एजुकेशन सोसाइटी को हस्तांतरित करने में अनियमितताएं और महात्मा एजुकेशन सोसाइटी को अपनी गतिविधियों के विस्तार के लिए अनाधिकृत पक्षधरता और 6.54 करोड़ रुपये का पट्टा किराया वसूलने में भी विफल रहा। | एचओसीएल ने 16.10.2006 को महात्मा एजुकेशन सोसाइटी (एमईएस) को 30 साल की अवधि के लिए स्कूल के प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचा सुविधाओं को पट्टे पर देने के लिए एक समझौता किया है। एमईएस के प्रबंधन ने व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए समझौते की शर्तों के उल्लंघन में परिसर में नए भवनों और सुविधाओं का निर्माण किया है। कंपनी ने एमईएस के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार समाप्ति के लिए नोटिस भेजा है। एमईएस ने जिला में टर्मिनेशन नोटिस को चुनौती देते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट अलीबाग में एक याचिका दायर की है। । एमईएस ने एचओसीएल और एमईएस के बीच विवाद में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जिला न्यायालय ने एमईएस की मध्यस्थता याचिका के अंतिम निस्तारण पर रोक लगा दी है। कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा दिए गए स्टे को खाली करने के लिए एक याचिका दायर की है। |

## 30. सुरक्षा,स्वास्थ्य एवं पर्यावरण

स्वास्थ्य,स्वच्छता एवं पर्यावरण के क्षेत्र में कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए आवधिक चिकित्सा जांच के साथ प्रपत्र सं 23 के अधीन स्वास्थ्य जांच की सांविधिक अपेक्षाओं का पालन किया है। उन लोगों के लिए ऑडियोमेट्री जांच किए गए जो शब्दों के संपर्क में हैं और अन्य वैधानिक नियमित जांच के अलावा बेंजीन हैंडलर के लिए ऑटोटॉक्सिसिटी परीक्षण किए गए थे।

स्वच्छता, कोविड सावधानियों और दिशा–निर्देशों पर समय–समय पर जागरूकता सत्र चलाया गया । प्रसार को नियंत्रित करने के लिए, नियमित रूप से धूमन और कीटाणुशोधन किया जाता था।

पर्यावरण के प्रति अपनी वचनबद्धता में कारखाने से और आसपास के वातावरण में प्रदूषकों का स्तर निर्धारित स्तर से काफी नीचे होना हमने सुनिश्चित किया है।

आरएलएनजी (पुन: गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस) के उपयोग को जारी रखने से वायु प्रदूषण में जबरदस्त कमी आई है।

पर्यावरण की रक्षा संबंधी कार्य के रूप में, जागरूकता सत्र, प्रतियोगिताएं, स्वच्छ भारत गतिविधियां, "हरित मिशन" के तहत सब्जी की खेती के लिए कर्मचारियों को बढ़ावा देना, संगठन के पूरे कर्मचारियों को शामिल करते हुए संयंत्र परिसर का सौंदर्यीकरण किया गया। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विनियमों के अनुपालन के लिए ऑन–लाइन एफ्लुएंट मॉनिटरिंग और स्टैक मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया गया है।

कंपनी ने वर्ष के दौरान कोविड़-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए कई उपायों को लागू किया है जैसे सुरक्षात्मक के उपयोग जैसे मास्क का उपयोग, हाथ की स्वच्छता, सुरक्षित दूरी आदि जैसे उपाय को प्रोत्साहित किया। इस संबंध में कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर पोस्टर प्रदर्शित किए गए हैं। इसके अलावा सभी वर्ग के कर्मचारियों को होमियो रोकथाम दवाएं उपलब्ध कराई गईं। कर्मचारियों के लिए विभिन्न स्थानों पर गरम पानी का डिस्पेंसर उपलब्ध कराया गया। शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए भोजनालय के मेज़ और कैंटीन के वॉश एरिया में पार्टिशन लगा दिया।

हमारे उत्पादों में से हाइड्रोजन पेरोक्साइड (H202) का व्यापक उपयोग एक कीटाणुनाशक के रूप में किया गया है। कंपनी ने इस उत्पाद का वितरण कुछ संस्थानों/स्थानीय निकायों को मुफ्त में किया है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बढ़ावा देने के लिए, कर्मचारियों को 6% केंद्रित H2O2 को एक लीटर कांटाइनर में उपलब्ध किया गया।

निवारक उपायों के हिस्से के रूप में, प्रशिक्षु अधिनियम के तहत प्रशिक्षुओं को तैनात करने की चयन प्रक्रिया ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी। चयनित उम्मीदवारों को नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट के साथ प्रशिक्षण की अनुमति दी गई थी। लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न स्थानों पर कोविड –19 पर पोस्टर प्रदर्शित किए गए।

सुरक्षा में सुधार के रूप में, संयंत्र और कार्मिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संगठन द्वारा कई सकारात्मक उपाय किए गए हैं। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ-9001), पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ-14001) और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ–45001) को एकीकृत करते हुए आईएमएस (एकीकृत प्रबंधन प्रणाली) को लागू किया गया था।

यह सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय पहलुओं को अधिक महत्व देता है। एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम (आईएसओ 50001) का कार्यान्वयन प्रगति पर है।

मौजूदा दुर्घटना/घटना जांच प्रक्रिया को 29 जांच बिंदुओं के साथ संशोधित किया गया है और गंभीरता के आधार पर जांच की जाती है। वर्ष 2021 के लिए संगठन में कोई रिपोर्ट योग्य दुर्घटना नहीं होने के कारण 747920 सुरक्षित मानव घंटे हासिल किए।

कर्मचारियों को फायर एंड सेफ्टी पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण सत्र प्रदान किए गए। कोविड महामारी के दौरान स्वास्थ्य और स्वच्छता पर जागरूकता सत्र के अलावा, संयंत्र के अंदर काम करते समय उपयोग किए जाने वाले पीपीई के सुरक्षा सावधानियों और उपयोग के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए संयंत्र बंद होने से पहले ठेके कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रशिक्षण प्रारम्भ किया। प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य के लिए टूल बॉक्स टॉकस की गई। महामारी के कारण आंतरिक प्रशिक्षण आयोजित करने में प्रतिबंध के कारण, कर्मचारियों के

लाभ के लिए औद्योगिक सुरक्षा, व्यवहार आधारित सुरक्षा, सुरक्षित संयंत्र संचालन के लिए सफाई और स्वच्छता, संसाधन सुरक्षा प्रबंधन, रक्षात्मक ड्राइविंग, औद्योगिक तकनीशियनों के लिए सुरक्षित वायरिंग प्रथाओं आदि जैसे कई प्रासंगिक विषयों का आयोजन ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया गया था। ।

बेहतर सुरक्षित कार्य पद्धतियों के लिए, विभिन्न कार्यों के लिए अलग–अलग संयंत्रों में पीपीई मैट्रिक्स की शुरुआत की गई और इसे प्रत्येक संयंत्र में व्यक्तिगत पर्यवेक्षकों द्वारा सुनिश्चित किया गया है। व्यवहार आधारित दृष्टिकोण की शुरूआत के परिणामस्वरूप कर्मचारियों से "निकट चूक" की संख्या में वृद्धि हुई, परिणामस्वरूप दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सक्रिय उपाय किए जा सकते हैं। जोखिम, जोखिम से युक्त रसायनों से निपटने और व्यावसायिक रोगों में हमारे कर्मचारियों के लिए फैक्टरीस एंड बॉयलर विभाग, केरल सरकार का एक पहल "सुरक्षा रथम" का आयोजन किया। सांविधिक कार्यात्मक सुरक्षा समिति द्वारा सेफ्टी वॉक थ्रू ऑडिट किए गए और बैठक में चर्चा किए गए सुरक्षा बिंदुओं को संगठन में बेहतर सुरक्षित प्रथाओं के लिए लागू किया गया।

संयंत्र में सभी घूर्णन उपकरणों के लिए सुरक्षा गार्डों की रंग कोडिंग की शुरुआत की। ऑनलाइन वर्क परमिट प्रणाली की शुरुआत की जिसे हमारे अपने आंतरिक संसाधनों द्वारा विकसित किया गया था। ई–परमिट प्रणाली के माध्यम से निर्धारित सुरक्षा मानकों के साथ प्रत्येक कार्य के लिए अलग वर्क परमिट तैयार करना होगा। निरीक्षण के बाद आपातकालीन पलायन को पुन:रूट किया गया, कर्मचारियों के बीच सुरक्षा के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस आदि मनाया गया। विभिन्न स्थानों पर निगरानी कैमरे लगाए गए।

एचओसीएल ने मेसर्स नेशनल सेफ्टी काउंसिल, केरल चैप्टर से बे रसायनिक उद्योगों की श्रेणी में वर्ष 2021 के लिए उत्तम सुरक्षा निष्पादन के लिए "सुरक्षा पुरस्कार" प्राप्त किया

**31. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग और विभिन्न क्षमताओं से युक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण और अन्य कल्याणकारी उपाय**

अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण और अन्य कल्याणकारी उपायों के संबंध में सभी दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाता है। कार्य स्थल पर विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष व्यवस्था के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

31.03.2022 को रोजगार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व

| संवर्ग | कुल | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | महिलाएं |
|---|---|---|---|---|
| क | 74 | 9 | 6 | 11 |
| ख | 39 | 7 | 3 | - |
| ग | 89 | 14 | 2 | 8 |
| घ | 10 | 1 | - | - |
| कुल | 212 | 31 | 11 | 19 |

**32. <u>राजभाषा नीति का कार्यान्वयन</u>**

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, सरकारी कार्यों में हिंदी को राजभाषा के रूप में बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को कंपनी ने जारी रखा। राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2020–21 पर विशेष कार्यक्रम सहित वर्ष के दौरान 10 हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। हिन्दी सप्ताह एवं हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन निगम कार्यालय एवं कोची इकाईयों में क्रमश: 14–21 सितम्बर तथा 13-27 सितम्बर को किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं और बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। एचओसीएल, कोची इकाई ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टोलिक) द्वारा राजभाषा नीति के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया। हमारी कॉर्पोरेट और कोची इकाई ने टॉलिक (पीएसयू), कोची और टॉलिक, नवी मुंबई द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया। राजभाषा अभिमुखीकरण कार्यक्रम विशेष रूप से कॉर्पोरेट और कोच्चि कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया था। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के तहत सभी दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी किए गए । कंपनी की वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। संविधान दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, सतर्कता जागरूकता सप्ताह सहित विभिन्न दिवस समारोहों पर हिंदी में प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। हमारे संगठन द्वारा राजभाषा के बेहतर कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन योजना सहित विभिन्न योजनाएँ अपनाई गई हैं।

**33. नागरिक चार्टर, लोक शिकायत निवारण, ग्राहक सुरक्षा प्रणाली और सूचना का अधिकार**

पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुरूप, हमारे संगठन ने मांगी गई सूचना के अधिकार को संभालने के लिए प्रयास किए हैं। कंपनी ने लोक सूचना अधिकारी/सीपीओ और अपीलीय प्राधिकरण के माध्यम से जानकारी प्रदान करने के लिए कार्य प्रक्रिया निर्धारित की है.

आरटीआई आवेदन– संक्षिप्त विवरण

वर्ष 2021–22 के दौरान प्राप्त और निपटाए गए आरटीआई आवेदनों की संख्या नीचे दी जाती हैं

| | |
|---|---|
| वर्ष 2021–22 के दौरान प्राप्त आरटीआई आवेदनों की संख्या | 30 |
| वर्ष 2021–22 के दौरान खारिज किए गए आवदानों की संख्या यदि कोई हो तो | 0 |
| वर्ष 2021–22 के दौरान प्रस्तुत सूचना | 29 |
| 31.03.2022 को लंबित उत्तर | 01* |

**34. सूक्ष्म और लघु उद्यम**

एमएसएमई से अधिप्राप्ति के लिए निर्दिष्ट वस्तुओं की खरीद के लिए सरकारी निर्देशों के अनुपालन के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। निविदाओं में भाग लेने के लिए एमएसएमई की पात्रता बताते हुए सभी निविदाओं में आवश्यक प्रक्रियाएं की गई हैं। हमने निविदा शर्तों में प्रतिबंधित क्लॉज़ को हटा दिया है और इसे संशोधित किया है जो एमएसएमई और विशेष रूप से एससी/एसटी/एमएसएमई की खरीद प्रक्रियाओं में अधिक से अधिक भागीदारी में मदद करेगा। कंपनी ने निर्देशों के अनुपालन के लिए खरीद नीति को भी संशोधित किया है.
एचओसीएल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमेशा प्रयास करता है। हमारे कीमत पर खरीद के 95% पेट्रोलियम उत्पाद (एलपीजी, बेंजीन, एलएनजी और हाइड्रोजन हैं – जो हमारे कच्चे माल हैं।) जो सर्वश्री बीपीसीएल से पाइपलाइन ट्रांसफर के माध्यम से आपूर्ति की जाती है। ये मदें एमएसएमई द्वारा निर्मित नहीं हैं और जेम पोर्टल में उपलब्ध नहीं हैं। शेष 5% की खरीद में से, एचओसीएल का लक्ष्य एमएसएमई से न्यूनतम 25ऱ खरीद करना है, जिसमें एससी/एसटी के स्वामित्व वाले एमएसएमई से 4% और महिलाओं स्वामित्व वाली से एमएसएमई से 3% शामिल हैं। एससी/एसटी प्रतिनिधि, महिला प्रतिनिधि की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। .

**35. सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक जिम्मेदारियाँ और व्यवसायिक जिम्मिदारी रिपोर्ट**

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट के प्रकटीकरण के संबंध में सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 कंपनी के लिए लागू नहीं है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड ने संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दैनिक गतिविधियों में प्रबंधन सिद्धांतों के लाभों को अपनाया और कार्यान्वित किया है। ये प्रबंधन सिद्धांत संगठन के प्रदर्शन पर लगातार सुधार करने के लिए आधार प्रदान करेंगे। संगठन व्यावसायिक प्रक्रियाओं के साथ जुडने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत को स्वीकार करता हैं.

1. ग्राहक केन्द्रित
2. नेतृत्व
3. संगठन के भीतर बेहतर सूचना प्रवाह सहित संसाधनों का उपयोग
4. प्रक्रिया दृष्टिकोण; और इसका निरंतर सुधार,
5. जोखिम और अवसर और वास्तविक समय पर निर्णय
6. कार्य स्थल पर आंतरिक संसाधनों का विकास करना और काम पर बेहतर मानवीय संबंधों को बनाए रखना.

हमने पीडीसीए साइकल सहित दैनिक कार्यों में "प्रक्रिया दृष्टिकोण" को अपनाया है। हमने अपने अधिकांश प्रबंधन प्रणाली में प्रभावशीलता को विकसित करने, कार्यान्वित करने और सुधारने के लिए जोखिम–आधारित सोच के उपयोग पर विचार किया है। यह दृष्टिकोण हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड को प्रक्रियाओं के बीच अंतर्संबंधों और अन्योन्याश्रितियों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करके संगठन के समग्र प्रदर्शन को बढ़ाने में सक्षम बनाता है.

ग्राहक विशिष्ट आवश्यकताओं को प्राप्त करने के साथ समझ और स्थिरता;

- अतिरिक्त मूल्य के संदर्भ में हमारी प्रक्रियाओं का विचार;
- प्रभावी प्रक्रिया कार्य निष्पादन की उपलब्धि;
- वास्तविक समय पर डेटा और सूचना के आधार पर हमारी प्रक्रियाओं में सुधार.

हम कार्य परिणामों को अधिकतम करने के लिए जोखिमों और अवसरों का सामना करने के लिए विभिन्न कार्यों को प्रभावी ढंग से योजना और कार्यान्वित करते हैं, लेकिन यह बेहतर परिणाम प्राप्त करने और हमारे उत्पादों, संचालन, सेवाओं के नकारात्मक प्रभावों को रोकने के लिए सीमित नहीं हैं।

हमारे कारोबार ऐसी वस्तुएं और सेवाएँ प्रदान करते हैं जो सुरक्षित हैं और उनके पूरे जीवन चक्र में स्थिरता में योगदान करती हैं और सभी कर्मचारियों की भलाई को बढ़ावा देते है, हितधारकों के हितों का सम्मान करती हैं, सभी हितधारकों विशेष रूप से वे जो वंचित, कमजोर और हाशिए पर हैं के प्रति उत्तरदायी भी है। हमारे कारोबार पर्यावरण से संबंधित प्रासंगिक वैधानिक नियमों का अनुपालन करते हुए सुरक्षित और बेहतर तरीके से बनाए रखने के लिए सम्मान, संरक्षण और प्रयास करते हैं। हमारे कारोबार जिम्मेदार तरीके से अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं का समर्थन और मूल्य प्रदान करते हैं।

**36 वर्ष के दौरान सीएसआर नीति और इसके कार्यान्वयन का विवरण**

कंपनी अपनी स्थापना से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में बहुत जागरूक है। सामाजिक रूप से ज़िम्मेदार और संवेदनशील कॉर्पोरेट के रूप में पिछले पाँच दशकों में, आपकी कंपनी सामाजिक विचार के लिए प्रतिबद्ध है और पड़ोसी गाँवों को बुनियादी नागरिक सुविधाएँ प्रदान कर,विविध माध्यम से सहायता प्रदान करते हुए समाज की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध भी है।

आपकी कंपनी को पिछले वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में हुए हानि के कारण किसी भी सीएसआर गतिविधियां चलाने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, कंपनी ने अपने सामाजिक दायित्वों को मान्यता दी है और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान की है.

कोविड़-19 महामारी की लड़ाई में, कंपनी ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान की।

- सामाजिक सेवा संगठन सेवभारती को एफएसीटी के साथ एम्ब्युलेन्स को प्रायोजित किया।
- स्थानीय निवासियों को पेयजल की आपूर्ति ज़ारी करना सुनिश्चित की गई ।
- कोविड़ टीकाकरण अभियान चलाया गया। समीपस्थ पंचायत के लिए फोगगिंग मशीन दिये गए।
- कौशल/ज्ञान बढ़ाने के लिए इंजीनियरिंग/विज्ञान/प्रबंधन कॉलेजों के छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की गयी ।
- इंटरमिडिएट स्तर पूरा किए आईसीएआई/आईसीएसआई के प्रॉफेश्नल छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रशिक्षुओं के रूप में किया गया।

**अन्य गतिविधियां**

**स्वच्छ भारत अभियान**

वर्ष 2021 में रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग से स्वच्छता पखवाडे में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया।

स्वच्छता पखवाडा 2021 के दौरान विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। कंपनी के बाहर भी सफाई अभियान चलायी गयी। कोविड़ महामारी के बाद विद्यालय (वीएचएसएस,इरुम्पनम) खोलने के पहले एचओसीएल के कर्मचारियों ने सफाई अभियान आयोजित किया ।

स्वच्छता पखवाड़ा गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करने के लिए विभिन्न कार्यात्मक विभागों से चुने गए 20 स्वयंसेवकों के साथ प्रशिक्षण केन्द्र में बैठक का आयोजन किया। कार्यपालक निदेशक एवं नोडल अधिकारी ने कोविड महामारी के मद्देनज़र गतिविधियों के महत्व, नियोजन, प्रत्येक टीम के कप्तानों आदि की भूमिका, मंत्रालय की कार्य योजना के अनुसार गतिविधियों की योजना बनाने आदि की जानकारी दी। कार्य योजना पर परिपत्र जारी किए गए।

कार्यपालक निदेशक और यूआईसी ने कोविड़-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली के माध्यम से स्वच्छता प्रतिज्ञा दिलाई। स्वच्छता पखवाड़ा पर लोगो के साथ बैनर फैकटरी और टाउनशिप आदि के प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाता है। सभी कर्मचारियों को कार्यालय परिसर को स्वच्छ एवं प्लास्टिक मुक्त रखने, पुराने अभिलेखों का प्रबंधन ठीक से और स्वच्छता गतिविधियों में भाग लेने का का संकल्प लिया जाना है। सभी कर्मचारियों ने स्वच्छ और हरित पर्यावरण की दिशा में योगदान देना का संकल्प लिया।

एकल उपयोग के प्लास्टिक सामाग्री छोड़ देने के लिए परिपत्र जारी किए गए और प्लास्टीक मुक्त क्षेत्र में घोषित।

विभिन्न विभागों द्वारा 01.09.2021 से स्वच्छता गतिविधियों का संचालन किया गया। पुराने अभिलेखों को अलग करना और निराई करना, सूचीबद्ध करना और बनाए रखने का कार्य अब भी चल रहा है।

"वर्तमान महामारी की परिस्थिति में स्वच्छता का महत्व" विषय पर कर्मचारी, प्रशिक्षु/प्रशिक्षणार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं (अंग्रेजी/हिंदी/मलयालम में) आयोजित की गईं।

"वर्तमान महामारी की स्थिति में सफाई एवं स्वच्छता '' विषय पर कर्मचारी के बच्चों (हाई स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्र) के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं (अंग्रेजी/हिंदी/मलयालम में) आयोजित की गईं।

सुरक्षित संयंत्र प्रचालन के लिए सफाई और स्वच्छ वातावरण पर वेबिनार एचओसीएल द्वारा आयोजित की गई और रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग द्वारा होस्ट किया गया। इसमें संसाधन व्यक्ति – डॉ एम पी सुकुमारन नायर, निदेशक, हरित प्रौद्योगिकी केंद्र और प्रबंधन ने सत्र का संचालन किया।

निवासियों, कर्मचारी और ठेके कर्मचारियों की भागीदारी से टाउनशिप में स्वच्छता सफाई गतिविधियां की गई।

कोविड –19 के प्रसार को रोकने के लिए महामारी की स्थिति में कोविड़ और स्वच्छता का महत्व पर जागरूकता चलायी गयी। कक्षाओं का संचालन डॉ. शीना लाल, अधीक्षक, सरकार, मेडिकल कॉलेज, मंजेरी और सुश्री सुजाता बी, हेड नर्स ने किया।

**आजादी का अमृत महोत्सव**

आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हमारे परिसर में विभिन्न सफाई गतिविधियाँ आयोजित की गयी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर तैयार किए गए स्टिकर सभी सरकारी पत्राचार में लगाए गए । अगस्त 2023 तक विविध गतिविधियों के साथ समारोह का आयोजन/योजना बनायी गयी।

**अंतरराष्ट्रीय योग दिवस**

21 जून 2021 को योग दिवस मनाया गया। हमारे पोर्टल और सोशल मीडिया के माध्यम से सभी कर्मचारियों की जानकारी के लिए सामान्य योग प्रोटोकॉल ई–बुक व्यापक रूप से प्रसारित की गई।

**नागरिक चार्टर, लोक शिकायत निवारण (पीजी) ग्राहक देखभाल प्रणाली (सीसीएस) और सूचना का अधिकार (आरटीआई)।**

पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुरूप, हमारे संगठन ने मांगे गए सूचना के अधिकार को संभालने के लिए प्रयास किए हैं।

कंपनी ने सार्वजनिक सूचना अधिकारी/सीपीआईओ और अपीलीय प्राधिकारी के माध्यम से सूचना प्रदान करने की प्रक्रिया निर्धारित की है

**37. औद्योगिक संबंध:**

इस दौरान समग्र औद्योगिक संबंध की स्थिति शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण बनी रही वर्ष 2021-22। वर्ष के दौरान कोई हड़ताल या तालाबंदी नहीं हुई।

**38. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत किए गए ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के तहत कंपनी द्वारा कोई ऋण, गारंटी या निवेश नहीं किया गया है और इसलिए उक्त प्रावधान लागू नहीं होते है।

सहायक कंपनी हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बन लिमिटेड को बंद करने के लिए भारत सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप कर्मचारियों को वीआरएस/वीएसएस से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए और बैंक और अन्य देनदारियों के बकाया का निपटान करने के लिए भारत सरकार द्वारा ऋण के रूप में 75.87 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

39. **योग्यताओं, आरक्षणों पर स्पष्टीकरण या टिप्पणियाँ या लेखापरीक्षकों और पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा उनकी रिपोर्टों में किए गए प्रतिकूल अभ्युक्तियाँ या अस्वीकरण**

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में योग्यताओं, आरक्षण पर या प्रतिकूल अभ्युक्तियाँ कोई नहीं है।

कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षकों ने वर्ष 2021-22 के लिए अपनी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की है। साचिवीय लेखापरीक्षकों के निरक्षणों पर उत्तर निदेशक की रिपोर्ट में दिया है। .

40. **वित्तीय वर्ष जिसको वित्तीय विवरणों का संबंध है, की समाप्ति के बीच पाए गए कंपनी के वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले वस्तुगत परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं यदि कोई हो तो और रिपोर्ट की तारीख**

शून्य

41. **वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे में ब्यौरे:**

कंपनी दस्तावे?ीय नीति के माध्यम से पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण की उपस्थिति तथा मैनुअल में निर्धारित पद्धतियों का पालन विभिन्न स्तरों पर कार्यकारियों द्वारा सुनिश्चित करती है । आंतरिक लेखा परीक्षा और प्रबंधन समीक्षा द्वारा आंतरिक नियंत्रण को सहायता दी जाती है। प्रबंधन इन मामलों में गहरी दिलचस्पी रखती है और सूचना प्रौद्योगिकी को अपग्रेड करना, आधार संरचना तथा मूल्यांकन और ईआरपी सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन, वेब पर आधारित आवेदन तथा प्रभावी और सकारात्मक सेवाओं तथा कारोबार के लाभ के लिए विनिर्माण इकाइयों और शाखा कार्यालयों के बीच संयोजन स्थापित करना.

निदेशक मंडल ने समय–समय पर वित्तीय परिणामों पर लेखा परीक्षकों की सिफारिशें और इन सिफारिशों आदि पर प्रबंधन के उत्तर के आंतरिक नियंत्रण लेखा परीक्षा कार्यक्रमों की समीक्षा की है

कंपनी ने अपने संचालन के आकार, पैमाने और संकीर्णता के अनुरूप पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण प्रणाली, बनाए रखी है और संगठन की विकास गति और संचालन की बढ़ती संकीर्णता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न नीतियों, प्रथाओं और विधियों का अनुपालन सुनिश्चित करती है।

42. **ऊर्जा संरक्षण/ प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी मुद्रा कमाई और खर्च**

क) ऊर्जा संरक्षण के लिए उठाए गए कदम और इसका प्रभाव:

2021-22 में लागू प्रमुख ऊर्जा संरक्षण गतिविधियां/परियोजनाएं

- परंपरागत लाइटस का एलईडी लाइटस से प्रतिस्थापन: प्रतिवर्ष 3.8 लाख रुपए/ वर्ष विद्युत ऊर्जा की बचत ।
- परंपरागत मोटर का ऊर्जा बचत आईई3 मोटर के साथ प्रतिस्थापन: प्रतिवर्ष 3.2 लाख रुपए/वर्ष विद्युत ऊर्जा की बचत ।
- बेन्जीन चार्ज पम्प के इम्पेल्लर ट्रिम्मिंग:प्रतिवर्ष 2.51लाख रुपए/वर्ष विद्युत ऊर्जा की बचत।
- टाउनशिप में ठेके मांग में कटौती : वार्षिक बचत 2.51लाख रुपए/वर्ष

कंपनी ओपन एक्सेस पावर ट्रेडिंग का लाभ उठा रही है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2021-22 के लिए बिजली लागत पर 63.77 लाख रुपए की बचत हुई है।

क. प्रौद्योगिकी समावेशन: शून्य

i. प्रौद्योगिकी समावेशन के लिए किए गए प्रयास: शून्य

ii. उससे प्राप्त फायदे जैसे उत्पाद में सुधार,लागत में कमी,उत्पाद विकास या निर्यात पर्याय: शून्य

iii. आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष की शुरूआत से पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित): शून्य

(क) आयात की गई प्रौद्योगिकी के ब्यौरे

(ख) आयात का वर्ष

(ग) क्या प्रौद्योगिकी पूर्णत: समावेशित की गयी है।

(घ) यदि पूर्णत: समावेशित नहीं की गई है तो वे क्षेत्र जहाँ समावेशन नहीं किया गया है और उसका कारण

iv अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय: शून्य

43. **कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति के विकास तथा कार्यान्वयन से संबंधित विवरण** मुख्य आशंकाओं में सम्मिलित है:

- भीतरी/आयात से प्रतिस्पर्धा और इनपुट कीमतों में उतार–चढ़ाव
- उच्च इनपुट लागत
- उच्च उपयोगिता लागत
- उच्च ओवरहेड
- मुख्य उत्पादें फिनोल और एसिटोन के लिए एंटी–डंपिंग समर्थन की निरंतर उपलब्धता
- सतत प्रचालन को प्रभावित करने वाली कार्यशील पूंजी की अत्यधिक कमी
- उच्च ब्याज लागत और कर्मचारी पारिश्रमिक।

**कुछ जोखिम और चिंताएं:**

- प्रति टन तैयार माल का उच्च जनशक्ति लागत
- ह्रासित संयंत्र जिसको उच्च अनुरक्षण लागत की आवश्यकता है।
- मुख्य उत्पादें फिनोल और एसिटोन का पाटन (डंपिंग)
- मुख्य निवेश बेंजीन में अस्थिरता
- अनुबंध (डाउनस्ट्रीम) कंपनियों पर कोविड़-19 का प्रभाव.

44. **सहायक कंपनियाँ,संयुक्त क्षेत्र की कंपनियाँ और संबद्ध कंपनियाँ जो बंद हो गई है या होनेवाली है**

रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रो रसायन विभाग ने दिनांक 29–01–2020 की पत्र सं पी? 51015/06/2019-सीएच के माध्यम से एचओसीएल की सहायक कंपनी हिंदुस्तान फ्लुरोंकार्बन्स लिमिटेड को बंद करने का निर्देश संबंधी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्णय की जानकारी दी, जिसको शेयरधारकों द्वारा 30–03–2020 को अनुमोदित किया गया था।

सहायक कंपनी हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड को बंद करने के लिए भारत सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप, कर्मचारियों को वीआरएस/वीएसएस से संबंधित खर्चों को पूरा करने और बैंक और अन्य देनदारियों के बकाया का निपटान करने के लिए भारत सरकार से ऋण के रूप में 73.70 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

45. **जमाएँ : शून्य**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने या तो निदेशकों से या कंपनी के शेयरधारकों से कोई जमा राशियाँ आमंत्रित या स्वीकार नहीं किया है।

46. **नियामकों या अदालतों या ट्रिब्यूनल द्वारा पारित महत्वपूर्ण और वस्तुगत आदेशों का विवरण जो चल रही चिंता की स्थिति और भविष्य में कंपनी के प्रचालन को प्रभावित करते है :**

शून्य

47. **कार्यस्थल पर महिलाओं पर यौन उत्पीड़न के अधीन प्रकटीकरण (प्रतिबंध, रोकथाम और निवारण) अधिनियम 2013**

कार्यस्थल पर महिलों पर यौन उत्पीड़न (प्रतिबंध, रोकथाम और निवारण) अधिमियम 2013 (''अधिनियम'') और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार आपकी कंपनी ने महिलाओं के लिए पूर्वधारणा, लिंगभेद और यौन उत्पीड़न और भय के बिना स्वस्थ कार्यालयीन माहौल के लिए एक यौन उत्पीड़न नीति अपनायी है। प्रस्तुत नीति का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है। अधिनियम के अनुसार एक शिकायत समिति अस्तित्व में है। बोर्ड का कथन है कि कार्यस्थल पर महिलों पर यौन उत्पीड़न (प्रतिबंध, रोकथाम और निवारण) अधिमियम 2013 के अनुसरण में कोई मामले या शिकायत दर्ज नहीं किया है।

**वर्ष 2021 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013-:**

प्राप्त शिकायतों की संख्या: शून्य

निपटाई गयी शिकायतों की संख्या: शून्य

90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या: शून्य

आयोजित कार्यशाला/जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या:

1. बाहरी सदस्य के साथ समिति बैठक/परिचर्चा
2. हमारे परिसर में बाहरी सदस्य द्वारा कर्मचारियों/प्रशिक्षणार्थियों/महिला कार्यकर्ताओं को जागरूकता सत्र ।
3. एनआईपीएम द्वारा आयोजित पोष (पीओएसएच) अधिनियम 2013 का सत्र।
4. नए रूपसे शामिल प्रशिक्षणार्थियों को जागरूकता सत्र नियोक्ता द्वारा की गई कार्रवाई की प्रकृति: लागू नहीं

48. **सतर्कता प्रणाली : (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177(9) के तहत)**

सरकारी कंपनी होने के कारण, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड में सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसरण में एक सतर्कता विभाग पहले ही विद्यमान है। इसलिए, सतर्कता विभाग द्वारा सतर्कता प्रणाली का संचालन किया जा रहा है और कंपनी ने सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसरण में पहले से ही सतर्कता मैनुअल अपनाया है। सतर्कता मैनुअल कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

49. **व्हिसल ब्लोअर नीति**

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 22 के अनुसार और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनियां वास्तविक चिंताएं रिपोर्ट करने के लिए निदेशकों और कर्मचारियों के लिए एक सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार करेंगी। आपकी कंपनी ने व्हिसल ब्लोअर नीति के अनुसार सभी स्थायी कर्मचारियों को संरक्षित प्रकटीकरण करने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करने के लिए एक व्हिसल ब्लोअर नीति अपनाई है। इस नीति कर्मचारियों जो इस प्रणाली का लाभ उठाते हैं, को उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है और लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुंच का भी प्रावधान करती है। यह पुष्टि की जाती है कि कंपनी के किसी भी कर्मचारी को लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है और इस संबंध में वर्ष के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी को कंपनी की वेबसाइट में दिया गया है

50. **सामान्य**

निम्नलिखित मामलों के संबंध में कोई प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन वस्तुओं पर कोई लेनदेन नहीं किया गया था:

- डिविडेंड, वोटिंग या अन्यथा के रूप में विभेदक अधिकार सहित इक्विटी शेयर जारी करना।
- किसी स्कीम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को शेयर जारी करना (स्वेद इक्विटी शेयर सहित)।
- कंपनी के पास कर्मचारियों द्वारा या कर्मचारियों के लाभ के लिए ट्रस्टियों द्वारा अपने स्वयं के शेयरों की खरीद के लिए धन के प्रावधान की कोई योजना नहीं है।
- न तो कंपनी के प्रबंध निदेशक और न ही पूर्णकालीन निदेशक इसके किसी सहायक कंपनी से कोई पारिश्रमिक या कमीशन प्राप्त करते हैं।
- ऊपर पिछले वर्ष के दौरान उल्लिखित को छोड़कर, नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण या भौतिक आदेश पारित नहीं किए गए जो संस्था की स्थिति और कंपनी की संचालन की स्थिति को प्रभावित करते हैं।
- लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड को कोई धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई है।
- इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के तहत कोई कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू नहीं हुई है

51. **आभार:**

निदेशक मंडल कंपनी के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता है जिन्होने प्रबंधन में विश्वास रखकर निरंतर समर्थन किया है।

निदेशक कंपनी के कर्मचारियों, ग्राहकों, विक्रेताओं, निवेशकों और अन्य हितधारकों को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। निदेशक रसायन एवं उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और केरल सरकार और अन्य सरकारी विभागों और एजेंसियों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। निदेशकों को कोविड़–19 महामारी के कारण जीवन के नुकसान पर खेद है और इस महामारी से लड़ने के लिए अपने जीवन और सुरक्षा को जोखिम में डालने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए गहरा आभारी और बहुत सम्मान है। निदेशक हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए योगदान की सराहना करते हैं और उसका सम्मान करता है।

**हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के**
**निदेशक मण्डल के आदेश द्वारा**
**हस्त/–**
**सजीव बी**
**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
**(डीआईएन 09344438)**

**दिनांक: 26/05/2022**
**स्थान:सीबीडी बेलापुर**

**अनुबंध – I**

वार्षिक विवरण का उद्धरण

फॉर्म सं एमजीटी -9

31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार

## I. पंजीकरण और अन्य विवरण

| | | |
|---|---|---|
| i) | सीआईएन | एल99999एमएच1960जीओआई011895 |
| ii) | पंजीकरण | 12/12/1960 |
| iii) | कंपनी का नाम | हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड |
| iv) | कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी | सीपीएसयू |
| v) | पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क के ब्यौरे | कार्यालय.सं. 401, 402 एवं 403,<br>4वीं तल,''बी-टाइम्स स्कवेयर, प्लॉट सं.3, सेक्टर-15, सीबीडी, बेलापुर,<br>नवी मुंबई, 400614, महाराष्ट्र |
| vi) | क्या सूचीबद्ध कंपनी है | हाँ |
| vii) | रेजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट का पता तथा संपर्क के ब्यौरे यदि कोई हो तो | सर्वश्री. बिगशेयर प्रा.लि.,<br>कार्यालय सं.एस–6, छठा तल,पिन्नाक्क्ल बिजनस पार्क, आहुरा सेंटर के आगे महाकाली रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई 400093 महाराष्ट्र.<br>दूरभाष: 022-62638200 फैक्स :022-62638299<br>ई–मेल:investor@bigshareonline.com |

## II. कंपनी की प्रधान व्यापार गतिविधियां:

| क्र.सं. | मुख्य उत्पादें/सेवाओं का नाम एवं विवरण | उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड | कंपनी की कुल बिक्री का कुल % |
|---|---|---|---|
| 1 | फिनोल | 29071110 | 69.02 |
| 2 | एसिटोन | 29141100 | 21.54 |
| 3 | हाइड्रोजन पेरॉक्साइड | 28470000 | 5.86 |
| 4 | उप उत्पादें | | 3.58 |

## III. धारित, सहायक और अनुषंगी कंपनियों के विवरण

| क्र सं. | कंपनी का नाम व पता | सीआईएन/जीआईएन | धारक/ सहायक/ संबंध | धारित शेयरों का प्रतिशत | लागू धारा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हिंदुस्तान फ्लूरोकार्बन्स लिमिटेड | एल25206एपी1983 एलसी004037 | सहायक | 56.43 | |

## IV. शेयर धारिता दर्शानेवाले विवरण(कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रेकअप):

i. श्रेणीवार शेयर धारिता

शेयरधारिता तरीका दर्शानेवाले विवरण

| शेयरधारकों की श्रेणी | वर्ष के आरंभ में धारित शेयर:: 01/04/2020 | | | | वर्ष के अंत में धारित शेयर: 31/03/2021 | | | | % परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | डीमैट | भौतिक | कुल शेयर | कुल % | डीमैट | भौतिक | कुल शेयर | कुल % | |
| (क) प्रोमोटर्स/प्रोमोटर ग्रुप 2 की शेयरधारिता | | | | | | | | | |
| भारतीय | | | | | | | | | |
| (क)वैयक्तिक/एचयूएफ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (ख) केंद्रीय / राज्यसरकार | 39481500 | 0 | 39481500 | 58.78 | 39481500 | 0 | 39481500 | 58.78 | 0.00 |
| (ग)निकाय/निगम | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (घ)वित्तीय संस्थान/ बैंक | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (ङ)अन्य कोई (स्पष्ट करें) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (ग)समूह कंपनियाँ | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (ग)निदेशक परिजन | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| उप कुल(क)(1) : | 39481500 | 0 | 39481500 | 58.78 | 39481500 | 0 | 39481500 | 58.78 | 0.00 |
| विदेश | | | | | | | | | |
| (क) निकाय /निगम | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (ख) वैयक्तिक | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (ग)संस्थान | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (घ)योग्यता प्राप्त विदेशी निवेशक | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (ङ) अन्य कोई (स्पष्ट करें) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| उप कुल(क)(2) : | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| प्रोमोटर्सके लिए कुल शेयर होल्डिंग | | | | | | | | | |
| (क)(क)(1) + (क)(2) | 39481500 | 0 | 39481500 | 58.78 | 39481500 | 0 | 39481500 | 58.78 | 0.00 |
| (ख)पब्लिक शेयर धारिता | | | | | | | | | |
| संस्थान | | | | | | | | | |
| (क)केंद्रीय/ राज्यसरकार | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (ख)वित्तीय संस्थान/ बैंक | | 11500 | 11500 | 0.02 | 0 | 11500 | 11500 | 0.02 | (0.00) |
| (ग)म्यूचल फंड / यूटीआई | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (घ) वेंचर पूंजी निधि | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (ङ) बीमा कंपनियाँ | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (च)ए?आईआई | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (छ)विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (ज)अर्हता प्राप्तविदेशी निवेशक | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (झ) अन्य कोई (स्पष्ट करें) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (ञ)विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (ट)विकल्पीय निवेश निधि | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| उपकुल: | 0 | 11500 | 11500 | 0.02 | 0 | 11500 | 11500 | 0.02 | (0.00) |
| गैर संस्थान | | | | | | | | | |
| (क)निकाय कॉर्पोरेट | 1909587 | 38501 | 1948088 | 2.90 | 2210077 | 38501 | 2248578 | 3.35 | 0.45 |
| (ख)वैयक्तिक | | | | | | | | | |
| (1)(पूँजी 1 लाख रुपए तक ) | 14383275 | 1597133 | 15980408 | 23.79 | 13148513 | 1588133 | 14736646 | 21.94 | (1.85) |
| (2)( पूँजी 1 लाख रुपए से अधिक) | 6429669 | 14800 | 6444469 | 9.59 | 7143603 | 14800 | 7158403 | 10.66 | 1.06 |
| (ख) अन्य कोई (स्पष्ट करें) | | | | | | | | | |
| (1)एचयूएफ | 2060355 | 0 | 2060355 | 3.07 | 2361096 | 0 | 2361096 | 3.51 | 0.45 |
| (2)न्यास | 53335 | 0 | 53335 | 0.08 | 66335 | 0 | 66335 | 0.10 | 0.02 |
| अन्य कोई (स्पष्ट करें) | | | | | | | | | |
| अन्य कोई (स्पष्ट करें) | | | | | | | | | |
| (3)क्लीयरिंग सदस्य | 377703 | 100 | 377803 | 0.56 | 387629 | 0 | 387629 | 0.58 | 0.01 |
| (4)गैर भारतीय निवासी (एनआरआई) | 0 | 329100 | 329100 | 0.49 | 49524 | 329100 | 378624 | 0.56 | 0.07 |
| (5) गैर भारतीय निवासी (रिपीट) | 421031 | 0 | 421031 | 0.63 | 279077 | 0 | 279077 | 0.42 | (0.21) |
| (6) गैर भारतीय निवासी (गैर रिपीट) | 63161 | 0 | 63161 | 0.09 | 62612 | 0 | 62612 | 0.09 | (0.00) |
| (7) निदेशक परिजन | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (8) बाज़ार मेकर | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| (9) कर्मचारी | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (10) ओवर्सीस निकाय निगम | 0 | 1100 | 1100 | 0.00 | 0 | 1100 | 1100 | 0.00 | 0.00 |
| (11) अदावी सस्पेंस खाता | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (12) आईईपीएफ | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (घ)अर्हता प्राप्त विदेशी निवेशक | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (ई) आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| उप कुल: | **25698116** | **1980734** | **27678850** | **41.21** | **25708466** | **1971634** | **27680100** | **41.21** | **0.00** |
| कुल पब्लिक शेयरधारिता | **25699466** | **1992134** | **27691600** | **41.22** | **25708566** | **1983034** | **27691600** | **41.22** | **(0.00)** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ग) अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर और जिसके विरुद्ध जारी की गयी रशीद | | | | | | | | | |
| (क)अभिरक्षकों द्वारा धारीय शेयर | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (13) प्रमॉटर और प्रमॉटर ग्रुप | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (14) पब्लिक | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| उप कुल | **0** | **0** | **0** | **0.00** | **0** | **0** | **0** | **0.00** | **0.00** |
| कुल पब्लिक शेयरधारिता | **0** | **0** | **0** | **0.00** | **0** | **0** | **0** | **0.00** | **0.00** |
| | | | | | | | | | |
| कुल जोड़ (क)+(ख)+(ग) | **65180966** | **1992134** | **67173100** | **100.00** | **65190066** | **1983034** | **67173100** | **100.00** | **(0.00)** |
| | | | | | | | | | |

ii. **प्रोमोटेर्स की शेयरधारिता :**

| क्रम सं | शेयरधारिता का नाम | वर्ष के आरंभ में धारित शेयर 01/04/2021 | | | वर्ष के अंत में धारित शेयर 31/03/2022 | | | वर्ष के दौरान धारित शेयर में परिवर्तन % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयर की संख्या | कंपनी के कुल शेयर % | कुल शेयरों मेंगिरवी/ऋणग्रस्त शेयरों का % | शेयर की संख्या | कंपनी के कुल शेयर % | कुल शेयरों में गिरवी/ ऋणग्रस्त शेयरों का % | |
| 1 | भारत के राष्ट्रपति | 39481500 | 58.78 | 0.0000 | 39481500 | 58.78 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | | | | | | | |
| | कुल | 39481500 | 58.78 | 0.0000 | 39481 | 58.78 | 0.0000 | 0.0000 |

iii. प्रोमोटेर्स की शेयरधारिता में परिवर्तन यदि कोई हो तो (कृपया स्पष्ट करें यदि कोई परिवर्तन नहीं है) नहीं/शून्य

iv. शीर्षस्थ10 शेयरधारकों (निदेशकों, प्रमोटरों और जीडीआर और एडीआर के धारकों के अलावा) के शेयरधारिता पैटर्न

| | | शीर्षस्थ दस गैर प्रोमोटेर्स अभियान | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रमांक | | वर्ष के आरंभ में शेयरों की संख्या (30/03/2021)/ वर्ष के अंत में (31/03/2022) | | दिनांक | शेयरधारिता में वृद्धि / कमी | कारण | शेयरों की संख्या |
| 1 | सुधावेन प्रफुल्ल चन्द्र वैद्य | 1321995 | 1.97 | 30-मार्च -2021 | 0 | | 1321995 |
| | | | 2.07 | 16-अप्रैल-2021 | 70000 | खरीद | 1391995 |
| | | | 2.08 | 23-अप्रैल2021 | 6000 | खरीद | 1397995 |
| | | | 2.09 | 07-मई-2021 | 3550 | खरीद | 1401545 |
| | | | 2.14 | 21 -मई -2021 | 36000 | खरीद | 1437545 |
| | | | 2.21 | 04-जून-2021 | 47000 | खरीद | 1484545 |
| | | | 2.22 | 11-जून -2020 | 5000 | खरीद | 1489545 |
| | | | 2.12 | 18-जून -2020 | -65000 | बिक्री | 1424545 |
| | | | 2.15 | 06-अगस्त-2021 | 20000 | खरीद | 1444545 |
| | | | 2.20 | 13-अगस्त-2021 | 36000 | खरीद | 1480545 |
| | | | 2.21 | 27-अगस्त--2021 | 5000 | खरीद | 1485545 |
| | | | 2.22 | 3-सितम्बर-2021 | 5000 | खरीद | 1490545 |
| | | | 2.25 | 10-सितम्बर-2021 | 20000 | खरीद | 1510545 |
| | | | 2.65 | 17-सितम्बर-2021 | 270000 | खरीद | 1780545 |
| | | | 2.66 | 08-अक्तूबर -2021 | 5000 | खरीद | 1785545 |
| | | | 2.69 | 24-दिसम्बर-2021 | 20000 | खरीद | 1805545 |
| | | | 2.74 | 04- फरवरी-2022 | 35000 | खरीद | 1840545 |
| | | 1840545 | 2.74 | 31मार्च--2022 | 0 | | 1840545 |
| 2 | प्रफुल्लचंद्र वष्यालाल वैद्य | 939097 | 1.40 | 31-मार्च-2021 | 0 | | 939097 |
| | | | 1.41 | 14- मई-2021 | 6750 | खरीद | 945847 |
| | | | 1.45 | 21-मई-2021 | 30000 | खरीद | 975847 |
| | | | 1.50 | 04-जून -2021 | 30000 | खरीद | 1005847 |
| | | | 1.51 | 11-जून-2021 | 5000 | खरीद | 1011347 |
| | | | 1.50 | 18-जून -2021 | -5000 | बिक्री | 1006347 |
| | | | 1.53 | 06-अगस्त-2021 | 20000 | खरीद | 1026347 |
| | | | 1.58 | 13-अगस्त-2021 | 35000 | खरीद | 1061347 |
| | | | 1.59 | 27-अगस्त-2021 | 10000 | खरीद | 1071347 |
| | | | 1.60 | 03-सितम्बर2021 | 5000 | खरीद | 1076347 |
| | | | 1.62 | 10-सितम्बर2021 | 5000 | खरीद | 1086347 |
| | | | 1.74 | 17-सितम्बर2021 | 85000 | खरीद | 1171347 |
| | | | 1.75 | 08-अक्तूबर-2021 | 5000 | खरीद | 1176347 |
| | | | 1.78 | 04-फरवरी-2022 | 20500 | खरीद | 1196847 |
| | | 1196847 | 1.78 | 31-मार्च-2022 | 0 | | 1196847 |
| 3 | आनंद प्रफुल्लचन्द्र वैद्य | 652075 | 0.97 | 31-मार्च -2021 | 0 | | 652075 |
| | | | 0.99 | 16-अप्रैल-2021 | 10000 | खरीद | 662075 |
| | | | 1.02 | 23 -अप्रैल -2021 | 24700 | खरीद | 686775 |
| | | | 1.03 | 21-मई-2021 | 6000 | खरीद | 692775 |
| | | | 1.10 | 04- जून -2021 | 48000 | खरीद | 740775 |
| | | | 1.11 | 11- जून -2021 | 5000 | खरीद | 745775 |
| | | | 1.10 | 18- जून -2021 | -5000 | बिक्री | 740775 |
| | | | 1.08 | 30-जूलाई-2021 | -15000 | बिक्री | 725775 |
| | | | 1.13 | 06 अगस्त-2021 | 35000 | खरीद | 760775 |
| | | | 1.18 | 13-अगस्त-2021 | 31000 | खरीद | 791775 |
| | | | 1.21 | 03सितम्बर -2021 | 22500 | खरीद | 814275 |
| | | | 1.22 | 10सितम्बर-2021 | 5000 | खरीद | 819275 |
| | | | 1.32 | 17-सितम्बर-021 | 65000 | खरीद | 884275 |
| | | | 1.32 | 08-अक्तूबर 2021 | 3964 | खरीद | 888239 |
| | | | 1.32 | 15-अक्तूबर2021 | 1036 | खरीद | 889275 |
| | | | 1.34 | 15-फरवरी2022 | 10000 | खरीद | 899275 |
| | | 899275 | 1.34 | 31- मार्च -2022 | 0 | खरीद | 899275 |
| 4 | इंडियन सींटनस इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड | 510000 | 0.76 | 31- मार्च -2022 | 0 | | 510000 |
| | | 510000 | 0.76 | 31- मार्च -2022 | 0 | | 510000 |
| 5 | एनीएनआई परेश शाह | 369276 | 0.55 | 31- मार्च -2021 | 0 | | 369276 |
| | | | 0.24 | 30-अप्रैल-2021 | -209224 | बिक्री | 160052 |
| | | | 0.05 | 07-मई -2021 | -123448 | बिक्री | 36604 |
| | | | 0.04 | 21-मई-2021 | -9410 | बिक्री | 27194 |
| | | | 0.00 | 04-जून-2021 | -27194 | बिक्री | 0 |
| | | | 0.00 | 31- मार्च -2022 | 0 | | 0 |
| | | | | | | | |
| 6 | हिना कीर्ति दोशी | 100000 | 0.15 | 31-मार्च -2021 | 0 | | 100000 |
| | | | 0.30 | 22-अक्तूबर 2021 | 100000 | खरीद | 200000 |
| | | 200000 | 0.30 | 31- मार्च -2022 | 0 | | 200000 |
| 7 | एसएमएस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड | 193871 | 0.29 | 31- मार्च -2021 | 0 | | 193871 |
| | | | 0.22 | 14-मई-2021 | -43871 | बिक्री | 150000 |
| | | | 0.24 | 21-मई -2021 | 10000 | खरीद | 160000 |
| | | | 0.15 | 18-जून-2021 | -61000 | बिक्री | 99000 |
| | | | 0.07 | 25-जून-2021 | -49000 | बिक्री | 50000 |
| | | | 0.04 | 09-जुलाई-2021 | -25000 | बिक्री | 25000 |
| | | | 0.00 | 30जुलाई2021 | -25000 | बिक्री | 0 |
| | | | 0.00 | 31- मार्च -2022 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | अदिति आनंद वैद्य | 156500 | 0.23 | 31- मार्च -2021 | 0 | | 156500 |
| | | | 0.24 | 16-अप्रैल-2021 | 6000 | खरीद | 162500 |
| | | | 0.24 | 21-मई-2021 | 500 | खरीद | 163000 |
| | | | 0.25 | 04-जून-2021 | 5000 | खरीद | 168000 |
| | | | 0.26 | 18-जून-2021 | 3300 | खरीद | 171300 |
| | | | 0.24 | 30-जुलाई2021 | -7500 | बिक्री | 163800 |
| | | | 0.25 | 06 अगस्त-2021 | 3500 | खरीद | 167300 |
| | | | 0.25 | 17-सितम्बर-021 | 1000 | खरीद | 168300 |
| | | | 0.25 | 08-अक्तूबर2021 | 1000 | खरीद | 169300 |
| | | | 0.25 | 04-फरवरी 2022 | -2000 | बिक्री | 167300 |
| | | | 0.25 | 31- मार्च -2022 | 0 | | 167300 |
| 9 | मानसी शेयर और स्टॉक एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड | 1665134 | 0.25 | 31- मार्च -2021 | 0 | बिक्री | 165134 |
| | | | 0.56 | 30-अप्रैल-2021 | 209224 | खरीद | 374358 |
| | | | 0.25 | 07-'-मई-2021 | -209224 | बिक्री | 165134 |
| | | | 0.21 | 14-मई-2021 | -23668 | बिक्री | 141466 |
| | | | 0.14 | 21-मई-2021 | -44768 | बिक्री | 96698 |
| | | | 0.00 | 04-जून-2021 | -96698 | बिक्री | 0 |
| | | | 0.00 | 31- मार्च -2022 | 0 | | 0 |
| 10 | ग्रेस आर डीओरा | 151617 | 0.23 | 31- मार्च -2021 | 0 | | 151617 |
| | | | 0.18 | 30-अप्रैल-2021 | -30000 | बिक्री | 121617 |
| | | 121617 | 0.18 | 31- मार्च -2022 | 0 | | 121617 |

## v. निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

| क्रसं | प्रत्येक निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए | वर्ष के अंत में शेयरधारिता | | वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की सं | कंपनी की कुल शेयरों का ₹ | शेयरों की सं | कंपनी की कुल शेयरों का ₹ |
| 1 | वर्ष के प्रारंभ में : क) श्रीसुब्रमणियन एच, कंपनी सचिव | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ख) श्री पी ओ लुईससीए?ओ | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 |
| 2 | वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/घटती। वृद्धि/घटतीके लिए कारण बताते हुए (उदा: आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेद इक्विटी आदि) : | - | - | - | - |

## VI) ऋणग्रस्तता:

कंपनी की ऋणग्रस्तता जिसमें बकाया/उपचित ब्याज शामिल हैं लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं

(रुपए लाख में)

| | जमाओं छोड़कर रक्षित ऋण | अरक्षित ऋण | जमा | कुल ऋणग्रस्तता |
|---|---|---|---|---|
| वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋण ग्रस्तता | | | | |
| i) मूल रकम | 0.00 | 46660.46 | 0.00 | 46660.46 |
| ii) देय ब्याज किंतु भुगतान नहीं किया गया | 2551.00 | 24421.18 | 0.00 | 26972.18 |
| iii) उपचित ब्याज किंतु देय नहीं है | - | 2790.87 | 0.00 | 2790.87 |
| कुल (i+ii+iii) | **2551.00** | **73872.51** | **0.00** | **76423.51** |
| वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण ग्रस्तता में परिवर्तन | | | | |
| जोड़ (ब्याज) | 0.00 | 5097.73 | - | 5097.73 |
| कटौती (मूल) | 0.00 | 1404.00 | - | 1404.00 |
| वित्तीय वर्ष के अंत ऋण ग्रस्तता | | | | |
| i) मूल रकम | - | 45256.46 | - | 45256.46 |
| ii) देय ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया | 2551.00 | 29617.06 | - | 32168.06 |
| iii) उपचित ब्याज लेकिन देय नहीं | - | 2692.72 | - | 2692.72 |
| कुल **(i+ii+iii)** | 2551.00 | 77566.24 | - | 80117.24 |

## निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक:

(क) पूर्णकालिक निदेशक, प्रबंध निदेशक और /या प्रबन्धक:

(रुपए लाख में)

| क्र सं. | पारिश्रमिक का विवरण | पूर्णकालिक निदेशक / निदेशक का नाम | पूर्णकालिक निदेशक / निदेशक का नाम | कुल राशि (रुपए लाख में) |
|---|---|---|---|---|
| | | एस बी भि? सीएमडी(31.07.21तक) | श्री सजीव बी | |
| 1. | सकल वेतन क) आयकर अधिनियम,1961 की धारा 17(1) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वेतन | 29.91 | 20.74 | 50.65 |
| | ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2 के परिलब्धियों का मूल्य | | | |
| | ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3)के अनुसार वेतन के बदले लाभ | | | |
| 2. | स्टोक विकल्प | - | | - |
| 3. | स्वेद इक्विटी | - | | - |
| 4. | कमीशन – लाभ का ₹ रूप में – अन्य, बताएँ | - | | - |
| 5. | अन्य : सेवानिवृत्ति फायदे | 1.48 | 2.45 | 3.93 |
| | कुल(क) | 31.39 | 23.19 | 54.58 |
| | अधिनियम के अनुसार सीलिंग | | | |

(ख) अन्य निदेशकों के लिए पारिश्रमिक: (रुपए लाख में)

| क्र. सं. | पारिश्रमिक का विवरण | निदेशक का नाम | | कुल |
|---|---|---|---|---|
| | ड बोर्ड/समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए एनओआईडी को दिए गए बैठक शुल्क . | डॉ भरत जे कनाबर | श्री प्रत्युष मंडल | |
| 1. | स्वतंत्र निदेशक बोर्ड समिति की बैठक में भाग लेने हेतु शुल्क (विव 2021–22) | 0.60 | 0.60 | |
| | कुल | 0.60 | 0.60 | 1.20 |
| 2. | अन्य गैर कार्यपालक निदेशक बोर्ड समिति की बैठक में भाग लेने हेतु शुल्क/कमीशन/अन्य, कृपया बताएँ | - | - | - |
| | कुल (2) | | | |
| | कुल (ख)(1+2) | 0.60 | 0.60 | 1.20 |
| | कुलप्रबंधकीय पारिश्रमिक | | | |
| | अधिनियम के अनुसार समग्र सीलिंग | लागू नहीं | लागू नहीं | |

(ग) प्रबंध निदेशक/प्रबन्धक/डबल्यूटीडी के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए पारिश्रमिक:

(रुपए लाख में)

| क्र. सं. | पारिश्रमिक का विवरण | मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | सीएफओ डश्री.पी.ओ.लुईस | कंपनी सचिव डश्रीमती. सुशीला एस.कुलकर्णी. 28.02.2022 तक | कंपनी सचिव डश्री. सुब्रमणियन एच 1.03.2022 से. | कुल |
| 1. | सकल वेतन क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वेतन | 33.97 | 36.45 | 1.06 | 71.48 |
| | ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के परिलब्धियों का मूल्य | - | - | - | - |
| | ग) आयकर अधिनियम, 1961की धारा17(3)के अनुसार वेतन के बदले लाभ | - | - | - | - |
| 2. | स्टोक विकल्प | - | - | - | - |
| 3. | स्वेट इक्विटी | - | - | - | - |
| 4. | कमीशन –लाभ का ₹ रूप में,अन्य, बताएँ | - | - | - | - |
| 5. | अन्य : सेवानिवृत्ति फायदे | 3.39 | 3.53 | 0.14 | 7.06 |
| | कुल | 37.36 | 39.98 | 1.20 | 78.54 |

VII) अपराध के दंड /सज़ा / मिश्रित : शून्य

| प्रकार | कंपनी अधिनियम की धारा | संक्षिप्त विवरण | लगाए गए दंड/स?ा मिश्रित फीस के ब्योरे | प्राधिकरण डआरडी/ एनसी/ न्यायालय. | किए गए अपील यदि कोई हो तो (ब्योरा दें ) |
|---|---|---|---|---|---|
| क. कंपनी | | | | | |
| दंड | - | - | - | - | - |
| सज़ा | - | - | - | - | - |
| मिश्रित | - | - | - | - | - |
| ख. निदेशक | | | | | |
| दंड | - | - | - | - | - |
| सज़ा | - | - | - | - | - |
| मिश्रित | - | - | - | - | - |
| ग. अन्य अधिकारियों के व्यतिक्रम | | | | | |
| दंड | - | - | - | - | - |
| सज़ा | - | - | - | - | - |
| मिश्रित | - | - | - | - | - |

**अनुबंध II**

**फॉर्म एओसी -I**

(कंपनी (लेखा) नियम,2014 के नियम 5 के साथ पढ़ित धारा 129 की उपधारा(3) के पहले परंतुक के अनुसरण में)

सहायक/ अनुषंगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं शामिल विवरण

(प्रत्येक सहायक कंपनी के संबंध में सूचना रुपए लाख में राशि के साथ प्रस्तुत किया जाना है)

रुपए लाख में

| | |
|---|---|
| 1. क्रम सं | 1 |
| 2. सहायक कंपनी का नाम | हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बनस लिमिटेड. |
| 3. संबंधित सहायक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से अलग हो: | नहीं |
| 4. विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि की रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर: | लागू नहीं |
| 5. शेयर पूंजी : | 1961.46 |
| 6. आरक्षित एवं अधिशेष (अन्य इक्विटी) | (9842.48) |
| 7. कुल परिसंपत्तियाँ: | 7352.74 |
| 8. कुल देयताएं : | 15233.76 |
| 9. निवेश: | शून्य |
| 10. कुल बिक्री (जीएसटी छोडकर) | 0.33 |
| 11. कराधान पूर्व लाभ: | (612.87) |
| 12. कराधान के लिए प्रावधान : | शून्य |
| 13. कराधान पश्चात लाभ: | (612.87) |
| 14.कुल समग्र आय | (617.06) |
| 15. प्रस्तावित लाभांश: | शून्य |
| 16. शेयरधारिता का %: | 56.43 |

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के
निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्त/-
सजीव बी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09344438

दिनांक: 26.05.2022
स्थान: सीबीडी बेलापुर

अनुबंध III

**प्रपत्र संख्या एओसी-2**

**[अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार.**

कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **188** की उप-धारा (**1**) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें उसके तीसरे परंतुक के तहत कुछ निश्चित लेन-देन शामिल हैं:

1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन का ब्योरा एक दूसरे से दूर न होने के आधार पर:

   **31** मार्च, **2022** को समाप्त वर्ष के दौरान कोई अनुबंध या व्यवस्था या लेन-देन नहीं किया गया था जो कुछ निश्चित के आधार पर नहीं थे।

2. सामग्री अनुबंधों या व्यवस्था या लेन-देन का कुछ निश्चित आधार पर विवरण:

   वर्ष के लिए सामग्री अनुबंध या व्यवस्था या कुछ निश्चित पर लेनदेन का विवरण

| संबंधित पार्टी का नाम और संबंधिता का स्वरूप | अनुबंधों या व्यवस्था या लेन-देन का स्वरूप | अनुबंधों या व्यवस्था या लेन-देन की अवधि | मूल्य सहित विशेष शर्तें यदि कोई हो तो (रु लाख में) | बोर्ड अनुमोदन की तिथि यदि कोई हो तो | अग्रिम के रूप में दी गई राशि यदि कोई हो तो |
|---|---|---|---|---|---|
| हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बनस लिमिटेड– सहायक कंपनी | ऋण पर ब्याज | - | 63.62 | - | - |
| भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनी | कच्चे सामग्रियों की खरीदी | - | 22,883.56 | - | - |
| भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनी | तैयार सामग्रियों की बिक्री | - | 15.07 | - | - |
| इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनी | कच्चे सामग्रियों की खरीदी | - | 478.67 | - | - |

**हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के**

**निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से**

**हस्ता/-**

**(सजीव बी)**

**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**

**दिनांक : 26.05.2022**

**स्थान : सीबीडी, बेलापुर**

अनुबंध -IV

**प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट**

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड(एचओसीएल) का प्रबंधन कंपनी के कार्यनिष्पादन तथा दृष्टिकोण सहित अपनी विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। रिपोर्ट में वर्तमान माहौल पर आधारित व्यापार संभावनाएँ और परिदृश्य तथा अप्रत्याशित एवं अनियंत्रित बाह्य घटकों के दौरान कंपनी के परिचालन के लिए रणनीतिपरक विकल्प शामिल हैं।

एचओसीएल, कोची यूनिट के पास आईएमएस (एकीकृत प्रबंधन प्रणाली) प्रमाणन (आईएसओ -9001), पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ - 14001) और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ - 45001) है।

1. **मुख्य अवसरें निम्न हैं :**

   कोच्चि इकाई के मुख्य उत्पादों (फिनोल और एसीटोन) के क्षमता उपयोग में पुनर्गठन के बाद काफी सुधार हुआ है। यह मुख्य रूप से रसायनी इकाई के विनिवेश से जुटाई गई धनराशि के कारण कार्यशील पूंजी की बेहतर स्थिति के कारण था। पुनर्गठन प्रक्रिया की शुरुआत के बाद, कार्यशील पूंजी की स्थिति में सुधार और ब्याज व्यय में कमी के कारण परिचालन हानि कम हो गई है।

2. **मुख्य आशंकाएं निम्न हैं :**

   एचओसीएल की केरल राज्य के एरणाकुलम जिले के अंबलमुगल में केवल एक इकाई है, जो वर्तमान में कार्यरत है। कोची इकाई फिनोल, एसीटोन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के निर्माण में लगी हुई है। कोची में मुख्य उत्पादों के बाजार में उच्च स्तर की अस्थिरता थी और यह काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय कीमतों द्वारा निर्धारित किया गया था। कार्यशील पूंजी की गंभीर कमी के कारण, इकाई अक्सर अपनी क्षमता से कम काम करती थी। निजी क्षेत्र के व्यापारियों के साथ गंभीर प्रतिस्पर्धा है, जो यूनिट के 40,000 मीट्रिक टन के मुकाबले 2 लाख मीट्रिक टन फिनोल तक की क्षमता स्थापित की है। एंटि डम्पिंग शुल्क के बिना, आयात के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में एचओएल कोची इकाई असमर्थ रहेगी। कोची इकाई की अपनी अंतर्निहित कमियां हैं जैसे कि पुरानी तकनीक के कारण उत्पादकता हानि, उच्च स्तर की निश्चित लागत जो संचालन के निचले पैमाने, क्षमता विस्तार में बाधाएं, उत्पाद विविधीकरण की अनुपस्थिति, बाजार में प्रतिस्पर्धा की कमी, आदि के कारण अवशोषित नहीं हो रही है।

3. **खंडवार (सिगमेंटवाइस) कार्य निष्पादन**

   कंपनी मुख्यत: रसायनों के विनिर्माण और बिक्री का व्यापार करती है।

| उत्पाद खंड | 31/03/2022 को समाप्त वर्ष | | | 31/3/2021 को समाप्त वर्ष | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | वास्तविक | प्रतिशत | लक्ष्य | वास्तविक | प्रतिशत |
| | मी. टन | मी. टन | प्राप्त | मी. टन | मी. टन | प्राप्त |
| रसायन | 60700 | 48866 | 81.35% | 65500 | 61844 | 94.42% |

4. **उत्पाद वार कार्यनिष्पादन (मुख्य उत्पादों के उत्पादन)**

| क्रमांक. | उत्पाद का नाम | वि.व. 2020-21 | | वि.व. 2019-20 |
|---|---|---|---|---|
| | | वास्तविक क्षमता | वास्तविक | वास्तविक |
| 1 | फिनोल | 40000 | 24745 | 35825 |
| 2 | एसिटोन | 24640 | 15560 | 22504 |
| 3 | एच2ओ2 | 10450 | 8561 | 3515 |

5. **अगले वर्ष के लिए दृष्टिकोण**

   - वित्तीय देनदारियों को कम करने के लिए भूमि की बिक्री की प्रक्रिया को तेज करना ताकि वित्तीय लागत को कम किया जा सके।
   - उत्पादकता में सुधार के लिए नवीनतम तकनीक में अपग्रेड करना ;
   - अधिकतम संभव सीमा तक मूल्य वर्धित उत्पादों में विविधीकरण का पता लगाना ताकि बाजार की कीमतों में उतार-चढ़ाव के खिलाफ कुछ स्तर की सुरक्षा हासिल की जा सके।

6. **कुछ जोखिम और चिंता.**

   - उत्पाद विविधिकरण या डाउन स्ट्रीम मूल्यवर्धन में कमी।
   - मुख्य उत्पाद फिनोल और एसिटोन के सस्ते आयातों से प्रतिस्पर्धा।
   - कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता के आधार पर कच्चे माल फीड स्टॉक की कीमतों में उतार–चढ़ाव।
   - कम मूल्य पर आयातित तैयार माल की उपलब्धता के कारण उपभोक्ताओं पर कच्चे माल की बढ़ती लागत लगाने की असमर्थता ।
   - पुराने संयंत्रों में सुधार / प्रतिस्थापन / आधुनिकीकरण के लिए भारी निवेश की आवश्यकता ।
   - महाराष्ट्र सरकार से एनओसी प्राप्त होने के बाद एनबीसीसी के माध्यम से रसायनी/पनवेल के ऋणभार मुक्त शेष भूमि की बिक्री।
   - कोची में संयंत्रों के निरंतर प्रचालन के लिए बैंकों से कार्यशील पूंजी की उपलब्धता ।

**7. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा पर्याप्तता**

आंतरिक नियंत्रणों को समर्थन आंतरिक लेखापरीक्षा तथा प्रबंधन समीक्षा से मिलता है। कंपनी विविध स्तर के कार्यपालकों द्वारा दस्तावेजी नीति तथा कार्यपद्धति अपनाने के माध्यम से पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण रखना सुनिश्चित करती है। प्रबंधन इन मामलों में गहरी दिलचस्पी रखता है तथा आइटी संरचना को अद्यतन करने, टैली ईआरपी सॉफ्टवेयर का मूल्यांकन तथा कार्यान्वयन, वेब पर आधारित आवेदन तथा विनिर्माण इकाइयों और शाखा कार्यालयों के बीच प्रभावी और अनुकूल सेवाएँ तथा कारोबार फायदों के लिए संयोजकता स्थापित करने के विविध तरीके अपनाए हैं।

प्रणालियों में सुधार लाने और बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से, सिस्टम की समीक्षा की जाती है और नीतियों और प्रक्रिया नियमावली में संशोधन किया जाता है। एचओसीएल कोची इकाई के पास एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन है, जिसमें आईएसओ 9001-2015 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 14001-2015 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) शामिल हैं। आईएसओ 9001 का प्रमाणीकरण की वैध्यता 1 सितंबर, 2020 तक और आईएसओ 14001-2015 की 07 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गयी है। वैद्यता आगे ब?ाने की लेखापरीक्षा प्रगति पर है।

**8. वित्तीय कार्यनिष्पादन की समीक्षा:**

वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने 7.86% की वृद्धि दर्ज करते हुए 465.10 करोड़ रुपये की सकल आय हासिल की है, जबकि पिछले वर्ष की सकल आय 431.19 करोड़ रुपये थी। कंपनी ने वर्ष के दौरान 23.24 करोड़ रुपये का शुद्ध हानि अर्जित की है, जबकि पिछले वर्ष के दौरान 15.97 करोड़ रुपये की निवल लाभ हासिल किया था।

कोची इकाई में, दो संयंत्र (फिनोल और हाइड्रोजन संयंत्र) चालू हैं। कोची इकाई के फिनोल संयंत्र ने वर्ष के दौरान 62% प्रतिशत क्षमता की उपयोगिता और हाइड्रोजन पेरोऑक्साइड 82%क्षमता की उपयोगिता हासिल की।

**9. सूचना प्रौद्योगिकी - 2021-22**

कंपनी के मुख्य कारोबार क्षेत्र में प्रभावी सूचना प्रणालियाँ हैं। हालांकि, कंपनी ने प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों तथा प्रत्येक कारोबार की आवश्यकता के अनुरूप अभिनव सेवाएँ प्रदान करने की सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी की तरीका को ध्यान में रखते हुए बदलती मांग और चुनौतियों का सामना करने के लिए योजना की परिकल्पना की है। कंपनी ने एसएपी प्रणाली को लागत प्रभावी और कंपनी की आवश्यकता के अनुकूल बनाने के लिए नया टैली ईआरपी सॉफ्टवेयर लागू किया है।

प्रबंधन हमेशा परिवर्तित प्रौद्योगिकीय वातावरण में डाटा सुरक्षा,उपलब्ध सूचना,पारदर्शिता तथा परिशुद्धता जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उसमें सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास सुनिश्चित करते हैं। कंपनी नैशनल इनफॉरमेटिक्स सेंटर (एनआईसी) द्वारा प्रदान की जा रही खुली निविदा (ओपन टेंडरिंग)/ ई निविदा उपाय (ई–टेंडरिंग सोलुशन) का प्रयोग करती है। कंपनी ने खरीद के लिए जेम सरकार प्लाट?ार्म और एमएसएमई को भुगतान के लिए ट्रेड के साथ पंजीकृत किया है। कंपनी एमएसएमई के माध्यम से खरीद के विभिन्न दिशानिर्देशों का भी पालन कर रही है।

**10. कोविड़-19 प्रभाव**

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान कोविड़–19 महामारी के कारण विचारयोग्य वित्तीय प्रभाव नहीं है।

कोविड़-19 ने उद्योग और वाणिज्य के सभी क्षेत्रों जैसे लॉजिस्टिक्स, ऑटो, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक सामानों को प्रभावित किया है जहां हमारे उत्पादों का उपयोग किया जाता है। कोविड़–19 के प्रभाव से मांग या कीमतों में गिरावट, कारखाने के संचालन को निलंबित या महत्वपूर्ण रूप से कम करने और माल की अंतर राज्यीय परिवहन की आवाजाही को प्रभावित करना आदि हो सकता है।

हमारे वर्तमान आकलन के अनुसार मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, व्यापार प्राप्य, निवेश और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होने की उम्मीद है और हम भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव की निगरानी करना जारी रखते हैं। प्रबंधन चालू संस्था के रूप में जारी रखने और अपनी देयताओं को पूरा करने की क्षमता में कोई जोखिम नहीं देखता है और जब वे देय होते हैं। हालांकि, कंपनी के वित्तीय विवरण पर कोविड़ –19 का वास्तविक प्रभाव उस अनुमान से भिन्न हो सकता है।

**11. सावधानी विवरण**

इस प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेषण विवरण में वर्णित कंपनी के उद्देश्य, पूर्वानुमान, आकलन तथा अपेक्षाएँ लागू कानून तथा विनियमों के भीतर प्रगामी विवरण हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम उन अभिव्यक्त या विवक्षित से काफी हद तक या भौतिक रूप से भिन्न हो सकते हैं। कंपनी के परिचालनों को प्रभावित करनेवाली महत्वपूर्ण बातों में रसायन उद्योगों में झुकता हुआ रुख जो भूमंडलीय तथा स्वदेशी दोनों में, भारत में राजनैतिक तथा आर्थिक–पर्यावरण क्षेत्र में या विदेशों के मुख्य बाजारों में, कर नियमों, मुकदमेबाजी, जनशक्ति खर्च, विनियम दरों में उतार चढ़ाव, ब्याज या अन्य लागतों में महत्वपूर्ण बदलाव सम्मिलित है।

**हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के**
**निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से**
**हस्ता/-**
**(सजीव बी)**
**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
डीआईएन: 09344438

**दिनांक : 26.05.2022**
**स्थान : सीबीडी, बेलापुर**

**अनुबंध V**

**वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 की अनुसूची V के अनुसार कॉरपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट**

"**दूरदर्शिता (विज़न)**": बुनियादी रसायनों का उत्पादन और विपणन पर्यावरण अनुकूल तरीके में निपुणता से और आर्थिक रूप से करना।''

"**लक्ष्य (मिज़न)**": संसाधनों के उपयोग में दक्षता और उत्पादकता के इष्टतम स्तर को बनाए रखना और निवेश पर इष्टतम प्रतिलाभ प्राप्त करना। ''

**1. अभिशासन के कोड पर सूचीबद्ध कंपनी के दर्शन का संक्षिप्त विवरण**

भारत सरकार द्वारा स्थापित अभिशासन कोड के अनुसार कार्पोरेट अभिशासन में कंपनी के प्रबंधन, उसके निदेशक मंडल, उसके शेयरधारकों तथा अन्य शेयरधारियों के बीच संबंधों का एक समूह सम्मिलित हैं। कार्पोरेट अभिशासन एक ऐसी सैद्धांतिक प्रक्रिया तथा संरचना प्रदान करता है जिसके माध्यम से कंपनी के उद्देश्य, उद्देश्यों को प्राप्त करने के उपाय तथा कार्यनिष्पादन की देख–रेख करने की प्रणाली तैयार है। कार्पोरेट अभिशासन, प्रबंधन द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों का समुच्चय है जो कार्पोरेशन के वास्तविक स्वामी के रूप में शेयरधारियों के अहस्तांतरणीय अधिकार है और शेयरधारियों की ओर से एक न्यासी के रूप में अपना शासन है। यह मूल्य, नैतिक व्यापार आचरण और पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है और कंपनी के प्रबंधन में वैयक्तिक तथा कार्पोरेट निधि के बीच अंतर/प्रतिष्ठा बनाए रखता है।

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) अपने व्यापार गतिविधियों के आचरण पर विश्वास रखती है और कंपनी से जुड़े हुए सभी शेयरधारकों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, लेनदारों, भारत सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, विभिन्न राज्य सरकारों, अन्य सरकारी एजेंसियाँ /विभाग तथा व्यापक तौर पर समाज के मूल्य को बढ़ावा देती है। अनिवार्य रूप से इसमें अच्छे कार्पोरेट अभिशासन अमल करना शामिल है। एचओसीएल पारदर्शिता, जवाबदेही और उद्यम की समृद्धि में उच्चतम स्तर प्राप्त करने में विश्वास रखता है। एचओसीएल अपने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को अपनी उत्पाद प्रतिबद्धता में सत्यनिष्ठा और मूल्य वर्धन सुनिश्चित करते हुए वैश्विक मान्यता में मोल लगाता है।

**2. निदेशक मंडल:**

**क) निदेशक मंडल का संयोजन और संवर्ग**

ई.जी. प्रमॉटर, कार्यपालक, गैर–कार्यपालक, स्वतंत्र गैर–कार्यपालक, नामित निदेशक-संस्थान प्रतिनिधि और ऋणदाता या इक्विटी निवेशक के रूप में

कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (समय–समय पर संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के निदेशकों की संख्या न तो तीन से कम होनी चाहिए और न ही पंद्रह से अधिक होनी चाहिए। निदेशकों को किसी प्रकार के अर्हता शेयर्स रखना अपेक्षित नहीं है।

31-03-2022 तक एचओसीएल के निदेशक मंडल में 1 कार्यकारी निदेशक(यानी सीएमडी, एचओसीएल), और 2 सरकारी नामित निदेशकों के साथ दो गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक शामिल थे, सभी को अपने संबंधित क्षेत्रों में अग्रणी पेशेवरों के रूप में स्वीकार किया गया है।

हमारी कंपनी (एचओसीएल) भारत सरकार का एक उपक्रम (केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम) है और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल में सभी निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार भारत सरकार पर निहित है। दिनांक 31.03.2022 को एचओसीएल के निदेशक मंडल में 2 स्वतंत्र निदेशक हैं, यथा डॉ भरत जे कनाबर और श्री प्रत्युष मंडल और एचओसीएल के निदेशक मंडल में एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति संबंधी सरकार के आदेश की प्रतीक्षा की जाती है।

**निदेशक मंडल के संयोजन:–**

31-03-2021 तक कंपनी के निदेशक मंडल में 3 निदेशक हैं अर्थात श्री सजीव बी (अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक),श्री सतेन्द्र सिंह, अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार (सरकारी नामित निदेशक), श्री कनिष्क कान्त श्रीवास्तव (सरकारी नामित निदेशक), डॉ भरत जे कनाबर (गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक) और श्री प्रत्युष मंडल (गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक)।

इस संदर्भ में, कंपनी को डॉ. भरत जे कनाबर एवं श्री प्रत्यूष मंडल को एचओसीएल के निदेशक मंडल में गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करते हुए सरकार के दिनांक 24–12–2021 के आदेश प्राप्त हुआ है। । नतीजतन, वर्तमान में कंपनी के निदेशक मंडल में केवल 2 स्वतंत्र निदेशक हैं, जबकि कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की न्यूनतम आवश्यकता 3 संख्या है। कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 3 के प्रावधानों के अनुसार एचओसीएल के निदेशक मंडल में एक महिला निदेशक की भी रिक्ति है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में एक (1) स्वतंत्र महिला निदेशक का पद रिक्त है।

28–01–2022 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में एचओसीएल बोर्ड में एक स्वतंत्र महिला निदेशक की रिक्ति के संबंध में मामला उठाया गया था। इसके अलावा, इस संबंध में कंपनी ने एचओसीएल बोर्ड में एक महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए डीसीपीसी/प्रशासनिक से अनुरोध किया था। तदनुसार, हमारी कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रतीक्षा है।

**ख) 31.03.2022 को अन्य बोर्ड समितियों की संख्या जिसमें निदेशक एक सदस्य या अध्यक्ष है (वित्तीय वर्ष 2021-22):**

| शीर्षक (श्री./ सुश्री) | निदेशक संवर्ग का नाम (अध्यक्ष / कार्यकारी / गैर–कार्यकारी / स्वतंत्र / नामिती) | इस सूचीबद्ध संस्था सहित सूचीबद्ध संस्था में निदेशकता की संख्या | सूचीबद्ध इस संस्था (सूचीबद्ध नियम के विनियम 26 (1) देखें) सहित लेखपरीक्षा/ हितधारक समिति(यों) सदस्यता की संख्या |
|---|---|---|---|
| श्री. | सजीव बी<br>अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | 2 | 1 |
| श्री | सतेन्द्र सिंह<br>सरकार नामिती निदेशक | 4 | 0 |
| श्री | कनिष्क कान्त श्रीवास्तव<br>सरकार नामिती निदेशक | 1 | 1 |
| डॉ | भरत जे कनाबर<br>गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक | 2 | 4 |
| श्री | प्रत्युष मंडल<br>गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक | 1 | 2 |

| निदेशक का नाम | सूचीबद्ध संस्था के नाम जहां व्यक्ति निदेशक है और निदेशकता का संवर्ग |
|---|---|
| श्री सजीव बी | क) हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बन्स लिमिटेड - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) |
| श्री सतेन्द्र सिंह | क) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड – सरकार नामिती निदेशक<br>ख) नेशनल अलुमिनियम कंपनी - सरकार नामिती निदेशक<br>ग) खंजी बिदेश इंडिया लिमिटेड – सरकार नामिती निदेशक |
| श्री. कनिष्क कान्त शिवासत्व | लागू नहीं |
| डॉ भरत जे कनाबर | क) हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बन्स लिमिटेड -एचओसीएल<br>नामिती स्वतंत्र निदेशक |
| श्री प्रत्युष मंडल | लागू नहीं |

**ग) वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल/केएमपी में परिवर्तन:**

एलओडीआरआर के विनियम 36(3) के अनुपालन में निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत किया जाता है:

i) 31 जुलाई 2021 को अधिवर्षिता पर श्री एस बी भिडे की सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप भारत सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के दिनांक 2 अगस्त, 2021 के आदेश सं पी. 51011/01/2021-केमि–III सीपीसी के अनुसार श्री एस सी मुदगेरीकर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) ने हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से तीन माह की अवधि के लिए या आगे आदेश होने तक, जो भी पहले हो ग्रहण किया। यह अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) के अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त है।

ii) तदनुसार, श्री एस सी मुदगेरीकर कंपनी के सीएमडी का पद वहन करते ही,भारत सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के दिनांक 6 सितंबर, 2021 के आदेश सं पी. 51011/01/2021-केमि–III सीपीसी के फलस्वरूप श्री सजीव बी, मुख्य महा प्रबन्धक, एचओसीएल को हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने तारीख से उनकी अधिवर्षिता की तारीख 31 मई 2025 या आगे के आदेश तक जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है। श्री सजीव बी एचओसीएल की सहायक कंपनी हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बन लिमिटेड (एचएफएल) के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त पदभार भी वहन करता है।

iii) भारत सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के 21 दिसम्बर 2021 के आदेश संख्या 51015/12/2014-केमि–III-सीपीसी के अनुसार श्री सतेन्द्र सिंह, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय को हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में श्री आशिष उपाध्याय के स्थान पर सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

iv) भारत सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के 24 दिसम्बर 2021 के आदेश संख्या 53013/8/2019-केमि–III-सीपीसी के अनुसार डॉ भरत जे कनबर को हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में गैर– सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में आदेश की तारीख से तीन(3) वर्ष की अवधि के लिए या आगे अन्य आदेश तक नियुक्त किया।

v) भारत सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के 24 दिसम्बर 2021 के आदेश संख्या 53013/8/2019-केमि–III-सीपीसी के अनुसार श्री प्रत्युष मंडल को हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में गैर– सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में आदेश की तारीख से तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए या आगे अन्य आदेश तक नियुक्त किया।

vi) श्रीमती सुशीला एस कुलकर्णी, कंपनी के कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी ने हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) की सेवा से 28 फरवरी 2022 को सेवानिवृत्त किया है, तदनुसार, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी का प्रभार श्री सुब्रमणियन एच को 28.02.2022 को अंतरित किया।

vii) भारत सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के 30 मार्च 2021 के आदेश संख्या 51011/06/2011-केमि–III-सीपीसी के अनुसार श्री कनिष्क कान्त श्रीवास्तव, निदेशक, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग को हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में श्री समीर कुमार विस्वास, अपर सचिव,रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग जिन्हें विभाग से 31 जनवरी, 2022 को कार्यमुक्त किया गया था, के स्थान पर तीन वर्षों की अवधि के लिए या आगे अन्य आदेश होने तक सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

घ) निदेशक मण्डल की बैठकों में और पिछली वार्षिक आम बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति;

| निदेशक | उपस्थित बोर्ड बैठकों की संख्या | पिछली एजीएम में उपस्थिति |
|---|---|---|
| श्री सजीव बी | 6 | हाँ |
| श्री सतेन्द्र सिंह (21.12.2021 से) | 2 | नहीं |
| श्री कनिष्क कान्त श्रीवास्तव (30.03.2022 से) | 0 | लागू नहीं |
| डॉ भरत जे कनाबर (24.12.2021 से) | 3 | लागू नहीं |
| श्री प्रत्युष मंडल (24.12.2021 से) | 3 | लागू नहीं |
| श्री समीर कुमार विस्वास (30.03.2022 तक) | 6 | नहीं |
| श्री एस बी भिड़े (31.07.2021 तक) | 2 | लागू नहीं |
| श्री एस सी मुदगेरीकर (02.08.2021 से 05.09.2021 तक) | 0 | लागू नहीं |
| श्री आशीष उपाध्याय (22.11.2021 से 21.12.2021 तक) | 1 | नहीं |
| सुश्री निरूपमा कोतरु (31.07.2021 तक) | 0 | नहीं |
| श्री राजेश अग्रवाल (27.05.2021 से 07.10.2021 तक) | 2 | नहीं |
| श्रीमती अल्का तिवारी (26.05.2021 तक) | 0 | नहीं |

ङ) वित्तिय वर्ष 2021-22 के दौरान सम्पन्न निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या और बोर्ड बैठक सम्पन्न तारीख : -

कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तिय वर्ष 2021-22 के दौरान 8 बैठकें की जो निम्नानुसार है:

11 जून 2021, 30 जुलाई 2021, 23 सितम्बर 2021, 29 अक्तूबर 2021, 3 दिसम्बर 2021, 28 जनवरी 2022, 25 मार्च 2022 और 28 मार्च 2022

च) निदेशको के बीच परस्पर संबंध का प्रकटीकरण :– लागू नहीं.

छ) गैर सरकारी निदेशकों द्वारा धारित शयरों की संख्या और परिवर्तनीय लिखत;- शून्य;

ज) वेब लिंक जहां स्वतंत्र निदेशको को दिये गए आपसी परिचय कार्यक्रमों के विवरण प्रकट किया गया है. - https://www.hoclindia.com/corporate-governance

झ) निदेशक मंडल के कौशल / विशेषज्ञता / क्षमता:

i. अपने व्यवसाय (यों) और क्षेत्र (त्रों) के संदर्भ में प्रभावी संचालन के लिए यथा अपेक्षित निदेशक मंडल द्वारा पहचाने जाने वाले मुख्य कौशल / विशेषज्ञता / दक्षताओं की सूची और बोर्ड में वास्तव में उपलब्ध ऐसे गुण;-

ii. निदेशकों के नाम जिन्हें इस प्रकार कौशल/विशेषज्ञता/सक्षमता है: -

| निदेशक के नाम एवं पदनाम | शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव |
|---|---|
| श्री सजीव बी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | बी ई केमिकल। श्री संजीव बी को खरीदारी और सामाग्री के प्रबंधन का व्यापक अनुभव है। आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फायर एंड सेफ्टी और इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग अनुभाग से संबंधित उपकरणों और पुर्जों की खरीद के अलावा सभी प्रमुख कच्चे माल और ईंधन की खरीद के प्रभारी भी थे। निम्नलिखित कार्यात्मक क्षेत्रों में महाप्रबंधक और उपरोक्त पदों पर कार्य किया। विपणन, तैयार उत्पाद, कॉर्पोरेट दीर्घकालीन योजना, तकनीकी सेवाएं, उत्पादन और सामग्री |
| श्री सतेंद्र सिंह, सरकार नामिती निदेशक | श्री सतेंद्र सिंह झारखंड कैडर से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 1995 बैच का हैं। आप वर्तमान में रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं।<br>श्री सतेन्द्र सिंह ने रुड़की विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स में बी.ई. किया है। उन्होंने ड्यूक यूनिवर्सिटी, यूएसए से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में विभिन्न अल्पकालिक पाठ्यक्रमों में भाग लिया है। |
| श्री कनिष्क कान्त श्रीवासत्व सरकार नामिती निदेशक | श्री कनिष्क कांत श्रीवास्तव का जन्म 14.11.1980 को हुआ था। आपको सांख्यिकी में मास्टर डिग्री है। आप नई दिल्ली के रहने वाले हैं। आपको सरकारी सेवाओं में अनुभव है। वर्तमान में आप रसायन और पेट्रोरसायन विभाग में निदेशक (रसायन) हैं।, |
| डॉ भारत जे कनाबर स्वतंत्र निदेशक | डॉ भरत जे कनबर गुजरात के मूल निवासी हैं। आपका जन्म 06.07.1955 में हुआ था। भरत जे कनबर, कंसल्टिंग सर्जन गुजरात के अमरेली में 37 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप 2006 से अमरेली रेड–क्रॉस ब्लड बैंक के अध्यक्ष हैं। आप कई गैर सरकारी संगठनों में सक्रिय हैं। आपने जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए कोविड की दोनों लहरों के दौरान बड़े पैमाने पर काम किया है। |
| श्री प्रत्युष मंडल स्वतंत्र निदेशक | श्री प्रत्यूष मंडल पश्चिम बंगाल के हावड़ा के मूल निवासी हैं। आप जन्म 05.07.1979 में हुआ था। श्री प्रत्यूष मंडल ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री पूरी की है। शिक्षा पूरी करने के बाद आप ने शेयर बाजार क्षेत्र में नौकरी के साथ करियर की शुरुआत की। शेयर बाजार में पांच साल काम करने के बाद आप सामाजिक कार्यों में चले गए हैं। आपने फुलेश्वर अन्नपूर्णा ग्रामीण विकास केंद्र (सरकार पंजीकृत) नामक एनजीओ की स्थापना की है और इसके और अन्य संगठनों के माध्यम से विभिन्न सामाजिक कार्य कर रहे हैं।<br>श्री प्रत्यूष मंडल दस वर्ष से भी अधिक समय से कमजोर, युवा, महिलाओं और समाज के पिछड़ा वर्ग की बेहतरी और विकास के लिए समाज सेवा के लिए समर्पित है। |

त्र) निदेशक मंडल पुष्टि करते हैं कि स्वतंत्र निदेशक इन विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं-

ट) एक स्वतंत्र निदेशक के इस्तीफे के विस्तृत कारण जो अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस्तीफा दे देते हैं और ऐसे निदेशक द्वारा पुष्टि की जाती है कि प्रदान किए गए के अलावा कोई अन्य भौतिक कारण नहीं हैं।

लागू नहीं है

**3) लेखा परीक्षा समिति :**

**(क) संयोजन,सदस्यों तथा अध्यक्षा का नाम;**

24 दिसंबर 2021 को सरकार ने एचओसीएल के निदेशक मंडल में दो (2) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की। कंपनी के निदेशक मंडल ने 26 मई 2022 को सम्पन्न अपनी बैठक में तीन सदस्यों यथा डॉ भारत जे कनाबर, श्री प्रत्युष मंडल और श्री कनिष्क कान्त श्रीवास्तव को लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों के साथ लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया।

**(ख) विचारार्थ विषय का संक्षिप्त विवरण;-**

लेखापरीक्षा समिति का मुख्य उद्देशय वित्तीय रेपोर्टिंग प्रणाली, लेखापरीक्षा प्रणाली की चूक प्रदान करना और कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 177 और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 18 के अधीन आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और निर्धारित ऐसे अन्य कार्यों की समीक्षा करना है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के सूचीबद्ध विनियमों और अन्य लागू प्रावधानों के कॉर्पोरेट प्रशासन पर विनियमों में प्रदान किए गए सभी मामलों के अलावा, बोर्ड/समिति (जब मिले) ने आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की समीक्षा की, सांविधिक लेखा परीक्षकों से समय–समय पर मुलाकात की और उनके निष्कर्षों पर चर्चा की, सुझाव, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, लेखा मानकों का अनुपालन, लेखापरीक्षा का दायरा, संशोधित राय, लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखापरीक्षा योग्यताओं का प्रभाव, लेखापरीक्षकों की योग्यताओं के प्रबंधन के उत्तर, लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों आदि और अन्य संबंधित मामले पर चर्च की।

बोर्ड/समिति (जब मिले) ने कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रमुख लेखा नीतियों की भी समीक्षा की। बैठकों के दौरान बोर्ड/समिति ने सीएमडी, अन्य निदेशकों, सीएफओ और कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों जैसा कि वह अपनी बैठकों में उचित समझे, को भी आमंत्रित किया । अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख विशेष आमंत्रित के रूप में बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में भाग लेते हैं। बैठक में भाग लेने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों/शाखा लेखापरीक्षकों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाता है। कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं।

**(ग) बैठकें और उपस्थिति:**

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नलिखित लेखापरीक्षा समिति की बैठक हुई :

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी की लेखापरीक्षा समिति ने दो बार बैठकें की :

28 जनवरी 2022 और 25 मार्च 2022 को ।

| लेखापरीक्षा समिति | उपस्थित लेखापरीक्षा समितियों की बैठक |
|---|---|
| डॉ भरत जे कनाबर | 2 |
| श्री प्रत्युष मंडल | 2 |

**4) नामांकन और पारिश्रमिक समिति:**

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अधिकावधि में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक आयोजित नहीं की जा सकी। सरकार ने 24 दिसंबर 2021 को एचओसीएल के निदेशक मंडल में दो (2) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की। 28 जनवरी 2022 को सम्पन्न अपनी बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल ने दो स्वतंत्र सदस्यों के साथ बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया।

**विचारार्थ विषय का संक्षिप्त विवरण;**

कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 178 और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 19 प्रावधानों के अनुसरण में नामांकन और पारिश्रमिक समिति (समिति) की भूमिका, विचारार्थ विषय और कर्तव्य अन्यों के साथ निम्नलिखित में शामिल होगा :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के तहत:

क) उन व्यक्तियों जो निदेशक बनने के लिए योग्य हैं या जिन्हें वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है, की पहचान करना, बोर्ड को उनकी नियुक्ति और हटाने की सिफारिश करना और प्रत्येक निदेशक के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जाएगा;

ख) निदेशक की योग्यता, सकारात्मक गुण और स्वतंत्रता निर्धारित करने के लिए मानदंड तैयार करना;

ग) निदेशक मंडल को निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की सिफारिश करना;

**सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 19 के अनुसार:**

1. निदेशक की योग्यता, सकारात्मक गुण और स्वतंत्रता निर्धारित करने के लिए मानदंड तैयार करना निदेशक मंडल को निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की सिफारिश करना;
2. स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मंडल के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना;
3. निदेशक मंडल की विविधता पर नीति तैयार करना;
4. निर्धारित मानदंडों के अनुसार उन व्यक्तियों जो निदेशक बनने के लिए योग्य हैं या जिन्हें वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है, और निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति और हटाने की सिफारिश करना;
5. स्वतंत्र निदेशकों की कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का कार्यकाल को क्या ब?ाया जाना या जारी रखना है;;''

इसके अलावा, शेयरधारकों के सवालों के उत्तर देने के लिए समिति के अध्यक्ष एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं। हालांकि, प्रश्नों का उत्तर कौन देगा, यह निर्णय अध्यक्ष पर निर्भर है। आगे, समिति की बैठकों में निर्दिष्ट संख्या (कोरम) 1/3 या 2 निदेशक जो भी अधिक हो, होंगे और समिति की बैठक कम से कम वर्ष में दो बार (अर्ध वार्षिक) या इस तरह के अंतराल पर जो सदस्य आपस में निर्णय लेने के बाद, की जाएगी। समिति की बैठकों से संबंधित अन्य प्रावधानों के संबंध में, कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के तहत दिए गए समान प्रावधान लागू होंगे।

हालांकि, एक सीपीएसई कंपनी के अलावा, नामांकन और पारिश्रमिक मामलों से संबंधित सभी मुद्दों के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों का भी पालन किया जा रहा है।

संयोजन, सदस्य तथा अध्यक्ष का नाम;

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियमन 19 के लागू प्रावधानों के अनुसरण में समिति में सदस्यों के रूप में 3 निदेशक शामिल है यथा डॉ भरत जे कनाबर, श्री प्रत्युष मंडल और श्री कनिष्क कान्त श्रीवासत्व। डॉ भरत जे कनाबर नामांकन और पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष और श्री सुब्रमणियान एच कंपनी सचिव एचओसीएल समिति के सचिव है।

(ग) वर्ष के दौरान बैठक और उपस्थिति; वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अधिकवधि में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक नहीं की जा सकी।

(घ) स्वतंत्र निदेशकों के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन मानदंड –विवरण समिति के विचारार्थ विषय में दिए गए हैं।

**5) हितधारकों के संबंध की समिति (13-02-2019 को गठित):**

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 20 में हितधारकों की संबंध समिति गठति करने के लिए अधिदेश है। इसमें समिति के अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र निदेशक (यथा गैर कार्यकारी निदेशक) और बोर्ड द्वारा यथा निर्णीत अन्य सदस्यों शामिल हैं। कथित हितधारकों के संबंध में समिति प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का समाधान करेगी।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अधिकावधि में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण हितधारकों के संबंध में समिति की बैठक आयोजित नहीं की जा सकी। 24 दिसंबर 2021 सरकार ने एचओसीएल के निदेशक मंडल में दो (2) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की। 28 जनवरी 2022 को सम्पन्न अपनी बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल ने दो स्वतंत्र सदस्यों के साथ बोर्ड की हितधारकों के संबंध में समिति का पुनर्गठन दो गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशकों को शामिल कर किया। इसमें डॉ भरत जे कनाबर अध्यक्ष और श्री प्रत्युष मंडल और सजीव बी, सीएमडी, एचओसीएल को हितधारकों के संबंध में समिति के सदस्य के रूप में और समिति के सचिव के रूप में कंपनी सचिव कार्य करेंगे।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान डीमैट के लिए कोई शिकायत और अनुरोध लंबित नहीं है। इस समिति को शेयरधारकों और निवेशकों के शिकायतों के समाधान के लिए विशेष रूप से अपेक्षित शक्तियां तथा प्राधिकार दिया है, इस संबंधी सभी कार्य कंपनी के आरटीए द्वारा उचित रूप से संभाला और निर्वाह किया जा रहा है।

**(क) विचारार्थ विषय का संक्षिप्त विवरण:**

I) समिति कंपनी के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों पर विचार और समाधान करेगी;

ii) समिति तिमाही आधार पर या वर्ष में एक/दो बार या आवश्यकतानुसार बैठक आयोजित करेगी;

iii) समिति के सचिव के रूप में कंपनी सचिव कार्य करेगा;

iv) समिति की बैठक के लिए आवश्यक संख्या संरचना के 1/3 या दो सदस्य जो भी अधिक हो, है।

v) समिति कंपनी के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों पर विचार और समाधान करेगी इसमें शेयरों के अंतरण संबंधी, घोषित लाभांश की अप्राप्ति यदि कोई हो तो, आदि शिकायतें शामिल है।

vi) बोर्ड या समिति द्वारा लिए गए निर्णया के अनुसार समिति के कार्यक्षेत्र में आनेवाले अन्य विषय या मामले।

(ख) हितधारकों के संबंध समिति की बैठक: वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अधिकवधि में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान हितधारक संबंध समिति की बैठक आयोजित

**6) जोखिम प्रबंधन समिति : लागू नहीं**

**7) निदेशकों के पारिश्रमिक:**

(क) सूचीबद्ध इकाई की तुलना में गैर–कार्यकारी निदेशकों के सभी आर्थिक संबंध या लेन–देन वार्षिक रिपोर्ट में प्रकट किए जाएंगे; - बैठक शुल्क के भुगतान संबंधी आवश्यक प्रकटन किया गया है।

(ख) गैर–कार्यकारी निदेशकों को भुगतान करने का मानदंड। वैकल्पिक रूप से, यह सूचीबद्ध इकाई की वेबसाइट पर और उसके संबंध में संदर्भ वार्षिक रिपोर्ट में प्रसारित किया जा सकता है,- हाँ बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए केवल बैठक शुल्क गैर–कार्यकारी निदेशकों को भुगतान की जा रही है।

(ग) पारिश्रमिक के संबंध में प्रकटीकरण: कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपेक्षित प्रकटीकरण के अतिरिक्त, निम्नलिखित प्रकटीकरण किए जाएंगे: – हाँ

I. निदेशकों के पारिश्रमिक पैकेज के सभी तत्वों को वेतन, लाभ, बोनस, स्टॉक विकल्प, पेंशन इत्यादि जैसे प्रमुख समूहों के तहत सारांश दिया गया.;

**31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों को भुगतान किए गए / देय पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार है:**

| क्रम सं | निदेशक का नाम | परिलब्धियों सहित वेतन राशि रु.(लाख में) | बैठक शुल्क राशि रु.(लाख में) : | कुल राशि रु. (लाख में: |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री सजीव बी, सीएमडी | 20.74 | -- | 20.74 |
| 2. | श्री सतेन्द्र सिह , एएस एवं एफए सरकार नामिती निदेशक | लागू नहीं | -- | शून्य |
| 3. | श्री कनिष्क कान्त श्रीवास्तव सरकार नामिती निदेशक | लागू नहीं | -- | शून्य |
| 4. | डॉ भरत जे कनाबर स्वतंत्र निदेशक | लागू नहीं | 0.60 | 0.60 |
| 5. | श्री प्रत्युष मंडल स्वतंत्र निदेशक | लागू नहीं | 0.60 | 0.60 |

अगस्त, 2018 तक, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों को 5,000/– रुपये प्रति निदेशक/बोर्ड बैठक/समिति बैठक की दर से बैठक शुल्क का भुगतान किया गया और उसके बाद नवंबर 2018 से 10,000/– रुपये प्रति निदेशक/बोर्ड बैठक/समिति बैठक में भाग लेने के लिए भुगतान किया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 अधिकांश अवधि के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशकों नहीं थे । 24 दिसंबर 2021 को सरकार ने एचओसीएल के निदेशक मंडल में दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की। उसके बाद वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रत्येक को 60,000/- रुपये दो स्वतंत्र निदेशकों को दिये गए।

ii नियत घटक और निष्पादन से जु? प्रोत्साहन और निष्पादन मानदंड सहित कुछ नहीं/शून्य

- कंपनी ने कोई स्टॉक ऑप्शन नहीं दिया है।
- गैर–कार्यकारी निदेशक: कंपनी बोर्ड/ समिति बैठकों में भाग लेने के लिए अपने गैर–कार्यकारी निदेशकों को बैठक शुल्क को छोडकर कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है।.

iii सेवा करार,सूचना अवधि और सर्वरेंस शुल्क : -

कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए या सेवानिवृत्ति की आयु पूरा करने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाती हैं। इस अवधि के दौरान भी दोनों पदों की ओर से या तो तीन महीने का नोटिस देकर या उसके बदले तीन महीने का भुगतान करने पर सेवा समाप्त की जा सकती है।

iv स्टॉक विकल्प संबंधी सूचना यदि कोई हो तो और क्या बट्टे दर पर जारी किए गए है साथ ही साथ अवधि जिस पर प्रोद्भूत है और जिस पर प्रयोग करने लायक है– शून्य

**8) स्वतंत्र निदेशकों के लिए कार्यनिष्पादन मूल्यांकन मानदंड:**

लागू नहीं। एचओसीएल एक सरकारी कंपनी पीएसयू होने के कारण बोर्ड के सभी निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती हैं। स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी निदेशकों के कार्य निष्पादन संबंधी मूल्यांकन केंद्र सरकार या मंत्रालय के विभाग द्वारा किया जाता है, जो प्रशासनिक रूप से कंपनी के प्रभारी होते हैं।

**9) स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक:**

वित्तीय वर्ष 2021-22 के अधिकाधिक अवधि के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। 24 दिसंबर 2021 को सरकार ने एचओसीएल के निदेशक मंडल में दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की। उसके बाद स्वतंत्र निदेशकों यथा डॉ भरत जे कनाबर और श्री प्रत्युष मंडल की बैठक 25 मार्च 2022 को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(8) जिसे अनुसूची IV के साथ पढ़ा जाए और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 25(3) के अनुपालन में की गयी।

**10) शेयर अंतरण समिति (सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 40 के अधीन गठित):**

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 40 के अधीन उल्लेखितानुसार शेयरों का भौतिक अंतरण और अन्य लेनदेन को अनुमोदित करना।

(ग) समिति का नेतृत्व करने वाले निदेशक का नाम; - श्री सजीव बी, सीएमडी अध्यक्ष के रूप में (कार्यस्थल पर निदेशकों की आसान उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, सभी बॉण्ड/शेयरधारकों/निवेशकों या तो हस्तांतरण/शिकायतों से संबंधित मामलों को प्रभावी ढंग से देख–रेख करने के लिए प्रत्येक पखवाड़े में/ मासिक रूप से आवश्यक एसटीसी बैठकों को आयोजित करना। यह सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के निगमित अभिशासन के मानदंडों के अनुपालन में और एक्सचेंजों के लिए उपयुक्त स्पष्टीकरण के लिए हैं।)

(घ) अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम:-

श्री सुब्रमणियन एच, कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है और समिति के सदस्य और सचिव के रूप में कार्य करता है.

शेयर/बॉन्ड्स अंतरण प्रणाली:

कंपनी की शेयर अंतरण समिति को कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंटों (जैसे आरआरटीए. (वैध अंतरण इत्यादि दस्तावेज) से जब कभी प्राप्त होने पर प्रतिभूतियों को स्थानांतरित करने के लिए अधिकृत किया जाता है। डिमटेरियलाइज्ड शेयर सीधे जमाकर्ताओं द्वारा लाभार्थियों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं.

शेयरधारकों और निवेशकों के साथ सभी पत्राचार कंपनी की आरटीए द्वारा कंपनी की तरफ से किया जाता है.

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 40 के अनुसार कंपनी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सभी अंतरण निर्धारित अवधि के भीतर पंजीकरण के लिए अनुमोदित हैं। इस तंत्र के लिए, कंपनी सचिव (अनुपालन अधिकारी) और कंपनी के आरटीए को सभी आवश्यक शक्तियों और प्राधिकारियों के साथ यह सौंपा गया है, ताकि वे सभी शेयर/बॉन्ड से संबंधित कार्यों सभी गतिविधियों को पूरा कर सकें। अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने के विचार से, समिति नियमित रूप से बैठकें करती है और शेयरों से संबंधित सभी मामलों को यथा अंतरण, हटाने, संचरण और आरटीए से मांगों के आधार पर शेयरों का रिमटेरियलाइजेशन का अनुमोदन करती है।

निवेशकों से प्राप्त पत्रों का निवेशकों की संतुष्टि में उत्तर दिया गया या समाधान किया गया। शेयरों का अंतरण निर्धारित समय के भीतर व्यवहार में लाया गया था.

वर्ष के दौरान समिति की 5 बार बैठकें हुईं। विवरण इस प्रकार हैं: -21-04-2021,21-10-2021, 12-11-2021,25-11-2021 और 21–12–2021

लंबित शेयर अंतरणों की स्थिति

31 मार्च 2022 को लंबित शेयर अंतरणों के मामले शून्य है (जैसाकि आरटीए ने पुष्टि की है)।

(ङ) 01.04.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि के लिए शिकायत स्थिति:

i. वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त शेयरधारकों की शिकायत संख्या– 2 संख्या

ii. वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त और निपटान की गयी शिकायतों की संख्या :–2 संख्या

iii. शेयरधारकों की संतुष्टि तक नहीं निपटाए गए की संख्या0 संख्या

iv. 31.03.2022 को समाप्त वर्ष की समाप्ति तक लंबित शिकायतों की संख्या:–शून्य

**11) कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी एवं निरंतरता विकास समिति: (लागू नहीं)**

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) एवं निरंतरता विकास समिति एचओसीएल के लिए लागू नहीं है। 24 दिसंबर 2021 सरकार ने एचओसीएल के निदेशक मंडल में दो (2) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की। उसके बाद, 28 जनवरी 2022 को सम्पन्न अपनी बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल ने दो स्वतंत्र सदस्यों को शामिल कर बोर्ड की सीएसआर एवं निरंतरता विकास समिति का पुनर्गठन किया। इसमें डॉ भरत जे कनाबर सदस्य एवं अध्यक्ष के रूप में और अन्य स्वतंत्र निदेशक श्री प्रत्युष मंडल और सजीव बी, सीएमडी, एचओसीएल को सीएसआर एवं निरंतरता विकास समिति के सदस्य के रूप और समिति के सचिव के रूप में कंपनी सचिव कार्य करेंगे।

उक्त सीएसआर और एसडी समिति के विचारार्थ विषय जिसमें अन्य भी शामिल है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके तहत नियम 2014 के अनुसार अनुसूची ब्ध्ध आदि के साथ हैं। यद्यपि कंपनी को संचित हानियों के कारण किसी भी सीएसआर गतिविधियों को करने की आवश्यकता नहीं है, वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां की गईं:

कोविड़-19 महामारी से लड़ने में मदद करने के लिए, कंपनी ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित का विस्तार किया।

- सामाजिक सेवा संगठन सेवभारती को एफएसीटी के साथ एम्ब्युलेन्स को प्रायोजित किया।
- स्थानीय निवासियों को पेयजल की आपूर्ति जरी करना सुनिश्चित की गई ।

  कोविड़ टीकाकरण अभियान चलाया गया। समीपस्थ पंचायत के लिए फोगगिंग मशीन दिये गए।
- कौशल/ज्ञान बढ़ाने के लिए इंजीनियरिंग/विज्ञान/प्रबंधन कॉलेजों के छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की गयी ।

**12. वार्षिक आम बैठक::**

**क) आयोजित की गई कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों के स्थान और समय;**

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकें निम्नलिखित के अनुसार हुई:

| विवरण | वि.वर्ष **2018-2019** | वि.वर्ष **2019-2020** | वि.वर्ष **2020-2021** |
|---|---|---|---|
| दिनांक | 26-09-2019 | 28-09-2020 | 28-09-2021 |
| समय | दोपहर 2.00 | दोपहर 2.00 | दोपहर 3.00 |
| स्थान | द इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनीर्स (इंडिया) ऑडिटोरियम हाल - प्रथम तल, प्लॉट सं106, सेक्टर -15, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई -400614 | सीबीडी बेलापुर में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (ठवीसीठ) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ठओएवीएमठ) के माध्यम से। | सीबीडी बेलापुर में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (ठवीसीठ) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ठओएवीएमठ) के माध्यम से। |

- पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों में क्या कोई विशेष संकल्प पारित किया गया है हाँ
- क्या पिछले वर्ष/वर्ष के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित किया गया था- नहीं/कोई नहीं

**13. 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सीईओ/सीए?ओ का प्रमाणीकरण. यह प्रमाणित किया जाता है:**

क. वर्ष के लिए वित्तीय विवरण और नकद प्रवाह विवरण अपनी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार संशोधित किया है:

1) इन विवरणों में कोई खास असत्य विवरण नहीं है और कोई खास वस्तु स्थिति छुपाई नहीं गई हैं या ऐसे विवरण शामिल नहीं है जो भ्रामक हो;

2) यह विवरण कंपनी के कार्यों की सच्ची और सही स्थिति दर्शाती है और वर्तमान लेखा मानकों,लागू क़ानूनों तथा नियमों के अनुरूप हैं.

ख. हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान ऐसा कोई कारोबार नहीं किया गया है जिसमें धोखाधड़ी हो,गैर कानूनी हो या कंपनी के आचरण नियमों का भंग होता है।

ग. वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने तथा बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और यह है कि उन्होने वित्तीय रिपोर्टिंग पर सूचीबद्ध कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के प्रभावीकरण का मूल्यांकन किया है और उन्होने लेखापरीक्षकों तथा लेखा समिति के आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन तथा परिचालन में अंतर यदि हो तो के बारे में प्रकटीकरण किया है जिसके बारे में उन्हें जानकारी है तथा उसे दूर करने के लिए उठाए गए कदम या इस अंतर के दूर करने के लिए दिये गए प्रस्ताव का प्रकटीकरण किया है.

घ. हमने लेखा परीक्षकों और लेखा समिति को सूचित किया है: -

(1) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

(2) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा उन्हें वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकटीकरण किया गया।

(3) महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामले जो उनके सामने आए हैं और उनमें सम्मिलित, यदि हो तो प्रबंधन या कर्मचारी जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण पद्धति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है।

| | हस्ता/- | हस्ता/- |
|---|---|---|
| स्थान : बेलापुर सीबीडी | पी ओ लुईस | सजीव बी |
| दिनांक : 26.05.2022 | मुख्य वित्तीय अधिकारी | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |

**14 निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता:**

कंपनी ने कंपनी के निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों (कंपनी के निदेशक मंडल के एक स्तर नीचे) पर लागू आचरण और नैतिकता का एक कोड अपनाया (2007 से) है। संहिता में निदेशकों और कर्मचारियों को ईमानदारी से, निष्पक्ष, नैतिक रूप से और पारदर्शिता और अखंडता के साथ कार्य करने की अपेक्षा होती है। निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों को वार्षिक आधार पर आचरण संहिता के अनुपालन की पुष्टि करने की आवश्यकता होती है। कोड कंपनी की वेबसाइट – www.hoclindia.com पर प्रदर्शित है। सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने कोड का अनुपालन किया है और इस संबंध में उनके द्वारा अनुपालन की पुष्टि की गयी है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा नीचे दी गई है:

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 26(3) की आवश्यकता के अनुरूप, बोर्ड के सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने पुष्टि की है कि उनके सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास पर, उन्होंने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 'निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचरण संहिता' के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

| | हस्ता/- |
|---|---|
| स्थान: मुंबई | सजीव बी |
| दिनांक : 26.05.2021 | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |

**15. संचार का साधन:**

(क) तिमाही वित्तीय परिणाम;

- ये तिमाही, छ्माही समीक्षित तथा लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय परिणाम निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित करने के तुरंत पश्चात स्टॉक एक्स्चेंज को भी प्रस्तुत किए जाते हैं

(ख) समाचार पत्रों जहाँ वित्तीय परिणाम साधारणत: प्रकाशित किया जाता है;

- स्टॉक एक्स्चेंज के साथ किए गए सूचीबद्ध विनियम की आवश्यकताओं के अनुसार ये परिणाम क्षेत्रीय भाषा (नवशक्ति) तथा अंग्रेज़ी राष्ट्रीय दैनिक (द फ्री प्रैस जर्नल) में प्रकाशित किए जाते हैं.

(ग) वेबसाइट, कोई जहाँ प्रदर्शित किया जाता है;

- कंपनी द्वारा तिमाही,छ:माही समीक्षित तथा लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण नियमित रूप से अपनी वेबसाइट www.hoclindia.com पर प्रदर्शित किया जाता है

(घ) क्या सरकारी समाचार प्रकाशनों में भी इसको प्रकाशित किया जाता है. नहीं

(ङ) संस्थागत निवेशकों या विश्लेषकों को प्रस्तुति की जाती है नहीं.

- प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी की इस 61वीं वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।
- जब कभी निदेशक की नियुक्ति या पुन:नियुक्ति होती है तो स्टॉक एक्स्चेंज को ?क्स / स्पीडपोस्ट/ कूरियर सेवा द्वारा सूचित किया जाता है हाँ पंजीकरण सं 29/30 और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अन्य लागू विनियमों के अनुसार निगमित घोषणा के अधीन एक्स्चेंज (बीएसई) के ई–फाइलिंग पोर्टल में ऑनलाइन –फाइलिंग के माध्यम से.

**16. सामान्य शेयरधारकों की सूचना:**

कंपनी (एचओसीएल) सीआईएन L99999MH1960GOI011895

अनुपालन अधिकारी : श्री सुब्रमणियन एच, कंपनी सचिव, सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 6 के अधीन कंपनी का अनुपालन अधिकारी है.

कंपनी की वेबसाइट: www.hoclindia.com

पंजीकृत कार्यालय एवं कॉरपोरेट कार्यालय: कार्यालय सं 401,402,403, चौथा तल, वी– टाइम स्क्वेयर, प्लॉट सं.3,सेक्टर –15 सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई– 400614, महाराष्ट्र.

(क) कंपनी की वर्तमान –61वीं वर्चअल वार्षिक आम बैठक (एजीएम)–तारीख, समय और स्थान;

61वीं वर्चअल वार्षिक आम बैठक

स्थान एवं समय: 29 सितंबर, 2022 दोपहर 2 बजे

स्थान : वीडियो कॉन्फ्रेंस- वर्चअल एजीएम- अध्यक्ष, कंपनी सचिव, वेबलिक के लिए मॉडरेटर आदि- : एचओसीएल बोर्ड रूम पंजीकृत कार्यालय एवं कॉरपोरेट कार्यालय, कार्यालय सं 401,402,403, चौथा तल, वी– टाइम स्क्वेयर, प्लॉट सं. 3,सेक्टर –15 सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई– 400614

(ख) वित्तीय वर्ष;

कंपनी अप्रैल से मार्च अपना वित्तीय वर्ष मानती है.

(ग) लाभांश भुगतान तिथि - लागू नहीं है, पिछले वर्षों के दौरान लगातार हानि के कारण साथ ही पिछले वर्षों के संचित नुकसान आगे ले जाने को ध्यान में रखकर निदेशक मंडल ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

(घ) प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज का नाम और पता जिस पर सूचीबद्ध संस्थाओं की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं और प्रत्येक ऐसे स्टॉक एक्सचेंजों प्रत्येक को वार्षिक लिस्टिंग शुल्क के भुगतान के बारे में पुष्टि की जाए : बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड डबीएसई; वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क के लिए 3,54,000/- की राशि का भुगतान मई, 2022 में बीएसई को आरटीजीएस के माध्यम से किया गया था और इसका विधिवत अनुपालन किया गया था। .

(ङ) स्टॉक/ स्क्रिप्ट कूड: बीएसई पर स्टॉक को: 500449

एनएसडीएल एंड सीडीएसएल पर एचओसीएल इक्विटी शेयर का आईएसआईएन: INE048A01011

(च) बाज़ार मूल्य आंकड़े पिछले वित्तीय वर्ष (2021-22) के प्रत्येक माह के दौरान उच्च, निम्न

| माह | मासिक उच्चतम | मासिक निम्नतम |
|---|---|---|
| अप्रैल, 2021 | 41 | 34.55 |
| मई , 2021 | 45.00 | 36.85 |
| जून, 2021 | 47.90 | 35.35 |
| जुलाई, 2021 | 40.40 | 35.00 |
| अगस्त, 2021 | 39.90 | 28.35 |
| सितम्बर, 2021 | 46.10 | 33 |
| अक्तूबर, 2021 | 45.30 | 33.85 |
| नवंबर, 2021 | 37.80 | 32 |
| दिसंबर, 2021 | 38.30 | 28.55 |
| जनवरी, 2022 | 39.80 | 33 |
| फरवरी, 2022 | 37 | 25.35 |
| मार्च, 2022 | 35.30 | 27.35 |

(छ) विविध सूचकांकों जैसे बीएसई सेंसेक्स,क्रिसिल सूचकांक आदि की तुलना में निष्पादन ;-शून्य

(ज) यदि व्यापार से प्रतिभूतियों को प्रतिबंधित किया गया है तो निदेशक रिपोर्ट इसके संबंध में कारण बताएँगे ;- कोई नहीं/शून्य.

(झ) रेजिस्ट्रार निर्गम के लिए तथा शेयर अंतरण एजेंट; मेसेर्स बिगशेयर सेर्विसेस प्राइ लिमिटेड

कार्यालय सं एस–6, छठा तल, पिनाक्क्ल बिज़नस पार्क, अहुरा केंद्र के आगे, महाकाली कैवस रोड ,अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400093, महाराष्ट्र

(झ) शेयर अंतरण प्रणाली;

कंपनी की शेयर अंतरण समिति को कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंटों (जैसे आरआरटीए. (वैध अंतरण इत्यादि दस्तावेज) से जब कभी प्राप्त होने पर प्रतिभूतियों को अंतरित करने के लिए अधिकृत किया जाता है। डिमटेरियलाइज्ड शेयर सीधे जमाकर्ताओं द्वारा लाभार्थियों को अंतरित कर दिए जाते हैं।

शेयरधारकों और निवेशकों के साथ सभी पत्राचार कंपनी की आरटीए द्वारा कंपनी की तरफ से किया जाता है।

कंपनी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सभी अंतरण निर्धारित अवधि के भीतर पंजीकरण के लिए अनुमोदित हैं। और इस तंत्र के लिए कंपनी सचिव (अनुपालन अधिकारी) और कंपनी के आरटीए को सभी आवश्यक शक्तियों और प्राधिकारियों के साथ सौंपा गया है, ताकि वे सभी शेयर/बॉन्ड से संबंधित कार्यों सभी गतिविधियों को पूरा कर सकें। अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने के विचार से, समिति नियमित रूप से बैठकें करती है और आरटीए से मांगों के आधार पर शेयरों से संबंधित सभी मामलों को यथा हस्तांतरण, हटाने, संचरण, डिमटेरियलाइजेशन और रिमटेरियलाइजेशन का अनुमोदन करती है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान डीमैट के लिए कोई शिकायतें और अनुरोध लंबित नहीं थे।

समिति को शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों के निवारण को विशेष रूप से ध्यान में रखने के लिए आवश्यक शक्तियों और प्राधिकार प्राप्त है, जिन्हें कंपनी के आरटीए द्वारा उचित रूप से प्रबंधन और निपटाया जा रहा है।

निवेशकों से प्राप्त पत्रों का निवेशकों की संतुष्टि में उत्तर दिया गया या समाधान या गया। शेयरों का अंतरण निर्धारित समय के भीतर व्यवहार में लाया गया था।

(ट) शेयरधारिता का वितरण;

दिनांक 31-03-2022 को: (एनएसडीएल-सीडीएसएल-भौतिक)

| नामिक शेयरधारिता | | शेयरधारकों की संख्या | कुल का प्रतिशत | शेयर राशि | कुल का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| रु | रु | | | रु. | |
| 1 | 500 | 43861 | 88.3849 | 61541350 | 9.1616 |
| 501 | 10000 | 2833 | 5.7088 | 24265650 | 3.6124 |
| 10001 | 20000 | 1445 | 2.9118 | 22682960 | 3.3768 |
| 20001 | 30000 | 477 | 0.9612 | 12377990 | 1.8427 |
| 30001 | 40000 | 224 | 0.4514 | 8256580 | 1.2291 |
| 40001 | 50000 | 233 | 0.4695 | 11274670 | 1.6785 |
| 50001 | 100000 | 327 | 0.6589 | 25015800 | 3.7241 |
| 100001 | 999999999999 | 225 | 0.4534 | 506316000 | 75.3748 |
| कुल | | **49625** | 100.00 | **671731000** | **100** |

(ठ) शेयरों का डिमटेरियलीकरण और चलनिधि:- एचओसीएल इक्विटी शेयर आईएसआईएन:

आईएनइ 048A01011

कंपनी के शेयरों का व्यापार अनिवार्य रूप से डिमटेरियलीकृत मोड में किया जाता हैं। शेयरधारकों को शेयरों को डिमटेरियलीकृत करने में सुविधा देने के लिए, कंपनी ने दोनों जमाकर्ताओं अर्थात नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं. 31मार्च, 2022 को कंपनी की शेयर पूंजी का 97.06% डिमटेरियलीकरण किया गया है (एनएसडीएल–17.21%) और सीडीएसएल–79.85%) – डिमटेरियलीकृत कुल खाते 34206 है जिसमें 6,51,98,766 शेयर शामिल हैं

(ड) बकाया वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें या अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें या वारंट या किसी भी परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव; - शून्य / कोई नहीं.

(ण) कमोडिटी मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियों; - शून्य / कोई नहीं

(प) संयंत्र स्थान:-

| क्रमांक | स्थान | मुख्य उत्पाद |
|---|---|---|
| 1. | कोची | फिनोल कॉम्प्लेक्स |

पत्राचार के लिए पता: -

i. पंजीकृत एवं कॉरपोरेट कार्यालय: 401,402,403, चौथा तल, वी– टाइम स्क्वेयर, प्लॉट सं. 3,सेक्टर –15, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई– 400614, महाराष्ट्र

ii. आर एंड टी एजेंट का पता:

सर्वश्री बिगशेयर सर्विसेस प्रा लिमिटेड

कार्यालय सं एस–6, छठा तल, पिनाक्कल बिज़नेस पार्क, अहुरा केंद्र के आगे, महाकाली कैवस रोड ,अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400093, महाराष्ट्र,

(थ) प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी संशोधन के साथ–साथ कंपनी द्वारा प्राप्त सभी क्रेडिट रेटिंग की सूची, इस तरह की इकाई के सभी कर्ज लिखत या किसी भी मियादी जमा कार्यक्रम या किसी भी योजना या निधि जुटाने में शामिल सूचीबद्ध कंपनी के प्रस्ताव वाली लिस्ट के प्रस्ताव के लिए, चाहे भारत में या विदेश में लागू नहीं.

**17. विविध सूचकांकों की तुलना में निष्पादन:**

| अवधि | सेंसेक्स | बीएसई -पीएसयू इंडेक्स | एचओसीएल मूल्य रु. (बीएसई) |
|---|---|---|---|
| मार्च 2021 | 52,416.33 | 1,370.75 | 42.45 |
| मार्च 2022 | 59,099.75 | 1,641.40 | 35.25 |

**18. अन्य प्रकटीकरण :**

क) कोई सार्थक महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी कारोबार पर प्रकटीकरण जिसमें कंपनी के हितों पर प्रतिकूल असर पड़ता हो : कोई नहीं

(ख) वेब लिंक जहाँ ''महत्वपूर्ण'' सहायक कंपनियों के निर्धारण हेतु नीति प्रकट किया गया है; -

www.hoclindia.com/corporate-governance

i) एचओसीएल की एक सहायक कंपनी का 9 महत्व 9 तभी माना जाएगा यदि संबंधित सहायक कंपनी के तुरंत पूर्ववर्ती वर्ष के आय या निवल मूल्य क्रमश: एचओसीएल और इसकी सहायक कंपनियों के समेकित आय या निवल मूल्य का बीस प्रतिशत से अधिक हो.

आगे, एचओसीएल अपना महत्व की सहायक कंपनी में शेयरों का निपटान नहीं करेगी जो 50% से कम के लिए अपने शेयरधारिता (या तो स्वयं या सहायक कंपनियों के साथ) को कम करेगा या केंद्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना सहायक कंपनी पर नियंत्रण का प्रयोग बंद कर देगा और उन मामलों, जहाँ सरकार द्वारा / न्यायालय / ट्रिब्यूनल द्वारा विधिवत अनुमोदित व्यवस्था की योजना के तहत ऐसा अनावरण किया जाता है को छोड़कर, अपनी आम बैठक में एक विशेष प्रस्ताव पारित किए बिना बंद कर देगा.

ii) आगे, एक वित्तीय वर्ष के दौरान कुल आधार पर महत्व की सहायक कंपनी की परिसंपत्तियों के बीस प्रतिशत से अधिक राशि की संपत्तियों की बिक्री, निपटान और पट्टे पर देने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमोदन और विशेष प्रस्ताव के माध्यम से शेयरधारकों की मंजूरी की आवश्यकता तब तक होगी, जब तक कि अदालत / ट्रिब्यूनल द्वारा अनुमोदित व्यवस्था की योजना के तहत बिक्री / निपटान / पट्टा पर किया जाता है

(ग) वेब लिंक जहां संबंधित पार्टी लेनदेन से क्रय–विक्रय की नीति है ; www.hoclindia.com

कंपनी के निदेशको /या प्रबन्धन या सहयाक कंपनियों या रिश्तेदारों के पास कोई सार्थक

महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी कारोबार जिसमें कंपनी के हितों पर प्रतिकूल असर प?ता हो.

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा गैर– अनुपालन के विवरण, पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर सूचीबद्ध कंपनी पर स्टॉक एक्सचेंज (जों) या बोर्ड या किसी वैधानिक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए दंड, कटुआलोचना के विवरण; - कोई नहीं। क्योंकि एक्सचेंजों (बीएसई) को समय समय पर उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए .

(ड) सतर्क तंत्र – सचेतक (व्हिसिल ब्लोअर) नीति:

कंपनी ने शिकायतों की प्राप्ति,प्रतिधारण और उसके निपटान के लिए कार्यविधि स्थापित की है।.

आपकी कंपनी ने धोखाधड़ी रोकथाम नीति स्थापित की है। नीति के अनुपालन के एक हिस्से के रूप में, कंपनी ने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। धोखाधड़ी की रोकथाम नीति को इसके लिए बनाई गयी है कि धोखाधड़ी पता लगाने और उसके रोकथाम करने, संदिग्ध और पायी गयी किसी भी धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग या धोखाधड़ी से संबंधित मामलों में निपटने के लिए एक प्रणाली प्रदान करने के लिए तैयार की गयी है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग नहीं मिली थी।

इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी में अधिक पारदर्शिता, अखंडता और दक्षता लाने के लिए सतर्कता विभाग (सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार) है। सतर्कता विभाग का ध्यान निवारक और सहभागिता सतर्कता पर केन्द्रित है।

सतर्क प्रणाली ब्लोअर पॉलिसी नीति की स्थापना के विवरण और पुष्टि कि किसी भी कर्मियों को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंचने से इंकार कर दिया गया है; हाँ – एलओडीआरआर के अनुसार, कंपनी की वेबसाइट www.hoclindia.com पर भी विवरण दिए गए हैं। लेखापरीक्षा समिति पर पहुँच से किसी का इनकार नहीं किया है.

(च) अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन और गैर–अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाने के विवरण; - कंपनी ने सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। बोर्ड और बोर्ड की समिति की संरचना आदि में स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित लागू प्रावधानों की सीमा को छोड़कर।

छ) विनियम 32(7क)के तहत यथा निर्धारित अधिमान्य आबंटन या अर्हता प्राप्त संस्थानों की नियुक्ति के जरिए उठायी गयी निधियों के उपयोग के विवरण – लागू नहीं

ज) पेशेवर कंपनी सचिव का एक प्रमाण पत्र कि बोर्ड के किसी भी निदेशक को बोर्ड/ कॉर्पोरेट मामलो मंत्रालय या किसी भी वैधानिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

झ) जहां बोर्ड ने प्रासंगिक वित्तीय वर्ष में बोर्ड की किसी भी समिति की कोई सिफारिश स्वीकार नहीं की है, जो अनिवार्य रूप से आवश्यक है, उसी के कारणों के साथ उसका खुलासा किया जाना चाहिए: –कोई नहीं

निदेशक मंडल ने अपनी बैठक में लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

झ) सांविधिक लेखा परीक्षक और नेटवर्क फर्म / नेटवर्क इकाई में सभी संस्थाओं के लिए समेकित आधार पर सूचीबद्ध इकाई और इनकी सहायक कंपनियों द्वारा सभी सेवाओं के लिए भुगतान किए गए कुल शुल्क जिनमें से एक सांविधिक लेखापरीक्षक एक हिस्सा है- वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान लेखापरीक्षकों के भुगतान किए गए कुल शुल्क का खुलासा वार्षिक रिपोर्ट में किया गया है।

ज) कार्यस्थल पर महिलाओं पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में खुलासे:

वर्ष 2021 की वार्षिक रिपोर्ट कार्यस्थल पर महिलाओं पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या– शून्य

वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्या– शून्य

वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या– शून्य

किए गए कार्यशालाओं/जागरूकता कार्यक्रम: हमारी समिति द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला में भागा लिया। नए रूप से कार्यभार लिए प्रशिक्षणार्थियों के लिए जागरूकता प्रशिक्षण प्रदान किया गए।

नियोक्ता द्वारा की गई कार्रवाई का स्वरूप: लागू नहीं।

**19. भेदिया व्यापार की रोकथाम:**

कंपनी ने कंपनी के निदेशकों और नामित कर्मचारियों द्वारा प्रतिभूतियों में व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से इनसाइडर व्यापार की रोकथाम के लिए आचरण संहिता अपनायी है। कोड में कंपनी के शेयरों में क्रय–विक्रय के लिए पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है और कंपनी के संबंध में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी रखने में और व्यापार विंडो बंद होने की अवधि के दौरान निदेशकों और नामित कर्मचारियों द्वारा कंपनी के शेयरों की खरीद या बिक्री पर रोक लगाती है। कंपनी के कंपनी सचिव संहिता के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है।

सभी बोर्ड निदेशकों और नामित कर्मचारियों ने कोड के अनुपालन की पुष्टि की है।.

**20. प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट:**

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाता है,जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनती है। (अनुलग्नक III)

आगे,यह पुष्टि की जाती है कि किसी भी कर्मियों को लेखा परीक्षा समिति तक पहुंचने से इंकार नहीं कर दिया गया है;;

- अनिवार्य अपेक्षाओं के अनुपालन और अनिवार्य अपेक्षाओं को अपनाने का विवरण; - हाँ। – यथा लागू विधिवत अमल में लाया गया है और इस रिपोर्ट में प्रदान किया जाता है;
- वेब लिंक जहां 9 महत्वपूर्ण 9 सहायक कंपनियों के निर्धारण की नीति का खुलासा किया गया है;- -www.hoclindia.com/corporate–governance. अधिनियम और सेबी के एलओडीआर के प्रावधानों के तहत कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक जानकारी / दस्तावेजों को निर्धारित के रूप में प्रदर्शित किया गया था।
- वेब लिंक जहां संबंधित पार्टी लेनदेन से क्रय–विक्रय की नीति है ; लागू नहीं है
- कमोडिटी मूल्य जोखिम और कमोडिटी हेजिंग गतिविधियों का प्रकटीकरण: लागू नहीं है.

**21. उपरोक्त उप–पैरा (2) से (10) की निगमित अभिशासन रिपोर्ट की किसी भी अपेक्षा का गैर–अनुपालन को इसके कारणों के साथ प्रकट किया जाएगा।. - लागू नहीं। (जैसा कि उपरोक्त (2) से (10) के सभी अनुपालन का विधिवत पालन किया गया था)।.;**

31-03-2022 के अनुसार सभी लागू अनुपालन जो बोर्ड की संरचना के संबंध में, अन्य प्रासंगिक और लागू अनुपालन इत्यादि को स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दर्ज सूचीबद्ध विनियमों की सभी अपेक्षाओं के साथ पालन किया गया । इसमें बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की संरचना के संबंध में लागू प्रावधानों और विनियमों की सीमा को छोड़कर और कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होने के नाते, कंपनी के निदेशक मंडल में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति मंत्रालय द्वारा की जानी है और इस तरह की नियुक्ति की प्रतीक्षा है और स्टॉक एक्सचेंज कंपनी के साथ दर्ज किए गए लिस्टिंग विनियमों की अन्य सभी आवश्यकताओं को कॉरपोरेट अभिशासन अनुपालन के तहत कंपनी सचिव के उत्तरदायित्व में है प्रस्तुत किया है

**22. निगमित अभिशासन रिपोर्ट भी उस सीमा तक प्रकट की जाएगी, जिस पर अनुसूची II के भाग ई में उल्लिखित विवेकपूर्ण अपेक्षाओं को अपनाया गया है - हाँ, यथा लागू.**

अनुसूची II के भाग ई में निर्दिष्ट अपेक्षाएं निम्नलिखित हैं:

क) बोर्ड

एक गैर–कार्यकारी अध्यक्ष कंपनी के खर्च पर अध्यक्ष के कार्यालय को बनाए रखने के लिए हकदार हो सकता है और अपने कर्तव्यों के निष्पादन में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति की अनुमति भी दे सकता है। – एचओसीएल के संबंध में सरकार ने कंपनी के अध्यक्षा/अध्यक्ष को कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

(ख) शेयरधारक का अधिकार.

पिछले छह महीनों में महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय निष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा प्रत्येक शेयरधारकों के घर भेजी जा सकती है। – हाँ। कंपनी की वेबसाइट पर देते हुए और बीएसई पोर्टल पर नियमित/तिमाही/छ्माही/वार्षिक रूप से उपलोड करते हुए।

(ग) लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय

सूचीबद्ध कंपनी वित्तीय विवरणों के एक नियम के लिए अपरिवर्तित लेखापरीक्षा राय के साथ आगे बढ़ सकती है.– इसके अनुसार अनुपालन किया जाएगा .

आगे, वित्त वर्ष (2021-22) के लिए लेखापरीक्षकों ने अपने अपरिवर्तित राय दी है

(घ) अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए अलग–अलग पद

सूचीबद्ध कंपनी अलग–अलग व्यक्तियों को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त कर सकती है, यह है कि अध्यक्षा (क) गैर कार्यपालक निदेशक हो और (ख) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन परिभाषित ''संबंध'' के पद की परिभाषा के अनुसार प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी से संबन्धित नहीं है।

इस तथ्य को ध्यान में रखकर कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल की नियुक्ति करने का अधिकार भारत सरकार/ भारत के राष्ट्रपति में निहित है,एचओसीएल के मामले में सरकार ने कार्यपालक व्यक्ति को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी) के रूप में नियुक्त किया है।

(ङ) आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग

आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकता है.– हाँ।

(च) इस घोषणा को जोड़ना है कि कंपनी ने विनियमन 17 से 27 तक और सूचीकरण विनियमन के विनियम 46 के उप–विनियमन (2) के खंड (ख) से (झ) तक के अधीन अपेक्षित पर्याप्त प्रकटीकरण किया है बशर्ते कंपनी ने प्रकटीकरण किया है.

यह एतदद्वारा पुष्ट और घोषित की जाती है कि कंपनी ने विनियमन 17 से 27 तक और सूचीकरण विनियमन के विनियमन 46 के उप–विनियमन (2) के खंड (ख) से (झ) तक के अधीन अपेक्षित पर्याप्त प्रकटीकरण किया है.

**23. अदावी शेयरों के विवरण : शून्य**

**24. दिये गए सूचीबद्ध शुल्क की स्थिति के विवरण:**

वर्तमान में कंपनी का इक्विटी शेयर बीएसई लिमिटेड के साथ सूचीबद्ध है.

तदनुसार, वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक सूचीबद्ध शुल्क की ओर भुगतान के रूप में 3,54,000/- रुपए स्टॉक एक्स्चेंज (बीएसई) को आरटीजीएस के जरिए मई 2022 को प्रदत्त किया गया और उक्त का विधिवक्त अनुपालन किया गया है।

**25. साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट :**

निदेशक मंडल ने सर्वश्री डी एस मोमाया एंड कंपनी, पेशेवर कंपनी सचिव को वर्ष 2021-22 के लिए साचिविक लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त किया है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ अनुबंध के रूप में संलग्न किया है और कंपनी अधिनियम की धारा 204 और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 24ए के साथ अनुपालन किया है, लेखापरीक्षक से निरीक्षण (यदि कोई हो तो) इस निदेशक की रिपोर्ट के अनुबद्ध का हिस्सा बनता है। कंपनी ने वर्ष 2021-22 के लिए सर्वश्री डी एस मोमाया एंस कंपनी से वार्षिक साचिविक अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त किया है।

**26. बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण:**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है जिसमें कंपनी के समग्र प्रचालन और वित्तीय स्थिति शामिल है।

**27. बही बंद तारीख:**

कंपनी के सदस्यों के रेजिस्टर और शेयर अंतरण बही 29 सितंबर 2022 को प्रस्तावित कंपनी की 61वीं वार्षिक आम बैठक (वीएजीएम) के उद्देश्य हेतु 23 सितंबर 2022 शुक्रवार से 29 सितंबर 2022 गुरुवार तक (दोनों दिन मिलाकर) को बंद रहेगी।

**28. घटनाओं या सूचना के महत्व निर्धारित करने के लिए नीति**

कंपनी ने सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 की शर्तों में घटनाओं या सूचना के महत्व निर्धारित करने की नीति अपनायी है। .

प्रस्तुत नीति कंपनी की वेबसाइट www.hoclindia.in/corporate -governance में प्रदर्शित किया गया है.

**29. सीपीएसई कंपनी के लिए निगमित अभिशासन संबंधी डीपीई के दिशानिर्देशों का अनुपालन सीपीएसयू होने के कारण कंपनी (एचओसीएल) को डीपीई के निगमित अभिशासन संबंधी तैयार दिशानिर्देशों का अनुपालन अपेक्षित है.**

और इस संबंध में तिमाही रिपोर्ट एसईआर (स्वयं मूल्यांकन रिपोर्ट) डीसीपीसी में प्रशासनिक मंत्रालय में प्रस्तुत की जा रही है और वार्षिक एसईआर डीपीई को भी प्रस्तुत की जा रही है (वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए तिमाही प्रगति रिपोर्ट में बहुत अच्छा ग्रेडिंग के साथ)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी (एचओसीएल) के एसईआर रेट-वर्ष 2021-22

कंपनी को वर्ष 2021-22 के लिए डीपीई के एसईआर में निगमित अभिशासन अनुपालन रिपोर्ट में **"बहुत अच्छा "** ग्रेड हो सकता है ।

कृते हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड.,

हस्ता/-

(श्री सुब्रमणियन एच )

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक: 26.05.2022

स्थान: नवीं मुंबई

**निगमित अभिशासन अनुपालन प्रमाणपत्र**

सेवा में,

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के सदस्य,

401,402,403,चौथा तल, वी टाइम स्क्वेयर प्लॉट नं. 3

सेक्टर 15, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई, ठाणे महाराष्ट्र 400614

1. हम अमृता नौटियाल एंड एसोसिएट, पेशेवर कंपनी सचिव ने 31 मार्च,2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (CIN: L99999MH1960GOI011895) ("कंपनी") के भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम,2015 (एलओडीआर) 17 से 27 के विनियमों, विनियमन 46 के उप विनियमन (2) के खंड (बी) से (आई) तक और अनुसूची V के पैरा सी एंड डी में यथा निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

2. कॉर्पोरेट अभिशासन के प्रावधानों और अन्य इस संबंध अन्य लागू विनियमों का अनुपालन और साचीविक अभिलेखों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी में लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

3. साचिविक अभिलेखों की अंतर्वस्तुओं की सच्चाई के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। प्रस्तुत सत्यापन नमूना जांच के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि साचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं। हम मानते हैं कि प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हमने पालन किया, हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करें। हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बही की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया।

4. हमारी परीक्षा कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन प्रक्रिया की जांच करने तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों/अभिलेखों पर राय की अभिव्यक्ति।

5. हमने कंपनी द्वारा अनुरक्षित प्रासंगिक अभिलेखों और दस्तावेजों की जांच की है और कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यकताओं के अनुपालन पर उचित आश्वासन प्रदान करने के उद्देश्य से हमें उपलब्ध कराया है। हमने कॉरपोरेट अभिशासन के प्रावधानों के अनुपालन, अन्य लागू विनियमों और कुछ घटनाओं आदि के होने के बारे में अपेक्षित जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किया है, जो इस प्रमाणीकरण के उद्देश्य के लिए हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए आवश्यक थे।

**राय**

6. हमें उपलब्ध कराए गए प्रासंगिक अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए अभ्यावेदन के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान सूचीबद्ध विनियमों के विनियम 17 से 27 तक और विनियम 46(2) के खंड (बी) से (i) और अनुसूची V के पैरा सी और डी में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

(i) कंपनी के निदेशक मंडल को सूचीबद्ध विनियमों की विनियम 17(1)(क) और विनियम 17(1)(ख) की आवश्यकताओं के अनुसार विधिवत गठित नहीं किया गया है। कंपनी को कार्यपालक और गैर कार्यपालक निदेशकों जिसमें कम से कम एक महिला निदेशक हो, का उपयुक्त संयोजन नहीं है। कंपनी में न्यूनतम 3 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जानी है।

(ii) 31 मार्च, 2022 तक कंपनी बाजार पूंजीकरण के अनुसार शीर्ष 2000 सूचीबद्ध कंपनियों में से एक है। 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के बोर्ड में केवल पांच निदेशक शामिल हैं, जिनमें से एक कार्यकारी निदेशक है और चार गैर–कार्यकारी निदेशक हैं। कंपनी सूचीबद्ध विनियमों के विनियम 17(1) के (सी) और 17(2ए) प्रावधानों के अनुपालन में नहीं है जो क्रमश: बोर्ड बैठक के लिए निदेशकों की न्यूनतम संख्या और कोरम से संबंधित है।

iii) परिणामस्वरूप, 21 फरवरी, 2020 से 24 दिसंबर 2021 तक कंपनी में लेखापरीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति नहीं है, और लेखापरीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक सूचीबद्ध विनियमों की विनियम 18,19 और 20 की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं की गई।

7. हमें सूचित किया गया है कि कंपनी, एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते, बोर्ड में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक की नियुक्ति का अधिकार भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय में निहित है और स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक की नियुक्ति के बारे में निर्देशों की प्रतीक्षा है और कंपनी ने अपने बोर्ड में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का अनुरोध करते हुए संबंधित मंत्रालय को कई पत्र भेजे हैं।

8. हम कहते हैं कि ऊपर उल्लिखित अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

अमृता नौटियाल एंड एसोसिएट

सी एस अमृता नौटियाल

साझेदार

एफ़सीएस सं 5079 सीओपी सं 7989

स्थान : मुंबई

दिनांक: 25 जुलाई 2022 यूडीआईएन: एफ़005079डी000682591

**फॉर्म नं.एमआर–3 साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट**

**31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए**

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में )

सेवा में,

सदस्य,

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड

सीआईएन : L99999MH1960GOI011895

401, 402 एवं 403, 4वीं तल, वी-टाइम्स स्क्वायर,

प्लॉट सं.3,सेक्टर-15, सीबीडी, बेलापुर,

नवी मुंबई -ठाणे 400614

हमने हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (CIN: L99999MH1960GOI011895)(इसके पश्चात जिसे कंपनी कहा गया है) द्वारा लागू कानूनी प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट पद्धति के अवलंबन की साचिविक लेखापरीक्षा की है। साचिविक लेखा परीक्षा इस तरीके से किया गया था कि कार्पोरेट आचरण/कानूनी अनुपालनों तथा उसपर हमारी राय व्यक्त करने के लिए मूल्यांकन के लिए उचित आधार प्रदान किया जा सके।

हम नोट करते हैं कि रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग ने 29 जनवरी, 2020 की पत्र सं 51015/06/2019/सीएच. III के माध्यम से कंपनी की सहायक कंपनी हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बन्स लिमिटेड को बंद करने का निर्देश दिया है।

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड की बहियों, कागजातें, कार्यवृत्त पुस्तक, फॉर्म और फाइल किए गए रिटर्न और दस्तावें की स्कैन की गयी प्रतियाँ, प्रदान किए गए साक्ष्यों की प्रस्तुति और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्ड पर हमारी जाँच और कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंट्स तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा साचिविक लेखा परीक्षा के दौरान हमें दी गई जानकारी के अनुसार हम एतदद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष की अवधि कवर करते हुए लेखापरीक्षा के दौरान यहाँ नीचे दी गयी सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुसरण किया है और कंपनी के पास निदेशक मंडल की प्रक्रिया और अनुपालन प्रणाली उस हद तक उस ढंग से उपलब्ध है तथा इसके पश्चात् रिपोर्ट की गई है।

हमने 31 मार्च,2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड द्वारा रखे गए लेखा बहियों, कागजातो, कार्यवृत्त पुस्तक,प्रपत्र तथा फाइल किए गए रिटर्स और अन्य रिकॉर्ड्स की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

i) कंपनी अधिनियम,2013(अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम

ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम,1956 ("एससीआरए") तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम:

iii) द डिपॉजिटरीज़ अधिनियम,1996 तथा विनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए उपविधि:

iv) विदेशी मुद्रा विनियमन प्रबंधन अधिनियम,1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधारों की हद तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं।

v) सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अधिनियम,1992 ("सेबी अधिनियम'')के अंतर्गत निम्नलिखित विनियम तथा दिशा निर्देश

(क) सिक्यूरिटीस एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सब्स्टेंशियल एक्विज़िशन ऑफ शेयर्स एण्ड टेक ओवर्स) विनियमन, 2011

(ख) द सिक्यूरिटीस एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (आंतरिक ट्रेडिंग की मनाई) विनियमन, 2015

(ग) द सिक्यूरिटीस एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (पूँजी जारी करना तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन 2009 (10 नवंबर 2018 तक)और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियम 2018 (पूंजी निर्गत और प्रकटन अपेक्षाएं) (11 नवंबर 2018 से प्रभावी)– समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान रिपोर्ट योग्य कोई घटना नहीं है। इसलिए लागू नहीं हैं।

(घ) द सिक्यूरिटीस एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (शेयर पर आधारित कर्मचारी फायदा) विनियमन, 2014 लागू नहीं क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कथित को शेयर के किसी प्रकार के प्रस्ताव नहीं किया है।

(ड) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम तथा सूचीबद्ध) विनियमन 2008 समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी प्रकार के ऋण प्रतिभूतियाँ जारी और सूचीबद्ध नहीं किया है इसलिए लागू नहीं है।

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंड का रेजिस्ट्रार) विनियमन 1993 जो कंपनी अधिनियम और ग्राहक से लेन–देन संबंधी है- कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का डीलिस्टिंग) विनियमन 2009- समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर किसी स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट नहीं किया, और

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी खरीद) विनियमन 1998 (10 सितंबर 2018 तक) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी) विनियमन, 2018 (11 सितंबर 2018 से प्रभावी) – समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी प्रतिभूतियों की वापसी खरीद नहीं की है ।

vi) प्रबंधन ने सूचित किया है कि कानून जो खासकर कंपनी पर लागू है वे निम्नप्रकार है:

(क) पेट्रोलियम अधिनियम,1934 और पेट्रोलियम नियम 2002

(ख) खतरनाक रसायनों का विनिर्माण, भण्डारण तथा आयात (संशोधन) नियम,2000

(ग) खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन,प्रहस्तन तथा ट्रांस बाउंडरी) नियम 2008

(घ) ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952

(ड) खतरनाक मशीन (विनियम) अधिनियम, 1983

(च) केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन दिशा–निर्देश 2010

(छ) फैक्टरिस अधिनियम 1948

(ज) कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न(रोकथाम,प्रतिबंध और निवारण) अधिनियम 2013

हमने निम्नलिखित लागू प्रावधानों के अनुपालन की भी जाँच की है:

(i) इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी साचिविक मानक

(ii) सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन 2015 और बीएसई लिमिटेड के साथ किया गया कंपनी द्वार किए गए सूचीबद्ध करार।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने उपर्युक्त उल्लेखित अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देशों मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन नहीं किया गया था क्योंकि कंपनी के पास अपने बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं, क्योंकि रिक्ति के कारण मौजूदा स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 21 फरवरी, 2020 से समाप्त हो गया है। यह देखा गया कि 01–04–2021 से 23–12–2021 तक की समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के बोर्ड में कोई भी स्वतंत्र निदेशक नहीं था। कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते, कंपनी के बोर्ड में पर्याप्त संख्या में निदेशकों / स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जानी है। कंपनी द्वारा मंत्रालय को किए गए कई अनुरोधों के बाद, दिनांक 24–12–2021 के सरकार आदेश के अनुसार दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की गई। फिर भी एक (1) और स्वतंत्र निदेशक का पद रिक्त है। कंपनी अभी भी प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा बोर्ड में एक स्वतंत्र महिला निदेशक की नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रही है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष 2021–22 के बाजार पूंजीकरण के अनुसार, कंपनी 1627 रैंक पर है। इसलिए जैसा कि यह शीर्ष 2000 कंपनियों में एक है, कंपनी को बोर्ड में न्यूनतम 6 निदेशकों की आवश्यकता है। लेकिन मार्च, 31 2022 तक कंपनी के बोर्ड में केवल 5 निदेशक हैं।

नतीजतन, लेखा परीक्षा सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं (एलओडीआर) विनियम, 2015 और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रासंगिक विनियमों के अनुपालन में स्वतंत्र निदेशकों के सही मिश्रण के साथ विधिवत गठित नहीं हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन नहीं किया गया था क्योंकि कंपनी के पास अपने बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या नहीं है, क्योंकि रिक्ति के कारण मौजूदा स्वतंत्र निदेशकों की अवधि 21 फरवरी 2020 से समाप्त हो गई है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान यह देखा गया कि दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से पहले यानी 28–01–2022 से पहले बोर्ड में 01–04–2021 से 27–01–2022 तक के बीच स्वतंत्र निदेशकों की रिक्ति के कारण कोई भी समिति मौजूद नहीं थी। दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति होने पर, 28–01–2022 को आयोजित कंपनी की बोर्ड बैठक में लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति का पुनर्गठन किया गया। हालाँकि, लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया था, लेकिन इसमें केवल दो स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं जो सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 18 के अनुपालन में नहीं है जिसमें कहा गया है कि लेखा परीक्षा समिति में सदस्यों के रूप में न्यूनतम तीन निदेशक होंगे। इसी तरह, कंपनी के एनआरसी में दो स्वतंत्र निदेशक और एक कार्यकारी निदेशक शामिल हैं जो सेबी एलओडीआर विनियमन के विनियमन 19 के अनुपालन में नहीं हैं, जिसमें कहा गया है कि समिति के सभी निदेशक गैर–कार्यकारी निदेशक होंगे।

बोर्ड की बैठकों के आयोजन के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियाँ आम तौर पर कम से कम सात दिन पहले भेजी जाती थी, और बैठक की कार्यसूची के मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है ।

बहुमत से निर्णय लिया जाता है और असंतोषित व्यक्त करनेवाले सदस्यों के विचारों लेते हुए कार्यवृत्त में दर्ज किए जाते है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर कानून जैसे लागू वित्तीय कानूनों के अनुपालन और वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा बहियों का रखरखाव की समीक्षा इस लेखा परीक्षा में नहीं की गयी है क्योंकि जिसकी समीक्षा वैधानिक वित्तीय लेखापरीक्षकों, कर लेखापरीक्षकों और नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा स्थापित अनुपालन तंत्र की समीक्षा के आधार पर और कंपनी सचिव/ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा जारी अनुपालन प्रमाणपत्र (पत्रों) के आधार पर और निदेशक मंडल द्वारा उनकी बैठक में रिकॉर्ड पर लिया गया है, हमारी राय ये हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने

के लिए कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और कार्यविधियाँ हैं जो कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप हैं:

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान

(i) ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसमें उपरोक्त निर्दिष्ट कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर एक प्रमुख मामले हैं,

(ii) वर्ष के दौरान, निम्नलिखित कोई अन्य घटनाएँ नहीं थी :

(क) शेयरों/डिबेंचर/ स्वेट आदि के सार्वजनिक/ अधिकार/अधिमान्य जारी

(ख) प्रतिभूतियों का मोचन/वापसी खरीद–

(ग) विलयन / समामेलन / पुनर्निर्माण, आदि।

(घ) विदेशी तकनीकी सहयोग

प्रस्तुत रिपोर्ट को हमारे सम दिनांकित पत्र के साथ पढ़ा जाए जो इसके साथ अनुबंध के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

हस्ता/–

डी.एस.मोमाया एंड कंपनी के लिए

कंपनी सचिव

हस्ता/–

सी एस दिव्या मोमाया साझेदार

स्थान : नवीं मुंबई

एसीएस सं 7195/सीपी सं 7885

दिनांक 17/05/2022

यूडीआईएन:एफ़ एफ़007195डी000333587

**साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का संलग्नक**

सेवा में

सदस्य

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमारी साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढा़ जाना है।

प्रबंधन की जिम्मेदारी

1. यह कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वह सचिवीय रिकॉर्ड बनाए रखे, सभी लागू कानूनों और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रणाली पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

2. हमारी जिम्मेदारी सचिवीय अनुपालन के संबंध में इन सचिवीय अभिलेखों, मानकों और कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं पर एक राय व्यक्त करना है।

3. हम विश्वास रखते हैं कि कंपनी के प्रबंधन से प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य और जानकारी हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

4. जहां कहीं आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

अस्वीकरण

5. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

हस्ता/–

डी.एस.मोमाया एंड कंपनी के लिए

कंपनी सचिव

हस्ता/–

सी एस दिव्या मोमाया साझेदार

स्थान : नवीं मुंबई

एफ़सीएस सं 7195/सीपी सं 7885

दिनांक: 17/05/2022

## सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन प्रमाण पत्र।

सेवा में,

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के सदस्य

हमने भारत सरकार, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस, 2010 की दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (CIN: L999999MH1960GOI011895) के अनुपालन की जांच की है।

दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस, 2010 के दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन निम्न को छोड़कर किया है।

1. खंड 3.1.1 - समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यात्मक, नामिती और स्वतंत्र निदेशकों का इष्टतम संयोजन शामिल नहीं था;
2. खंड 3.1.4- कंपनी के निदेशक मंडल में 01/04/2021 से 24/12/2021 की अवधि के दौरान कोई स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं था;
3. खंड 4.1.1 - लेखा परीक्षा समिति के गठन के संबंध में, इसमें न्यूनतम तीन सदस्य शामिल नहीं थे, जिनमें से दो तिहाई सदस्य 01/04/2021 से 27/01/ 2022 की अवधि के दौरान स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए।
4. खंड 4.2 - लेखा परीक्षा समिति की भूमिका, लेखा परीक्षा समिति 01/04/2021 से 27/01/2022 की अवधि के दौरान अपनी भूमिका नहीं निभा सकी क्योंकि स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण लेखापरीक्षा समिति अस्तित्व में नहीं थी। ;
5. खंड 4.4 - एक वित्तीय वर्ष में कम से कम चार बार लेखा परीक्षा समिति की बैठक आयोजित करने के संबंध में और दो बैठकों के बीच समाप्त होकर चार महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। दिनांक 01/04/2021 से 27/01/2022 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक नहीं हुई क्योंकि लेखापरीक्षा समिति अस्तित्व में नहीं थी। 24/12/2021 को दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के दौरान लेखापरीक्षा समिति की दो बार बैठक हुई।
6. खंड 5.1 - नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) के गठन के संबंध में, एनआरसी 01/04/2021 से 27/01/2022 की अवधि के दौरान अस्तित्व में नहीं थी;
7. खंड 6.1 - नियंत्रक कंपनी के निदेशक मंडल में से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक उसकी सहायक कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक होगा, नियंत्रक कंपनी का कोई भी स्वतंत्र निदेशक 01/04/2021 से 27/01/2022 तक की अवधि के दौरान से सहायक कंपनी के बोर्ड में नहीं था। 24/12/2021 को दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के परिणामस्वरूप, एक स्वतंत्र निदेशक यानी भरतकुमार जशवंतराय कनाबर को 28/01/2022 से सहायक कंपनी के बोर्ड में नियुक्त किया गया था;
8. खंड 6.2 - स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण वित्त वर्ष 2021-22 की अधिकाधिक अवधि के दौरान लेखा परीक्षा समिति की अनुपस्थिति में, नियंत्रक कंपनी की लेखा परीक्षा समिति द्वारा सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की समीक्षा के संबंध में, नियंत्रक कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की समीक्षा की गई।
9. खंड 7.1.1 - वित्तीय वर्ष 2021-22 की अधिकाधिक अवधि के दौरान लेखा परीक्षा समिति की अनुपस्थिति में, व्यापार के सामान्य और सामान्य पाठ्यक्रम में संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन के सारांश रूप में एक विवरण समय–समय पर लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखा जाएगा। स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा संबंधित पार्टी लेन-देन के सारांश की समीक्षा की गई।

जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सरकारी कंपनी) होने के नाते निदेशकों की नियुक्ति और शर्तों के संबंध में सभी शक्तियों का प्रयोग रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। कंपनी ने बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए संबंधित मंत्रालय के साथ मामला उठाया था, जिसके परिणामस्वरूप संबंधित मंत्रालय ने दिनांक 24/12/2021 के अपने सरकारी आदेश द्वारा बोर्ड पर 24/12/2021 से दो स्वतंत्र निदेशकों को नामित किया था। हालांकि, कंपनी अभी भी कंपनी के बोर्ड में एक स्वतंत्र महिला निदेशक की नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रही है।

हम आगे कहते हैं कि इस तरह के अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन हैं और न ही इसकी दक्षता और प्रभावशीलता जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

डी.एस.मोमाया एंड कंपनी एलएलपी

एफ़आरएनएल2022एमएच012300

हस्ता/–

सी एस दिव्या मोमाया

नामित साझेदार

डीपीआईएन 00365757

यूडीआईएन:एफ़ एफ़007195डी000847452

एफ़सीएस सं 7195/सीपी सं 7885

स्थान : नवीं मुंबई

दिनांक 25/08/2022

**निदेशकों की गैर–अयोग्यता का प्रमाण पत्र**

[सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V पैरा सी खंड (10)(i) के अनुसार)

सेवा में,

निदेशक मंडल

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड

401, 402, 403, चौथी मंजिल, वी–टाइम्स स्क्वायर प्लॉट नंबर 3,

सेक्टर 15, सीबीडी बेलापुर,नवी मुंबई, ठाणे, महाराष्ट्र 400614 भारत

हमने हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (CIN: L999999MH1960GOI011895) जिसका पंजीकृत कार्यालय 401,402,403,चौथी मंजिल, वी टाइम्स स्क्वायर, प्लॉट नंबर 3, सेक्टर 15 सीबीडी बेलापुर,नवी मुंबई ठाणे महाराष्ट्र 400614 भारत (बाद में 'कंपनी' के रूप में संदर्भित),में है, से प्राप्त संगत रजिस्टर, रिकॉर्ड, फॉर्म, रिटर्न और प्रकटन जो प्रमाणपत्र को जारी करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया गया, की जांच की है। यह भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) जिसे अनुसूची V पैरा–सी उप खंड 10(i) के साथ पढ़ा जाए के अनुसार है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और सत्यापन के अनुसार (पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सहित) जैसा कि आवश्यक समझा गया और कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा हमें स्पष्टीकरण दिया गया। हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के बोर्ड में नीचे बताए गए किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय या ऐसा कोई अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया है।,

| क्रमांक | निदेशक का नाम | डीआईएन | कंपनी में नियुक्ति की तारीख |
|---|---|---|---|
| 1. | कनिष्क श्रीवासत्व | 09699641 | 30/03/2022 |
| 2. | सतेन्द्र सिंह | 05195060 | 21/12/2021 |
| 3. | सजीव भास्करन | 09344438 | 06/09/2021 |
| 4. | प्रत्युष मंडल | 09461918 | 24/12/2021 |
| 5. | भरत कुमार जसवंतराय कनाबर | 09466694 | 24/12/2021 |

निदेशक मंडल में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

डी.एस.मोमाया एंड कंपनी एलएलपी

एफ़आरएनएल2022एमएच012300

हस्ता/–

सी एस दिव्या मोमाया

नामित साझेदार

डीपीआईएन 00365757

यूडीआईएन:एफ़ एफ़007195डी000847452

एफ़सीएस सं 7195/सीपी सं 7885

स्थान : नवीं मुंबई

दिनांक 25/08/2022

**स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट**

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए,
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा संबंधी रिपोर्ट

राय

1. हम ने हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (”कंपनी‘‘) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2022 को तुलन–पत्र तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) तथा इक्विटी में परिवर्तन के विवरण और नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षिप्त विवरण तथा अन्य स्पष्टीकरण जानकारियां समाविष्ट की है (इसके बाद इसे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के रूप में कहा गया है।)
2. हमारी राय में तथा हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियमह्ल) द्वारा संशोधन के रूप में आवश्यक सूचना यथा अपेक्षित रूप में देते हैं और अधिनियम की धारा 133 जिसे यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 (“इंड एएस”) के साथ पढ़ा जाए, के अनुरूप और 31 मार्च 2022 को कंपनी के मामले में भारत में सामान्यत: स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार उसी दिन समाप्त वर्ष के लिए अपने लाभ और कुल समग्र आय, इक्विटी में परिवर्तन और इनके नकदी प्रवाह का सच्चे और सही रूप दिए जाते हैं।

**राय का आधार**

3. हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों संबंधी अपनी लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा (एसए) संबंधी मानकों के अनुसार की है। उन मानकों के अधीन हमारी जिम्मेदारियाँ को हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के खंड की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियों में आगे कहा गया है। हम इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टेड अकौण्ट्स ऑफ इंडिया (‘‘आईसीएआई‘‘) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुरूप साथ ही साथ अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं कंपनी का स्वतंत्र है और हमने इन आचार संहिताओं और आईसीएआई के आचार संहिताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा सबूत प्राप्त किए हैं, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।

**वर्तमान चिन्ता**

4. हम स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट 46 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कंपनी ने 721.54 रुपये की अन्य व्यापक आय सहित शुद्ध हानि की सूचना दी है। साथ ही, कंपनी को रु. 1,01,761.72 लाख (पिछले वर्ष रु. 99,437.26 लाख) का नुकसान हुआ है, जिसका निवल मूल्य रु.90,196.19 लाख (पिछले वर्ष रु.87871.73 लाख) है। लेकिन इसकी वर्तमान संपत्ति इसकी वर्तमान देनदारियों से 7681.65 लाख रुपये (पिछले वर्ष 17941.50 लाख रुपये) से अधिक है। वर्ष के अंत में कंपनी के पास नकद और नकद समकक्षों की वर्तमान संपत्ति और अन्य बैंक शेष राशि 13,510.73 लाख (पिछले वर्ष 14,819.75 लाख रुपये) है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी का फिनोल प्लांट 4 महीने की अवधि के लिए उत्प्रेरक बदलने के लिए और 41 दिनों के लिए प्रतिकूल बाजार स्थितियों के कारण बंद था, जिसने कंपनी के कारोबार और लाभ को प्रभावित किया है। इसके अलावा, कंपनी सरकार के स्वीकृत पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। तदनुसार, रासायनी में एनबीसीसी के माध्यम से और पनवेल के ई–नीलामी के माध्यम से बिना भार वाली भूमि की बिक्री प्रगति पर है और आय का उपयोग भारत सरकार के ऋण और उसके बकाया ब्याज को वापस करने के लिए किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के लाभ में वृद्धि होगी। इन शर्तों पर विचार करने के बाद, कंपनी के स्टैंडअलोन इंड–एएस वित्तीय विवरण गोइंग कंसर्न के आधार पर तैयार किए गए हैं। नोट 31 (सी) वित्तीय विवरण भी देखें।

**मुख्य लेखापरीक्षा मामले**

5. मुख्य लेखापरीक्षा मामले इसप्रकार के मामले होते हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामले का समाधान समग्र रूप में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संदर्भ में किए गए और उसपर हमारी राय निरूपण तैयार करती है और हम इन मामलों पर अलग से कोई राय प्रकट नहीं करते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक मामले के लिए, इस संदर्भ में हमारा विवरण दिया गया है कि हमारी लेखापरीक्षा ने मामले को कैसे संबोधित किया।

हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है। हमने इन मामलों के संबंध में, अपनी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्वों में वर्णित उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों के हमारे आकलन का जवाब देने के लिए डिज़ाइन की गई प्रक्रियाओं का प्रदर्शन शामिल था। हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के परिणाम, नीचे दिए गए मामलों को संबोधित करने के लिए निष्पादित प्रक्रियाओं सहित, साथ में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करते हैं।

| क्रम सं | मुख्य लेखापरीक्षा मामले | लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया |
|---|---|---|
| i | कंपनी विभिन्न ग्राहकों को बिक्री करती है, जहाँ उत्पादों की कीमतें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मूल्य भिन्नता, विदेशी मुद्राओं में अस्थिरता, ग्राहकों द्वारा उठाव का स्तर और बाजार में मांग आपूर्ति की स्थिति सहित विभिन्न कारकों के अधीन होती हैं। ऐसी कीमतों के बारे में नियमित ग्राहकों को सूचित किया जाता है और तदनुसार खरीद आदेश प्राप्त किया जाएगा। ग्राहकों को दी जाने वाली छूट की जानकारी भी ग्राहकों को नियमित रूप से दी जाती है। उत्पादों की कीमत प्रबंधन के अनुमान और निर्णय के आधार पर तय की जाती है। इन वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण होने के कारण, और ऊपर बताए गए विभिन्न कारकों पर निर्भर होने के कारण, राजस्व मान्यता को हमारी लेखापरीक्षा में एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया था। | हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:<br>• हमने इस तरह के नियंत्रणों की प्रभावशीलता के परीक्षण सहित, बिक्री की शर्तों के अनुसार राजस्व मान्यता, छूट का अनुमान और बिक्री को पहचानने के समय संबंधी कंपनी की प्रक्रिया और नियंत्रणों का मूल्यांकन किया है।<br>• हमने मूल्य समायोजन के संबंध में प्रमुख बिक्री कर्मियों से पूछताछ की है, और प्रबंधन के साथ मूल्य निर्धारण के बारे में उनकी जागरूकता के बारे में चर्चा की है जो राजस्व को प्रभावित कर सकता है।<br>• हमने वर्ष के अंत में नमूना आधार पर ग्राहकों से प्राप्त शेष राशि की पुष्टि की जाँच की। जहां ऐसी पुष्टि प्राप्त नहीं की जा सकी, वहां वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं की गईं।<br>• हमने ऐतिहासिक डेटा की तुलना में कंपनी के प्रमुख घटकों पर प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया है, राजस्व, बिक्री की लागत और छूट / प्रोत्साहन का विश्लेषण किया है।<br>• हमने प्रबंधन के साथ उन ग्राहकों को क्रेडिट नोट जारी करने के संभावित समय पर भी चर्चा की जहां छूट दर्ज की गई है और संबंधित ग्राहकों को पारित करने के लिए लंबित हैं।<br>• हमने इस तरह की बिक्री की मान्यता का समय निर्धारित करने के लिए वर्ष के अंत में बिक्री लेनदेन के नमूने का परीक्षण किया।<br>• हमें राजस्व मान्यता के समय के संबंध में प्रबंधन से आवश्यक प्रतिनिधित्व भी प्राप्त हुआ। |

| | | |
|---|---|---|
| ii | **प्राप्य अतिरिक्त केरल मूल्य वर्धित कर इनपुट क्रेडिट रिफंड**<br>केरल वाणिज्यिक कर विभाग से कच्चे माल और उपभोग्य सामग्रियों की खरीद पर कंपनी को इनपुट टैक्स क्रेडिट में अतिरिक्त राशि की वापसी का दावा किया जाता है। 31 मार्च, 2022 को वर्ष 2010-11, 2011-12, 2013-14, 2015-16 और 2016–17 की अवधि के लिए देय कुल वापसी 576.39 लाख रुपए है। कंपनी ने अधिनियम के अनुसार प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारण प्राधिकारी के पास फॉर्म संख्या 21बी और 21सीसी में रिफंड दावा आवेदन दायर किया है, जो आगे की प्रक्रिया/आकलन को पूरा करने के लिए निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष लंबित है।<br>शामिल राशि इन वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण है और निर्धारण प्राधिकारी के निर्णय पर निर्भर है। | हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:<br>• प्राधिकरण द्वारा प्रथम दृष्टया स्वीकार्य रिफंड के दावे का पता लगाने के लिए केरल मूल्य वर्धित कर अधिनियम और उसके तहत नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों का विश्लेषण किया।<br>• रिफंड का दावा करने के लिए निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत किए गए अभिलेखों और दस्तावेजों की समीक्षा की और साथ ही निर्धारण प्राधिकारी से प्राप्त संबंधित पत्राचार की भी समीक्षा की।<br>• दावा की गई धनवापसी राशि की कार्यप्रणाली/गणना की समीक्षा की। |
| iii | **प्रावधान और आकस्मिक देनदारियों का अनुमान**<br>कंपनी कर मामलों, कानूनी अनुपालनों और अन्य विवादों सहित कंपनी के पक्ष और विपक्ष के मुकदमों में शामिल है। कंपनी अपने सलाहकारों और परामर्शदाताओं के परामर्श से प्रत्येक मामले के अंतर्निहित तथ्यों पर विचार करते हुए मामला–दर–मामला आधार पर प्रावधान करने या आकस्मिकता का खुलासा करने की आवश्यकता का आकलन करती है। इसमें उच्च स्तर के प्रबंधन निर्णय और धारणाएं शामिल हैं जो वित्तीय विवरणों में जोखिम मूल्यांकन और परिणामी प्रावधान और आकस्मिकताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करती हैं। यह क्षेत्र हमारी लेखापरीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि लेखांकन की पूर्णता और सटीकता और आकस्मिकताओं के लिए प्रकटीकरण ऐसे प्रबंधन निर्णय और मान्यताओं पर निर्भर है। | हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:<br>• हमने संभावित परिणाम निर्धारित करने के लिए दावों, मुकदमों, विवादों, अनुपालनों और उसके मूल्यांकन की निगरानी के लिए कंपनी की प्रक्रियाओं और नियंत्रणों का मूल्यांकन और परीक्षण किया।<br>• हमने प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए मुकदमों का सारांश पढ़ा और किसी भी दायित्व की संभावना और परिमाण के कंपनी के आकलन का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की।<br>• हमने प्रबंधन के निर्णयों और अनुमानों के आधार को समझने के लिए कंपनी के आंतरिक कर विशेषज्ञों और कानूनी मामलों के प्रमुख सहित प्रबंधन के साथ चर्चा की।<br>• हमने बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त पढ़े, और दावों, विवादों और मुकदमों की पूर्णता का निर्धारण करने के लिए कंपनी के कानूनी खर्चों का परीक्षण किया।<br>• हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की पर्याप्तता का परीक्षण किया।<br>• हमने दावों और मुकदमों के संबंध में प्रावधान और प्रकटीकरण के संबंध में प्रबंधन से आवश्यक प्रतिनिधित्व भी प्राप्त किया। |

**वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी**

6. कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण, बोर्ड रिपोर्ट में निहित सूचना भी शामिल है। बोर्ड रिपोर्ट में बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध, निगमित अभिशासन और शेयरधारकों की सूचना शामिल है, लेकिन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और उसपर हमारी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

7. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचना शामिल नहीं है और हम उस पर किसी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष नहीं देते हैं।

8. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना का पाठ करना है और ऐसा करने से विचार करना है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ क्या अन्य सूचना या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी क्या मूलत: परस्पर विरोधी है या अन्यथा मूलत: गलत बयान किया गया है।

9. यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि इस अन्य सूचना में गलत बयान किया है, हमें इस तथ्य को रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। इस संबंध में हमें कुछ नहीं कहना है।

**प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए उन शासन प्रभारित :**

10. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए कंपनी के निदेशक मंडल जिम्मेदार है। ये विवरण, वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन जिसमें अन्य व्यापक आय शामिल है, अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) और भारत में सामान्यत: स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की इक्विटी और नकद प्रवाह में परिवर्तित की सही और सच्ची स्थिति दर्शाते हैं। प्रस्तुत जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की संरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी और अनियमितताओं को रोकने और पता करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा अभिलेखों का अनुरक्षण शामिल है और उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन एवं प्रयोग, उचित एवं विवेकी निर्णयों और अनुमानों की तैयारी और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का रूपायन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण जो लेखा अभिलेखों की यथार्थता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्यरत थे वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए संगत है भी शामिल है जिससे सच्ची और सही स्थिति ज्ञात हो और धोखाधड़ी या गलती के कारण वस्तुगत अयथार्थ से मुक्त हो।

11. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी में, कार्यशील संस्था के रूप में चालू रहने की कंपनी की क्षमता के निर्धारण, कार्यशील संस्था से संबंधित मामले यथा लागू प्रकट करने और जब तक निदेशक मंडल ने जो कंपनी का परिसमापन की इरादा रखते हो या प्रचालन बंद करने या कोई वास्तविक विकल्प उपलब्ध नहीं लेकिन करने के बाध्य हो तब तक लेखांकन के कार्यशील संस्था आधार का प्रयोग करने के लिए निदेशक मंडल जिम्मेदार है।

12. निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की देख–रेख के लिए भी जिम्मेदार है।

**स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियाँ**

13. हमारा उद्देश्य क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण समग्र रूप में धोखाधडी या गलती से, गलत बयान से मुक्त है, संबंधी उचित आश्वासन प्राप्त करना और हमारी राय से युक्त लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट ज़ारी करना है। उचित आश्वासन, आश्वासन का उच्च स्तर है, लेकिन गैरंटी नहीं है कि एस ए के अनुरूप आयोजित की गई लेखापरीक्षा हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत बयान जब विद्यमान होने पर, पाया जाता है। गलत बयान धोखाधड़ी या गलती से हो सकता है और यदि व्यक्तिगत तौर पर या संकलित रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है, इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों पर जो उचित रूप से प्रभावित करना प्रत्याशित है।

14. एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में, हम प्रोफेशनल निर्णय और संपूर्ण लेखापरीक्षा कार्य में प्रोफेशनल संदेहवाद का प्रयोग करते हैं। हम यह भी करते हैं कि

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत बयानों संबंधी जोखिम की पहचान एवं निर्धारण करना जो धोखाधड़ी या गलती के कारण हो, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रणालियों का रूपायन एवं निष्पादन और लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करना है जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है। धोखाधड़ी से होनेवाले महत्वपूर्ण गलत बयान की पहचान का जोखिम गलती से होनेवाले से गंभीर/उच्च है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर लोप, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंखन करना भी शामिल है।
- परिस्थिति के अनुरूप उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रणालियों का रूपायन करने की दिशा में लेखापरीक्षा के लिए सुसंगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ताल–मेल प्राप्त करना है। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अधीन, क्या कंपनी में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और इस प्रकार के नियंत्रण के प्रचालन प्रभाविता पर हमारी राय प्रकट करने के लिए हम उत्तरदायी है।
- उपयोग में लायी गयी लेखा नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों की उचितता और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटनों का मूल्यांकन करना ।
- लेखा के कार्यशील संस्था आधार संबंधी प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखा परीक्षा सबूत के आधार पर ऐसी घटनों या स्थितियों जो कार्यशील संस्था के रूप में ज़ारी रहने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण शंका डाल देती है,से संबंधित क्या महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है पर निष्कर्ष निकालना। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, हमें वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर या ऐसी प्रकटीकरण यदि अपर्याप्त पायी जाती है, हमारी राय संशोधित करने की ओर हमारी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की अपेक्षा है। हमारा निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा सबूतों पर आधारित है। फिर भी, भविष्य की घटनाएँ या स्थितियाँ कंपनी को कार्यशील संस्था के रूप में जारी करना रोकने का कारण बन सकती है।
- समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की विषयवस्तु जिसमें प्रकटीकरण शामिल है, क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन–देन और घटनाओं को उसी तरीके में जिसमें उचित प्रस्तुतीकरण प्राप्त होता है, का प्रतिनिधित्व करता है, का मूल्यांकन करना है।

15. हम अन्य मामलों के साथ तैयार किए गए विषयक्षेत्र और लेखापरीक्षा के समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष जिसमें हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमारे आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पायी गयी महत्वपूर्ण कमियाँ शामिल है, के संबंध में शासन का प्रभार दिए गए के साथ वार्तालाप करते हैं।

16. हम शासन के प्रभार दिए गए उन लोगों को यह भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता संबंधी नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है और उनके साथ अनुसूचित की जानी है सभी संपर्क और अन्य मामले जो हमारी स्वतंत्रता वहन करने के लिए उपयुक्त विचार हो सकते हैं और जहाँ लागू हो संबंधी संरक्षा प्रदान करें।

17. ऐसे प्रशासन प्रभारी को संसूचित मामलों से, हम उन मामलों पर निर्णय लेता हैं, जो चालू अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के सबसे महत्वपूर्ण रहे और इसलिए वे मुख्य लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों के विवरण देते हैं जबतक मामले संबंधी सार्वजनिक प्रकटन नियम या विनियम शुरू करता है या जब सबसे अपूर्व परिस्थितियों में हम निर्णय लेते हैं कि मामले को हमारी रिपोर्ट में संसूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे करने पर होनेवाले प्रतिकूल परिणाम इस तरह की संसूचना से प्राप्त सार्वजनिक हितलाभ से ऊपर होना प्रत्याशित है।

**अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट**

18. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा आवश्यक है, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:–

क) हमने मांग की और सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए, जो हमारी अधिकतम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।

ख) हमारी राय में, कंपनी की उन बहियों की हमारी जांच से देखता है, जहाँ तक कंपनी ने विधि के अनुसार आवश्यक उचित लेखा बहियाँ रखी है।

ग) इस रिपोर्ट द्वारा चर्चा किए गए स्टैंडअलोन तुलन–पत्र, अन्य समग्र आय सहित लाभ और हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन के स्टैंडअलोन विवरण और नकदी प्रवाह स्टैंडअलोन विवरण सुसंगत लेखा बहियों के अनुरूप है ।

घ) हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का पालन अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट इंडएएस के साथ किया है।

ड) दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई), के अनुसार सरकारी कंपनियों को अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधानों के अधीन छूट दी गई है। तदनुसार, हमें यह रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि कथित धारा में निहित प्रावधानों के अनुसार कोई निदेशक अयोग्य हैं या नहीं।

च) कंपनी के वित्तीय विवरणों पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में और ऐसे नियंत्रणों के परिचालन की प्रभाविता के लिए 9अनुबंध ग' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर पर्याप्तता और प्रचालन प्रभाविता पर अशोधित राय प्रकट करती है।

छ) कंपनियों (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षकों) नियम, 2014 यथा संशोधित के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल की जानेवाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में तथा हमारी अच्छी जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:–

i. कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में वित्तीय स्थिति पर 31.03.2022 को लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है। (वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं.36 का संदर्भ लें)

ii. कंपनी ने व्युत्पन्न अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर, लागू कानून या लेखा मानकों के तहत, सामग्री के

लिए संभावित नुकसान, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया है।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरण के लिए अपेक्षित कोई राशि नहीं थी।

iv. (क) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि वित्तीय विवरणों में नोट 48 में खुलासा किया गया है, कोई भी धन अग्रिम या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं में, विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से ("अंतिम लाभार्थी") की पहचान की गई है या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान की गई है।

(ख) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि वित्तीय विवरणों में नोट 49 में खुलासा किया गया है, कंपनी को विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियों") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है। इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी ("अंतिम लाभार्थी") या फंडिंग पार्टियों की ओर से या कोई गारंटी प्रदान करती है, सुरक्षा या परम लाभार्थियों की ओर से इसी तरह की।

(ग) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन में शामिल हैं कोई भी सामग्री गलत बयान।

(घ) कंपनी ने रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान लाभांश की घोषणा या भुगतान नहीं किया है और तदनुसार अधिनियम की धारा 123 के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

19. अधिनियम की धारा 143 (11) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा ज़ारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 द्वारा

अपेक्षितनुसार, हम आदेश के 3 एवं 4 अनुच्छेद में निर्धारित मामले पर लागू सीमा तक एक विवरण **'अनुबंध क'** में देते हैं।

20. भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक कार्यालय द्वारा अधिनियम की धारा 143 (5) के अधीन ज़ारी निदेशों और उप निदेशों द्वारा अपेक्षितानुसार हम उन निदेशों में संदर्भित मामले पर विवरण **'अनुबंध ख'** में दे रहे हैं।

21. सेबी लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं (एलओडीआर) विनियम, 2015 का गैर–अनुपालन–

कंपनी ने विनियम 17(1)(क) और 17(1)(बी) के अनुसार, कम से कम एक महिला निदेशक सहित कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशकों के इष्टतम संयोजन बनाए रखना और निदेशक मंडल के कम से कम आधे में स्वतंत्र निदेशक शामिल होना और निदेशक मंडल के कम से कम आधे में अध्यक्ष एक कार्यकारी निदेशक होने के नाते स्वतंत्र निदेशक शामिल होने का पालन नहीं किया है। तदनुसार, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 18,19 और 20 का गैर–अनुपालन है (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट 47 देखें)।

कृते बीएसजे एंड एसोसिएटस

सनदी लेखाकार

(फर्म की पंजीकरण संख्या.0105602S)

हस्ताक्षर/-

सीए. जोजो अगस्टिन

भागीदार (सदस्यता सं 214088)

यूडीआईएन: 22214088AKDYEI7538

स्थान: एरणाकुलम

दिनांक : 30/05/2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 'क'

(हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए समदिनांकित रिपोर्ट के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के अधीन पैरा 19 में संदर्भित)

1. (क) (i) कंपनी ने स्थायी परिसंपत्तियों के मात्रात्मक ब्यौरों तथा इसके स्थित होने का विवरण सहित पूर्ण विवरण दर्शानेवाले समुचित रिकार्ड रखा है।

(ii) कंपनी ने अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों के पूर्ण विवरण दर्शानेवाले समुचित रिकार्ड रखा है।

(ख) कंपनी में परिसंपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों के सभी मदों को चरणबद्ध तरीके में सत्यापन करने का कार्यक्रम है जो हमारी राय में कंपनी के आकार और परिसंपत्तियों की प्रकृति के अनुरूप उपयुक्त है।

कार्यक्रम के अनुपालन में परिसंपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों के अधिकांश मदों की जाँच वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की गई। हमें दी गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे सत्यापन पर कोई वस्तुगत विसंगति नहीं पायी गई।

(ग) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और हमें दिए गए संगत अभिलेखों की जाँच के आधार पर वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए सभी अचल सम्पत्तियों के स्वत्व विलेख को कंपनी के नाम पर रखे गए हैं।

(डी) कंपनी ने वर्ष के दौरान संपत्ति,संयंत्र और उपकरणों के तहत आने वाली अपनी भूमि का पुनर्मूल्यांकन किया है और पुनर्मूल्यांकन एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन पर आधारित है। मूल्य में परिवर्तन.1978.45 लाख रुपए है।

(ई) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियम के अनुसार किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है। ।

2. (क) वस्तुसूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा उपयुक्त अंतराल में किया गया। हमारी राय में, प्रबंधन द्वारा भौतिक सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उपयुक्त है। सत्यापन के दौरान देखी गई सूची के प्रत्येक वर्ग में 10% या उससे अधिक की कुल विसंगतियों को लेखा बहियों में ठीक से निपटाया गया है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को वर्ष के दौरान किसी भी समय वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(ii)(b) कंपनी पर लागू नहीं होता है

3. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई निवेश नहीं किया है या कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारियों या किसी अन्य पार्टियों को सुरक्षा प्रदान नहीं की है। कंपनी ने वर्ष के दौरान ऋण प्रदान नहीं किया है या ऋण की प्रकृति में अग्रिम प्रदान नहीं किया है, या गारंटी नहीं दी है या किसी अन्य संस्था को सुरक्षा प्रदान नहीं की है।

(ख) हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने सहायक कंपनी को सुरक्षित/असुरक्षित अलग–अलग ब्याज दर/ब्याज मुक्त ऋण निम्नानुसार प्रदान किया था:

| विवरण | ऋण (रु. लाख में) |
|---|---|
| वर्ष के दौरान कुल राशि | 0.00 |
| तुलनपत्र की तारीख में बकाया शेष | 3197.08 |

(ग) इन ऋणों को वर्ष 2008-09 के दौरान प्रदान किया गया था।, क्या इस तरह के ऋण के अनुदान की निबंधन और शर्तें कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं हैं यह रिपोर्ट इस वर्ष के लिए लागू नहीं हैं

(घ) उपर्युक्त ऋण समझौते के अनुसार, 2010-11 से शुरू होने वाली वित्तीय वर्ष से सात समान किश्तों में 2069.72 लाख रुपये का ऋण चुकाया जाएगा और वित्तीय वर्ष 2010-11 से शुरू होने वाली वित्तीय वर्ष में पांच समान किश्तों में 887.36 लाख का ऋण चुकाना होगा। उपरोक्त ऋणों पर मूलधन और ब्याज दोनों ही कंपनी द्वारा निर्धारित शर्त के अनुसार प्राप्त नहीं किए गए हैं।

(ङ) 2744.07 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण वित्तीय वर्ष 2017-18 से अतिदेय है और 453.01 लाख रुपए की परिवर्तित ब्याज दर युक्त मियादी ऋण और तुलन पत्र की तारीख को उस पर उपचित ब्याज 1017.19 वित्तीय वर्ष 2015-16 से अतिदेय है। अनुवर्ती कार्रवाई को छोड़कर, कंपनी ने इसकी वसूली के लिए कोई अन्य कदम नहीं उठाया है।

(च ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान देय ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं है, जिसे नवीनीकृत या बढ़ाया गया है या मौजूदा ऋणों के अतिदेय के निपटान के लिए दिए गए नए ऋण या एक ही पक्ष को दिए गए ऋणों की प्रकृति में अग्रिम हो।

(छ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने ऋण की प्रकृति में या तो मांग पर चुकाया जा सकता है या किसी भी शर्तों को निर्दिष्ट या चुकौती की अवधि किए बिना कोई भी ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है।

4. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण प्रदान करना, निवेश करना और गैरंटी और प्रतिभूति प्रदान करने जैसे कि लागू हैं, के संबंध में अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

5. कंपनी ने वर्ष के दौरान जमा राशियाँ स्वीकार नहीं की है और कंपनी में 31 मार्च 2021 को किसी प्रकार की अदावी जमा राशियाँ नहीं है और इसलिए,आदेश के खंड 3(v) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं है।

6. केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के अधीन कंपनी के कुछ उत्पादों के लिए लागत अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए किए गए नियमावली के अनुसरण में कंपनी द्वारा रखी गई लेखा बहियों की समीक्षा हमने मोटे तौर पर की है और हमारी राय में प्रत्यक्षत: निहित लेखे और अभिलेखों का रखरखाव किया गया है। फिर भी, हमने अभिलेखों की विस्तृत जाँच, क्या वे सठीक या पूर्ण है यह पता करने के लिए नहीं की है।

7. सांविधिक देय के संबंध में हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार:

(क) कंपनी सामान्यत: निर्विवाद सांविधिक देय की राशि जमा कर रही है। इनमें भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर वस्तु एवं सेवाकर, सीमाशुल्क, उपकर और उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ लागू अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय शामिल है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर वस्तु और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सेवा कर,सीमा शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य बकाया सांविधिक देय के संबंध में जो 31 मार्च, 2022 तक देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई निर्विवाद राशि देय नहीं है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, वस्तु और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सेवा कर,मूल्य वर्धित कर, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य सांविधिक देय से संबन्धित कोई सांविधिक देय नहीं है ,जो 31 मार्च, 2022 तक विवाद के कारण जमा नहीं किए गए हैं, इसमें नीचे दिए गए शामिल नहीं है:

| क्र. सं. | संविधि का नाम | देय का स्वरूप | अवधि जिससे राशि संबंधित है (वि.वर्ष) | विवाद की रकम (रु. लाख में) | फोरम जहाँ विवाद लंबित है |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 | छूट नहीं दी गयी है | 2006-07 | 104.63 | सीमा शुल्क,उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील अधिकरण |
| 2 | आयकर अधिनियम, 1961 | दंडस्वरूप देय | 2001-02 | 70.50 | उच्च न्यायालय |
| 3 | आयकर अधिनियम, 1961 | व्यय नामंर्ूर | 2010-11 | 21.50 | आयकर अपील अधिकरण |

8. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी भी लेनदेन को अभ्यर्पित या खुलासा नहीं किया है, जो वर्ष के दौरान पहले लेखा बहियों में, आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कर निर्धारण के तहत आय के रूप में दर्ज नहीं किया गया था ।

9. (क) कंपनी ने सरकार से लिए गए ऋणों और उस पर ब्याजों की चुकौती में चूक की है और जिसका विवरण निम्नप्रकार है:

| ऋण प्रतिभूतियाँ सहित उधार की प्रकृति | उधारदाता का नाम | देय तिथि को अदत्त राशि (रु. लाख में) | यदि मूलधन या ब्याज | देरी वर्षों की संख्या या अदत्त | अभ्युक्तियाँ यदि कोई हो तो |
|---|---|---|---|---|---|
| योजना उधार | भारत सरकार | 537.79 | ब्याज | 20 | |
| गैर योजना उधार | भारत सरकार | 250.83 | ब्याज | 19 | |
| योजना उधार | भारत सरकार | 540.67 | ब्याज | 19 | |
| योजना उधार | भारत सरकार | 326.31 | ब्याज | 19 | |
| रक्षित योजना उधार | भारत सरकार | 652.62 | ब्याज | 19 | |
| योजना उधार | भारत सरकार | 652.62 | ब्याज | 19 | |
| योजना उधार | भारत सरकार | 328.61 | ब्याज | 18 | |
| योजना उधार | भारत सरकार | 462.20 | ब्याज | 18 | |
| योजना उधार | भारत सरकार | 770.34 | ब्याज | 17 | |
| योजना उधार | भारत सरकार | 566.68 | ब्याज | 17 | |
| योजना उधार | भारत सरकार | 423.24 | ब्याज | 16 | |
| योजना उधार | भारत सरकार | 654.81 | ब्याज | 16 | |
| योजना उधार | भारत सरकार | 452.14 | ब्याज | 15 | |
| योजना उधार | भारत सरकार | 147.36 | ब्याज | 14 | |
| योजना उधार | भारत सरकार | 727.81 | ब्याज | 13 | |
| गैर योजना उधार | भारत सरकार | 554.48 | ब्याज | 13 | |
| गैर योजना उधार | भारत सरकार | 68.77 | ब्याज | 12 | |
| गैर योजना उधार | भारत सरकार | 1142.95 | ब्याज | 6 | |
| योजना उधार | भारत सरकार | 660.00<br>910.80 | मूल धन<br>ब्याज | 12<br>12 | |
| योजना उधार | भारत सरकार | 843.00<br>1163.34 | मूल धन<br>ब्याज | 11<br>11 | |
| योजना उधार | भारत सरकार | 1760.00<br>1821.60 | मूल धन<br>ब्याज | 9<br>9 | |
| योजना उधार | भारत सरकार | 1057.00<br>729.33 | मूल धन<br>ब्याज | 6<br>6 | |
| गैर योजना उधार | भारत सरकार | 2461.00<br>1353.55 | मूल धन<br>ब्याज | 5<br>5 | |
| गैर योजना उधार | भारत सरकार | 845.60<br>465.08 | मूल धन<br>ब्याज | 4<br>4 | |
| गैर योजना उधार | भारत सरकार | 8000.00<br>4400.00 | मूल धन<br>ब्याज | 4<br>4 | |
| गैर योजना उधार | भारत सरकार | 13113.97<br>7212.68 | मूल धन<br>ब्याज | 4<br>4 | |
| गैर योजना उधार | भारत सरकार | 8820.80<br>4851.44 | मूल धन<br>ब्याज | 4<br>4 | |

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या सरकारी प्राधिकरण द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान सावधि ऋण प्राप्त नहीं किया है और तदनुसार आदेश का खंड 3 (ix) (सी) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के तुलनपत्र की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर उठाए गए किसी भी फंड का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने किसी भी संस्था या व्यक्ति से या इसकी सहायक कंपनियां किसी भी तरह के दायित्वों को पूरा करने, जैसा कि अधिनियम में परिभाषित किया गया है कोई धन नहीं लिया है। 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी किसी भी सहयोगी या संयुक्त उद्यम (अधिनियम में परिभाषित) में कोई निवेश नहीं रखती है।

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों (जैसा कि अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है) में रखी प्रतिभूतियों की गिरवी पर वर्ष के दौरान ऋण नहीं लिया है।

10. (क) कंपनी ने प्रारंभिक पब्लिक इश्यू या आगे की पब्लिक इश्यू (ऋण लिखत सहित) या मियादी ऋण के माध्यम से निधि का समाहरण नहीं की है, इसलिए आदेश के पैरा 3(x) (क) के अधीन रिपोर्टिंग कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई अधिमान्यता आबंटन या शेयरों का निजी आबंटन या पूर्णत: या अंशत: प्रदत्त परिवर्तनीय डिबेंचर में नहीं किया है। इसीलिए आदेश के खंड 3(x)(ख) के अधीन रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

11. (क) कंपनी की बहियों और अभिलेखों की जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखपरीक्षा पर मानकों में उल्लिखित भौतिकता के सिद्धांतों पर विचार करते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी या कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या लेखापरीक्षा के दौरान रिपोर्ट किया गया।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षकों) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी–4 में कोई रिपोर्ट केंद्र सरकार के साथ दर्ज नहीं की गई है।

12. अधिनियम की धारा 406 के अधीन कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3(xii) के अधीन रिपोर्टिंग कंपनी के लिए लागू नहीं है।

13. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार,कंपनी संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेन–देन के लिए जहाँ लागू है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 के अनुपालन में है और संबंधित पार्टियों के लेन–देन के विवरण संशोधित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में लागू लेखा मानकों द्वारा अपेक्षितानुसार प्रकट किया गया है।

14. (क) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारी राय में, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

(ख) हमने लेखापरीक्षा के तहत अवधि के लिए जारी कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।

15. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए, अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं ।

16. (क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvi) (क) और 3 (xvi) (ख) हैं लागू नहीं।

(ख) कंपनी एक कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi)(ग) लागू नहीं होता है।

(ग) लेखापरीक्षा के दौरान हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह के पास कोई सीआईसी नहीं है।

17. कंपनी को 2,208.10 लाख रुपए की नकद हानि हुई है। लेकिन ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी को नकद हानि नहीं हुई है।

18. वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xviii) लागू नहीं होता है।

19. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, उम्र बढ़ने और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल के बारे में हमारी जानकारी और प्रबंधन योजनाओं और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो जाता है कि कोई भी सामग्री लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी के तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने पर बैलेंस शीट की तारीख में मौजूदा अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा छुट्टी दे दी जाएगी। कंपनी के रूप में और जब वे देय हो जाते हैं।

20. कंपनी की बहियों और अभिलेखों की जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार खर्च करने की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार, खंड 3 (xx) आदेश का लागू नहीं है।कृते बीएसजे एंड एसोसिएटस

कृते बीएसजे एंड एसोसिएटस सनदी लेखाकार
(फर्म की पंजीकरण संख्या.0105602ए)
हस्ताक्षर/-
सीए. जोजो अगस्टिन
भागीदार (सदस्यता सं 214088)
यूडीआईएन: 22214088AKDYEI7538

स्थान: एरणाकुलम
दिनांक : 30/05/2022

**स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 'ख'**

(हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए समदिनांकित रिपोर्ट के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के अधीन पैरा 20 में संदर्भित)

जैसा कि अधिनियम की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा ज़ारी निर्देशों और उप निर्देशों द्वारा अपेक्षित है, हम उसमें संदर्भित मामलों पर अपनी टिप्पणियाँ नीचे दे रहे हैं–

**क. निर्देश**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | क्या कंपनी में सभी लेखा लेन–देन आईटी प्रणाली के माध्यम से संचालित करने का तंत्र उपलब्ध है. यदि हाँ, लेखाओं की ईमानदारी पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखा लेन–देन के संसाधन का अनुमान साथ ही वित्तीय अनुमान यदि कोई हो तो दिया जाए। | रिपोर्टाधीन वर्ष अचल संपत्ति रजिस्टर को छोड़कर सभी लेखांकन लेनदेन टैली ईआरपी और एचआरएम सॉफ्टवेयर सिस्टम के माध्यम से बनाए / संसाधित किए जाते हैं।<br>एमएस ऑफिस का उपयोग कर प्रधान कार्यालय और कोच्चि इकाई के खातों का समेकन तैयार किया जा रहा है। एमएस ऑफिस–एक्सेल में अचल संपत्ति रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है। आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण का कोई उदाहरण नहीं। |
| 2 | क्या विद्यमान ऋण के कोई पुनर्गठन या ऋण की चुकौती में कंपनी की अक्षमता के कारण उधारदाता द्वारा कंपनी को छूट/कर्ज/ऋण/ब्याज आदि को बट्टे खाते में डालने के कोई मामले है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव दिया जाए। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? | लेखापरीक्षा के तहत वर्ष के दौरान ऐसा कोई उदाहरण नहीं है |
| 3 | क्या केंद्र/राज्य सरकार अभिकरणों से विशेष योजनाओं के लिए प्राप्त निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) को इनके निबंधन और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब में लिया/उपयोग किया है? विचलन के मामलों की सूची दी जाए? | नहीं, कंपनी ने केंद्र/राज्य अभिकरणों से विशेष योजना के लिए किसी प्रकार की निधि प्राप्त नहीं की है। |

**ख. उप निर्देश**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | अतिक्रमण के अधीन भूमि के क्षेत्र का ब्योरा दें और अतिक्रमण हटाने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम का संक्षिप्त विवरण दें? | हमारे पास उपलब्ध सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार रसायनी इकाई में 22.717 एकड़ भूमि पर मैसर्स द जियोटेक द्वारा 24 अप्रैल, 2019 को किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार अतिक्रमण किया जा रहा है। साथ ही 10.576 एकड़ भूमि में सार्वजनिक सड़क का निर्माण किया गया है और इसका मूल्य शून्य माना जाता है। 32.547 एकड़ भूमि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम, महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड, हिंदुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड और महात्मा एजुकेशन सोसाइटी को दी गई है।<br>हमें सूचित किया गया है की कंपनी ने प्रस्तुत मामले मंत्रालय के सम्मुख लाया गया है और अतिक्रमण भूमि की प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया में है। |
| 2. | क्या विशेष रूप से तीन वर्ष से अधिक पुरानी संचित व्यापार प्राप्तियों के अनुवर्तन के लिए कोई प्रभावी प्रणाली है? | हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण और जानकारी के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड के हमारे सत्यापन के आधार पर, कंपनी ने कुछ व्यापार प्राप्तियों के खिलाफ कानूनी वसूली की कार्यवाही शुरू की है। लेकिन दायर/संचित/अतिदेय व्यापार प्राप्तियों के मुकदमे की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए कंपनी में प्रचलित प्रणाली को कानूनी कार्यवाही की समय पर शुरूआत और संचित/देय व्यापार प्राप्तियों की वसूली के लिए अधिक मजबूत करना चाहिए। |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | क्या कच्चे माल, मध्यवर्तियों और उपयोगिताओं के मामले में मानदंडों के विरुद्ध वास्तविक खपत को देखने के लिए पर्याप्त प्रणाली थी? | हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण और जानकारी के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड के हमारे सत्यापन के आधार पर, कंपनी के पास मानक/ मानदंडों के खिलाफ वास्तविक खपत को देखने के लिए पर्याप्त प्रणाली है। प्रबंधन सूचना प्रणाली के हिस्से के रूप में कंपनी कच्चे माल, मध्यवर्तियों और उपयोगिताओं के प्रत्येक आइटम के लिए तुलना विवरण मासिक आधार पर तैयार कर रही है। |

कृते बीएसजे एंड एसोसिएटस सनदी लेखाकार
(फर्म की पंजीकरण संख्या.0105602ए)
हस्ताक्षर/-
सीए. जोजो अगस्टिन
भागीदार (सदस्यता सं 214088)
यूडीआईएन: 22214088AKDYEI7538

स्थान: एरणाकुलम
दिनांक : 30/05/2022

**स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध "ग"**

(हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए समदिनांकित हमारी रिपोर्ट के खंड "अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं की रिपोर्ट" के अधीन पैरा 18(एफ) में संदर्भित)

**कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अधीन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों संबंधी रिपोर्ट**

हम ने हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड ("कंपनी") की 31 मार्च 2022 तक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के साथ की गयी है।

**आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी**

कंपनी के निदेशक मंडल कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों पर आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने तथा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इसके लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश नोट में उल्लेखित आंतरिक नियंत्रणों के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा मानदंड द्वारा तैयार किया है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिज़ाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना जो अपने व्यापार के नियमित और सक्षम प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढ़ंग से कार्यरत थे, इसमें कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन अपेक्षितानुसार संबंधित नीतियाँ, अपनी परिसंपत्तियों की संरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों की रोक एवं पहचान, लेखा अभिलेखों की यथार्थता एवं पूर्णता, विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं का समय पर तैयारी शामिल है।

**लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी**

हमारी जिम्मेदारी, अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के मार्गदर्शी तत्वों ("मार्गदर्शी तत्वों") और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षा संबंधी मानकों जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक है, की है। इन मानकों तथा मार्गदर्शी नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं तथा योजनाओं का पालन करें और क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त है इसका उचित आश्वासन प्राप्त करें और ऐसे नियंत्रण प्रभावशाली ढ़ंग से सभी सामग्री के संबंध में स्थापित किए गए हैं और रखे गए है।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उसका प्रभावी ढ़ंग से परिचालन के बारे में लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करने के लिए पद्धति का अनुरक्षण करना सम्मिलित है। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए समझदारी प्राप्त करना, जोखिम की जाँच करना कि कमी मौजूद है तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन की प्रभाविता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयन की गई पद्धति लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर है, जिसमें वित्तीय विवरणों में धोखा या चूक के कारण गलत बयान की जोखिम के निर्धारण भी शामिल है।

हम विश्वास करते हैं कि हम ने जो लेखा सबूत प्राप्त किए हैं, वित्तीय रिपोर्टों के ऊपर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा की राय प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

**वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का मतलब**

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसका डिज़ाइन वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता संबंधी उचित आश्वासन प्रदान करने और सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए किया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में नीचे दी गई उन नीतियाँ और कार्यप्रणालियाँ शामिल है कि (1) कंपनी के परिसंपत्तियों के लेन–देन और स्थिति के उपयुक्त विवरण, यथार्थ और उचित रूप से प्रतिबिंबित अभिलेखों का अनुरक्षण संबंधी है. (2) उचित आश्वासन प्रदान करते है कि कारोबार का रिकॉर्ड इस प्रकार रखा गया है कि सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए आवश्यक है और कंपनी की प्राप्तियाँ और कंपनी के प्रबंधन और निर्देशकों के प्राधिकरण के अनुरूप किया जा रहा है और (3) इसका उपयुक्त आश्वासन भी प्रदान करते हैं कि कंपनी की परिसंपत्तियों का अप्राधिकृत अर्जन, उपयोग की रोक या पहचान या स्थिति संबंधी है जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

**वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिसीमा**

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित परिसीमा जिसमें मिली भगत या अनुचित प्रबंधन की संभाव्यता नियंत्रणों को पार करने चूक या धोखाधड़ी के कारण गलत बयान शामिल है, घटित हो सकते है और पहचान नहीं की जाती है। साथ ही, भविष्य की अवधि में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों किसी मूल्यांकन का प्रक्षेपण इस जोखिम के शर्त पर हैं कि परिस्थितियों में परिवर्तन या नीतियों के अनुपालन स्तर या कार्य प्रणालियां बिगड़ने से वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है।

**राय**

हमारी राय में, हमारी अधिकतम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2022 को प्रभावी ढ़ंग से प्रचालन में थे इसका आधार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा ज़ारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा मार्गदर्शी तत्वों में कथित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग हमारी राय में के ऊपर आंतरिक नियंत्रण मानदंड है।

**कृते बीएसजे एंड एसोसिएटस सनदी लेखाकार**
(फर्म की पंजीकरण संख्या.0105602ए)
**हस्ताक्षर/-**
**सीए. जोजो अगस्टिन**
**भागीदार (सदस्यता सं 214088)**
**यूडीआईएन: 22214088AKDYEI7538**

स्थान: एरणाकुलम
दिनांक : 30/05/2022

**31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां**

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह कहा गया है कि इसको 30 मई 2022 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा उनके द्वारा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लिए
और उनकी ओर से

**हस्ता/–**
**(पी वी हरीकृष्णा)**
**प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (शिप्पिंग), मुंबई**

**स्थान: मुंबई**
**दिनांक: 02 अगस्त 2022**

## 31 मार्च 2022 को स्टैंडअलोन तुलनपत्र

रु. लाख में

| विवरण | टिप्पणियाँ | चालू वर्ष 31.03.2022 को | पिछले वर्ष 31.03.2021 को |
|---|---|---|---|
| परिसंपत्तियाँ | | | |
| **1. गैर–चालू परिसंपत्तियाँ** | | | |
| क) संपत्ति,संयंत्र और उपकरण | 3क | 15,348.07 | 13,447.26 |
| ख) निवेश संपत्ति | 3ख | 88.74 | 87.93 |
| ग) अमूर्त परिसंपत्तियाँ | 3ग | 27.25 | 22.53 |
| घ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ | | | |
| i) निवेश | 4 | 1,063.44 | 838.92 |
| ङ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ | 5 | 497.37 | 498.12 |
| कुल (गैर चालू परिसंपत्तियाँ) | | **17,024.87** | **14,894.76** |
| **2. चालू परिसंपत्तियाँ** | | | |
| क)वस्तु सूची | 6 | 7,511.19 | 5,080.72 |
| ख)वित्तिय परिसंपत्तियाँ | | | |
| (i) व्यापार प्राप्य | 7 | 735.12 | 240.82 |
| (ii) नकद और नकद समतुल्य | 8क | 2,014.53 | 3,286.97 |
| (iii) बैंक शेष उपरोक्त (ii) के अलावा | 8ख | 11,496.20 | 11,532.78 |
| (iv) ऋण | 9 | 3,218.09 | 2,066.14 |
| ग) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ | | | |
| (i) ब्याज और अन्य प्राप्य | 10 | 1,334.04 | 393.43 |
| (ii) निवेश, अग्रिम और अन्य प्राप्य | 11 | 2,859.25 | 2,596.95 |
| घ) बिक्री के लिए रखी गयी संपत्ति,संयंत्र और उपकरण | 3घ | 99,219.74 | 99,219.74 |
| कुल (चालू परिसंपत्तियाँ) | | **1,28,388.16** | **1,24,417.55** |
| **कुल परिसंपत्तियाँ** | | **1,45,413.03** | **1,39,312.31** |
| **इक्विटी और देयताएं** | | | |
| **इक्विटी** | | | |
| इक्विटी शेयर पूंजी | 12 | 6,726.96 | 6,726.96 |
| अन्य इक्विटी | | | |
| i) प्रतिभूति प्रीमियम | 13क | 4,838.57 | 4,838.57 |
| ii) प्रतिधारित अर्जन | 13ख | -1,01,761.72 | -99,437.26 |
| iii) अन्य व्यापक आय | 13ग | 95,519.62 | 93,916.69 |
| कुल अन्य इक्विटी | | **-1,403.53** | **-682.00** |
| कुल इक्विटी | | **5,323.43** | **6,044.96** |
| **देयताएं** | | | |
| **गैर–चालू देयताएं:** | | | |
| **वित्तीय देयताएं** | | | |
| (क) उधार | 14 | - | 7,695.09 |
| क1) पट्टा देयताएं | | - | - |
| ख) प्रावधान | 15 | 2,980.57 | 3,334.69 |
| ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल) | 16 | 16,402.52 | 15,761.52 |
| कुल (गैर चालू देयताएं) | | **19,383.09** | **26,791.30** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **चालू देयताएं :** | | | |
| क) वित्तीय देयताएं | | | |
| (i) अधिमान्य शेयर धारक को देय | 17 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| क1) पट्टा देयताएं | | - | - |
| (ii) व्यापार देय | | | |
| सूक्ष्म और लघु उद्योगो को देय | 18 | 55.50 | 21.03 |
| अन्यों को देय | 18 | 4,096.34 | 1,626.99 |
| (iii) अन्य वित्तीय देयताएं | 19 | 7,695.09 | 8,187.29 |
| ख) प्रावधान | 20 | 6,800.69 | 6,130.35 |
| ग) अन्य चालू वित्तीय देयताएं | 21 | 75,058.89 | 63,510.39 |
| कुल (चालू देयताएं) | | **1,20,706.51** | **1,06,476.05** |
| कुल देयताएं | | **1,40,089.60** | **1,33,267.35** |
| **कुल इक्विटी और देयताएं** | | **1,45,413.03** | **1,39,312.31** |
| महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ | 2 | | |
| स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ | 3-62 | | |

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

**संलग्न समदिनांकित हमारी रिपोर्ट के अनुसार**
**कृते बी एस जे एवं एसोसिएट**
सनदी लेखाकर
**एफआरएन:** 010560S

हस्ता/–
**सजीव बी.**
सीएमडी और सीईओ
डीआईएन 09344438

हस्ता/–
**डॉ. भरत जे. कनाबर**
निदेशक
डीआईएन 09466694

हस्ता/–
**पी ओ लुईस**
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता/–
**सुब्रमणियन एच**
कंपनी सचिव

हस्ता/–
**सीए.जोजो अगस्टिन**
साझेदार
सदस्यता सं.214088
यूडीआईएन: 22214088AKDYEI7538

स्थान: नवीं मुंबई
दिनांक : 26.05.2022

स्थान: एरणाकुलम
दिनांक: 30.05.2022

## 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का स्टैंडअलोन विवरण

रु. लाख में

| विवरण | टिप्पणी सं | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|
| **राजस्व** | | | |
| प्रचालन से राजस्व –उत्पादों की बिक्री | 22 | 43,367.39 | 41,157.80 |
| अन्य आय | 23 | 3,142.73 | 1,961.29 |
| **कुल आय:** | | **46,510.12** | **43,119.09** |
| **व्यय** | | | |
| उपभोग की गई सामग्री की लागत | 24 | 27,879.70 | 20,105.11 |
| तैयार माल की सूची में परिवर्तन, एवं कार्य प्रगति पर | 25 | -1,430.78 | 54.57 |
| कर्मचारी हितलाभ व्यय | 26 | 4,520.35 | 4,569.74 |
| वित्तीय लागत | 27 | 5,134.17 | 5,336.46 |
| मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय | 28 | 116.37 | 120.79 |
| अन्य व्यय | 29 | 12,614.78 | 11,335.31 |
| **कुल व्यय** | | **48,834.59** | **41,521.98** |
| असाधारण मदों और कर के पहले लाभ/(हानि) | | **-2,324.47** | **1,597.11** |
| घटाएँ: असाधारण मदों | | - | - |
| कर पूर्व लाभ/(हानि) | | -2,324.47 | 1,597.11 |
| (1)चालू कर | | - | - |
| (2) आस्थगित कर | | - | - |
| घटाएँ: कर व्यय : | | - | - |
| अवधि के लिए लाभ/(हानि) | | -2,324.47 | 1,597.11 |
| **अन्य व्यापक आय :** | | | |
| (i) लाभ या हानि में पुन: वर्गीकृत न करनेवाले मदें | | | |
| क) संयंत्र, संपत्ति एवं उपकरणों का पुनर्मूल्यन | 13ग | 1,978.42 | 1,631.02 |
| आस्थगित कर संपत्तियाँ | | -576.00 | -419.00 |
| ख) निवेश के ह्रास के लिए प्रावधान | 13ग | 224.52 | 509.86 |
| आस्थगित कर व्यय | | -65.00 | -148.00 |
| ग) परिभाषित हितलाभ योजना में परिवर्तन (उपदान) | 13ग | 40.99 | -31.10 |
| **वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, कर का निवल** | | **1,602.93** | **1,542.78** |
| वर्ष के लिए कुल व्यापक आय | | -721.54 | 3,139.89 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **प्रति इक्विटी शेयर में अर्जन (रुपए में)** | | | |
| मूल (प्रत्येक रुपए 10 के अंकित मूल्य) | | -3.46 | 2.38 |
| मिश्रित (प्रत्येक रुपए 10 के अंकित मूल्य) | | -3.46 | 2.38 |
| **महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ** | 2 | | |
| स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ | 1&3-62 | | |

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

**संलग्न समदिनांकित हमारी रिपोर्ट के अनुसार**
**कृते बी एस जे एवं एसोसिएट**
सनदी लेखाकर
**एफआरएन:** 010560S

हस्ता/–
**सजीव बी.**
सीएमडी और सीईओ
डीआईएन 09344438

हस्ता/–
**डॉ. भरत जे. कनाबर**
निदेशक
डीआईएन 09466694

हस्ता/–
**पी ओ लुईस**
मुख्य वित्तीय अधिकारी कंपनी सचिव

हस्ता/–
**सुब्रमणियन एच**

हस्ता/–
**सीए.जोजो अगस्टिन**
साझेदार
सदस्यता सं.214088
यूडीआईएन: 22214088AKDYEI7538

स्थान: नवीं मुंबई
दिनांक : 26.05.2022

स्थान: एरणाकुलम
दिनांक: 30.05.2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

## क. इक्विटी शेयर पूंजी

1. चालू रिपोर्टिंग अवधि(2021–22)

रु. लाख में

| विवरण | चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारम्भ में शेष | पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारम्भ में पुनर्निर्धारित शेष राशि | चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| | 01.04.2021 | 2021-22 | 01.04.2021 | 2021-22 | 31.03.2022 |
| प्रत्येक 10/– रुपए के इक्विटी शेयर | 6726.96 | 0 | 6726.96 | 0 | 6726.96 |

2. पिछली रिपोर्टिंग अवधि (2020–21)

रु.लाख में

| विवरण | चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारम्भ में शेष | पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारम्भ में पुनर्निर्धारित शेष राशि | चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| | 01.04.2020 | 2020-21 | 01.04.2020 | 2020-21 | 31.03.2021 |
| प्रत्येक 10/– रुपए के इक्विटी शेयर | 6726.96 | 0 | 6726.96 | 0 | 6726.96 |

## ख. अन्य इक्विटी

रु. लाख में

| विवरण | शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन | मिश्रित वित्तीय लिखत का इक्विटी घटक | आरक्षिति और अधिशेष | | | | अन्य समग्र आय के मदें(ओसीआई) | | | | | | शेयर वारंट के विरुद्ध प्राप्त राशि | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | पूंजी आरक्षिति | प्रतिभूतियों का प्रीमियम | अन्य आरक्षितियाँ(प्रकृति स्पष्ट करें ) | प्रतिधारित अर्जन | अन्य समग्र आय के ज़रिए ऋण लिखित | अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखत | कैश फ्लो हेजेज का प्रभावी हिस्सा | अधिशेष का का पुनर्मूल्यन | विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरणों को परिभाषित करने में विनिमय अन | ओसीआई के अन्य मदें(कर्मचारी परिभाषित हितलाभ योजन में परिवर्तन) | | |
| 1.चालू रिपोर्टिंग अवधि (2021–22) | | | | | | | | | | | | | | 2021-22 |
| चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारम्भ में शेष राशि (01.04.2021) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4838.57 | 0.00 | -99497.02 | 0.00 | -192.08 | 0.00 | 93606.29 | 0.00 | 502.48 | 0.00 | -741.76 |
| लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियाँ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.76 |
| चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारम्भ में पुनर्निर्धारित शेष राशि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4838.57 | 0.00 | -99437.26 | 0.00 | -192.08 | 0.00 | 93606.29 | 0.00 | 502.48 | 0.00 | -682.00 |
| चालू वर्ष के लिए कुल समग्र आय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2324.46 | 0.00 | 224.52 | 0.00 | 1978.42 | 0.00 | 40.99 | 0.00 | -80.53 |
| लाभांश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| प्रतिधारित अर्जनों का अंतरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अन्य कोई परिवर्तन (निर्धारित की जानी है) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -65.00 | 0.00 | -576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -641.00 |
| चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि (31.03.2022) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4838.57 | 0.00 | -101761.72 | 0.00 | -32.56 | 0.00 | 95008.71 | 0.00 | 543.47 | 0.00 | -1403.53 |
| 2.पिछली रिपोर्टिंग अवधि (2020–21) | | | | | | | | | | | | | | 2020-21 |
| चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारम्भ में शेष राशि (01.04.2020) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4838.57 | 0.00 | -101103.24 | 0.00 | -553.94 | 0.00 | 92453.31 | 0.00 | 533.58 | 0.00 | -3831.72 |
| लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियाँ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.85 |
| चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारम्भ में पुनर्निर्धारित शेष राशि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4838.57 | 0.00 | -101093.39 | 0.00 | -553.94 | 0.00 | 92453.31 | 0.00 | 533.58 | 0.00 | -3821.87 |
| चालू वर्ष के लिए कुल समग्र आय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1656.13 | 0.00 | 509.86 | 0.00 | 1631.02 | 0.00 | -31.10 | 0.00 | 3765.91 |
| लाभांश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| प्रतिधारित अर्जनों का अंतरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -59.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -59.04 |
| अन्य कोई परिवर्तन (निर्धारित की जानी है) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -148.00 | 0.00 | -419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -567.00 |
| चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि (31.03.2021) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4838.57 | 0.00 | -99437.26 | 0.00 | -192.08 | 0.00 | 93606.29 | 0.00 | 502.48 | 0.00 | -682.00 |

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

हस्त/–
सजीव बी.
सीएमडी और सीईओ
डीआईएन 09344438
DIN 09344438

हस्त/–
डॉ. भरत जे. कनाबर
निदेशक
डीआईएन 09466694
DIN 09466694

हस्त/–
पी ओ लुईस
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्त/–
सुब्रमणियन एच
कंपनी सचिव

संलग्न समदिनांकित हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते बी एस जे एवं एसोसिएट
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 010560ए

हस्त/–
सीए जोजो अगस्टिन
साझेदार
सदस्यता सं .214088
यूडीआईएन: 22214088AKDYEI7538

स्थान: नवीं मुंबई
दिनांक: 26.05.2022

स्थान: एरणाकुलम
दिनांक: 30.05.2022

## 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन नकद प्रवाह विवरण

(रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| **प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह :** | | |
| **कर पूर्व अवधि के लिए लाभ/(हानि)** | (2,324.47) | 1,597.11 |
| हेतु समायोजन : | | |
| परिसंपत्तियों के क्षत पर मूल्यह्रास/हानि | 116.37 | 120.60 |
| परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभा(–)/हानि | - | (11.68) |
| ब्याज आय | (672.82) | (702.87) |
| ब्याज एवं वित्त प्रभार | 5,809.17 | 6,011.46 |
| निवेश संपत्ति से आय | (255.49) | (179.82) |
| परिभाषित कर्मचारी लाभ योजना में परिवर्तन –अन्य व्यापक आय | 40.99 | (31.10) |
| **कार्यगत पूंजी परिवर्तन के पहले प्रचालन नकदी प्रवाह (क)** | **2,713.75** | **6,803.70** |
| हेतु समायोजन | | |
| वस्तु सूची में (वृद्धि)/कमी | (2,430.47) | (460.58) |
| व्यापार और अन्य प्राप्य में कमी/(वृद्धि) | (1,673.44) | (1,975.17) |
| व्यापार देनदारियों एवं अन्य देनदारियों में वृद्धि/(कमी) | 1,812.49 | (2,573.04) |
| **प्रचालनों (कार्यगत पूंजी परिवर्तन) से सृजित नकद (ख)** | (2,291.42) | (5,008.79) |
| **प्रचालन गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह (1) (क+ख)** | **422.33** | **1,794.91** |
| निवेश संबंधी गतिविधियों से नकद प्रवाह : | | |
| अचल परिसंपत्तियों का क्रय | (44.25) | (20.91) |
| अचल परिसंपत्तियों की बिक्री बिक्री के लिए रखी गयी परिसंपत्तियों | - | 75.00 |
| ब्याज आय | 750.00 | 575.25 |
| निवेश संपत्ति से आय | 191.87 | 116.20 |
| **वित्तीय गतिविधियों से (उपयोग में) निवल नकद प्रवाह** | **897.62** | **745.54** |
| **वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह :** | | |
| ज़मानती ऋण में वृद्धि/कमी | (1,161.82) | (600.00) |
| गैर–ज़मानती ऋण में वृद्धि/कमी | (1,394.13) | (980.63) |
| प्रदत्त ब्याज | (36.44) | (40.32) |
| **वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकद** | **(2,592.39)** | **(1,620.95)** |
| नकद और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी | (1,272.44) | 919.50 |
| अवधि के प्रारम्भ में नकद और नकदी समतुल्य | 3,286.97 | 2,367.47 |
| **अवधि के अंत में नकद और नकद समतुल्य** | **2,014.53** | **3,286.97** |
| **उपरोक्तानुसार नकद और नकद समतुल्य में निम्नलिखित शामिल है।** | | |
| क) बैक में शेष ( नकद और नकदी समतुल्य के स्वरूप के अनुसार): | | |
| चालू खाता | 239.30 | 115.54 |
| बचत खाता (संदर्भ नोट i) | 149.25 | 145.23 |
| तीन माह से कम मूल परिपक्वता में जमा | 1,624.50 | 3,025.28 |
| ख) हाथ में नकद | 1.48 | 0.92 |
| **कुल** | **2,014.53** | **3,286.97** |

*जहां आवश्यक हो चालू वर्ष के वर्गिकरण की पुष्टि के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुन: एकत्रित या पुन: वर्गीकृत किया गया है।*

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–
सजीव बी.
सीएमडी और सीईओ
डीआईएन 09344438

हस्ता/–
डॉ. भरत जे. कनाबर
निदेशक
डीआईएन 09466694

हस्ता/–
पी ओ लुईस
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता/–
सुब्रमणियन एच
कंपनी सचिव

संलग्न समदिनांकित हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते बी एस जे एवं एसोसिएट
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 010560ए

हस्ता/–
सीए जोजो अगस्टिन
साझेदार
सदस्यता सं .214088
यूडीआईएन: 22214088AKDYEI7538

स्थान: नवीं मुंबई
दिनांक: 26.05.2022

स्थान: एरणाकुलम
दिनांक: 30.05.2022

**31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ**

**1. निगमित सूचना**

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (कंपनी) भारत में अधिवासित एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और भारत में लागू कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिनिगमित है। कंपनी के शेयर भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध हैं। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 401,402 एवं 403, चौथा तल, "वी टाइम्स स्क्वेयर'', सेक्टर-15, सीबीडी बेलापुर, नवीं मुंबई- 400614 में स्थित है। कंपनी मुख्य रूप से थोक औद्योगिक रसायनों और रासायनिक मध्यवर्तियों के कारोबार में नियोजित है।

**2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ**

**2.1 वित्तीय विवरण की तैयारी का आधार**

"इन वित्तीय विवरणों की तैयारी प्रोद्भूत आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अधीन भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुसार की जाती है सिवाय कुछ वित्तीय लिखतों का कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") (अधिसूचित हद तक) के प्रावधानों में उचित मूल्यों पर मापा जाता है। इंड एएस को कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 3 और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित किया गया है।

लेखांकन नीतियों को लगातार प्रयुक्त किया गया है, सिवाय जहाँ एक नए जारी लेखा मानक प्रारंभ में अपनाया जाता है या अब तक उपयोग में रही लेखांकन नीति में बदलाव मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए आवश्यक होती है।

निम्नलिखित संपत्तियों और देयताओं जिनका मापन उचित मूल्य पर किया गया है को छोडकर अलग वित्तीय विवरणों को प्रोद्भूत आधार पर और ऐतिहासिक लागत आधार के तहत तैयार किया गया है, :

व्युत्पन्न वित्तीय लिखत

परिभाषित हितलाभ योजनाएँ– योजना परिसंपत्तियाँ

कुछ वित्तीय संपत्तियों और देयताओं का मापन उचित मूल्य पर (वित्तीय लिखत के संबंध में लेखांकन नीति देखें) किया जाता है। वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपया ("आईएनआर") या (₹) में प्रस्तुत किया जाता हैं, यह कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है और जहाँ भी राशि '0' (शून्य) का प्रतिनिधित्व किया गया है, वहाँ मूल्य एक लाख रुपए से कम माना जाता है।

**महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान, पूर्वधारणाएं और निर्णय**

कंपनी के अलग–अलग वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को अनुमानों और पूर्वधारणाओं को बनाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, संपत्तियां और देयताओं की रिपोर्ट की गई राशियों, साथ ही साथ संलग्न प्रकटीकरण और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। इन पूर्वधारणाओं और अनुमानों के बारे में अनिश्चितता का परिणाम हो सकते हैं जिसके लिए भविष्य की अवधि में प्रभावित परिसंपत्तियों या देयताओं की वहनीय राशि के लिए भौतिक समायोजन की आवश्यकता होती है।

अनुमान और पूर्वधारणाएं

"इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को अनुमान, निर्णय और पूर्वधारणाओं को बनाने की आवश्यकता है। ये अनुमान, निर्णय और पूर्वधारणाएं लेखांकन नीतियों के प्रयोग और परिसंपत्ति और देयताओं की रिपोर्ट की गयी राशियों, वित्तीय विवरणों की तारीख में आकस्मिक परिसंपत्ति और देयताओं के प्रकटीकरण और इस अवधि के दौरान आय और व्यय की रिपोर्ट की गयी राशियों को प्रभावित करते हैं। लेखांकन नीतियों के प्रयोग में जटिल और वस्तुनिष्ठ निर्णय शामिल महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमानों की आवश्यकता है और इन वित्तीय विवरणों में पूर्वधारणाओं के उपयोग को उपयुक्त स्थानों पर प्रकट किया गया है।

लेखांकन अनुमान समय समय पर बदल सकते हैं। वास्तविक परिणाम ऐसे अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। प्रबंधन अनुमानों से जुड़े परिवेश में परिवर्तन से अवगत हैं, इसीलिए अनुमानों में उचित परिवर्तन किए जाते हैं। अनुमानों में परिवर्तन उस अवधि की वित्तीय विवरणों जहाँ परिवर्तन किए गए हैं,में प्रतिबिंबित हैं,और यदि उनके प्रभाव महत्वपूर्ण है तो वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

**कर**

इंड-एएस 12 के अनुसार कर व्यय (आयकर और आस्थगित कर): आय पर कर के लिए लेखांकन स्वीकार किया गया है। कारोबार की सामान्य गति के दौरान कई लेन-देन और परिकलनों को लिया जाता हैं जिसके लिए अंतिम कर निर्धारण अनिश्चित है। जहाँ इन मामलों का अंतिम कर परिणाम प्रारंभिक रूप से दर्ज की गई राशि से अलग है, ऐसे अंतर उस अवधि में वर्तमान और आस्थगित कर प्रावधानों को प्रभावित करेंगे, जिसमें कर निर्धारण किया गया है। आस्थगित कर संपत्ति को स्वीकार किया जाता है और केवल इतना हद तक आगे ले जाता है कि एक आभासी निश्चितता है कि संपत्ति की वसूली/उगाही भविष्य में की जाएगी।

**कर्मचारी हितलाभ**

i. अल्पकालिक दायित्व

गैर-मौद्रिक हितलाभ सहित मजदूरी और वेतन के लिए देयताएं उस अवधि जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते है, की समाप्ति के बाद 12 माह के भीतर पूर्ण रूप से समायोजित किया जाना प्रत्याशित है, को रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति तक संबंधित कर्मचारियों की सेवा के रूप में स्वीकार किया जाता है और जब देयताएं समायोजित किया जाता है उस समय भुगतान के लिए प्रत्याशित राशियों में मापा जाता है। देयताओं को तुलन पत्र में चालू कर्मचारी हितलाभ दायित्व के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

ii. अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ दायित्व

अर्जित छुट्टी और बीमार छुट्टी के लिए देयताओं को उस अवधि जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं, के अंत के 12 माह के भीतर पूर्ण रूप से समायोजित करने की प्रतीक्षा नहीं है। इसलिए उनका मापन रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में प्रत्याशित भविष्य के भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में किया जाता है। इसके लिए पूर्वानुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करता है । हितलाभ को रिपोर्टिंग अवधि जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों के अनुमानित शर्तें होती हैं, के अंत में बाजार उपज का उपयोग करते हुए छूट दी जाती है। समायोजन के परिणामस्वरूप पुन: मापन और बीमांकिक पूर्वधारणाओं में परिवर्तन लाभ या हानि में स्वीकार किया जाता है। यदि संस्था को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए निपटान स्थगित करने शर्त रहित अधिकार नहीं है, दायित्वों को तुलनपत्र में वर्तमान देयताओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता हैं। इस समय वास्तविक समायोजन होने की प्रत्याश होने की उम्मीद पर ध्यान देते नहीं है।

iii. रोज़गारोत्तर दायित्व

"कंपनी निम्नलिखित रोज़गारोत्तर योजनाओं का संचालन करती है:

(क) उपदान, पेंशन, रोज़गारोत्तर चिकित्सा योजना जैसी परिभाषित हितलाभ योजनाएं; तथा

(ख) भविष्य निधि जैसी परिभाषित योगदान योजनाएं।

iv. परिभाषित हितलाभ योजनाएं

कंपनी की उपदान योजना एक परिभाषित हितलाभ योजना है। परिभाषित हितलाभ योजना रोज़गार के बाद की लाभ योजना है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी की शुद्ध दायित्व की गणना वर्तमान और पूर्व अवधि में उनकी सेवाओं के बदले में अर्जित भविष्य के लाभों की राशियों का आकलन करते हुए की जाती है।

v. परिभाषित योगदान योजनाएं

कंपनी की भविष्य निधि योजना एक परिभाषित योगदान योजना है। परिभाषित योगदान योजना रोजगार के बाद की लाभ योजना है जिसके तहत एक संस्था निश्चित योगदान देता है और आगे किसी राशि के भुगतान का कोई दायित्व नहीं होगा। परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्व जब वे देय होते हैं, को लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी हितलाभ व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

i. उपदान

उपदान रोजगार के बाद की परिभाषित हितलाभ योजना है। उपदान के संबंध में तुलन पत्र में स्वीकार की गयी देयता तुलन पत्र की तिथि पर परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है। कंपनी की देयता प्रत्येक वर्ष के अंत में वास्तविक रूप से निर्धारित होती है। पुन:मापन के माध्यम से बीमांकिक लाभ / हानि अन्य व्यापक आय में स्वीकार किया जाता है।

पेंशन और उपदान दायित्व

परिभाषित हितलाभ पेंशन और उपदान योजनाओं के संबंध में तुलन पत्र में स्वीकार की गयी देयता या संपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है जो योजना संपत्तियों के उचित मूल्य को कम करती है। परिभाषित हितलाभ दायित्व की गणना प्रतिवर्ष अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करते हुए बीमांककों द्वारा की जाती है।

भारतीय रुपए में उल्लिखित परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य को सरकारी बॉन्ड पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार उपज के संदर्भ में अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह में छूट देकर निर्धारित किया जाता है। इस बॉन्ड में संबंधित दायित्व की शर्तों के अनुमानित शर्तें हैं। लाभ जो भारतीय रुपए के अलावा अन्य मुद्रा में अंकित हैं, नकदी प्रवाह को उच्च गुणवत्ता वाले कॉरपोरेट बॉन्ड के संदर्भ में निर्धारित बाजार उपज का उपयोग करके छूट दी जाती है, जो मुद्रा में अंकित होते हैं, जिसमें लाभ का भुगतान किया जाएगा, और जिनके पास संबंधित दायित्व की शर्तों का अनुमानित शर्त है ।

निवल ब्याज लागत की गणना परिभाषित हितलाभ दायित्व के निवल बकाए और योजना संपत्तियों के उचित मूल्य पर छूट दर लागू करके की जाती है। यह लागत लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी हितलाभ व्यय में शामिल है।

समायोजन से उत्पन्न होने वाले पुन: मापन लाभ और हानि और बीमांकिक पूर्वधारणाओं में परिवर्तन को उस अवधि जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय में घटित होते हैं, में स्वीकार किया जाता है। ये इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में प्रतिधारित अर्जन और तुलनपत्र में शामिल हैं। योजना संशोधन या कटौती से उत्पन्न परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन को पिछली सेवा लागत के रूप में लाभ या हानि में तत्काल स्वीकार किया जाता हैं।

क) परिभाषित हितलाभ योजनाओं (उपदान लाभ), परिभाषित हितलाभ योजनाओं के संबंध में देयता तुलना पत्र में स्वीकार किया जाता है और योजनाबद्ध परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को कम करने के लिए रिपोर्टिंग तिथि पर परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य प्रत्याशित भविष्य के भुगतानों पर आधारित है जो रिपोर्टिंग तिथि पर निधि से प्राप्त होते हैं, जिसकी गणना सालाना बीमांककों द्वारा की जाती है। प्रत्याशित भावी वेतन स्तर और सेवा की अवधि आदि पर विचार किया जाता है।

ख) भविष्य निधि में कंपनी का योगदान प्रोद्भूत आधार पर लेख बद्ध किया जाता है।

ग) अस्थायी कर्मचारी हितलाभ को उस वर्ष जिसमें संबंधित सेवा प्रदान की जाती है, लाभ और हानि के विवरण में कटौती न की गयी राशि पर एक व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता हैं

घ) लाभप्रदता के आधार पर बोनस अधिनियम, 1965 के भुगतान के प्रावधानों के अनुसार बोनस प्रदान किया जाता है।

ङ) रोजगार के बाद और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभों को उस वर्ष जिसमें कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा प्रदान की जाती है, लाभ और हानि के विवरण में एक व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता हैं। व्यय को बीमांकिक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करते हुए निर्धारित राशि वर्तमान मूल्य पर स्वीकार किया जाता है। रोजगार के बाद और अन्य दीर्घकालिक हितलाभों से संबंधित बीमांकिक लाभ और हानि को लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित की जाती है।

वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य मापन

जब तुलन पत्र में दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्यों को सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता है, तब उनके उचित मूल्य को डीसीएफ मॉडल समेत मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करते हुए मापा जाता है। इन मॉडलों के इनपुट को जहां संभव हो, बाजार के अवलोकन से लिया जाता है, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, उचित मूल्यों की स्थापना में निर्णयों की कोटि की आवश्यकता होती है। निर्णयों में चलनिधि जोखिम, क्रेडिट जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट पर विचार शामिल हैं। इन संघटकों के बारे में पूर्वधारणाओं में परिवर्तन वित्तीय लिखतों की रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं

अप्रचलित और धीमी गति की वस्तुसूची के खिलाफ प्रावधान

कंपनी अपनी वस्तुसूची की स्थिति की समीक्षा करती है और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर अप्रचलित और धीमी गति की वस्तुसूची के मदों के खिलाफ प्रावधान करती है क्योंकि जिनकी पहचान अब बिक्री या उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर वस्तुसूची समीक्षा करती है और अप्रचलित और धीमी गति की वस्तुओं के खिलाफ प्रावधान करती है। कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर अनुमान का पुनर्मूल्यांकन करती है जिसमें धीमी गति की मालसूची 50% के लिए और अप्रचलित मदों के मामले में 100% के लिए प्रावधान है।

वित्तीय संपत्तियों की क्षति

सरकारी विभागों/कंपनियों से प्राप्य राशियों को छोडकर 3 साल से अधिक के लिए बकाया विविध देनदारों से संबंधित बहियों में संदिग्ध कर्ज/ऋण/अग्रिमों के लिए प्रावधान किया गया है। अन्य देनदारों, ऋण और अग्रिमों के संबंध में, प्रावधान उस हद तक किए जाते हैं जिन्हें प्रबंधन द्वारा वसूली योग्य नहीं माना जाता है।

गैर–वित्तीय संपत्तियों की क्षति

"कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि कोई संपत्ति खराब हो सकती है। अगर कोई संकेत मौजूद है,या जब किसी परिसंपत्ति के लिए वार्षिक हानि परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है।

एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि एक परिसंपत्ति के उचित मूल्य से अधिक होने पर निपटान की लागत और उपयोग में इसके मूल्य घटाएँ। यह व्यक्तिगत संपत्ति के लिए तब तक निर्धारित किया जाता है, जब तक कि संपत्ति नकद प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो कि अन्य संपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह से काफी हद तक स्वतंत्र होती है। जहाँ एक परिसंपत्ति की ली जाने वाली राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक है, संपत्ति को क्षति के रूप में माना जाना चाहिए और इसे इसकी वसूली योग्य राशि में कम करके लिखा गया है।

उपयोग में मूल्य का आकलन करने के लिए, अनुमानित भविष्य नकदी प्रवाह को पूर्व–कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन और संपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिम दर्शाती है। उचित मूल्य निर्धारित करने में, निपटाने की लागत कम करने, हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे कोई लेनदेन की पहचान नहीं की जा सकती है,तो उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं को मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से व्यापारिक सहायक कंपनियों के लिए उद्धृत शेयर मूल्य या अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतकों द्वारा संपुष्टि की जाती है। "

**2.2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश**

**क) चालू बनाम गैर–चालू वर्गीकरण**

"कंपनी चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्र में परिसंपत्तियों और देयताओं को प्रस्तुत करती है। एक संपत्ति को चालू के रूप में तब माना जाता है जब निम्नानुसार होता है:

- उगाही के लिए प्रत्याशित या बेचने के लिए नियत या सामान्य प्रचालन चक्र में खपत करने की गयी है,
- व्यापार के उद्देश्य के लिए मुख्य रूप से धारित,
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर वसूली के लिए प्रत्याशित है, या
- रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम बारह महीनों के लिए आदान–प्रदान या प्रतिबंधित होने के लिए उपयोग किए जाने तक नकद या नकद समकक्ष अन्य सभी संपत्तियों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

व्यापार प्राप्तियां जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने के भीतर वसूल किया जाना प्रत्याशित है, को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। 12 महीने से अधिक बकाया को केवल तब तक गैर–चालू के रूप में दिखाया जाएगा जब तक इसकी वसूली के प्रयास किए जाते हैं और यह संभावना है कि रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने के भीतर भुगतान प्राप्त किया जाएगा। इस संबंध में इकाइयों द्वारा एक न्यायिक निर्णय लिया जाएगा।

देयता चालू है जब:

- यह सामान्य परिचालन चक्र में समायोजित करने के लिए प्रत्याशित है,
- यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए धारित किया जाता है,
- यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर समायोजित करने के लिए देय है, या
- देय रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए दायित्व के समायोजन को स्थगित करने का कोई अशर्त अधिकार नहीं है, यदि कारोबार के सामान्य गति में वह खरीदे गए सामानों या प्राप्त सेवाओं के कारण होने वाली राशि के संबंध में है, तो देय को व्यापार देय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

व्यापार देय जो रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने के भीतर समायोजित करना प्रत्याशित है, चालू के रूप में दिखाया जाएगा।

कंपनी अन्य सभी देयताओं को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत करती है।

आस्थगित कर संपत्तियां और देयताओं को गैर–चालू संपत्तियों और देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

**ख) राजस्व मान्यकरण**

कंपनी रासायनिक उत्पादों के विनिर्माण से मुख्यत: राजस्व प्राप्त करती है।

1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होकर, कंपनी ने इंडएएस 115 प्रयोग किया है, जो यह निर्धारित करने के लिए कि यदि, कितना और कब राजस्व स्वीकार किया जाना है संबंधी समग्र रूपरेखा स्थापित करते हैं। इंडएएस 18 राजस्व और इंडएएस 11 संविदा निर्माण को इंडएएस 115 को प्रतिस्थापित करता है। कंपनी ने इंडएएस 115 को संचित प्रभावी विधि का उपयोग करते हुए अपनाया है। इस मानक को पहली बार प्रयोग करने का प्रभाव प्रारंभिक प्रयुक्ति तारीख (1 अप्रैल, 2018) को स्वीकार किया जाता है। कंपनी के वित्तीय विवरणों पर मानक को अपनाने का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

राजस्व को तब स्वीकार किया जाता है जब ग्राहकों को वचन दिए गए उत्पादों या सेवाओं के नियंत्रण का अंतरण उस राशि में स्वीकार किया जाता है जो प्रतिफल प्रतिबिंबित करता है जिसे उन उत्पादों या सेवाओं के लिए लेन–देन में कंपनी प्राप्त करना प्रत्याशित है।

राजस्व का मापन लेन–देन मूल्य के आधार पर किया जाता है, जो प्रतिफल है जिसका समायोजन ग्राहक के साथ किए गए करार में निर्धारितानुसार मात्रा बट्टा, सेवा स्तरीय ऋण,निष्पादन बोणस, कीमत रियायत और प्रोत्साहन यदि कोई हो तो, पर किया जाता है। राजस्व में ग्राहकों से वसूल कर शामिल नहीं है।

जैसा कि कंपनी केवल रासायनिक विनिर्माण कारोबार करती है और केवल एक स्थान से प्रचालन करती है, इसलिए भौगोलिक स्थान पर राजस्व का स्वरूप अलग–अलग होता है और औद्योगिक वर्टिकल अपेक्षित नहीं है।

नीचे दिए गए विशिष्ट स्वीकार मानदंडों को राजस्व स्वीकार करने से पहले भी पूरा किया जाना चाहिए।

उत्पादों की बिक्री

उत्पाद की बिक्री से राजस्व को तब स्वीकार किया जाता है जब माल के महत्वपूर्ण जोखिम और स्वामित्व के प्रतिफल खरीदार को अंतरित किया जाता है। उत्पाद की बिक्री से राजस्व का मापन प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर, प्रतिलाभ और भत्ते के निवल पर, व्यापार बट्टा, मात्रा घटौती पर किया जाता है।

सेवाएँ प्रदान करना जब कभी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, सेवाओं से आय को स्वीकार किया जाता है।

ब्याज आय

वित्तीय परिसंपत्ति से ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग कर स्वीकार किया जाता है। ब्याज आय लाभ और हानि विवरण में अन्य आय में शामिल है।

किराया आय

निवेश आस्तियों पर प्रचालन पट्टे से सृजित किराया आय का पट्टे शर्तो पर सीधी रेखा आधार पर हिसाब में लिया जाता है जब तक प्रत्याशित मुद्रास्फीतिकारक लागत संवृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रत्याशित सामान्य मुद्रास्फीति के साथ संवृद्धि बढ़ाने के लिए नहीं है और अपने प्रचालन स्वरूप के कारण लाभ या हानि विवरण में शामिल है।

**ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण**

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मदों जिसमें पूंजीगत कार्य प्रगति पर शामिल है को लागत, संचित मूल्यह्रास और संचित क्षति हानि के निवल, यदि कोई हो, पर प्रतिपादित किया जाता है। लागत में खरीद मूल्य और परिसंपत्ति को इनके लक्षित उपयोग के लिए अपनी कामकाजी स्थिति में लाने की कोई स्रोतजन्य लागत शामिल है। इस तरह की लागत में संयंत्रों और उपकरणों के घटक बदलने और यदि स्वीकार मानदंडों को पूरा किया जाता है,तो लंबी अवधि की निर्माण परियोजनाओं के लिए उधार लागत भी शामिल है।

निश्चित आस्तियों के एक मद से संबंधित अनुवर्ती व्यय को इनकी बही मूल्य में केवल तब जोड़ा जाता है यदि मौजूदा संपत्ति से भविष्य के लाभ उसके पहले मूल्यांकन किए गए कार्य निष्पादन मानक से परे बढ़ जाता है। जब संयंत्र और उपकरणों के महत्वपूर्ण घटकों को अंतराल पर प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होती है, तो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्धारितानुसार कंपनी अपने विशिष्ट उपयोगी जीवन के आधार पर उन्हें अलग मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। अन्य सभी मरम्मत और रख-रखाव लागत को लाभ या हानि के विवरण में जब कभी घटित होती है, स्वीकार किया जाता है। निश्चित आस्तियों में जोड़/से हटाने के संबंध में, परिसंपत्तियों के अतिरिक्त/जोड़/हटाने के संदर्भ में प्रो–रेटा आधार पर मूल्यह्रास आस्तियों की जोड़/हटाने माह के संदर्भ में प्रदान किया जाता है।

प्रबंधन का मानना है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार अनुमानित उपयोगी जीवन काल यथार्थवादी है और उस अवधि के उचित अनुमान को दर्शाता है जिस पर परिसंपत्तियों का उपयोग किए जाने की संभावना है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति के उपयोगी जीवन की समीक्षा करती है और इन पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप भविष्य की अवधि में मूल्यह्रास व्यय में परिवर्तन हो सकता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के लिए मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया जाता ताकि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर लागत कम अवशेष मूल्य का व्यय किया जा सके जो निम्नानुसार है:

1) भवन : 3/5/30/60 वर्ष
2) संयंत्र और उपकरण: 10/12/15/20 वर्ष
3) फर्नीचर और फिक्स्चर: 10 साल
4) वाहन: 8/10 वर्ष
5) कार्यालय उपकरण: 3/5/6/8 वर्ष
6) अमूर्त संपत्ति: 5 वर्ष

निश्चित परिसंपत्तियों के मदों जिन्हें सक्रिय उपयोग से मुक्त किए गए और निपटान के लिए रखी गयी है, का मूल्यन उनके निवल बही मूल्य या निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है। ”

**निवेश परिसंपत्तियाँ**

कंपनी रखाव लागत का उपयोग निवेश परिसंपत्तियों के मानित लागत के रूप में करता है। परिसंपत्ति में निवेश जिसका मूलत: कंपनी द्वारा उपयोग के लिए या प्रचालन में अधिकृत करने के लिए नियत नहीं है, को निवेश परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निवेश परिसंपत्तियों का मापन प्रारंभ में लेन–देन लागत और जहाँ लागू हो, उधार लागत सहित इनके लागत पर किया जाता है। प्रारंभिक मान्यकरण के फलस्वरूप, निवेश परिसंपत्तियों को लागत कम संचित मूल्यह्रास और संचित क्षति हानि यदि कोई हो तो, में प्रतिपादित है। अनुवर्ती लागत को परिसंपत्ति की वहनीय राशि या अलग परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार जो भी उपयुक्त हो, में तब शामिल किया जाता है जब यह संभाव्य है कि मद के साथ संबद्ध भावी आर्थिक फायदाएँ कंपनी में आ जाएगी और मद की लागत

का मापन विश्वसनीय रूप से किया जा सकता है। सभी अन्य मरमत्त और अनुरक्षण को रिपोर्टिंग अवधि जिसमें यह उपगत है, के दौरान लाभ या हानि में किया जाता है।

यद्यपि कंपनी निवेश परिसंपत्ति का मापन लागत आधारित मापन का उपयोग कर किया जाता है, निवेश परिसंपत्ति का उचित मूल्य टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है। उचित मूल्य का निर्धारण मान्यता प्राप्त बाहरी स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा किए गए वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

कंपनी अपनी निवेश परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास इनके उपयोगी जीवन काल पर किया जाता है जो परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण के समान है।

निवेश परिसंपत्तियों का अमान्यकरण या तो जब उनका निपटान किया गया है या जब उन्हें उपयोग से स्थायी रूप से वापस किया जाता है और उनके निपटान से कोई भावी आर्थिक फायदा प्रत्याशित नहीं है। परिसंपत्तियों के निवल निपटान प्राप्तियों और वहनीय राशि के बीच अंतर को अमान्यकरण की अवधि में लाभ या हानि में स्वीकार किया जाता है।

**घ) बिक्री के लिए रखी गयी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण**

बिक्री के लिए रखी गयी के रूप में वर्गीकृत गैर–चालू परिसंपत्तियों या निपटान समूहों का मापन वहनीय राशि से कम और बिक्री के लिए लागत घटा उचित मूल्य पर किया जाता है।

गैर–चालू परिसंपत्तियों या निपटान समूहों को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उनकी वहनीय राशियों को मुख्य रूप से निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री लेन-देन के माध्यम से वसूल की जाएगी। इस स्थिति को केवल तभी पूरा किया माना जाता है जब बिक्री अत्यधिक संभव हो और संपत्ति या निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, केवल ऐसी शर्तों के अधीन कि ऐसी संपत्तियों की बिक्री के लिए सामान्य और परंपरागत है। प्रबंधन को बिक्री के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, जिसे बिक्री के लिए धारित वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूर्ण बिक्री के रूप में स्वीकार के लिए अर्हता प्राप्त करने की प्रतीक्षा की जानी चाहिए और बिक्री की योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यों से यह संकेत मिलता है कि यह संभव नहीं है कि योजना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाएंगे या योजना वापस ले ली जाएगी।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों को बिक्री के लिए रखी गयी रूप में वर्गीकृत करने के बाद मूल्यह्रास या परिशोधित नहीं किया जाता है।

पट्टे की अवधि में पट्टे में सुधार

पट्टेवाली भूमि:

पट्टेवाली भूमि पर भुगतान किए गए पट्टे प्रीमियम का परिशोधन पट्टे के जीवनकाल में किया जाता है। , परिसंपत्ति,संयंत्र और उपकरणों के अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन काल और मूल्यह्रास के तरीकों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो भविष्यलक्षी प्रभाव से समायोजित किया जाता है।

**ङ) अमूर्त परिसंपत्तियां**

i) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और एसएपी लाइसेंस लागत शामिल अमूर्त परिसंपत्तियों को अधिग्रहण की तारीख से सीधी रेखा आधार (एसएलएम) पर 5 साल की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

ii) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

अलग से अधिग्रहित अमूर्त संपत्तियों को लागत पर प्रारंभिक स्वीकार पर मापा जाता है। प्रारंभिक स्वीकृति के बाद, निश्चित जीवन सहित अमूर्त संपत्तियों को किसी भी संचित परिशोधन और संचित क्षति नुकसान से कम लागत पर ले लिया जाता है। पूंजीकृत विकास लागत को छोड़कर, आंतरिक रूप से सृजित किए गए अमूर्त परिसंपत्तियों को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उस अवधि जिसमें व्यय उपगत किया गया है, की लाभ या हानि में संबंधित व्यय परिलक्षित होता है। एक निश्चित उपयोगी जीवन काल सहित अमूर्त परिसंपत्ति के लिए परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है।

अमूर्त परिसंपत्ति के अमान्यकरण से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि का मापन निवल प्राप्त राशि और परिसंपत्ति की वहनीय राशि के बीच अंतर के रूप में किया जाता है और संपत्ति को जब आमान्य किया जाता है तब लाभ या हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है। अनुसंधान लागत को उपगत किए जाने पर व्यय किया जाता है। व्यक्तिगत परियोजना पर विकास व्यय को एक अमूर्त संपत्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है जब कंपनी उपयोग या बिक्री के लिए उपलब्ध परिसंपत्ति की तकनीकी और वाणिज्यक व्यवहार्यता का प्रदर्शन कर सकती है।

एक परिसंपत्ति के रूप में विकास व्यय की प्रारंभिक पहचान के बाद, परिसंपत्ति को लागत घटा किसी भी संचित परिशोधन और संचित क्षति नुकसान पर ले लिया जाता है। परिसंपत्ति का परिशोधन तब शुरू होता है जब विकास पूरा हो जाता है और परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है। यह भविष्य के प्रत्याशित लाभ की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है। परिशोधन व्यय को लाभ और हानि के विवरण में तब तक पहचाना जाता है जब तक इस तरह के व्यय किसी अन्य परिसंपत्ति के वहनीय मूल्य का हिस्सा बनता है।

**च) उधार लागत**

उधार लेने की लागत सीधे उस परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए जिम्मेदार है जो, इनके लक्षित उपयोग के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त समयावधि अवश्य लेता है और बिक्री परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत की जाती है। सभी अन्य उधार लेने की लागत को उस अवधि में व्यय होती है जिसमें वे घटित होते हैं। उधार लेने की लागत में ब्याज और अन्य लागत शामिल होती है जो संस्था निधि के उधार के संबंध में उपगत करती है। उधार लागत में उधार लेने की लागत में समायोजन के रूप में माने जाने वाला हद तक विनिमय का अंतर भी शामिल है।

**छ) विदेशी मुद्रा लेन-देन और शेष राशि**

विदेशी मुद्रा में लेन-देन को लेन-देन की तारीख पर विनिमय दर लागू करते हुए दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा में मौद्रिक परिसंपत्तियां और लेन-देन को लेन-देन की तारीख पर विनिमय दर लागू कर दर्ज किया जाता है। वर्ष के अंत में समायोजन किए बिना शेष विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं का तुलन पत्र की तिथि पर विद्यमान अंतिम दर पर परिवर्तित किया जाता है। गैर–मौद्रिक मदों जिसे विदेशी मुद्रा में अंकित ऐतिहासिक लागत के अनुसार लिया जाता है, को लेनदेन की तारीख पर विनिमय दर का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है। उपरोक्त के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को लाभ और हानि के विवरण में आय या व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है। मौद्रिक मदों के समायोजन पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों, उस दर से जो वर्ष के दौरान प्रारम्भ में दर्ज किया गया था, या पिछले वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट की गई थी, को उस वर्ष में जहाँ वे उत्पन्न होते हैं, आय या व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है। विदेशी मुद्रा उधार पर विदेशी मुद्रा अंतर, दिये गए ऋण, उधार संबंधी व्युत्पन्न अनुबंध पर समायोजन लाभ/हानि और उचित मूल्य लाभ/हानि का लेखा किया जाता है और वित्तीय लागत के अधीन प्रकट किया जाता है। इस तरह के विनिमय अंतर में विदेशी मुद्रा अंतर शामिल नहीं है जिसका संबंध उधार लागत के समायोजन और परिसंपत्तियों की लागत के साथ पूंजीकृत के रूप में माना जाता है।

**ज) उचित मूल्य मापन**

"कंपनी पोर्टफोलियो आधार पर प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर उचित मूल्य पर डेरिवेटिव जैसे वित्तीय लिखतों का मापन करती है। उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या मापन की तारीख पर बाजार प्रतिभागियों के बीच व्यवस्थित लेन-देन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। उचित मूल्य मापन इस धारणा पर आधारित है कि परिसंपत्ति बेचने के लिए लेन-देन या देयता का अंतरण के लिए परिसंपत्ति या देयता के लिए मुख्य बाजार में होता है, या किसी प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे अधिक फायदेमंद बाजार में होता है। प्रमुख या सबसे फायदेमंद बाजार पर कंपनी द्वारा पहुँच होना चाहिए। परिसंपत्ति या देयता का उचित मूल्य उन पूर्वधारणाओं का उपयोग करके मापा जाता है कि जब परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय बाजार प्रतिभागियों का उपयोग इस धारणा के साथ किया जाएगा कि बाजार प्रतिभागी अपने सर्वोत्तम आर्थिक

हित में कार्य करते हैं। गैर–वित्तीय परिसंपत्ति का उचित मूल्य का मापन परिसंपत्ति का उपयोगा अपने उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग द्वारा आर्थिक लाभ सृजित करने में बाजार प्रतिभागी की क्षमता को ध्यान में रखता है या किसी अन्य बाजार प्रतिभागी को बेचकर करता है। वे इस परिसंपत्ति का उपयोग अपने उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग में किया जाएगा। कंपनी परिस्थितियों में उपयुक्त मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है और जिसके लिए उचित मूल्य मापने के लिए पर्याप्त डेटा, प्रासंगिक अवलोकन इनपुट के उपयोग को अधिकतम करने और अनावश्यक इनपुट के उपयोग को कम करने के लिए उपलब्ध हैं। सभी परिसंपत्तियों और देयताओं जिसके लिए उचित मूल्य का मापन या प्रकटन वित्तीय विवरणों में किया जाता है, को उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया गया है। निम्नतम स्तर इनपुट जो समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है, के आधार पर निम्नानुसार वर्णित है

स्तर 1 - "समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार की कीमतें "

स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर इनपुट प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देखने योग्य है

स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर इनपुट जो उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है देखने योग्य नहीं है।

आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकार की गयी परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए कंपनी निर्धारित करती है कि क्या अंतरण प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण (समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर इनपुट के आधार पर) का पुनर्मूल्यांकन करके पदानुक्रम में स्तरों के बीच घटित हुआ है। उचित मूल्य प्रकटीकरण के प्रयोजन के लिए, कंपनी ने संपत्ति या देयताओं की प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों और उपरोक्त वर्णितानुसार उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देयताओं के वर्ग निर्धारित किए हैं।

यह नोट उचित मूल्य के लिए लेखांकन नीति का सारांश देता है। अन्य उचित मूल्य से संबंधित प्रकटीकरण प्रासंगिक नोट्स में दिए गए हैं।

**झ) पट्टे**

"एक व्यवस्था (या निहित) क्या पट्टा है, का निर्धारण पट्टे की शुरुआत में व्यवस्था के पदार्थ पर आधारित है। एक व्यवस्था पट्टे है या निहित है, अगर व्यवस्था की पूर्ति विशिष्ट परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के उपयोग पर आश्रित है पट्टे की व्यवस्था पर निर्भर है और व्यवस्था संपत्ति या परिसंपत्तियों का उपयोग करने का अधिकार बताती है, भले ही वह अधिकार किसी व्यवस्था में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट न हो।

1 अप्रैल 2015 से पहले की व्यवस्था के लिए, कंपनी ने यह निर्धारित किया है कि क्या व्यवस्था में परिवर्तन की तिथि पर विद्यमान तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर पट्टा शामिल है । "

एक पट्टेदार के रूप में कंपनी

"एक पट्टे को शुरू होने की तारीख में वित्तीय पट्टे या एक प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक पट्टा जो सभी जोखिमों और आकस्मिक प्रतिफल को कंपनी के स्वामित्व के लिए आनुपातिक रूप से अंतरित करता है, को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वित्त पट्टे को पट्टे संपत्ति के उचित मूल्य या यदि निम्न है तो न्यूनतम पट्टे भुगतान के वर्तमान मूल्य पर आरंभिक तिथि पट्टे की शुरुआत में पूंजीकृत किया जाता है। पट्टे भुगतानों को वित्त शुल्कों और पट्टे देयता में कटौती के बीच विभाजित किया जाता है ताकि देयता के शेष बकाए पर ब्याज की निरंतर दर प्राप्त हो सके। वित्त शुल्क को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत में स्वीकार किया जाता है, जब तक कि वे योग्यताप्राप्त परिसंपत्तियों के लिए सीधे लाभ नहीं दे रहे हैं, इस मामले में उन्हें उधार लेने की लागत पर कंपनी की सामान्य नीति के अनुसार पूंजीकृत किया जाता है। आकस्मिक किराया उन अवधि में , जिनमें वे खर्च किए जाते हैं व्यय के रूप में स्वीकार किए जाते हैं । पट्टे पर परिसंपत्ति का मूल्यह्रास परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन काल में किया जाता है। हालांकि , अगर कोई उचित निश्चितता नहीं है कि कंपनी पट्टे अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करेगी, परिसंपत्ति का मूल्यह्रास संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन काल पर कम और लीज अवधि पर किया जाता है।

परिचालित पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है। "

पट्टेदार के रूप में कंपनी

"पट्टे जिसमें कंपनी परिसंपत्तियों के स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित नहीं करती है, को परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टे से किराए आय संगत पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को पर्याप्त रूप से कंपनी से पट्टेदार को हस्तांतरित करती है। वित्त पट्टे के तहत पट्टेदार से देय राशियों को पट्टे पर कंपनी के निवल निवेश पर प्राप्य के रूप में दर्ज किया जाता है। वित्त पट्टे की आय लेखांकन अवधि के लिए आबंटित की जाती है ताकि पट्टे के संबंध में बकाया निवल निवेश पर निरंतर आवधिक दर को प्रतिबिंबित किया जा सके।"

**झ) माल सूची**

(i) भंडार और पुर्जे, पैकिंग सामग्री और कच्चे सामग्रियों का मूल्यन लागत से कम या निवल प्राप्य मूल्य पर किया जाता है और इस उद्देश्य के लिए, लागत का निर्धारण चल भारित औसत के आधार पर किया जाता है। हालांकि, उपर्युक्त वस्तुओं का मूल्यन लागत से कम नहीं किया जाता है यदि तैयार उत्पादों जिसमें उन्हें शामिल किया जाना है, को लागत पर या उससे ऊपर बिक्री करना प्रत्याशित है।

(ii) अर्द्ध तैयार उत्पादों, तैयार उत्पादों और उप–उत्पादों का मूल्यन लागत से कम या निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है और इस उद्देश्य के लिए, मानक लागत के आधार पर लागत निर्धारित की जाती है जो वास्तविक लागत का अनुमान लगाती है। तैयार माल की लागत में यथा लागू उत्पाद शुल्क शामिल है। भिन्नता, असामान्य रूप से कम मात्रा और प्रचालन निष्पादन के अनन्य, को माल सूची में समायोजित किया जाता है।

(iii) उपोत्पादों का मूल्य अनुमानित निवल वसूलीयोग्य मूल्य पर किया जाता है।

(iv) ट्रेड किए गए सामान का मूल्यन लागत के कम और निवल प्राप्य मूल्य पर किया जाता है। लागत में खरीद की लागत और माल सूचियों को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में उपगत अन्य लागत शामिल हैं। लागत भारित औसत आधार पर निर्धारित की जाती है।

निवल वसूली योग्य मूल्य का निर्धारण व्यापार की सामान्य गति में अनुमानित बिक्री मूल्य, पूरा होने की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत घटाकर किया जाता है। "

**ट) गैर–वित्तीय संपत्तियों की क्षति**

"प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, कंपनी किसी परिसंपत्ति खराब होने के संकेत का आकलन करती है। यदि कोई संकेत मौजूद है, या जब किसी परिसंपत्ति के लिए वार्षिक क्षति परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि किसी परिसंपत्ति या नकद उत्पन्न करने वाली इकाई (सीजीई) निपटान के उचित मूल्य घटा लागत और उपयोग में इसके मूल्य की तुलना में अधिक है। वसूली योग्य राशि एक व्यक्तिगत संपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि संपत्ति नकद प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो उन अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह से काफी हद तक स्वतंत्र है । जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहनीय राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो परिसंपत्ति को क्षत के रूप माना जाता है और इसकी वसूली योग्य राशि पर बट्टे खाते डाला जाता है।

उपयोग में मूल्य के निर्धारण के लिए, अनुमानित भविष्य नकदी प्रवाह को पूर्व–कर छूट दर का उपयोग करते हुए उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार के आकलन को दर्शाती है। निष्पक्ष मूल्य को निपटाने की कम लागत निर्धारित करने में, हाल के बाजार लेन-देन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे कोई लेन-देन की पहचान नहीं की जा सकती है,

तो उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं को मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से व्यापार की गई कंपनियों या अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतकों के लिए उद्धृत शेयर मूल्यों द्वारा संपुष्टि की जाती है। "

साख को छोड़कर परिसंपत्तियों के लिए, यह निर्धारित करने के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक मूल्यांकन किया जाता है कि क्या पहले स्वीकृत क्षति नुकसान मौजूद नहीं है या कम हो गई है संबंधी संकेत है। यदि ऐसा संकेत मौजूद है, तो कंपनी परिसंपत्ति या सीजीयू की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। चूंकि पिछले क्षति नुकसान स्वीकृत किया गया,परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की गई धारणाओं में कोई बदलाव आया हो तो तब पहले स्वीकृत क्षति नुकसान को उलट देता है। यह उलट सीमित है ताकि परिसंपत्ति की वहनीय राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक न हो, न ही निर्धारित होने वाली वहनीय राशि से अधिक हो, मूल्यह्रास के निवल, पिछले वर्षों में परिसंपत्ति के लिए कोई क्षति नुकसान स्वीकृत किया गया है। इस तरह के उलटे को लाभ या हानि के विवरण में स्वीकृत है। जब सीजीयू की वसूली योग्य राशि इसकी वहनीय राशि से कम है, तो एक क्षति नुकसान स्वीकार किया जाता है।

**ठ) प्रावधान,आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां**

कंपनी को जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, तब प्रावधानों को स्वीकार किया जाता है, यह संभव है कि आर्थिक लाभों को जोड़ने वाले संसाधनों का प्रवाह दायित्व समायोजित करने के लिए आवश्यक होगा और दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान बनाया जा सकता। जब कंपनी को कुछ या सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की प्रतीक्षा है, उदाहरण के लिए, बीमा अनुबंध के तहत, प्रतिपूर्ति को अलग परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन केवल तभी जब प्रतिपूर्ति लगभग निश्चित होती है। प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ और हानि विवरण में किसी प्रतिपूर्ति के निवल में प्रस्तुत किया जाता है। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव सामग्री है, तो प्रतिबिम्बित मौजूदा कर–पूर्व दर का उपयोग करके प्रावधानों को छूट दी जाती है जो उचित होने पर, उत्तरदायित्व के लिए विशिष्ट जोखिम दर्शाती है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक तुलन पत्र पर प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

पिछली देयताओं से उत्पन्न संभावित दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देयताओं को प्रकट किया जाता है और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाएँ घटने या न घटने द्वारा की जाएगी। यह पूरी तरह से उद्यम के नियंत्रण में नहीं, या एक वर्तमान दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है लेकिन यह स्वीकार नहीं किया जाता है क्योंकि या तो यह संभव नहीं है कि आर्थिक लाभों को जोड़ने वाले संसाधनों का प्रवाह दायित्व को समायोजित करने के लिए आवश्यक होगा, या दायित्व की राशि के विश्वसनीय अनुमान नहीं बनाया जा सकता है।

**ड) वित्तीय लिखत**

"एक वित्तीय लिखत कोई अनुबंध है जो एक संस्था की वित्तीय परिसंपत्ति और अन्य संस्था की वित्तीय देयता या इक्विटी लिखत को ब?त देता है।

वित्तीय परिसंपत्तियां

प्रारंभिक स्वीकृति और मापन

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य पर स्वीकार किया जाता है, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किए गए वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, लेन-देन लागत जो वित्तीय संपत्ति के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार होती है।

परिशोधित लागत पर ऋण लिखत

यदि 9निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा किया जाता है तो एक "ऋण लिखत "को अपनी परिशोधित लागत पर मापा जाता है:

क) परिसंपत्ति एक व्यापार मॉडल के भीतर धारित की जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए संपत्तियां को धरना है, और

ख) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाहों के लिए निर्दिष्ट तिथियों जो बकाया मूल राशि पर केवल मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान पर वृद्धि देती है।

प्रारंभिक मापन के बाद, इस तरह की वित्तीय संपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) तरीके का उपयोग करते हुए लागत में मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और फीस या लागत पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का एक अभिन्न हिस्सा हैं। ईआईआर परिशोधन लाभ या हानि के विवरण में अन्य आय में शामिल है। क्षति से उत्पन्न होने वाले नुकसान को लाभ या हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है। "

एफवीटीओसीआई में कर्ज़ लिखत

यदि निम्नलिखित दोनों मानदंडों को पूरा किया जाता है तो एक कर्ज़ लिखत को एफवीटीओसीआई में वर्गीकृत किया जाता है:

क) व्यापार मॉडल का उद्देश्य अनुबंधित नकद प्रवाह एकत्र कर और वित्तीय संपत्तियों को बेचकर दोनों हासिल किया जाता है, और

ख) परिसंपत्ति के संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के भीतर शामिल कर्ज़ लिखतों का मापन प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किया जाता है। उचित मूल्य उतार–चढ़ाव का अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता हैं। हालांकि, कंपनी लाभ और हानि में ब्याज आय, क्षति नुकसान और रिवर्सल और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को मान्यता देती है। परिसंपत्ति के अमान्यकरण पर, ओसीआई में पहले स्वीकृत संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ और हानि में पुन: वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई कर्ज़ लिखत धारण करते समय अर्जित ब्याज को ईआईआर तरीके का उपयोग कर ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है। "

एफवीटीपीएल पर कर्ज़ लिखत

एफवीटीपीएल कर्ज़ लिखतों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी कर्ज़ लिखत, जो परिशोधित लागत पर या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा, कंपनी कर्ज़ लिखत को नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफवीटीपीएल के जैसे परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मानदंडों को पूरा करती है। हालांकि, इस तरह के चुनाव को केवल तभी अनुमति दी जाती है जब ऐसा करने से मापन या स्वीकृत असंगतता (जिसे 9लेखांकन विसंगति" कहा जाता है) को कम या समाप्त किया जाता है।

कंपनी ने एफवीटीपीएल के रूप में कुछ कर्ज़ लिखत को नामित किया है। एफवीटीपीएल श्रेणी के भीतर शामिल कर्ज़ लिखत का मापन लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तन सहित किया जाता है ।

इक्विटी निवेश

इंड एएस 109 के दायरे में सभी इक्विटी निवेशों का उचित मूल्य पर मापा जाता है। व्यापार के लिए रखी गयी इक्विटी लिखतों को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी इक्विटी लिखतों के लिए, कंपनी उचित मूल्य में अन्य व्यापक आय के बाद के परिवर्तनों में शामिल होने के लिए एक अपरिवर्तनीय चुनाव कर सकती है। कंपनी इस तरह के चुनाव को लिखत–दर–लिखत आधार पर बनाती है। वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति पर किया जाता है और अपरिवर्तनीय है। अगर कंपनी एफवीटीओसीआई के रूप में एक इक्विटी लिखत वर्गीकृत करने का फैसला करती है,तो लाभांश को छोड़कर लिखत पर सभी उचित मूल्य परिवर्तन को ओसीआई में स्वीकार किया जाता है। निवेश की बिक्री होने पर भी ओसीआई से लाभ और हानि के विवरण तक राशियों में पुन:चक्रण नहीं है। हालांकि, कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है। एफवीटीपीएल श्रेणी के भीतर शामिल इक्विटी लिखतों का मापन लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर किया जाता है।

अमान्यकरण

"एक वित्तीय संपत्ति (या,जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों की एक कंपनी का हिस्सा) मुख्य रूप से अमान्य किया जाता है (यानी कंपनी के तुलन पत्र से हटा जाता है) जब:

परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो गए हैं, या

कंपनी ने परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या "प्रभाव अंतरण पास–थ्रू" व्यवस्था के तहत किसी तीसरी पार्टी को भौतिक देरी के बिना पूरी तरह से प्राप्त नकद प्रवाह का भुगतान करने का दायित्व संभाला है; और या तो (क) कंपनी ने संपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कारों को स्थानांतरित कर दिया है, या (ख) कंपनी ने न तो हस्तांतरित किया है और न ही परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को बरकरार रखा है, लेकिन परिसंपत्ति के नियंत्रण को स्थानांतरित कर दिया है।

जब कंपनी ने किसी परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के लिए अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या अंतरण प्रभाव व्यवस्था में प्रवेश किया है, तो यह मूल्यांकन करता है कि उसने कितनी हद तक स्वामित्व के जोखिम और प्रतिफल बनाए रखा है। जब उसने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और प्रतिफलों न तो हस्तांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, न ही परिसंपत्ति का हस्तांतरण नियंत्रण किया है, कंपनी की निरंतर भागीदारी की हद तक स्थानांतरित परिसंपत्ति को स्वीकार करना कंपनी जारी रहेगी। उस स्थिति में, कंपनी एक संबंधित देयता को स्वीकार करती है। अंतरित परिसंपत्ति और संबंधित देयता को उस आधार पर मापा जाता है जो कंपनी के अधिकारों और दायित्वों को प्रतिबिंबित करता है। निरंतर भागीदारी जो अंतरित परिसंपत्ति पर गारंटी का रूप लेती है, परिसंपत्ति की मूल वहनीय राशि से कम और विचार की अधिकतम राशि पर मापा जाता है जिसे कंपनी को चुकाने की आवश्यकता हो सकती है। "

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

"इंड एएस 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और क्रेडिट जोखिम एक्सपोज़र पर क्षति के मापन और स्वीकार के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है:

क) वित्तीय परिसंपत्तियां जो कर्ज़ लिखत होते हैं,और परिशोधित लागत पर मापा जाता है, जैसे ऋण, कर्ज़ प्रतिभूतियां, जमाराशियाँ, व्यापार प्राप्तियां और बैंक शेष।

ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जो कर्ज़ लिखत हैं और मापन एफवीटीओसीआई के रूप में किया जाता है

ग) इंड एएस 17 के तहत पट्टे प्राप्तियां

घ) नकद प्राप्त करने के लिए व्यापार प्राप्तियां या किसी अनुबंधिक अधिकार या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो लेन-देन से होता है, इंड एएस 18 के दायरे के भीतर हैं (जिसे इन वित्तीय विवरणों में 'अनुबंध राजस्व प्राप्तियां' कहा जाता है)

ङ) वित्तीय गारंटी अनुबंध जो एफवीटीपीएल के रूप में नहीं मापा जाता है

कंपनी क्षति नुकसान भत्ता को स्वीकार करने के लिए 9सरलीकृत दृष्टिकोण" का पालन करती है:

व्यापार प्राप्तियां और अन्य प्राप्तियां

सरलीकृत दृष्टिकोण के प्रयोग के लिए कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों का पता लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, इनकी प्रारंभिक स्वीकार से, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आजीवन ईसीएल के आधार पर क्षति हानि भत्ता को स्वीकार किया जाता है। अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और जोखिम एक्सपोज़र पर क्षति स्वीकार करने के लिए, कंपनी निर्धारित करती है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो 12 महीने के ईसीएल का उपयोग क्षति नुकस्सन के लिए किया जाता है।

फिर भी, अगर क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तो जीवनकाल ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि, बाद की अवधि में, लिखत की क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार होता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, तो संस्था 12 महीने के ईसीएल के आधार पर हानि नुकसान भत्ता को स्वीकार के लिए वापस करती है।

आजीवन ईसीएल एक वित्तीय लिखत के प्रत्याशित जीवन पर सभी संभावित चूक घटनाओं के परिणामस्वरूप प्रत्याशित क्रेडिट नुकसान है। 12 महीने का ईसीएल आजीवन ईसीएल का हिस्सा है जो रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीने के भीतर संभाव्य चूक घटनाओं से होता है।

ईसीएल वह अंतर है जो संविदा के अनुसार कंपनी को देय सभी संविदात्मक नकद प्रवाहों और संस्था प्राप्त करने के लिए प्रत्याशित सभी नकद प्रवाह (यानी, सभी नकद कमी) के बीच अंतर है, जो मूल ईआईआर पर छूट दी जाती है। नकदी प्रवाह का अनुमान लगाते समय, संस्था को विचार करने की आवश्यकता होती है:

वित्तीय लिखत के प्रत्याशित जीवनकाल पर वित्तीय लिखत (पूर्व भुगतान, विस्तार, कॉल और इसी तरह के विकल्प सहित) की सभी संविदात्मक शर्तें। हालांकि, दुर्लभ मामलों में जब एक वित्तीय लिखत के प्रत्याशित जीवनकाल को विश्वसनीय रूप से अनुमानित नहीं किया जा सकता है, तो संस्था को वित्तीय लिखत की शेष संविदात्मक अवधि का उपयोग करने की आवश्यकता होती है।

धारित संपार्श्विक की बिक्री या अन्य क्रेडिट वृद्धि की बिक्री से जो नकद प्रवाह होता है वह संविदात्मक शर्तों के अभिन्न हिस्सा है। वित्तीय परिसंपत्तियां का मापन परिशोधित लागत, संविदात्मक राजस्व प्राप्तियां और पट्टे प्राप्तियां के रूप में किया जाता है। ईसीएल को तुलन पत्र में उन संपत्तियों के मापन के एक अभिन्न हिस्से के रूप में भत्ता में प्रस्तुत किया जाता है। भत्ता निवल वहनीय राशि को कम कर देता है। जब तक परिसंपत्ति बट्टे खाते मानदंडों को पूरा नहीं करती है, तब तक कंपनी सकल वहनीय राशि से क्षति भत्ता को कम नहीं करती है। "

**ढ़) वित्तीय देयताएं**

प्रारंभिक मान्यकरण और मापन

वित्तीय देयताओं को प्रारंभिक स्वीकृति पर, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर, ऋण और उधार, या देय यथा उपयुक्त हो, वित्तीय देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सभी वित्तीय देयताओं को प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य पर स्वीकार किया जाता है और ऋण एवं उधार और देय के मामले में, सीधे स्रोतजन्य लेन-देन लागतों के निवल पर किया जाता है। कंपनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार और अन्य देय राशियाँ, ऋण और उधार शामिल हैं जिनमें बैंक ओवरड्राफ्ट, वित्तीय गारंटी, संविदा और व्युत्पन्न वित्तीय लिखत भी शामिल हैं।

अनुवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं का मापन नीचे वर्णितानुसार उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है,:

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर नामित व्यापार और वित्तीय देयताओं के लिए धारित वित्तीय देयताएं शामिल हैं। वित्तीय देयताओं को यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य के लिए उपगत किए जाते हैं, तो व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज व्युत्पन्न वित्तीय लिखत भी शामिल हैं जिन्हें इंड एएस 109 द्वारा परिभाषितानुसार हेड्ज संबंधों में हेड्जिंग लिखत के रूप में नामित नहीं किया जाता है। व्यापार के लिए धारित देयताओं पर लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता हैं।

ऋण और उधार

यह ऐसी श्रेणी है जो कंपनी के लिए सबसे प्रासंगिक है। प्रारंभिक स्वीकृति के बाद, ब्याज–युक्त ऋण और उधार को बाद में ईआईआर विधि का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत में मापा जाता है। लाभ और हानि को तब लाभ या हानि में स्वीकार किया जाता है जब देयताओं का अमान्यकरण ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और फीस या लागत पर

किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का एक अभिन्न हिस्सा हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार पर लागू होती है।

वित्तीय गारंटी संविदाएं

कंपनी द्वारा ज़ारी वित्तीय गारंटी संविदाएं उन संविदाओं के लिए हैं जिन्हें धारक को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रतिपूर्ति करने के लिए भुगतान की आवश्यकता होती है क्योंकि निर्दिष्ट देनदार ऋण लिखत की शर्तों के अनुसार जब देय होने पर भुगतान करने में विफल रहता है। वित्तीय गारंटी संविदाओं को प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य पर देयता के रूप में स्वीकार किया जाता हैं, गारंटी निर्गम के लिए सीधे संबंध लेन–देन लागतों के लिए समायोजित करते हैं। इसके बाद, देयता को इंड एएस 109 की क्षति आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित हानि भत्ता की राशि से उच्चतम स्तर पर मापा जाता है और राशि का मापन संचयी परिशोधन घटाकर किया जाता है।

अमान्यकरण

वित्तीय देयता को अमान्य तब किया जाता है जब देयता के तहत दायित्व को मुक्त या रद्द या समाप्त किया जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को एक ही ऋणदाता से दूसरे रूप में अलग–अलग शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है, या मौजूदा देयता की शर्तों को काफी संशोधित किया जाता है, तो इस तरह के एक विनिमय या संशोधन को मूल देयता की अमान्यकरण और नयी देयता के मान्यकरण के रूप में माना जाता है। संबंधित वहनीय राशियों में अंतर को लाभ और हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है।

वित्तीय लिखतों की बराबरी (ऑफसेटिंग)

वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं बराबर (ऑफसेट) किया जाता हैं और स्टैंडअलोन तुलन पत्र में निवल राशि की रिपोर्ट दी जाती है यदि स्वीकार की गयी राशियों को बराबर (ऑफसेट) करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है और एक साथ परिसंपत्तियों की वसूली करने और देयताओं के समायोजन के लिए निवल आधार पर समायोजित करने का उद्देश्य है ।

**ण) व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों**

प्रारंभिक स्वीकृति और अनुवर्ती मापन, कंपनी वायदा मुद्रा संविदा, पूर्ण मुद्रा स्वैप और ब्याज दर स्वैप संविदाओं का क्रमश: अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों और ब्याज दर के जोखिमों को संभालने के लिए व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों का उपयोग करती है। इस तरह के व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों को शुरुआत में उचित मूल्य पर उस तिथि को स्वीकार किया जाता है जिसपर एक व्युत्पन्न संविदा में प्रवेश किया गया है और बाद में उचित मूल्य पर फिर से मापा जाता है। व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) को वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में ली जाती हैं जब उचित मूल्य सकारात्मक होता है और वित्तीय देयताओं के रूप में ली जाती हैं जब उचित मूल्य नकारात्मक होता है।

**त) नकद और नकदी समतुल्य**

तुलन पत्र में नकद और नकदी समतुल्य में बैंकों और हाथों में नकदी और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमाराशियाँ शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं। नकद प्रवाह के विवरण के प्रयोजन के लिए, नकद और नकदी समतुल्य में ऊपर परिभाषितानुसार नकदी और अल्पकालिक जमाराशियाँ, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट के निवल शामिल हैं क्योंकि उन्हें कंपनी के नकद प्रबंधन का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है।

**थ) नकद लाभांश**

कंपनी इक्विटी धारकों को नकदी वितरण करने के लिए देयता को तब स्वीकार किया जाता है जब वितरण प्राधिकृत किया जाता है और वितरण अब कंपनी के विवेकाधिकार पर नहीं है। भारत के कॉर्पोरेट कानूनों के अनुसार, वितरण तब प्राधिकृत किया जाता है जब शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तदनुरूप राशि सीधे इक्विटी में स्वीकार किया जाता है।

**द) कर**

**वर्तमान आयकर**

"वर्तमान आयकर परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कराधान प्राधिकरणों से वसूली के लिए प्रत्याशित राशि या भुगतान की जाने वाली राशि पर किया जाता है। राशि की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित होते हैं या, विशेष्य अधिनियमित हैं।

लाभ या हानि के बाहर स्वीकार किए गए मदों से संबंधित वर्तमान आयकर को लाभ या हानि (या तो अन्य व्यापक आय या इक्विटी में) के बाहर स्वीकार किया जाता है। वर्तमान कर मदों को या तो ओसीआई या सीधे इक्विटी में अंतर्निहित लेन-देन से सहसंबंध में स्वीकार किया जाता है। प्रबंधन परिस्थितियों के संबंध में टैक्स रिटर्न में ली गई स्थितियों का मूल्यांकन करता है, जिसमें लागू कर विनियम व्याख्या के अधीन होते हैं और जहाँ उचित हो वहाँ प्रावधान स्थापित करते हैं। "

**आस्थगित कर**

परिसंपत्तियों और देयताओं के कर आधार और रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए ली जाने वाली राशियों के बीच अस्थायी अंतर पर देयता विधि का उपयोग करते हुए आस्थगित कर प्रदान किया जाता है। आस्थगित कर देयताओं को सभी कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए स्वीकार किया जाता है, सिवाय जब आस्थगित कर देयता गुडविल की प्रारंभिक स्वीकृति या किसी लेन-देन में संपत्ति या देयता से उत्पन्न होती है जो व्यापार संयोजन नहीं है और लेनदेन के समय, न तो लेखांकन लाभ को प्रभावित करता है और न ही कर योग्य लाभ या हानि को।

सहायक कंपनियों, सहयोगियों में निवेश के साथ जुड़े कर योग्य अस्थायी विभिन्नता के संबंध में और अस्थायी विभिन्नता पर ब्याज को निकट भविष्य में वापिस नहीं किया जा सकेगा, आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी विभिन्नताएँ, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और अप्रयुक्त कर हानियों आगे ले जाने के लिए स्वीकार किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस हद तक स्वीकार किया जाता है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ कटौती योग्य अस्थायी विभिन्नताओं के विरुद्ध उपलब्ध होगा और आगे ले जाने वाले अप्रयुक्त कर क्रेडिट और अप्रयुक्त कर हानियों का उपयोग किया जा सकता है, सिवाय: जब परिसंपत्तियों की प्रारम्भिक स्वीकृति या लेन–देन देयता जो व्यापार संयुक्त नहीं है, से उत्पन्न होने वाले कटौती योग्य अस्थायी अंतर से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्ति लेन-देन के समय, लेखांकन लाभ और न ही कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहनीय राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और इस सीमा तक सीमित की जाती है कि अब यह संभव नहीं है, यह है कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के सभी या हिस्से को उपयोग किए जाने हेतु अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। आस्थगित कर संपत्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर फिर से मूल्यांकन किया जाता है और इस हद तक स्वीकार किया जाता है कि यह संभव हो गया है कि भविष्य में कर योग्य लाभ आस्थगित कर संपत्ति को वसूल किए जाने हेतु अनुमति देगा। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को कर दरों पर मापा जाता है, जिन्हें वर्ष में लागू होना प्रत्याशित है जब परिसंपत्ति को वसूल किया जाता है या देयता का समायोजन किया जाता है। इसका आधार कर दर (और कर कानून) है जिसको रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किया गया है । लाभ या हानि के बाहर स्वीकार किए गए मदों से संबंधित आस्थगित कर को लाभ या हानि के बाहर स्वीकार किया जाता है (या तो अन्य व्यापक आय या इक्विटी में)। आस्थगित कर मदों को या तो ओसीआई या सीधे इक्विटी में अंतर्निहित लेन–देन से सहसंबंध में स्वीकार किया जाता है।

**ध) न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी)**

भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार भुगतान की गयी न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) अप्रयुक्त कर क्रेडिट की प्रकृति में है जिसे आगे ले जा सकता है और इसका उपयोग तब किया जा सकता है जब कंपनी निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य

आयकर का भुगतान करेगी। इस तरह के कर क्रेडिट पर आस्थगित कर संपत्तियों इस हद तक स्वीकार किया जाता है कि यह संभव है कि अप्रयुक्त कर क्रेडिट का उपयोग निर्दिष्ट भविष्य अवधि में किया जा सके। वसूल करने योग्य कर निवल राशि या कराधान प्राधिकारी को भुगतान योग्य कर को तुलन पत्र में प्राप्य राशि या देय राशि के हिस्से के रूप में शामिल की जाती है।

**न) सरकारी अनुदान**

सरकारी अनुदानों को स्वीकार किया जाता है जहाँ उचित आश्वासन दिया जाता है कि अनुदान प्राप्त करेगा और सभी संलग्न शर्तों का पालन किया जाएगा। जब अनुदान एक व्यय मद से संबंधित होता है, तो इसे संबंधित लागतों की अवधि के दौरान व्यवस्थित आधार पर आय के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसके लिए इसे क्षतिपूर्ति करने का लक्ष्य है, व्यय किया जाता है। जब अनुदान किसी परिसंपत्ति से संबंधित है, तो संबंधित परिसंपत्ति के प्रत्याशित उपयोगी जीवनकाल पर समान राशियों में आय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

निर्यात लाभ:

"आयात और निर्यात नीति के अनुसार कथित आयात के लिए अग्रिम लाइसेंस के तहत कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात का मिलान कथित लाइसेंस के खिलाफ किए गए निर्यातों के लिए किया जाता हैं और निवल लाभ / दायित्व को कच्चे माल की खपत में उपयुक्त समायोजन करते हुए लेखांकन किया गया है।

कथित योजनाओं के अधीन शुल्क वापसी, पण्य निर्यात प्रोत्साहन योजना और किए गए निर्यात के संबंध में आयात और निर्यात नीति के अनुसार अन्य योजनाओं के तहत प्रोद्भूत लाभ को 9अन्य प्रचालन राजस्व" के तहत 9निर्यात प्रोत्साहन" के रूप में शामिल किया गया है। "

**प) प्रति शेयर अर्जन:**

प्रति शेयर मूल आधारभूत अर्जन की गणना उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से इक्विटी शेयरधारकों के लिए आरोप्य अवधि के लिए निवल लाभ या हानि का भाग देकर की जाती है। प्रति शेयर तनुकरण अर्जनों की गणना के उद्देश्य से, इक्विटी शेयरधारकों के लिए आरोप्य अवधि के लिए निवल लाभ या हानि और उस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या सभी तनुकरणीय संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

**फ) आकस्मिक देयता और आकस्मिक परिसंपत्तियां**

एक आकस्मिक दायित्व एक संभावित दायित्व है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है जिसका अस्तित्व एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने द्वारा पुष्टि की जाएगी, यह घटनाएँ पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है या वर्तमान दायित्व जिसे स्वीकार नहीं किया है क्योंकि यह संभव नहीं है कि दायित्वों के समायोजन के लिए संसाधनों का प्रवाह आवश्यक होगा। एक आकस्मिक देयता भी बहुत ही दुर्लभ मामलों में उत्पन्न होती है जहां एक देयता है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसे विश्वसनीय रूप से मापा नहीं जा सकता है। कंपनी आकस्मिक देयता को स्वीकार नहीं किया जाता है लेकिन वित्तीय विवरणों में इसके अस्तित्व प्रकट करती है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को तब तक स्वीकार नहीं किया जाता है जब तक यह वास्तव में निश्चित न हो कि आर्थिक लाभ का प्रवाह उत्पन्न होगा। जब आर्थिक लाभ का प्रवाह संभव है, वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसंपत्तियों को प्रकट किया जाता है। आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर की जाती है।

**ब) शेयर–आधारित भुगतान:**

कर्मचारी शेयर आधारित भुगतान योजनाओं का मापन और प्रकटीकरण इंड एएस 102, शेयर–आधारित भुगतान के अनुसार किया जाता है। कंपनी उचित मूल्य विधि का उपयोग करते हुए कर्मचारी स्टॉक विकल्पों से संबंधित क्षतिपूर्ति की लागत का आकलन करती है। क्षतिपूर्ति व्यय को सीधी रेखा आधार पर विकल्प की निहित अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

**भ) पिछली अवधि की त्रुटियां और चूक:**

पिछली अवधि से संबंधित आय और व्यय की अलग–अलग मदों में त्रुटियां और चूक, यदि संभव हो तो संबंधित अवधि में '1 लाख से अधिक का हिसाब लगाया जाता है, या प्रतिधारित कमाई को खोलने के खिलाफ समायोजित किया जाता है

**म)** कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ"), सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (संस्थाओं) को या किसी अन्य व्यक्ति (ओं) या इकाई (यों) में कोई धनराशि अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं किया गया है इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करें। 2) कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियों") सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (ओं) से कोई फंड प्राप्त नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी सीधे या परोक्ष रूप से, अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में किसी भी तरह से या फंडिंग पार्टी ("अल्टीमेट बेनिफिशरीज") की ओर से किसी भी तरह से उधार देना या निवेश करना या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करना

**हाल ही का भारतीय लेखांकन मानक**

कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2020 और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) द्वितीय संशोधन नियम के माध्यम से इंड एएस में निम्नलिखित नया और संशोधन को अधिसूचित किया है, जिसे समूह ने प्रयुक्त नहीं किया है क्योंकि वे 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी हैं।

**इंड एएस 103: कारोबार संयोजन (बिजनेस कॉम्बिनेशन)**

"कारोबार" शब्द की परिभाषा को "गतिविधियों और परिसंपत्तियों का एकीकृत सेट में प्रतिस्थापित किया गया है जो ग्राहकों को सामान या सेवाएं प्रदान करने, निवेश आय (जैसे लाभांश या ब्याज) सृजित करने या अन्य उत्पन्न करने के उद्देश्य से संचालित और प्रबंधित करने में सक्षम है। सामान्य गतिविधियों से आय। तदनुसार, ग्राहकों को सामान या सेवाएं प्रदान करना जोड़ा गया है। यह संशोधन इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक व्यवसाय में ग्राहकों को वस्तुएँ या सेवाएँ प्रदान करना शामिल है। कंपनी के वित्तीय विवरण में कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि यह इंड एएस लागू नहीं है।

**इंड एएस 107 और इंड एएस 109: वित्तीय लिखत**

हेज लेखा लेखांकन की एक विधि है जहां प्रतिभूति के उचित मूल्य को समायोजित करने के लिए प्रविष्टियां और इसके प्रतिकूल हेज को एक माना जाता है। हेज लेखांकन एक वित्तीय लिखत के मूल्य में बार–बार समायोजन द्वारा बनाई गई अस्थिरता को कम करने का प्रयास करता है, जिसे उचित मूल्य लेखांकन या मार्क टू मार्केट के रूप में जाना जाता है। अस्थिरता में यह कमी लिखत और हेज को एक प्रविष्टि के रूप में जोड़कर किया जाता है, जो प्रतिकूल आंदोलनों को ऑफसेट करता है। उन हेजिंग संबंधों के लिए जिन पर एक इकाई लागू होती है, एक इकाई प्रकट करेगी (क) महत्वपूर्ण ब्याज दर बेंचमार्क जिससे इकाई के हेजिंग संबंधों को उजागर किया जाता है (ख) इकाई द्वारा प्रबंधित जोखिम जोखिम की सीमा जो सीधे ब्याज दर से प्रभावित होती है बेंचमार्क सुधार (ग) इकाई वैकल्पिक बेंचमार्क दरों में संक्रमण के लिए प्रक्रिया का प्रबंधन कैसे कर रही है (घ) इन पैराग्राफों को लागू करने में इकाई द्वारा किए गए महत्वपूर्ण धारणाओं या निर्णयों का विवरण (उदाहरण के लिए, ब्याज दर से उत्पन्न होने वाली अनिश्चितता के बारे में धारणाएं या निर्णय बेंचमार्क सुधार अब समय और ब्याज दर बेंचमार्क–आधारित नकदी प्रवाह की राशि के संबंध में मौजूद नहीं है); और (ङ) उन हेजिंग संबंधों में हेजिंग लिखतों की नाममात्र राशि।

विशिष्ट हेज लेखांकन आवश्यकताओं को लागू करने से निम्नलिखित अस्थायी अपवाद भी प्रदान किए जा रहे हैं क) नकदी प्रवाह हेज के लिए अत्यधिक संभावित आवश्यकता का आकलन करने के लिए ख) नकदी प्रवाह हेज आरक्षित में संचित राशि को पुनर्वर्गीकृत करना ग) हेज की गई वस्तु और हेजिंग लिखत के बीच आर्थिक संबंध का आकलन करना घ) किसी आइटम के घटक को हेज्ड आइटम के रूप में नामित करना। कंपनी के वित्तीय विवरण में कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि यह इंड एस लागू नहीं है।

**इंड एएस 116: पट्टे**

कोविड़-19 और उसके बाद भारत में लॉकडाउन के कारण, कई कारोबार बंद या आंशिक रूप से खुल गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तदनुसार, पट्टा भुगतान प्रभावित हुआ है और कारोबार अपने विक्रेताओं से किराए में रियायत की मांग कर रहे हैं। यदि नीचे दी गई शर्तों को पूरा किया जाता है, तो संस्था पट्टा संशोधन के बिना किराए में रियायत माना जाता है। (क) पट्टे के भुगतान में परिवर्तन के परिणामस्वरूप पट्टे के लिए संशोधित विचार होता है जो कि परिवर्तन से तुरंत पहले पट्टे के लिए आनुपातिक रूप से समान या उससे कम है; (ख) पट्टे के भुगतान में कोई कमी केवल 30 जून, 2021 को या उससे पहले मूल रूप से देय भुगतानों को प्रभावित करती है (उदाहरण के लिए, एक किराए की रियायत इस शर्त को पूरा करेगी यदि इसके परिणामस्वरूप 30 जून, 2021 को या उससे पहले पट्टे भुगतान कम हो जाता है और पट्टे भुगतन बढ़ जाती है जो 30 जून, 2021 से आगे बढ़ते हैं); और (ग) पट्टे के अन्य नियमों और शर्तों में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं है। कंपनी के वित्तीय विवरण में कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि यह इंड एस लागू नहीं है।

**इंड एएस 1 और 8: वित्तीय विवरणों और लेखांकन नीतियों की प्रस्तुति, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन**

इस संशोधन द्वारा सामग्री की एक नई परिभाषा पेश की गई है, यह अधिक परिष्कृत है और उद्योग द्वारा सबसे अधिक अपेक्षित है, परिस्थितियों के कुछ उदाहरण भी अधिक स्पष्टता के लिए प्रदान किए गए हैं।

सामग्री: जानकारी महत्वपूर्ण है यदि इसे छोड़ना, गलत बताना या अस्पष्ट करना उन निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है जो सामान्य प्रयोजन वित्तीय विवरणों के प्राथमिक उपयोगकर्ता उन वित्तीय विवरणों के आधार पर करते हैं, जो एक विशिष्ट रिपोर्टिंग इकाई के बारे में वित्तीय जानकारी प्रदान करते हैं। भौतिकता सूचना की प्रकृति या परिमाण, या दोनों पर निर्भर करती है। एक प्रतिष्ठान यह आकलन करता है कि क्या सूचना, व्यक्तिगत रूप से या अन्य सूचनाओं के संयोजन में, समग्र रूप से लिए गए उसके वित्तीय विवरणों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

जानकारी अस्पष्ट है यदि इसे इस तरह से संप्रेषित किया जाता है जो वित्तीय विवरणों के प्राथमिक उपयोगकर्ताओं के लिए उस जानकारी को छोड़ने या गलत करने के समान प्रभाव डालती है। निम्नलिखित परिस्थितियों के उदाहरण हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक जानकारी अस्पष्ट हो सकती है: -

क) वित्तीय विवरणों में किसी भौतिक वस्तु, लेन–देन या अन्य घटना के बारे में जानकारी का खुलासा किया गया है लेकिन इस्तेमाल की जाने वाली भाषा अस्पष्ट या अस्पष्ट है

ख) एक भौतिक वस्तु, लेनदेन या अन्य घटना के बारे में जानकारी पूरे वित्तीय विवरणों में बिखरी हुई है

ग) असमान मदों, लेन–देनों या अन्य घटनाओं को अनुपयुक्त रूप से एकत्रित किया जाता है;

घ) समान आइटम, लेनदेन या अन्य घटनाएं अनुपयुक्त रूप से अलग–अलग हैं; तथा

ड) वित्तीय विवरणों की समझ कम हो जाती है क्योंकि भौतिक जानकारी को सारहीन जानकारी द्वारा छिपाया जाता है, इस हद तक कि प्राथमिक उपयोगकर्ता यह निर्धारित करने में असमर्थ है कि कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है।

किसी विशिष्ट रिपोर्टिंग इकाई के सामान्य प्रयोजन के वित्तीय विवरणों के प्राथमिक उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सूचना की अपेक्षा की जा सकती है या नहीं, इसका आकलन करने के लिए एक इकाई को उन उपयोगकर्ताओं की विशेषताओं पर विचार करने की आवश्यकता होती है, जबकि इकाई की अपनी परिस्थितियों पर भी विचार किया जाता है।

प्राथमिक उपयोगकर्ता जिनके लिए सामान्य प्रयोजन वित्तीय विवरण निर्देशित किए जाते हैं। वित्तीय विवरण उन उपयोगकर्ताओं के लिए तैयार किए जाते हैं जिन्हें व्यावसायिक और आर्थिक गतिविधियों का उचित ज्ञान होता है और जो जानकारी की समीक्षा और विश्लेषण उपयुक्त रूप से करते हैं। कभी–कभी, अच्छी तरह से सूचित और मेहनती उपयोगकर्ताओं को भी जटिल आर्थिक घटनाओं संबंधी जानकारी को समझने के लिए सलाहकार की सहायता लेने की आवश्यकता हो सकती है।

कंपनी ने वित्तीय विवरणों और लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियों की प्रस्तुति के लिए 9भौतिकता" की परिभाषा में परिवर्तन पर विधिवत विचार किया है।

**इंड एस 10 रिपोर्टिंग अवधि के बाद घटनाएँ**

भारतीय लेखा मानक 10 के अनुच्छेद 21 को संशोधन में किसी भी गैर–समायोजन घटना से प्रतिस्थापित किया गया है, जो उन निर्णयों को प्रभावित करने के लिए उचित रूप से अपेक्षित हो सकता है जो सामान्य प्रयोजन वित्तीय विवरणों के प्राथमिक उपयोगकर्ता उन वित्तीय विवरणों के आधार पर करते हैं जो एक विशिष्ट रिपोर्टिंग इकाई के बारे में जोड़ा गया है के वित्तीय जानकारी प्रदान करते हैं।

तदनुसार, निम्नलिखित प्रकटीकरण प्रदान किया जाना है:

क) घटना की प्रकृति; तथा

ख) इसके वित्तीय प्रभाव का अनुमान, या एक बयान कि ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

कंपनी ने वित्तीय विवरणों की तैयारी, प्रकटीकरण और प्रस्तुति के लिए उपरोक्त संशोधन पर विधिवत विचार किया।

**इंड एएस 34 अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग**

परिणामी संशोधन और पुनर्गठन योजना का लेखांकन

**इंड एएस 37 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां**

रिपोर्टिंग अवधि के अंत से पहले लिया गया पुनर्गठन संबंधी प्रबंधन या बोर्ड का निर्णय तब तक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में एक रचनात्मक दायित्व को सृजित नहीं देता है जब तक कि इकाई के पास रिपोर्टिंग अवधि के अंत से पहले नहीं होता है

क) पुनर्गठन योजना को लागू करना शुरू किया; या

ख) इससे प्रभावित लोगों के लिए पुनर्गठन योजना की मुख्य विशेषताओं की घोषणा पर्याप्त रूप से विशिष्ट तरीके से की ताकि उनमें एक वैध उम्मीद पैदा की जा सके कि इकाई पुनर्गठन करेगी।

यह संशोधन कंपनी पर लागू नहीं होता है।

**हाल के भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)**

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के परामर्श से कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित किया है ताकि कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में और संशोधन किया जा सके। इस संशोधन में निम्नलिखित नए और संशोधन लाए गए हैं। भारतीय लेखा मानक, जिसे समूह ने वर्ष के दौरान जहां भी लागू हो, विधिवत रूप से लागू किया है:

**इंड एएस – 103: बिजनेस कॉम्बिनेशन**

पहला संशोधन अधिग्रहीत पहचान योग्य परिसंपत्तियों की मान्यता की स्थिति, ग्रहण की गई देनदारियों और अधिग्रहण में किसी भी गैर–नियंत्रित हित से संबंधित है। अधिग्रहण पद्धति को लागू करने के हिस्से के रूप में मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, अर्जित की गई पहचान योग्य संपत्ति और ग्रहण की गई देनदारियों को अधिग्रहण की तारीख में भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए ढांचे में संपत्ति और देनदारियों की परिभाषाओं को पूरा करना चाहिए। कंपनी को इस संशोधन से किसी प्रभाव की उम्मीद नहीं है।

**इंड एएस – 105: बिक्री और बंद संचालन के लिए धारित गैर–वर्तमान** संपत्तियां

संशोधन में वसूली योग्य राशि की परिभाषा में बदलाव का प्रावधान है

- वसूली योग्य राशि का अर्थ है किसी परिसंपत्ति के उचित मूल्य में से अधिक से अधिक निपटान की लागत। कंपनी को इस संशोधन से किसी प्रभाव की उम्मीद नहीं है।

**इंड एएस – 107: वित्तीय लिखत – प्रकटीकरण**

संशोधन एक इकाई के वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन रणनीति पर ब्याज दर बेंचमार्क सुधार से संबंधित अतिरिक्त प्रकटीकरण प्रदान करता है। कंपनी को इस संशोधन से किसी प्रभाव की उम्मीद नहीं है।

**इंड एएस - 109: वित्तीय लिखत**

यह संशोधन वित्तीय लिखत की प्रारंभिक मान्यता में निर्दिष्ट संविदात्मक शर्तों में संशोधन के माध्यम से ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के परिणामस्वरूप संविदात्मक नकदी प्रवाह को निर्धारित करने के आधार में परिवर्तन प्रदान करता है, जिस तरह से विचार नहीं किया गया था या उस पर विचार नहीं किया गया था। अनुबंध की शर्तों में संशोधन किए बिना और/या मौजूदा संविदात्मक अवधि के सक्रिय होने के कारण वित्तीय साधन की प्रारंभिक मान्यता पर संविदात्मक शर्तें। कंपनी को इस संशोधन से किसी प्रभाव की उम्मीद नहीं है।

**इंड एएस - 114: नियामक आस्थगित खाता (रेगुलेटरी डिफरल अकाउंट्स)**

यह संशोधन नियामक आस्थगित खाता शेष के संबंध में लेखांकन नीतियों में परिवर्तन का प्रावधान करता है। नियामक आस्थगित खाता शेष को पहचानना शुरू करने के लिए एक इकाई अपनी लेखा नीतियों को नहीं बदलेगी। एक प्रतिष्ठान केवल नियामक आस्थगित खाता शेष की मान्यता, माप, हानि और गैर–मान्यता के लिए अपनी लेखांकन नीतियों को बदल सकता है यदि परिवर्तन वित्तीय विवरणों को उपयोगकर्ताओं की आर्थिक निर्णय लेने की आवश्यकताओं के लिए अधिक प्रासंगिक बनाता है और कोई कम विश्वसनीय, या अधिक विश्वसनीय नहीं है और नहीं उन जरूरतों के लिए कम प्रासंगिक। एक इकाई भारतीय लेखा मानक 8 के अनुच्छेद 10 में दिए गए मानदंडों का उपयोग करके प्रासंगिकता और विश्वसनीयता का न्याय करेगी। कंपनी इस संशोधन से किसी प्रभाव की अपेक्षा नहीं करती है।

**इंड एएस एएस – 116: पट्टा (लीज़)**

यह संशोधन ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के परिणामस्वरूप भविष्य के लीज भुगतानों के निर्धारण के लिए आधार बदलने का प्रावधान करता है। ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के लिए एक पट्टा संशोधन आवश्यक है, यदि और केवल तभी, जब ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं: (क) ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में संशोधन आवश्यक है; और (ख) पट्टा भुगतान निर्धारित करने के लिए नया आधार आर्थिक रूप से पिछले आधार के बराबर है। कंपनी को इस संशोधन से किसी प्रभाव की उम्मीद नहीं है।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के परामर्श से कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2022 को कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में और संशोधन करने के लिए अधिसूचित किया है। इस संशोधन में, निम्नलिखित भारतीय लेखा मानक में नए और संशोधन लाए गए हैं जिन्हें समूह ने लागू नहीं किया है क्योंकि वे 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी हैं:

**इंड एएस – 16: संपत्ति संयंत्र और उपकरण**

यह संशोधन परीक्षण की लागत के संबंध में सीधे जिम्मेदार लागत के लिए प्रदान करता है कि क्या परिसंपत्ति ठीक से काम कर रही है, संपत्ति को उस स्थान और स्थिति में लाने के दौरान उत्पादित किसी भी वस्तु को बेचने से शुद्ध आय में कटौती करने के बाद (जैसे परीक्षण उपकरण के दौरान उत्पादित नमूने)। परीक्षण की लागत से अधिक उत्पादित वस्तुओं की शुद्ध बिक्री आय की अधिकता, यदि कोई हो, को लाभ या हानि में मान्यता नहीं दी जाएगी, लेकिन संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की लागत के हिस्से के रूप में मानी जाने वाली सीधे जिम्मेदार लागत से कटौती की जाएगी। कंपनी को इस संशोधन से किसी प्रभाव की उम्मीद नहीं है।

**इंड एएस – 37: प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां**

यह संशोधन भारी अनुबंध के संबंध में प्रावधान करता है, अनुबंध को पूरा करने की लागत में वे लागतें शामिल हैं जो सीधे अनुबंध से संबंधित हैं। एक अनुबंध से सीधे संबंधित लागतों में दोनों शामिल हैं– (क) उस अनुबंध को पूरा करने की वृद्धिशील लागत (ख) अन्य लागतों का आवंटन जो सीधे अनुबंधों को पूरा करने से संबंधित हैं। यह भी प्रदान करता है, एक कठिन अनुबंध के लिए एक अलग प्रावधान स्थापित होने से पहले, एक इकाई किसी भी हानि हानि को पहचानती है जो अनुबंध को पूरा करने में उपयोग की गई संपत्ति पर हुई है। कंपनी को इस संशोधन से किसी प्रभाव की उम्मीद नहीं है।

**टिप्पणी-3 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण** (रु. लाख में)

| क्रसं | विवरण | सकल खंड | | | | मूल्यह्रास / परिशोधन / क्षति | | | | निवल खंड | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 01.04.2021 | जोड़ | लोप | 31.03.2022 | 01.04.2021 | लोप | वर्ष के दौरान प्रधान किए गए | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 31.03.2021 |
| | | को | | | को | तक | | | तक | को | को |
| क. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण | | | | | | | | | | | |
| 1क | भूमि एवं भूमि विकास | 578.25 | 0.00 | 0.00 | 578.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578.25 | 578.25 |
| 1ख. | भूमि–पुनर्मूल्यांकन | 10427.55 | 1978.45 | 0.00 | 12406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12406.00 | 10427.55 |
| 1ग | पट्टे की परिसंपत्ति | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | भवन | 1282.52 | 0.00 | 0.00 | 1282.52 | 881.32 | 0.00 | 18.41 | 899.73 | 382.79 | 401.20 |
| 3. | संयंत्र और उपकरण | 24923.78 | 18.59 | 0.00 | 24942.37 | 22965.77 | 0.00 | 78.28 | 23044.05 | 1898.32 | 1958.01 |
| 4 | फर्नीचर,फिक्सचर और उपकरण | 114.77 | 0.36 | 0.00 | 115.13 | 102.42 | 0.00 | 0.85 | 103.27 | 11.86 | 12.35 |
| 5. | वाहन | 117.98 | 0.65 | 0.00 | 118.63 | 107.70 | 0.00 | 0.84 | 108.54 | 10.09 | 10.28 |
| 6. | कार्यालय उपकरण | 671.13 | 11.90 | 0.00 | 683.03 | 614.52 | 0.00 | 7.79 | 622.31 | 60.72 | 56.61 |
| 7. | पुस्तकालय पुस्तकें | 13.47 | 0.00 | 0.00 | 13.47 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 13.43 | 0.04 | 0.04 |
| | उप–कुल | 38129.45 | 2009.95 | 0.00 | 40139.40 | 24685.16 | 0.00 | 106.17 | 24791.33 | **15348.07** | **13444.29** |
| 8 | निपटान के लिए रखी गयी परिसंपत्तियाँ | 99276.42 | 0.00 | 0.00 | 99276.42 | 56.68 | 0.00 | 0.00 | 56.68 | 99219.74 | 99219.74 |
| | **कुल** | **137405.87** | **2009.95** | **0.00** | **139415.82** | **24741.84** | **0.00** | **106.17** | **24848.01** | **114567.81** | **112664.03** |
| **पूंजीगत कार्य प्रगति पर** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| ख. | निवेश संपत्ति भूमि | 16.71 | 0.00 | 0.00 | 16.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.71 | 16.71 |
| ख1. | निवेश संपत्ति भवन | 136.89 | 0.00 | 0.00 | 136.89 | 62.70 | 0.00 | 2.16 | 64.86 | 72.03 | 74.19 |
| | **कुल** | **153.60** | **0.00** | **0.00** | **153.60** | **62.70** | **0.00** | **2.16** | **64.86** | **88.74** | **90.90** |
| | | | | | | | | | | | |
| ग) अमूर्त संपत्ति – कंप्यूटर सॉफ्टवेयर | | 429.55 | 12.75 | 0.00 | 442.30 | 407.02 | 0.00 | 8.02 | 415.04 | 27.25 | 22.53 |
| | | | | | | | | | | | |
| | **छ. कुल** | **137989.02** | **2022.70** | **0.00** | **140011.72** | **25211.56** | **0.00** | **116.35** | **25327.91** | **114683.80** | **112777.46** |

1. वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों और अमूर्त संपत्ति के विभिन्न वर्गों के लिए उपयोगी जीवन के प्रबंधन अनुमानों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

2. नियंत्रक कंपनी के कोची यूनिट ने मेसर्स स्टरलिंग गॅस लिमिटेड को रद्द योग्य पट्टे करार के अधीन प्रचालन पट्टे पर 1.03 एकड़0 भूमि दिया है। पट्टे करार के अधीन शामिल क्षेत्र के आधार पर मालिक अधिकृत परिसंपत्ति से निवेश परिसंपत्तियाँ अलग है।

3. कंपनी की कोची इकाई के अधीन में 184 फ्लैट्स हैं, जो 155104 वर्ग फुट के हैं। जिसमें से 46594 वर्ग फुट से मिलकर 55 फ्लैटों को निवेश की संपत्ति के रूप में दिया गया है।

| **निवेश परिसंपत्तियों के लिए लाभ या हानि में स्वीकृत राशि** | 31.03.2022 | 31.03.2021 |
|---|---|---|
| आकस्मिक भाड़े सहित भाड़े आय | 24.07 | 24.94 |
| किराया आय सृजित परिसम्पत्तियों से सीधा प्रचालन व्यय | 7.20 | 8.73 |
| किराया आय नहीं सृजित परिसम्पत्तियों से सीधा प्रचालन व्यय | 0.00 | 0.00 |
| मूल्यह्रास के पहले निवेश परिसंपत्तियों से आय | **16.87** | **16.21** |
| मूल्यह्रास | 2.16 | 2.17 |
| निवेश परिसंपत्तियों से आय | **14.71** | **14.04** |
| निवेश संपत्ति के उचित मूल्य (भूमि) | | |
| निवेश परिसंपत्ति –स्टर्लिंग गैस लिमिटेड | 111.66 | 94.52 |
| निवेश परिसंपत्ति –टाउनशिप | 371.35 | 338.29 |
| **कुल** | **483.01** | **432.81** |

उचित मूल्य का अनुमान :

निवेश संपत्ति के उचित मूल्य का नियतन प्रोफेशनल योग्यता वाले बाहरी स्वतंत्र संपत्ति मूल्यक द्वारा किया गया है।

**3घ) बिक्री के लिए रखी गयी गैर चालू परिसंपत्तियाँ** **राशि (रु. लाख में)**

| **गैर चालू परिसंपत्तियों के विवरण** | तथ्य और बिक्री की परिस्थिति | निपटान तरीका | निपटान समय | **निवल खंड** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 31.03.2022 | 31.03.2021 |
| | | | | को | को |
| भूमि | रसायनी यूनिट बंद करने और आस्तियों के निपटान | बीपीसीएल को 152 एकड़ भूमि की सीधी बिक्री और शेष एनबीसीसी के माध्यम से | बारह माह में | 99094.84 | 99094.84 |
| भवन | | एमएसटीसी के जरिए ई नीलामी | वही | 65.15 | 65.15 |
| संयंत्र एवं उपकरण | | वही | वही | 58.81 | 58.81 |
| फर्नीचर, फिक्चर और उपकरण | | वही | वही | 0.94 | 0.94 |
| **कुल** | | | | **99219.74** | **99219.74** |

नोट: कंपनी 22 मई 2017 के आदेश के माध्यम से सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। कंपनी ने रसायनी इकाई को बंद कर दिया है, स्क्रैप किए गए संयंत्र और उपकरण का निपटान कर दिया गया है। भर मुक्त रसायनी की भूमि को एनबीसीसी और पनवेल भूमि की ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री का कार्य प्रगति पर है। कोची में फिनोल संयंत्र प्रचालन में है।

**परिसंपत्तियाँ**

**4.निवेश** रु. लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| **गैर चालू** | | |
| **उल्लेखित लागत में निवेश** | | |
| (क) इक्विटी लिखतों में निवेश | | |
| क. सहायक कंपनियों में निवेश (उद्धृत) | | |
| 11060000 (पिछला साल 11060000) इक्विटी शेयरों के रु. 10 प्रति हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बनस लिमिटेड में पूरी तरह से प्रदत्त (56.43% शेयर धारण ) | 1,106.00 | 1,106.00 |
| घटाएँ:निवेश की कमी के लिए प्रावधान (बाज़ार मूल्य 31.03.2022 को रु 9.57., पिछले वर्ष रु 7.54 प्रति शेयर)* | 47.56 | 272.08 |
| उप कुल | **1,058.44** | **833.92** |
| **केरला एनवीरों इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में अनुद्धृत इक्विटी शेयर में निवेश** | | |
| (प्रत्येक 10/– रूपए के 50000 अनुद्धृत इक्विटी शेयर) | 5.00 | 5.00 |
| घटाएँ :– निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान | - | - |
| | 5.00 | 5.00 |
| **कुल गैर–चालू निवेश** | **1,063.44** | **838.92** |
| उद्धृत निवेशों की संकलित राशि (बाज़ार मूल्य) | 1,058.44 | 833.92 |
| उद्धृत निवेशों की संकलित राशि (लागत) | 1,106.00 | 1,106.00 |
| अनुद्धृत निवेशों की संकलित राशि | 5.00 | 5.00 |
| क्षति के लिए प्रावधान की संकलित राशि | 47.56 | 272.08 |
| **कुल गैर–चालू निवेश** | **1,063.44** | **838.92** |

* निवेश के मूल्य में लाभ/हानि को अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है जब से बाज़ार मूल्य 31.03.2022 पर प्रति शेयर केवल रु.9.57 और 31.03.2021को रु.7.54 थे। (अंकित मूल्य रु 10 प्रति शेयर)।*

**5.अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां** **रु. लाख में**

| **विवरण** | **31.03.2022 को** | **31.03.2021 को** |
|---|---|---|
| i) सीमा शुल्क, एमएसईबी, केएसईबी, बीएसएनएल के साथ जमा एवं किराया जमा और कुलसचिव एच सी। | 497.37 | 498.12 |
| **कुल** | **497.37** | **498.12** |

**6. माल सूची (लागत और निवल वसूलीयोग्य मूल्य पर मूल्यन)** रु. लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| क. कच्ची सामग्रियाँ और संघटक | 1,699.53 | 1,281.06 |
| ख. प्रगत्यधीन कार्य (डबल्यूआईपी) | 1,133.84 | 960.65 |
| ग. तैयार वस्तुएं | 2,265.34 | 1,007.75 |
| ङ. भंडार और पुर्जे | 2,795.21 | 2,233.76 |
| घटाएँ; अप्रचलन के लिए भत्ता ङ | (382.73) | (402.50) |
| कुल | 7,511.19 | 5,080.72 |

* भंडारों के भत्ते पाँच वर्ष से अधिक की धीमी गति से चलने वाली वस्तुओं में 50% पर अप्रचलन किया जाता है।

**7. व्यापार प्राप्य** रु. लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| चालू | | |
| रक्षित | - | - |
| अरक्षित, सही माने गए | 735.12 | 240.82 |
| अनर्जक उधार | 1,489.46 | 1,474.13 |
| घटाएँ: संदिग्ध व्यापार प्राप्य के लिए भत्ता | (1,489.46) | (1,474.13) |
| घटाएँ: प्राप्य बिल भुनाये गए | - | - |
| कुल व्यापार प्राप्य | 735.12 | 240.82 |

भत्ता व्यापार प्राप्तियों के खातों में किया जाता है जो प्रबंधन की राय में अनर्जक उधार माना जाता है। कंपनी लगातार उन व्यापार प्राप्तियों के लिए भत्ता बनाने की प्रथा का पालन कर रही है जो तीन साल से अधिक समय तक बकाया हैं या वसूली के संदिग्ध हें।भारतीय लेखांकन मानक 37,आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां के अधीन अपेक्षितानुसार चलन के लिए प्रकटन।

| संदिग्ध व्यापार प्राप्य के लिए भत्ता | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| वर्ष के प्रारम्भ में प्रावधान | 1,474.13 | 1,465.78 |
| वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान * | 16.77 | 40.80 |
| घटाएँ : वर्ष के दौरान निर्मुक्त | 1.44 | 32.45 |
| वर्ष के अंत में प्रावधान | 1,489.46 | 1,474.13 |

* वर्ष के दौरान कंपनी ने व्यापार प्राप्तियों के लिए 1.44 लाख रुपये (पिछले वर्ष 32.45 लाख रुपए) की धनराशि बट्टे खाते में डाला है, जिसके लिए भत्ता पहले ही बनाया जा चुका है।

व्यापार प्राप्य समयबृद्धि अनुसूची

रु. लाख में

| विवरण | देय नहीं | भुगतान की देय तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया | | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | छ:माह से कम | छ:माह -1वर्ष | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्षों से अधिक | |
| **चालू वर्ष** | | | | **2021-22** | | | |
| (i) अविवादित व्यापार प्राप्य-सही माने गए | 291.20 | 431.89 | 3.11 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 732.03 |
| (ii) अविवादित व्यापार प्राप्य–जिनके ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हो । | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 3.09 |
| (iii) अविवादित व्यापार प्राप्य–ऋण imparied | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598.64 | 598.64 |
| (iv) विवादित व्यापार प्राप्य– सही माने गए | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (v) विवादित व्यापार प्राप्य– जिनके ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हो। | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 891.03 | 891.03 |
| (vi) विवादित व्यापार प्राप्य–ऋण इम्पेअर्ड | 291.20 | 431.89 | 3.11 | 5.83 | 3.09 | 1489.67 | 2224.79 |
| घटाएँ: प्रत्याशित ऋण नुकसान के लिए भत्ता | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1489.67 | 1489.67 |
| निवल राशि | 291.20 | 431.89 | 3.11 | 5.83 | 3.09 | 0.00 | **735.12** |
| पिछले वर्ष | | | | **2021-22** | | | |
| (i) अविवादित व्यापार प्राप्य-सही माने गए | 58.60 | 133.60 | 6.81 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 203.79 |
| (ii) अविवादित व्यापार प्राप्य–जिनके ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हो । | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.03 | 0.00 | 37.03 |
| (iii) अविवादित व्यापार प्राप्य–ऋण इम्पेअर्ड | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583.10 | 583.10 |
| (iv) विवादित व्यापार प्राप्य– सही माने गए | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (v) विवादित व्यापार प्राप्य– जिनके ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हो। | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (vi) विवादित व्यापार प्राप्य–ऋण इम्पेअर्ड | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 891.03 | 891.03 |
| कुल | 58.60 | 133.60 | 6.81 | 4.78 | 37.03 | 1474.13 | 1714.95 |
| घटाएँ: प्रत्याशित ऋण नुकसान के लिए भत्ता | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1474.13 | 1474.13 |
| **निवल राशि** | **58.60** | **133.60** | **6.81** | **4.78** | **37.03** | **0.00** | **240.82** |

8क. नकद और नकदी समतुल्य रु. लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| बैंकों के साथ शेष (नकद और नकदी समतुल्य श्रेणी के): | | |
| चालू खाता | 239.30 | 115.54 |
| बचत खाता * | 149.25 | 145.23 |
| तीन माह से कम मूल परिपक्वता सहित निवेश | 1624.50 | 3025.28 |
| हाथ में नकद | 1.48 | 0.92 |
| | 2014.53 | 3286.97 |

* स्माल कोसेस कोर्ट, मुंबई के निर्देशों के अनुसार हरचंदराई हाउस की किराए देय राशि के लिए बचत खाते में शेष राशि पृथक रक्षित है ।

8ख. अन्य बैंक शेष रु. लाख में

| | | |
|---|---|---|
| बीजी/एलसी/ के विरुद्ध मियादी जमा | 5592.19 | 5026.49 |
| तीन माह से अधिक लेकिन 12 माह से कम परिपक्वता के लिए मियादी जमा | 5904.01 | 6506.29 |
| कुल | 11496.20 | 11532.78 |

9. ऋण (चालू परिसंपत्तियां) रु. लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| क) संबन्धित पक्षों को चालू ऋण और अग्रिम । | | |
| रक्षित | | |
| (सर्वश्री हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड) | 3197.08 | 3197.08 |
| घटाएँ: संदेहपूर्ण चुकौती का प्रावधान | 0.00 | 1161.82 |
| निवल राशि | 3197.08 | 2035.26 |
| (ख) कर्मचारियों को ऋण | | |
| क) अरक्षित, सही माने गए | 21.01 | 30.88 |
| (ग) आपूर्तिकारों को अग्रिम | | |
| संदिग्ध | 65.00 | 65.00 |
| घटाएँ: संदिग्ध विविध ऋण के लिए भत्ता | 65.00 | 65.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| कुल ऋण – चालू | 3218.09 | 2066.14 |

ऋण और प्राप्य गैर–व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां है जो कंपनी के लिए एक निश्चित या परिवर्तनीय ब्याज आय उत्पन्न करती हैं।

सहायक कंपनी हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बन्स लिमिटेड ने तेलंगाना राज्य,मेडक जिला, रुद्रराम गाँव में 2744.07 लाख रुपए के शून्य कूपन ऋण की ओर 84.31 एकड़ ज़मीन कंपनी के पक्ष में बंधक बनाया है, ऋण का ब्याज रु.453.01 लाख रुपए जो कि ऋण की चुकौती की तारीख तक उस पर उपचित होनेवाले ब्याज है। पेशेवर योग्यता रखने वाले एक बाहरी पंजीकृत स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार संपत्ति / सुरक्षा का मूल्य 10196.76 लाख रुपये आता है, इसलिए ऋण की संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान और अर्जित ब्याज जिसके लिए पहले से ही 2122.34 लाख रुपये (ऋण रुपये) की राशि प्रदान की गई है (ऋण 1161.82 लाख रुपए और ब्याज 960.52 लाख रुपए) वर्ष 2021–22 के दौरान वापस खाते में डाला गया है।

10. ब्याज और अन्य प्राप्य

| चालू | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| **क) ब्याज प्राप्य** | | |
| अरक्षित, सही माने गए | | |
| **जमा राशियों पर प्रोद्भूत ब्याज** | **316.25** | **393.43** |
| अग्रिमों पर प्रोद्भूत ब्याज | 106.08 | 106.08 |
| घटाए: संदिग्ध चुकौती के लिए प्रावधान | 106.08 | 106.08 |
| निवल राशि | 0.00 | 0.00 |
| टाउनशिप से प्रोद्भूत आय | 5.53 | 5.53 |
| घटाएँ : भत्ता | 5.53 | 5.53 |
| | 0.00 | 0.00 |
| **ख) संबधित पक्षों से प्राप्य ब्याज** | | |
| **(सर्वश्री हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बन्स लिमिटेड)** | 1,017.79 | 960.52 |
| घटाएँ: संदिग्ध चुकौती का प्रावधान | - | (960.52) |
| **कुल राशि** | **1017.79** | **0.00** |
| **कुल अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ** | **1334.04** | **393.43** |

**11. निवेश, अग्रिम और अन्य प्राप्य** रु. लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| i) केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के कलक्ट्रेट के पास जमा | 7.37 | 7.53 |
| घटाएँ : भत्ता | 2.90 | 2.90 |
| उप–कुल | **4.47** | **4.63** |
| ii) वैधानिक प्राप्य:शुल्क और कर, प्रीपैड कर | 842.07 | 1468.02 |
| घटाएँ : भत्ता | 4.29 | 4.29 |
| उप–कुल | **837.78** | **1463.73** |
| iii) आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम | 277.26 | 211.48 |
| घटाएँ : भत्ता | 4.31 | 1.44 |
| | **272.95** | **210.04** |
| iv) जमाराशि -उपदान, ईएमडी & भाड़ा | 1544.33 | 679.69 |
| v) प्रीपैड व्यय | 163.01 | 196.36 |
| vi) वसूलीयोग्य अन्य अग्रिम | 28.56 | 27.61 |
| vii) कर्मचारियों को अग्रिमों पर उपचित आय | 8.15 | 14.89 |
| viii) कर्मचारियों से वसूलीयोग्य | 60.41 | 60.41 |
| उप कुल | **260.13** | **299.27** |
| घटाएँ : भत्ता | 60.41 | 60.41 |
| उप –कुल | **199.72** | **238.86** |
| **कुल** | **2859.25** | **2596.95** |

कर्मचारी समूह उपदान निधि ट्रस्ट की ओर एलआईसी/आईसीआईसीआई बैंक में 1490.61 लाखरुपए (पिछले वर्ष 625.98 लाख रुपए) की उपदान राशि को उपदान देयता के विरुद्ध सृजित किया गया है।

**12.शेयर पूंजी** रु. लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को | | 31.03.2021 को | |
|---|---|---|---|---|
| | सं | रु. | सं | रु. |
| प्राधिकृत शेयर पूंजी | | | | |
| प्रत्येक 10 रुपये का इक्विटी शेयर | | | | |
| अथ शेष | 100000000 | 10000.00 | 100000000 | 10000.00 |
| वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी) | - | 0.00 | - | 0.00 |
| अंतिम शेष | 100000000 | 10000.00 | 100000000 | 10000.00 |
| प्रत्येक 10 रुपये का अधिमान्य शेयर | | | | |
| अथ शेष | 270000000 | 27000.00 | 270000000 | 27000.00 |
| वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी) | - | 0.00 | - | 0.00 |
| अंतिम शेष | 270000000 | 27000.00 | 270000000 | 27000.00 |
| कुल प्राधिकृत पूंजी | 370000000 | 37000.00 | 370000000 | 37000.00 |
| निर्गत इक्विटी पूंजी | | | | |
| निर्गत,अभिदत्त और पूर्ण प्रदत्त प्रत्येक 10 के इक्विटी शेयर | | | | |
| अथ शेष | 67173100 | 6717.31 | 67173100 | 6717.31 |
| जोड़े: जब्त शेयरों के लिए प्रदत्त राशि | - | 9.65 | - | 9.65 |
| वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी) – – | - | 0.00 | - | 0.00 |
| कुल – इक्विटी शेयर पूंजी | 67173100 | 6726.96 | 67173100 | 6726.96 |

इक्विटी शेयरों से जुड़े शर्तें/अधिकार

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसमें '10 प्रति शेयर का बराबर मूल्य है। इक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट के हकदार है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयर धारक सभी अधिमानी राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्तियां प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा। कंपनी में 5% से अधिक धारित शेयरधारकों का विवरण और प्रोमोटेर्स की शेयरधारिता कंपनी में 5% से अधिक धारित शेयरधारकों का विवरण और प्रोमोटेर्स की शेयरधारिता

| शेयरधारक का नाम | 31.03.2022 को | | 31.03.2021 को | | %परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
| | कुल शेयरों की संख्या | % धारिता | कुल शेयरों की संख्या | % धारिता | वर्ष के दौरान |
| पूर्ण प्रदत्त प्रत्येक रु. (आईएनआर) 10 का इक्विटी शेयर: भारत सरकार (प्रमॉटर) | 3,94,81,500 | 58.78% | 3,94,81,500 | 58.78% | शून्य |

वर्ष 2010–11 के दौरान, कंपनी ने आवंटन और कॉल मनी के गैर भुगतान के लिए प्रत्येक 10 रुपए ( 5 रुपए प्रदत्त ) के 193000 शेयर जब्त किए और इन जब्त शेयरों के संबंध में आवेदन राशि की ओर भुगतान की गई राशि "शेयर जब्त खाता" में स्थानांतरित कर दिया गया है।

**13. अन्य इक्विटी**

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| **क) प्रतिभूति प्रीमियम रिसर्व** | | |
| अथ शेष | 4838.57 | 4838.57 |
| वर्ष के दौरान वृद्धि/ (कमी) – | 0.00 | 0.00 |
| **अंतिम शेष** | **4838.57** | **4838.57** |
| **ख) प्रतिधारित अर्जन** | | |
| अथ शेष | (99,497.02) | (1,01,103.24) |
| लेखांकन नीति या पूर्वाधि त्रुटियों में परिवर्तन | 59.76 | 9.85 |
| अवधि के प्रारम्भ में पुन: प्रतिपादित शेष राशि | (99,437.26) | (1,01,093.39) |
| जोड़ें: वर्ष के लिए लाभ/(हानि) | (2,324.46) | 1,597.09 |
| जोड़ें :भूमि की बिक्री पर लाभ | - | 59.04 |
| अंतिम शेष | **-101761.72** | **-99437.26** |
| **ग) अन्य व्यापक आय** | | |
| i) परिसंपत्ति,संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन | | |
| अथ शेष | 93,606.29 | 92,453.31 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान मूल्यांकन | 1,978.42 | 1,631.02 |
| घटाएँ: प्रतिधारित अर्जनों में अंतरित आरक्षित | - | (59.04) |
| जोड़ें : बिक्री के कारण स्थगित कर देयता का उलटा | - | 12.00 |
| जोड़ें/घटाएँ: वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन के कारण कर देयता को स्थगित कर दिया | (576.00) | (431.00) |
| **अंतिम शेष** | **95,008.71** | **93,606.29** |
| ii) अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखत | | |
| अथ शेष | (192.08) | (553.94) |
| जोड़ें/घटाएँ: वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन | 224.52 | 509.86 |
| घटाएँ: वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर देयता | (65.00) | (148.00) |
| **अंतिम शेष** | **(32.56)** | **(192.08)** |
| (iii) परिभाषित कर्मचारी हितलाभ योजनाओं में परिवर्तन | | |
| अथ शेष | 502.48 | 533.58 |
| जोड़ें : | - | - |
| घटाएँ:परिभाषित हितलाभ योजना का पुनर्मापन | 40.99 | (31.10) |
| **अंतिम शेष** | **543.47** | **502.48** |
| **कुल** | **95,519.62** | **93,916.69** |
| **कुल आँय इक्विटी** | **(1,403.53)** | **(682.00)** |

सिक्योरिटीस प्रीमियम रिज़र्व–जहां कंपनी प्रीमियम पर शेयर जारी करती है, चाहे वह नकद के लिए हो, या अन्यथा उन शेयरों पर प्राप्त प्रीमियम की कुल राशि के बराबर राशी "सिक्योरिटीस प्रीमियम रिज़र्व" में स्थानांतरित की जाएगी। कंपनी अपने सदस्यों को प्रतिभूति प्रीमियम रिज़र्व से पूरी तरह से भुगतान किए गए बोनस शेयर जारी कर सकती है और कंपनी इस रिज़र्व का उपयोग शेयरों के खरीद–फरोख्त के लिए कर सकती है।

**14. उधार (गैर–चालू देयता)**

| | | |
|---|---|---|
| **मियादी ऋण–** | | |
| भारत सरकार से ऋण | 0.00 | 7695.09 |
| अन्य ऋण | 0.00 | 0.00 |
| कुल | **0.00** | **7695.09** |

**15.प्रावधान (दीर्घकालिक देयता)** रु. लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| अथ शेष | | |
| कर्मचारी के लाभ के लिए – छुट्टी नकदीकरण | 1104.09 | 1039.16 |
| कर्मचारी के लाभ के लिए –उपदान | 2200.93 | 2183.22 |
| अचल परिसंपत्ति में अंतर | 20.52 | 3.73 |
| भाड़े के लिए प्रावधान | 9.15 | 5.11 |
| उप कुल | **3334.69** | **3231.22** |
| वर्ष के दौरान उदनेवाले: | | |
| कर्मचारी के लाभ के लिए – छुट्टी नकदीकरण | 0.00 | 64.93 |
| कर्मचारी के लाभ के लिए –उपदान | 0.00 | 17.71 |
| अचल परिसंपत्ति में अंतर | 2.61 | 16.79 |
| भाड़े के लिए प्रावधान | 173.83 | 4.04 |
| उप कुल | **176.44** | **103.47** |
| उपयोग किए गए : | | |
| कर्मचारी के लाभ के लिए – छुट्टी नकदीकरण | 200.68 | 0.00 |
| कर्मचारी के लाभ के लिए –उपदान | 329.89 | 0.00 |
| अचल परिसंपत्ति में अंतर | 0.00 | 0.00 |
| भाड़े के लिए प्रावधान | 0.00 | 0.00 |
| उप कुल | **530.57** | 0.00 |
| अंतिम | | |
| कर्मचारी के लाभ के लिए – छुट्टी नकदीकरण | 903.42 | 1104.09 |
| कर्मचारी के लाभ के लिए –उपदान | 1871.04 | 2200.93 |
| अचल परिसंपत्ति में अंतर | 23.13 | 20.52 |
| भाड़े के लिए प्रावधान | 182.98 | 9.15 |
| **कुल** | **2980.57** | **3334.69** |

**16. आस्थगित कर देयताएं**

| | | |
|---|---|---|
| भूमि का उचित मूल्य | 16417.52 | 15841.52 |
| एचएफएल में निवेश का उचित मूल्य | (15.00) | (80.00) |
| निवल आस्थगित कर देयता डनोट सं.41. | 16402.52 | 15761.52 |

आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी गई है क्यों कि यहाँ कोई निश्चितता नहीं है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा,. कृपया नोट सं.41.देखें

**17.अधिमानी शेयरधारकों को देय**

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| अथ शेष | 27000.00 | 27000.00 |
| वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी) | 0.00 | 0.00 |
| अंतिम शेष | **27000.00** | **27000.00** |

नोट:

1. अधिमानी शेयरधारकों के पास कोई मतदान अधिकार नहीं है
2. भारत सरकार ने पूर्व वर्ष 2006–07 में 27000 लाख रुपए (वित्तीय पुनर्गठन के लिए 25000 लाख रुपये और कास्टिक सोडा संयंत्र के पुन: कमीशन के लिए 2000 लाख रुपये) 8% असंचयी मोचनीय अधिमानी शेयरों के आबंटन के खिलाफ जारी किया था, जिससे पुनरुद्धार योजना के अनुसार पूंजी आधार को व्यापक बनाया। बोर्ड द्वारा 28 जनवरी, 2008 को 8% अधिमानी शेयर भारत सरकार को आवंटित किए गए, यह 4वें वर्ष से मोचनीयें 20% प्रारम्भ होकर 8वें वर्ष (2015–16) में अंतिम विमोचन के साथ है। कंपनी के अनुरोध पर, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2011–12 से वित्तीय वर्ष 2015–16 तक प्रति वर्ष @ 25% पर मोचन की शुरूआत की थी। कंपनी के अनुरोध पर, भारत सरकार ने मोचन के विस्तार के लिए अनुमति दी बशर्ते कि 27000 लाख रुपए की कुल राशि पर प्रतिवर्ष 1.5% ब्याज का भुगतान किया जाना है और वर्ष के दौरान लेखा बही में 405 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। आगे चुकौती में चूक के लिए ब्याज @ 1% देना है और तदनुसार रु. 270 लाख की ब्याज राशि वर्ष के दौरान प्रदान की गई है।

**18. व्यापार देय** रु. लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| चालू – व्यापार देय | | |
| i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया देय | 55.50 | 21.03 |
| ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य बकाया देय | 4096.34 | 1626.99 |
| | 4151.84 | 1648.02 |

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय राशि:

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| क)i) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में प्रधान शेष राशि अवैतनिक है। | 55.50 | 21.03 |
| ii) उस पर ब्याज देय | 0.00 | 0.00 |
| iii) ब्याज देय और भुगतान में देरी की अवधी के लिए | 0.00 | 0.00 |
| iv) ब्याज उपार्जित और शेष अवैतनिक है | 0.00 | 0.00 |
| v) ब्याज देय और भुगतान अनुवर्ती वर्षों में | 0.00 | 0.00 |

ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय राशि का निर्धारण इस हद तक किया गया है कि प्रबंधन द्वारा एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर ऐसी पार्टियों की पहचान की गई है। उन्हें सभी देय राशि का भुगतान नियत तारीख के भीतर किया जाता है और समापन तिथि पर कोई अतिदेय राशि नहीं है।

व्यापार प्राप्य समयबृद्धि अनुसूची

रु. लाख में

| विवरण | देय नहीं | भुगतान की देय तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 वर्ष से कम | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3वर्षों से अधिक | |
| **चालू वर्ष** | **2021-22** | | | | | |
| i) एमएसएमई | 55.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.50 |
| ii) अन्य | 3996.68 | 4.74 | 2.40 | 24.66 | 62.86 | 4091.34 |
| iii) विवादित बकाया–एमएसएमई | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| iv) विवादित बकाया–अन्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| | **4052.18** | **4.74** | **2.40** | **24.66** | **67.86** | **4151.84** |
| **पिछले वर्ष** | **2020-21** | | | | | |
| i) एमएसएमई | 21.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.03 |
| ii) अन्य | 1503.57 | 10.20 | 38.71 | 1.51 | 68.00 | 1621.99 |
| iii) विवादित बकाया–एमएसएमई | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| iv) विवादित बकाया–अन्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| | **1524.60** | **10.20** | **38.71** | **1.51** | **73.00** | **1648.02** |

**19. अन्य चालू वित्तीय देयताएं**

रु. लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता: | | |
| सरकार ऋण की वर्तमान परिपक्वता | **7695.09** | **8187.29** |
| कुल उधार | 7695.09 | 15882.38 |
| घटाएँ: राशि ठअन्य चालू वित्तीय देयताओं के तहत संयोजित राशि | 7695.09 | 8187.29 |
| अन्य देनदारियाँ | 0.00 | 0.00 |
| गैर–चालू उधार (निवल) | **0.00** | **7695.09** |
| संकलित रक्षित ऋण | 0.00 | 0.00 |
| संकलित अरक्षित ऋण | 7695.09 | 15882.38 |

नोट:

i) वर्ष 2009-10 से भारत सरकार के ऋण की चुकौती में चूक का सिलसिला जारी है और मूलधन राशि पर अतिदेय राशि 37561.37 लाख रुपए (पिछले वर्ष रु.30778.08 लाख रुपए) और अर्जित ब्याज के लिए 32168.06 लाख रुपए है (पिछले वर्ष 26972.25 लाख रुपए), इन राशियों को 'अन्य चालू देयताएँ' के तहत दिखाया गया है। 7695.09 लाख रुपए (पिछले वर्ष 8187.29 लाख रुपए) अगले 12 महीनों में परिपक्व होने को "अन्य वर्तमान देनदारियों"के तहत 'दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता' के रूप में दिखाया गया है। कंपनी ने वर्ष के दौरान अतिदेय मूल राशि 1404.00 लाख रुपए का ऋण का भुगतान किया है (पिछला वर्ष 1556.00 लाख रुपए)।

**19क. 31.03.2022 को भारत सरकार से ऋण का विवरण** (रु.लाख में)

| क्रमांक | सरकारी अनुमोदन संख्या | उद्देश्य | स्वीकृति की तिथि | आहरण की तिथि | ब्याज की दर | किश्तों की संख्या | ऋण राशि 31.03.2022 को | देय किश्तें 31.03.2022 तक | कुल ब्याज 31.03.2022 तक | अतिदेय ब्याज 31.03.2022 तक | ऋण की वर्तमान अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | नोट सं.24 (i) | | नोट सं.24 (v) | नोट सं.21 |
| 1 | 51/11/2009-सीएच. III | कोची यूनिट में विविध परियोजनाओं हेतु | 01.12.2009 | 15.12.2009 | 11.50% | 5 | 660.00 | 660.00 | 933.05 | 910.80 | |
| 2 | 51/11/2009-सीएच. III | -वही- | 20.01.2010 | 22-01-2010 | 11.50% | 5 | 843.00 | 843.00 | 1181.67 | 1163.34 | |
| 3 | P.51012/01/2012-32 | विविध परियोजनाओं हेतु | 12.09.2012 | 18-09-2012 | 11.50% | 5 | 1760.00 | 1760.00 | 1929.73 | 1821.60 | |
| 4 | P.51012/4/2013-32-सीएच.छ्छ | भारत सरकार की गारंटी के साथ एचओसीएल बॉन्ड शृंखलों पर ब्याज भुगतान के लिए | 07.09.2015 | 10-09-2015 | 11.50% | 5 | 1057.00 | 1057.00 | 796.93 | 729.33 | |
| 5 | P.51012/4/2013-32-सीएच.III | भारत सरकार की गारंटी के साथ एचओसीएल बॉन्ड शृंखलों एंड ई पर ब्याज भुगतान के लिए | 22.09.2016 | 27-09-2016 | 11.00% | 5 | 2461.00 | 2461.00 | 1491.50 | 1353.55 | 0.00 |
| 6 | P.51012/4/2013-32-सीएच.III | भारत सरकार की गारंटी के साथ एचओसीएल बॉन्ड शृंखलों पर ब्याज भुगतान के लिए | 02.08.2017 | 07-08-2017 | 11.00% | 5 | 1057.00 | 845.60 | 540.58 | 465.08 | 211.40 |
| 7 | P.51012/4/2013-32-सीएच.III | भारत सरकार की गारंटी के साथ प्रधान एचओसीएल बॉन्ड शृंखलों पर चुकौती के लिए | 11.08.2017 | 14-08-2017 | 11.00% | 5 | 10000.00 | 8000.00 | 5093.15 | 4400.00 | 2000.00 |
| 8 | P.51012/4/2013-32-सीएच.III | भारत सरकार की गारंटी के साथ एचओसीएल बॉन्ड शृंखलों ई पर मूल एवं ब्याज की चुकौती के लिए | 12.09.2017 | 19-09-2017 | 11.00% | 5 | 16392.46 | 13113.97 | 8171.08 | 7212.68 | 3278.49 |
| 9 | P.51012/4/2013-32-सीएच.III | कर्मचारियों और अन्य से संबन्धित वैधानिक बकाया के भुगतान के लिए | 28.09.2017 | 29-09-2017 | 11.00% | 5 | 11026.00 | 8820.80 | 5462.85 | 4851.45 | 2205.20 |
| | भारत सरकार से सुरक्षित ऋण पर बकाया ब्याज (स्थिर संपत्तियों द्वारा सुरक्षित)। ऋण के मूलधन का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। | | | | | | | | 3329.41 | 3329.41 | |
| | भारत सरकार से असुरक्षित ऋण पर बकाया ब्याज। ऋण के मूलधन का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। | | | | | | | | 5930.82 | 5930.82 | |
| | कुल | | | | | | **45256.46** | **37561.37** | **34860.77** | **32168.06** | **7695.09** |

नोट: ऋण राशि 45256.46 लाख रुपए अरक्षित ऋण है ( पिछले वर्ष कुल ऋण राशि 46 46660.46 लाख रुपए हैं ).

**20. लघु अवधि प्रावधान** रु. लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| प्रारंभिक | | |
| i) कर्मचारियों के लाभ के लिए (छुट्टी नकदीकरण) | 316.15 | 370.65 |
| ii) कर्मचारियों के लाभ के लिए (उपदान) | 77.31 | 79.14 |
| iii) कर्मचारियों के पारिश्रमिक के लिए | 20.81 | 20.81 |
| iv) वैधानिक दावों के लिए | 6.08 | 60.10 |
| v) दूसरों के हित के लिए | 4860.00 | 4185.00 |
| vi) दंडस्वरूप ब्याज के लिए | 850.00 | 1032.06 |
| **उप–कुल** | **6130.35** | **5747.76** |
| **वर्ष के दौरान सृजित** | | |
| i) कर्मचारियों के लाभ के लिए (छुट्टी नकदीकरण) | 77.39 | 201.92 |
| ii) कर्मचारियों के लाभ के लिए (उपदान) | 41.19 | 77.31 |
| iii) कर्मचारियों के पारिश्रमिक के लिए | 0.00 | 0.00 |
| iv) वैधानिक दावों के लिए | 14.60 | 0.00 |
| v) दूसरों के हित के लिए | 675.00 | 675.00 |
| vi) दंडस्वरूप ब्याज के लिए | 0.00 | 0.00 |
| **उप–कुल** | **808.18** | **954.23** |
| **उपयोग किए गए** | | |
| i) कर्मचारियों के लाभ के लिए (छुट्टी नकदीकरण) | 79.09 | 256.43 |
| ii) कर्मचारियों के लाभ के लिए (उपदान) | 52.66 | 79.14 |
| iii) कर्मचारियों के पारिश्रमिक के लिए | 0.00 | 0.00 |
| iv) वैधानिक दावों के लिए | 6.08 | 54.02 |
| v) दूसरों के हित के लिए | 0.00 | 0.00 |
| vi) दंडस्वरूप ब्याज के लिए | 0.00 | 182.06 |
| **उप–कुल** | **137.83** | **571.64** |
| **अंतिम** | | |
| i) कर्मचारियों के लाभ के लिए (छुट्टी नकदीकरण) | 314.45 | 316.15 |
| ii) कर्मचारियों के लाभ के लिए (उपदान) | 65.83 | 77.31 |
| iii) कर्मचारियों के पारिश्रमिक के लिए | 20.81 | 20.81 |
| iv)वैधानिक दावों के लिए | 14.60 | 6.08 |
| v)दूसरों के हित के लिए | 5535.00 | 4860.00 |
| vi) दंडस्वरूप ब्याज के लिए | 850.00 | 850.00 |
| कुल | 6800.69 | 6130.35 |

वर्ष के दौरान कंपनी ने नुकसान / जुर्माना / दंड ब्याज के संबंध में प्रावधान किया है और कुल संचयी प्रावधान नीचे दिया गया है ।

क.अधिमान्य शेयर (270 करोड़ रुपए) पर ब्याज (1.5%), 4 साल के लिए मोचन के प्रास्थगन 405 लाख रुपए।

ख.अधिमान्य शेयर पूंजी की चुकौती पर चूक संबंधी ब्याज @ 1% रु. 270 लाख प्रति वर्ष पुनर्भुगतान में चूक पर ब्याज।

उपर्युक्त के कारण खाते पर कुल प्रभाव 675 लाख रुपए हैं।

**21. अन्य चालू देयताएँ**

| | | |
|---|---|---|
| i) ऋण अतिदेय -भारत सरकार से ऋण | 37561.37 | 30778.08 |
| ii) ग्राहकों से अग्रिम | 412.81 | 415.11 |
| iii) विक्रेताओं / ग्राहकों से जमा | 209.09 | 199.36 |
| iv) ब्याज उपार्जित किया गया लेकिन देय नहीं (भारत सरकार ऋण पर) | 2692.72 | 2790.87 |
| v) ब्याज उपार्जित और देय (भारत सरकार ऋण पर) | 32168.06 | 26972.18 |
| vi) सांविधिक देयताएँ | 232.92 | 544.19 |
| vii) कर्मचारी संबंधित देयताएँ | 130.79 | 125.54 |
| viii) वेतन पर्ची पुनप्राप्ति देय | 20.59 | 37.25 |
| ix) अन्य देयताएँ | 1630.54 | 1647.81 |
| **अन्य –कुल** | **75058.89** | **63510.39** |

**22. प्रचालनों से राजस्व – उत्पादों की बिक्री (विनिर्मित)**

रु. लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| **उत्पादों की श्रेणी द्वारा भिन्न भिन्न राजस्व** | | |
| फिनोल | 29931.04 | 21037.77 |
| एसिटोण | 9341.88 | 17577.08 |
| हाइड्रोजन पेरोक्साइड | 2542.01 | 822.53 |
| कुमीन के हेवी एन्ड्स | 867.79 | 1150.69 |
| कुमोक्स ऑयल | 684.67 | 569.73 |
| उत्पादों के बिक्री मूल्य – कुल | **43367.39** | **41157.80** |

**23.अन्य आय** रु. लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| सीधा आय : | | |
| स्क्रैप की बिक्री | 2.85 | 36.88 |
| **उप–कुल** | **2.85** | **36.88** |
| **ब्याज आय** | | |
| कॉल और अवधि जमाओं (सकल) पर | 672.82 | 702.87 |
| केएसईबी और अन्यों के साथ अग्रिमों और जमाओं पर | 112.51 | 21.39 |
| सहायक कंपनी को उधार पर | 63.62 | 63.62 |
| व्यापार प्राप्य से भुगतान में देरी और वित्त प्रभार संबंधी | 0.78 | 41.66 |
| **उप–कुल** | **849.73** | **829.54** |
| **अन्य गैर–प्रचालन आय** | | |
| संपदा भाड़े | 78.58 | 53.16 |
| परिवहन, पानी, विद्युत आदि की वसूली | 7.46 | 2.83 |
| निविदा प्रपत्रों की बिक्री | 0.00 | 0.11 |
| विनिमय दर अंतर – विविध आय | 0.00 | 0.00 |
| अधिक प्रावधान वापस लिखा | 2143.56 | 936.23 |
| आस्तियों की बिक्री पर लाभ | 0.00 | 15.96 |
| विविध आय | 60.55 | 86.58 |
| **उप–कुल** | **2290.15** | **1094.87** |
| **कुल** | **3142.73** | **1961.29** |
| अतिरिक्त प्रावधान वापस लिखे के रेवेरसल में निम्न शामिल है: | | |
| 1.अतिरिक्त प्रावधान वापिस लिखे –गेल एलएनजी | - | 790.96 |
| 2. ईपीएस(रसायनी) के डीपीसी के लिए अतिरिक्त प्रावधान का रेवेरसल। | - | 91.02 |
| 3. संदिग्ध ऋण के लिए अतिरिक्त प्रावधान का रेवेरसल। | 1.43 | 1.11 |
| 4.विविध मामलों में प्रावधानों की अवश्यकता नहीं है। | - | 53.14 |
| 5. अधिक प्रावधान वापस लिखा एचए?एल | 2122.35 | - |
| 6.अधिक प्रावधान वापस लिखा– भंडार' पुर्जे | 19.78 | - |
| कुल | 2143.56 | 936.23 |

1. वर्ष 2020–21 के दौरान त्रुटि के कारण विविध आय में 33.72 लाख रुपए की राशि कम प्रदान की गयी वैसे तो वर्ष 2020–21 के लिए तुलनात्मक राशि का इंड एएस–8 के अनुसार पुन: कथन किया गया।

(क) पूर्व की अवधि की त्रुटि : विविध आय

(ख) सुधार की राशि : 33.72 लाख रुपए

(ग) प्रभावित वित्तीय लाइन मद : नोट सं: 23 विविध आय)

2. वर्ष 2019–20 के दौरान त्रुटि के कारण विविध आय में 5.04 लाख रुपए की राशि कम प्रदान की गयी वैसे तो तुलनात्मक राशि का 01.04.2021 को प्रारम्भिक प्रतिधारित अर्जन में पुन: कथन किया गया।

(क) पूर्व की अवधि की त्रुटि : विविध आय

(ख) सुधार की राशि : 05.04 लाख रुपए

(ग) प्रभावित वित्तीय लाइन मद : नोट सं: 23 विविध आय)

**24.खपत की गई कच्चे माल और संघटकों की लागत** **रु.लाख में**

| विवरण | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| वर्ष के प्रारंभ में वस्तुसूची | 1281.06 | 515.89 |
| जोड़: क्रय | 28298.17 | 20870.28 |
| घटाएँ: वर्ष के अंत में माल सूची | 1699.53 | 1281.06 |
| खपत की गई कच्चे माल और संघटकों की लागत | **27879.70** | **20105.11** |

**25. तैयार माल की वस्तु सूची और डब्लियुआईपी में परिवर्तन**

वस्तुसूची में (वृद्धि) / कमी **रु.लाख में**

| विवरण | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| वर्ष के प्रारंभ में वस्तुसूची | | |
| (i) प्रक्रियागत स्टॉक | 960.65 | 835.12 |
| (ii) कैप्टीव खपत के लिए स्टॉक | 87.91 | 138.14 |
| (iii) मुख्य उत्पादें | 900.63 | 952.58 |
| (iv) उप उत्पादें | 19.21 | 97.13 |
| **उप–कुल** | **1968.40** | **2022.97** |
| वर्ष वेढ अंत में वस्तुसूएँी | | |
| (i) प्रक्रियागत स्टॉक | 1133.84 | 960.65 |
| (ii) कैप्टीव खपत के लिए स्टॉक | 571.60 | 87.91 |
| (iii) मुख्य उत्पादें | 1659.54 | 900.63 |
| (iv) उप उत्पादें | 34.20 | 19.21 |
| **उप–कुल** | **3399.18** | **1968.40** |
| तैयार माल की सूची और प्रगति पर कार्य में परिवर्तन | **-1430.78** | **54.57** |

**26. कर्मचारी हितलाभ व्यय** **रु.लाख में**

| विवरण | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| क) वेतन, मजदूरी एवं भत्ता | **3284.33** | **3370.44** |
| ख) भविष्यनिधि और अन्य निधियों के लिए कंपनी का योगदान | **326.28** | **336.64** |
| ग) समूह उपदान सह जीवन आश्वासन योजना के लिए प्रीमियम सहित उपदान भुगतान | **167.67** | **201.43** |
| घ) छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान | **279.77** | **266.09** |
| ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय | | |
| चिकित्सा सुविधाएं | 121.03 | 86.48 |
| कैंटीन और पोषण सुविधाएं | 262.63 | 258.94 |
| अन्य कल्याण व्यय | 33.13 | 49.72 |
| **उप–कुल** | **416.79** | **395.14** |
| **स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति फायदा (वीआरएस एवं वीएसएस)** | 45.51 | 0.00 |
| | **4520.35** | **4569.74** |

कंपनी ने 20.02.2017 को एक वीआरएस योजना की घोषणा की थी जिसे शुरू में एक महीने के लिए खुला रखा गया था और आगे 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था। एक कर्मचारी जिसे वीआरएस योजना के लिए चुना गया था, को पुनर्गठन आय के लिए रखा गया था, वर्ष 2021–22 के दौरान कार्यमुक्त किया गया था।

2019–20 से संबंधित छुट्टी नकदीकरण को त्रुटि के कारण गलत तरीके से 12.66 लाख रुपये में दर्ज किया गया है क्योंकि तुलनात्मक राशि को 01.04.2021 को प्रारंभिक प्रतिधारित अर्जन में पुन: प्रतिपादित किया गया है।

(क) पूर्व की अवधि की त्रुटि : विविध आय

(ख) सुधार की राशि : 12.66 लाख रुपए

(ग) प्रभावित वित्तीय लाइन मद : नोट सं: 26 विविध आय)

**27.वित्त लागत** **रु.लाख में**

| विवरण | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| **ब्याज :** | | |
| निश्चित ऋण (भारत सरकार) पर | 5097.73 | 5296.14 |
| अन्य ऋण पर | 0.00 | 0.00 |
| ब्याज–अन्य | 10.10 | 30.82 |
| | 5107.83 | 5326.96 |
| अन्य उधार लागत –बैंक प्रभार | 26.34 | 9.50 |
| **कुल वित्तीय लागतें** | **5134.17** | **5336.46** |

**28. मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय** **रु.लाख में**

| विवरण | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| मूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास | 108.34 | 115.56 |
| अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन | 8.03 | 5.23 |
| **कुल** | **116.37** | **120.79** |

**29.अन्य व्यय** **रु.लाख में**

| विवरण | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| भंडार और पुर्जों की खपत | | |
| i) उत्प्रेरक और रसायन | 340.70 | 367.49 |
| ii) उपभोग भंडार | 342.14 | 257.56 |
| iii) पैकिंग सामग्री | 484.16 | 360.34 |
| | **1167.00** | **985.39** |
| यूटिलिटीस: | | |
| ऊर्जा | 1671.16 | 1766.28 |
| ईंधन | 5988.21 | 5162.90 |
| जल | 219.29 | 214.52 |
| | **7878.66** | **7143.70** |
| मरम्मत एवं अनुरक्षण | | |
| भवन | 140.78 | 109.19 |
| संयंत्र और मशीनरी | 383.89 | 195.43 |
| अन्य परिसंपत्तियाँ | 132.62 | 160.51 |
| | **657.29** | **465.13** |
| प्रशासन व्यय : | | |
| भाड़ा | 72.09 | 17.02 |
| बीमा | 206.44 | 213.27 |

| | | |
|---|---|---|
| दर और कर | 464.36 | 370.86 |
| परामर्श प्रभार | 104.06 | 72.00 |
| लेखापरीक्षकों को भुगतान: | | |
| सांविधिक लेखापरीक्षा के लिए | 4.60 | 5.60 |
| अन्य लेखापरीक्षा के लिए | 1.60 | 1.40 |
| व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए | 0.76 | 0.85 |
| अन्य व्यय : | | |
| टाउनशिप के लिए बिजली | 16.80 | 16.87 |
| टाउनशिप के लिए जल | 21.87 | 18.26 |
| सुरक्षा व्यय | 269.62 | 237.62 |
| विज्ञापन व्यय | 6.38 | 5.21 |
| वाहन व्यय का किराया | 24.48 | 23.82 |
| आस्तियों की बिक्री/निपटान में नुक्सान | 0.00 | 4.09 |
| अन्य विविध व्यय | 90.51 | 129.04 |
| | **1283.57** | **1115.91** |
| बिक्री और वितरण व्यय: | | |
| नकद छूट | 753.18 | 786.44 |
| अन्य बिक्री व्यय | 0.00 | 0.06 |
| | **753.18** | **786.50** |
| प्रावधान: | | |
| संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | 16.77 | 40.80 |
| वैधानिक दावों के लिए प्रावधान | 0.00 | 44.04 |
| दंडात्मक ब्याज के लिए प्रावधान | 675.00 | 675.00 |
| पहचान न की गयी आस्तियां के लिए प्रावधान | 2.61 | 16.79 |
| संदिग्ध प्राप्ति के लिए प्रावधान | 180.70 | 62.05 |
| | **875.08** | **838.68** |
| **कुल** | **12614.78** | **11335.31** |

टिप्पणियाँ:

1. वर्ष 2020–21 के दौरान त्रुटि के कारण कर और दर की ओर 22.64 लाख रुपए की राशि कम प्रदान की गयी वैसे तो वर्ष 2020–21 के लिए तुलनात्मक राशि का इंड एएस–8 के अनुसार पुन: कथन किया गया।

   (क) पूर्व की अवधि की त्रुटि : कर और दर

   (ख) सुधार की राशि : 22.64 लाख रुपए

   (ग) प्रभावित वित्तीय लाइन मद : नोट सं: 29 (कर और दर)

2. वर्ष 2019–20 के दौरान त्रुटि के कारण भा? प्रभार की ओर 21.14 लाख रुपए की राशि कम प्रदान की गयी वैसे तो वर्ष 2019–20 के लिए तुलनात्मक राशि का इंड एएस–8 के अनुसार पुन: कथन किया गया।

   (क) पूर्व की अवधि की त्रुटि : कर और दर

   (ख) सुधार की राशि : 21.14 लाख रुपए

   (ग) प्रभावित वित्तीय लाइन मद : नोट सं: 29 (कर और दर)

3. वर्ष 2019-20 के दौरान त्रुटि के कारण भाड़े प्रभार की ओर 0.06 लाख रुपए की राशि अधिक प्रदान की गयी वैसे तो वर्ष 2019-20 के लिए तुलनात्मक राशि का प्रारम्भिक प्रतिधारित अर्जन में इंड एएस-8 के अनुसार पुन: कथन किया गया।

   (क) पूर्व की अवधि की त्रुटि : कर और दर

   (ख) सुधार की राशि : 0.06 लाख रुपए

   (ग) प्रभावित वित्तीय लाइन मद : नोट सं: 29 (कर और दर)

4. वर्ष 2020-21 के दौरान त्रुटि के कारण विविध व्यय की ओर 6.44 लाख रुपए की राशि कम प्रदान की गयी वैसे तो वर्ष 2020-21 के लिए तुलनात्मक राशि का इंड एएस-8 के अनुसार पुन: कथन किया गया।

   (क) पूर्व की अवधि की त्रुटि : विविध व्यय

   (ख) सुधार की राशि : 6.44 लाख रुपए

   (ग) प्रभावित वित्तीय लाइन मद : नोट सं: 29 (कर और दर)

5. वर्ष 2019-20 के दौरान त्रुटि के कारण भाड़े प्रभार की ओर 3.73 लाख रुपए की राशि कम प्रदान की गयी वैसे तो वर्ष 2019-20 के लिए तुलनात्मक राशि का प्रारम्भिक प्रतिधारित अर्जन में इंड एएस-8 के अनुसार पुन: कथन किया गया।

   (क) पूर्व की अवधि की त्रुटि : विविध व्यय

   (ख) सुधार की राशि :3.73 लाख रुपए

   (ग) प्रभावित वित्तीय लाइन मद : नोट सं: 29 (कर और दर)

**30 कर्मचारी हितलाभ योजना:**

**क. छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान**

कंपनी ने बीमांकिक मूल्य पर आधारित इंड एएस–19 और कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत छुट्टी नकदीकरण दावों की अप्रदत्त राशि के अनुसार 31 मार्च 2021 तक छुट्टी नकदीकरण के लिए 1420.24 लाख रुपए (पिछले वर्ष के लिए 1409.82 लाख रुपए) का प्रावधान किया है।

**ख. भविष्य निधि**

कर्मचारियों को कंपनी द्वारा 30 जून 2018 तक प्रबंधित भविष्य निधि से लाभ मिलता है 1 जुलाई 2018 से कंपनी ने सभी कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में स्थानांतरित कर दिया और ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित किया गया है । कर्मचारी और नियोक्ता प्रत्येक कर्मचारी के वेतन / मजदूरी के 12ऱ के बराबर भविष्य निधि / पेंशन राशि योजना में मासिक योगदान करते हैं ।

**ग. उपदान**

उपदान योजना उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के द्वारा शासित है और जिस कर्मचारी ने पांच साल की सेवा पूरी की है, वह उपदान के हकदार है और दिये गए लाभों का स्तर सदस्यों की सेवाकाल की अवधि और सेवानिवृत्ति की आयु में वेतन पर निर्भर है। कर्मचारी उपदान निधि योजना योजना, जो एक परिभाषित लाभ योजना है, को ट्रस्ट द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ बनायी गयी वार्षिक योजना के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। एलआईसी के साथ उपलब्ध शेष राशि 625.73 लाख रुपए (पिछले वर्ष 625.73 लाख रुपए है) और आईसीआईसीआई बैंक के साथ निवेश 0.25 लाख रुपए हैं (पिछले वर्ष शून्य है)।

**1.योजना की धनराशि की स्थिति** — **रु.लाख में**

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| निधिपोषित दायित्व के वर्तमान मूल्य | 1936.87 | 2278.24 |
| योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य | -1490.61 | -625.98 |
| निवल देयताएं(परिसंपत्ति) | **446.26** | **1652.26** |

**2क. चालू अवधि के लिए लाभ और हानि खाता** — **रु.लाख में**

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| चालू सेवा लागत | 77.30 | 78.41 |
| नियंत्रण और समायोजन पर विगत सेवा लागत और नुकसान /हानि | 0.00 | 0.00 |
| निवल ब्याज लागत | 90.36 | 123.02 |
| ठकर्मचारी हितलाभ व्ययठ (पी एंड एल) में शामिल कुल | **167.66** | **201.43** |

**2ख. चालू अवधि के लिए अन्य समग्र आय** रु.लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| दायित्व पर बीमांकिक वृद्धि/हानि के संघटक: | | |
| वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण | -77.19 | 68.22 |
| जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण | 0.00 | 0.00 |
| अनुभवी समायोजन के कारण | 53.39 | -24.18 |
| ब्याज आय में शामिल राशियों को छोडकर योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ | -17.19 | -12.94 |
| अन्य समग्र आय में स्वीकार राशियाँ | **-40.99** | **31.10** |

**3. परिभाषित हितलाभ देयता का समाधान** रु.लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| परिभाषित हितलाभ दायित्व का प्रारम्भ | 2278.24 | 2278.38 |
| दायित्व में /(बाहर) अंतरण | 0.00 | 0.00 |
| चालू सेवा लागत | 77.30 | 78.41 |
| ब्याज लागत | 113.68 | 123.02 |
| दायित्व पर बीमांकिक वृद्धि/हानि के संघटक: | | |
| वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण | (77.18) | 68.22 |
| जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण | 0.00 | 0.00 |
| अनुभवी समायोजन के कारण | 53.39 | (24.18) |
| विगत सेवा लागत | 0.00 | 0.00 |
| नियंत्रण पर हानि(लाभ) | 0.00 | 0.00 |
| समायोजन पर समाप्त देयताएं | 0.00 | 0.00 |
| क्रय के रूप में समामेलन में स्वीकृत देयताएं | 0.00 | 0.00 |
| विदेशी योजनाओं में विनिमय अंतर | 0.00 | 0.00 |
| भुगतान की गयी | (508.55) | (245.61) |
| परिभाषित हितलाभ देयता का अंतिम | 1936.88 | 2278.24 |

**4. योजना आस्तियों का समाधान** रु.लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| योजना आस्तियों का प्रारम्भिक मूल्य | 625.98 | 15.34 |
| योजना आस्तियों में (बाहर) अंतरण | 0.00 | 0.00 |
| निधि से कटौती किया गए व्यय | 0.00 | 0.00 |
| ब्याज आय | 23.32 | 0.00 |
| ब्याज आय में शामिल राशियों को छोडकर योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ | 17.20 | 12.94 |
| समायोजन पर वितरित परिसंपत्तियाँ | 0.00 | 0.00 |
| नियोक्ता द्वारा योगदान | 1280.00 | 597.70 |
| क्रय के रूप में समामेलन में अर्जित आस्तियां | | |
| क्रय | 0.00 | 0.00 |
| विदेशी योजनाओं में विनिमय दर अंतर | 0.00 | 0.00 |
| प्रदत्त हितलाभ | (455.89) | 0.00 |
| योजना आस्तियों का अंतिम मूल्य | **1490.61** | **625.98** |

**5. निवल परिभाषित हितलाभ देयता का समाधान** रु. लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| लेखा बहियों में निवल अथ प्रावधान | 1652.26 | 2263.05 |
| दायित्व में/ (बाहर) अंतरण | 0.00 | 0.00 |
| योजना आस्तियों में (बाहर) अंतरण | 0.00 | 0.00 |
| अनुलग्नक 2 के अनुसार कर्मचारी हितलाभ व्यय | 167.66 | 201.43 |
| अन्य व्यापक आय में स्वीकृत राशियाँ | -40.99 | 31.10 |
| | 1778.93 | 2495.58 |
| कंपनी द्वारा प्रदत्त हितलाभ | -52.66 | -245.62 |
| समायोजित हितलाभ (रसायनी यूनिट) | 0.00 | 0.00 |
| योजना आस्तियों में योगदान | -1280.00 | -597.70 |
| लेखा बहियों में अंतिम प्रावधान | 446.27 | 1652.26 |

**आस्तियों के उच्चतम का समाधान** रु.लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| आस्तियों के उच्चतम प्रारम्भिक मूल्य | 0.00 | 0.00 |
| आस्तियों के उच्चतम प्रारम्भिक मूल्य पर ब्याज | 0.00 | 0.00 |
| अधिशेष/ घाटा के कारण आस्तियों पर हानि/ वृद्धि | 0.00 | 0.00 |
| योजना आस्तियों का उच्चतम अंतिम मूल्य | 0.00 | 0.00 |

**6. योजना आस्तियों की संरचना** रु.लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| | % | % |
| भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ | 0% | 0% |
| राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ | 0% | 0% |
| उच्च गुणवत्ता निगमित बॉण्ड | 0% | 0% |
| सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर | 0% | 0% |
| संपत्ति | 0% | 0% |
| विशेष जमा योजना | 0% | 0% |
| बीमा पॉलिसी | 100% | 100% |
| बैंक शेष | 0% | 0% |
| अन्य निवेश | 0% | 0% |
| **कुल** | **100%** | **100%** |

**7. अनुसूची III के अनुसार देयता का विभाजन** रु.लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| चालू देयताएं | 65.83 | 77.30 |
| गैर–चालू देयताएँ | 380.42 | 1574.96 |
| निवल देयताएं | **446.25** | **1652.26** |

**8.प्रधान बीमांकिक अनुमान** रु.लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| बट्टा दर | 6.40% | 5.60% |
| वेतन वृद्धि दर | 7.00% | 7.00% |
| वापसी दर | छोटी उम्र में 3% वृद्धावस्ता में 1% कम करता है। | छोटी उम्र में 3% वृद्धावस्ता में 1% कम करता है। |
| योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ का दर | 6.40 | 5.60% प्र.व |

| 9. परिभाषित हितलाभ दायित्व की परिपक्व प्रोफाइल | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| | नकद प्रवाह रु. लाख में | वितरण (%) |
| वर्ष 1 नकद प्रवाह | 579.48 | 21.3% |
| वर्ष 2 नकद प्रवाह | 202.80 | 7.4% |
| वर्ष 3 नकद प्रवाह | 263.39 | 9.7% |
| वर्ष 4 नकद प्रवाह | 195.97 | 7.2% |
| वर्ष 5 नकद प्रवाह | 189.48 | 6.9% |
| वर्ष 6 से वर्ष 10 तक | 634.85 | 23.3% |

उपर्युक्त नकद प्रवाह पर आने के लिए भविष्य प्रोद्भूत का विचार नहीं किया गया।

अगले वर्ष के लिए प्रत्याशित योगदान 65.83 लाख रुपए है।

मूल्यन तिथि पर औसत बकाया दायित्व की अवधि (वर्षो) 4?56 वर्ष है।

**10.मुख्य अनुमानों पर संवेदनशीलता** रु.लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| बट्टा दर संवेदनशीलता | | |
| बढ़ता 0.5 % | 1891.72 | 2225.37 |
| (% परिवर्तन) | -2.33% | -2.32% |
| 0.5% द्वारा घटना | 1984.37 | 2333.87 |
| (% परिवर्तन) | 2.45% | 2.44% |
| वेतन वृद्धि दर संवेदनशीलता | | |
| बढ़ता 0.5 % | 1956.58 | 2303.18 |
| (% परिवर्तन) | 1.02% | 1.09% |
| 0.5% द्वारा घटना | 1916.53 | 2251.70 |
| (% परिवर्तन) | -1.05% | -1.16% |
| निकासी (डब्ल्यू आर) दर संवेदनशीलता | | |
| डब्ल्यू आर ड110% | 1939.82 | 2280.95 |
| (% परिवर्तन) | 15.00% | 0.12% |
| डब्ल्यू आर ड90% | 1933.97 | 2275.61 |
| (% परिवर्तन) | -15.00% | -0.12% |

**संवेदनशीलता विश्लेषण और इसकी सीमाओं के लिए उपयोग की जानेवाली विधियों का विवरण:**

अन्य सभी मानकों को अपरिवर्तित रखते हुए संवेदनशीलता विश्लेषण एक एकल पैरामीटर को बदलकर किया जाता है।

संवेदनशीलता विश्लेषण अंतर्निहित मानकों के बीच अंतर–संबंध पर ध्यान केंद्रित करने में विफल रहता है। इसलिए, यदि दो या दो से अधिक परिणाम एक साथ बदल जाते हैं तो परिणाम अलग–अलग हो सकते हैं।

इस्तेमाल की गई विधि किसी भी पैरामीटर में परिवर्तन की संभावना और परिवर्तन की सीमा में यदि कोई हो तो, के बारे में कुछ भी सूचित नहीं करती है

**परिशिष्ट क: परिभाषित हितलाभ दायित्व का अलग–अलग विवरण** रु.लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| निहित | 1,933.41 | 2,269.01 |
| गैर –निहित | 3.46 | 9.23 |
| **कुल** | **1,936.87** | **2,278.24** |

**परिशिष्ट क: परिभाषित हितलाभ दायित्व का अलग–अलग विवरण** रु.लाख में

| आयु (वर्ष में) | डीबीओ | |
|---|---|---|
| | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
| 25 से कम तक | - | - |
| 25 से 35 तक | 13.20 | 16.61 |
| 35 से 45 तक | 193.73 | 208.81 |
| 45 से 55 तक | 807.53 | 923.87 |
| 55 और उसके ऊपर | 922.41 | 1128.95 |
| निवृत्त कर्मचारियों के लिए प्रोद्भूत उपदान | - | - |
| **कुल** | **1936.87** | **2278.24** |

**परिशिष्ट ग: परिभाषित हितलाभ दायित्व की विगत सेवा वितरण** रु.लाख में

| आयु (वर्ष में) | डीबीओ | |
|---|---|---|
| | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
| 0 से 4 तक | 3.46 | 3.75 |
| 4 से10 तक | 65.08 | 61.17 |
| 10 से 15 तक | 162.12 | 165.53 |
| 15और उसके ऊपर | 1706.21 | 2047.79 |
| निवृत्त कर्मचारियों के लिए प्रोद्भूत उपदान | - | - |
| **कुल** | **1936.87** | **2278.24** |

**योजना के लिए प्रमुख जोखिम**

**क. बीमांकिक जोखिम:**

यह जोखिम है कि लाभ अपेक्षा से अधिक खर्च होंगे। निम्नलिखित कारणों में से एक के कारण यह उत्पन्न हो सकता है:

प्रतिकूल वेतन वृद्धि का अनुभव:

वेतन वृद्धि जो अनुमानित वेतन वृद्धि से अधिक है, का परिणाम यह होगा कि प्रत्याशित से अधिक दर में दायित्व में वृद्धि होगी।

मृत्यु दरों में परिवर्तनशीलता:

यदि वास्तविक मृत्यु दर अनुमानित मृत्यु दर की धारणा से अधिक है तब प्रत्याशा से पहले उपदान लाभ का भुगतान किया जाना चाहिए। चूंकि मौत के लाभ पर निहित कोई शर्त नहीं है, इसलिए नकद प्रवाह की संवृद्धि अनुमानित वेतन वृद्धि के सापेक्ष मूल्यों और बट्टे दरों के आधार पर एक बीमांकिक हानि या लाभ में अग्रसर होगा । चूंकि मृत्यु लाभ पर निहित होने की कोई स्थिति नहीं है, इसलिए नकदी प्रवाह के त्वरण से अनुमानित वेतन वृद्धि और छूट दर के सापेक्ष मूल्यों के आधार पर एक असाधारण नुकसान या लाभ होगा।

निकासी दरों में परिवर्तनशीलता:

यदि वास्तविक निकासी दर प्रत्यावर्तन दर धारणा से अधिक है, तो उपदान लाभ पूर्व की अपेक्षा भुगतान किया जाएगा। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि इस्तीफे की तारीख में क्या लाभ निहित हैं।

**ख. निवेश जोखिम**

निधि योजनाओं जो संपत्तियों के प्रबंधन के लिए बीमा कंपनियों पर भरोसा करते हैं, के लिए बीमाकर्ताओं द्वारा प्रमाणित संपत्तियों का मूल्यदेयता का समर्थन करने वाले लिखत का उचित मूल्य नहीं हो सकता है। ऐसे मामलों में, संपत्ति का वर्तमान मूल्य भविष्य की छूट दर से स्वतंत्र है। इसके परिणामस्वरूप शुद्ध देयता या वित्त पोषित में यदि अंतर–मूल्यांकन अवधि के दौरान छूट दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की स्थिति पर व्यापक उतार–चढ़ाव हो सकता है।

**ग. चलनिधि जोखिम**

कर्मचारी जो उच्च वेतन और लंबी सेवा काल या पदानुक्रम में उच्च है, हितलाभों के महत्वपूर्ण स्तर संचित करते हैं। अगर ऐसे कुछ कर्मचारियों ने कंपनियों से इस्तीफा दे दिया / सेवानिवृत्त हुए तो नकद प्रवाह पर तनाव हो सकता है।

**घ. बाज़ार जोखिम:**

बाजार जोखिम उन जोखिमों के लिए एक सामूहिक शब्द है जो वित्तीय बाज़ार में परिवर्तन और उतार–चढ़ाव से संबंधित हैं। एक बीमांकिक अनुमान को बट्टे दर पर भौतिक प्रभाव है। बट्टे दर पैसे के मूल्य का समय दर्शाती है। बट्टे दर में वृद्धि योजना के लाभ के परिभाषित हितलाभ दायित्वों में कमी की ओर और उसके विलोम ले जाती है। यह अनुमान कॉर्पोरेट / सरकारी बॉन्ड पर प्रतिलाभ पर निर्भर करती है और इसलिए देयता का मूल्यांकन मूल्यन तिथि को प्रतिलभों की उपज पर उजागर होता है।

**ङ. विधायी जोखिम:**

विधायी जोखिम यह है कि वैधानिक/ विनियामक में परिवर्तन के कारण योजना देयताओं में वृद्धि या योजना परिसंपत्तियों में कमी का जोखिम है। सरकार उपदान अधिनियम के भुगतान में संशोधन कर सकती है जिसके फलस्वरूप कंपनियों को कर्मचारियों के लिए उच्च हितलाभ के भुगतान करने की अवश्यकता है। यह सीधे परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य को प्रभावित करेगा और उक्त को जब किसी ऐसे संशोधन लागू होने पर वर्ष में तत्काल स्वीकार किया जाना होगा ।

मूल्यांकन में उपयोग किए गए अनुमानों का सारांश निम्नानुसार है:

वित्तीय अनुमान (तालिका 9)

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| बट्टा दर | 6.40% प्रति वर्ष | 5.60% प्रति वर्ष |
| वेतन वृद्धि दर | 7.00% प्रति वर्ष | 7.00% प्रति वर्ष |
| योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ दर | 6.40% प्रति वर्ष | 5.60% प्रति वर्ष |
| डेमोग्राफिक अनुमान | | |

**निकासी दर प्र.व (तालिका 10)**

| आयु बैंड | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| 25 और कम | 3.00% | 3.00% |
| 25 से 35 | 2.50% | 2.50% |
| 35 से 45 | 2.00% | 2.00% |
| 45 से 55 | 1.50% | 1.50% |
| 55 और ऊपर | 1.00% | 1.00% |

मृत्यु दर

**भारतीय सुनिश्चित जीवनकाल मृत्यु प्रतिवर्ष का नमूना (2012–14) तालिका 11**

| आयु (वर्ष में) | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| 20 | 0.09% | 0.09% |
| 30 | 0.10% | 0.10% |
| 40 | 0.17% | 0.17% |
| 50 | 0.44% | 0.44% |
| 60 | 1.12% | 1.12% |

मूल्यांकन तरीका

बीमांकिक ने परिभाषित हितलाभ दायित्व के मूल्यांकन के लिए निश्चित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)

**31 परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण**

क) मूलरूप से कंपनी के रसायनी इकाई में 1012.355 एकड़ भूमि थी (राजस्व रिकर्ड के अनुसार)। उक्त भूमि में से 251 एकड़ बीपीसीएल को और 20 एकड़ आईएसआरओ को वर्ष 2017–18 के दौरान बेची गई। वर्ष 2018–19 में बीपीसीएल को 38.687 एकड़ ज़मीन बेची गई। वर्ष 2019–20 में 85.27 एकड़ ज़मीन बीपीसीएल और 0.386 एकड़ भूमि आईओसीएल (पेट्रोल पम्प का क्षेत्र) को बेच दिया। शेष उक्त भूमि में से 65.840 एकड़ में 22.717 एकड़ . जमीनअतिक्रमण के अधीन पहचान की गई, 32.547 एकड़ ज़मीन एमआईडीसी,एमएसईबी, एचआईएल, एमईएस आदि के अधीन है, 10.576 एकड़ सार्वजनिक सड़क है, इसीलिए शून्य मूल्य माना गया है। उक्त अतिक्रमण का निर्धारण सर्वश्री जियोटक कंपनी द्वारा किए गए उनकी 24 अप्रैल 2019 की सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। शेष 551.172 (पिछले वर्ष 551.172 एकड़) एकड़ भूमि का पुन: मूल्यन तैयार किए गए रेकनर रेट या बीपीसीएल को 832.95 (पिछले वर्ष 832.95 कराड़ रुपए) करोड़ रुपए की सहमत दर पर बेचने पर किया गया है।

ख) नगरपालिका आयुक्त, पनवेल से सर्वेक्षण नं 738 की भूखंड संख्या 11 और 12 के वास्तविक क्षेत्रफल के संबंध में प्राप्त सूचना के अनुसार एक सार्वजनिक मार्ग से इसके अंतर से है, और इस तरह बिक्री के लिए उपलब्ध पनवेल भूमि का कुल क्षेत्रफल 8 एकड़ से कम हो कर 7.09 एकड़ हो गया है। तदनुसार आरक्षित मूल्य (उचित मूल्य) रु 158 करोड़ हो गया है। आगे एचओसीएल ने भूमि की बिक्री के लिए महाराष्ट्र सरकार से एनओसी के लिए आवेदन किया है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

ग) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन योजना 22 मई 2017 के अनुसार कंपनी ने रसायनी इकाई को बंद कर दिया है। संयंत्र और स्क्रैप उपकरणों का निपटान कर दिया गया है। रसायनी के भारमुक्त भूमि की एनबीसीसी और पनवेल की भूमि ई नीलामी के माध्यम से करने का कार्य प्रगति पर है। कोची के फिनोल संयंत्र का प्रचालन चालू है।

**32 निवेश**

क) कंपनी की सहायक कंपनी सर्वश्री हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बन लिमिटेड के शेयर इक्विटी के रूप में 1106.00 लाख रुपए (पिछले वर्ष का 1106.00 लाख रुपए) का निवेश है। एचएफएल जो 1994 से बीआईएफआर के अधीन है। कंपनी का अद्यतन 31 मार्च, 2022 के लेखापरीक्षित तुलनपत्र के आधार पर निवल मूल्य नकारात्मक है। 31.03.2022 को शेयरों का बाज़ार मूल्य (अंकित मूल्य 10 रुपए) 9.57 (पिछले वर्ष 7.54 लाख रुपए)। 47.56 लाख (पिछले वर्ष 272.08 लाख रुपए) के इन निवेशों के मूल्य में कमी की दिशा में चालू वर्ष के दौरान बही में प्रावधान किया गया है। भारत सरकार ने 29.01.2020 के सीसीईए के निर्णय के अनुसार सर्वश्री एचएफएल को बंद करने का निर्णय लिया है। वीआरएस व्यय और बैंक और आपूर्तिकर्ताओं को देय राशि देने के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में भारत सरकार द्वारा 75.87 (26.05.2020 को 73.70 करोड़ रुपए और 15.03.2022 को 2.17 करोड़ रुपए) करोड़ रुपए की राशि निर्गत किया गया है।

ख) वर्ष 2007–08 के दौरान, सहायक कंपनी सर्वश्री हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बन लिमिटेड (एचएफएल) के पुनरुद्धार के लिए संशोधित प्रारूप पुनर्वास योजना (एमडीआरएस) के कार्यान्वयन के लिए बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित किया गया था। एमडीआरएस के कार्यान्वयन के रूप में, एचओसीएल ने एचएफएल को दिए गए ऋण पर जमा हुए 2260.26 लाख रुपये का ब्याज माफ कर दिया था और 2744.07 लाख रुपए के असुरक्षित ऋण को ज़ीरो कूपन लोन (इसेज़सीएल) के रूप में बदलकर सुरक्षित किया जो एचएफएल ने एचओसीएल के पक्ष में अचल संपत्ति (सरकार की दर के अनुसार 2035.26 लाख रुपए मूल्य के 84.31 एकड़ भूमि) का प्रथम चार्ज किया है। यह ऋण 2010–11 से शुरू होने वाली 7 समान वार्षिक किस्तों में देय था, जो रु.2744.07 (पिछले वर्ष .2744.07) के बराबर है, जो पूर्ण देय और भुगतान योग्य था, इसके अलावा, कंपनी ने एचएफएल को 453.01 लाख रुपए (पिछले वर्ष रुपये 453.01) को 10.25% से 14.50% जो पूर्ण में देय हो गया है। एचएफएल की अचल संपत्ति पर यह ऋण सुरक्षित है। 31 मार्च, 2021 तक सुरक्षा में ब्याज सहित 2122.34 लाख रुपये तक की कमी का प्रावधान किया गया है। पेशेवर योग्यता वाले बाहरी पंजीकृत स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षित संपत्ति का मूल्य आज की तारीख में 10196.76 लाख रुपए है। अत: दिनांक 31.03.2022 को बही में उपलब्ध कराए गए 2122.35 लाख रुपये के प्रावधन रिवेर्स दिया जाता है।

ग) कंपनी ने 16.10.2006 को मेसेर्स महात्मा एजुकेशन सोसाइटी (एमईएस) को 30 साल की अवधि के लिए स्कूल प्रबंधन सुविधाओं को पट्टे पर देने के लिए एक समझौता किया है। पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एमईएस के प्रबंधन ने समझौते की शर्तों के उल्लंघन में परिसर में नई इमारतों और सुविधाओं का निर्माण किया है। कंपनी ने मेसेर्स एमईएस के समझौते के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट अलीबाग को समाप्ति के लिए एक नोटिस भेजा है। एमईएस ने एचओसीएल और एमईएस के विवाद में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जिला न्यायालय ने एमईएस की मध्यस्थता याचिका के अंतिम निपटान को लंबित रहने दिया है। कंपनी ने जिला न्यायालय द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय में दिए गए स्टे को खाली करने के लिए एक याचिका दायर की है।

**33 प्रति शेयर अर्जन**

| गणना की गयी प्रतिशेयर अर्जन निम्नानुसार है: | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| कर पश्चात् निवल लाभ/(हानि) (रुपए लाख में) | -2324.47 | 1597.11 |
| इक्विटी शेयरों का भारित औसत संख्या (रुपए लाख में) | 67173100 | 67173100 |
| प्रति इक्विटी शेयर का नाममात्र मूल्य (रुपए) | 10.00 | 10.00 |
| प्रति इक्विटी शेयर अर्जन मूल/मिश्रित ( रु.) | -3.46 | 2.38 |

**34 सेगमेंट रिपोर्टिंग**

चूंकि कंपनी केवल रसायन का निर्माण कर रही है, इसलिए रिपोर्ट करने योग्य कोई अलग प्राथमिक और माध्यमिक खंड नहीं हैं और कंपनी द्वारा उत्पादित सभी रसायनों को एकल रिपोर्ट योग्य सेगमेंट का प्रतिनिधित्व के रूप में विचार किया जाता है। खंडीय परिणामों के प्रकटीकरण के संबंध में भारतीय लेखा मानक 108 की आवश्यकताओं को कंपनी के लिए लागू नहीं माना जाता है।

**35 शेष राशि की पुष्टि**

व्यापार प्राप्य के शेष,व्यापार देय, ऋण, अग्रिमों, अन्य चालू आस्तियां और उधार पुष्टि/ समाधान और अनुवर्ती समायोजनों के अधीन है बशर्ते उन मामलों जहां पुष्टि प्राप्त की गयी है।

**36 आकस्मिक देयताएँ और प्रतिबद्धताएं** रु.लाख में

| i) आकस्मिक देयताएं | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| **क)कंपनी के विरुद्ध दावा जिसे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:** | | |
| i) आयकर दावा | 91.99 | 492.49 |
| ii) उत्पाद शुल्क/सेवाकर | 104.63 | 104.63 |
| iii) स्कूल शिक्षकों के लिए उपदान | 75.31 | 75.31 |
| iv) अन्य दावे (पीएंडए - कानूनी मामले) | 272.90 | 272.90 |
| v) हरिचंद हाउस का किराया दावे | 5949.98 | 5863.85 |
| vi) जेएनपीटी पट्टा किराया | 2974.52 | 2974.52 |
| vii) सरकार ऋण पर दंडस्वरूप ब्याज | 7119.24 | 5940.71 |
| viii) सरकार ऋण पर ब्याज के ऊपर ब्याज | 40113.98 | 32981.28 |
| | **56702.55** | **48705.69** |
| ii)**प्रतिबद्धताएँ:** | | |
| पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले अनुबंधों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रदान नहीं की गई: | 36.27 | 88.63 |

**क) कंपनी के विरुद्ध दावे जिसे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:**

**i) आयकर दावे: 91.99 लाख रुपए**

आकलन वर्ष के विभिन्न अपीलें अधिकारियों के सक्षम लंबित हें यानि आईटीएटी, उच्च न्यायालय और अन्य फॉरम। कंपनी सुनवाई का इंतज़ार कर रही है, विवरण इस प्रकार है

आ.व. 2002-03 रु. 70.49 लाख और आ.व.2011-12 रु.21.50 लाख.

उपरोक्त निर्धारण विविध अपील प्राधिकरणों के अधीन हैं। कंपनी ने ऋणों और ब्याज/जुर्माना को स्वीकार नहीं किया जिसकी उगाई उन दावे पर होसकता है जो अनिश्चित है।

**ii) उत्पाद शुल्क/सेवा कर**

कंपनी का केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों के साथ 2006-07 की अवधि से संबन्धित विवाद चल रहा है, जिसकी राशि रु. 104.63 लाख कंपनी ने विभिन्न न्यायाधिकरणों में अपील दायर की है।

उपरोक्त निर्धारण विविध अपील प्राधिकरणों के अधीन हैं। कंपनी ने ऋणों और ब्याज/जुर्माना को स्वीकार नहीं किया जिसकी उगाई उन दावे पर होसकता है जो अनिश्चित है।

**iii) स्कूल अध्यापकों के लिए उपदान**

एचओसी रसायनी स्कूल के अध्यापक गण द्वारा मार्च 1997 तक की अवधि के लिए दायर मामला, बॉम्बे हाई कोर्ट (रु.75.31 लाख) के समक्ष लंबित है

**iv) अन्य दावे (पीएण्डए-कानूनी मामले): 272.90 लाख रुपए**

क) मैक ट्रिब्यूनल द्वारा पारित पुरस्कार के खिलाफ कंपनी द्वारा मुकदमा दायर किया गया, त्रिचूर 1994 में फिनोल टैंकर दुर्घटना के संबंध में (रु.118 लाख)

ख) ईएसआई कॉर्पोरेशन ने 01.04.1992 से 31.10.1992 तक की अवधि के दौरान योगदान की मांग की है, जो कि रु .2.17 लाख है। मामला ईएसआई कोर्ट, एर्नाकुलम के पास लंबित है, ईएसआई कोर्ट द्वारा वांछित हमने ईएसआई अधिनियम से छूट के लिए सरकार को आवेदन दिया था। भारत की, इसलिए कोई दायित्व नहीं बनता है और उस विस्तार के लिए एक आकस्मिक देयता प्रदान की जाती है।

ग) कंपनी ने पीयू सिस्टम हाउस प्रोजेक्ट के ठप्लांट बिल्डिंग, टेक्निकल सर्विस बिल्डिंग, आर एंड डी बिल्डिंग आदि के निर्माण के लिए सिविल और स्ट्रक्चरल कार्यों के निर्माण कार्य के लिए खुली निविदा आमंत्रित की थी। कंपनी ने मेसर्स शेतुषा इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (एसईसीपीएल)को कार्य आदेश जारी किया था। देरी और पूर्णता में अन्य कमियों

के कारण, कंपनी ने परिसमाप्त नुकसान की कटौती की थी। एसईसीपीएल ने उक्त कटौतियों पर आपत्ति जताई और माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई के समक्ष एक मध्यस्थता आवेदन दायर किया। बाद में मेसर्स एसईसीपीएल ने अदालत से उक्त मध्यस्थता आवेदन को बिना शर्त वापस ले लिया था। इसके अलावा, मैसर्स एसईसीपीएल ने कंपनी के खिलाफ 113.35 लाख रुपये के ब्याज सहित भुगतान के लिए कंपनी के खिलाफ डिक्री पारित करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई के समक्ष मुकदमा दायर किया था।

घ) कंपनी ने सर्वश्री वखारिया कंस्ट्रक्शन कंपनी,मुंबई(वीसीसी) जिसे सिविल अनुबंधों के रूप में ठेके कार्य आबंटित किया गया, द्वारा दिए गए निष्पादन गारंटी को हटा दिया है, क्योंकि वे कार्य आदेश की शर्तों के अनुसार अनुबंध कार्य पूरे नहीं किए गए थे। प्रस्तुत मामला मध्यस्था के लिए भेजा गया था और बाद में उच्च न्यायालय में गया। अदालत ने कंपनी को 12 लाख रुपए जमा करने का आदेश दिया और सर्वश्री वीसीसी को बैंक गारंटी जमा करने पर राशि निकालने की अनुमति दी। उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपील खारिज कर दी गयी। अब सर्वश्री वीसीसी ने बैंक के लिए भुगतान किए गए बैंक गारंटी कमीशन की मांग की और 18% की दर से ब्याज दिया क्योंकि वीसीसी के पक्ष में ट्राइल कोर्ट द्वारा पारित धन डिक्री को कंपनी द्वारा सिविल आवेदन दाखिल करने के कारण रोख दिया गया था। इस पर अनुमानित देयता 39.38 लाख रुपए हैं और मामला न्यायालय के समक्ष लंबित है और तदनुसार आकस्मिक देयताओं के तहत दिखाया गया है।

**v) हरचंदराय हाउस से भाड़ा दावे 5949.98 लाख रुपए:**

जैसे कि कंपनी ने सर्वश्री हरचंदराई एंड संस से लीज पर लिए गए कार्यालय परिसर को खाली नहीं किया है,उनके नोटिस के अनुसार उन्होने कानूनी कार्यवाही शूरु की और लीज रेंट लेना बंद किया। कंपनी ने वर्ष 2014 के दौरान कार्यालय परिसर को खाली कर दिया। कार्यालय परिसर खाली करने तक मकान मालिक द्वारा अस्वीकृत 580.80 लाख रुपए की राशि बही में प्रदान की गयी। मकान मालिकों ने 1.6.2000 से उक्त परिसर के कब्जे तक की अवधि ले लिए मेसनी लाभ के लिए स्माल कौसेस कोर्ट, मुंबई के समक्ष मेसने प्रोफिट अर्जी दायर की। मेसर्स हरचंद्रई एंड संस द्वारा दायर मासिक लाभ (मेसने प्रोफिट) आवेदन को कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज, मुंबई द्वारा 02.05.2022 को अनुमति दी गई है, जिसमें कंपनी को 01/06/2000 से 31/12/2006 तक की अवधि के लिए मेसने लाभ ˜ 138/- प्रति वर्ग फुट और बाद की अवधि के लिए ˜ 274/- प्रति वर्ग फुट को ब्याज 9% प्रति वर्ष के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। स्मॉल कॉज कोर्ट, मुंबई के आदेश के अनुसार 01/06/2000 से 31/03/2014 की अवधि के लिए मेसने लाभ के लिए कुल राशि और उस पर ब्याज 6713.75 लाख रुपये बनता है। एचओसीएल द्वारा नियुक्त मूल्यांकक ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और औसत दर 48.91 रुपये प्रति वर्ग फुट पर आंकी गई है जिसे पर स्मॉल कॉज कोर्ट, मुंबई द्वारा विचार/ स्वीकार नहीं किया गया है। कानूनी राय के अनुसार, कंपनी आदेश के खिलाफ अपील दायर कर रही है और कंपनी की राय है कि एचओसीएल मूल्यांकक द्वारा प्रति वर्ग फुट ˜ रु.48.91 के मेस्ने लाभ की रिपोर्ट के अनुसार गणना की गई राशि के अलावा अन्य मांग के क्रिस्टलीकरण में अनिश्चितता है। एचओसीएल मूल्यांकक द्वारा प्रति वर्ग फुट ˜ रु.48.91 के मेस्ने लाभ की रिपोर्ट के आधार पर गणना की गई राशि रु.763.78 लाख है, जिसमें से रु.593.97 लाख की राशि वर्ष 2021-22 के लिए खातों की बहियों में पहले ही प्रदान की जा चुकी है। इसलिए 31.03.2022 तक 169.81 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। 5949.98 लाख (6713.76-763.78) की अंतर राशि को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।

**vi) जेएनपीटी पट्टे भाड़े: 2974.52 लाख रुपए**

कंपनी ने कंपनी को आबंटित ज़मीन पर ''जहां है जैसा है'' के आधार पर कंपनी के सम्पत्तियों के साथ लीज़ आधार पर लिक्वीड टैंक फार्म स्थापित करने के लिए सौंपने के लिए जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। जेएनपीटी ने लीज़ रेंटल और अन्य शुल्कों के लिए 4124 लाख रुपए की मांग की। कंपनी ने मध्यस्थ कार्य शूरू की और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कंपनी के पक्ष में निर्णय लिया है। एमओयू के अनुसार कंपनी की संपत्ति 1638.50लाख रुपए है और उसी पर सहमति बनी है। कंपनी द्वारा जेएनपीटी को देय लीज़ रेंट की निर्विवाद राशि की गणना मध्यस्तों के आधार पर पार्टियों के बीच आपसी समझ के आधार पर की गयी है जो 805.13 लाख रुपए, जल प्रभार 0.65 लाख रुपए,वय लीव प्रभार 297.09 लाख रुपए और वय लीव प्रभार का सेवा प्रभार 46.61 लाख रुपए हैं। कंपनी ने आकस्मिक देयता के रूप में भुगतान की गयी अविवादित लीज़ रेंटल को समायोजित करने के बाद जेएनपीटी की मांग की शेष राशि को दिखाया है क्योंकि मध्यस्था निर्णयों के खिलाफ दायर अपील उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है और कंपनी की राय है कि इसमें कोई प्रावधान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मुक्क्दमेबाजी के इस स्तर पर मांग के क्रिस्टलीकरण में अनिश्चितता है। टँक के पंजीकरण और अंतरण करने का कार्य लंबित है।

**vii) सरकार ऋण 7119.24 लाख रुपए पर उच्च दर का ब्याज और सरकारी ऋण 40113.98 लाख रुपए पर चूक ब्याज पर ब्याज**

कंपनी को दिये गए ऋण के संबंध में ब्याज की दर बढ़ाने का अधिकार सरकार के पास है, यदि नियत तारीख पर मूलधन की चुकौती के मामले में और देय ब्याज के भुगतान में से किसी प्रकार के चूक होने पर ब्याज दर वसूल की जाती है। चूंकि मूलऋण के भुगतान के साथ ब्याज के भुगतान में भी चूक हुई है, कंपनी ने अनुमान किया है कि मूलधन पर ब्याज और बकाया ब्याज पर ब्याज उच्च दर की मांग की जा सकती है। अतिरिक्त ब्याज देयता की गणना की और आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है। भारत सरकार द्वारा दी गयी शेष राशि की पुष्टि के अनुसार,उच्च दर पर ब्याज और बकाया ब्याज पर ब्याज शामिल नहीं किया गया है।

**viii) नियमित और सेवा निवृत्त कर्मचारियों से संबंधित श्रम मामलों के लिए कंपनी के खिलाफ दायर कानूनी मामलों के संबंध में दावों की राशि और ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया है/निर्धारित नहीं किया जा सकता है**

**ख) बैंक गारंटी जारी किया गया 102.19 लाख रुपए**

कंपनी ने केरल राज्य विद्युत बोर्ड को रु.101 लाख, बीपीसीएल को 3500 लाख रुपए, ओएमपीएल गेल को 1000 लाख रुपए,गेल रु?870 लाख और अन्य को 1.19 लाख रुपए का बैंक गारंटी प्रस्तुत किया है। कंपनी उपरोक्त के संदर्भ में किसी भी रिसोर्स की प्राप्ति की उम्मीद नहीं करती है। बैंक गारंटी के विरुद्ध आकस्मिक देयता और प्रतिबद्धता केवल केएसईबी को दिये गए 101 लाख रुपए और अन्य को दिये गए 1.19 लाख रुपए को दिखाया गया है।

**II) पूंजी लेखे पर निष्पादित करने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि और प्रदान नहीं की गयी: 36.27 लाख रुपए**

रु. लाख में

| निम्नलिखित संविदाओं के लिए जारी कार्य आदेश | 2021-22 | 2020-21 |
|---|---|---|
| क) टैलि कार्यान्वयन (शेष राशि) | | 13.18 |
| ख)फिनोल प्लांट के लिए 215 केवीए यूपीएस | 21.61 | 21.61 |
| ग)टाउनशिप के लिए जल आपूर्ति लाइन बिछाना | | 9.75 |
| घ) संबंधित प्राधिकारों से सड़क काटने की अनुमति के लिए पुन; बहाल प्रभार/लाइसेन्स शुल्क /निष्पादन गारंटी | 14.66 | 14.66 |
| ड) 60 टन तुला चौकी | | 18.05 |
| च) ईपीएपीएक्स सिस्टेम | | 5.23 |
| छ) 132 कि वाट एफ़एलपी मोटर | | 6.16 |
| कुल | 36.27 | 88.64 |

**37 इंड एएस 8 के अनुसार त्रुटि या चूक संबंधी प्रकटन**

वर्ष 2020–21 के दौरान त्रुटि के कारण निम्नलिखित व्यय / आय को गलत तरीके से लेखा किया गया था। वर्ष 2020–21 के वित्तीय विवरण में तुलनात्मक व्यय/ आय को त्रुटियों को ठीक करने के लिए पुन; प्रतिपादन किया गया हे। वित्तीय विवरण पर पुन: प्रतिपादन का प्रभाव नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

रु.लाख में

| | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| अन्य आय में वृद्धि (संदर्भ टिप्पणी 23) | 33.72 | 5.04 |
| अन्य खर्चों में कमी (संदर्भ टिप्पणी 29) | 22.64 | |
| अन्य आय में वृद्धि (संदर्भ टिप्पणी 29) | (6.45) | (1.33) |
| कुल | 49.91 | 3.71 |
| आयकर देयता | - | - |
| इक्विटी में (वृद्धि)/कमी | 49.91 | 3.71 |
| प्रति शेयर अर्जन में (वृद्धि)/कमी | 0.07 | 0.01 |
| मिश्रित प्रति शेयर अर्जन में (वृद्धि)/कमी | 0.07 | 0.01 |

1. वर्ष 2020–21 से संबंधित 33.72 लाख रुपये के विविध आय को गलती के कारण लेखांकन किया गया,वैसे ही वर्ष 2020–21 के लिए तुलनात्मक राशि का इंड एएस 8के अनुसार पुन: प्रतिपादित किया गया।
   (क) पूर्व की अवधि की त्रुटि : विविध आय
   (ख) सुधार की राशि : 33.72 लाख रुपए
   (ग) प्रभावित वित्तीय लाइन मद : नोट सं:23 (विविध आय)
2. वर्ष 2020–21 के दौरान दर और कर की ओर 22.64 लाख की राशि त्रुटि के कारण अधिक प्रदान की गयी वैसे ही 2020–21 के लिए तुलनात्मक राशि का इंड एएस 8के अनुसार पुन: प्रतिपादित किया गया।
   (क) पूर्व की अवधि की त्रुटि :दर और कर
   (ख) सुधार की राशि : 22.64 लाख रुपए
   (ग) प्रभावित वित्तीय लाइन मद : नोट सं:29 (दर और कर )
3. वर्ष 2020–21 के दौरान विविध व्यय की ओर 6.45 लाख की राशि त्रुटि के कारण कम प्रदान की गयी वैसे ही 2020–21 के लिए तुलनात्मक राशि का इंड एएस 8 के अनुसार पुन: प्रतिपादित किया गया।
   (क) पूर्व की अवधि की त्रुटि : विविध आय
   (ख) सुधार की राशि : 6.45 लाख रुपए
   (ग) प्रभावित वित्तीय लाइन मद : नोट सं:29 (विविध आय)

| | रु.लाख में |
|---|---|
| **01.04.2021 को अथ प्रतिधारित अर्जन** | (99,497.02) |
| जोडे;अन्य आय में वृद्धि (नोट सं.23) | 5.04 |
| घटाएँ : छुट्टी नकदीकरण में वृद्धि ( नोट सं.26) | -12.66 |
| जोडे: दर और कर (नोट.29) | 21.14 |
| जोडे: भाड़े प्रभार में कमी ( नोट सं.29) | 0.06 |
| घटाएँ : भाड़े प्रभार में वृद्धि (नोट सं.29) | -3.73 |
| 01.04.2020 को प्रतिधारित अर्जन में पुन: प्रतिपादित | (99,487.17) |
| कुल | 36.27 |

1. वर्ष 2019–20 से संबंधित 5.04 लाख रुपए के विविध आय को गलती के कारण लेखांकन किया गया,वैसे ही 01.04.2021 को तुलनात्मक राशि का अथ प्रतिधारित अर्जन में के अनुसार पुन: प्रतिपादित किया गया।
   (क) पूर्व की अवधि की त्रुटि : विविध आय
   (ख) सुधार की राशि : 5.04 लाख रुपए
   (ग) प्रभावित वित्तीय लाइन मद : नोट सं:23 (विविध आय)
2. वर्ष 2019–20 से संबंधित छुट्टी नकदीकरण के 12.66 लाख रुपए के विविध आय को गलती के कारण लेखांकन किया गया,वैसे ही 01.04.2021 को तुलनात्मक राशि का अथ प्रतिधारित अर्जन में पुन: प्रतिपादित किया गया।
   (क) पूर्व की अवधि की त्रुटि : विविध आय
   (ख) सुधार की राशि : 12.66लाख रुपए
   (ग) प्रभावित वित्तीय लाइन मद : नोट सं:26 (कर्मचारी हितलाभ व्यय )
3. वर्ष 2019-20 के दौरान दर और कर की ओर 21.14 लाख की राशि त्रुटि के कारण अधिक प्रदान की गयी वैसे ही 2019-20 के लिए तुलनात्मक राशि का अथ प्रतिधारित अर्जन में इंड एएस 8 के अनुसार पुन: प्रतिपादित किया गया।
   (क) पूर्व की अवधि की त्रुटि :दर और कर
   (ख) सुधार की राशि :21.14 लाख रुपए
   (ग) प्रभावित वित्तीय लाइन मद : नोट सं:29 (दर और कर )
4. वर्ष 2019–20 के दौरान भाड़े प्रभार की ओर 0.06 लाख रुपए की राशि त्रुटि के कारण अधिक प्रदान की गयी वैसे ही 2019–20 के लिए तुलनात्मक राशि का अथ प्रतिधारित अर्जन में इंड एएस 8 के अनुसार पुन: प्रतिपादित किया गया।
   (क) पूर्व की अवधि की त्रुटि : भाड़े प्रभार
   (ख) सुधार की राशि : 0.06 लाख रुपए
   (ग) प्रभावित वित्तीय लाइन मद : नोट सं: 29 (भाड़े प्रभार)
5. वर्ष 2019–20 के दौरान भाड़े प्रभार की ओर 3.73 लाख रुपए की राशि त्रुटि के कारण कम प्रदान की गयी वैसे ही 2019–20 के लिए तुलनात्मक राशि का अथ प्रतिधारित अर्जन में इंड एएस 8 के अनुसार पुन: प्रतिपादित किया गया।
   (क) पूर्व की अवधि की त्रुटि : विविध आय
   (ख) सुधार की राशि : 3.73 लाख रुपए
   (ग) प्रभावित वित्तीय लाइन मद : नोट सं:29 (विविध आय)

**38 इंड -एएस 24 के अनुसार संबंध पार्टी प्रकटीकरण**

चूंकि भारत सरकार कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी रसायन और उर्वरक मंत्रालय, (रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में) के 58.78इ का मालिक है। इसलिए सरकार और अन्य सरकारी नियंत्रित संस्थाओं के साथ लेन-देन से संबन्धित खुलासे के अनुसार पैरा 26 के साथ इंड 24 सूचित किया गया है।

संबन्धित पक्षों की सूची जहां नियंत्रण मौजूद है और संबन्धित पक्ष जिनके साथ लेन-देन हुआ है और संबंध है।

रु.लाख में

| क्रम संख्या | संबंधित पार्टी के संबंध का नाम | संबंध | लेन-देन का विवरण | वर्ष 2020-21 के दौरान लेन-देन की राशि | वर्ष के अंत में बकाया राशि (31.03.20221) | वर्ष 2020 के दौरान लेन-देन की राशि | वर्ष के अंत में बकाया राशि (31.03.20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हिंदुस्तान फ्लुरोंकार्बन लि (एचएफएल) | सहायक कंपनी के साथ 56.43इ शेयर होल्डिंग | एच एफ एल को दिए गए ऋण पर ब्याज | 63.62 | 4214.87 | 63.62 | 4157.60 |
| 2 क | भारत पेट्रॉलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड | भारत सरकार द्वारा नियंत्रित | कच्चे सामग्रियों की खरीदी (एलपीजी, बेंज़ीन, एफओ, एच2 एवं एलएनजी) | 22883.56 | 3051.35 | 21389.53 | 945.93 |
| 2 ख | भारत पेट्रॉलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड | भारत सरकार द्वारा नियंत्रित | तैयार माल की बिक्री (एच2ओ2) | 15.07 | 22.84 | 22.28 | 22.33 |
| 4 क | इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड | भारत सरकार द्वारा नियंत्रित | कच्चे सामग्रियों की खरीदी (बेंज़ीन) | 478.67 | 0.00 | 1825.19 | 0.00 |
| 4 ख | इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड | भारत सरकार द्वारा नियंत्रित | रसायनी भूमि की बिक्री (पेट्रोल पम्प एरिया) | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 |
| 5 | एफ़एसीटी | भारत सरकार द्वारा नियंत्रित | कच्चे सामग्रियों की खरीदी (सल्फ्यूरिक एसिड) | 0.00 | 0.00 | 12.66 | 0.00 |
| **कंपनी द्वारा गठित न्यास** | | | | | | | |
| 6 | एचओसीएल समूह उपदान न्यास | -वही- | निवेश और निवेश पर ब्याज | 1320.93 | 1490.61 | 610.89 | 626.23 |

**निदेशकों और मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के पारिश्रमिक**

रु.लाख में

| | अल्प- कालीन कर्मचारी हितलाभ | अवधि के बाद कर्मचारी हितलाभ | अन्य दीर्घ-कालीन हितलाभ | कार्यसमापन हितलाभ | शेयर-आधारित भुगतान | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2021-22** | | | | | | |
| **क. पूर्णकालिक निदेशक,प्रबंध निदेशक तथा/या प्रबंधक:** | | | | | | |
| श्री एस बी भिडे, सीएमडी ( 31.7.21 तक ) | 29.91 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.39 |
| श्री सजीव बी, सीएमडी ( 6.9.2021 से ) | 20.74 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.19 |
| **ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक** | | | | | | |
| **i) सरकारी नामिती निदेशक** | | | | | | |
| श्री सतेन्द्र सिंह, एएसएफ़ए (रसा एवं उर्व) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| श्री समीर कुमार विश्वास, सं स | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **ii) स्वतंत्र निदेशक** | | | | | | |
| (समिति/मंडल की बैठक में भाग लेने के लिए एनओआईडी को दिए गए बैठक शुल्क) | | | | | | |
| डॉ भरत जे कनाबर | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| श्री प्रत्युष मंडल | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |

**iii)मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| श्री पी ओ लुईस ,सीएफ़ओ | 33.97 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.36 |
| श्रीमती एस एस कुलकर्णी, कंपनी सचिव (28.02.22 तक) | 36.45 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.98 |
| श्री सुब्रमणियन एच (1.3.2022 से ) | 1.06 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| कुल | **123.33** | **10.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **134.32** |

**2020-21**

**क.पूर्णकालीन निदेशकों और प्रबंध निदेशकऔर/या प्रबन्धक को पारिश्रमिक**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| श्री एस बी भिडे, सीएमडी | 32.35 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.76 |
| श्री.सी.पी. भाटीया, डीएफ ( 05.11.20 तक) | 20.94 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.29 |

**ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक**

**i) सरकार नामिती निदेशक**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सुश्री अल्का तिवारी, एएसएफ़ए | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| श्री समीर कुमार विस्वास सं निदेशक | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**ii) स्वतंत्र निदेशक**

(समिति/मंडल की बैठक में भाग लेने के लिए एनओआईडी को दिए गए बैठक शुल्क)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शून्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**ग. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| श्रीमती एस एस कुलकर्णी, कं सचिव | 27.82 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.33 |
| श्री पी ओ लुईस ,सीएफ़ओ ( 06.11.20 से) | 10.00 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.28 |
| कुल | **91.11** | **11.55** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **102.66** |

**टिप्पणी:**अपने व्यापार के साधारण चलन में, कंपनी अन्य सरकारी नियंत्रित संस्थाओं (उपरोक्त सूची में शामिल नहीं है) के साथ लेन-देन करता है। कंपनी को अन्य सरकारी नियंत्रित संस्थाओं के साथ जिनमें निम्नलिखितों सहित लेकिन इनमें सीमित नहीं है के साथ लेन-देन है।

माल एवं अनुषंगी सामग्रियों की बिक्री और क्रय; सेवाएँ प्रदान और प्राप्त करना और लाभांशों की प्राप्ति; ऋण और अग्रिमों ; धन का निवेश और उधार ; सार्वजनिक उपयोगिताओं की गारंटी और उपयोग.

ये लेन-देन व्यापार के सामान्य गतिविधियों के दौरान अन्य संस्थाओं के उन शर्तों की तुलना के साथ किए जाते हैं,जो सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाएं नहीं हैं।

**39क. वित्तीय लिखित**

क उचित मूल्य अनुक्रम:

स्तर 1 - उद्धृत कीमतों का उपयोग करके मापा गया वित्तीय साधन शामिल हैं। इसमें कीमत दिए गए सूचीबद्ध इक्विटी सामाग्री, ट्रेडड बॉन्ड और म्यूचल निधि शामिल है। सभी इक्विटी लिखत (बॉन्ड सहित) जो स्टॉक एक्स्चेंज में कारोबार किया जाता है, का उचित मूल्य रिपोर्टिंग अवधि में समापन मूल्य का उपयोग करके मूल्यन किया जाता है। म्यूचल निधि का मूल्यन समापन एनएवी का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर 2 - वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य जो एक सक्रिय बाज़ार में कारोबार नहीं किया जाता है (उदाहरण के लिए, व्यापार बॉन्ड, काउंटर डिरिवेटिव के ऊपर) का निर्धारण मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है जो कि अवलोकन योग्य बाज़ार डेटा का उपयोग अधिकतम करते हैं और यथासंभव संस्था -विशिष्ट अनुमानों पर कम आश्रित करते हैं। यदि किसी उपकरण के उचित मूल्य के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण जानकारी अवलोकन योग्य है, तो उपकरण को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

स्तर 3 - यदि महत्वपूर्ण इनपुट्स में से एक या अधिक अवलोकन बाज़ार के अंकड़ों पर आधारित नहीं है, तो इन्स्ट्रुमेंट स्तर 3 में शामिल है। यह असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों, आकस्मिक विचार और क्षतिपूर्ति संपत्ति के मामले में है।

ख वित्तीय मूल्य और देयताएँ उचित मूल्य आवर्ती उचित मूल्य माप पर मापा जाता है:

रु.लाख में

| | 31 मार्च 2022 को | | | | **31 मार्च 2021 को** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **स्तर 1** | **स्तर 2** | **स्तर 3** | **कुल** | **स्तर 1** | **स्तर 2** | **स्तर 3** | **कुल** |
| **वित्तीय परिसंपत्तियाँ:** | | | | | | | | |
| ऋण | - | - | 3218.09 | 3218.09 | - | - | 2066.14 | 2066.14 |
| व्यापार प्राप्य | - | - | 735.12 | 735.12 | - | - | 240.82 | 240.82 |
| निवेश | 1058.44 | - | 5.00 | 1063.44 | 833.92 | - | 5.00 | 838.92 |
| नकद एवं नकदी समतुल्य | - | - | 2014.53 | 2014.53 | - | - | 3286.97 | 3286.97 |
| नकद को छोडकर बैंक शष | | | 11496.20 | 11496.20 | | | 11532.78 | 11532.78 |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ | - | - | 1334.04 | 1334.04 | - | - | 393.43 | 393.43 |
| **कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ** | **1,058.44** | **-** | **18,802.98** | **19,861.42** | **833.92** | **-** | **17,525.14** | **18359.06** |
| | | | | | | | | |
| **वित्तीय देयताएं** | | | | | | | | - |
| **गैर संचित अधिमान्य शेयर** | - | - | 27000.00 | 27000.00 | - | - | 27000.00 | 27000.00 |
| उधार | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | 7695.09 | 7695.09 |
| व्यापार प्राप्य | - | - | 4151.84 | 4151.84 | - | - | 1648.02 | 1648.02 |
| अन्य चालू वित्तीय देयताएँ | - | - | 7695.09 | 7695.09 | - | - | 8187.29 | 8187.29 |
| **कुल वित्तीय देयताएँ** | **-** | **-** | **38,846.93** | **38,846.93** | **-** | **-** | **44,530.40** | **44530.40** |

**39ख. वित्तीय लिखतों की श्रेणी**

क उचित मूल्य अनुक्रम :

रु.लाख में

| | **31 मार्च 2022 को** | | | | **31 मार्च 2021 को** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **एफ़वीपीटीएल** | **एफ़वीओसीआई** | **परिशोधन लागत** | **कुल** | **एफ़वीपीटीएल** | **एफ़वीओसीआई** | **परिशोधन लागत** | **कुल** |
| **वित्तीय परिसंपत्तियाँ:** | | | | | | | | |
| ऋण | - | - | 3218.09 | 3218.09 | - | - | 2066.14 | 2066.14 |
| व्यापार प्राप्य | - | - | 735.12 | 735.12 | - | - | 240.82 | 240.82 |
| निवेश | - | - | 1063.44 | 1063.44 | - | - | 838.92 | 838.92 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नकद एवं नकदी समतुल्य | - | - | 2014.53 | 2014.53 | - | - | 3286.97 | 3286.97 |
| नकद को छोडकर बैंक शष | - | - | 11496.20 | 11496.20 | - | - | 11532.78 | 11532.78 |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ | - | - | 1334.04 | 1334.04 | - | - | 393.43 | 393.43 |
| कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ | - | - | 19,861.42 | 19,861.42 | - | - | 18,359.06 | 18,359.06 |
| वित्तीय देयताएं | | | | - | | | | - |
| गैर संचित अधिमान्य शेयर | - | - | 27000.00 | 27000.00 | - | - | 27000.00 | 27000.00 |
| उधार | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | 7695.09 | 7695.09 |
| व्यापार प्राप्य | - | - | 4151.84 | 4151.84 | - | - | 1648.02 | 1648.02 |
| अन्य चालू वित्तीय देयताएँ | - | - | 7695.09 | 7695.09 | - | - | 8187.29 | 8187.29 |
| कुल वित्तीय देयताएँ | | | 38,846.93 | 38,846.93 | | | 44,530.40 | 44,530.40 |

**टिप्पणी सं. 40 वित्तीय जोखिम प्रबंधन**

**i. बाज़ार जोखिम**

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार मूल्य में बदलाव के कारण उचित मूल्य या वित्तीय लिखत के भविष्य नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा। वित्तीय लिखतों के मूल्यों में इस तरह के परिवर्तन विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, ब्याज दरों, ऋण, तरलता और अन्य बाजार परिवर्तनों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप हो सकते हैं। बाजार जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम के कारण है। कंपनी का बाज़ार जोखिम मुख्यत: विदेशी मुद्रा विनिमय दर में जोखिम के कारण है।

**क) विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम**

विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव से लाभ और हानि के विवरण और अन्य व्यापक आय और इक्विटी पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है, जहाँ किसी भी लेनदेन का संदर्भ एक से अधिक मुद्रा से होता है या जहाँ कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा में संपत्ति / देनदारियों का मूल्यवर्ग किया जाता है लेकिन कंपनी का शेष विदेशी मुद्रा में है इसीलिए कंपनी विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम से प्रभावित नहीं है।

**ख) ब्याज दर जोखिम**

कंपनी के निवेश मुख्य रूप से उद्धृत इक्विटी शेयर और अन्य इकाई के अनउद्धृत इक्विटी शेयर के माध्यम से होते हैं, इसलिए गैर-निवेश गतिविधियों के बिना निवेश से ब्याज उत्पन्न होता है। इसलिए, कंपनी ब्याज दर जोखिम पर बहुत अधिक प्रभावित नहीं है।

**ii. ऋण जोखिम**

ऋण जोखिम एक ऐसा जोखिम है जो चुकौती में प्रतिपक्षी विफलता या संविदागत निबंधन या दायित्व के अनुसार सेवा कर्ज़ से उत्पन्न वित्तीय हानि है। ऋण जोखिम में दोनों शामिल होते हैं, डिफ़ॉल्ट का सीधा जोखिम और ऋण की गिरावट के जोखिम के साथ-साथ जोखिमोंका केन्द्रीकरण। ऋण जोखिम का विश्लेषण ऋण सीमाओं और ग्राहकों की साख पर निरंतर नियंत्रण के आधार पर किया जाता है, जिन्हें ऋण के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ऋण दिया गया है।

वित्तीय लिखत जो ऋण जोखिम की केंद्रीकरण के अधीन है, मुख्यरूप से व्यापार प्राप्य राशि, बिल न किए गए प्राप्य,निवेश, नकद और नकद समतुल्य, बैंक जमा और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से मिलकर बनता है। कंपनी नीचे दिए गए ग्राहकों से 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए व्यक्तिगत रूप से 10 ₹ से अधिक या कंपनी के राजस्व से अधिक के लिए राजस्व सृजित करते हैं।

| ग्राहक का नाम | राजस्व की राशि | कुल राजस्व का % |
|---|---|---|
| पूजा पेट्रो केमिकल्स | 13276.60 | 31% |
| रमेश कुमार एंड कंपनी | 10446.56 | 24% |
| सोनकमल एंटरप्रिसेस प्रा लि | 5210.93 | 12% |

ऋण जोखिम का भौगोलिक केन्द्रीकरण

व्यापार प्राप्य, बिल न किए गए प्राप्य (पिछले वर्ष : बिल न किए गए राजस्व)काभौगोलिक केन्द्रीकरण और संविदा परिसंपत्तियों का आबंटन ग्राहकों के स्थान पर आधारित है।

**iii. चलनिधि जोखिम**

चलनिधि जोखिम उस जोखिम को कहता है कि कंपनी अपनी वित्तीय देयताओं को पूरा नहीं करता है। चलनिधि जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य पर्याप्त चलनिधि बनाया रखना है और आवश्यकताओं के अनुसार निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

कंपनी पर्याप्त रिजर्व का पालन, बैंकिंग सुविधाओं और रिज़र्व उधार सुविधाओं, निरंतर पूर्वानुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की निगरानी करके और वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के परिपक्वता प्रोफाइल से मेल करके चलनिधि का प्रबंधन करती है।

**टिप्पणी सं.41**

**आस्थगित कर**

वर्ष 2021–22 के लिए — रु.लाख में

| | अथ शेष 01.04.2021 | पीएंडएल में मान्यता प्राप्त है | भविष्य के लाभ की संभावी जांच के कारण रिवेर्सल | पीएंडएल में मान्यता प्राप्त है | ओसीआई में मान्यता प्राप्त है | अंतिम शेष 31.03.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **आस्थगित कर देयता** | | | | | | |
| उचित मूल्य में भूमि का पुनमूल्यन | 19,897.52 | | | - | 576.00 | 20,473.52 |
| पीपीई के पुनर्मूल्यांकन के निपटान पर स्थगित कर देयता का रिवेर्सल | (4,056.00) | | | - | - | (4,056.00) |
| एचएफ़एल में उचित मूल्य निवेश | (80.00) | | | | 65.00 | (15.00) |
| | **15,761.52** | | | **-** | **641.00** | **16,402.52** |
| **आस्थगित कर परिसंपत्तियां** | | | | | | |
| मूल्यह्रास | - | 21.00 | 21.00 | - | - | - |
| अवकाश नकदीकरण का प्रावधान | - | 81.00 | 81.00 | - | - | - |
| स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ (वीआरएस/वीएसएस) | - | | | - | - | - |
| संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | - | 5.00 | 5.00 | - | - | - |
| संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान | - | | | - | - | - |
| दीर्घकालिक करारों का प्रावधान | - | | | - | - | - |
| स्टॉक अप्रचलन के लिए प्रावधान | - | 1.00 | 1.00 | - | - | - |
| वैधानिक दावों के लिए प्रावधान | - | | | - | - | - |
| आस्थगित कर देयता की सीमा तक संचित आयकर की हानि | - | | | - | - | - |
| | **-** | **108.00** | **108.00** | **-** | **-** | **-** |
| **निवल आस्थगित कर देयता** | **15,761.52** | | | **-** | **641.00** | **16,402.52** |

वर्ष 2020–21 के लिए — रु.लाख में

| | अथ शेष 01.04.2020 | पीएंडएल में मान्यता प्राप्त है | भविष्य के लाभ की संभावी जांच के कारण रिवेर्सल | पीएंडएल में मान्यता प्राप्त है | ओसीआई में मान्यता प्राप्त है | अंतिम शेष 31.03.2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **आस्थगित कर देयता** | | | | | | |
| उचित मूल्य में भूमि का पुनमूल्यन | 19,466.52 | | | - | 431.00 | 19,897.52 |
| पीपीई के पुनर्मूल्यांकन के निपटान पर स्थगित कर देयता का रिवेर्सल | (4,044.00) | | | - | (12.00) | (4,056.00) |
| एचएफ़एल में उचित मूल्य निवेश | (228.00) | | | | 148.00 | (80.00) |
| | **15,194.52** | | | **-** | **567.00** | **15,761.52** |
| **आस्थगित कर परिसंपत्तियां** | | | | | | |
| मूल्यह्रास | - | 22.00 | 22.00 | - | - | - |
| अवकाश नकदीकरण का प्रावधान | - | 77.00 | 77.00 | - | - | - |
| स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ (वीआरएस/वीएसएस) | - | - | - | - | - | - |
| संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | - | 12.00 | 12.00 | - | - | - |
| संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान | - | 17.00 | 17.00 | - | - | - |
| दीर्घकालिक करारों का प्रावधान | - | - | - | - | - | - |
| स्टॉक अप्रचलन के लिए प्रावधान | - | 5.00 | 5.00 | - | - | - |
| वैधानिक दावों के लिए प्रावधान | - | 13.00 | 13.00 | - | - | - |
| | **3,031.00** | **146.00** | **146.00** | **-** | **-** | **-** |
| **निवल आस्थगित कर देयता** | **12,163.52** | **(146.00)** | **(146.00)** | **-** | **567.00** | **15,761.52** |

**42. अतिरिक्त प्रकटन**

**वित्तीय, परिसमापन और अन्य अनुपात**

| अनुपात | अंश–गणक के घटक दे | विभाजक के घटक | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए | % परिवर्तन | प्रबंधन द्वारा स्पष्टीकरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वर्तमान अनुपात | वर्तमान परिसंपत्तियाँ | वर्तमान देनदारियाँ | 1.06 | 1.17 | -8.97% | - |
| कर्ज इक्विटी अनुपात | कुल कर्ज | शेयरधारकों की इक्विटी | 20.12 | 17.11 | 17.61% | - |
| कर्ज सेवा कवरेज अनुपात | ऋण सेवा के लिए उपलब्ध अर्जन | ऋण सेवा | 0.03 | 0.08 | -58.77% | कंपनी वर्ष के दौरान उत्प्रेरक को बदलने के लिए और बाजार की प्रतिकूल स्थिति के कारण भी 157 दिनों की अवधि के लिए बंद थी, जो कंपनी के शुद्ध नुकसान का कारण बना। साथ ही 31 मार्च 2022 तक कुल देय ऋण और उस पर ब्याज के साथ–साथ ब्याज बकाया पर भी विचार किया गया है। |
| इक्विटी अनुपात पर प्रतिलाभ | कर के बाद निवल लाभ | शेयरधारकों | -0.41 | 0.36 | -214.46% | कंपनी वर्ष के दौरान उत्प्रेरक को बदलने के लिए और बाजार की प्रतिकूल स्थिति के कारण भी 157 दिनों की अवधि के लिए बंद थी, जो कंपनी के शुद्ध नुकसान का कारण बना। |
| वस्तुसूची कुलबिक्री अनुपात | बिक्री | औसत वस्तुसूची | 16.16 | 20.62 | -21.65% | - |
| व्यापार प्राप्य कुल बिक्री अनुपात | निवल बिक्री | औसत व्यापार प्राप्य | 88.87 | 80.15 | 10.89% | - |
| व्यापार देय कुल बिक्री अनुपात | निवल साख क्रय | औसत व्यापार देय | 9.76 | 7.93 | 22.99% | - |
| निवल पूंजी कुल बिक्री अनुपात | निवल बिक्री | कार्यशील पूंजी | 5.65 | 2.29 | -146.10% | सरकार ऋण पर देय ब्याज में वृद्धि के कारण 2021–22 में वर्तमान देयता बढ़ गई है। । |
| निवल लाभ अनुपात | कर के बाद निवल लाभ | निवल बिक्री | -0.05 | 0.04 | -238.13% | कंपनी वर्ष के दौरान उत्प्रेरक को बदलने के लिए और बाजार की प्रतिकूल स्थिति के कारण भी 157 दिनों की अवधि के लिए बंद थी, जो कंपनी के शुद्ध नुकसान का कारण बना। साथ ही 31 मार्च 2022 तक कुल देय ऋण और उस पर ब्याज के साथ–साथ ब्याज बकाया पर भी विचार किया गया है। मुख्य कच्चे माल में भारी वृद्धि हुई थी लेकिन बाजार की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण बिक्री मूल्य में वृद्धि नहीं हो सकती थी जिसके परिणामस्वरूप शुद्ध हानि हुई। |
| कार्यरत पूंजी पर प्रतिलाभ | ब्याज और कर के पहले लाभ (पीबीआईटी) | नियोजित पूंजी | 0.65 | 1.26 | -48.19% | |
| निवेश पर प्रतिलाभ | लाभांश | शेयर मूल्य | - | - | 0.00% | |

**43 लाभ और हानि एवं अन्य व्यापक आय के विवरण की टिप्पणियाँ**

क) कंपनी ने 1 अप्रैल, 2016 तक अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए ले जाने वाले मूल्य जिसका मापन भारतीय जीएएपी के तहत किया है, फ्रीहोल्ड भूमि जहां उचित मूल्य (सर्कल दर) को डीमिड लागत माना जाता है को छोडकर को 1 अप्रैल,2016 (संक्रामण तिथि) जारी रखने के लिए चुना है।

ख)भारतीय जीएएपी के तहत, कंपनी ने वित्तीय संपत्तियों का मापन लागत पर किया है। संक्रमण तिथि को कंपनी ने इंड एएस 101 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि के प्रावधान को मान्यता दी। सभी वित्तीय देयताओं को परिशोधित लागत पर लिया गया है और ऐसे मतभेदों का उचित रूप से समाधान किया गया है।

ग) कंपनी अपनी रोजगार के बाद की परिभाषित लाभ योजना से संबंधित लागतों को भारतीय जीएएपी और इंड एएस दोनों के तहत बीमांकिक आधार पर स्वीकार किया जाता है। भारतीय जीएएपी के तहत बीमांकिक लाभ और हानि शामिल सम्पूर्ण लागत और नियोजित परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ को लाभ या हानि में की जाती है। इंड एएस के तहत बीमांकिक लाभ और हानि शामिल सम्पूर्ण लागत और नियोजित परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ को अन्य व्यापक आय के माध्यम से प्रतिधारित अर्जनों के पूर्व डेबिट या क्रेडिट के साथ तुलनपत्र में तुरंत स्वीकार किया जाता है।

घ) समायोजन का परिणामी योग को अन्य व्यापक आय शुद्ध में कर निहित लिया जाता है।

44 सेबी लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं (एलओडीआर) विनियम, 2015 का अनुपालन न करना– विनियम 17(1)(बी) के अनुसार, अध्यक्ष एक कार्यकारी निदेशक होने के नाते, निदेशक मंडल के कम से कम आधे में स्वतंत्र निदेशक शामिल होने चाहिए . वर्तमान में, कंपनी के बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं। तदनुसार, सेबी लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं (एलओडीआर) विनियम, 2015 (वित्तीय विवरणों के लिए नोट 47 देखें) के विनियम 18,19 और 20 का परिणामी गैर–अनुपालन है। सेबी लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं (एलओडीआर) विनियम, 2015 का गैर–अनुपालन – सेबी लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) (ए) के अनुसार, निदेशक मंडल के पास एक कम से कम एक महिला निदेशक के साथ कार्यकारी और गैर–कार्यकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन और निदेशक मंडल के कम से कम पचास प्रतिशत में गैर–कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे। वर्तमान में, कंपनी के बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं है।

45 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान कोविड–19 महामारी के कारण कोई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव नहीं हुआ है।

46 कंपनी ने 721.54 लाख रुपये की अन्य व्यापक आय (पिछले वर्ष के निवल लाभ में 3139.89 लाख रुपये की अन्य व्यापक आय शामिल है) सहित शुद्ध घाटा दर्ज किया है। कंपनी ने 90196.19 लाख (पिछले वर्ष रु.87871.73 लाख) के नकारात्मक निवल मूल्य के साथ 101761.72 लाख रुपए ( पिछले वर्ष रु.99437.26 लाख रुपए) सहित शुद्ध घाटा दर्ज किया है। लेकिन इसकी वर्तमान संपत्ति इसकी वर्तमान देनदारियों से 7681.65 लाख रुपये (पिछले वर्ष 17941.50 लाख रुपये) से अधिक है। वर्ष के अंत में कंपनी के पास नकद और नकद समकक्षों की वर्तमान संपत्ति और अन्य बैंक शेष राशि रु.13510.73 लाख (पिछले वर्ष रु.14819.75 लाख) के तहत शेष है। वर्ष के दौरान कंपनी के टर्नओवर और लाभ को प्रभावित करने वाली प्रतिकूल बाजार स्थितियों के कारण कोची में फिनोल संयंत्र उत्प्रेरक के परिवर्तन के लिए 27.3.2021 से 25.07.2021 और 16.11.2021 से 26.12.2021 तक की अवधि के दौरान बंद रहा। इन शर्तों पर विचार करने के बाद कंपनी का स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम गोइंग कंसर्न के आधार पर तैयार किया गया है।

47 बोर्ड ने कर्मचारियों के वेतन संशोधन को 25.01.2021 से लागू करने की सिफारिश की थी बशर्ते रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुमोदन प्राप्त हो। चूंकि कोई अंतिम अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है, 31.03.2022 तक लेखों में कोई समायोजन नहीं किया गया है।

48 कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों सहित") को या किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (यों) में कोई धनराशि उन्नत या ऋण या निवेश नहीं किया गया है ''), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनीद्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा ("अंतिम लाभार्थी") या प्रदान करेगा अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी।

49 कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("निधिपोषित पार्टियां") सहित किसी व्यक्ति (यों) या संस्था (ओं) में कोई धनराशि प्राप्त नहीं किया गया। इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा ("अंतिम लाभार्थी") या प्रदान करेगा अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।

**50 बंद कंपनियों से संबंध**

| बंद कंपनी का नाम | बंद कंपनी के साथ लेन–दें का स्वरूप | बकाया शेष | बंद कंपनी के साथ संबंध यदि कोई हो तो प्रकट किया जाना है। |
|---|---|---|---|
| एसस सर्विसस प्रा लि | सुरक्षा सेवा | 0.23 लाख रुपए | लेनदार |

51 सांविधिक अवधि के बाद आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है।

52 वर्ष के दौरान प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित किया गया है) को अलग–अलग या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया जाता है।

53 31.03.2022 तक कोई पूंजी–कार्य प्रगति पर नहीं है

54 विकास के तहत कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है

55 बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

56 कंपनी के पास चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं है।

57 कंपनी को किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

58 कंपनी का कोई लेनदेन नहीं है जो आयकर अधिनियम, 1961 (जैसे, आयकर अधिनियम 1961 के तहत खोज या सर्वेक्षण या के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकट किए गए लेखा बहियों में दर्ज नहीं किया गया है, जब तक कि 11 के तहत किसी भी योजना के प्रकटीकरण के लिए प्रतिरक्षा नहीं है और यह भी बताना होगा कि क्या पहले की अलिखित आय और संबंधित संपत्ति को वर्ष के दौरान खाते की पुस्तकों में ठीक से दर्ज किया गया है।

59 कंपनी को पिछले वर्षों के दौरान हुए नुकसान के कारण किसी भी सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है।

60 कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

61 स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण निदेशक मंडल द्वारा 26.05.2022 को पारित एक प्रस्ताव के अनुसार जारी करने के लिए अधिकृत थे।

62 पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, पुनर्वर्गीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है। .

**निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से**

हस्ता/–
**सजीव बी.**
सीएमडी एवं साईओ
डीआईएन 09344438

हस्ता/–
**डॉ भरत जे कनाबर**
निदेशक
डीआईएन
09466694

हस्ता/–
**पी ओ लुईस**
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता/–
**सुब्रमणियन एच**
कंपनी सचिव

**संलग्न हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार**
**बीएसजे एंड एसोसिएट्स के लिए**
**सनदी लेखाकार**
**एफआरएन : 010560ए**

हस्ता/–
**सी ए.जोजो अगस्टिन**
साझेदार
सदस्यता सं.214088
यूडीआईएन: 22214088AKDYEI7538

स्थान : नवीं मुंबई
दिनांक : 26.05.2022

स्थान: एरणाकुलाम
दिनांक : 30.05.2022

**समेकित लेखा**

**स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट**

सेवा में

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए,

**समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा संबंधी रिपोर्ट**

**राय**

1. हम ने हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड ("कंपनी") और इनकी सहायक कंपनी (कंपनी और इनकी सहायक कंपनी को एकसाथ ''समूह'' के रूप में कहा गया है) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2022, को समेकित तुलन–पत्र तथा समाप्त उसी वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) तथा इक्विटी में परिवर्तन के समेकित विवरण और नकदी प्रवाह के समेकित विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षिप्त विवरण तथा अन्य स्पष्टीकरण जानकारियां समाविष्ट की है (इसके बाद इसे समेकित वित्तीय विवरण के रूप में कहा गया है।)

2. हमारी राय में तथा हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण में कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक सूचना यथा अपेक्षित रूप में देते हैं और अधिनियम की धारा 133 जिसे यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 ("इंड एएस") के साथ पढ़ा जाए, के अनुरूप और 31 मार्च 2022 को कंपनी के मामले में भारत में सामान्यत: स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार उसी दिन समाप्त वर्ष के लिए समेकित हानि,समेकित कुल समग्र आय, इक्विटी में समेकित परिवर्तन और इनके समेकित नकदी प्रवाह का सच्चे और सही रूप दिए जाते हैं।

**राय का आधार**

3. हमने समेकित वित्तीय विवरणों संबंधी अपनी लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा (एसए) संबंधी मानकों के अनुसार की है। उन मानकों के अधीन हमारी जिम्मेदारियाँ को हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों के खंड की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियों में आगे कहा गया है। हम इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टेड अकौण्ट्स ऑफ इंडिया (''आईसीएआई'') द्वारा जारी आचार संहिता के अनुरूप साथ ही साथ अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं कंपनी का स्वतंत्र है और हमने इन आचार संहिताओं और आईसीएआई के आचार संहिताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा सबूत प्राप्त किए हैं, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।

**वर्तमान चिन्ता**

4. हम समेकित इंड–एएस वित्तीय विवरणों के नोट 46 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कंपनी ने 721.54 रुपये की अन्य व्यापक आय सहित शुद्ध हानि की सूचना दी है। साथ ही, कंपनी को रु. 1,01,761.72 लाख (पिछले वर्ष रु. 99,437.26 लाख) का नुकसान हुआ है, जिसका निवल मूल्य रु.90,196.19 लाख (पिछले वर्ष रु.87871.73 लाख) है। लेकिन इसकी वर्तमान संपत्ति इसकी वर्तमान देनदारियों से 7681.65 लाख रुपये (पिछले वर्ष 17941.50 लाख रुपये) से अधिक है । . वर्ष के अंत में कंपनी के पास नकद और नकद समकक्षों की वर्तमान संपत्ति और अन्य बैंक की शेष राशि 13,510.73 लाख (पिछले वर्ष 14,819.75 लाख रुपये) है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी का फिनोल प्लांट 4 महीने की अवधि के लिए उत्प्रेरक बदलने के लिए और 41 दिनों के लिए प्रतिकूल बाजार स्थितियों के कारण बंद था, जिसने कंपनी के कारोबार और लाभ को प्रभावित किया है। इसके अलावा, कंपनी सरकार स्वीकृत पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। तदनुसार, रसायनी में एनबीसीसी के माध्यम से और पनवेल में ई–नीलामी के माध्यम से बिना भार वाली भूमि की बिक्री प्रगति पर है और आय का उपयोग भारत सरकार के ऋण और उसके बकाया ब्याज को वापस करने के लिए किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के लाभ में वृद्धि होगी। इन शर्तों पर विचार करने के बाद, कंपनी के स्टैंडअलोन इंड–एएस वित्तीय विवरण गोइंग कंसर्न के आधार पर तैयार किए गए हैं। नोट 31 (सी) वित्तीय विवरण भी देखें।

5. हम चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की स्वतंत्र फर्म द्वारा जारी की गई दिनांक 24 मई, 2022 की रिपोर्ट जो नियंत्रक कंपनी की सहायक कंपनी, मेसर्स हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बन लिमिटेड के वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षित राय में व्यक्त वर्तमान चिंता से संबंधित भौतिक अनिश्चितता की है, की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसे निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया:

"लेखों की टिप्पणियों के लिए नोट 35 (समेकित वित्तीय विवरण में नोट 48) पर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें कंपनी के संचालन को बंद करने के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्णय के बारे में कहा गया था जो उन्हें दिनांक 29 जनवरी, 2020 के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग, भारत सरकार की फाइल संख्या 51015/06/2019 के माध्यम से उक्त निर्देशों के कार्यान्वयन की समय–सीमा, जिसकी प्रक्रिया बोर्ड द्वारा शुरू की जा रही है सहित संसूचित किया गया था। इस संबंध में हमारे विचार में उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के संचालन को बंद करने के सरकार के निर्णय और कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों पर विचार करते हुए, भारत सरकार द्वारा विभिन्न देनदारियों को निपटाने के लिए ब्याज मुक्त असुरक्षित ऋण प्रदान करना, उसकी प्राप्ति, किए जा रहे महत्वपूर्ण भुगतान, वर्ष के अंत तक कुल अनुमानित देनदारियों में से, शेष भुगतान के लिए कार्य योजना, कंपनी के खिलाफ दायर विभिन्न कानूनी मामलों के संबंध में अनुवर्ती उपायों की शुरुआत और इसके अनुवर्ती कार्य, लेखा बही में लागू इंड एएस 105 को अपनाना, वर्तमान चिंता (गोइंग कंसर्न) के संबंध में भौतिक अनिश्चितता है और कंपनी अब एक चालू संस्था नहीं है।''

**मामले पर दोर**

6. हम चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की स्वतंत्र फर्म द्वारा जारी की गई दिनांक 24 मई, 2022 की रिपोर्ट जो नियंत्रक कंपनी की सहायक कंपनी, मेसर्स हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बन लिमिटेड के वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षित राय में व्यक्त वर्तमान चिंता के संबंध में वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा राय पर हम निम्नलिखित जोर मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसका निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया:

(i) "हम कंपनी के संचालन को बंद करने सरकार के निर्णय के आलोक में कंपनी के भविष्य के प्रदर्शन पर कोविड़–19 प्रभाव के प्रबंधन के मूल्यांकन के संबंध में लेखों के लिए नोट संख्या 36 पर ध्यान आकर्षित करते हैं। इस संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।"

(ii) "हम कंपनी के खिलाफ एक पक्ष द्वारा दायर मामले के संबंध में लेखों पर टिप्पणियाँ में नोट संख्या 26 पर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कंपनी की संपत्ति के निपटान पर रोक लगा दी है; यह भारत सरकार द्वारा निर्देशित कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। इस संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।"

(iii) "हम विभिन्न प्राधिकरणों के समक्ष मुकदमेबाजी और विशेष रूप से कंपनी के खिलाफ मेसर्स रॉकवेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (याचिकाकर्ता) द्वारा दायर किए गए मामले को दर्शाते हुए नोट 27 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें दोनों पक्षों से कई मंचों पर फाइलिंग/अपील की गई थी।

- आर्बिट्रेशन, सिटी सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट – और उक्त याचिकाकर्ता को उनके पक्ष में फैसला मिला, जिस पर कंपनी को स्टे ऑर्डर मिला। कंपनी ने, वर्ष के दौरान, इस मामले में कानूनी निर्णयों/कार्यवाहियों को ध्यान में रखते हुए, मामला लड़ते समय 269 लाख रुपये की मूल राशि का प्रावधान किया था। इस संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।"

(iv) "हम कंपनी के संचालन को बंद करने के भारत सरकार के निर्णय के संबंध में लेखों की टिप्पणियों में नोट संख्या 2 (ए) पर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसके परिणामस्वरूप कंपनी एक गोइंग कंसर्न इकाई नहीं रह जाती है और लागू लेखांकन मानक इंड–एएस 105 "बिक्री या बंद संचालन के लिए आयोजित गैर चालू संपत्ति" को अपनाती है। तद्नुसार, कंपनी ने निपटान समूह का हिस्सा होने वाली परिसंपत्तियों को 9बिक्री के लिए धारित संपत्ति" के रूप में अपनी वहन लागत पर पुनर्वर्गीकृत किया था, इस उद्देश्य जो निर्धारण योग्य नहीं है, के लिए अपनाई जाने वाली किसी विशिष्ट कट ऑफ तिथि के अभाव में बिना किसी यथानुपात मूल्यह्रास का प्रावधान किया था। इस संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।"

**मुख्य लेखापरीक्षा मामले**

7. मुख्य लेखापरीक्षा मामले इसप्रकार के मामले होते हैं, जो हमारे प्रॉफेशनल निर्णय में, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामले का समाधान समग्र रूप में निरूपण तैयार करती है और हम इन मामलों पर अलग से कोई राय प्रकट नहीं करते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक मामले के लिए, इस संदर्भ में हमारा विवरण दिया गया है कि हमारी लेखापरीक्षा ने मामले का समाधान किस प्रकार किया है । हमने निश्चय किया है कि नीचे कहे गए मामले को हमारी रिपोर्ट में मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में संसूचीत किया जाना है। हमने हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण खंड की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में वर्णित जिम्मेदारियों को पूरा किया है जिसमें इन मामलों का संबंध शामिल है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों के हमारे आकलन का जवाब देने के लिए तैयार की गई प्रक्रियाओं का प्रदर्शन शामिल था। हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के परिणाम, नीचे दिए गए मामलों को संबोधित करने के लिए की गई प्रक्रियाओं सहित, साथ में समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करते हैं।

| क्रम सं | मुख्य लेखापरीक्षा मामले | लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया |
|---|---|---|
| i | कंपनी विभिन्न ग्राहकों को बिक्री करती है, जहाँ उत्पादों की कीमतें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मूल्य भिन्नता, विदेशी मुद्राओं में अस्थिरता, ग्राहकों द्वारा उठाव का स्तर और बाजार में मांग आपूर्ति की स्थिति सहित विभिन्न कारकों के अधीन होती हैं। ऐसी कीमतों के बारे में नियमित ग्राहकों को सूचित किया जाता है और तदनुसार खरीद आदेश प्राप्त किया जाएगा। ग्राहकों को दी जाने वाली छूट की जानकारी भी ग्राहकों को नियमित रूप से दी जाती है। उत्पादों की कीमत प्रबंधन के अनुमान और निर्णय के आधार पर तय की जाती है। इन वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण होने के कारण, और ऊपर बताए गए विभिन्न कारकों पर निर्भर होने के कारण, राजस्व मान्यता को हमारी लेखापरीक्षा में एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया था। | **हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:**<br>• हमने इस तरह के नियंत्रणों की प्रभावशीलता के परीक्षण सहित, बिक्री की शर्तों के अनुसार राजस्व मान्यता, छूट का अनुमान और बिक्री को पहचानने के समय संबंधी कंपनी की प्रक्रिया और नियंत्रणों का मूल्यांकन किया है।<br>• हमने मूल्य समायोजन के संबंध में प्रमुख बिक्री कर्मियों से पूछताछ की है, और प्रबंधन के साथ मूल्य निर्धारण के बारे में उनकी जागरूकता के बारे में चर्चा की है जो राजस्व को प्रभावित कर सकता है।<br>• हमने वर्ष के अंत में नमूना आधार पर ग्राहकों से प्राप्त शेष राशि की पुष्टि की जाँच की। जहां ऐसी पुष्टि प्राप्त नहीं की जा सकी, वहां वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं की गईं।<br>• हमने ऐतिहासिक डेटा की तुलना में कंपनी के प्रमुख घटकों पर प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया है, राजस्व, बिक्री की लागत और छूट / प्रोत्साहन का विश्लेषण किया है।<br>• हमने प्रबंधन के साथ उन ग्राहकों को क्रेडिट नोट जारी करने के संभावित समय पर भी चर्चा की जहां छूट दर्ज की गई है और संबंधित ग्राहकों को पारित करने के लिए लंबित हैं।<br>• हमने इस तरह की बिक्री की मान्यता का समय निर्धारित करने के लिए वर्ष के अंत में बिक्री लेनदेन के नमूने का परीक्षण किया।<br>• हमें राजस्व मान्यता के समय के संबंध में प्रबंधन से आवश्यक प्रतिनिधित्व भी प्राप्त हुआ। |
| ii | **प्राप्य अतिरिक्त केरल मूल्य वर्धित कर इनपुट क्रेडिट रिफंड**<br>केरल वाणिज्यिक कर विभाग से कच्चे माल और उपभोग्य सामग्रियों की खरीद पर कंपनी को इनपुट टैक्स क्रेडिट में अतिरिक्त राशि की वापसी का दावा किया जाता है। 31 मार्च, 2022 को वर्ष 2010-11, 2011-12, 2013-14, 2015-16 और 2016–17 की अवधि के लिए देय कुल वापसी 576.39 लाख रुपए है। कंपनी ने अधिनियम के अनुसार प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारण प्राधिकारी के पास फॉर्म संख्या 21बी और 21सीसी में रिफंड दावा आवेदन दायर किया है, जो आगे की प्रक्रिया/आकलन को पूरा करने के लिए निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष लंबित है।<br>शामिल राशि इन वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण है और निर्धारण प्राधिकारी के निर्णय पर निर्भर है। | हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:<br>• प्राधिकरण द्वारा प्रथम दृष्टया स्वीकार्य रिफंड के दावे का पता लगाने के लिए केरल मूल्य वर्धित कर अधिनियम और उसके तहत नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों का विश्लेषण किया।<br>• रिफंड का दावा करने के लिए निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत किए गए अभिलेखों और दस्तावेजों की समीक्षा की और साथ ही निर्धारण प्राधिकारी से प्राप्त संबंधित पत्राचार की भी समीक्षा की।<br>• दावा की गई धनवापसी राशि की कार्यप्रणाली/गणना की समीक्षा की। |
| iii | प्रावधान और आकस्मिक देनदारियों का अनुमान<br>कंपनी कर मामलों, कानूनी अनुपालनों और अन्य विवादों सहित कंपनी के पक्ष और विपक्ष के मुकदमों में शामिल है। कंपनी अपने सलाहकारों और परामर्शदाताओं के परामर्श से प्रत्येक मामले के अंतर्निहित तथ्यों पर विचार करते हुए मामला-दर-मामला आधार पर प्रावधान करने या आकस्मिकता का खुलासा करने की आवश्यकता का आकलन करती है। इसमें उच्च स्तर के प्रबंधन निर्णय और धारणाएं शामिल हैं जो वित्तीय विवरणों में जोखिम मूल्यांकन और परिणामी प्रावधान और आकस्मिकताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करती हैं। यह क्षेत्र हमारी लेखापरीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि लेखांकन की पूर्णता और सटीकता और आकस्मिकताओं के लिए प्रकटीकरण ऐसे प्रबंधन निर्णय और मान्यताओं पर निर्भर है। | हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:<br>• हमने संभावित परिणाम निर्धारित करने के लिए दावों, मुकदमों, विवादों, अनुपालनों और उसके मूल्यांकन की निगरानी के लिए कंपनी की प्रक्रियाओं और नियंत्रणों का मूल्यांकन और परीक्षण किया।<br>• हमने प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए मुकदमों का सारांश पढ़ा और किसी भी दायित्व की संभावना और परिमाण के कंपनी के आकलन का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की।<br>• हमने प्रबंधन के निर्णयों और अनुमानों के आधार को समझने के लिए कंपनी के आंतरिक कर विशेषज्ञों और कानूनी मामलों के प्रमुख सहित प्रबंधन के साथ चर्चा की।<br>• हमने बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त पढ़े, और दावों, विवादों और मुकदमों की पूर्णता का निर्धारण करने के लिए कंपनी के कानूनी खर्चों का परीक्षण किया।<br>• हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की पर्याप्तता का परीक्षण किया।<br>• हमने दावों और मुकदमों के संबंध में प्रावधान और प्रकटीकरण के संबंध में प्रबंधन से आवश्यक प्रतिनिधित्व भी प्राप्त किया। |

**वित्तीय विवरणों और उस संबंधी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को छोड़कर अन्य सूचना**

8. कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना की तैयारी के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण में निहित सूचना, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध, निगमित अभिशासन और शेयरधारकों की सूचना सहित बोर्ड रिपोर्ट और अध्यक्ष का विवरण भी शामिल है, लेकिन समेकित वित्तीय विवरणों, समेकित वित्तीय विवरणों और उसपर हमारी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

9. समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचना शामिल नहीं है और हम उसपर किसी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष नहीं देते हैं।

10. समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना का पाठ करना है और ऐसा करने से विचार करना है कि समेकित वित्तीय विवरणों के साथ क्या अन्य सूचना या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी क्या मूलत: परस्पर विरोधी है या अन्यथा मूलत: गलत बयान किया गया है।

11. यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि इस अन्य सूचना में गलत बयान किया है, हमें इस तथ्य को रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। इस संबंध में हमें कुछ नहीं कहना है।

**समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन के उत्तरदायित्व और शासन के प्रभार से संबंधित**

12. समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए कंपनी के निदेशक मंडल जिम्मेदार है। ये विवरण, समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन जिसमें अन्य व्यापक आय शामिल है, इंड एएस और भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की इक्विटी और समेकित नकद प्रवाह में परिवर्तित की सही और सच्ची स्थिति दर्शाते हैं। समूह में शामिल कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल की जिम्मेदारी है कि कंपनी की परिसंपत्तियों की संरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी और अनियमितताओं को रोकने और पता करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा अभिलेखों का अनुरक्षण शामिल है और उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन एवं प्रयोग, उचित एवं विवेकी निर्णयों और अनुमानों की तैयारी, और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का रूपायन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण जो लेखा अभिलेखों की यथार्थता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्यरत थे वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए संगत है भी शामिल है जिससे सच्ची और सही स्थिति ज्ञात हो और धोखाधड़ी या गलती के कारण वस्तुगत अयथार्थ से मुक्त हो।

13. समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी में, कार्यशील संस्था के रूप में चालू रहने की कंपनी की क्षमता के निर्धारण, कार्यशील संस्था से संबंधित मामले यथा लागू प्रकट करने और जब तक निदेशक मंडल ने जो कंपनी का परिसमापन की इरादा रखते हो या प्रचालन बंद करने या कोई वास्तवित विकल्प उपलब्ध नहीं लेकिन करने के बाध्य हो तब तक लेखांकन के कार्यशील संस्था आधार का प्रयोग करने के लिए कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल जिम्मेदार है।

14. समूह में शामिल कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की देख–रेख के लिए भी जिम्मेदार है।

**समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियाँ**

15. हमारा उद्देश्य क्या समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप में धोखाधडी या भूल से गलत बयान से मुक्त है, संबंधी उचित आश्वासन प्राप्त करना और हमारी राय से युक्त लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट ज़ारी करना है। उचित आश्वासन वह आश्वासन का उच्च स्तर है, लेकिन गैरंटी नहीं है कि एस ए के अनुरूप आयोजित की गई लेखापरीक्षा हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत बयान जब विद्यमान होने पर, पाया जाता है। गलत बयान धोखाधड़ी या गलती से हो सकता है और यदि व्यक्तिगत तौर पर संकलित रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है, इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों पर जो उचित रूप से प्रभावित करना प्रत्याशित है।

16. एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में, हम प्रोफेशनल निर्णय और संपूर्ण लेखापरीक्षा कार्य में प्रोफेशनल संदेहवाद का प्रयोग करते हैं। हम यह भी करते हैं कि,

- समेकित वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत बयानों संबंधी जोखिम की पहचान एवं निर्धारण करना जो धोखाधड़ी या गलती के कारण हो, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रणालियों का रूपायन एवं निष्पादन और लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करना है जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है। धोखाधड़ी से होनेवाले महत्वपूर्ण गलत बयान की पहचान का जोखिम भूल से होनेवाले से गंभीर/उच्च है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर लोप, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंखन करना भी शामिल है।
- परिस्थिति के अनुरूप उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रणालियों का रूपायन करने की दिशा में लेखापरीक्षा के लिए सुसंगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ताल–मेल प्राप्त करना है। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अधीन, क्या कंपनी और इनके सहायक कंपनियों जो भारत में सम्मिलित कंपनियाँ हैं, में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और इस प्रकार के नियंत्रण के प्रचालन प्रभाविता पर हमारी राय प्रकट करने के लिए हम उत्तरदायी है।
- उपयोग की गयी लेखा नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों की उचितता और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटनों का मूल्यांकन करना ।
- लेखा के कार्यशील संस्था आधार संबंधी प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखा परीक्षा सबूत के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि ऐसी घटनों या स्थितियों जो कार्यशील संस्था के रूप में ज़ारी रहने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण शंका डाल देती है,से संबंधित क्या महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है । यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, हमें समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर या ऐसी प्रकटीकरण यदि अपर्याप्त पायी जाती है, हमारी राय संशोधित करने की ओर हमारी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की अपेक्षा है। हमारा निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा सबूतों पर आधारित है। फिर भी, भविष्य की घटनाएँ या स्थितियाँ कंपनी को कार्यशील संस्था के रूप में जारी करना रोकने का कारण बन सकती है।
- समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना और समेकित वित्तीय विवरणों की विषयवस्तु जिसमें प्रकटीकरण शामिल है, और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन–देन और घटनाओं को उसी तरीके में जिसमें उचित प्रस्तुतीकरण प्राप्त होता है, का प्रतिनिधित्व करता है, का मूल्यांकन करना है।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह के भीतर संस्थाओं की वित्तीय जानकारी के बारे में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के निर्देश, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जो शामिल हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं।

17. हम समेकित वित्तीय विवरणों जिसके अन्य मामले, लेखापरीक्षा के संयोजित विषयक्षेत्र और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष जिसमें हमारी लेखापरीक्षा के दौरान अपने द्वारा पायी गयी महत्वपूर्ण कमियाँ शामिल है, के स्वतंत्र लेखापरीक्षक है, में शामिल कंपनी और ऐसे अन्य संस्थाओं के शासन प्रभारी को संसूचित करते हैं ।

18. हम शासन के प्रभार दिए गए उन लोगों को यह भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता संबंधी नैतिक अपेक्षाओं का पालन

किया है और उनके साथ अनुसूचित की जानी है सभी संपर्क और अन्य मामले जो हमारी स्वतंत्रता वहन करने के लिए उपयुक्त विचार हो सकते हैं और जहाँ लागू हो संबंधी संरक्षा प्रदान करें।

19. ऐसे प्रशासन प्रभारी को संसूचित मामलों से हम चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के सबसे महत्वपूर्ण रहे उन मामलों पर निर्णय लेता है और इसलिए वे मुख्य लेखापरीक्षा मामले थे, हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों के विवरण देते हैं जबतक मामले संबंधी सार्वजनिक प्रकटन नियम या विनियम शुरू करता है या जब सबसे अपूर्व परिस्थितियों में हम निर्णय लेते हैं कि मामले को हमारी रिपोर्ट में संसूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे करने पर होनेवाले प्रतिकूल परिणाम इस तरह की संसूचना से प्राप्त सार्वजनिक हितलाभ से ऊपर होना प्रत्याशित है।

**अन्य मामले**

20. हमने सहायक कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों/सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है जिनके वित्तीय विवरण कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल हैं। सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण/ वित्तीय सूचना 31 मार्च 2022 तक 7352.74 लाख रुपए की कुल संपत्ति को दर्शाती है और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व रु. 281.76 लाख रुपए और कुल व्यापक नुकसान रुपये का 617.06 लाख हो गए, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना जाता है।

21. इन वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्टें प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय से अब तक यह सहायक कंपनी के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों से संबंधित है और अधिनियम की धारा 143 (3) और (11) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट, जैसा कि यह पूर्वोक्त सहायक कंपनी से संबंधित है, पूरी तरह से इसके लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

**अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट**

22. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा आवश्यक है, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:–

1) हमने मांग की और सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए, जो हमारी अधिकतम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार हमारी उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।

2) हमारी राय में, कंपनी की उन बहियों की हमारी जांच से देखता है, जहाँ तक कंपनी ने उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी संबंधी विधि के अनुसार आवश्यक उचित लेखा बहियाँ रखी है।

3) इस रिपोर्ट द्वारा चर्चा किए गए समेकित तुलन–पत्र, अन्य समग्र आय सहित समेकित लाभ और हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन के समेकित विवरण और नकदी प्रवाह के समेकित विवरण समेकित वित्त विवरणों की तैयारी के उद्देश्य के लिए सुसंगत लेखा बहियों के अनुरूप है/सहमत है।

4) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित विवरण वित्तीय विवरणों का पालन अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट इंडएएस के साथ किया है।

5) दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई), के अनुसार सरकारी कंपनियों को अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधानों के अधीन छूट दी गई है। तदनुसार, हमें यह रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि कथित धारा में निहित प्रावधानों के अनुसार कोई निदेशक अयोग्य हैं या नहीं।

6) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर पर्याप्तता के संबंध में और ऐसे नियंत्रणों के परिचालन की प्रभाविता के लिए '**अनुबंध ख**' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। यह कंपनी और भारत में सम्मिलित सहायक कंपनी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के आधार पर है। हमारी रिपोर्ट उन कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और प्रचालन प्रभाविता पर अशोधित राय व्यक्त करती है।

7) कंपनियों (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षकों) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जानेवाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में तथा हमारी अच्छी जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:–

i. समेकित वित्तीय विवरण ने समूह के समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 36 का संदर्भ लें)

ii. समूह ने व्युत्पन्न अनुबंधों सहित लंबी अवधि के अनुबंधों पर, लागू कानून या लेखा मानकों के तहत, भौतिक

पूर्वाभास योग्य नुकसान के लिए, यदि कोई हो, प्रावधान किया है।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरण के लिए अपेक्षित कोई राशि नहीं थी।

iv.

क. प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि वित्तीय विवरणों में नोट 48 में खुलासा किया गया है, कोई भी धन अग्रिम या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं में, विदेशी संस्थाओं (ङ्गमध्यस्थङ्ग) सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से (ङ्गअंतिम लाभार्थीङ्ग) की पहचान की गई है या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान की गई है।

ख. प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि वित्तीय विवरणों में नोट 49 में खुलासा किया गया है, कंपनी को विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियों") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है। इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी ("अंतिम लाभार्थी") या फंडिंग पार्टियों की ओर से या कोई गारंटी प्रदान करती है , सुरक्षा या परम लाभार्थियों की ओर से इसी तरह की।

ग. निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन में शामिल हैं कोई भी सामग्री गलत बयान।

घ. कंपनी ने रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान लाभांश की घोषणा या भुगतान नहीं किया है और तदनुसार अधिनियम की धारा 123 प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

23. अधिनियम की धारा 143 (11) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा ज़ारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) द्वारा अपेक्षितनुसार, हम आदेश के खंड 3 (xxi) निम्नानुसार रिपोर्ट कतरे हैं

सहायक कंपनी मैसर्स हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 रिपोर्ट के पैराग्राफ (ix)(क़) और (xix) में योग्यता/प्रतिकूल टिप्पणी की है।

24. भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक कार्यालय द्वारा अधिनियम की धारा 143 (5) के अधीन ज़ारी निदेशों और उप निदेशों द्वारा अपेक्षितानुसार हम उन निदेशों में संदर्भित मामले पर विवरण '**अनुबंध क**' में दे रहे हैं।

25. सेबी लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ (एलओडीआर) विनियम, 2015 का अनुपालन न करना–

कंपनी ने कम से कम एक महिला निदेशक के साथ कार्यकारी और गैर–कार्यकारी निदेशकों के इष्टतम संयोजन के रखरखाव के संबंध में विनियम 17 (1) (ए) और 17 (1) (बी) का अनुपालन नहीं किया है और कम से कम पचास प्रतिशत निदेशक मंडल में गैर–कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे और निदेशक मंडल के कम से कम आधे के रखरखाव के संबंध में क्रमशः स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे क्योंकि अध्यक्ष एक कार्यकारी निदेशक है। तदनुसार, सेबी लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं (एलओडीआर) विनियम, 2015 (समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट 44 देखें) के विनियम 18 और 19 का परिणाम गैर–अनुपालन है।

**कृते बीएसजे एंड एसोसिएटस**

सनदी लेखाकार

(फर्म की पंजीकरण संख्या.010560ए)

**सी ए जोजो अगस्टिन**

**साझेदार (सदस्यता सं द. 214088)**

**यूडीआईएनः 22214088AKDZMH2878**

स्थानः एरणाकुलम

दिनांक : 30/05/2022

**लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 'क'**

**(हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट'' के अधीन पैरा 24 में संदर्भित)**

**कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक के निर्देशों और उप निर्देशों के अनुसार, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट:**

**क. निर्देश**

| क्रमांक | सी एंड ए जी निर्देश | सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियाँ | |
|---|---|---|---|
| | | नियंत्रक कंपनी | सहायक कंपनी |
| 1 | क्या कंपनी में सभी लेखा लेन–देन आईटी प्रणाली के माध्यम से संचालित करने का तंत्र उपलब्ध है? यदि हाँ, लेखाओं की ईमानदारी पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखा लेन–देन के संसाधन का अनुमान साथ ही वित्तीय अनुमान यदि कोई हो तो दिया जाए। | रिपोर्टाधीन वर्ष अचल संपत्ति रजिस्टर को छोड़कर सभी लेखांकन लेनदेन टैली ईआरपी और एचआरएम सॉफ्टवेयर सिस्टम के माध्यम से बनाए / संसाधित किए जाते हैं। प्रधान कार्यालय और कोच्चि इकाई के खातों का समेकन एमएस ऑफिस का उपयोग करके तैयार किया जा रहा है। एमएस ऑफिस–एक्सेल में अचल संपत्ति रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है। आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण का कोई उदाहरण नहीं है | सूचना,स्पष्टीकरण और हमारी सत्यापन के लिए प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार, कंपनी में सभी लेखा लेन–देन आईटी प्रणाली के माध्यम से संचालित करने का तंत्र उपलब्ध है और आईटी प्रणाली के बाहर लेखाओं लेन–देन के संसाधन के दृष्टांत नहीं पाए गए हैं। |
| 2 | क्या विद्यमान ऋण के पुनर्गठन या ऋण की चुकौती में कंपनी की अक्षमता के कारण उधारदाता द्वारा कंपनी को छूट/कर्ज/ऋण/ब्याज आदि को बट्टे खाते में डालने के कोई मामले है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव दिया जाए। क्या ऐसे मामलों का ठीक से लेखा किया जाता है. | नहीं, कंपनी ने केंद्र/राज्य अभिकरणों से विशेष योजना के लिए किसी प्रकार की निधि प्राप्त नहीं की है। | कंपनी द्वारा लिए गए विद्यमान ऋण के पुनर्गठन या ऋण की चुकौती में कंपनी की अक्षमता के कारण उधारदाता द्वारा कंपनी को छूट/ कर्ज/ऋण/ब्याज आदि को बट्टे खाते में डालने के कोई मामले/दृष्टांत नहीं है |
| 3 | क्या केंद्र/राज्य अभिकरणों से विशेष योजनाओं के लिए प्राप्त निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) को इनके निबंधन और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब में लिया/उपयोग किया है? विचलन के मामलों की सूची दी जाए? | नहीं, कंपनी ने केंद्र/राज्य अभिकरणों से विशेष योजना के लिए किसी प्रकार की निधि प्राप्त नहीं की है। | हमारे सत्यापन के लिए प्रस्तुत सूचना, स्पष्टीकरण और अभिलेखों के अनुसार, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भारत सरकार द्वारा दिए गए बंद करने के निर्देश के अनुरूप, भारत सरकार द्वारा ब्याज मुक्त मियादी ऋण 7720 लाख रुपये की राशि विशेष रूप से बंद करने के लिए उपयोग करने के लिए प्रदान की गई थी। व्यय में (ए) एचएफएल कर्मचारियों के लिए वीआरएस / वीएस का कार्यान्वयन, उनकी देय राशि, वैधानिक बकाया, आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / उपयोगिताओं की बकाया राशि का भुगतान और एसबीआई कार्यशील पूंजी ऋण का भुगतान (बी) वेतन / मजदूरी और एचएफएल के नाममात्र कर्मचारियों के प्रशासनिक खर्च दो साल के लिए शामिल है। नीचे तालिका के रूप में दी गई<br>अनुलग्नक उक्त ब्याज मुक्त ऋण राशि स्वीकृत, प्राप्त और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान उक्त प्रयोजन के लिए प्रत्येक के विरुद्ध व्यय का शीर्ष खर्च किया गया दिखाता है।<br>: |

**अनुबंध**

| क्रमांक. | बंद करने के लिए अपेक्षित निधि विवरण | अनुमानित राशि | दी गई राशि | 31.03.2022 तक वास्तविक राशि | राशि जिसका उपयोग अभी की जानी है |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वीआरएस/वीएसएस का कार्यान्वयन | 2350 | 2232 | 1232 | 1000 |
| 2 | कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी और वैधानिक बकाया का भुगतान | 2000 | 1840 | 1652 | 188 |
| 3 | वेतन संशोधन बकाया का भुगतान (1997 & 2007) | 1430 | 1430 | 1415 | 015 |
| 4 | बंद करने की योजना के कार्यान्वयन के लिए रखे जाने वाले नाममात्र कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी और प्रशासनिक खर्चों का प्रावधान (2 साल के लिए 350 लाख प्रति वर्ष) | 700 | 967 | 672 | 295 |
| 5 | आपूर्तिकर्ता / विपक्ष– ट्रैक्टरों का बकाया | 525 | 403 | 137 | 266 |
| 6 | कार्यशील पूंजी नकद ऋण (एसबीआई) | 515 | 515 | 515 | 0 |
| 7 | जल एवं विद्युत प्रभार | 200 | 200 | 84 | 116 |
| | कुल | **7720** | **7587** | **5707** | **1880** |

**ख. उप निर्देश**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | अतिक्रमण के अधीन भूमि के क्षेत्र का ब्योरा दें और अतिक्रमण हटाने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम का संक्षिप्त विवरण दें. | जैसा कि हमारे पास उपलब्ध सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, रसायनी यूनिट में सर्वश्री जियो टेक द्वारा आयोजित 24 अप्रैल 2019 की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 22.717 एकड़ आकार की भूमि अतिक्रमण के अधीन है। इसके साथ 10.576 एकड़ आकार की भूमि में सार्वजनिक सड़क का निर्माण भी किया है और इसका मूल्य शून्य है। 32.547 एकड़ भूमि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम, महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड, हिंदुस्तान इनसेक्टीसाइडस लिमिटेड और महात्मा एजुकेशन सोसाइटी को दिया है।<br>हमें सूचित किया गया है की कंपनी ने प्रस्तुत मामले मंत्रालय के सम्मुख लाया गया है और अतिक्रमण भूमि की प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया में है। | रिपोर्ट नहीं की। |
| 2 | क्या विशेष रूप से तीन वर्ष से अधिक पुरानी संचित व्यापार प्राप्तियों के अनुवर्तन के लिए कोई प्रभावी प्रणाली है? | हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण और जानकारी के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड के हमारे सत्यापन के आधार पर, कंपनी ने कुछ व्यापार प्राप्तियों के खिलाफ कानूनी वसूली की कार्यवाही शुरू की है। लेकिन कानूनी कार्यवाही की समय पर शुरूआत और संचित/अतिदेय व्यापार प्राप्तियों की वसूली के लिए दायर/संचित/अतिदेय व्यापार प्राप्तियों के मुकदमे के अनुवर्ती कार्रवाई के लिए कंपनी में प्रचलित प्रणाली को और मजबूत करने की आवश्यकता है। | रिपोर्ट नहीं की। |
| 3 | क्या कच्चे माल, बिचौलियों और उपयोगिताओं के मामले में मानदंडों के विरुद्ध वास्तविक खपत को देखने के लिए पर्याप्त प्रणाली थी? | हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण और सूचना के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड के हमारे सत्यापन के आधार पर, कंपनी के पास मानक/मानदंडों के खिलाफ वास्तविक खपत को देखने के लिए पर्याप्त प्रणाली है। प्रबंधन सूचना प्रणाली के एक भाग के रूप में कंपनी मासिक आधार पर कच्चे माल, बिचौलियों और उपयोगिताओं की प्रत्येक वस्तु के लिए तुलना विवरण तैयार कर रही है। | रिपोर्ट नहीं की। |

**कृते बीएसजे एंड एसोसिएटस**

सनदी लेखाकार

(फर्म की पंजीकरण संख्या.010560ए)

**हस्ता/–**

**सी ए जोजो अगस्टिन**

**साझेदार (सदस्यता सं No. 214086)**

**यूडीआईएन: 22214088 एकेडीजेडएमएच2878**

स्थान: एरणाकुलम

दिनांक : 30/05/2022

**स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध "ख"**

(हमारी समदिनांकित "अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं की रिपोर्ट" के अधीन पैरा 22(एफ) में संदर्भित)

**आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रिपोर्ट**

**कंपनी अधिनियम,2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट**

हम ने हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड ("कंपनी'') और इसकी सहायक कंपनी जो भारत में निगमित है, की 31 मार्च 2022 तक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के साथ की गयी है।

**आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी**

कंपनी और भारत में सम्मिलित इनकी सहायक कंपनी के निदेशक मंडल संबंधित कंपनियों द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों पर आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने तथा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इसके लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश नोट में उल्लेखित आंतरिक नियंत्रणों के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा मानदंड द्वारा तैयार किया है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिज़ाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना जो अपने व्यापार के नियमित और सक्षम प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढ़ंग से कार्यरत थे, इसमें कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन अपेक्षितानुसार संबंधित नीतियाँ, अपनी परिसंपत्तियों की संरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों की रोक एवं पहचान, लेखा अभिलेखों की यथार्थता एवं पूर्णता, विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं का समय पर तैयारी शामिल है।

**लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी**

हमारी जिम्मेदारी, अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के मार्गदर्शी तत्वों (''मार्गदर्शी तत्वों'') और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षा संबंधी मानकों जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक है, की है। इन मानकों तथा मार्गदर्शी नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं तथा योजनाओं का पालन करें और क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त है इसका उचित आश्वासन प्राप्त करें और ऐसे नियंत्रण प्रभावशाली ढ़ंग से सभी सामग्री के संबंध में स्थापित किए गए हैं और रखे गए है।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उसका प्रभावी ढ़ंग से परिचालन के बारे में लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करने के लिए पद्धति का अनुरक्षण करना सम्मिलित है। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए समझदारी प्राप्त करना, जोखिम की जाँच करना कि कमी मौजूद है तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन की प्रभाविता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयन की गई पद्धति लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर है, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणों में धोखा या चूक के कारण गलत बयान की जोखिम के निर्धारण भी शामिल है। हम विश्वास करते हैं कि हम ने जो लेखा सबूत प्राप्त किए हैं, वित्तीय रिपोर्टों के ऊपर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा की राय प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

**वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का मतलब**

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसका डि. जाइन वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता संबंधी उचित आश्वासन प्रदान करने और सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए किया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में नीचे दी गई उन नीतियाँ और कार्यप्रणालियाँ शामिल है कि

(1) कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और स्थिति के उपयुक्त विवरण, यथार्थ और उचित रूप से प्रतिबिंबित अभिलेखों का अनुरक्षण और निपटान संबंधी है;

(2) उचित आश्वासन प्रदान करते है कि कारोबार का रिकॉर्ड इस प्रकार रखा गया है कि सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए आवश्यक है और कंपनी की प्राप्तियाँ और कंपनी के प्रबंधन और निर्देशकों के प्राधिकरण के अनुरूप किया जा रहा है और

(3) इसका उपयुक्त आश्वासन भी प्रदान करते हैं कि कंपनी की परिसंपत्तियों का अप्राधिकृत अर्जन, उपयोग की रोक या पहचान या स्थिति संबंधी है जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

**वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिसीमा**

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित परिसीमा जिसमें मिली भगत या अनुचित प्रबंधन की संभाव्यता नियंत्रणों को पार करने चूक या धोखाधड़ी के कारण गलत बयान शामिल है, घटित हो सकते है और पहचान नहीं की जाती है। साथ ही, भविष्य की अवधि में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों किसी मूल्यांकन का प्रक्षेपण इस जोखिम के शर्त पर हैं कि परिस्थितियों में परिवर्तन या नीतियों के अनुपालन स्तर या कार्य प्रणालियां बिगड़ने से वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है।

**राय**

हमारी राय में, हमारी अधिकतम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2022 को प्रभावी ढ़ंग से प्रचालन में थे इसका आधार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा ज़ारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा मार्गदर्शी तत्वों में कथित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग हमारी राय में के ऊपर आंतरिक नियंत्रण मानदंड है।

**कृते बीएसजे एंड एसोसिएटस**

सनदी लेखाकार

(फर्म की पंजीकरण संख्या.010560ए)

**हस्त/–**

**सी ए जोजो अगस्टिन**

**साझेदार (सदस्यता सं No. 214086)**

**यूडीआईएन: 22214088 एकेडीजेडएमएच2878**

स्थान: एरणाकुलम

दिनांक : 30/05/2022

**31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) जिसे धारा 129(4) के साथ पढ़ा जाए के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां**

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसरण में 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) जिसे धारा 129(4) के साथ पढ़ा जाए, के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 जिसे धारा 129(4) के साथ पढ़ा जाए, के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। कहा गया है कि यह उनकी दिनांक 30 मई 2022 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) जिसे धारा 129(4) के साथ पढ़ा जाए, के तहत 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक के लिए
और उनकी ओर से
हस्ता/–

स्थान: मुंबई
दिनांक: 02 अगस्त 2022

**(पी वी हरि कृष्णा)**
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (शिपिंग), मुंबई

## 31 मार्च 2022 को समेकित तुलन पत्र

रु. लाख में

| विवरण | टिप्पणी सं | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|---|
| **परिसंपत्तियाँ** | | | |
| **1. गैर–चालू परिसंपत्तियाँ** | | | |
| क) संपत्ति,संयंत्र और उपकरण | 3क | 15,348.07 | 13,447.26 |
| ख) निवेश संपत्ति | 3ख | 88.74 | 87.93 |
| ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ | 3ग | 27.25 | 22.53 |
| घ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ | | | |
| i) निवेश | 4 | 5.00 | 5.00 |
| ङ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ | 5 | 497.37 | 498.12 |
| **कुल (गैर चालू परिसंपत्तियाँ)** | | **15,966.43** | **14,060.84** |
| **चालू परिसंपत्तियाँ** | | | |
| क) वस्तु सूची | 6 | 7,651.25 | 5,347.58 |
| ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ | | | |
| (i) व्यापार प्राप्य | 7 | 864.28 | 371.61 |
| (ii) नकद और नकद समतुल्य | 8क | 2,169.32 | 3,304.59 |
| (iii) बैंक शेष उपरोक्त (ii) के अलावा | 8ख | 11,576.05 | 11,535.88 |
| (iv)ऋण | 9 | 21.01 | 30.88 |
| ग) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ | | | |
| (i) ब्याज और अन्य प्राप्य | 10 | 395.52 | 502.74 |
| ii) निवेश, अग्रिम और अन्य प्राप्य | 11 | 4,919.26 | 4,953.32 |
| iii) बिक्री के लिए रखी गयी संपत्ति,संयंत्र और उपकरण | 3घ | 103,929.34 | 103,936.66 |
| **कुल चालू परिसंपत्तियाँ** | | **131,526.03** | **129,983.26** |
| **कुल परिसंपत्तियाँ** | | **147,492.46** | **144,044.10** |
| **इक्विटी और देयताएं** | | | |
| **1. इक्विटी** | | | |
| **क) इक्विटी शेयर पूंजी** | 12 | 6,726.96 | 6,726.96 |
| ख) अन्य इक्विटी | | | |
| i) प्रतिभूति प्रीमियम | 13क | 4,838.57 | 4,838.57 |
| ii) प्रतिधारित अर्जन | 13ख | (108,198.87) | (103,421.22) |
| iii) अन्य व्यापक आय | 13ग | 96,450.23 | 95,009.17 |
| **कुल अन्य इक्विटी** | | **(6,910.07)** | **(3,573.48)** |
| **कुल इक्विटी** | | **(183.11)** | **3,153.48** |
| गैर–नियंत्रित ब्याज | | (3,432.91) | (3,164.05) |

## 31 मार्च 2022 को समेकित तुलन पत्र तुलनपत्र

रु. लाख में

| विवरण | टिप्पणियाँ | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|---|
| **2.देयताएं** | | | |
| **गैर–चालू देयताएं:** | | | |
| क) वित्तीय देयताएं (निवल) | | | |
| i) उधार | 14 | - | 7,695.09 |
| iक) पट्टा देयताएं | | | |
| ख) प्रावधान | 15 | 2,980.57 | 3,334.69 |
| ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल) | 16 | 16,402.52 | 15,841.52 |
| **कुल गैर चालू देयताएं** | | **19,383.09** | **26,871.30** |
| **चालू देयताएं :** | | | |
| क) वित्तीय देयताएं | | | |
| (i) अधिमान्य शेयर धारक को देय | 17 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| iक) पट्टा देयताएं | | | |
| (ii) उधार | 17क | 9,167.00 | 8,950.00 |
| (iii) व्यापार देय | | | |
| सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय | 18 | 55.50 | 25.62 |
| अन्य को देय | 18 | 4,144.71 | 1,679.30 |
| (iv) अन्य वित्तीय देयताएं | 19 | 8,531.68 | 9,023.90 |
| ख) प्रावधान | 20 | 6,996.14 | 6,362.73 |
| ग) अन्य चालू देयताएं | 21 | 75,830.36 | 64,141.82 |
| **चालू देयताएं – कुल** | | **131,725.39** | **117,183.37** |
| **कुल इक्विटी और देयताएं** | | **147,492.46** | **144,044.10** |
| महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ | 2 | | |
| स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ | 1&3-63 | | |

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

**संलग्न समदिनांकित हमारी रिपोर्ट के अनुसार**
**कृते बी एस जे एवं एसोसिएट**
सनदी लेखाकर
**एफआरएनः** 010560S

हस्ता/–
**सजीव बी.**
सीएमडी और सीईओ
डीआईएन 09344438

हस्ता/–
**डॉ. भरत जे. कनाबर**
निदेशक
डीआईएन 09466694

हस्ता/–
**पी ओ लुईस**
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता/–
**सुब्रमणियन एच**
कंपनी सचिव

हस्ता/–
**सीए.जोजो अगस्टिन**
साझेदार
सदस्यता सं.214088
यूडीआईएनः 22214088AKDYEI7538

स्थानः नवीं मुंबई
दिनांक : 26.05.2022

स्थानः एरणाकुलम
दिनांकः 30.05.2022

## 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का समेकित तुलन पत्र

रु. लाख में

| विवरण | टिप्पणी सं | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|
| **राजस्व** | | | |
| प्रचालन से राजस्व –उत्पादों की बिक्री | 22 | 43,367.72 | 41,524.71 |
| अन्य आय | 23 | 3,360.54 | 2,147.57 |
| **कुल आय:** | | **46,728.26** | **43,672.28** |
| **व्यय** | | | |
| उपभोग की गई सामग्री की लागत | 24 | 27,888.46 | 20,275.68 |
| तैयार माल की सूची में परिवर्तन, एवं कार्य प्रगति पर | 25 | -1,430.78 | 145.23 |
| कर्मचारी हितलाभ व्यय | 26 | 4,759.47 | 6,788.41 |
| वित्तीय लागत | 27 | 5,143.18 | 5,361.86 |
| मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय | 28 | 116.37 | 290.23 |
| अन्य व्यय | 29 | 13,188.90 | 11,639.58 |
| **कुल व्यय** | | **49,665.60** | **44,500.99** |
| असाधारण मदों और कर के पहले लाभ/(हानि) | | (2,937.34) | (828.71) |
| घटाएँ: असाधारण मदों | | - | - |
| कर पूर्व लाभ/(हानि) | | (2,937.34) | (828.71) |
| (1)चालू कर | | - | - |
| (2) आस्थगित कर | | - | - |
| **घटाएँ: कर व्यय :** | | 0.00 | 0.00 |
| **अवधि के लिए लाभ/(हानि)** | | **(2,937.34)** | **(828.71)** |
| **अन्य व्यापक आय :** | | | |
| (i) लाभ या हानि में पुन: वर्गीकृत न करनेवाले मदें | | | |
| क) संयंत्र, संपत्ति एवं उपकरणों का पुनर्मूल्यन | 13ग | 1,978.42 | 1,631.02 |
| आस्थगित कर संपत्तियाँ | 13ग | (576.00) | (419.00) |
| ख) निवेश के ह्रास के लिए प्रावधान | | | |
| आस्थगित कर व्यय | | - | - |
| ग) परिभाषित हितलाभ योजना में परिवर्तन | 13ग | 36.80 | (58.74) |
| घ) परिशोधित लागत में ओसीआई के माध्यम से वित्तीय लिखत | | - | - |
| वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, कर का निवल | | **1,439.22** | **1,153.28** |
| **वर्ष के लिए कुल व्यापक आय** | | **(1,498.12)** | **324.57** |

## 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का समेकित तुलन पत्र

रु.लाख में

| विवरण | टिप्पणी सं | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|
| को निवल लाभ के कारण | | | |
| **क) कंपनी के मालिक** | | (2,670.31) | 253.17 |
| ख) गैर नियंत्रित ब्याज | | (267.03) | (1,081.88) |
| अन्य व्यापक आय के कारण | | | |
| **क) कंपनी के मालिक** | | 1,441.05 | 1,174.62 |
| ख) गैर नियंत्रित ब्याज | | (1.83) | (21.34) |
| कुल व्यापक आय के कारण | | | |
| क) कंपनी के मालिक | | (1,229.27) | 1,427.79 |
| ख) गैर नियंत्रित ब्याज | | (268.85) | (1,103.22) |
| प्रति इक्विटी शेयर में अर्जन (रुपए में) | | | |
| मूल (प्रत्येक 10 रुपए के अंकित मूल्य) | | (4.37) | (1.23) |
| मिश्रित(प्रत्येक 10 रुपए के अंकित मूल्य) | | (4.37) | (1.23) |
| महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ | 2 | | |
| स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ | 1&3-63 | | |

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

**संलग्न समदिनांकित हमारी रिपोर्ट के अनुसार**
**कृते बी एस जे एवं एसोसिएट**
सनदी लेखाकर
**एफआरएन:** 010560S

हस्ता/–
**सजीव बी.**
सीएमडी और सीईओ
डीआईएन 09344438

हस्ता/–
**डॉ. भरत जे. कनाबर**
निदेशक
डीआईएन 09466694

हस्ता/–
**पी ओ लुईस**
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता/–
**सुब्रमणियन एच**
कंपनी सचिव

हस्ता/–
**सीए.जोजो अगस्टिन**
साझेदार
सदस्यता सं.214088
यूडीआईएन: 22214088AKDYEI7538

स्थान: नवीं मुंबई
दिनांक : 26.05.2022

स्थान: एरणाकुलम
दिनांक: 30.05.2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

**क. इक्विटी शेयर पूंजी**

**1. चालू रिपोर्टिंग अवधि(2021–22)**

रु.लाख में

| विवरण | चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारम्भ में शेष | पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारम्भ में पुनर्निर्धारित शेष राशि | चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| | 01.04.2021 | 2021-22 | 01.04.2021 | 2021-22 | 31.03.2022 |
| प्रत्येक 10/– रुपए के इक्विटी शेयर | **6726.96** | **0** | **6726.96** | **0** | **6726.96** |
| **2. पिछली रिपोर्टिंग अवधि (2020–21)** | | | | | |
| प्रत्येक 10/– रुपए के इक्विटी शेयर | **6726.96** | **0** | **6726.96** | **0** | **6726.96** |

**ख. अन्य इक्विटी**

रु.लाख में

| विवरण | शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन | मिश्रित वित्तीय लिखत का इक्विटी घटक | आरक्षिति और अधिशेष | | | | अन्य समग्र आय के मदें(ओसीआई) | | | | | | शेयर वारंट के विरुद्ध प्राप्त राशि | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | पूंजी आरक्षिति | प्रतिभूतियों का प्रीमियम | अन्य आरक्षितियाँ(प्रकृति स्पष्ट करें ) | प्रतिधारित अर्जन | अन्य समग्र आय के ?रिए ऋण लिखित | अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखत | कैश फ्लो हेजेज का प्रभावी हिस्सा | अधिशेष का का पुनर्मूल्यन | विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरणों को परिभाषित करने में विनिमय अन | ओसीआई के अन्य मदें(कर्मचारी परिभाषित हितलाभ योजन में परिवर्तन) | | |
| **1. चालू रिपोर्टिंग अवधि (2021–22)** | | | | | | | | | | | | | | 2021-22 |
| चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारम्भ में शेष राशि (01.04.2021) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4838.57 | 0.00 | -103480.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95296.80 | 0.00 | -287.63 | 0.00 | -3633.25 |
| लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियाँ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.77 |
| चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारम्भ में पुनर्निर्धारित शेष राशि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4838.57 | 0.00 | -103421.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95296.80 | 0.00 | -287.63 | 0.00 | -3573.48 |
| चालू वर्ष के लिए कुल समग्र आय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4777.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1978.42 | 0.00 | -2.35 | 0.00 | -2801.58 |
| लाभांश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| प्रतिधारित अर्जनों का अंतरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अन्य कोई परिवर्तन (निर्धारित की जानी है) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -576.00 | 0.00 | 40.99 | 0.00 | -535.01 |
| चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि (31.03.2022) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4838.57 | 0.00 | -108198.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96699.22 | 0.00 | -248.99 | 0.00 | -6910.07 |
| **2. पिछली रिपोर्टिंग अवधि (2020–21)** | | | | | | | | | | | | | | **2020-21** |
| चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारम्भ में शेष राशि (01.04.2020) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4838.57 | 0.00 | -103744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94143.82 | 0.00 | -228.89 | 0.00 | -4990.50 |
| लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियाँ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.85 |
| चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारम्भ में पुनर्निर्धारित शेष राशि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4838.57 | 0.00 | -103734.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94143.82 | 0.00 | -228.89 | 0.00 | -4980.65 |
| चालू वर्ष के लिए कुल समग्र आय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1631.02 | 0.00 | -58.74 | 0.00 | 1885.21 |
| लाभांश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| प्रतिधारित अर्जनों का अंतरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -59.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -59.04 |
| अन्य कोई परिवर्तन (निर्धारित की जानी है) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -419.00 |
| चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि (31.03.2021) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4838.57 | 0.00 | -103421.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95296.80 | 0.00 | -287.63 | 0.00 | -3573.48 |

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–
सजीव बी.
सीएमडी और सीईओ
डीआईएन 09344438

हस्ता/–
डॉ. भरत जे. कनाबर
निदेशक
डीआईएन 09466694

हस्ता/–
पी ओ लुईस
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता/–
सुब्रमणियन एच
कंपनी सचिव

स्थान: नवीं मुंबई
दिनांक: 26.05.2022

संलग्न समदिनांकित हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते बी एस जे एवं एसोसिएट
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 010560ए

हस्ता/–
सीए जोजो अगस्टिन
साझेदार
सदस्यता सं .214088
यूडीआईएन: 22214088AKDYEI7538
स्थान: एरणाकुलम
दिनांक: 30.05.2022

## 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण

(रु.लाख में)

| विवरण | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| **प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह :** | | |
| **कर पूर्व अवधि के लिए लाभ/(हानि)** | (2,937.34) | (828.71) |
| हेतु समायोजन : | | |
| परिसंपत्तियों के क्षत पर मूल्यह्रास/हानि | 116.37 | 290.24 |
| परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभा(–)/हानि | - | (11.68) |
| ब्याज आय | (789.01) | (817.73) |
| ब्याज एवं वित्त प्रभार | 5,881.80 | 6,100.48 |
| निवेश संपत्ति से आय | (255.49) | (179.82) |
| परिभाषित कर्मचारी लाभ योजना में परिवर्तन –अन्य व्यापक आय | 36.80 | (80.08) |
| परिशोधित लागत में वित्तीय लिखत के मापन का प्रभाव | - | - |
| **कार्यगत पूंजी परिवर्तन के पहले प्रचालन नकदी प्रवाह (क)** | 2,053.13 | 4,472.70 |
| **हेतु समायोजन** | | |
| वस्तु सूची में (वृद्धि)/कमी | (2,303.67) | (311.22) |
| व्यापार और अन्य प्राप्य में कमी/(वृद्धि) | (1,671.81) | (1,650.34) |
| व्यापार देनदारियों एवं अन्य देनदारियों में वृद्धि/(कमी) | 2,173.59 | (7,480.87) |
| **प्रचालनों (कार्यगत पूंजी परिवर्तन) से सृजित नकद (ख)** | (1,801.89) | (9,442.43) |
| **प्रचालन गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह (1) (कःख)** | 251.24 | (4,969.73) |
| **निवेश संबंधी गतिविधियों से नकद प्रवाह :** | | |
| अचल परिसंपत्तियों का क्रय | (44.25) | (20.91) |
| अचल परिसंपत्तियों की बिक्री बिक्री के लिए रखी गयी परिसंपत्तियों | 7.31 | 71.92 |
| ब्याज आय | 906.58 | 584.50 |
| निवेश संपत्ति से आय | 191.87 | 116.20 |
| **वित्तीय गतिविधियों से (उपयोग में) निवल नकद प्रवाह (2)** | 1,061.51 | 751.71 |
| **वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह :** | | |
| ज़मानती ऋण में वृद्धि/कमी | (1,161.82) | (600.00) |
| गैर–ज़मानती ऋण में वृद्धि/कमी | (1,394.13) | (980.63) |
| गैर–ज़मानती ऋण में वृद्धि/कमी (चुकौती का निवल ) | 217.00 | 6,864.75 |
| परिशोधित लागत में वित्तीय लिखत के मापन का प्रभाव | - | - |
| प्रदत्त ब्याज | (109.07) | (129.34) |
| **वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकद (3)** | (2,448.02) | 5,154.78 |
| नकद और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी(1+2+3) | (1,135.27) | 936.76 |
| अवधि के प्रारम्भ में नकद और नकदी समतुल्य | 3,304.59 | 2,367.83 |
| **अवधि के अंत में नकद और नकद समतुल्य** | 2,169.32 | 3,304.59 |
| **उपरोक्तानुसार नकद और नकद समतुल्य में निम्नलिखित शामिल है।** | | |
| क) बैक में शेष ( नकद और नकदी समतुल्य के स्वरूप के अनुसार): | | |
| चालू खाता | 233.15 | 107.39 |
| बचत खाता (संदर्भ नोट i) | 310.19 | 171.00 |
| तीन माह से कम मूल परिपक्वता में जमा | 1,624.50 | 3,025.28 |
| ख) हाथ में नकद | 1.48 | 0.92 |
| **कुल** | **2,169.32** | **3,304.59** |

जहां आवश्यक हो चालू वर्ष के वर्गिकरण की पुष्टि के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ो को पुन: एकत्रित या पुन: वर्गीकृत किया गया है।

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

| हस्ता/– | हस्ता/– | हस्ता/– | हस्ता/– |
|---|---|---|---|
| सजीव बी. | डॉ. भरत जे. कनाबर | पी ओ लुईस | सुब्रमणियन एच |
| सीएमडी और सीईओ | निदेशक | मुख्य वित्तीय अधिकारी | कंपनी सचिव |
| डीआईएन 09344438 | डीआईएन 09466694 | | |

स्थान: नवीं मुंबई

दिनांक: 26.05.2022

संलग्न समदिनांकित हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते बी एस जे एवं

एसोसिएट

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 010560ए

हस्ता/–

सीए जोजो अगस्टिन

साझेदार

सदस्यता सं .214088

यूडीआईएन: 22214088AKDYEI7538

स्थान: एरणाकुलम

दिनांक: 30.05.2022

**31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ**

**1. निगमित सूचना**

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (कंपनी) भारत में अधिवासित एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और भारत में लागू कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिनिगमित है। कंपनी के शेयर भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध हैं। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 401,402 एवं 403, चौथा तल, "बी टाइम्स स्कवेयर'', सेक्टर-15, सीबीडी बेलापुर, नवीं मुंबई- 400614 में स्थित है। कंपनी मुख्य रूप से थोक औद्योगिक रसायनों और रासायनिक मध्यवर्तियों के कारोबार में नियोजित है।

**2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ**

**2.1 वित्तीय विवरण की तैयारी का आधार**

"इन वित्तीय विवरणों की तैयारी प्रोद्भूत आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अधीन भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुसार की जाती है सिवाय कुछ वित्तीय लिखतों का कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") (अधिसूचित हद तक) के प्रावधानों में उचित मूल्यों पर मापा जाता है। इंड एएस को कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 3 और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित किया गया है।

लेखांकन नीतियों को लगातार प्रयुक्त किया गया है, सिवाय जहाँ एक नए जारी लेखा मानक प्रारंभ में अपनाया जाता है या अब तक उपयोग में रही लेखांकन नीति में बदलाव मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए आवश्यक होती है।

निम्नलिखित संपत्तियों और देयताओं जिनका मापन उचित मूल्य पर किया गया है को छोडकर अलग वित्तीय विवरणों को प्रोद्भूत आधार पर और ऐतिहासिक लागत आधार के तहत तैयार किया गया है, :

व्युत्पन्न वित्तीय लिखत

परिभाषित हितलाभ योजनाएँ– योजना परिसंपत्तियाँ

कुछ वित्तीय संपत्तियों और देयताओं का मापन उचित मूल्य पर (वित्तीय लिखत के संबंध में लेखांकन नीति देखें) किया जाता है। वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपया ("आईएनआर") या ("₹") में प्रस्तुत किया जाता हैं, यह कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है और जहाँ भी राशि "0" (शून्य) का प्रतिनिधित्व किया गया है, वहाँ मूल्य एक लाख रुपए से कम माना जाता है।

**महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान, पूर्वधारणाएं और निर्णय**

कंपनी के अलग–अलग वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को अनुमानों और पूर्वधारणाओं को बनाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, संपत्तियां और देयताओं की रिपोर्ट की गई राशियों, साथ ही साथ संलग्न प्रकटीकरण और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। इन पूर्वधारणाओं और अनुमानों के बारे में अनिश्चितता का परिणाम हो सकते हैं जिसके लिए भविष्य की अवधि में प्रभावित परिसंपत्तियों या देयताओं की वहनीय राशि के लिए भौतिक समायोजन की आवश्यकता होती है।

**अनुमान और पूर्वधारणाएं**

"इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को अनुमान, निर्णय और पूर्वधारणाओं को बनाने की आवश्यकता है। ये अनुमान, निर्णय और पूर्वधारणाएं लेखांकन नीतियों के प्रयोग और परिसंपत्ति और देयताओं की रिपोर्ट की गयी राशियों, वित्तीय विवरणों की तारीख में आकस्मिक परिसंपत्ति और देयताओं के प्रकटीकरण और इस अवधि के दौरान आय और व्यय की रिपोर्ट की गयी राशियों को प्रभावित करते हैं। लेखांकन नीतियों के प्रयोग में जटिल और वस्तुनिष्ठ निर्णय शामिल महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमानों की आवश्यकता है और इन वित्तीय विवरणों में पूर्वधारणाओं के उपयोग को उपयुक्त स्थानों पर प्रकट किया गया है।

लेखांकन अनुमान समय समय पर बदल सकते हैं। वास्तविक परिणाम ऐसे अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। प्रबंधन अनुमानों से जुड़े परिवेश में परिवर्तन से अवगत हैं, इसीलिए अनुमानों में उचित परिवर्तन किए जाते हैं। अनुमानों में परिवर्तन उस अवधि की वित्तीय विवरणों जहाँ परिवर्तन किए गए हैं,में प्रतिबिंबित हैं,और यदि उनके प्रभाव महत्वपूर्ण है तो वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

**कर**

इंड-एएस 12 के अनुसार कर व्यय (आयकर और आस्थगित कर): आय पर कर के लिए लेखांकन स्वीकार किया गया है। कारोबार की सामान्य गति के दौरान कई लेन-देन और परिकलनों को लिया जाता हैं जिसके लिए अंतिम कर निर्धारण अनिश्चित है। जहाँ इन मामलों का अंतिम कर परिणाम प्रारंभिक रूप से दर्ज की गई राशि से अलग है, ऐसे अंतर उस अवधि में वर्तमान और आस्थगित कर प्रावधानों को प्रभावित करेंगे, जिसमें कर निर्धारण किया गया है। आस्थगित कर संपत्ति को स्वीकार किया जाता है और केवल इतना हद तक आगे ले जाता है कि एक आभासी निश्चितता है कि संपत्ति की वसूली/उगाही भविष्य में की जाएगी।

**कर्मचारी हितलाभ**

i. अल्पकालिक दायित्व

गैर-मौद्रिक हितलाभ सहित मजदूरी और वेतन के लिए देयताएं उस अवधि जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते है, की समाप्ति के बाद 12 माह के भीतर पूर्ण रूप से समायोजित किया जाना प्रत्याशित है, को रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति तक संबंधित कर्मचारियों की सेवा के रूप में स्वीकार किया जाता है और जब देयताएं समायोजित किया जाता है उस समय भुगतान के लिए प्रत्याशित राशियों में मापा जाता है। देयताओं को तुलन पत्र में चालू कर्मचारी हितलाभ दायित्व के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

ii. अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ दायित्व

अर्जित छुट्टी और बीमार छुट्टी के लिए देयताओं को उस अवधि जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं, के अंत के 12 माह के भीतर पूर्ण रूप से समायोजित करने की प्रतीक्षा नहीं है। इसलिए उनका मापन रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में प्रत्याशित भविष्य के भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में किया जाता है। इसके लिए पूर्वानुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करता है । हितलाभ को रिपोर्टिंग अवधि जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों के अनुमानित शर्तें होती हैं, के अंत में बाजार उपज का उपयोग करते हुए छूट दी जाती है। समायोजन के परिणामस्वरूप पुन: मापन और बीमांकिक पूर्वधारणाओं में परिवर्तन लाभ या हानि में स्वीकार किया जाता है। यदि संस्था को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए निपटान स्थगित करने शर्त रहित अधिकार नहीं है, दायित्वों को तुलनपत्र में वर्तमान देयताओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता हैं। इस समय वास्तविक समायोजन होने की प्रत्याश होने की उम्मीद पर ध्यान देते नहीं है।

iii) रोज़गारोत्तर दायित्व

"कंपनी निम्नलिखित रोज़गारोत्तर योजनाओं का संचालन करती है:

(क) उपदान, पेंशन, रोज़गारोत्तर चिकित्सा योजना जैसी परिभाषित हितलाभ योजनाएं; तथा

(ख) भविष्य निधि जैसी परिभाषित योगदान योजनाएं।

iv. परिभाषित हितलाभ योजनाएं

कंपनी की उपदान योजना एक परिभाषित हितलाभ योजना है। परिभाषित हितलाभ योजना रोज़गार के बाद की लाभ योजना है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी की शुद्ध दायित्व की गणना वर्तमान और पूर्व अवधि में उनकी सेवाओं के बदले में अर्जित भविष्य के लाभों की राशियों का आकलन करते हुए की जाती है।

v. परिभाषित योगदान योजनाएं

कंपनी की भविष्य निधि योजना एक परिभाषित योगदान योजना है। परिभाषित योगदान योजना रोजगार के बाद की लाभ योजना है जिसके तहत एक संस्था निश्चित योगदान देता है और आगे किसी राशि के भुगतान का कोई दायित्व नहीं होगा। परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्व जब वे देय होते हैं, को लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी हितलाभ व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

i. उपदान

उपदान रोजगार के बाद की परिभाषित हितलाभ योजना है। उपदान के संबंध में तुलन पत्र में स्वीकार की गयी देयता तुलन पत्र की तिथि पर परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है। कंपनी की देयता प्रत्येक वर्ष के अंत में वास्तविक रूप से निर्धारित होती है। पुन:मापन के माध्यम से बीमांकिक लाभ / हानि अन्य व्यापक आय में स्वीकार किया जाता है।

पेंशन और उपदान दायित्व

परिभाषित हितलाभ पेंशन और उपदान योजनाओं के संबंध में तुलन पत्र में स्वीकार की गयी देयता या संपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है जो योजना संपत्तियों के उचित मूल्य को कम करती है। परिभाषित हितलाभ दायित्व की गणना प्रतिवर्ष अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करते हुए बीमांककों द्वारा की जाती है।

भारतीय रुपए में उल्लिखित परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य को सरकारी बॉन्ड पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार उपज के संदर्भ में अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह में छूट देकर निर्धारित किया जाता है। इस बॉन्ड में संबंधित दायित्व की शर्तों के अनुमानित शर्तें हैं। लाभ जो भारतीय रुपए के अलावा अन्य मुद्रा में अंकित हैं, नकदी प्रवाह को उच्च गुणवत्ता वाले कॉरपोरेट बॉन्ड के संदर्भ में निर्धारित बाजार उपज का उपयोग करके छूट दी जाती है, जो मुद्रा में अंकित होते हैं, जिसमें लाभ का भुगतान किया जाएगा, और जिनके पास संबंधित दायित्व की शर्तों का अनुमानित शर्त है ।

निवल ब्याज लागत की गणना परिभाषित हितलाभ दायित्व के निवल बकाए और योजना संपत्तियों के उचित मूल्य पर छूट दर लागू करके की जाती है। यह लागत लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी हितलाभ व्यय में शामिल है।

समायोजन से उत्पन्न होने वाले पुन: मापन लाभ और हानि और बीमांकिक पूर्वधारणाओं में परिवर्तन को उस अवधि जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय में घटित होते हैं, में स्वीकार किया जाता है। ये इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में प्रतिधारित अर्जन और तुलनपत्र में शामिल हैं। योजना संशोधन या कटौती से उत्पन्न परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन को पिछली सेवा लागत के रूप में लाभ या हानि में तत्काल स्वीकार किया जाता हैं।

क) परिभाषित हितलाभ योजनाओं (उपदान लाभ), परिभाषित हितलाभ योजनाओं के संबंध में देयता तुलना पत्र में स्वीकार किया जाता है और योजनाबद्ध परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को कम करने के लिए रिपोर्टिंग तिथि पर परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य प्रत्याशित भविष्य के भुगतानों पर आधारित है जो रिपोर्टिंग तिथि पर निधि से प्राप्त होते हैं, जिसकी गणना सालाना बीमांककों द्वारा की जाती है। प्रत्याशित भावी वेतन स्तर और सेवा की अवधि आदि पर विचार किया जाता है।

ख) भविष्य निधि में कंपनी का योगदान प्रोद्भूत आधार पर लेख बद्ध किया जाता है।

ग) अस्थायी कर्मचारी हितलाभ को उस वर्ष जिसमें संबंधित सेवा प्रदान की जाती है, लाभ और हानि के विवरण में कटौती न की गयी राशि पर एक व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता हैं

घ) लाभप्रदता के आधार पर बोनस अधिनियम, 1965 के भुगतान के प्रावधानों के अनुसार बोनस प्रदान किया जाता है।

ङ) रोजगार के बाद और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभों को उस वर्ष जिसमें कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा प्रदान की जाती है, लाभ और हानि के विवरण में एक व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता हैं। व्यय को बीमांकिक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करते हुए निर्धारित राशि वर्तमान मूल्य पर स्वीकार किया जाता है। रोजगार के बाद और अन्य दीर्घकालिक हितलाभों से संबंधित बीमांकिक लाभ और हानि को लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित की जाती है।

वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य मापन

जब तुलन पत्र में दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्यों को सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता है, तब उनके उचित मूल्य को डीसीएफ मॉडल समेत मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करते हुए मापा जाता है। इन मॉडलों के इनपुट को जहां संभव हो, बाजार के अवलोकन से लिया जाता है, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, उचित मूल्यों की स्थापना में निर्णयों की कोटि की आवश्यकता होती है। निर्णयों में चलनिधि जोखिम, क्रेडिट जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट पर विचार शामिल हैं। इन संघटकों के बारे में पूर्वधारणाओं में परिवर्तन वित्तीय लिखतों की रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं

अप्रचलित और धीमी गति की वस्तुसूची के खिलाफ प्रावधान

कंपनी अपनी वस्तुसूची की स्थिति की समीक्षा करती है और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर अप्रचलित और धीमी गति की वस्तुसूची के मदों के खिलाफ प्रावधान करती है क्योंकि जिनकी पहचान अब बिक्री या उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर वस्तुसूची समीक्षा करती है और अप्रचलित और धीमी गति की वस्तुओं के खिलाफ प्रावधान करती है। कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर अनुमान का पुनर्मूल्यांकन करती है जिसमें धीमी गति की मालसूची 50₹ के लिए और अप्रचलित मदों के मामले में 100% के लिए प्रावधान है।

वित्तीय संपत्तियों की क्षति

सरकारी विभागों/कंपनियों से प्राप्य राशियों को छोडकर 3 साल से अधिक के लिए बकाया विविध देनदारों से संबंधित बहियों में संदिग्ध कर्ज/ऋण/अग्रिमों के लिए प्रावधान किया गया है। अन्य देनदारों, ऋण और अग्रिमों के संबंध में, प्रावधान उस हद तक किए जाते हैं जिन्हें प्रबंधन द्वारा वसूली योग्य नहीं माना जाता है।

गैर–वित्तीय संपत्तियों की क्षति

"कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि कोई संपत्ति खराब हो सकती है। अगर कोई संकेत मौजूद है,या जब किसी परिसंपत्ति के लिए वार्षिक हानि परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है।

एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि एक परिसंपत्ति के उचित मूल्य से अधिक होने पर निपटान की लागत और उपयोग में इसके मूल्य घटाएँ। यह व्यक्तिगत संपत्ति के लिए तब तक निर्धारित किया जाता है, जब तक कि संपत्ति नकद प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो कि अन्य संपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह से काफी हद तक स्वतंत्र होती है। जहाँ एक परिसंपत्ति की ली जाने वाली राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक है, संपत्ति को क्षति के रूप में माना जाना चाहिए और इसे इसकी वसूली योग्य राशि में कम करके लिखा गया है।

उपयोग में मूल्य का आकलन करने के लिए, अनुमानित भविष्य नकदी प्रवाह को पूर्व–कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन और संपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिम दर्शाती है। उचित मूल्य निर्धारित करने में, निपटाने की लागत कम करने, हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे कोई लेनदेन की पहचान नहीं की जा सकती है,तो उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं को मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से व्यापारिक सहायक कंपनियों के लिए उद्धृत शेयर मूल्य या अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतकों द्वारा संपुष्टि की जाती है। "

**2.2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश**

**क) चालू बनाम गैर–चालू वर्गीकरण**

"कंपनी चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्र में परिसंपत्तियों और देयताओं को प्रस्तुत करती है। एक संपत्ति को चालू के रूप में तब माना जाता है जब निम्नानुसार होता है:

- उगाही के लिए प्रत्याशित या बेचने के लिए नियत या सामान्य प्रचालन चक्र में खपत करने की गयी है,
- व्यापार के उद्देश्य के लिए मुख्य रूप से धारित,
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर वसूली के लिए प्रत्याशित है, या

- रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम बारह महीनों के लिए आदान–प्रदान या प्रतिबंधित होने के लिए उपयोग किए जाने तक नकद या नकद समकक्ष अन्य सभी संपत्तियों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

  व्यापार प्राप्तियां जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने के भीतर वसूल किया जाना प्रत्याशित है, को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। 12 महीने से अधिक बकाया को केवल तब तक गैर–चालू के रूप में दिखाया जाएगा जब तक इसकी वसूली के प्रयास किए जाते हैं और यह संभावना है कि रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने के भीतर भुगतान प्राप्त किया जाएगा। इस संबंध में इकाइयों द्वारा एक न्यायिक निर्णय लिया जाएगा।

  देयता चालू है जब:

- यह सामान्य परिचालन चक्र में समायोजित करने के लिए प्रत्याशित है,
- यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए धारित किया जाता है,
- यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर समायोजित करने के लिए देय है, या
- देय रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए दायित्व के समायोजन को स्थगित करने का कोई अशर्त अधिकार नहीं है, यदि कारोबार के सामान्य गति में वह खरीदे गए सामानों या प्राप्त सेवाओं के कारण होने वाली राशि के संबंध में है, तो देय को व्यापार देय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

  व्यापार देय जो रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने के भीतर समायोजित करना प्रत्याशित है, चालू के रूप में दिखाया जाएगा।

  कंपनी अन्य सभी देयताओं को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत करती है।

  आस्थगित कर संपत्तियां और देयताओं को गैर–चालू संपत्तियों और देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

**ख) राजस्व मान्यकरण**

कंपनी रासायनिक उत्पादों के विनिर्माण से मुख्यत: राजस्व प्राप्त करती है।
1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होकर, कंपनी ने इंडएएस 115 प्रयोग किया है, जो यह निर्धारित करने के लिए कि यदि, कितना और कब राजस्व स्वीकार किया जाना है संबंधी समग्र रूपरेखा स्थापित करते हैं। इंडएएस 18 राजस्व और इंडएएस 11 संविदा निर्माण को इंडएएस 115 को प्रतिस्थापित करता है। कंपनी ने इंडएएस 115 को संचित प्रभावी विधि का उपयोग करते हुए अपनाया है। इस मानक को पहली बार प्रयोग करने का प्रभाव प्रारंभिक प्रयुक्ति तारीख (1 अप्रैल, 2018) को स्वीकार किया जाता है। कंपनी के वित्तीय विवरणों पर मानक को अपनाने का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।
राजस्व को तब स्वीकार किया जाता है जब ग्राहकों को वचन दिए गए उत्पादों या सेवाओं के नियंत्रण का अंतरण उस राशि में स्वीकार किया जाता है जो प्रतिफल प्रतिबिंबित करता है जिसे उन उत्पादों या सेवाओं के लिए लेन–देन में कंपनी प्राप्त करना प्रत्याशित है।
राजस्व का मापन लेन–देन मूल्य के आधार पर किया जाता है, जो प्रतिफल है जिसका समायोजन ग्राहक के साथ किए गए करार में निर्धारितानुसार मात्रा बट्टा, सेवा स्तरीय ऋण,निष्पादन बोणस, कीमत रियायत और प्रोत्साहन यदि कोई हो तो, पर किया जाता है। राजस्व में ग्राहकों से वसूल कर शामिल नहीं है।
जैसा कि कंपनी केवल रासायनिक विनिर्माण कारोबार करती है और केवल एक स्थान से प्रचालन करती है, इसलिए भौगोलिक स्थान पर राजस्व का स्वरूप अलग–अलग होता है और औद्योगिक वर्टिकल अपेक्षित नहीं है।

नीचे दिए गए विशिष्ट स्वीकार मानदंडों को राजस्व स्वीकार करने से पहले भी पूरा किया जाना चाहिए।

उत्पादों की बिक्री

उत्पाद की बिक्री से राजस्व को तब स्वीकार किया जाता है जब माल के महत्वपूर्ण जोखिम और स्वामित्व के प्रतिफल खरीदार को अंतरित किया जाता है। उत्पाद की बिक्री से राजस्व का मापन प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर, प्रतिलाभ और भत्ते के निवल पर, व्यापार बट्टा, मात्रा घटौती पर किया जाता है।

सेवाएँ प्रदान करना जब कभी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, सेवाओं से आय को स्वीकार किया जाता है।

ब्याज आय

वित्तीय परिसंपत्ति से ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग कर स्वीकार किया जाता है। ब्याज आय लाभ और हानि विवरण में अन्य आय में शामिल है।

किराया आय

निवेश आस्तियों पर प्रचालन पट्टे से सृजित किराया आय का पट्टे शर्तो पर सीधी रेखा आधार पर हिसाब में लिया जाता है जब तक प्रत्याशित मुद्रास्फीतिकारक लागत संवृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रत्याशित सामान्य मुद्रास्फीति के साथ संवृद्धि बढ़ाने के लिए नहीं है और अपने प्रचालन स्वरूप के कारण लाभ या हानि विवरण में शामिल है।

**ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण**

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मदों जिसमें पूंजीगत कार्य प्रगति पर शामिल है को लागत, संचित मूल्यह्रास और संचित क्षति हानि के निवल, यदि कोई हो, पर प्रतिपादित किया जाता है। लागत में खरीद मूल्य और परिसंपत्ति को इनके लक्षित उपयोग के लिए अपनी कामकाजी स्थिति में लाने की कोई स्रोतजन्य लागत शामिल है। इस तरह की लागत में संयंत्रों और उपकरणों के घटक बदलने और यदि स्वीकार मानदंडों को पूरा किया जाता है,तो लंबी अवधि की निर्माण परियोजनाओं के लिए उधार लागत भी शामिल है।

निश्चित आस्तियों के एक मद से संबंधित अनुवर्ती व्यय को इनकी बही मूल्य में केवल तब जोड़ा जाता है यदि मौजूदा संपत्ति से भविष्य के लाभ उसके पहले मूल्यांकन किए गए कार्य निष्पादन मानक से परे बढ़ जाता है। जब संयंत्र और उपकरणों के महत्वपूर्ण घटकों को अंतराल पर प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होती है, तो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची छ में निर्धारितानुसार कंपनी अपने विशिष्ट उपयोगी जीवन के आधार पर उन्हें अलग मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। अन्य सभी मरम्मत और रख-रखाव लागत को लाभ या हानि के विवरण में जब कभी घटित होती है, स्वीकार किया जाता है। निश्चित आस्तियों में जाड़े/से हटाने के संबंध में, परिसंपत्तियों के अतिरिक्त/जोड़े/हटाने के संदर्भ में प्रो–रेटा आधार पर मूल्यह्रास आस्तियों की जोड़े/हटाने माह के संदर्भ में प्रदान किया जाता है।

प्रबंधन का मानना है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार अनुमानित उपयोगी जीवन काल यथार्थवादी है और उस अवधि के उचित अनुमान को दर्शाता है जिस पर परिसंपत्तियों का उपयोग किए जाने की संभावना है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति के उपयोगी जीवन की समीक्षा करती है और इन पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप भविष्य की अवधि में मूल्यह्रास व्यय में परिवर्तन हो सकता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के लिए मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया जाता ताकि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर लागत कम अवशेष मूल्य का व्यय किया जा सके जो निम्नानुसार है:

1) भवन : 3/5/30/60 वर्ष

2) संयंत्र और उपकरण: 10/12/15/20 वर्ष

3) फर्नीचर और फिक्स्चर: 10 साल

4) वाहन: 8/10 वर्ष

5) कार्यालय उपकरण: 3/5/6/8 वर्ष

6) अमूर्त संपत्ति: 5 वर्ष

निश्चित परिसंपत्तियों के मदों जिन्हें सक्रिय उपयोग से मुक्त किए गए और निपटान के लिए रखी गयी है, का मूल्यन उनके निवल बही मूल्य या निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है। ”

**निवेश परिसंपत्तियाँ**

कंपनी रखाव लागत का उपयोग निवेश परिसंपत्तियों के मानित लागत के रूप में करता है। परिसंपत्ति में निवेश जिसका मूलत: कंपनी द्वारा उपयोग के लिए या प्रचालन में अधिकृत करने के लिए नियत नहीं है, को निवेश परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निवेश परिसंपत्तियों का मापन प्रारंभ में लेन–देन लागत और जहाँ लागू हो, उधार लागत सहित इनके लागत पर किया जाता है। प्रारंभिक मान्यकरण के फलस्वरूप, निवेश परिसंपत्तियों को लागत कम संचित मूल्यह्रास और संचित क्षति हानि यदि कोई हो तो, में प्रतिपादित है। अनुवर्ती लागत को परिसंपत्ति की वहनीय राशि या अलग परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार जो भी उपयुक्त हो, में तब शामिल किया जाता है जब यह संभाव्य है कि मद के साथ संबद्ध भावी आर्थिक फायदाएँ कंपनी में आ जाएगी और मद की लागत का मापन विश्वसनीय रूप से किया जा सकता है। सभी अन्य मरमत्त और अनुरक्षण को रिपोर्टिंग अवधि जिसमें यह उपगत है, के दौरान लाभ या हानि में किया जाता है।

यद्यपि कंपनी निवेश परिसंपत्ति का मापन लागत आधारित मापन का उपयोग कर किया जाता है, निवेश परिसंपत्ति का उचित मूल्य टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है। उचित मूल्य का निर्धारण मान्यता प्राप्त बाहरी स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा किए गए वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

कंपनी अपनी निवेश परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास इनके उपयोगी जीवन काल पर किया जाता है जो परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण के समान है।

निवेश परिसंपत्तियों का अमान्यकरण या तो जब उनका निपटान किया गया है या जब उन्हें उपयोग से स्थायी रूप से वापस किया जाता है और उनके निपटान से कोई भावी आर्थिक फायदा प्रत्याशित नहीं है। परिसंपत्तियों के निवल निपटान प्राप्तियों और वहनीय राशि के बीच अंतर को अमान्यकरण की अवधि में लाभ या हानि में स्वीकार किया जाता है।

**घ) बिक्री के लिए रखी गयी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण**

बिक्री के लिए रखी गयी के रूप में वर्गीकृत गैर–चालू परिसंपत्तियों या निपटान समूहों का मापन वहनीय राशि से कम और बिक्री के लिए लागत घटा उचित मूल्य पर किया जाता है।

गैर–चालू परिसंपत्तियों या निपटान समूहों को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उनकी वहनीय राशियों को मुख्य रूप से निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री लेन-देन के माध्यम से वसूल की जाएगी। इस स्थिति को केवल तभी पूरा किया माना जाता है जब बिक्री अत्यधिक संभव हो और संपत्ति या निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, केवल ऐसी शर्तों के अधीन कि ऐसी संपत्तियों की बिक्री के लिए सामान्य और परंपरागत है। प्रबंधन को बिक्री के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, जिसे बिक्री के लिए धारित वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूर्ण बिक्री के रूप में स्वीकार के लिए अर्हता प्राप्त करने की प्रतीक्षा की जानी चाहिए और बिक्री की योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यों से यह संकेत मिलता है कि यह संभव नहीं है कि योजना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाएंगे या योजना वापस ले ली जाएगी।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों को बिक्री के लिए रखी गयी रूप में वर्गीकृत करने के बाद मूल्यह्रास या परिशोधित नहीं किया जाता है।

पट्टे की अवधि में पट्टे में सुधार

पट्टेवाली भूमि:

पट्टेवाली भूमि पर भुगतान किए गए पट्टे प्रीमियम का परिशोधन पट्टे के जीवनकाल में किया जाता है। , परिसंपत्ति,संयंत्र और उपकरणों के अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन काल और मूल्यह्रास के तरीकों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो भविष्यलक्षी प्रभाव से समायोजित किया जाता है।

**ङ) अमूर्त परिसंपत्तियां**

i) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और एसएपी लाइसेंस लागत शामिल अमूर्त परिसंपत्तियों को अधिग्रहण की तारीख से सीधी रेखा आधार (एसएलएम) पर 5 साल की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

ii) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

अलग से अधिग्रहित अमूर्त संपत्तियों को लागत पर प्रारंभिक स्वीकार पर मापा जाता है। प्रारंभिक स्वीकृति के बाद, निश्चित जीवन सहित अमूर्त संपत्तियों को किसी भी संचित परिशोधन और संचित क्षति नुकसान से कम लागत पर ले लिया जाता है। पूंजीकृत विकास लागत को छोड़कर, आंतरिक रूप से सृजित किए गए अमूर्त परिसंपत्तियों को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उस अवधि जिसमें व्यय उपगत किया गया है, की लाभ या हानि में संबंधित व्यय परिलक्षित होता है। एक निश्चित उपयोगी जीवन काल सहित अमूर्त परिसंपत्ति के लिए परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है।

अमूर्त परिसंपत्ति के अमान्यकरण से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि का मापन निवल प्राप्त राशि और परिसंपत्ति की वहनीय राशि के बीच अंतर के रूप में किया जाता है और संपत्ति को जब आमान्य किया जाता है तब लाभ या हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है। अनुसंधान लागत को उपगत किए जाने पर व्यय किया जाता है। व्यक्तिगत परियोजना पर विकास व्यय को एक अमूर्त संपत्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है जब कंपनी उपयोग या बिक्री के लिए उपलब्ध परिसंपत्ति की तकनीकी और वाणिज्यक व्यवहार्यता का प्रदर्शन कर सकती है।

एक परिसंपत्ति के रूप में विकास व्यय की प्रारंभिक पहचान के बाद, परिसंपत्ति को लागत घटा किसी भी संचित परिशोधन और संचित क्षति नुकसान पर ले लिया जाता है। परिसंपत्ति का परिशोधन तब शुरू होता है जब विकास पूरा हो जाता है और परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है। यह भविष्य के प्रत्याशित लाभ की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है। परिशोधन व्यय को लाभ और हानि के विवरण में तब तक पहचाना जाता है जब तक इस तरह के व्यय किसी अन्य परिसंपत्ति के वहनीय मूल्य का हिस्सा बनता है।

**च) उधार लागत**

उधार लेने की लागत सीधे उस परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए जिम्मेदार है जो, इनके लक्षित उपयोग के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त समयावधि अवश्य लेता है और बिक्री परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत की जाती है। सभी अन्य उधार लेने की लागत को उस अवधि में व्यय होती है जिसमें वे घटित होते हैं। उधार लेने की लागत में ब्याज और अन्य लागत शामिल होती है जो संस्था निधि के उधार के संबंध में उपगत करती है। उधार लागत में उधार लेने की लागत में समायोजन के रूप में माने जाने वाला हद तक विनिमय का अंतर भी शामिल है।

**छ) विदेशी मुद्रा लेन-देन और शेष राशि**

विदेशी मुद्रा में लेन-देन को लेन-देन की तारीख पर विनिमय दर लागू करते हुए दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा में मौद्रिक परिसंपत्तियां और लेन-देन को लेन-देन की तारीख पर विनिमय दर लागू कर दर्ज किया जाता है। वर्ष के अंत में समायोजन किए बिना शेष विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं का तुलन पत्र की तिथि पर विद्यमान अंतिम दर पर परिवर्तित किया जाता है। गैर–मौद्रिक मदों जिसे विदेशी मुद्रा में अंकित ऐतिहासिक लागत के अनुसार लिया जाता है, को लेनदेन की तारीख पर विनिमय दर का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है। उपरोक्त के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को लाभ और हानि के विवरण में आय या व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है। मौद्रिक मदों के समायोजन पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों, उस दर से जो वर्ष के दौरान प्रारम्भ में दर्ज किया गया था, या पिछले वित्तीय विवरणों में

रिपोर्ट की गई थी, को उस वर्ष में जहाँ वे उत्पन्न होते हैं, आय या व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है। विदेशी मुद्रा उधार पर विदेशी मुद्रा अंतर, दिये गए ऋण, उधार संबंधी व्युत्पन्न अनुबंध पर समायोजन लाभ/हानि और उचित मूल्य लाभ/हानि का लेखा किया जाता है और वित्तीय लागत के अधीन प्रकट किया जाता है। इस तरह के विनिमय अंतर में विदेशी मुद्रा अंतर शामिल नहीं है जिसका संबंध उधार लागत के समायोजन और परिसंपत्तियों की लागत के साथ पूंजीकृत के रूप में माना जाता है।

**ज) उचित मूल्य मापन**

"कंपनी पोर्टफोलियो आधार पर प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर उचित मूल्य पर डेरिवेटिव जैसे वित्तीय लिखतों का मापन करती है। उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या मापन की तारीख पर बाजार प्रतिभागियों के बीच व्यवस्थित लेन-देन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। उचित मूल्य मापन इस धारणा पर आधारित है कि परिसंपत्ति बेचने के लिए लेन-देन या देयता का अंतरण के लिए परिसंपत्ति या देयता के लिए मुख्य बाजार में होता है, या किसी प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे अधिक फायदेमंद बाजार में होता है। प्रमुख या सबसे फायदेमंद बाजार पर कंपनी द्वारा पहुँच होना चाहिए। परिसंपत्ति या देयता का उचित मूल्य उन पूर्वधारणाओं का उपयोग करके मापा जाता है कि जब परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय बाजार प्रतिभागियों का उपयोग इस धारणा के साथ किया जाएगा कि बाजार प्रतिभागी अपने सर्वोत्तम आर्थिक हित में कार्य करते हैं। गैर–वित्तीय परिसंपत्ति का उचित मूल्य का मापन परिसंपत्ति का उपयोगा अपने उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग द्वारा आर्थिक लाभ सृजित करने में बाजार प्रतिभागी की क्षमता को ध्यान में रखता है या किसी अन्य बाजार प्रतिभागी को बेचकर करता है। वे इस परिसंपत्ति का उपयोग अपने उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग में किया जाएगा। कंपनी परिस्थितियों में उपयुक्त मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है और जिसके लिए उचित मूल्य मापने के लिए पर्याप्त डेटा, प्रासंगिक अवलोकन इनपुट के उपयोग को अधिकतम करने और अनावश्यक इनपुट के उपयोग को कम करने के लिए उपलब्ध हैं। सभी परिसंपत्तियों और देयताओं जिसके लिए उचित मूल्य का मापन या प्रकटन वित्तीय विवरणों में किया जाता है, को उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया गया है। निम्नतम स्तर इनपुट जो समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है, के आधार पर निम्नानुसार वर्णित है

स्तर 1 - "समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार की कीमतें "

स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर इनपुट प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देखने योग्य है

स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर इनपुट जो उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है देखने योग्य नहीं है।

आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकार की गयी परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए कंपनी निर्धारित करती है कि क्या अंतरण प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण (समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर इनपुट के आधार पर) का पुनर्मूल्यांकन करके पदानुक्रम में स्तरों के बीच घटित हुआ है। उचित मूल्य प्रकटीकरण के प्रयोजन के लिए, कंपनी ने संपत्ति या देयताओं की प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों और उपरोक्त वर्णितानुसार उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देयताओं के वर्ग निर्धारित किए हैं।

यह नोट उचित मूल्य के लिए लेखांकन नीति का सारांश देता है। अन्य उचित मूल्य से संबंधित प्रकटीकरण प्रासंगिक नोट्स में दिए गए हैं।

**झ) पट्टे**

"एक व्यवस्था (या निहित) क्या पट्टा है, का निर्धारण पट्टे की शुरुआत में व्यवस्था के पदार्थ पर आधारित है। एक व्यवस्था पट्टे है या निहित है, अगर व्यवस्था की पूर्ति विशिष्ट परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के उपयोग पर आश्रित है पट्टे की व्यवस्था पर निर्भर है और व्यवस्था संपत्ति या परिसंपत्तियों का उपयोग करने का अधिकार बताती है, भले ही वह अधिकार किसी व्यवस्था में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट न हो।

1 अप्रैल 2015 से पहले की व्यवस्था के लिए, कंपनी ने यह निर्धारित किया है कि क्या व्यवस्था में परिवर्तन की तिथि पर विद्यमान तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर पट्टा शामिल है । "

एक पट्टेदार के रूप में कंपनी

"एक पट्टे को शुरू होने की तारीख में वित्तीय पट्टे या एक प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक पट्टा जो सभी जोखिमों और आकस्मिक प्रतिफल को कंपनी के स्वामित्व के लिए आनुपातिक रूप से अंतरित करता है, को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वित्त पट्टे को पट्टे संपत्ति के उचित मूल्य या यदि निम्न है तो न्यूनतम पट्टे भुगतान के वर्तमान मूल्य पर आरंभिक तिथि पट्टे की शुरुआत में पूंजीकृत किया जाता है। पट्टे भुगतानों को वित्त शुल्कों और पट्टे देयता में कटौती के बीच विभाजित किया जाता है ताकि देयता के शेष बकाए पर ब्याज की निरंतर दर प्राप्त हो सके। वित्त शुल्क को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत में स्वीकार किया जाता है, जब तक कि वे योग्यताप्राप्त परिसंपत्तियों के लिए सीधे लाभ नहीं दे रहे हैं, इस मामले में उन्हें उधार लेने की लागत पर कंपनी की सामान्य नीति के अनुसार पूंजीकृत किया जाता है। आकस्मिक किराया उन अवधि में , जिनमें वे खर्च किए जाते हैं व्यय के रूप में स्वीकार किए जाते हैं । पट्टे पर परिसंपत्ति का मूल्यह्रास परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन काल में किया जाता है। हालांकि , अगर कोई उचित निश्चितता नहीं है कि कंपनी पट्टे अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करेगी, परिसंपत्ति का मूल्यह्रास संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन काल पर कम और लीज अवधि पर किया जाता है।

परिचालित पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है। "

पट्टेदार के रूप में कंपनी

"पट्टे जिसमें कंपनी परिसंपत्तियों के स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित नहीं करती है, को परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टे से किराए आय संगत पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को पर्याप्त रूप से कंपनी से पट्टेदार को हस्तांतरित करती है। वित्त पट्टे के तहत पट्टेदार से देय राशियों को पट्टे पर कंपनी के निवल निवेश पर प्राप्य के रूप में दर्ज किया जाता है। वित्त पट्टे की आय लेखांकन अवधि के लिए आबंटित की जाती है ताकि पट्टे के संबंध में बकाया निवल निवेश पर निरंतर आवधिक दर को प्रतिबिंबित किया जा सके। "

**ञ) माल सूची**

(i) भंडार और पुर्जे, पैकिंग सामग्री और कच्चे सामग्रियों का मूल्यन लागत से कम या निवल प्राप्य मूल्य पर किया जाता है और इस उद्देश्य के लिए, लागत का निर्धारण चल भारित औसत के आधार पर किया जाता है। हालांकि, उपर्युक्त वस्तुओं का मूल्यन लागत से कम नहीं किया जाता है यदि तैयार उत्पादों जिसमें उन्हें शामिल किया जाना है, को लागत पर या उससे ऊपर बिक्री करना प्रत्याशित है।

(ii) अर्द्ध तैयार उत्पादों, तैयार उत्पादों और उप–उत्पादों का मूल्यन लागत से कम या निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है और इस उद्देश्य

के लिए, मानक लागत के आधार पर लागत निर्धारित की जाती है जो वास्तविक लागत का अनुमान लगाती है। तैयार माल की लागत में यथा लागू उत्पाद शुल्क शामिल है। भिन्नता, असामान्य रूप से कम मात्रा और प्रचालन निष्पादन के अनन्य, को माल सूची में समायोजित किया जाता है।

(iii) उपोत्पादों का मूल्य अनुमानित निवल वसूलीयोग्य मूल्य पर किया जाता है।

(iv) ट्रेड किए गए सामान का मूल्यन लागत के कम और निवल प्राप्य मूल्य पर किया जाता है। लागत में खरीद की लागत और माल सूचियों को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में उपगत अन्य लागत शामिल हैं। लागत भारित औसत आधार पर निर्धारित की जाती है।

निवल वसूली योग्य मूल्य का निर्धारण व्यापार की सामान्य गति में अनुमानित बिक्री मूल्य, पूरा होने की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत घटाकर किया जाता है। ”

**ट) गैर–वित्तीय संपत्तियों की क्षति**

“प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, कंपनी किसी परिसंपत्ति खराब होने के संकेत का आकलन करती है। यदि कोई संकेत मौजूद है, या जब किसी परिसंपत्ति के लिए वार्षिक क्षति परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि किसी परिसंपत्ति या नकद उत्पन्न करने वाली इकाई (सीजीई) निपटान के उचित मूल्य घटा लागत और उपयोग में इसके मूल्य की तुलना में अधिक है। वसूली योग्य राशि एक व्यक्तिगत संपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि संपत्ति नकद प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो उन अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह से काफी हद तक स्वतंत्र है । जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहनीय राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो परिसंपत्ति को क्षत के रूप माना जाता है और इसकी वसूली योग्य राशि पर बट्टे खाते डाला जाता है।

उपयोग में मूल्य के निर्धारण के लिए, अनुमानित भविष्य नकदी प्रवाह को पूर्व–कर छूट दर का उपयोग करते हुए उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार के आकलन को दर्शाती है। निष्पक्ष मूल्य को निपटाने की कम लागत निर्धारित करने में, हाल के बाजार लेन-देन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे कोई लेन-देन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं को मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से व्यापार की गई कंपनियों या अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतकों के लिए उद्धृत शेयर मूल्यों द्वारा संपुष्टि की जाती है। ”

साख को छोड़कर परिसंपत्तियों के लिए, यह निर्धारित करने के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक मूल्यांकन किया जाता है कि क्या पहले स्वीकृत क्षति नुकसान मौजूद नहीं है या कम हो गई है संबंधी संकेत है। यदि ऐसा संकेत मौजूद है, तो कंपनी परिसंपत्ति या सीजीयू की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। चूंकि पिछले क्षति नुकसान स्वीकृत किया गया,परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की गई धारणाओं में कोई बदलाव आया हो तो तब पहले स्वीकृत क्षति नुकसान को उलट देता है। यह उलट सीमित है ताकि परिसंपत्ति की वहनीय राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक न हो, न ही निर्धारित होने वाली वहनीय राशि से अधिक हो, मूल्यह्रास के निवल, पिछले वर्षों में परिसंपत्ति के लिए कोई क्षति नुकसान स्वीकृत किया गया है। इस तरह के उलटे को लाभ या हानि के विवरण में स्वीकृत है। जब सीजीयू की वसूली योग्य राशि इसकी वहनीय राशि से कम है, तो एक क्षति नुकसान स्वीकार किया जाता है।

**ठ) प्रावधान,आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां**

कंपनी को जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, तब प्रावधानों को स्वीकार किया जाता है, यह संभव है कि आर्थिक लाभों को जोड़ने वाले संसाधनों का प्रवाह दायित्व समायोजित करने के लिए आवश्यक होगा और दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान बनाया जा सकता। जब कंपनी को कुछ या सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की प्रतीक्षा है, उदाहरण के लिए, बीमा अनुबंध के तहत, प्रतिपूर्ति को अलग परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन केवल तभी जब प्रतिपूर्ति लगभग निश्चित होती है। प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ और हानि विवरण में किसी प्रतिपूर्ति के निवल में प्रस्तुत किया जाता है। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव सामग्री है, तो प्रतिबिम्बित मौजूदा कर–पूर्व दर का उपयोग करके प्रावधानों को छूट दी जाती है जो उचित होने पर, उत्तरदायित्व के लिए विशिष्ट जोखिम दर्शाती है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक तुलन पत्र पर प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

पिछली देयताओं से उत्पन्न संभावित दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देयताओं को प्रकट किया जाता है और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाएँ घटने या न घटने द्वारा की जाएगी। यह पूरी तरह से उद्यम के नियंत्रण में नहीं, या एक वर्तमान दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है लेकिन यह स्वीकार नहीं किया जाता है क्योंकि या तो यह संभव नहीं है कि आर्थिक लाभों को जोड़ने वाले संसाधनों का प्रवाह दायित्व को समायोजित करने के लिए आवश्यक होगा, या दायित्व की राशि के विश्वसनीय अनुमान नहीं बनाया जा सकता है।

**ड) वित्तीय लिखत**

एक वित्तीय लिखत कोई अनुबंध है जो एक संस्था की वित्तीय परिसंपत्ति और अन्य संस्था की वित्तीय देयता या इक्विटी लिखत को बढ़त देता है।

वित्तीय परिसंपत्तियां

प्रारंभिक स्वीकृति और मापन

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य पर स्वीकार किया जाता है, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किए गए वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, लेन-देन लागत जो वित्तीय संपत्ति के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार होती है।

परिशोधित लागत पर ऋण लिखत

यदि “निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा किया जाता है तो एक“ ऋण लिखत ”को अपनी परिशोधित लागत पर मापा जाता है:

क) परिसंपत्ति एक व्यापार मॉडल के भीतर धारित की जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए संपत्तियां को धरना है, और

ख) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाहों के लिए निर्दिष्ट तिथियों जो बकाया मूल राशि पर केवल मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान पर वृद्धि देती है।

प्रारंभिक मापन के बाद, इस तरह की वित्तीय संपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) तरीके का उपयोग करते हुए लागत में मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और फीस या लागत पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का एक अभिन्न हिस्सा हैं। ईआईआर परिशोधन लाभ या हानि के विवरण में अन्य आय में शामिल है। क्षति से उत्पन्न होने वाले नुकसान को लाभ या हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है। ”

एफवीटीओसीआई में कर्ज लिखत

यदि निम्नलिखित दोनों मानदंडों को पूरा किया जाता है तो एक कर्ज लिखत को एफवीटीओसीआई में वर्गीकृत किया जाता है:

क) व्यापार मॉडल का उद्देश्य अनुबंधित नकद प्रवाह एकत्र कर और वित्तीय संपत्तियों को बेचकर दोनों हासिल किया जाता है, और

ख) परिसंपत्ति के संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के भीतर शामिल कर्ज़ लिखतों का मापन प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किया जाता है। उचित मूल्य उतार–चढाव का अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता हैं। हालांकि, कंपनी लाभ और हानि में ब्याज आय, क्षति नुकसान और रिवर्सल और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को मान्यता देती है। परिसंपत्ति के अमान्यकरण पर, ओसीआई में पहले स्वीकृत संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ और हानि में पुन: वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई कर्ज़ लिखत धारण करते समय अर्जित ब्याज को ईआईआर तरीके का उपयोग कर ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है। ”

एफवीटीपीएल पर कर्ज़ लिखत

एफवीटीपीएल कर्ज़ लिखतों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी कर्ज़ लिखत, जो परिशोधित लागत पर या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा, कंपनी कर्ज़ लिखत को नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफवीटीपीएल के जैसे परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मानदंडों को पूरा करती है। हालांकि, इस तरह के चुनाव को केवल तभी अनुमति दी जाती है जब ऐसा करने से मापन या स्वीकृत असंगतता (जिसे “लेखांकन विसंगति” कहा जाता है) को कम या समाप्त किया जाता है। कंपनी ने एफवीटीपीएल के रूप में कुछ कर्ज़ लिखत को नामित किया है। एफवीटीपीएल श्रेणी के भीतर शामिल कर्ज़ लिखत का मापन लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तन सहित किया जाता है ।

इक्विटी निवेश

इंड एएस 109 के दायरे में सभी इक्विटी निवेशों का उचित मूल्य पर मापा जाता है। व्यापार के लिए रखी गयी इक्विटी लिखतों को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी इक्विटी लिखतों के लिए, कंपनी उचित मूल्य में अन्य व्यापक आय के बाद के परिवर्तनों में शामिल होने के लिए एक अपरिवर्तनीय चुनाव कर सकती है। कंपनी इस तरह के चुनाव को लिखत–दर–लिखत आधार पर बनाती है। वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति पर किया जाता है और अपरिवर्तनीय है। अगर कंपनी एफवीटीओसीआई के रूप में एक इक्विटी लिखत वर्गीकृत करने का फैसला करती है,तो लाभांश को छोड़कर लिखत पर सभी उचित मूल्य परिवर्तन को ओसीआई में स्वीकार किया जाता है। निवेश की बिक्री होने पर भी ओसीआई से लाभ और हानि के विवरण तक राशियों में पुन:चक्रण नहीं है। हालांकि, कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है। एफवीटीपीएल श्रेणी के भीतर शामिल इक्विटी लिखतों का मापन लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर किया जाता है।

अमान्यकरण

“एक वित्तीय संपत्ति (या,जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों की एक कंपनी का हिस्सा) मुख्य रूप से अमान्य किया जाता है (यानी कंपनी के तुलन पत्र से हटा जाता है) जब:

परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो गए हैं, या

कंपनी ने परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या 9प्रभाव अंतरण (पास–थ्रू“ ) व्यवस्था के तहत किसी तीसरी पार्टी को भौतिक देरी के बिना पूरी तरह से प्राप्त नकद प्रवाह का भुगतान करने का दायित्व संभाला है; और या तो (क) कंपनी ने संपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कारों को स्थानांतरित कर दिया है, या (ख) कंपनी ने न तो हस्तांतरित किया है और न ही परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को बरकरार रखा है, लेकिन परिसंपत्ति के नियंत्रण को स्थानांतरित कर दिया है।

जब कंपनी ने किसी परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के लिए अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या अंतरण प्रभाव व्यवस्था में प्रवेश किया है, तो यह मूल्यांकन करता है कि उसने कितनी हद तक स्वामित्व के जोखिम और प्रतिफल बनाए रखा है। जब उसने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और प्रतिफलों न तो हस्तांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, न ही परिसंपत्ति का हस्तांतरण नियंत्रण किया है, कंपनी की निरंतर भागीदारी की हद तक स्थानांतरित परिसंपत्ति को स्वीकार करना कंपनी जारी रहेगी। उस स्थिति में, कंपनी एक संबंधित देयता को स्वीकार करती है। अंतरित परिसंपत्ति और संबंधित देयता को उस आधार पर मापा जाता है जो कंपनी के अधिकारों और दायित्वों को प्रतिबिंबित करता है। निरंतर भागीदारी जो अंतरित परिसंपत्ति पर गारंटी का रूप लेती है, परिसंपत्ति की मूल वहनीय राशि से कम और विचार की अधिकतम राशि पर मापा जाता है जिसे कंपनी को चुकाने की आवश्यकता हो सकती है। ”

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

“इंड एएस 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और क्रेडिट जोखिम एक्सपोज़र पर क्षति के मापन और स्वीकार के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है:

क) वित्तीय परिसंपत्तियां जो कर्ज़ लिखत होते हैं,और परिशोधित लागत पर मापा जाता है, जैसे ऋण, कर्ज़ प्रतिभूतियां, जमाराशियाँ, व्यापार प्राप्तियां और बैंक शेष।

ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जो कर्ज़ लिखत हैं और मापन एफवीटीओसीआई के रूप में किया जाता है

ग) इंड एएस 17 के तहत पट्टे प्राप्तियां

घ) नकद प्राप्त करने के लिए व्यापार प्राप्तियां या किसी अनुबंधिक अधिकार या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो लेन-देन से होता है, इंड एएस 18 के दायरे के भीतर हैं (जिसे इन वित्तीय विवरणों में “अनुबंध राजस्व प्राप्तियां” कहा जाता है)

ङ) वित्तीय गारंटी अनुबंध जो एफवीटीपीएल के रूप में नहीं मापा जाता है

कंपनी क्षति नुकसान भत्ता को स्वीकार करने के लिए “सरलीकृत दृष्टिकोण” का पालन करती है:

व्यापार प्राप्तियां और अन्य प्राप्तियां

सरलीकृत दृष्टिकोण के प्रयोग के लिए कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों का पता लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, इनकी प्रारंभिक स्वीकार से, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आजीवन ईसीएल के आधार पर क्षति हानि भत्ता को स्वीकार किया जाता है। अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और जोखिम एक्सपोजर पर क्षति स्वीकार करने के लिए, कंपनी निर्धारित करती है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो 12 महीने के ईसीएल का उपयोग क्षति नुकस्सन के लिए किया जाता है।

फिर भी, अगर क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तो जीवनकाल ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि, बाद की अवधि में, लिखत की क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार होता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, तो संस्था 12 महीने के ईसीएल के आधार पर हानि नुकसान भत्ता को स्वीकार के लिए वापस करती है।

आजीवन ईसीएल एक वित्तीय लिखत के प्रत्याशित जीवन पर सभी संभावित चूक घटनाओं के परिणामस्वरूप प्रत्याशित क्रेडिट नुकसान है। 12 महीने का ईसीएल आजीवन ईसीएल का हिस्सा है जो रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीने के भीतर संभाव्य चूक घटनाओं से होता है।

ईसीएल वह अंतर है जो संविदा के अनुसार कंपनी को देय सभी संविदात्मक नकद प्रवाहों और संस्था प्राप्त करने के लिए प्रत्याशित सभी नकद प्रवाह (यानी,

सभी नकद कमी) के बीच अंतर है, जो मूल ईआईआर पर छूट दी जाती है। नकदी प्रवाह का अनुमान लगाते समय, संस्था को विचार करने की आवश्यकता होती है:

वित्तीय लिखत के प्रत्याशित जीवनकाल पर वित्तीय लिखत (पूर्व भुगतान, विस्तार, कॉल और इसी तरह के विकल्प सहित) की सभी संविदात्मक शर्तें। हालांकि, दुर्लभ मामलों में जब एक वित्तीय लिखत के प्रत्याशित जीवनकाल को विश्वसनीय रूप से अनुमानित नहीं किया जा सकता है, तो संस्था को वित्तीय लिखत की शेष संविदात्मक अवधि का उपयोग करने की आवश्यकता होती है।

धारित संपार्श्विक की बिक्री या अन्य क्रेडिट वृद्धि की बिक्री से जो नकद प्रवाह होता है वह संविदात्मक शर्तों के अभिन्न हिस्सा है। वित्तीय परिसंपत्तियां का मापन परिशोधित लागत, संविदात्मक राजस्व प्राप्तियां और पट्टे प्राप्तियां के रूप में किया जाता है। ईसीएल को तुलन पत्र में उन संपत्तियों के मापन के एक अभिन्न हिस्से के रूप में भत्ता में प्रस्तुत किया जाता है। भत्ता निवल वहनीय राशि को कम कर देता है। जब तक परिसंपत्ति बट्टे खाते मानदंडों को पूरा नहीं करती है, तब तक कंपनी सकल वहनीय राशि से क्षति भत्ता को कम नहीं करती है। ”

**ज) वित्तीय देयताएं**

प्रारंभिक मान्यकरण और मापन

वित्तीय देयताओं को प्रारंभिक स्वीकृति पर, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर, ऋण और उधार, या देय यथा उपयुक्त हो, वित्तीय देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सभी वित्तीय देयताओं को प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य पर स्वीकार किया जाता है और ऋण एवं उधार और देय के मामले में, सीधे स्रोतजन्य लेन-देन लागतों के निवल पर किया जाता है। कंपनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार और अन्य देय राशियाँ, ऋण और उधार शामिल हैं जिनमें बैंक ओवरड्राफ्ट, वित्तीय गारंटी, संविदा और व्युत्पन्न वित्तीय लिखत भी शामिल हैं।

अनुवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं का मापन नीचे वर्णितानुसार उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है,:

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर नामित व्यापार और वित्तीय देयताओं के लिए धारित वित्तीय देयताएं शामिल हैं। वित्तीय देयताओं को यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य के लिए उपगत किए जाते हैं, तो व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज व्युत्पन्न वित्तीय लिखत भी शामिल हैं जिन्हें इंड एएस 109 द्वारा परिभाषितानुसार हेड्ज संबंधों में हेड्जिंग लिखत के रूप में नामित नहीं किया जाता है। व्यापार के लिए धारित देयताओं पर लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता हैं।

ऋण और उधार

यह ऐसी श्रेणी है जो कंपनी के लिए सबसे प्रासंगिक है। प्रारंभिक स्वीकृति के बाद, ब्याज–युक्त ऋण और उधार को बाद में ईआईआर विधि का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत में मापा जाता है। लाभ और हानि को तब लाभ या हानि में स्वीकार किया जाता है जब देयताओं का अमान्यकरण ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और फीस या लागत पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का एक अभिन्न हिस्सा हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार पर लागू होती है।

वित्तीय गारंटी संविदाएं

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय गारंटी संविदाएं उन संविदाओं के लिए हैं जिन्हें धारक को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रतिपूर्ति करने के लिए भुगतान की आवश्यकता होती है क्योंकि निर्दिष्ट देनदार ऋण लिखत की शर्तों के अनुसार जब देय होने पर भुगतान करने में विफल रहता है। वित्तीय गारंटी संविदाओं को प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य पर देयता के रूप में स्वीकार किया जाता हैं, गारंटी निर्गम के लिए सीधे संबंध लेन–देन लागतों के लिए समायोजित करते हैं। इसके बाद, देयता को इंड एएस 109 की क्षति आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित हानि भत्ता की राशि से उच्चतम स्तर पर मापा जाता है और राशि का मापन संचयी परिशोधन घटाकर किया जाता है।

अमान्यकरण

वित्तीय देयता को अमान्य तब किया जाता है जब देयता के तहत दायित्व को मुक्त या रद्द या समाप्त किया जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को एक ही ऋणदाता से दूसरे रूप में अलग–अलग शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है, या मौजूदा देयता की शर्तों को काफी संशोधित किया जाता है, तो इस तरह के एक विनिमय या संशोधन को मूल देयता की अमान्यकरण और नयी देयता के मान्यकरण के रूप में माना जाता है। संबंधित वहनीय राशियों में अंतर को लाभ और हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है।

वित्तीय लिखतों की बराबरी (ऑफसेटिंग)

वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं बराबर (ऑफसेट) किया जाता हैं और स्टैंडअलोन तुलन पत्र में निवल राशि की रिपोर्ट दी जाती है यदि स्वीकार की गयी राशियों को बराबर (ऑफसेट) करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है और एक साथ परिसंपत्तियों की वसूली करने और देयताओं के समायोजन के लिए निवल आधार पर समायोजित करने का उद्देश्य है ।

**ण) व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों**

प्रारंभिक स्वीकृति और अनुवर्ती मापन, कंपनी वायदा मुद्रा संविदा, पूर्ण मुद्रा स्वैप और ब्याज दर स्वैप संविदाओं का क्रमश: अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों और ब्याज दर के जोखिमों को संभालने के लिए व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों का उपयोग करती है। इस तरह के व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों को शुरुआत में उचित मूल्य पर उस तिथि को स्वीकार किया जाता है जिसपर एक व्युत्पन्न संविदा में प्रवेश किया गया है और बाद में उचित मूल्य पर फिर से मापा जाता है। व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) को वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में ली जाती हैं जब उचित मूल्य सकारात्मक होता है और वित्तीय देयताओं के रूप में ली जाती हैं जब उचित मूल्य नकारात्मक होता है।

**त) नकद और नकदी समतुल्य**

तुलन पत्र में नकद और नकदी समतुल्य में बैंकों और हाथों में नकदी और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमाराशियाँ शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं। नकद प्रवाह के विवरण के प्रयोजन के लिए, नकद और नकदी समतुल्य में ऊपर परिभाषितानुसार नकदी और अल्पकालिक जमाराशियाँ, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट के निवल शामिल हैं क्योंकि उन्हें कंपनी के नकद प्रबंधन का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है।

**थ) नकद लाभांश**

कंपनी इक्विटी धारकों को नकदी वितरण करने के लिए देयता को तब स्वीकार किया जाता है जब वितरण प्राधिकृत किया जाता है और वितरण अब कंपनी के विवेकाधिकार पर नहीं है। भारत के कॉर्पोरेट कानूनों के अनुसार, वितरण तब प्राधिकृत किया जाता है जब शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तदनुरूप राशि सीधे इक्विटी में स्वीकार किया जाता है।

**द) कर**

वर्तमान आयकर

"वर्तमान आयकर परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कराधान प्राधिकरणों से वसूली के लिए प्रत्याशित राशि या भुगतान की जाने वाली राशि पर किया जाता है। राशि की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित होते हैं या, विशेष्य अधिनियमित हैं।

लाभ या हानि के बाहर स्वीकार किए गए मदों से संबंधित वर्तमान आयकर को लाभ या हानि (या तो अन्य व्यापक आय या इक्विटी में) के बाहर स्वीकार किया जाता है। वर्तमान कर मदों को या तो ओसीआई या सीधे इक्विटी में अंतर्निहित लेन-देन से सहसंबंध में स्वीकार किया जाता है। प्रबंधन परिस्थितियों के संबंध में टैक्स रिटर्न में ली गई स्थितियों का मूल्यांकन करता है, जिसमें लागू कर विनियम व्याख्या के अधीन होते हैं और जहाँ उचित हो वहाँ प्रावधान स्थापित करते हैं। "

आस्थगित कर

परिसंपत्तियों और देयताओं के कर आधार और रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए ली जाने वाली राशियों के बीच अस्थायी अंतर पर देयता विधि का उपयोग करते हुए आस्थगित कर प्रदान किया जाता है। आस्थगित कर देयताओं को सभी कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए स्वीकार किया जाता है, सिवाय जब आस्थगित कर देयता गुडविल की प्रारंभिक स्वीकृति या किसी लेन-देन में संपत्ति या देयता से उत्पन्न होती है जो व्यापार संयोजन नहीं है और लेनदेन के समय, न तो लेखांकन लाभ को प्रभावित करता है और न ही कर योग्य लाभ या हानि को। सहायक कंपनियों, सहयोगियों में निवेश के साथ जुड़े कर योग्य अस्थायी विभिन्नता के संबंध में और अस्थायी विभिन्नता पर ब्याज को निकट भविष्य में वापिस नहीं किया जा सकेगा, आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी विभिन्नताएँ, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और अप्रयुक्त कर हानियों आगे ले जाने के लिए स्वीकार किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस हद तक स्वीकार किया जाता है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ कटौती योग्य अस्थायी विभिन्नताओं के विरुद्ध उपलब्ध होगा और आगे ले जाने वाले अप्रयुक्त कर क्रेडिट और अप्रयुक्त कर हानियों का उपयोग किया जा सकता है, सिवाय: जब परिसंपत्तियों की प्रारम्भिक स्वीकृति या लेन–देन देयता जो व्यापार संयुक्त नहीं है, से उत्पन्न होने वाले कटौती योग्य अस्थायी अंतर से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्ति लेन-देन के समय, लेखांकन लाभ और न ही कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहनीय राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और इस सीमा तक सीमित की जाती है कि अब यह संभव नहीं है, यह है कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के सभी या हिस्से को उपयोग किए जाने हेतु अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। आस्थगित कर संपत्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर फिर से मूल्यांकन किया जाता है और इस हद तक स्वीकार किया जाता है कि यह संभव हो गया है कि भविष्य में कर योग्य लाभ आस्थगित कर संपत्ति को वसूल किए जाने हेतु अनुमति देगा। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को कर दरों पर मापा जाता है, जिन्हें वर्ष में लागू होना प्रत्याशित है जब परिसंपत्ति को वसूल किया जाता है या देयता का समायोजन किया जाता है। इसका आधार कर दर (और कर कानून) है जिसको रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किया गया है । लाभ या हानि के बाहर स्वीकार किए गए मदों से संबंधित आस्थगित कर को लाभ या हानि के बाहर स्वीकार किया जाता है (या तो अन्य व्यापक आय या इक्विटी में)। आस्थगित कर मदों को या तो ओसीआई या सीधे इक्विटी में अंतर्निहित लेन–देन से सहसंबंध में स्वीकार किया जाता है।

**ध) न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी)**

भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार भुगतान की गयी न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) अप्रयुक्त कर क्रेडिट की प्रकृति में है जिसे आगे ले जा सकता है और इसका उपयोग तब किया जा सकता है जब कंपनी निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगी। इस तरह के कर क्रेडिट पर आस्थगित कर संपत्तियों इस हद तक स्वीकार किया जाता है कि यह संभव है कि अप्रयुक्त कर क्रेडिट का उपयोग निर्दिष्ट भविष्य अवधि में किया जा सके। वसूल करने योग्य कर निवल राशि या कराधान प्राधिकारी को भुगतान योग्य कर को तुलन पत्र में प्राप्य राशि या देय राशि के हिस्से के रूप में शामिल की जाती है।

**न) सरकारी अनुदान**

सरकारी अनुदानों को स्वीकार किया जाता है जहाँ उचित आश्वासन दिया जाता है कि अनुदान प्राप्त करेगा और सभी संलग्न शर्तों का पालन किया जाएगा। जब अनुदान एक व्यय मद से संबंधित होता है, तो इसे संबंधित लागतों की अवधि के दौरान व्यवस्थित आधार पर आय के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसके लिए इसे क्षतिपूर्ति करने का लक्ष्य है, व्यय किया जाता है। जब अनुदान किसी परिसंपत्ति से संबंधित है, तो संबंधित परिसंपत्ति के प्रत्याशित उपयोगी जीवनकाल पर समान राशियों में आय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

निर्यात लाभ:

"आयात और निर्यात नीति के अनुसार कथित आयात के लिए अग्रिम लाइसेंस के तहत कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात का मिलान कथित लाइसेंस के खिलाफ किए गए निर्यातों के लिए किया जाता हैं और निवल लाभ / दायित्व को कच्चे माल की खपत में उपयुक्त समायोजन करते हुए लेखांकन किया गया है।

कथित योजनाओं के अधीन शुल्क वापसी, पण्य निर्यात प्रोत्साहन योजना और किए गए निर्यात के संबंध में आयात और निर्यात नीति के अनुसार अन्य योजनाओं के तहत प्रोद्भूत लाभ को 9अन्य प्रचालन राजस्व" के तहत 9निर्यात प्रोत्साहन" के रूप में शामिल किया गया है। "

**प) प्रति शेयर अर्जन:**

प्रति शेयर मूल आधारभूत अर्जन की गणना उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से इक्विटी शेयरधारकों के लिए आरोप्य अवधि के लिए निवल लाभ या हानि का भाग देकर की जाती है। प्रति शेयर तनुकरण अर्जनों की गणना के उद्देश्य से, इक्विटी शेयरधारकों के लिए आरोप्य अवधि के लिए निवल लाभ या हानि और उस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या सभी तनुकरणीय संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

**फ) आकस्मिक देयता और आकस्मिक परिसंपत्तियां**

एक आकस्मिक दायित्व एक संभावित दायित्व है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है जिसका अस्तित्व एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने द्वारा पुष्टि की जाएगी, यह घटनाएँ पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है या वर्तमान दायित्व जिसे स्वीकार नहीं किया है क्योंकि यह संभव नहीं है कि दायित्वों के समायोजन के लिए संसाधनों का प्रवाह आवश्यक होगा। एक आकस्मिक देयता भी बहुत ही दुर्लभ मामलों में उत्पन्न होती है जहां एक देयता है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसे विश्वसनीय रूप से मापा नहीं जा सकता है। कंपनी आकस्मिक देयता को स्वीकार नहीं किया जाता है लेकिन वित्तीय विवरणों में इसके अस्तित्व प्रकट करती है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को तब तक स्वीकार नहीं किया जाता है जब तक यह वास्तव में निश्चित न हो कि आर्थिक लाभ का प्रवाह उत्पन्न होगा। जब आर्थिक लाभ का प्रवाह संभव है, वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसंपत्तियों को प्रकट किया जाता है। आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर की जाती है।

**ब) शेयर–आधारित भुगतान:**

कर्मचारी शेयर आधारित भुगतान योजनाओं का मापन और प्रकटीकरण इंड एएस 102, शेयर–आधारित भुगतान के अनुसार किया जाता है। कंपनी उचित मूल्य विधि का उपयोग करते हुए कर्मचारी स्टॉक विकल्पों से संबंधित क्षतिपूर्ति की लागत का आकलन करती है। क्षतिपूर्ति व्यय को सीधी रेखा आधार पर विकल्प की निहित अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

**भ) पिछली अवधि की त्रुटियां और चूक:**

पिछली अवधि से संबंधित आय और व्यय की अलग–अलग मदों में त्रुटियां और चूक, यदि संभव हो तो संबंधित अवधि में ₹1 लाख से अधिक का हिसाब लगाया जाता है, या प्रतिधारित कमाई को खोलने के खिलाफ समायोजित किया जाता है

म) कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ"), सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (संस्थाओं) को या किसी अन्य व्यक्ति (ओं) या इकाई (यों) में कोई धनराशि अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं किया गया है इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करें। 2) कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("फंडिग पार्टियों") सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (ओं) से कोई फंड प्राप्त नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी सीधे या परोक्ष रूप से, अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में किसी भी तरह से या फंडिंग पार्टी ("अल्टीमेट बेनिफिशरीज") की ओर से किसी भी तरह से उधार देना या निवेश करना या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करना

**हाल ही का भारतीय लेखांकन मानक**

कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2020 और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) द्वितीय संशोधन नियम के माध्यम से इंड एएस में निम्नलिखित नया और संशोधन को अधिसूचित किया है, जिसे समूह ने प्रयुक्त नहीं किया है क्योंकि वे 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी हैं।

**इंड एएस 103: कारोबार संयोजन (बिजनेस कॉम्बिनेशन)**

"कारोबार" शब्द की परिभाषा को "गतिविधियों और परिसंपत्तियों का एकीकृत सेट में प्रतिस्थापित किया गया है जो ग्राहकों को सामान या सेवाएं प्रदान करने, निवेश आय (जैसे लाभांश या ब्याज) सृजित करने या अन्य उत्पन्न करने के उद्देश्य से संचालित और प्रबंधित करने में सक्षम है। सामान्य गतिविधियों से आय। तदनुसार, ग्राहकों को सामान या सेवाएं प्रदान करना जोड़ा गया है। यह संशोधन इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक व्यवसाय में ग्राहकों को वस्तुएँ या सेवाएँ प्रदान करना शामिल है। कंपनी के वित्तीय विवरण में कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि यह इंड एएस लागू नहीं है।

**इंड एएस 107 और इंड एएस 109: वित्तीय लिखत**

हेज लेखा लेखांकन की एक विधि है जहां प्रतिभूति के उचित मूल्य को समायोजित करने के लिए प्रविष्टियां और इसके प्रतिकूल हेज को एक माना जाता है। हेज लेखांकन एक वित्तीय लिखत के मूल्य में बार–बार समायोजन द्वारा बनाई गई अस्थिरता को कम करने का प्रयास करता है, जिसे उचित मूल्य लेखांकन या मार्क टू मार्केट के रूप में जाना जाता है। अस्थिरता में यह कमी लिखत और हेज को एक प्रविष्टि के रूप में जोड़कर किया जाता है, जो प्रतिकूल आंदोलनों को ऑफसेट करता है। उन हेजिंग संबंधों के लिए जिन पर एक इकाई लागू होती है, एक इकाई प्रकट करेगी (क) महत्वपूर्ण ब्याज दर बेंचमार्क जिससे इकाई के हेजिंग संबंधों को उजागर किया जाता है (ख) इकाई द्वारा प्रबंधित जोखिम जोखिम की सीमा जो सीधे ब्याज दर से प्रभावित होती है बेंचमार्क सुधार (ग) इकाई वैकल्पिक बेंचमार्क दरों में संक्रमण के लिए प्रक्रिया का प्रबंधन कैसे कर रही है (घ) इन पैराग्राफों को लागू करने में इकाई द्वारा किए गए महत्वपूर्ण धारणाओं या निर्णयों का विवरण (उदाहरण के लिए, ब्याज दर से उत्पन्न होने वाली अनिश्चितता के बारे में धारणाएं या निर्णय बेंचमार्क सुधार अब समय और ब्याज दर बेंचमार्क–आधारित नकदी प्रवाह की राशि के संबंध में मौजूद नहीं है); और (ड) उन हेजिंग संबंधों में हेजिंग लिखतों की नाममात्र राशि।

विशिष्ट हेज लेखांकन आवश्यकताओं को लागू करने से निम्नलिखित अस्थायी अपवाद भी प्रदान किए जा रहे हैं क) नकदी प्रवाह हेज के लिए अत्यधिक संभावित आवश्यकता का आकलन करने के लिए ख) नकदी प्रवाह हेज आरक्षित में संचित राशि को पुनर्वर्गीकृत करना ग) हेज की गई वस्तु और हेजिंग लिखत के बीच आर्थिक संबंध का आकलन करना घ) किसी आइटम के घटक को हेज्ड आइटम के रूप में नामित करना। कंपनी के वित्तीय विवरण में कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि यह इंड एस लागू नहीं है।

**इंड एएस 116: पट्टे**

कोविड़-19 और उसके बाद भारत में लॉकडाउन के कारण, कई कारोबार बंद या आंशिक रूप से खुल गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तदनुसार, पट्टा भुगतान प्रभावित हुआ है और कारोबार अपने विक्रेताओं से किराए में रियायत की मांग कर रहे हैं। यदि नीचे दी गई शर्तों को पूरा किया जाता है, तो संस्था पट्टा संशोधन के बिना किराए में रियायत माना जाता है। (क) पट्टे के भुगतान में परिवर्तन के परिणामस्वरूप पट्टे के लिए संशोधित विचार होता है जो कि परिवर्तन से तुरंत पहले पट्टे के लिए आनुपातिक रूप से समान या उससे कम है; (ख) पट्टे के भुगतान में कोई कमी केवल 30 जून, 2021 को या उससे पहले मूल रूप से देय भुगतानों को प्रभावित करती है (उदाहरण के लिए, एक किराए की रियायत इस शर्त को पूरा करेगी यदि इसके परिणामस्वरूप 30 जून, 2021 को या उससे पहले पट्टे भुगतान कम हो जाता है और पट्टे भुगतन बढ़ जाती है जो 30 जून, 2021 से आगे बढ़ते हैं); और (ग) पट्टे के अन्य नियमों और शर्तों में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं है। कंपनी के वित्तीय विवरण में कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि यह इंड एस लागू नहीं है।

**इंड एएस 1 और 8: वित्तीय विवरणों और लेखांकन नीतियों की प्रस्तुति,** लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन

इस संशोधन द्वारा सामग्री की एक नई परिभाषा पेश की गई है, यह अधिक परिष्कृत है और उद्योग द्वारा सबसे अधिक अपेक्षित है, परिस्थितियों के कुछ उदाहरण भी अधिक स्पष्टता के लिए प्रदान किए गए हैं।

सामग्री: जानकारी महत्वपूर्ण है यदि इसे छोड़ना, गलत बताना या अस्पष्ट करना उन निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है जो सामान्य प्रयोजन वित्तीय विवरणों के प्राथमिक उपयोगकर्ता उन वित्तीय विवरणों के आधार पर करते हैं, जो एक विशिष्ट रिपोर्टिंग इकाई के बारे में वित्तीय जानकारी प्रदान करते हैं। भौतिकता सूचना की प्रकृति या परिमाण, या दोनों पर निर्भर करती है। एक प्रतिष्ठान यह आकलन करता है कि क्या सूचना, व्यक्तिगत रूप से या अन्य सूचनाओं के संयोजन में, समग्र रूप से लिए गए उसके वित्तीय विवरणों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

जानकारी अस्पष्ट है यदि इसे इस तरह से संप्रेषित किया जाता है जो वित्तीय विवरणों के प्राथमिक उपयोगकर्ताओं के लिए उस जानकारी को छोड़ने या गलत करने के समान प्रभाव डालती है। निम्नलिखित परिस्थितियों के उदाहरण हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक जानकारी अस्पष्ट हो सकती है: -

1) वित्तीय विवरणों में किसी भौतिक वस्तु, लेन–देन या अन्य घटना के बारे में जानकारी का खुलासा किया गया है लेकिन इस्तेमाल की जाने वाली भाषा अस्पष्ट या अस्पष्ट है
2) एक भौतिक वस्तु, लेनदेन या अन्य घटना के बारे में जानकारी पूरे वित्तीय विवरणों में बिखरी हुई है
3) असमान मदों, लेन–देनों या अन्य घटनाओं को अनुपयुक्त रूप से एकत्रित किया जाता है;
4) समान आइटम, लेनदेन या अन्य घटनाएं अनुपयुक्त रूप से अलग–अलग हैं; तथा
5) वित्तीय विवरणों की समझ कम हो जाती है क्योंकि भौतिक जानकारी को सारहीन जानकारी द्वारा छिपाया जाता है, इस हद तक कि प्राथमिक उपयोगकर्ता यह निर्धारित करने में असमर्थ है कि कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है।

किसी विशिष्ट रिपोर्टिंग इकाई के सामान्य प्रयोजन के वित्तीय विवरणों के प्राथमिक उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सूचना की अपेक्षा की जा सकती है या नहीं, इसका आकलन करने के लिए एक इकाई को उन उपयोगकर्ताओं की विशेषताओं पर विचार करने की आवश्यकता होती है, जबकि इकाई की अपनी परिस्थितियों पर भी विचार किया जाता है।

प्राथमिक उपयोगकर्ता जिनके लिए सामान्य प्रयोजन वित्तीय विवरण निर्देशित किए जाते हैं। वित्तीय विवरण उन उपयोगकर्ताओं के लिए तैयार किए जाते हैं जिन्हें व्यावसायिक और आर्थिक गतिविधियों का उचित ज्ञान होता है और जो जानकारी की समीक्षा और विश्लेषण उपयुक्त रूप से करते हैं। कभी–कभी, अच्छी तरह से सूचित और मेहनती उपयोगकर्ताओं को भी जटिल आर्थिक घटनाओं संबंधी जानकारी को समझने के लिए सलाहकार की सहायता लेने की आवश्यकता हो सकती है।

कंपनी ने वित्तीय विवरणों और लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियों की प्रस्तुति के लिए "भौतिकता" की परिभाषा में परिवर्तन पर विधिवत विचार किया है।

**इंड एस 10 रिपोर्टिंग अवधि के बाद घटनाएँ**

भारतीय लेखा मानक 10 के अनुच्छेद 21 को संशोधन में किसी भी गैर–समायोजन घटना से प्रतिस्थापित किया गया है, जो उन निर्णयों को प्रभावित करने के लिए उचित रूप से अपेक्षित हो सकता है जो सामान्य प्रयोजन वित्तीय विवरणों के प्राथमिक उपयोगकर्ता उन वित्तीय विवरणों के आधार पर करते हैं जो एक विशिष्ट रिपोर्टिंग इकाई के बारे में जोड़ा गया है के वित्तीय जानकारी प्रदान करते हैं।

तदनुसार, निम्नलिखित प्रकटीकरण प्रदान किया जाना है:

क) घटना की प्रकृति; तथा

ख) इसके वित्तीय प्रभाव का अनुमान, या एक बयान कि ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

कंपनी ने वित्तीय विवरणों की तैयारी, प्रकटीकरण और प्रस्तुति के लिए उपरोक्त संशोधन पर विधिवत विचार किया।

**इंड एएस 34 अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग**

परिणामी संशोधन और पुनर्गठन योजना का लेखांकन

**इंड एएस 37 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां**

रिपोर्टिंग अवधि के अंत से पहले लिया गया पुनर्गठन संबंधी प्रबंधन या बोर्ड का निर्णय तब तक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में एक रचनात्मक दायित्व को सृजित नहीं देता है जब तक कि इकाई के पास रिपोर्टिंग अवधि के अंत से पहले नहीं होता है

क) पुनर्गठन योजना को लागू करना शुरू किया; या

ख) इससे प्रभावित लोगों के लिए पुनर्गठन योजना की मुख्य विशेषताओं की घोषणा पर्याप्त रूप से विशिष्ट तरीके से की ताकि उनमें एक वैध उम्मीद पैदा की जा सके कि इकाई पुनर्गठन करेगी।

यह संशोधन कंपनी पर लागू नहीं होता है।

**हाल के भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)**

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के परामर्श से कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित किया है ताकि कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में और संशोधन किया जा सके। इस संशोधन में निम्नलिखित नए और संशोधन लाए गए हैं। भारतीय लेखा मानक, जिसे समूह ने वर्ष के दौरान जहां भी लागू हो, विधिवत रूप से लागू किया है:

**इंड एएस – 103: बिजनेस कॉम्बिनेशन**

पहला संशोधन अधिग्रहीत पहचान योग्य परिसंपत्तियों की मान्यता की स्थिति, ग्रहण की गई देनदारियों और अधिग्रहण में किसी भी गैर–नियंत्रित हित से संबंधित है। अधिग्रहण पद्धति को लागू करने के हिस्से के रूप में मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, अर्जित की गई पहचान योग्य संपत्ति और ग्रहण की गई देनदारियों को अधिग्रहण की तारीख में भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए ढांचे में संपत्ति और देनदारियों की परिभाषाओं को पूरा करना चाहिए। कंपनी को इस संशोधन से किसी प्रभाव की उम्मीद नहीं है।

**इंड एएस – 105: बिक्री और बंद संचालन के लिए धारित गैर–वर्तमान संपत्तियां**

संशोधन में वसूली योग्य राशि की परिभाषा में बदलाव का प्रावधान है

- वसूली योग्य राशि का अर्थ है किसी परिसंपत्ति के उचित मूल्य में से अधिक से अधिक निपटान की लागत। कंपनी को इस संशोधन से किसी प्रभाव की उम्मीद नहीं है।

**इंड एएस – 107: वित्तीय लिखत – प्रकटीकरण**

संशोधन एक इकाई के वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन रणनीति पर ब्याज दर बेंचमार्क सुधार से संबंधित अतिरिक्त प्रकटीकरण प्रदान करता है। कंपनी को इस संशोधन से किसी प्रभाव की उम्मीद नहीं है।

**इंड एएस - 109: वित्तीय लिखत**

यह संशोधन वित्तीय लिखत की प्रारंभिक मान्यता में निर्दिष्ट संविदात्मक शर्तों में संशोधन के माध्यम से ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के परिणामस्वरूप संविदात्मक नकदी प्रवाह को निर्धारित करने के आधार में परिवर्तन प्रदान करता है, जिस तरह से विचार नहीं किया गया था या उस पर विचार नहीं किया गया था। अनुबंध की शर्तों में संशोधन किए बिना और/या मौजूदा संविदात्मक अवधि के सक्रिय होने के कारण वित्तीय साधन की प्रारंभिक मान्यता पर संविदात्मक शर्तें। कंपनी को इस संशोधन से किसी प्रभाव की उम्मीद नहीं है।

**इंड एएस - 114: नियामक आस्थगित खाता (रेगुलेटरी डिफरल अकाउंट्स)**

यह संशोधन नियामक आस्थगित खाता शेष के संबंध में लेखांकन नीतियों में परिवर्तन का प्रावधान करता है। नियामक आस्थगित खाता शेष को पहचानना शुरू करने के लिए एक इकाई अपनी लेखा नीतियों को नहीं बदलेगी। एक प्रतिष्ठान केवल नियामक आस्थगित खाता शेष की मान्यता, माप, हानि और गैर–मान्यता के लिए अपनी लेखांकन नीतियों को बदल सकता है यदि परिवर्तन वित्तीय विवरणों को उपयोगकर्ताओं की आर्थिक निर्णय लेने की आवश्यकताओं के लिए अधिक प्रासंगिक बनाता है और कोई कम विश्वसनीय, या अधिक विश्वसनीय नहीं है और नहीं उन जरूरतों के लिए कम प्रासंगिक। एक इकाई भारतीय लेखा मानक 8 के अनुच्छेद 10 में दिए गए मानदंडों का उपयोग करके प्रासंगिकता और विश्वसनीयता का न्याय करेगी। कंपनी इस संशोधन से किसी प्रभाव की अपेक्षा नहीं करती है।

**इंड एएस एएस – 116: पट्टा (लीज़)**

यह संशोधन ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के परिणामस्वरूप भविष्य के लीज भुगतानों के निर्धारण के लिए आधार बदलने का प्रावधान करता है। ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के लिए एक पट्टा संशोधन आवश्यक है, यदि और केवल तभी, जब ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं: (क) ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में संशोधन आवश्यक है; और (ख) पट्टा भुगतान निर्धारित करने के लिए नया आधार आर्थिक रूप से पिछले आधार के बराबर है। कंपनी को इस संशोधन से किसी प्रभाव की उम्मीद नहीं है।

**हाल के भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)**

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के परामर्श से कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2022 को कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में और संशोधन करने के लिए अधिसूचित किया है। इस संशोधन में, निम्नलिखित भारतीय लेखा मानक में नए और संशोधन लाए गए हैं जिन्हें समूह ने लागू नहीं किया है क्योंकि वे 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी हैं:

**इंड एएस – 16: संपत्ति संयंत्र और उपकरण**

यह संशोधन परीक्षण की लागत के संबंध में सीधे जिम्मेदार लागत के लिए प्रदान करता है कि क्या परिसंपत्ति ठीक से काम कर रही है, संपत्ति को उस स्थान और स्थिति में लाने के दौरान उत्पादित किसी भी वस्तु को बेचने से शुद्ध आय में कटौती करने के बाद (जैसे परीक्षण उपकरण के दौरान उत्पादित नमूने)। परीक्षण की लागत से अधिक उत्पादित वस्तुओं की शुद्ध बिक्री आय की अधिकता, यदि कोई हो, को लाभ या हानि में मान्यता नहीं दी जाएगी, लेकिन संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की लागत के हिस्से के रूप में मानी जाने वाली सीधे जिम्मेदार लागत से कटौती की जाएगी। कंपनी को इस संशोधन से किसी प्रभाव की उम्मीद नहीं है।

**इंड एएस – 37: प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां**

यह संशोधन भारी अनुबंध के संबंध में प्रावधान करता है, अनुबंध को पूरा करने की लागत में वे लागतें शामिल हैं जो सीधे अनुबंध से संबंधित हैं। एक अनुबंध से सीधे संबंधित लागतों में दोनों शामिल हैं– (क) उस अनुबंध को पूरा करने की वृद्धिशील लागत (ख) अन्य लागतों का आवंटन जो सीधे अनुबंधों को पूरा करने से संबंधित हैं। यह भी प्रदान करता है, एक कठिन अनुबंध के लिए एक अलग प्रावधान स्थापित होने से पहले, एक इकाई किसी भी हानि हानि को पहचानती है जो अनुबंध को पूरा करने में उपयोग की गई संपत्ति पर हुई है। कंपनी को इस संशोधन से किसी प्रभाव की उम्मीद नहीं है।

टिप्पणी-3 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (रु. लाख में)

| क्रसं | विवरण | सकल खंड | | | | मूल्यह्रास / परिशोधन / क्षति | | | | निवल खंड | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 01.04.2021 | जोड़ | लोप | 31.03.2022 | 01.04.2021 | लोप | वर्ष के दौरान प्रधान किए गए | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 31.03.2021 | 31.03.2022 | 31.03.2021 |
| | | को | | | को | तक | | | तक | को | को | को | को |
| क. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | भूमि एवं भूमि विकास | 11005.80 | 1978.45 | 0.00 | 0.00 | 12984.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12984.25 | 578.25 |
| 2 | भवन | 1282.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1282.52 | 881.32 | 0.00 | 18.41 | 0.00 | 899.73 | 382.79 | 10427.55 |
| 3 | संयंत्र और उपकरण | 24923.78 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 24942.37 | 22965.77 | 0.00 | 78.28 | 0.00 | 23044.05 | 1898.32 | 401.20 |
| 4 | फर्नीचर,फिक्सचर और उपकरण | 114.77 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 115.13 | 102.42 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 103.27 | 11.86 | 1958.01 |
| 5 | वाहन | 117.98 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 118.63 | 107.70 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 108.54 | 10.09 | 12.35 |
| 6 | कार्यालय उपकरण | 671.13 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 683.03 | 614.52 | 0.00 | 7.79 | 0.00 | 622.31 | 60.72 | 10.28 |
| 7 | पुस्तकालय पुस्तकें | 13.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.47 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.43 | 0.04 | 56.61 |
| | उप–कुल | 38129.45 | 2009.95 | 0.00 | 0.00 | 40139.40 | 24685.16 | 0.00 | 106.17 | 0.00 | 24791.33 | 15348.07 | 13444.25 |
| 8 | निपटान के लिए रखी गयी परिसंपत्तियाँ | 110177.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110177.37 | 6240.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6248.03 | 103929.34 | 103936.66 |
| | कुल | 148306.82 | 2009.95 | 0.00 | 0.00 | 150316.77 | 30925.87 | 0.00 | 106.17 | 0.00 | 31039.36 | 119277.41 | 117380.91 |
| 8 | निपटान के लिए रखी गयी परिसंपत्तियाँ | 99276.42 | 0.00 | 0.00 | 99276.42 | 56.68 | 0.00 | 0.00 | 56.68 | 99219.74 | 99219.74 | | |
| | कुल | 137405.87 | 2009.95 | 0.00 | 139415.82 | 24741.84 | 0.00 | 106.17 | 24848.01 | 114567.81 | 112664.03 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| पूंजीगत कार्य प्रगति पर | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ख. | निवेश संपत्ति भूमि | 16.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.71 | 16.71 |
| ख1. | निवेश संपत्ति भवन | 136.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.89 | 62.70 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 64.86 | 72.03 | 74.19 |
| | कुल | 153.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.60 | 62.70 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 64.86 | 88.74 | 90.90 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ग) अमूर्त संपत्ति – कंप्यूटर सॉफ्टवेयर | | 663.40 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 676.15 | 640.87 | 0.00 | 8.02 | 0.00 | 648.89 | 27.26 | 22.53 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | घ. कुल (क ६ ख ६ ग) | 149123.82 | 2022.70 | 0.00 | 0.00 | 151146.52 | 31629.44 | 0.00 | 116.35 | 0.00 | 31753.11 | 119393.41 | 117494.34 |

1.वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों और अमूर्त संपत्ति के विभिन्न वर्गों के लिए उपयोगी जीवन के प्रबंधन अनुमानों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

2. नियंत्रक कंपनी के कोची यूनिट ने मेसर्स स्टरलिंग गॅस लिमिटेड को रद्द योग्य पट्टे करार के अधीन प्रचालन पट्टे पर 1.03 एकड़ भूमि दिया है। पट्टे करार के अधीन शामिल क्षेत्र के आधार पर मालिक अधिकृत परिसंपत्ति से निवेश परिसंपत्तियाँ अलग है।

3.कंपनी की कोची इकाई के अधीन में 184 फ्लैट्स हैं, जो 155104 वर्ग फुट के हैं। जिसमें से 46594 वर्ग फुट से मिलकर 55 फ्लैटों को निवेश की संपत्ति के रूप में दिया गया है।

4.4. सहायक कंपनी की बहियों में, निपटान के लिए धारित संपत्ति में शामिल भूमि का पुनर्मूल्यांकन इंड–एएस के अनुसार किया जाता है और इंड–एएस पुनर्मूल्यांकन से पहले मूल भूमि मूल्य 59 लाख रुपए हैं। ऊपर दी गई अन्य परिसंपत्तियां केवल इंड–एएस मूल्यांकन पद्धति अपनाने के लिए वैकल्पिक हैं और सहायक कंपनी ने लागत पद्धति को अपनाया है। तेलंगाना राज्य के संगारेड्डी जिले के रुद्रराम पीओ, कंडी मंडल में 126.13 एकड़ की फैक्ट्री भूमि स्थित है और भूमि फ्रीहोल्ड है जिसमें निर्मित क्षेत्र 6.72 एकड़ है और शेष खाली भूमि है। एचओसीएल 84.31 एकड़ की सीमा तक भूमि का सुरक्षित हिस्सा है और भूमि का हिस्सा यानी 15.11 एकड़ जो एसबीआई द्वारा सुरक्षित किया गया था, एसबीआई द्वारा दिए गए एनओसी के आधार पर 15.12.2020 को आरओसी के साथ खाली हो गया।

| **निवेश परिसंपत्तियों के लिए लाभ या हानि में स्वीकृत राशि** | **31.03.2022** | **31.03.2021** |
|---|---|---|
| आकस्मिक भाड़े सहित भाड़े आय | 24.07 | 24.94 |
| किराया आय सृजित परिसम्पत्तियों से सीधा प्रचालन व्यय | 7.20 | 8.73 |
| किराया आय नहीं सृजित परिसम्पत्तियों से सीधा प्रचालन व्यय | 0.00 | 0.00 |
| मूल्यह्रास के पहले निवेश परिसंपत्तियों से आय | **16.87** | **16.21** |
| मूल्यह्रास | 2.16 | 2.17 |
| निवेश परिसंपत्तियों से आय | **14.71** | **14.04** |
| निवेश संपत्ति के उचित मूल्य (भूमि) | | |
| निवेश परिसंपत्ति –स्टर्लिंग गैस लिमिटेड | 111.66 | 94.52 |
| निवेश परिसंपत्ति –टाउनशिप | 371.35 | 338.29 |
| कुल | **483.01** | **432.81** |

उचित मूल्य का अनुमान :

निवेश संपत्ति के उचित मूल्य का नियतन प्रोफेशनल योग्यता वाले बाहरी स्वतंत्र संपत्ति मूल्यक द्वारा किया गया है।

**3घ) बिक्री के लिए रखी गयी गैर चालू परिसंपत्तियाँ** राशि (रु. लाख में)

| गैर चालू परिसंपत्तियों के विवरण | तथ्य और बिक्री की परिस्थिति | निपटान तरीका | निपटान समय | निवल खंड 31.03.2022 को | निवल खंड 31.03.2021 को |
|---|---|---|---|---|---|
| भूमि | नियंत्रक कंपनी के रसायनी यूनिट और सहायक कंपनी बंद करने और आस्तियों के निपटान. | बीपीसीएल को 152 एकड़ भूमि की सीधी बिक्री और शेष एनबीसीसी के माध्यम से | बारह माह में | 102149.66 | 102149.66 |
| भवन | | एमएसटीसी के जरिए ई नीलामी | वही | 207.19 | 207.19 |
| संयंत्र एवं उपकरण | | वही | वही | 1565.46 | 1565.46 |
| फर्नीचर, फिक्चर और उपकरण | | वही | वही | 6.35 | 13.54 |
| कार्यालय उपकरण –कंप्यूटर | | जेएनपीटी को हस्तांतरित | वही | 0.67 | 0.81 |
| **कुल** | | | | **103929.34** | **103936.66** |

नोट(1) : कंपनी 22 मई 2017 के आदेश के माध्यम से सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। कंपनी ने रसायनी इकाई को बंद कर दिया है, स्क्रैप किए गए संयंत्र और उपकरण का निपटान कर दिया गया है। भर मुक्त रसायनी की भूमि को एनबीसीसी और पनवेल भूमि की ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री का कार्य प्रगति पर है। कोची में फिनोल संयंत्र प्रचालन में है।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग, जिसके तहत सहायक कंपनी कार्य करती है, के पत्र दिनांक 29.01.2020 के अनुसार आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने एचएफएल के संयंत्र/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के लिए22 जनवरी, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में मंजूरी दी थी।

**एचओसीएल** राशि (रु. लाख में)

| गैर चालू परिसंपत्तियों के विवरण | तथ्य और बिक्री की परिस्थिति | निपटान तरीका | निपटान समय | निवल खंड 31.03.2022 को | निवल खंड 31.03.2021 को |
|---|---|---|---|---|---|
| भूमि | नियंत्रक कंपनी के रसायनी यूनिट और सहायक कंपनी बंद करने और आस्तियों के निपटान. | बीपीसीएल को 152 एकड़ भूमि की सीधी बिक्री और शेष एनबीसीसी के माध्यम से | बारह माह में | 99094.83 | 99094.83 |
| भवन | | एमएसटीसी के जरिए ई नीलामी | वही | 65.15 | 65.15 |
| संयंत्र एवं उपकरण | | वही | वही | 58.81 | 58.81 |
| फर्नीचर, फिक्चर और उपकरण | | वही | वही | 0.94 | 0.95 |
| कार्यालय उपकरण –कंप्यूटर | | जेएनपीटी को हस्तांतरित | वही | 0.00 | 0.00 |
| **कुल** | | | | **99094.83** | **99094.83** |

**एचएफएल** राशि (रु.लाख में)

| गैर चालू परिसंपत्तियों के विवरण | तथ्य और बिक्री की परिस्थिति | निपटान तरीका | निपटान समय | निवल खंड 31.03.2022 को | निवल खंड 31.03.2021 को |
|---|---|---|---|---|---|
| भूमि | | | बारह माह में | 3054.83 | 3054.83 |
| भवन | | | वही | 142.04 | 142.04 |
| संयंत्र एवं उपकरण | | | वही | 1506.65 | 1506.65 |
| फर्नीचर, फिक्चर और उपकरण | | | वही | 5.41 | 12.59 |
| कार्यालय उपकरण –कंप्यूटर | | | वही | 0.67 | 0.81 |
| **कुल** | | | | **3054.83** | **3054.83** |

**वित्तीय परिसंपत्तियाँ**

**4.निवेश** रु. लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| उल्लेखित लागत में निवेश : | | |
| केरला एनवीरों इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में अनुद्धृत इक्विटी शेयर में निवेश. | | |
| (प्रत्येक 10/– रूपए के 50000 अनुद्धृत इक्विटी शेयर) | 5.00 | 5.00 |
| घटाएँ :– निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान | 0.00 | 0.00 |
| कुल गैर–चालू निवेश | 5.00 | 5.00 |
| | 5.00 | 5.00 |
| उद्धृत निवेशों की संकलित राशि (बार मूल्य) | 0.00 | 0.00 |
| उद्धृत निवेशों की संकलित राशि (लागत) | 0.00 | 0.00 |
| अनुद्धृत निवेशों की संकलित राशि | 0.00 | 0.00 |
| क्षति के लिए प्रावधान की संकलित राशि | | |
| कुल गैर–चालू निवेश | 0.00 | 0.00 |

**5.अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां** **रु. लाख में**

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| i) सीमा शुल्क, एमएसईबी, केएसईबी, बीएसएनएल के साथ जमा एवं किराया जमा और कुलसचिव एच सी। | 497.37 | 498.12 |
| उप–कुल | 497.37 | 498.12 |
| ii)**अन्य निवेश** | **0** | **0** |
| **कुल** | **497.37** | **498.12** |

**6. माल सूची (लागत और निवल वसूलीयोग्य मूल्य पर मूल्यन)** रु. लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| क. कच्ची सामग्रियाँ और संघटक | 1701.86 | 1293.11 |
| ख. प्रगत्यधीन कार्य (डबल्यूआईपी) | 1133.84 | 960.65 |
| ग. तैयार वस्तुएं | 2265.34 | 1007.75 |
| ड. भंडार और पुर्जे | 2932.94 | 2488.57 |
| घटाएँ; अप्रचलन के लिए भत्ता * | -382.73 | -402.50 |
| कुल | 7651.25 | 5347.58 |

* कंपनी की बही में भंडारों के भत्ते पाँच वर्ष से अधिक की धीमी गति से चलने वाली वस्तुओं में 50% पर अप्रचलन किया जाता है।

**7. व्यापार प्राप्य** रु. लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| चालू | | |
| रक्षित | 0 | 0.00 |
| अरक्षित, सही माने गए | 864.28 | 371.61 |
| अनर्जक उधार | 1489.46 | 1474.13 |
| घटाएँ: संदिग्ध व्यापार प्राप्य के लिए भत्ता | -1489.46 | -1474.13 |
| घटाएँ: प्राप्य बिल भुनाये गए | 0 | 0.00 |
| कुल व्यापार प्राप्य | 864.28 | 371.61 |

i) नियंत्रक कंपनी की बहियों में, व्यापार प्राप्तियों के लेखों में भत्ता दिया जाता है, जिसे प्रबंधन की राय में अनर्जक उधार माना जाता है। कंपनी लगातार उन व्यापार प्राप्तियों के लिए भत्ता बनाने की प्रथा का पालन कर रही है जो तीन साल से अधिक समय से बकाया हैं या वसूली के लिए संदिग्ध हैं।

ii) सहायक कंपनी की बहियों में पार्टियों के डेबिट/क्रेडिट में जमा शेष उनके द्वारा पुष्टि और कंपनी द्वारा समीक्षा के अधीन है।

iii) सहायक कंपनी की बहियों में, बकाया ऋण में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में दायर मामला शामिल है, जो कि 129.16 लाख रुपये (पिछले वर्ष 129.16 लाख रुपये) के लिए लंबित है।

भारतीय लेखांकन मानक 37 के अधीन अपेक्षितानुसार चलन के लिए प्रकटन।

| संदिग्ध व्यापार प्राप्य के लिए भत्ता | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| वर्ष के प्रारम्भ में प्रावधान | 1474.13 | 1465.78 |
| वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान * | 16.77 | 40.80 |
| वर्ष के दौरान निर्मुक्त | 1.44 | 32.45 |
| वर्ष के अंत में प्रावधान | 1489.46 | 1474.13 |

* वर्ष के दौरान कंपनी ने व्यापार प्राप्तियों के लिए 1.44 लाख रुपये (पिछले वर्ष 32.45 लाख रुपए) की धनराशि बट्टे खाते में डाला है, जिसके लिए भत्ता पहले ही बनाया जा चुका है।

| विवरण | देय नहीं | भुगतान की देय तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया | | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | छ:माह से कम | छ:माह -1वर्ष | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्षों से अधिक | |
| **चालू वर्ष** | | | | **2021-22** | | | |
| (i) अविवादित व्यापार प्राप्य-सही माने गए | 291.20 | 431.89 | 3.11 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 732.03 |
| (ii) अविवादित व्यापार प्राप्य–जिनके ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हो । | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 3.09 |
| (iii) अविवादित व्यापार प्राप्य–ऋण imparied | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598.64 | 598.64 |
| (iv) विवादित व्यापार प्राप्य– सही माने गए | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.16 | 129.16 |
| (v) विवादित व्यापार प्राप्य– जिनके ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हो। | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (vi) विवादित व्यापार प्राप्य–ऋण imparied | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 922.67 | 922.67 |
| कुल | 291.20 | 431.89 | 3.11 | 5.83 | 3.09 | 1650.47 | 2385.59 |
| घटाएँ: प्रत्याशित ऋण नुकसान के लिए भत्ता | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1521.31 | 1521.31 |
| निवल राशि | 291.20 | 431.89 | 3.11 | 5.83 | 3.09 | 129.16 | **864.28** |
| पिछले वर्ष | | | | **2021-22** | | | |
| (i) अविवादित व्यापार प्राप्य-सही माने गए | 58.60 | 133.60 | 6.81 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 203.79 |
| (ii) अविवादित व्यापार प्राप्य–जिनके ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हो । | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.03 | 0.00 | 37.03 |
| (iii) अविवादित व्यापार प्राप्य–ऋण imparied | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583.10 | 583.10 |
| (iv) विवादित व्यापार प्राप्य– सही माने गए | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.26 | 130.79 |
| (v) विवादित व्यापार प्राप्य– जिनके ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हो। | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (vi) विवादित व्यापार प्राप्य–ऋण imparied | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1184.50 | 1184.50 |
| कुल | 58.60 | 135.13 | 6.81 | 4.78 | 37.03 | 1896.86 | 2139.21 |
| घटाएँ: प्रत्याशित ऋण नुकसान के लिए भत्ता | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1767.60 | 1767.60 |
| **निवल राशि** | **58.60** | **135.13** | **6.81** | **4.78** | **37.03** | **129.26** | **371.61** |

| **8क. नकद और नकदी समतुल्य** | | रु. लाख में |
|---|---|---|
| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
| बैंकों के साथ शेष (नकद और नकदी समतुल्य श्रेणी के): | | |
| चालू खाता | 233.15 | 107.39 |
| बचत खाता * | 310.19 | 171 |
| तीन माह से कम मूल परिपक्वता सहित निवेश | 1624.5 | 3025.28 |
| हाथ में नकद | 1.48 | 0.92 |
| कुल | 2169.32 | 3304.59 |

*स्माल कोसेस कोर्ट, मुंबई के निर्देशों के अनुसार हरचंदराई हाउस की किराए देय राशि के लिए बचत खाते में शेष राशि पृथक रक्षित है ।

| **8ख. अन्य बैंक शेष** | | रु. लाख में |
|---|---|---|
| बीजी/एलसी/ के विरुद्ध मियादी जमा | 5595.43 | 5029.59 |
| तीन माह से अधिक लेकिन 12 माह से कम परिपक्वता के लिए मियादी जमा | 5980.62 | 6506.29 |
| **कुल** | **11576.05** | **11535.88** |

| **9. ऋण (चालू परिसंपत्तियां)** | | रु. लाख में |
|---|---|---|
| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021को |
| (क) कर्मचारियों को ऋण | | |
| क. अरक्षित, सही माने गए | 21.01 | 30.88 |
| | 21.01 | 30.88 |
| (ख) आपूर्तिकारों को अग्रिम | | |
| संदिग्ध | 65.00 | 65.00 |
| घटाएँ: संदिग्ध विविध ऋण के लिए भत्ता | 65.00 | 65.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| **कुल ऋण** | **21.01** | **30.88** |

ऋण और प्राप्य गैर–व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां है जो कंपनी के लिए एक निश्चित या परिवर्तनीय ब्याज आय उत्पन्न करती हैं।

| **10. ब्याज और अन्य प्राप्य** | | |
|---|---|---|
| चालू | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
| क) ब्याज प्राप्य | | |
| क.अरक्षित, सही माने गए | | |
| जमा राशियों पर प्रोद्भूत ब्याज | 395.52 | 502.74 |
| अग्रिमों पर प्रोद्भूत ब्याज | 106.08 | 106.08 |
| घटाए: संदिग्ध चुकौती के लिए प्रावधान | 106.08 | 106.08 |
| | 0.00 | 0.00 |
| टाउनशिप से प्रोद्भूत आय | 5.53 | 5.53 |
| घटाएँ : भत्ता | 5.53 | 5.53 |
| | 0.00 | 0.00 |
| **कुल** | **0.00** | **0.00** |
| ख) वसूली योग्य विविध | | |
| क. अरक्षित, सही माने गए | | |
| ख. संदिग्ध | 0.00 | 0.00 |
| घटाएँ: संदिग्ध अन्य वित्तीय परिसंपत्तियोंकी भत्ता | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| **कुल** | **395.52** | **502.74** |

सहायक कंपनी हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड ने रुद्रराम गांव, मेडक जिला, तेलंगाना राज्य में 84.31 एकड़ भूमि पर 2744.07 लाख रुपये के शून्य कूपन ऋण, 453.01 लाख रुपये के ब्याज वाले ऋण होल्डिंग कंपनी के पक्ष में बंधक बनाया है और उस पर 1017.79 लाख रुपये अर्जित ब्याज की राशि बकाया है।

सहायक कंपनी के पास एमपीटीएफई के निर्माण के लिए लिए गए 360 लाख रुपये और संयंत्र के नवीनीकरण के लिए 11.5% प्रति वर्ष की दर से लिए गए 1320 लाख रुपये का सरकार योजना ऋण बकाया है और दोनों ऋण वित्तीय वर्ष 2015–16 से शुरू होने वाले 5 वार्षिक किश्तों में चुकाने योग्य थे। कंपनी ने मार्च, 2017 माह के दौरान रु.24.92 लाख ब्याज सहित रु.1.00 करोड़ का पुनर्भुगतान किया था और तदनुसार मूलधन और ब्याज बकाया को समायोजित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19 और 2019–20 के लिए किस्त देय की राशि 1,580.00 लाख रुपये है, को 'वर्तमान उधार' शीर्षक के तहत नोट–17 ए में दिखाया गया है। कंपनी को सहायक कंपनी के बंद होने पर दिनांक 29.01.2020 का पत्र संख्या इ.51015/06/2019–CH III(Vol.II) प्राप्त हुआ था जिसमें रु.1580 लाख के लिए ब्याज 31.03.2019 तक फ्रीज किए जाएंगे। इसलिए वर्ष 2021–22 के लिए ब्याज नहीं लिया गया है।

| **11. ब्याज,अग्रिम और अन्य प्राप्य** | | रु. लाख में |
|---|---|---|
| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
| i) केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के कलक्ट्रेट के पास जमा | 7.37 | 7.53 |
| घटाएँ : भत्ता | 2.90 | 2.90 |
| **उप–कुल** | **4.47** | **4.63** |
| ii) वैधानिक प्राप्य:शुल्क और कर, प्रीपैड कर | | |
| घटाएँ : भत्ता | 877.51 | 1477.10 |
| **उप–कुल** | **4.29** | **4.29** |
| iii) आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम – सही माने गए | 873.22 | 1472.81 |
| घटाएँ : भत्ता संदिग्ध | | |
| **उप–कुल** | **277.26** | **217.12** |
| iv) जमाराशि –उपदान, ईएमडी भाड़ा | 3554.32 | 3554.32 |
| v) प्रीपैड व्यय | 171.95 | 171.95 |
| vi) वसूलीयोग्य अन्य अग्रिम | 34.20 | 34.20 |

| | | |
|---|---|---|
| vii) कर्मचारियों को अग्रिमों पर उपचित आय | 8.15 | 8.15 |
| viii) कर्मचारियों से वसूलीयोग्य | 60.41 | 60.41 |
| उप कुल | 274.71 | 274.71 |
| घटाएँ : भत्ता | 60.41 | 60.41 |
| | 214.30 | 214.30 |
| **कुल** | **4919.26** | **4919.26** |

कर्मचारी समूह उपदान निधि ट्रस्ट की ओर एलआईसी/आईसीआईसीआई बैंक में 1490.61 लाख रुपए (पिछले वर्ष 625.98 लाख रुपए) की उपदान राशि को उपदान देयता के विरुद्ध सृजित किया गया है।

**12.शेयर पूंजी** रु.लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को | | 31.03.2021 को | |
|---|---|---|---|---|
| | सं | रु. | सं | रु |
| प्राधिकृत शेयर पूंजी | | | | |
| प्रत्येक 10 रुपये का इक्विटी शेयर | | | | |
| अथ शेष | 100000000 | 10000.00 | 100000000 | 10000.00 |
| वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| अंतिम शेष | 100000000 | 10000.00 | 100000000 | 10000.00 |
| प्रत्येक 10 रुपये का अधिमान्य शेयर | | | | |
| अथ शेष | 270000000 | 27000.00 | 270000000 | 27000.00 |
| वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी) | - | 0.00 | - | 0.00 |
| अंतिम शेष | 270000000 | 27000.00 | 270000000 | 27000.00 |
| कुल प्राधिकृत पूंजी | 370000000 | 37000.00 | 370000000 | 37000.00 |
| | | | | |
| निर्गत इक्विटी पूंजी | | | | |
| निर्गत,अभिदत्त और पूर्ण प्रदत्त प्रत्येक 10 के इक्विटी शेयर | | | | |
| अथ शेष | 67173100 | 6717.31 | 67173100 | 6717.31 |
| जोड़े: जब्त शेयरों के लिए प्रदत्त राशि | 0 | 9.65 | 0 | 9.65 |
| वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी) – – | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| कुल – इक्विटी शेयर पूंजी | 67173100 | 6726.96 | 67173100 | 6726.96 |

इक्विटी शेयरों से जुड़े शर्तें/अधिकार

"कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसमें ₹10 प्रति शेयर का बराबर मूल्य है। इक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट के हकदार है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयर धारक सभी अधिमानी राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्तियां प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

"कंपनी में 5% से अधिक धारित शेयरधारकों का विवरण और प्रोमोटेर्स की शेयरधारिता कंपनी में 5% से अधिक धारित शेयरधारकों का विवरण और प्रोमोटेर्स की शेयरधारिता

| शेयरधारक का नाम | 31.03.2022 को | | 31.03.2021 को | | % परिवर्तन वर्ष के दौरान |
|---|---|---|---|---|---|
| | कुल शेयरों की संख्या | % धारिता | कुल शेयरों की संख्या | % धारिता | |
| पूर्ण प्रदत्त प्रत्येक रु. (आईएनआर) 10 का इक्विटी शेयर: भारत सरकार (प्रमॉटर) | 39,481,500 | 58.78% | 39,481,500 | 58.78% | शून्य |

वर्ष के अंत में प्रोमोटरों की शेयरधारिता (सहायक कंपनी)

| शेयरधारक का नाम | 31.03.2022 को | | 31.03.2021 को | | % |
|---|---|---|---|---|---|
| नाम | कुल शेयरों की संख्या | % धारिता | कुल शेयरों की संख्या | %धारिता | परिवर्तन वर्ष के दौरान |
| हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड | 11,060,000 | 56.43% | 11,060,000 | 56.43% | शून्य |
| आंध्रप्रदेश औद्योगिक विकास निगम | 870,000 | 4.44% | 870,000 | 4.44% | शून्य |
| पूर्ण प्रदत्त प्रत्येक रु. 10 का इक्विटी शेयर | | 60.87% | | 60.87% | |

**13. अन्य इक्विटी**

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| क) प्रतिभूति प्रीमियम रिसर्व | | |
| अथ शेष | 4,838.57 | 4,838.57 |
| वर्ष के दौरान वृद्धि/ (कमी) – | - | - |
| अंतिम शेष | 4,838.57 | 4,838.57 |
| | | |
| ख) प्रतिधारित अर्जन | | |
| अथ शेष | (103,480.99) | (103,744.00) |
| लेखांकन नीति या पूर्वाधि त्रुटियों में परिवर्तन | 59.77 | 9.85 |
| अवधि के प्रारम्भ में पुन: प्रतिपादित शेष राशि | (103,421.22) | (103,734.15) |
| जोड़े: वर्ष के लिए लाभ/(हानि) | (4,777.65) | 253.89 |
| जोड़े :भूमि की बिक्री पर लाभ | - | 59.04 |
| अंतिम शेष | (108,198.87) | (103,421.22) |
| ग) अन्य व्यापक आय | | |
| i)परिसंपत्ति,संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन | | |
| अथ शेष | 95,296.80 | 94,143.82 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान मूल्यांकन | 1,978.42 | 1,631.02 |
| घटाएँ: पुनर्मूल्यांकन परिसंपत्तियों की बिक्री की लागत | - | - |
| घटाएँ: प्रतिधारित अर्जनों में अंतरित आरक्षित | - | (59.04) |
| जोड़े : बिक्री के कारण आस्थगित कर देयता की उलटा | - | 12.00 |
| जोड़ें/घटाएँ: वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन के कारण कर देयता को आस्थगित | (576.00) | (431.00) |
| अंतिम शेष | 96,699.22 | 95,296.80 |
| | | |
| ii) कर्मचारी परिभाषित हितलाभ योजनाओं में परिवर्तन | | |
| अथ शेष | (287.63) | (228.89) |
| जोड़े: वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन | (2.35) | (58.74) |
| घटाएँ : परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन | 40.99 | - |
| घटाएँ : वर्ष वेढ दौरान पुनर्मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर देयता | - | - |
| | (248.99) | (287.63) |
| iii) अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखत | | |
| अथ शेष | - | - |
| जोड़े : | - | - |
| घटाएँ:परिभाषित हितलाभ योजना का पुनर्मापन | - | - |
| अंतिम शेष | - | - |
| **कुल योग** | **96,450.23** | **95,009.17** |
| **कुल अन्य इक्विटी** | **(6,910.07)** | **(3,573.48)** |

सिक्योरिटीस प्रीमियम रिज़र्व–जहां कंपनी प्रीमियम पर शेयर जारी करती है, चाहे वह नकद के लिए हो, या अन्यथा उन शेयरों पर प्राप्त प्रीमियम की कुल राशि के बराबर राशी "सिक्योरिटीस प्रीमियम रिज़र्व" में स्थानांतरित की जाएगी। कंपनी अपने सदस्यों को प्रतिभूति प्रीमियम रिज़र्व से पूरी तरह से भुगतान किए गए बोनस शेयर जारी कर सकती है और कंपनी इस रिज़र्व का उपयोग शेयरों के खरीद–फरोख्त के लिए कर सकती है।

**14. उधार (गैर–चालू देयता)** रु. लाख में

| | | |
|---|---|---|
| भारत सरकार से ऋण | 0.00 | 7695.09 |
| **कुल** | **0.00** | **7695.09** |

**15.प्रावधान (दीर्घकालिक देयता)** रु. लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| अथ | | |
| कर्मचारियों के लिए फायदाएं – नकद छुट्टीकरण | 1104.09 | 1039.16 |
| कर्मचारियों के लिए फायदाएं –उपदान | 2200.93 | 2183.22 |
| नितय परिसंपत्तियों में अंतर | 20.52 | 3.73 |
| भाडे के लिए प्रावधान | 9.15 | 5.11 |
| उप कुल | 3334.69 | 3231.22 |
| वर्ष के दौरान होने वाले | | |
| कर्मचारियों के लिए फायदाएं – नकद छुट्टीकरण | 0.00 | 64.93 |
| कर्मचारियों के लिए फायदाएं –उपदान | 0.00 | 17.71 |

| | | |
|---|---|---|
| नितय परिसंपत्तियों में अंतर | 2.61 | 16.79 |
| भाडे के लिए प्रावधान | 173.83 | 4.04 |
| उप कुल | 176.44 | 103.47 |
| उपयोगित | | |
| कर्मचारियों के लिए फायदाएं – नकद छुट्टीकरण | 200.68 | 0.00 |
| कर्मचारियों के लिए फायदाएं –उपदान | 329.89 | 0.00 |
| नितय परिसंपत्तियों में अंतर | 0.00 | 0.00 |
| भाडे के लिए प्रावधान | 0.00 | 0.00 |
| उप कुल | 530.57 | 0.00 |
| अंत | | |
| कर्मचारियों के लिए फायदाएं – नकद छुट्टीकरण | 903.42 | 1104.09 |
| कर्मचारियों के लिए फायदाएं –उपदान | 1871.04 | 2200.93 |
| नियत परिसंपत्तियों में अंतर | 23.13 | 20.52 |
| भाडे के लिए प्रावधान | 182.98 | 9.15 |
| **कुल** | **2980.57** | **3334.69** |

**16. आस्थगित कर देयताएं**

| | | |
|---|---|---|
| भूमि का उचित मूल्य | 16417.52 | 15841.52 |
| भूमि का उचित निवेश | -15.00 | 0.00 |
| निवल आस्थगित कर देयता डनोट सं.41. | 16402.52 | 15841.52 |

आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी गई है क्यों कि यहाँ कोई निश्चितता नहीं है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा,. कृपया नोट सं.41.देखें

**17.अधिमानी शेयरधारकों को देय**

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| अथ शेष | 27000.00 | 27000.00 |
| वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी) | 0.00 | 0.00 |
| अंत शेष | 27000.00 | 27000.00 |

नोट

1. अधिमान्य शेयरधारकों को वोट करने का अधिकार नहीं ।
2. भारत सरकार ने पूर्व वर्ष 2006–07 में 27000 लाख रुपए (वित्तीय पुनर्गठन के लिए 25000 लाख रुपये और कास्टिक सोडा संयंत्र के पुनः कमीशन के लिए 2000 लाख रुपये) 8% असंचयी मोचनीय अधिमानी शेयरों के आबंटन के खिलाफ जारी किया था, जिससे पुनरुद्धार योजना के अनुसार पूंजी आधार को व्यापक बनाया। बोर्ड द्वारा 28 जनवरी, 2008 को 8% अधिमानी शेयर भारत सरकार को आवंटित किए गए, यह 4वें वर्ष से मोचनीय 20% प्रारम्भ होकर 8वें वर्ष (2015–16) में अंतिम विमोचन के साथ है। कंपनी के अनुरोध पर, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2011–12 से वित्तीय वर्ष 2015–16 तक प्रति वर्ष 25% पर मोचन की शुरूआत की थी। कंपनी के अनुरोध पर, भारत सरकार ने मोचन के विस्तार के लिए अनुमति दी बशर्ते कि 27000 लाख रुपए की कुल राशि पर प्रतिवर्ष 1.5% ब्याज का भुगतान किया जाना है और वर्ष के दौरान लेखा बही में 405 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। आगे चुकौती में चूक के लिए ब्याज 1% देना है और तदनुसार रु. 270 लाख की ब्याज राशि वर्ष के दौरान प्रदान की गई है।

**17.क चालू - उधार** रु. लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| मांग पर भुगतानयोग्य ऋण | | |
| भारत सरकार से ब्याज मुक्त ऋण * | 7587.00 | 7370.00 |
| भारत सरकार योजना ऋण | 1580.00 | 1580.00 |
| कुल चालू उधार | 9167.00 | 8950.00 |
| समग्र सुरक्षित ऋण | 0.00 | 0.00 |
| समग्र असुरक्षित ऋण | 9167.00 | 8950.00 |

नोट:

* भारत सरकार ने 22.05.2020 को 7370 लाख रुपये और 15.03.2022 को 217 लाख रुपये का ऋण वितरित किया है। सीसीईए के निर्णय के अनुसार कर्मचारियों, लेनदारों की बकाया राशि और ऋण को बंद करने के लिए सहायक कंपनी को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिया गया ।

**18. व्यापार देय** रु. लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| चालू - व्यापार देय | | |
| i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया देय | 55.50 | 25.62 |
| ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य बकाया देय | 4144.71 | 1679.30 |
| कुल | 4200.21 | 1704.92 |
| सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय राशि: | | |
| विवरण | | |
| क)i) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में प्रधान शेष राशि अवैतनिक है। | 55.50 | 25.62 |
| ii) उस पर ब्याज देय | - | - |
| iii) ब्याज देय और भुगतान में देरी की अवधी के लिए | - | - |
| iv) ब्याज उपार्जित और शेष अवैतनिक है | - | - |
| v) ब्याज देय और भुगतान अनुवर्ती वर्षों में | - | - |
| vi) ब्काज देका और भुगतान अनुवर्ती वर्षों में | 0.00 | 0.00 |

ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय राशि का निर्धारण इस हद तक किया गया है कि प्रबंधन द्वारा एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर ऐसी पार्टियों की पहचान की गई है। उन्हें सभी देय राशि का भुगतान नियत तारीख के भीतर किया जाता है और समापन तिथि पर कोई अतिदेय राशि नहीं है।

| विवरण | देय नहीं | भुगतान की देय तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 वर्ष से कम | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3वर्षों से अधिक | |
| **चालू वर्ष** | **2021-22** | | | | | |
| i) एमएसएमई | 55.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.50 |
| ii) अन्य | 3996.68 | 4.74 | 2.40 | 26.55 | 109.34 | 4139.71 |
| iii) विवादित बकाया–एमएसएमई | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| iv) विवादित बकाया–अन्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| | **4052.18** | **4.74** | **2.40** | **26.55** | **114.34** | **4200.21** |
| **पिछले वर्ष** | **2020-21** | | | | | |
| i) एमएसएमई | 21.03 | 0.28 | 0.01 | 0.47 | 2.72 | 24.51 |
| ii) अन्य | 1503.57 | 11.74 | 39.48 | 1.54 | 119.08 | 1675.41 |
| iii) विवादित बकाया–एमएसएमई | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| iv) विवादित बकाया–अन्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| | **1524.60** | **12.02** | **39.49** | **2.01** | **126.80** | **1704.92** |

**19. अन्य चालू वित्तीय देयताएं** रु. लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता: | | |
| सरकार ऋण की वर्तमान परिपक्वता | 7695.09 | 8187.29 |
| कुल उधार | 787.54 | 787.54 |
| अन्य देय | 49.05 | 49.07 |
| | 8531.68 | 9023.90 |
| कुल उधार | 8531.68 | 16718.99 |
| घटाएँ : अन्य चालू वित्तीय देयताओं के साथ जोड़े गए अन्य देय | 8531.68 | 9023.90 |
| गैर चालू उधार (निवल) | 0.00 | 7695.09 |
| समग्र सुरक्षित ऋण | 0.00 | 0.00 |
| समग्र असुरक्षित ऋण | 8531.68 | 16718.99 |

नोट:

i) वर्ष 2009–10 से भारत सरकार के ऋण की चुकौती में चूक का सिलसिला जारी है और मूलधन राशि पर अतिदेय राशि 37561.37 लाख रुपए (पिछले वर्ष रु.30778.08 लाख रुपए) और अर्जित ब्याज के लिए 32168.06 लाख रुपए है (पिछले वर्ष 26972.25 लाख रुपए), इन राशियों को 'अन्य चालू देयताएँ' के तहत दिखाया गया है। 7695.09 लाख रुपए (पिछले वर्ष 8187.29 लाख रुपए) अगले 12 महीनों में परिपक्व होने को ''अन्य वर्तमान देनदारियों'' के तहत 'दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता' के रूप में दिखाया गया है। कंपनी ने वर्ष के दौरान अतिदेय मूल राशि 1404.00 लाख रुपए का ऋण का भुगतान किया है (पिछला वर्ष 1556.00 लाख रुपए)।

19क. 31.03.2022 को भारत सरकार से ऋण का विवरण (रु.लाख में)

| क्रमांक | सरकारी अनुमोदन संख्या | उद्देश्य | स्वीकृति की तिथि | आहरण की तिथि | ब्याज की दर | किश्तों की संख्या | ऋण राशि 31.03.2022 को | देय किश्तें 31.03.2022 तक | कुल ब्याज 31.03.2022 तक | अतिदेय ब्याज 31.03.2022 तक | ऋण की वर्तमान अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.नियंत्रक कंपनी | | | | | | | | नोट सं.24 (i) | | नोट सं.24 (ii) | नोट सं 21 |
| 1 | 51/11/2009–सीएच.III | कोची यूनिट में विविध परियोजनाओं हेतु | 01.12.2009 | 15.12.2009 | 11.50इ | 5 | 660.00 | 660.00 | 933.05 | 910.80 | |
| 2 | 51/11/2009–सीएच.III | –वही– | 20.01.2010 | 22/01/2010 | 11.50इ | 5 | 843.00 | 843.00 | 1181.67 | 1163.34 | |
| 3 | P.51012/01/2012–32 | विविध परियोजनाओं हेतु | 12.09.2012 | 18/09/2012 | 11.50इ | 5 | 1760.00 | 1760.00 | 1929.73 | 1821.60 | |
| 4 | P.51012/4/2013–32–सीएच.III | भारत सरकार की गारंटी के साथ एचओसीएल बॉन्ड शृंखलों पर ब्याज भुगतान के लिए | 07.09.2015 | 10/09/2015 | 11.50इ | 5 | 1057.00 | 1057.00 | 796.93 | 729.33 | |
| 5 | P.51012/4/2013–32–सीएचIII | भारत सरकार की गारंटी के साथ एचओसीएल बॉन्ड शृंखलों एंडेंध पर ब्याज भुगतान के लिए | 22.09.2016 | 27/09/2016 | 11.00इ | 5 | 2461.00 | 2461.00 | 1491.50 | 1353.55 | 0.00 |
| 6 | P.51012/4/2013–32–सीएच.III | भारत सरकार की गारंटी के साथ एचओसीएल बॉन्ड शृंखलों पर ब्याज भुगतान के लिए | 02.08.2017 | 07/08/2017 | 11.00इ | 5 | 1057.00 | 845.60 | 540.58 | 465.08 | 211.40 |
| 7 | P.51012/4/2013–32–सीएच.III | भारत सरकार की गारंटी के साथ प्रधान एचओसीएल बॉन्ड शृंखलों पर चुकौती के लिए | 11.08.2017 | 14/08/2017 | 11.00इ | 5 | 10000.00 | 8000.00 | 5093.15 | 4400.00 | 2000.00 |
| 8 | P.51012/4/2013–32–सीएच.III | भारत सरकार की गारंटी के साथ एचओसीएल बॉन्ड शृंखलोंध पर मूल एवं ब्याज की चुकौती के लिए | 12.09.2017 | 19/09/2017 | 11.00इ | 5 | 16392.46 | 13113.97 | 8171.08 | 7212.68 | 3278.49 |
| 9 | P.51012/4/2013–32–सीएच.III | कर्मचारियों और अन्य से संबन्धित वैधानिक बकाया के भुगतान के लिए | 28.09.2017 | 29/09/2017 | 11.00इ | 5 | 11026.00 | 8820.80 | 5462.85 | 4851.45 | 2205.20 |
| | भारत सरकार से सुरक्षित ऋण पर बकाया ब्याज (स्थिर संपत्तियों द्वारा सुरक्षित)। ऋण के मूलधन का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। | | | | | | | | 3329.41 | 3329.41 | |
| | भारत सरकार से असुरक्षित ऋण पर बकाया ब्याज। ऋण के मूलधन का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। | | | | | | | | 5930.82 | 5930.82 | |
| | कुल | | | | | | 45256.46 | 37561.37 | 34860.77 | 32168.06 | 7695.09 |

नोट: ऋण राशि 45256.46 लाख रुपए अरक्षित ऋण है ( पिछले वर्ष कुल ऋण राशि 46660.46 लाख रुपए हैं).

II. सहायक कंपनी

1 आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के निर्णय के अनुसार, भारत सरकार ने कर्मचारियों, लेनदारों के बकाया के निपटान और ऋणों को बंद करने के लिए 22–मई–2020 को 7370 लाख रुपये का ऋण वितरित किया है और 15.03.2022 को 217 लाख रुपये वितरित किए हैं।

2 सहायक कंपनी के पास एमपीटीएफई के निर्माण के लिए लिए गए 360 लाख रुपये और संयंत्र के नवीनीकरण के लिए 11.5% प्रति वर्ष की दर से लिए गए 1320 लाख रुपये का सरकार योजना ऋण बकाया है और दोनों ऋण वित्तीय वर्ष 2015–16 से शुरू होने वाले 5 वार्षिक किश्तों में चुकाने योग्य थे। कंपनी ने मार्च, 2017 माह के दौरान रु.24.92 लाख ब्याज सहित रु.1.00 करोड़ का पुनर्भुगतान किया था और तदनुसार मूलधन और ब्याज बकाया को समायोजित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19 और 2019–20 के लिए किस्त देय की राशि 1,580.00 लाख रुपये है, को 'वर्तमान उधार' शीर्षक के तहत नोट–17 ए में दिखाया गया है। कंपनी को सहायक कंपनी के बंद होने पर दिनांक 29.01.2020 का पत्र संख्या P.51015/06/2019–CH III(जिल्द.II) प्राप्त हुआ था जिसमें रु.1580 लाख के लिए ब्याज 31.03.2019 तक फ्रीज किए जाएंगे। इसलिए वर्ष 2021–22 के लिए ब्याज नहीं लिया गया है।

**20. लघु अवधि प्रावधान** — रु. लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| प्रारंभिक | | |
| i) कर्मचारियों के लाभ के लिए (छुट्टी नकदीकरण) | 316.15 | 370.65 |
| ii) कर्मचारियों के लाभ के लिए (उपदान) | 77.31 | 79.14 |
| iii) कर्मचारियों के पारिश्रमिक के लिए | 20.81 | 20.81 |
| iv)वैधानिक दावों के लिए | 6.08 | 60.10 |
| v)दूसरों के हित के लिए | 4860.00 | 4185.00 |
| vi) दंडस्वरूप ब्याज के लिए | 850.00 | 1032.06 |
| **उप-कुल** | **6130.35** | **5747.76** |
| वर्ष के दौरान सृजित | | |
| i) कर्मचारियों के लाभ के लिए (छुट्टी नकदीकरण) | 77.39 | 201.92 |
| ii) कर्मचारियों के लाभ के लिए (उपदान) | 41.19 | 77.31 |
| iii) कर्मचारियों के पारिश्रमिक के लिए | 0.00 | 0.00 |
| iv)वैधानिक दावों के लिए | 14.60 | 0.00 |
| v)दूसरों के हित के लिए | 675.00 | 675.00 |
| vi) दंडस्वरूप ब्याज के लिए | 0.00 | 0.00 |
| **उप-कुल** | **808.18** | **954.23** |
| उपयोग किए गए | | |
| i) कर्मचारियों के लाभ के लिए (छुट्टी नकदीकरण) | 79.09 | 256.43 |
| ii) कर्मचारियों के लाभ के लिए (उपदान) | 52.66 | 79.14 |
| iii) कर्मचारियों के पारिश्रमिक के लिए | 0.00 | 0.00 |
| iv)वैधानिक दावों के लिए | 6.08 | 54.02 |
| v)दूसरों के हित के लिए | 0.00 | 0.00 |
| vi) दंडस्वरूप ब्याज के लिए | 0.00 | 182.06 |
| **उप-कुल** | **137.83** | **571.64** |
| अंतिम | | |
| i) कर्मचारियों के लाभ के लिए (छुट्टी नकदीकरण) | 314.45 | 314.15 |
| ii) कर्मचारियों के लाभ के लिए (उपदान) | 65.83 | 77.31 |
| iii) कर्मचारियों के पारिश्रमिक के लिए | 20.81 | 20.81 |
| iv)वैधानिक दावों के लिए | 14.60 | 6.08 |
| v)दूसरों के हित के लिए | 5535.00 | 4860.00 |
| vi) दंडस्वरूप ब्याज के लिए | 850.00 | 850.00 |
| **कुल** | **6800.69** | **6130.35** |

**21. अन्य चालू देयताएँ**

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| i) ऋण अतिदेय –भारत सरकार से ऋण | 37561.37 | 30778.08 |
| ii) ग्राहकों से अग्रिम | 412.81 | 415.11 |
| iii) विक्रेताओं / ग्राहकों से जमा | 209.09 | 199.36 |
| iv) ब्याज उपार्जित किया गया लेकिन देय नहीं (भारत सरकार ऋण पर) | 2692.72 | 2790.87 |
| v) ब्याज उपार्जित और देय (भारत सरकार ऋण पर) | 32168.06 | 26972.18 |
| vi) सांविधिक देयताएँ | 232.92 | 544.19 |
| vii) कर्मचारी संबंधित देयताएँ | 556.77 | 699.95 |
| viii) वेतन पर्ची पुनप्राप्ति देय | 20.59 | 37.25 |
| ix) अन्य देयताएँ | 1630.54 | 1647.81 |
| **कुल** | **75058.89** | **63510.39** |

**22. प्रचालनों से राजस्व – उत्पादों की बिक्री (विनिर्मित)** — रु. लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| उत्पादों की श्रेणी द्वारा भिन्न भिन्न राजस्व /उत्पादों की बिक्री (विनिर्मित) | | |
| फिनोल | 29931.04 | 21037.77 |
| एसिटोन | 9341.88 | 17577.08 |
| हाइड्रोजन पेरोक्साइड | 2542.01 | 822.53 |
| कुमीन के हेवी एन्ड्स | 867.79 | 1150.69 |
| कुमोक्स ऑयल | 684.67 | 569.73 |
| **कुल** | **43367.39** | **41157.80** |

**23.अन्य आय** — रु. लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| सीधा आय | | |
| स्क्रैप की बिक्री | 2.85 | 36.88 |
| उप कुल | 2.85 | 36.88 |
| पर ब्याज आय | | |
| कॉल और अवधि जमाओं (सकल) पर | 789.01 | 817.73 |
| एमआईडीसी, एमएसईबी और अन्य के साथ अग्रिमों और जमाओं पर | 112.51 | 21.39 |
| व्यापार प्राप्य से भुगतान में देरी और वित्त प्रभार संबंधी | 0.78 | 41.66 |
| **उप–कुल** | **902.30** | **880.78** |
| अन्य गैर–प्रचालन आय | | |
| संपदा भाड़े | 78.58 | 53.16 |
| परिवहन, पानी, विद्युत आदि की वसूली | 7.46 | 2.83 |
| निविदा प्रपत्रों की बिक्री | 0.00 | 0.11 |
| विनिमय दर अंतर – विविध आय | 0.00 | 0.00 |
| अधिक प्रावधान वापस लिखा | 225.79 | 221.62 |
| आस्तियों की बिक्री पर लाभ | 2143.56 | 936.23 |
| विविध आय | 0.00 | 15.96 |
| उप कुल | 2455.39 | 1229.91 |
| **कुल** | **3360.54** | **2147.57** |
| अतिरिक्त प्रावधान वापस लिखे के रेवेरसल में निम्न शामिल है: | | |
| 1.अतिरिक्त प्रावधान वापिस लिखे –गेल एलएनजी | | 790.96 |
| 2. ईपीएस(रसायनी) के डीपीसी के लिए अतिरिक्त प्रावधान का रेवेरसल। | | 91.02 |
| 3. संदिग्ध ऋण के लिए अतिरिक्त प्रावधान का रेवेरसल। | 1.43 | 1.11 |
| 4.विविध मामलों में प्रावधानों की अवश्यकता नहीं है। | | 53.14 |
| 5. अधिक प्रावधान वापस लिखा एचएफएल | 2122.35 | |
| 6.अधिक प्रावधान वापस लिखा– भंडार एवं पुर्जे | 19.78 | |
| **कुल** | **2143.56** | **936.23** |

नियंत्रण कंपनी की बही में

1. वर्ष 2020-21 के दौरान त्रुटि के कारण विविध आय में 33.72 लाख रुपए की राशि कम प्रदान की गयी वैसे तो वर्ष 2020-21 के लिए तुलनात्मक राशि का इंड एएस-8 के अनुसार पुन: कथन किया गया।
   (क) पूर्व की अवधि की त्रुटि : विविध आय
   (ख) सुधार की राशि : 33.72 लाख रुपए
   (ग) प्रभावित वित्तीय लाइन मद : नोट सं: 23 विविध आय)
2. वर्ष 2019-20 के दौरान त्रुटि के कारण विविध आय में 5.04 लाख रुपए की राशि कम प्रदान की गयी वैसे तो तुलनात्मक राशि का 01.04.2021 को प्रारम्भिक प्रतिधारित अर्जन में पुन: कथन किया गया।
   (क) पूर्व की अवधि की त्रुटि : विविध आय
   (ख) सुधार की राशि : 05.04 लाख रुपए
   (ग) प्रभावित वित्तीय लाइन मद : नोट सं: 23 विविध आय)

**24.खपत की गई कच्चे माल और संघटकों की लागत** रु.लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| वर्ष के प्रारंभ में वस्तुसूची | 1293.11 | 582.73 |
| जोड़: क्रय | 28298.17 | 20986.06 |
| घटाएँ: वर्ष के अंत में माल सूची | 1702.82 | 1293.11 |
| खपत की गई कच्चे माल और संघटकों की लागत | **27,888.46** | **20,275.68** |

**25. तैयार माल की वस्तु सूची और डब्लियुआईपी में परिवर्तन**

वस्तुसूची में (वृद्धि) / कमी रु.लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| वर्ष के प्रारंभ में वस्तुसूची | | |
| (i) प्रक्रियागत स्टॉक | 960.65 | 913.28 |
| (ii) कैप्टीव खपत के लिए स्टॉक | 87.91 | 138.14 |
| (iii) मुख्य उत्पादें | 900.63 | 964.63 |
| (iv) उप उत्पादें | 19.21 | 97.13 |
| **उप–कुल** | **1968.40** | **2113.18** |
| वर्ष के अंत में वस्तुसूची | | |
| (i) प्रक्रियागत स्टॉक | 1133.84 | 960.65 |
| (ii) कैप्टीव खपत के लिए स्टॉक | 571.60 | 87.91 |
| (iii) मुख्य उत्पादें | 1659.54 | 900.63 |
| (iv) उप उत्पादें | 34.20 | 19.21 |
| **उप–कुल** | **3399.18** | **1968.40** |
| तैयार माल की सूची और प्रगति पर कार्य में परिवर्तन | **-1430.78** | **144.78** |

**26. कर्मचारी हितलाभ व्यय** रु.लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| क) वेतन, मजदूरी एवं भत्ता | **3488.50** | **3732.48** |
| ख) भविष्यनिधि और अन्य निधियों के लिए कंपनी का योगदान | **349.29** | **371.26** |
| ग) समूह उपदान सह जीवन आश्वासन योजना के लिए प्रीमियम सहित उपदान भुगतान | **167.67** | **201.43** |
| घ) छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान | **279.77** | **266.09** |
| ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय | 5.51 | 16.94 |
| चिकित्सा सुविधाएं | 121.03 | 86.48 |
| कैंटीन और पोषण सुविधाएं | 262.63 | 258.94 |
| अन्य कल्याण व्यय | 33.13 | 49.72 |
| **उप–कुल** | **4713.96** | **6788.41** |
| स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति फायदा (वीआरएस एवं वीएसएस) | 45.51 | 0.00 |
| | **4759.47** | **6788.41** |

**27.वित्त लागत** रु.लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| **ब्याज:** | | |
| निश्चित ऋण (भारत सरकार) पर | 5097.70 | 5308.54 |
| अन्य ऋण पर | 9.02 | 0.00 |
| ब्याज – अन्य | 10.12 | 40.36 |
| | 5116.84 | 5348.90 |
| अन्य उधार लागत –बैंक प्रभार | 26.34 | 12.96 |
| **कुल वित्तीय लागत** | **5143.18** | **5361.86** |

**28. मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय** रु.लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| मूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास | 108.34 | 115.56 |
| अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन | 8.03 | 174.67 |
| **कुल** | **116.37** | **290.23** |

**29.अन्य व्यय** रु.लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| भंडार और पुर्जों की खपत | | |
| i) उत्प्रेरक और रसायन | 340.70 | 367.49 |
| ii) उपभोग भंडार | 359.66 | 275.02 |
| iii) पैकिंग सामग्री | 484.16 | 360.34 |
| | **1184.52** | **1002.85** |
| यूटिलिटीस: | | |
| ऊर्जा | 1692.82 | 1869.53 |
| ईंधन | 5989.18 | 5162.90 |
| जल | 219.29 | 214.52 |
| | **7901.29** | **7246.95** |
| मरम्मत एवं अनुरक्षण | | |
| भवन | 140.78 | 109.19 |
| संयंत्र और मशीनरी | 383.89 | 196.18 |
| अन्य परिसंपत्तियाँ | 134.69 | 163.41 |
| | **659.36** | **468.78** |
| प्रशासन व्यय : | | |
| भाड़ा | 78.14 | 23.75 |
| बीमा | 219.46 | 281.62 |
| दर और कर | 467.64 | 383.56 |
| परामर्श प्रभार | 104.06 | 72.00 |
| लेखापरीक्षकों को भुगतान: | | |
| सांविधिक लेखापरीक्षा के लिए | 6.45 | 7.25 |
| अन्य लेखापरीक्षा के लिए | 1.60 | 1.40 |
| व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए | 0.76 | 0.85 |
| अन्य व्यय : | | |
| टाउनशिप के लिए बिजली | 16.80 | 16.87 |
| टाउनशिप के लिए जल | 21.87 | 18.26 |
| सुरक्षा व्यय | 289.30 | 257.25 |
| विज्ञापन व्यय | 6.38 | 5.21 |
| वाहन व्यय का किराया | 24.48 | 23.82 |
| आस्तियों की बिक्री/निपटान में नुक्सान | 0.00 | 4.09 |
| विविध व्यय | 309.53 | 257.16 |
| निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व | 0.00 | 0.00 |
| | **1546.47** | **1353.09** |
| बिक्री और वितरण व्यय: | | |
| नकद छूट | 753.18 | 786.44 |
| अन्य बिक्री व्यय | 0.00 | 0.06 |
| | 753.18 | 786.50 |
| प्रावधान: | | |
| संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | 16.77 | 40.80 |
| वैधानिक दावों के लिए प्रावधान | 0.00 | 44.04 |
| दंडात्मक ब्याज के लिए प्रावधान | 675.00 | 675.00 |
| पहचान न की गयी आस्तियां के लिए प्रावधान | 2.61 | 16.79 |
| संदिग्ध प्राप्ति के लिए प्रावधान | 180.70 | 4.78 |
| कानूनी देयता प्रावधान | 269.00 | 0.00 |
| | 875.08 | 781.41 |
| **कुल** | **12919.90** | **11639.58** |

टिप्पणियाँ :

नियंत्रक कंपनी बहियों में

1. वर्ष 2020-21 के दौरान त्रुटि के कारण कर और दर की ओर 22.64 लाख रुपए की राशि कम प्रदान की गयी वैसे तो वर्ष 2020-21 के लिए तुलनात्मक राशि का इंड एएस-8 के अनुसार पुन: कथन किया गया।

   (क) पूर्व की अवधि की त्रुटि : कर और दर

   (ख) सुधार की राशि : 22.64 लाख रुपए

   (ग) प्रभावित वित्तीय लाइन मद : नोट सं: 29 (भाड़े प्रभार)

2. वर्ष 2019-20 के दौरान त्रुटि के कारण कर और दर की ओर 21.14 लाख रुपए की राशि कम प्रदान की गयी वैसे तो वर्ष 2019-20 के लिए तुलनात्मक राशि का इंड एएस-8 के अनुसार पुन: कथन किया गया।

   (क) पूर्व की अवधि की त्रुटि : कर और दर

   (ख) सुधार की राशि : 21.14 लाख रुपए

   (ग) प्रभावित वित्तीय लाइन मद : नोट सं: 29 (कर और दर)

3. वर्ष 2019-20 के दौरान त्रुटि के कारण भाड़े प्रभार की ओर 0.06 लाख रुपए की राशि अधिक प्रदान की गयी वैसे तो वर्ष 2019-20 के लिए तुलनात्मक राशि का प्रारम्भिक प्रतिधारित अर्जन में इंड एएस-8 के अनुसार पुन: कथन किया गया।

   (क) पूर्व की अवधि की त्रुटि : कर और दर

   (ख) सुधार की राशि : 0.06 लाख रुपए

   (ग) प्रभावित वित्तीय लाइन मद : नोट सं: 29 (कर और दर)

4. वर्ष 2020-21 के दौरान त्रुटि के कारण विविध व्यय की ओर 6.44 लाख रुपए की राशि कम प्रदान की गयी वैसे तो वर्ष 2020-21 के लिए तुलनात्मक राशि का इंड एएस-8 के अनुसार पुन: कथन किया गया।

   (क) पूर्व की अवधि की त्रुटि : विविध व्यय

   (ख) सुधार की राशि : 6.44 लाख रुपए

   (ग) प्रभावित वित्तीय लाइन मद : नोट सं: 29 ( विविध व्यय)

5. वर्ष 2019-20 के दौरान त्रुटि के कारण भाड़े प्रभार की ओर 3.73 लाख रुपए की राशि कम प्रदान की गयी वैसे तो वर्ष 2019-20 के लिए तुलनात्मक राशि का प्रारम्भिक प्रतिधारित अर्जन में इंड एएस-8 के अनुसार पुन: कथन किया गया।

   (क) पूर्व की अवधि की त्रुटि : विविध व्यय

   (ख) सुधार की राशि :3.73 लाख रुपए

   (ग) प्रभावित वित्तीय लाइन मद : नोट सं: 29 ( विविध व्यय)

**30 कर्मचारी हितलाभ योजना:**

**क छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान**

नियंत्रक कंपनी ने बीमांकिक मूल्य पर आधारित इंड एएस–19 और कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत छुट्टी नकदीकरण दावों की अप्रदत्त राशि के अनुसार 31 मार्च 2022 तक छुट्टी नकदीकरण के लिए 1217.87 लाख रुपए (पिछले वर्ष के लिए 1420.24 लाख रुपए) का प्रावधान किया है।

**ख. भविष्य निधि**

नियंत्रक कंपनी: कर्मचारियों को कंपनी द्वारा 30 जून 2018 तक प्रबंधित भविष्य निधि से लाभ मिलता है 1 जुलाई 2018 से कंपनी ने सभी कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में स्थानांतरित कर दिया और ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित किया गया है । कर्मचारी और नियोक्ता प्रत्येक कर्मचारी के वेतन / मजदूरी के 12% के बराबर भविष्य निधि / पेंशन राशि योजना में मासिक योगदान करते हैं ।

सहायक कंपनी: कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 17 के तहत भविष्य निधि को छूट दी गई है। छूट प्रदान करने की शर्तें निर्धारित करती हैं कि नियोक्ता ट्रस्ट द्वारा घोषित ब्याज दर की तुलना में वैधानिक दर में अच्छी कमी, यदि कोई हो, करेगा।

**ग. उपदान**

उपदान योजना उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के द्वारा शासित है और जिस कर्मचारी ने पांच साल की सेवा पूरी की है, वह उपदान के हकदार है और दिये गए लाभों का स्तर सदस्यों की सेवाकाल की अवधि और सेवानिवृत्ति की आयु में वेतन पर निर्भर है। कर्मचारी उपदान निधि योजना योजना, जो एक परिभाषित लाभ योजना है, को ट्रस्ट द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ बनायी गयी वार्षिक योजना के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। एलआईसी के साथ उपलब्ध शेष राशि 625.73 लाख रुपए (पिछले वर्ष 625.73 लाख रुपए है) और आईसीआईसीआई बैंक के साथ निवेश 0.25 लाख रुपए हैं (पिछले वर्ष शून्य है)।

सहायक कंपनी के मामले में उपलब्ध निधि की शेष राशि रु.4.73 लाख (पिछले वर्ष 4.73 लाख) है।

रसायनी इकाई और कोच्चि इकाई के कर्मचारियों को 31.03.2022 तक उपदान के सभी देय बकाया का भुगतान कर दिया गया है और आगे कोई बकाया नहीं है।

उपदान बीमांकिक मूल्यांकन का विवरण:

**1.योजना की धनराशि की स्थिति** — रु.लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| निधिपोषण नहीं किए गए दायित्व के वर्तमान मूल्य | 0.00 | 0.00 |
| निधिपोषित दायित्व के वर्तमान मूल्य | 2079.41 | 2423.48 |
| योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य | -1495.48 | -630.71 |
| निवल देयताएं(परिसंपत्ति) | 583.93 | 1792.77 |

**2क. चालू अवधि के लिए लाभ और हानि खाता** — रु.लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| चालू सेवा लागत | 79.88 | 83.45 |
| नियंत्रण और समायोजन पर विगत सेवा लागत और नुकसान /हानि | 0.00 | 0.00 |
| निवल ब्याज लागत | 98.95 | 152.28 |
| 'कर्मचारी हितलाभ व्यय' (पी एंड एल) में शामिल कुल | 178.83 | 235.73 |

**2ख. चालू अवधि के लिए अन्य समग्र आय** — रु.लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| दायित्व पर बीमांकिक वृद्धि/हानि के संघटक: | | |
| वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण | -77.19 | 68.22 |
| जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण | 0 | 0.00 |
| अनुभवी समायोजन के कारण | 57.58 | 24.8 |
| ब्याज आय में शामिल राशियों को छोडकर योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ | -17.19 | -12.94 |
| अन्य समग्र आय में स्वीकार राशियाँ | -36.80 | 80.08 |

**3. परिभाषित हितलाभ देयता का समाधान** — रु.लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| परिभाषित हितलाभ दायित्व का प्रारम्भ | 2423.48 | 3228.38 |
| दायित्व में /(बाहर) अंतरण | 0 | 0.00 |
| चालू सेवा लागत | 79.88 | 82.73 |
| ब्याज लागत | 122.27 | 152.28 |
| दायित्व पर बीमांकिक वृद्धि/हानि के संघटक: | 0 | 0 |
| वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण | -77.18 | 68.22 |
| जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण | 0 | 0 |
| अनुभवी समायोजन के कारण | 57.67 | 25.14 |
| विगत सेवा लागत | 0 | 0 |
| नियंत्रण पर हानि(लाभ) | 0 | 0 |
| समायोजन पर समाप्त देयताएं | 0 | 0 |
| क्रय के रूप में समामेलन में स्वीकृत देयताएं | 0 | 0 |
| विदेशी योजनाओं में विनिमय अंतर | 0 | 0 |
| भुगतान की गयी | -508.55 | -245.61 |
| **परिभाषित हितलाभ देयता का अंतिम** | **2097.57** | **3311.14** |

**4. योजना आस्तियों का समाधान** रु.लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| योजना आस्तियों का प्रारम्भिक मूल्य | 630.71 | 19.74 |
| योजना आस्तियों में (बाहर) अंतरण | 0 | 0 |
| निधि से कटौती किया गए व्यय | 0 | 0 |
| ब्याज आय | 23.32 | 0 |
| ब्याज आय में शामिल राशियों को छोडकर योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ | 17.2 | 12.94 |
| समायोजन पर वितरित परिसंपत्तियाँ | 0 | 0 |
| नियोक्ता द्वारा योगदान | 1298.15 | 1485.52 |
| क्रय के रूप में समामेलन में अर्जित आस्तियां | 0 | 0 |
| क्रय | 0 | 0 |
| विदेशी योजनाओं में विनिमय दर अंतर | 0 | 0 |
| प्रदत्त हितलाभ | -455.89 | -887.49 |
| योजना आस्तियों का अंतिम मूल्य | 1495.48 | 630.71 |

**5. निवल परिभाषित हितलाभ देयता का समाधान** रु. लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| दायित्व में/ (बाहर) अंतरण | 0 | 0 |
| योजना आस्तियों में (बाहर) अंतरण | 0 | 0 |
| अनुलग्नक 2 के अनुसार कर्मचारी हितलाभ व्यय | 167.66 | 201.43 |
| अन्य व्यापक आय में स्वीकृत राशियाँ | -40.99 | 31.1 |
| उप कुल | 1778.93 | 2495.58 |
| कंपनी द्वारा प्रदत्त हितलाभ | -52.66 | -245.62 |
| समायोजित हितलाभ (रसायनी यूनिट) | 0 | 0 |
| योजना आस्तियों में योगदान | -1280 | -597.7 |
| लेखा बहियों में अंतिम प्रावधान | 446.27 | 1652.26 |
| आस्तियों के उच्चतम का समाधान | | |
| आस्तियों के उच्चतम प्रारम्भिक मूल्य | 0 | 0 |
| आस्तियों के उच्चतम प्रारम्भिक मूल्य पर ब्याज | 0 | 0 |
| अधिशेष/ घाटा के कारण आस्तियों पर हानि/ वृद्धि | 0 | 0 |
| योजना आस्तियों का उच्चतम अंतिम मूल्य | 0 | 0 |

**6. योजना आस्तियों की संरचना** रु.लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| | % | % |
| भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ | 0 | 0 |
| राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ | 0 | 0 |
| उच्च गुणवत्ता निगमित बॉण्ड | 0 | 0 |
| सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर | 0 | 0 |
| संपत्ति | 0 | 0 |
| विशेष जमा योजना | 0 | 0 |
| बीमा पॉलिसी | 100 | 100 |
| बैंक शेष | 0 | 0 |
| अन्य निवेश | 0 | 0 |
| **कुल** | **100** | **100** |

**7. अनुसूची III के अनुसार देयता का विभाजन** रु.लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| चालू देयताएं | 65.83 | 77.30 |
| गैर–चालू देयताएँ | 380.42 | 1574.96 |
| निवल देयताएं | **446.25** | **1652.26** |

**8.प्रधान बीमांकिक अनुमान** रु.लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| बट्टा दर | 6.40% | 5.60% |
| वेतन वृद्धि दर | 7.00% | 7.00% |
| वापसी दर | छोटी उम्र में 3% वृद्धावस्ता में 1% कम करता है। | छोटी उम्र में 3% वृद्धावस्ता में 1% कम करता है। |
| योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ का दर | 5.60% | 5.60% |

**9.विगत सेवा देयता पर प्रत्याशित नकद प्रवाह**

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| | नकद प्रवाह रु. लाख में | वितरण (%) |
| वर्ष 1 नकद प्रवाह | 579.48 | 21.30% |
| वर्ष 2 नकद प्रवाह | 202.80 | 7.40% |
| वर्ष 3 नकद प्रवाह | 263.39 | 9.70% |
| वर्ष 4 नकद प्रवाह | 195.97 | 7.20% |
| वर्ष 5 नकद प्रवाह | 189.48 | 6.90% |
| वर्ष 6 से वर्ष 10 तक | 634.85 | 23.30% |
| योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ का दर | | |

उपर्युक्त नकद प्रवाह पर आने के लिए भविष्य प्रोद्भत का विचार नहीं किया गया।

अगले वर्ष के लिए प्रत्याशित योगदान 65.83 लाख रुपए है।

मूल्यन तिथि पर औसत बकाया दायित्व की अवधि (वर्षों) 4.56 वर्ष है।

**10.मुख्य अनुमानों पर संवेदनशीलता** रु.लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| बट्टा दर संवेदनशीलता | | |
| बढ़ता 0.5 % | 1891.72 | 2225.37 |
| (% परिवर्तन) | -2.33% | -2.32% |
| 0.5% द्वारा घटना | 1984.37 | 2333.87 |
| (% परिवर्तन) | 2.45% | 2.44% |
| वेतन वृद्धि दर संवेदनशीलता | | |
| बढ़ता 0.5 % | 1956.58 | 2303.18 |
| (% परिवर्तन) | 1.02% | 1.09% |
| 0.5% द्वारा घटना | 1916.53 | 2251.7 |
| (% परिवर्तन) | -1.05% | -1.16% |
| निकासी (डब्ल्यू आर) दर संवेदनशीलता | | |
| डब्ल्यू आर ड110% | 1939.82 | 2280.95 |
| (% परिवर्तन) | 15.00% | 0.12% |
| डब्ल्यू आर ड90% | 1933.97 | 2275.61 |
| (% परिवर्तन) | -15.00% | -0.12% |
| डब्ल्यू आर ड90% | 1933.97 | 2275.61 |
| (% परिवर्तन) | -15.00% | -0.12% |

संवेदनशीलता विश्लेषण और इसकी सीमाओं के लिए उपयोग की जानेवाली विधियों का विवरण: अन्य सभी मानकों को अपरिवर्तित रखते हुए संवेदनशीलता विश्लेषण एक एकल पैरामीटर को बदलकर किया जाता है।

संवेदनशीलता विश्लेषण अंतर्निहित मानकों के बीच अंतर–संबंध पर ध्यान केंद्रित करने में विफल रहता है। इसलिए, यदि दो या दो से अधिक परिणाम एक साथ बदल जाते हैं तो परिणाम अलग–अलग हो सकते हैं।

इस्तेमाल की गई विधि किसी भी पैरामीटर में परिवर्तन की संभावना और परिवर्तन की सीमा में यदि कोई हो तो, के बारे में कुछ भी सूचित नहीं करती है

**परिशिष्ट क: परिभाषित हितलाभ दायित्व का अलग–अलग विवरण** रु.लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| निहित | 1,933.41 | 2,269.01 |
| गैर –निहित | 3.46 | 9.23 |
| कुल | 1,936.87 | 2,278.24 |

**परिशिष्ट ख: परिभाषित हितलाभ दायित्व का अलग–अलग विवरण** रु.लाख में

| आयु (वर्ष में) | डीबीओ | |
|---|---|---|
| | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
| 25 से कम तक | - | - |
| 25 से 35 तक | 13.20 | 16.61 |
| 35 से 45 तक | 193.73 | 208.81 |
| 45 से 55 तक | 807.53 | 923.87 |
| 55 और उसके ऊपर | 922.41 | 1128.95 |
| निवृत्त कर्मचारियों के लिए प्रोद्भूत उपदान | - | - |
| कुल | 1936.87 | 2278.24 |

**परिशिष्ट ग: परिभाषित हितलाभ दायित्व की विगत सेवा वितरण** रु.लाख में

| आयु (वर्ष में) | डीबीओ | |
|---|---|---|
| | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
| 0 से 4 तक | 3.46 | 3.75 |
| 4 से10 तक | 65.08 | 61.17 |
| 10 से 15 तक | 162.12 | 165.53 |
| 15और उसके ऊपर | 1706.21 | 2047.79 |
| निवृत्त कर्मचारियों के लिए प्रोद्भूत उपदान | - | |
| कुल | 1936.87 | 2278.24 |

**योजना के लिए प्रमुख जोखिम**

**क. बीमांकिक जोखिम:**

यह जोखिम है कि लाभ अपेक्षा से अधिक खर्च होंगे। निम्नलिखित कारणों में से एक के कारण यह उत्पन्न हो सकता है:

**प्रतिकूल वेतन वृद्धि का अनुभव:**

वेतन वृद्धि जो अनुमानित वेतन वृद्धि से अधिक है, का परिणाम यह होगा कि प्रत्याशित से अधिक दर में दायित्व में वृद्धि होगी।

**मृत्यु दरों में परिवर्तनशीलता:**

यदि वास्तविक मृत्यु दर अनुमानित मृत्यु दर की धारणा से अधिक है तब प्रत्याशा से पहले उपदान लाभ का भुगतान किया जाना चाहिए। चूंकि मौत के लाभ पर निहित कोई शर्त नहीं है, इसलिए नकद प्रवाह की संवृद्धि अनुमानित वेतन वृद्धि के सापेक्ष मूल्यों और बट्टे दरों के आधार पर एक बीमांकिक हानि या लाभ में अग्रसर होगा । चूंकि मृत्यु लाभ पर निहित होने की कोई स्थिति नहीं है, इसलिए नकदी प्रवाह के त्वरण से अनुमानित वेतन वृद्धि और छूट दर के सापेक्ष मूल्यों के आधार पर एक असाधारण नुकसान या लाभ होगा।

**निकासी दरों में परिवर्तनशीलता:**

यदि वास्तविक निकासी दर प्रत्यावर्तन दर धारणा से अधिक है, तो उपदान लाभ पूर्व की अपेक्षा भुगतान किया जाएगा। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि इस्तीफे की तारीख में क्या लाभ निहित हैं।

**ख.निवेश जोखिम**

निधि योजनाओं जो संपत्तियों के प्रबंधन के लिए बीमा कंपनियों पर भरोसा करते हैं, के लिए बीमाकर्ताओं द्वारा प्रमाणित संपत्तियों का मूल्यदेयता का समर्थन करने वाले लिखत का उचित मूल्य नहीं हो सकता है। ऐसे मामलों में, संपत्ति का वर्तमान मूल्य भविष्य की छूट दर से स्वतंत्र है। इसके परिणामस्वरूप शुद्ध देयता या वित्त पोषित में यदि अंतर–मूल्यांकन अवधि के दौरान छूट दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की स्थिति पर व्यापक उतार–चढ़ाव हो सकता है।

**ग. चलनिधि जोखिम**

कर्मचारी जो उच्च वेतन और लंबी सेवा काल या पदानुक्रम में उच्च है, हितलाभों के महत्वपूर्ण स्तर संचित करते हैं। अगर ऐसे कुछ कर्मचारियों ने कंपनियों से इस्तीफा दे दिया / सेवानिवृत्त हुए तो नकद प्रवाह पर तनाव हो सकता है।

**घ. बाज़ार जोखिम:**

बाज़ार जोखिम उन जोखिमों के लिए एक सामूहिक शब्द है जो वित्तीय बाज़ार में परिवर्तन और उतार–चढ़ाव से संबंधित हैं। एक बीमांकिक अनुमान को बट्टे दर पर भौतिक प्रभाव है। बट्टे दर पैसे के मूल्य का समय दर्शाती है। बट्टे दर में वृद्धि योजना के लाभ के परिभाषित हितलाभ दायित्वों में कमी की ओर और उसके विलोम ले जाती है। यह अनुमान कॉर्पोरेट / सरकारी बॉन्ड पर प्रतिलाभ पर निर्भर करती है और इसलिए देयता का मूल्यांकन मूल्यन तिथि को प्रतिलभों की उपज पर उजागर होता है।

**ङ.विधायी जोखिम:**

विधायी जोखिम यह है कि वैधानिक/ विनियामक में परिवर्तन के कारण योजना देयताओं में वृद्धि या योजना परिसंपत्तियों में कमी का जोखिम है। सरकार उपदान अधिनियम के भुगतान में संशोधन कर सकती है जिसके फलस्वरूप कंपनियों को कर्मचारियों के लिए उच्च हितलाभ के भुगतान करने की अवश्यकता है। यह सीधे परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य को प्रभावित करेगा और उक्त को जब किसी ऐसे संशोधन लागू होने पर वर्ष में तत्काल स्वीकार किया जाना होगा ।

मूल्यांकन में उपयोग किए गए अनुमानों का सारांश निम्नानुसार है:

**वित्तीय अनुमान**

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| बट्टा दर | 6.40% प्र.व | 5.60% प्र.व |
| वेतन वृद्धि दर | 7.00% प्र.व | 7.00% प्र.व |
| योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ दर | 6.40% प्र.व | 5.60% प्र.व |
| डेमोग्राफिक अनुमान | | |

**निकासी दर प्र.व (तालिका 10)**

| आयु बैंड | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| 25 और कम | 3.00% | 3.00% |
| 25 से 35 | 2.50% | 2.50% |
| 35 से 45 | 2.00% | 2.00% |
| 45 से 55 | 1.50% | 1.50% |
| 55 और ऊपर | 1.00% | 1.00% |

**मृत्यु दर**

भारतीय सुनिश्चित जीवनकाल मृत्यु प्रतिवर्ष का नमूना (2012–14) तालिका 11

| आयु (वर्ष में) | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| 20 | 0.09% | 0.09% |
| 30 | 0.10% | 0.10% |
| 40 | 0.17% | 0.17% |
| 50 | 0.44% | 0.44% |
| 60 | 1.12% | 1.12% |

मूल्यांकन तरीका

बीमांकिक ने परिभाषित हितलाभ दायित्व के मूल्यांकन के लिए निश्चित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)

**31 परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण**

क) मूलरूप से कंपनी के रसायनी इकाई में 1012.355 एकड़ भूमि थी (राजस्व रिकर्ड के अनुसार)। उक्त भूमि में से 251 एकड़ बीपीसीएल को और 20 एकड़ आईएसआरओ को वर्ष 2017–18 के दौरान बेची गई। वर्ष 2018–19 में बीपीसीएल को 38.687 एकड़ जमीन बेची गई। वर्ष 2019–20 में 85.27 एकड़ जमीन बीपीसीएल और 0.386 एकड़ भूमि आईओसीएल (पेट्रोल पम्प का क्षेत्र) को बेच दिया। शेष उक्त भूमि में से 65.840 एकड़ में 22.717 एकड़ जमीन अतिक्रमण के अधीन पहचान की गई, 32.547 एकड़ जमीन एमआईडीसी,एमएसईबी, एचआईएल, एमईएस आदि के अधीन है, 10.576 एकड़ सार्वजनिक सड़क है, इसीलिए शून्य मूल्य माना गया है। उक्त अतिक्रमण का निर्धारण सर्वश्री जियोटक कंपनी द्वारा किए गए उनकी 24 अप्रैल 2019 की सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। शेष 551.172 (पिछले वर्ष 551.172 एकड़) एकड़ भूमि का पुन: मूल्यन तैयार किए गए रेकनर रेट या बीपीसीएल को 832.95 (पिछले वर्ष 832.95 करोड़ रुपए) करोड़ रुपए की सहमत दर पर बेचने पर किया गया है।

ख) नगरपालिका आयुक्त, पनवेल से सर्वेक्षण नं 738 की भूखंड संख्या 11 और 12 के वास्तविक क्षेत्रफल के संबंध में प्राप्त सूचना के अनुसार एक सार्वजनिक मार्ग से इसके अंतर से है, और इस तरह बिक्री के लिए उपलब्ध पनवेल भूमि का कुल क्षेत्रफल 8 एकड़ से कम हो कर 7.09 एकड़ हो गया है। तदनुसार आरक्षित मूल्य (उचित मूल्य) रु 158 करोड़ हो गया है। आगे एचओसीएल ने भूमि की बिक्री के लिए महाराष्ट्र सरकार से एनओसी के लिए आवेदन किया है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

ग) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन योजना 22 मई 2017 के अनुसार कंपनी ने रसायनी इकाई को बंद कर दिया है। संयंत्र और स्क्रैप उपकरणों का निपटान कर दिया गया है। रसायनी के भारमुक्त भूमि की एनबीसीसी और पनवेल की भूमि ई नीलामी के माध्यम से करने का कार्य प्रगति पर है। कोची के फिनोल संयंत्र का प्रचालन चालू है।

**32 निवेश**

क) कंपनी की सहायक कंपनी सर्वश्री हिंदुस्तान फ्लुरोकारबनस लिमिटेड के शेयर इक्विटी के रूप में 1106.00 लाख रुपए (पिछले वर्ष का 1106.00 लाख रुपए) का निवेश है। एचएफएल जो 1994 से बीआईएफआर के अधीन है। कंपनी का अद्यतन 31 मार्च, 2022 के लेखापरीक्षित तुलनपत्र के आधार पर निवल मूल्य नकारात्मक है। 31.03.2022 को शेयरों का बाज़ार मूल्य (अंकित मूल्य 10 रुपए) 9.57 (पिछले वर्ष 7.54 लाख रुपए)। 47.56 लाख (पिछले वर्ष 272.08 लाख रुपए) के इन निवेशों के मूल्य में कमी की दिशा में चालू वर्ष के दौरान बही में प्रावधान किया गया है। भारत सरकार ने 29.01.2020 के सीसीईए के निर्णय के अनुसार सर्वश्री एचएफएल को बंद करने का निर्णय लिया है। वीआरएस व्यय और बैंक और आपूर्तिकर्ताओं को देय राशि देने के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में भारत सरकार द्वारा 75.87 (26.05.2020 को 73.70 करोड़ रुपए और 15.03.2022 को 2.17 करोड़ रुपए) करोड़ रुपए की राशि निर्गत किया गया है।

ख) वर्ष 2007–08 के दौरान, सहायक कंपनी सर्वश्री हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड (एचएफएल) के पुनरुद्धार के लिए संशोधित प्रारूप पुनर्वास योजना (एमडीआरएस) के कार्यान्वयन के लिए बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित किया गया था। एमडीआरएस के कार्यान्वयन के रूप में, एचओसीएल ने एचएफएल को दिए गए ऋण पर जमा हुए 2260.26 लाख रुपये का ब्याज माफ कर दिया था और 2744.07 लाख रुपए के असुरक्षित ऋण को जीरो कूपन लोन (इसेजसीएल) के रूप में बदलकर सुरक्षित किया जो एचएफएल ने एचओसीएल के पक्ष में अचल संपत्ति (सरकार की दर के अनुसार 2035.26 लाख रुपए मूल्य के 84.31 एकड़ भूमि) का प्रथम चार्ज किया है। यह ऋण 2010–11 से शुरू होने वाली 7 समान वार्षिक किस्तों में देय था, जो रु.2744.07 (पिछले वर्षें.2744.07) के बराबर है, जो पूर्ण देय और भुगतान योग्य था, इसके अलावा, कंपनी ने एचएफएल को 453.01 लाख रुपए (पिछले वर्ष रुपये 453.01) को 10.25% से 14.50% जो पूर्ण में देय हो गया है। एचएफएल की अचल संपत्ति पर यह ऋण सुरक्षित है। 31 मार्च, 2021 तक सुरक्षा में ब्याज सहित 2122.34 लाख रुपये तक की कमी का प्रावधान किया गया है। पेशेवर योग्यता वाले बाहरी पंजीकृत स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षित संपत्ति का मूल्य आज की तारीख में 10196.76 लाख रुपए है। अत: दिनांक 31.03.2022 को बही में उपलब्ध कराए गए 2122.35 लाख रुपये के प्रावधन रिवेर्स दिया जाता है।

ग) कंपनी ने 16.10.2006 को मेसेर्स महात्मा एजुकेशन सोसाइटी (एमईएस) को 30 साल की अवधि के लिए स्कूल प्रबंधन सुविधाओं को पट्टे पर देने के लिए एक समझौता किया है। पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एमईएस के प्रबंधन ने समझौते की शर्तों के उल्लंघन में परिसर में नई इमारतों और सुविधाओं का निर्माण किया है। कंपनी ने मेसेर्स एमईएस के समझौते के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट अलीबाग को समाप्ति के लिए एक नोटिस भेजा है। एमईएस ने एचओसीएल और एमईएस के विवाद में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जिला न्यायालय ने एमईएस की मध्यस्थता याचिका के अंतिम निपटान को लंबित रहने दिया है। कंपनी ने जिला न्यायालय द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय में दिए गए स्टे को खाली करने के लिए एक याचिका दायर की है।

**33 प्रति शेयर अर्जन** रु.लाख में

| गणना की गयी प्रतिशेयर अर्जन निम्नानुसार है: | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| कर पश्चात् निवल लाभ/(हानि) (रुपए लाख में) | -2937.34 | -828.71 |
| इक्विटी शेयरों का भारित औसत संख्या (रुपए लाख में) | 67173100 | 67173100 |
| प्रति इक्विटी शेयर का नाममात्र मूल्य (रुपए) | 10 | 10 |
| प्रति इक्विटी शेयर अर्जन मूल/मिश्रित ( रु.) | -4.37 | -1.23 |

**34 सेगमेंट रिपोर्टिंग**

चूंकि कंपनी केवल रसायन का निर्माण कर रही है, इसलिए रिपोर्ट करने योग्य कोई अलग प्राथमिक और माध्यमिक खंड नहीं हैं और कंपनी द्वारा उत्पादित सभी रसायनों को एकल रिपोर्ट योग्य सेगमेंट का प्रतिनिधित्व के रूप में विचार किया जाता है। खंडीय परिणामों के प्रकटीकरण के संबंध में भारतीय लेखा मानक 108 की आवश्यकताओं को कंपनी के लिए लागू नहीं माना जाता है।

**35 शेष राशि की पुष्टि**

व्यापार प्राप्य के शेष,व्यापार देय, ऋण, अग्रिमों, अन्य चालू आस्तियां और उधार पुष्टि/ समाधान और अनुवर्ती समायोजनों के अधीन है बशर्ते उन मामलों जहां पुष्टि प्राप्त की गयी है।

**36 आकस्मिक देयताएँ और प्रतिबद्धताएं** रु.लाख में

| i) आकस्मिक देयताएं | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| क)कंपनी के विरुद्ध दावा जिसे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है: | | |
| i) आयकर दावा | 91.99 | 492.49 |
| ii) उत्पाद शुल्क/सेवाकर | 104.63 | 104.63 |
| iii) स्कूल शिक्षकों के लिए उपदान | 75.31 | 75.31 |
| iv) अन्य दावे (पीएंडए - कानूनी मामले) | 286.36 | 286.36 |
| v) हरिचंद हाउस का किराया दावे | 5949.98 | 5863.85 |
| vi) जेएनपीटी पट्टा किराया | 2974.52 | 2974.52 |
| vii) ब्याज सहित भविष्य निधि के भुगतान पर क्षति | 94.89 | 94.89 |
| viii) सरकार ऋण पर दंडस्वरूप ब्याज | 7119.24 | 5940.71 |
| ix) सरकार ऋण पर ब्याज के ऊपर ब्याज | 40113.98 | 32981.28 |
| उपकुल | 56810.90 | 48814.04 |
| ख) बैंक द्वारा दी गई बैंक गैरंटी | 116.69 | 164.57 |
| II) प्रतिबद्धताएँ: | | |
| पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले अनुबंधों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रदान नहीं की गई: | 36.27 | 88.63 |

**क) कंपनी के विरुद्ध दावे जिसे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:**

**ii) आयकर दावे: 91.99 लाख रुपए**

आकलन वर्ष के विभिन्न अपीलें अधिकारियों के सक्षम लंबित हें यानि आईटीएटी, उच्च न्यायालय और अन्य फॉरम। कंपनी सुनवाई का इंतज़ार कर रही है, विवरण इस प्रकार है आ.व. 2002-03 रु. 70.49 लाख और आ.व. 2011-12 रु.21.50 लाख.

उपरोक्त निर्धारण विविध अपील प्राधिकरणों के अधीन हैं। कंपनी ने ऋणों और ब्याज/जुर्माना को स्वीकार नहीं किया जिसकी उगाई उन दावे पर होसकता है जो अनिश्चित है।

**ii) उत्पाद शुल्क/सेवा कर**

कंपनी का केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों के साथ 2006-07 की अवधि से संबन्धित विवाद चल रहा है, जिसकी राशि रु. 104.63 लाख कंपनी ने विभिन्न न्यायाधिकरणों में अपील दायर की है।

उपरोक्त निर्धारण विविध अपील प्राधिकरणों के अधीन हैं। कंपनी ने ऋणों और ब्याज/जुर्माना को स्वीकार नहीं किया जिसकी उगाई उन दावे पर होसकता है जो अनिश्चित है।

**iii) स्कूल अध्यापकों के लिए उपदान**

एचओसी रसायनी स्कूल के अध्यापक गण द्वारा मार्च 1997 तक की अवधि के लिए दायर मामला, बॉम्बे हाई कोर्ट (रु.75.31 लाख) के समक्ष लंबित है

**iv) अन्य दावे (पीएण्डए-कानूनी मामले): 286.36 लाख रुपए**

क) मैक ट्रिब्यूनल द्वारा पारित पुरस्कार के खिलाफ कंपनी द्वारा मुकदमा दायर किया गया, त्रिचूर 1994 में फिनोल टैंकर दुर्घटना के संबंध में (रु.118 लाख)

ख) ईएसआई कॉर्पोरेशन ने 01.04.1992 से 31.10.1992 तक की अवधि के दौरान योगदान की मांग की है, जो कि रु .2.17 लाख है। मामला ईएसआई कोर्ट, एर्नाकुलम के पास लंबित है, ईएसआई कोर्ट द्वारा वांछित हमने ईएसआई अधिनियम से छूट के लिए सरकार को आवेदन दिया था। भारत की, इसलिए कोई दायित्व नहीं बनता है और उस विस्तार के लिए एक आकस्मिक देयता प्रदान की जाती है।

ग) कंपनी ने पीयू सिस्टम हाउस प्रोजेक्ट के "प्लांट बिल्डिंग, टेक्निकल सर्विस बिल्डिंग, आर एंड डी बिल्डिंग आदि के निर्माण के लिए सिविल और स्ट्रक्चरल कार्यों के निर्माण कार्य के लिए खुली निविदा आमंत्रित की थी। कंपनी ने मेसर्स शेतुषा इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (एसईसीपीएल)को कार्य आदेश जारी किया था। देरी और पूर्णता में अन्य कमियों के कारण, कंपनी ने परिसमाप्त नुकसान की कटौती की थी। एसईसीपीएल ने उक्त कटौतियों पर आपत्ति जताई और माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई के समक्ष एक मध्यस्थता आवेदन दायर किया। बाद में मेसर्स एसईसीपीएल ने अदालत से उक्त मध्यस्थता आवेदन को बिना शर्त वापस ले लिया था। इसके अलावा, मैसर्स एसईसीपीएल ने कंपनी के खिलाफ 113.35 लाख रुपये के ब्याज सहित भुगतान के लिए कंपनी के खिलाफ डिक्री पारित करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई के समक्ष मुकदमा दायर किया था।

घ) कंपनी ने सर्वश्री वखारिया कंस्ट्रक्षण कंपनी,मुंबई(वीसीसी) जिसे सिविल अनुबंधों के रूप में ठेके कार्य आबंटित किया गया, द्वारा दिए गए निष्पादन गारंटी को हटा दिया है, क्योंकि वे कार्य आदेश की शर्तों के अनुसार अनुबंध कार्य पूरे नहीं किए गए थे। प्रस्तुत मामला मध्यस्था के लिए भेजा गया था और बाद में उच्च न्यायालय में गया। अदालत ने कंपनी को 12 लाख रुपए जमा करने का आदेश दिया और सर्वश्री वीसीसी को बैंक गारंटी जमा करने पर राशि निकालने की अनुमति दी। उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपील खारिज कर दी गयी। अब सर्वश्री वीसीसी ने बैंक के लिए भुगतान किए गए बैंक गारंटी कमीशन की मांग की और 18ङ की दर से ब्याज दिया क्योंकि वीसीसी के पक्ष में ट्राइल कोर्ट द्वारा पारित धन डिक्री को कंपनी द्वारा सिविल आवेदन दाखिल करने के कारण रोख दिया गया था। इस पर अनुमानित देयता 39.38 लाख रुपए हैं और मामला न्यायालय के समक्ष लंबित है और तदनुसार आकस्मिक देयताओं के तहत दिखाया गया है।

**v) हरचंदराय हाउस से भाड़ा दावे 5949.98 लाख रुपए:**

जैसे कि कंपनी ने सर्वश्री हरचंदराई एंड संस से लीज पर लिए गए कार्यालय परिसर को खाली नहीं किया है,उनके नोटिस के अनुसार उन्होने कानूनी कार्यवाही शुरु की और लीज रेंट लेना बंद किया। कंपनी ने वर्ष 2014 के दौरान कार्यालय परिसर को खाली कर दिया। कार्यालय परिसर खाली करने तक मकान मालिक द्वारा अस्वीकृत 580.80 लाख रुपए की राशि बही में प्रदान की गयी। मकान मालिकों ने 1.6.2000 से उक्त परिसर के कब्जे तक की अवधि ले लिए मेसनी लाभ के लिए स्माल कौसेस कोर्ट, मुंबई के समक्ष मेसने प्रोफिट अर्जी दायर की। मेसर्स हरचंद्रई एंड संस द्वारा दायर मासिक लाभ (मेसने प्रोफिट) आवेदन को कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज, मुंबई द्वारा 02.05.2022 को अनुमति दी गई है, जिसमें कंपनी को 01/06/2000 से 31/12/2006 तक की अवधि के लिए मेसने लाभ ॅ 138/– प्रति वर्ग फुट और बाद की अवधि के लिए ॅ 274/– प्रति वर्ग फुट को ब्याज ॅ 9% प्रति वर्ष के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। स्मॉल कॉज कोर्ट, मुंबई के आदेश के अनुसार 01/06/2000 से 31/03/2014 की अवधि के लिए मेसने लाभ के लिए कुल राशि और उस पर ब्याज 6713.75 लाख रुपये बनता है। एचओसीएल द्वारा नियुक्त मूल्यांकक ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और औसत दर 48.91 रुपये प्रति वर्ग फुट पर आंकी गई है जिसे पर स्मॉल कॉज कोर्ट, मुंबई द्वारा विचार/स्वीकार नहीं किया गया है। कानूनी राय के अनुसार, कंपनी आदेश के खिलाफ अपील दायर कर रही है और कंपनी की राय है कि एचओसीएल मूल्यांकक द्वारा प्रति वर्ग फुट ॅ रु.48.91 के मेस्ने लाभ की रिपोर्ट के अनुसार गणना की गई राशि के अलावा अन्य मांग के क्रिस्टलीकरण में अनिश्चितता है। एचओसीएल मूल्यांकक द्वारा प्रति वर्ग फुट ॅ रु.48.91 के मेस्ने लाभ की रिपोर्ट के आधार पर गणना की गई राशि रु.763.78 लाख है, जिसमें से रु.593.97 लाख की राशि वर्ष 2021–22 के लिए खातों की बहियों में पहले ही प्रदान की जा चुकी है। इसलिए 31.03.2022 तक 169.81 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। 5949.98 लाख (6713.76–763.78) की अंतर राशि को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।

**vi) जेएनपीटी पट्टे भाड़े: 2974.52 लाख रुपए**

कंपनी ने कंपनी को आबंटित जमीन पर ''जहां है जैसा है'' के आधार पर कंपनी के सम्पत्तियों के साथ लाज आधार पर लिक्वीड टैंक फार्म स्थापित करने के लिए सौंपने के लिए जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। जेएनपीटी ने लीज रेंटल और अन्य शुल्कों के लिए 4124 लाख रुपए की मांग की। कंपनी ने मध्यस्थ कार्य शूरू की और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कंपनी के पक्ष में निर्णय लिया है। एमओयू के अनुसार कंपनी की संपत्ति 1638.50 लाख रुपए है और उसी पर सहमति बनी है। कंपनी द्वारा जेएनपीटी को देय लीज़ रेंट की निर्विवाद राशि की गणना मध्यस्तों के आधार पर पार्टियों के बीच आपसी समझ के आधार पर की गयी है जो 805.13 लाख रुपए, जल प्रभार 0.65 लाख रुपए,वय लीव प्रभार 297.09 लाख रुपए और वय लीव प्रभार का सेवा प्रभार 46.61 लाख रुपए हैं। कंपनी ने आकस्मिक देयता के रूप में भुगतान की गयी अविवादित लीज़ रेंटल को समायोजित करने के बाद जेएनपीटी की मांग की शेष राशि को दिखाया है क्योंकि मध्यस्था निर्णयों के खिलाफ दायर अपील उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है और कंपनी की राय है कि इसमें कोई प्रावधान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मुक्क्दमेबाजी के इस स्तर पर मांग के क्रिस्टलीकरण में अनिश्चितता है। टँक के पंजीकरण और अंतरण करने का कार्य लंबित है।

**vii) ब्याज के साथ पीएफ के विलंबित भुगतान पर नुकसान (सहायक कंपनी): रु.94.89 लाख**

2000 से 2011 तक ब्याज के साथ भविष्य निधि के विलंबित भुगतान पर नुकसान। 14.05.2014 को आवेदन दायर की, लंबित मामलों के कारण, अधिनियम के तहत वैधानिक प्रावधानों के कारण मामले तक नहीं पहुंचा जा सका। भारत सरकार ने बीआईएफआर के पास लंबित मामलों की सुनवाई के लिए गठित नहीं किया है।

**viii) सरकार ऋण 7119.24 लाख रुपए पर उच्च दर का ब्याज और सरकारी ऋण 40113.98 लाख रुपए पर चूक ब्याज पर ब्याज**

कंपनी को दिये गए ऋण के संबंध में ब्याज की दर बढ़ाने का अधिकार सरकार के पास है, यदि नियत तारीख पर मूलधन की चुकौती के मामले में और देय ब्याज के भुगतान में से किसी प्रकार के चूक होने पर ब्याज दर वसूल की जाती है। चूंकि मूलऋण के भुगतान के साथ साथ ब्याज के भुगतान में भी चूक हुई है, कंपनी ने अनुमान किया है कि मूलधन पर ब्याज और बकाया ब्याज पर ब्याज उच्च दर की मांग की जा सकती है। अतिरिक्त ब्याज देयता की गणना की और आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है। भारत सरकार द्वारा दी गयी शेष राशि की पुष्टि के अनुसार,उच्च दर पर ब्याज और बकाया ब्याज पर ब्याज शामिल नहीं किया गया है।

ix) नियमित और सेवा निवृत्त कर्मचारियों से संबंधित श्रम मामलों के लिए कंपनी के खिलाफ दायर कानूनी मामलों के संबंध में दावों की राशि और ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया है/निर्धारित नहीं किया जा सकता है

x) मेसेर्स रॉकवेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सहायक कंपनी के खिलाफ 269.00 लाख रुपये से अधिक ब्याज का मामला दायर किया है और तेलंगाना के माननीय उच्च न्यायालय ने सहायक कंपनी की संपत्ति के निपटान पर रोक लगा दी है एमएस। रॉकवेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सहायक कंपनी के खिलाफ 269.00 लाख रुपये से अधिक ब्याज का मामला दायर किया है और तेलंगाना के माननीय उच्च न्यायालय ने सहायक कंपनी की संपत्ति के निपटान पर रोक लगा दी है।

क) बैंक गारंटी जारी किए गए 116.69 लाख रुपए

नियंत्रक कंपनी ने केरल राज्य विद्युत बोर्ड को रु.101 लाख, बीपीसीएल को 3500 लाख रुपए, ओएमपीएल गेल को 1000 लाख रुपए,गेल रु.870 लाख और अन्य को 1.19 लाख रुपए का बैंक गारंटी प्रस्तुत किया है। कंपनी उपरोक्त के संदर्भ में किसी भी रिसोर्स की प्राप्ति की उम्मीद नहीं करती है। बैंक गारंटी के विरुद्ध आकस्मिक देयता और प्रतिबद्धता केवल केएसईबी को दिये गए 101 लाख रुपए और अन्य को दिये गए 1.19 लाख रुपए को दिखाया गया है।

**II) पूंजी लेखे पर निष्पादित करने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि और प्रदान नहीं की गयी: 23.49 लाख रुपए**

रुपए लाख में

| निम्नलिखित संविदाओं के लिए जारी कार्य आदेश | 2021-22 | 2020-21 |
|---|---|---|
| क) टैलि कार्यान्वयन (शेष राशि) | | 13.18 |
| ख)फिनोल प्लांट के लिए 2x15 केवीए यूपीएस | 21.61 | 21.61 |
| ग)टाउनशिप के लिए जल आपूर्ति लाइन बिछाना | | 9.75 |
| घ) संबंधित प्राधिकारों से सड़क काटने की अनुमति के लिए पुन; बहाल प्रभार/लाइसेन्स शुल्क /निष्पादन गारंटी | 14.66 | 14.66 |
| ङ) 60 टन तुला चौकी | | 18.05 |
| च) ईपीएपीएक्स सिस्टेम | | 5.23 |
| छ) 132 कि वाट एफ़एलपी मोटर | | 6.16 |
| कुल | | 88.64 |

**37 इंड एएस 8 के अनुसार त्रुटि या चूक संबंधी प्रकटन**

वर्ष 2020–21 के दौरान त्रुटि के कारण निम्नलिखित व्यय / आय को गलत तरीके से लेखा किया गया था। वर्ष 2020–21 के वित्तीय विवरण में तुलनात्मक व्यय/ आय को त्रुटियों को ठीक करने के लिए पुन; प्रतिपादन किया गया हे। वित्तीय विवरण पर पुन: प्रतिपादन का प्रभाव नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

रु.लाख में

| विवरण | 31.03.2022 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| अन्य आय में वृद्धि (संदर्भ टिप्पणी 23) | 33.72 | 5.04 |
| अन्य खर्चों में वृद्धि (संदर्भ टिप्पणी 29) | (6.44) | (1.33) |
| अन्य आय में कमीकमी (संदर्भ टिप्पणी 29) | 22.64 | - |
| कुल | 49.92 | 3.71 |
| आयकर देयता | | |
| इक्विटी में (वृद्धि)/कमी | 49.91 | 3.71 |
| प्रति शेयर अर्जन में (वृद्धि)/कमी | 0.07 | 0.01 |
| मिश्रित प्रति शेयर अर्जन में (वृद्धि)/कमी | 0.07 | 0.01 |

1. वर्ष 2020–21 से संबंधित 5.04 लाख रुपये के विविध आय को गलती के कारण लेखांकन किया गया,वैसे ही 01.04.2021 को अथ प्रतिधारित अर्जन में तुलनात्मक राशि का पुन: प्रतिपादित किया गया।
   (क) पूर्व की अवधि की त्रुटि : विविध आय
   (ख) सुधार की राशि 5.04 लाख रुपए
   (ग) प्रभावित वित्तीय लाइन मद : नोट सं:23 (विविध आय)
2. वर्ष 2019–20 से संबंधित छुट्टी नकदीकरण के 12.66 लाख रुपए के विविध आय को गलती के कारण लेखांकन किया गया,वैसे ही 01.04.2021 को तुलनात्मक राशि का अथ प्रतिधारित अर्जन में पुन: प्रतिपादित किया गया।
   (क) पूर्व की अवधि की त्रुटि : छुट्टी नकदीकरण
   (ख) सुधार की राशि : 12.66 लाख रुपए
   (ग) प्रभावित वित्तीय लाइन मद : नोट सं:26 (कर्मचारी हितलाभ व्यय )
3. वर्ष 2019–20 के दौरान दर और कर की ओर 21.14 लाख की राशि त्रुटि के कारण अधिक प्रदान की गयी वैसे ही 2019–20 के लिए तुलनात्मक राशि का अथ प्रतिधारित अर्जन में इंड एएस 8 के अनुसार पुन: प्रतिपादित किया गया।
   (क) पूर्व की अवधि की त्रुटि :दर और कर
   (ख) सुधार की राशि :21.14 लाख रुपए
   (ग) प्रभावित वित्तीय लाइन मद : नोट सं:29 (दर और कर )
4. वर्ष 2019–20 के दौरान भाड़े प्रभार की ओर 0.06 लाख रुपए की राशि त्रुटि के कारण अधिक प्रदान की गयी वैसे ही 2019–20 के लिए तुलनात्मक राशि का अथ प्रतिधारित अर्जन में इंड एएस 8 के अनुसार पुन: प्रतिपादित किया गया।
   (क) पूर्व की अवधि की त्रुटि : भाड़े प्रभार
   (ख) सुधार की राशि : 0.06 लाख रुपए
   (ग) प्रभावित वित्तीय लाइन मद : नोट सं: 29 (भाडे प्रभार)
5. वर्ष 2019–20 के दौरान भाड़े प्रभार की ओर 3.73 लाख रुपए की राशि त्रुटि के कारण कम प्रदान की गयी वैसे ही 2019–20 के लिए तुलनात्मक राशि का अथ प्रतिधारित अर्जन में इंड एएस 8 के अनुसार पुन: प्रतिपादित किया गया।
   (क) पूर्व की अवधि की त्रुटि : विविध आय
   (ख) सुधार की राशि : 3.73 लाख रुपए
   (ग) प्रभावित वित्तीय लाइन मद : नोट सं:29 (विविध आय)

रु.लाख में

| | |
|---|---|
| 01.04.2021 को अथ प्रतिधारित अर्जन | (99,497.02) |
| जोडे:अन्य आय में वृद्धि (नोट सं.23) | 5.04 |
| घटाएँ : छुट्टी नकदीकरण में वृद्धि ( नोट सं.26) | -12.66 |
| जोडे: दर और कर (नोट.29) | 21.14 |
| जोडे: भाड़े प्रभार में कमी ( नोट सं.29) | 0.06 |
| घटाएँ : भाड़े प्रभार में वृद्धि (नोट सं.29) | -3.73 |
| 01.04.2020 को प्रतिधारित अर्जन में पुन: प्रतिपादित | (99,487.17) |

**38 इंड एएस 24 के अनुसार संबंधी पार्टी प्रकटन**

चूंकि भारत सरकार कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी रसायन और उर्वरक मंत्रालय, (रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में) के 58.78% का मालिक है। इसलिए सरकार और अन्य सरकारी नियंत्रित संस्थाओं के साथ लेन–देन से संबन्धित खुलासे के अनुसार पैरा 26 के साथ इंड 24 सूचित किया गया है।

संबन्धित पक्षों की सूची जहां नियंत्रण मौजूद है और संबन्धित पक्ष जिनके साथ लेन–देन हुआ है और संबंध है।

रु.लाख में

| क्रम संख्या | संबंधित पार्टी के संबंध का नाम | संबंध | लेन-देन का विवरण | वर्ष 2020-21 के दौरान लेन-देन की राशि | वर्ष के अंत में बकाया राशि (31.03.2022) | वर्ष 2020-21 के दौरान लेन-देन की राशि | वर्ष के अंत में बकाया राशि (31.03.2021) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हिंदुस्तान फ्लुरोंकार्बन लि (एचएफएल) | सहायक कंपनी के साथ 56.43% शेयर होल्डिंग | एच एफ एल को दिए गए ऋण पर ब्याज | 63.62 | 4214.87 | 63.62 | 4157.60 |
| 2क | भारत पेट्रॉलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड | भारत सरकार द्वारा नियंत्रित | कच्चे सामग्रियों की खरीदी (एलपीजी, बेंज़ीन, एफओ, एच2 एवं एलएनजी) | 22883.56 | 3051.35 | 21389.53 | 945.93 |
| 2ख | भारत पेट्रॉलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड | भारत सरकार द्वारा नियंत्रित | तैयार माल की बिक्री (एच2ओ2) | 15.07 | 22.84 | 22.28 | 22.33 |
| 4क | इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड | भारत सरकार द्वारा नियंत्रित | कच्चे सामग्रियों की खरीदी (बेंज़ीन) | 478.67 | 0.00 | 1825.19 | 0.00 |
| 4ख | इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड | भारत सरकार द्वारा नियंत्रित | रसायनी भूमि की बिक्री (पेट्रोल पम्प एरिया) | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 |
| 5 | एफएसीटी | भारत सरकार द्वारा नियंत्रित | कच्चे सामग्रियों की खरीदी (सल्फ्यूरिक एसिड) | 0.00 | 0.00 | 12.66 | 0.00 |
| **कंपनी द्वारा गठित न्यास** | | | | | | | |
| 6 | एचओसीएल समूह उपदान न्यास | –वही– | निवेश और निवेश पर ब्याज | 1320.93 | 1495.48 | 610.89 | 630.71 |

**निदेशकों और मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के पारिश्रमिक**

रु.लाख में

| | | अल्प– कालीन कमचारी हितलाभ | अवधि के बाद कर्मचारी हितलाभ | अन्य दीर्घ–कालीन हितलाभ | सेवासमापन हितलाभ | शेयर–आधारित भुगतान | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2021-22** | | | | | | | |
| **क. पूर्णकालिक निदेशक,प्रबंध निदेशक तथा/या प्रबंधक:** | | | | | | | |
| | श्री. एस बी भिडे, सीएमडी (31.7.21 तक) | 29.91 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.39 |
| | श्री सजीव बी, सीएमडी (6.9.2021 से) | 20.74 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.19 |
| **ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक** | | | | | | | |
| **i) सरकारी नामिती निदेशक** | | | | | | | |
| | श्री सतेन्द्र सिंह, एएसएफए (रसा एवं उर्व) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | श्री समीर कुमार विश्वास, सं स | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **ii) स्वतंत्र निदेशक** | | | | | | | |
| | (समिति/मंडल की बैठक में भाग लेने के लिए एनओआईडी को दिए गए बैठक शुल्क) | | | | | | |
| | डॉ भरत जे कनाबर | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| | श्री प्रत्युष मंडल | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| **ग.मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक** | | | | | | | |
| | श्री पी ओ लुईस ,सीफ़ओ | 33.97 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.36 |
| | श्रीमती एस एस कुलकर्णी, कंपनी सचिव (28.02.22 तक) | 36.45 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.98 |
| | श्री सुब्रमणियन एच (1.3.2022 से) | 1.06 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| | कुल | **123.33** | **10.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **134.32** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2020-21** | | | | | | | |
| **क.पूर्णकालीन निदेशकों और प्रबंध निदेशकऔर/या प्रबन्धक को पारिश्रमिक** | | | | | | | |
| | श्री. एस बी भिडे, सीएमडी | 32.35 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.76 |
| | श्री.सी.पी. भाटीया, डीएफ (05.11.20 तक) | 20.94 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.29 |
| **ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक** | | | | | | | |
| **i) सरकार नामिती निदेशक** | | | | | | | |
| | सुश्री अल्का तिवारी, एएस एवं एफए | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | श्री समीर कुमार बिस्वास सं निदेशक | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **ii) स्वतंत्र निदेशक** | | | | | | | |
| (समिति/मंडल की बैठक में भाग लेने के लिए एनओआईडी को दिए गए बैठक शुल्क) | | | | | | | |
| | शून्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **ग.मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक** | | | | | | | |
| | श्रीमती एस एस कुलकर्णी,कंपनी सचिव | 27.82 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.33 |
| | श्री पी ओ लुईस ,सीएफ़ओ (06.11.20 से) | 10.00 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.28 |
| | कुल | **91.11** | **11.55** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **102.66** |

**नोटः**

अपने व्यापार के साधारण चलन में, कंपनी अन्य सरकारी नियंत्रित संस्थाओं (उपरोक्त सूची में शामिल नहीं है) के साथ लेन–देन करता है। कंपनी को अन्य सरकारी नियंत्रित संस्थाओं के साथ जिनमें निम्नलिखितों सहित लेकिन इनमें सीमित नहीं है के साथ लेन–देन है।

माल एवं अनुषंगी सामग्रियों की बिक्री और क्रय; सेवाएँ प्रदान और प्राप्त करना और लाभांशों की प्राप्ति; ऋण और अग्रिमों ; धन का निवेश और उधार ; सार्वजनिक उपयोगिताओं की गारंटी और उपयोग.

ये लेन–देन व्यापार के सामान्य गतिविधियों के दौरान अन्य संस्थाओं के उन शर्तों की तुलना के साथ किए जाते हैं,जो सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाएं नहीं हैं।

**टिप्पण–39 वित्तीय लिखित :**

39 क) उचित मूल्य अनुक्रम:

स्तर 1 उद्धृत कीमतों का उपयोग करके मापा गया वित्तीय साधन शामिल हैं। इसमें कीमत दिए गए सूचीबद्ध इक्विटी सामाग्री, ट्रेडड बॉन्ड और म्यूचल निधि शामिल है। सभी इक्विटी लिखत (बॉन्ड सहित) जो स्टॉक एक्स्चेंज में कारोबार किया जाता है, का उचित मूल्य रिपोर्टिंग अवधि में समापन मूल्य का उपयोग करके मूल्यन किया जाता है। म्यूचल निधि का मूल्यन समापन एनएवी का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर 2 वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य जो एक सक्रिय बाज़ार में कारोबार नहीं किया जाता है (उदाहरण के लिए, व्यापार बॉन्ड, काउंटर डिरिवेटिव के ऊपर) का निर्धारण मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है जो कि अवलोकन योग्य बाजार डेटा का उपयोग अधिकतम करते हैं और यथासंभव संस्था –विशिष्ट अनुमानों पर कम आश्रित करते हैं। यदि किसी उपकरण के उचित मूल्य के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण जानकारी अवलोकन योग्य है, तो उपकरण को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

स्तर 3 यदि महत्वपूर्ण इनपुट्स में से एक या अधिक अवलोकन बा?ार के अंकड़ों पर आधारित नहीं है, तो इन्स्ट्रुमेंट स्तर 3 में शामिल है। यह असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों, आकस्मिक विचार और क्षतिपूर्ति संपत्ति के मामले में है।

वित्तीय मूल्य और देयताएँ उचित मूल्य आवर्ती उचित मूल्य माप पर मापा जाता है:

रु.लाख में

| | 31 मार्च, 2022 को | | | | 31 मार्च, 2021 को | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 | कुल | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 | कुल |
| **वित्तीय परिसंपत्तियाँ:** | | | | | | | | |
| ऋण | - | - | 21.01 | 21.01 | - | - | 30.88 | 30.88 |
| व्यापार प्राप्य | - | 129.16 | 735.12 | 864.28 | - | 130.79 | 240.82 | 371.61 |
| निवेश | | - | 5.00 | 5.00 | | - | 5.00 | 5.00 |
| नकद एवं नकदी समतुल्य | - | 154.79 | 2014.53 | 2169.32 | - | 17.62 | 3286.97 | 3304.59 |
| नकद को छोडकर बैंक शष | | 79.85 | 11496.20 | 11576.05 | | 3.10 | 11532.78 | 11535.88 |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ | - | 1995.92 | 1334.04 | 3329.96 | - | 2,349.31 | 393.43 | 2742.74 |
| **कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ** | **0.00** | **2359.72** | **15605.90** | **17965.62** | **0.00** | **2500.82** | **15489.88** | **17990.70** |
| वित्तीय देयताएं | | | | | | | | |
| **गैर संचित अधिमान्य शेयर** | | | 27000.00 | 27000.00 | 0.00 | 0.00 | 27000.00 | 27000.00 |
| **उधार** | | 9167.00 | 0.00 | 9167.00 | 0.00 | 8950.00 | 7695.09 | 16645.09 |
| व्यापार प्राप्य | | 48.37 | 4151.84 | 4200.21 | 0.00 | 56.90 | 1648.0 | 1704.92 |
| अन्य चालू वित्तीय देयताएँ | | 49.05 | 8482.63 | 8531.68 | 0.00 | 49.07 | 8974.83 | 9023.90 |
| **कुल वित्तीय देयताएँ** | | | **39634.47** | **48898.89** | **0.00** | **9055.97** | **45317.94** | **54373.91** |

39 ख) **वित्तीय लिखित की श्रेणी**

क) उचित मूल्य अनुक्रम :

रु.लाख में

| | 31 मार्च, 2022 को | | | | 31 मार्च, 2021 को | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | एफवीपीटीएल | एफवीओसीआई | परिशोधन लागत | कुल | एफवीपीटीएल | एफवीओसीआई | परिशोधन लागत | कुल |
| **वित्तीय परिसंपत्तियाँ** | | | | | | | | |
| ऋण | - | - | 21.01 | 21.01 | - | - | 30.88 | 30.88 |
| व्यापार प्राप्य | - | - | 864.28 | 864.28 | - | - | 371.61 | 371.61 |
| निवेश | - | - | 5.00 | 5.00 | - | - | 5.00 | 5.00 |
| नकद एवं नकदी समतुल्य | - | - | 2169.32 | 2169.32 | - | - | 3304.59 | 3304.59 |
| नकद को छोडकर बैंक शष | - | - | 11576.05 | 11576.05 | - | - | 11535.88 | 11535.88 |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ | - | - | 3329.96 | 3329.96 | | | 2742.74 | 2742.74 |
| **कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ** | - | - | **17,965.62** | **17,965.62** | 0 | **0** | **17990.70** | **17990.70** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **वित्तीय देयताएं** | - | - | | | - | - | | |
| | **गैर संचित अधिमान्य शेयर** | - | - | 27000.00 | 27000.00 | - | - | 27000.00 | 27000.00 |
| | उधार | - | - | 9167.00 | 9167.00 | - | - | 16645.09 | 16645.09 |
| | व्यापार प्राप्य | - | - | 4200.21 | 4200.21 | - | - | 1704.92 | 1704.92 |
| | अन्य चालू वित्तीय देयताएँ | - | - | 8531.68 | 8531.68 | - | - | 9023.90 | 9023.90 |
| | **कुल वित्तीय देयताएँ** | - | - | **48,898.89** | **48,898.89** | 0 | 0 | **54373.91** | **54373.91** |

समेकित वित्तीय विवरणों में संस्थाओं से संबन्धित अतिरिक्त विवरण शामिल है

| **संस्था का नाम** | **निवल परिसंपत्तियाँ यानि कुल परिसंपत्तियों से कुल देयताएं घटाना** | | **लाभ या (हानि) में शेयर** | | **अन्य समग्र आय में शेयर** | | **कुल समग्र आय में शेयर** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | समेकित निवल परिसंपत्तियों के % का | राशि (रु.लाखों में) | समेकित लाभ या हानि के % का | राशि (रु.लाखों में) | समेकित अन्य समग्र आय के % का | राशि (रु.लाखों में) | कुल समेकित अन्य समग्र आय के % का | राशि (रु.लाखों में) |
| **भारतीय** | | | | | | | | |
| 1.हिंदुस्तान फ्लुरों कार्बन लिमिटेड | **217.95%** | **(7881.02)** | 20.86% | (612.87) | **-0.29%** | **(4.19)** | 41.18% | (617.06) |
| सहायक कंपनी | | | | | | | | |

**टिप्पणी सं. 40 वित्तीय जोखिम प्रबंधन**

**i. बाज़ार जोखिम**

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार मूल्य में बदलाव के कारण उचित मूल्य या वित्तीय लिखत के भविष्य नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होगा। वित्तीय लिखतों के मूल्यों में इस तरह के परिवर्तन विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, ब्याज दरों, ऋण, तरलता और अन्य बाजार परिवर्तनों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप हो सकते हैं। बाजार जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम के कारण है। कंपनी का बाजार जोखिम मुख्यत: विदेशी मुद्रा विनिमय दर में जोखिम के कारण है।

**क) विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम**

विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार–चढ़ाव से लाभ और हानि के विवरण और अन्य व्यापक आय और इक्विटी पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है, जहाँ किसी भी लेनदेन का संदर्भ एक से अधिक मुद्रा से होता है या जहाँ कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा में संपत्ति / देनदारियों का मूल्यवर्ग किया जाता है लेकिन कंपनी का शेष विदेशी मुद्रा में है इसीलिए कंपनी विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम से प्रभावित नहीं है।

**ख) ब्याज दर जोखिम**

कंपनी के निवेश मुख्य रूप से उद्धृत इक्विटी शेयर और अन्य इकाई के अनउद्धृत इक्विटी शेयर के माध्यम से होते हैं, इसलिए गैर–निवेश गतिविधियों के बिना निवेश से ब्याज उत्पन्न होता है। इसलिए, कंपनी ब्याज दर जोखिम पर बहुत अधिक प्रभावित नहीं है।

**ii. ऋण जोखिम**

ऋण जोखिम एक ऐसा जोखिम है जो चुकौती में प्रतिपक्षी विफलता या संविदागत निबंधन या दायित्व के अनुसार सेवा कर्ज से उत्पन्न वित्तीय हानि है। ऋण जोखिम में दोनों शामिल होते हैं, डिफ़ॉल्ट का सीधा जोखिम और ऋण की गिरावट के जोखिम के साथ–साथ जोखिमोंका केन्द्रीकरण। ऋण जोखिम का विश्लेषण ऋण सीमाओं और ग्राहकों की साख पर निरंतर नियंत्रण के आधार पर किया जाता है, जिन्हें ऋण के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ऋण दिया गया है।

वित्तीय लिखत जो ऋण जोखिम की केंद्रीकरण के अधीन है, मुख्यरूप से व्यापार प्राप्य राशि, बिल न किए गए प्राप्य,निवेश, नकद और नकद समतुल्य, बैंक जमा और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से मिलकर बनता है। कंपनी नीचे दिए गए ग्राहकों से 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए व्यक्तिगत रूप से 10 % से अधिक या कंपनी के राजस्व से अधिक के लिए राजस्व सृजित करते हैं।

| ग्राहक का नाम | राजस्व की राशि | कुल राजस्व का % |
|---|---|---|
| पूजा पेट्रो केमिकल्स | 13276.60 | 31% |
| रमेश कुमार एंड कंपनी | 10446.56 | 24% |
| सोनकमल एंटरप्रिसेस प्रा लि | 5210.93 | 12% |

**ऋण जोखिम का भौगोलिक केन्द्रीकरण**

व्यापार प्राप्य, बिल न किए गए प्राप्य (पिछले वर्ष : बिल न किए गए राजस्व)काभौगोलिक केन्द्रीकरण और संविदा परिसंपत्तियों का आबंटन ग्राहकों के स्थान पर आधारित है।

**iii. चलनिधि जोखिम**

चलनिधि जोखिम उस जोखिम को कहता है कि कंपनी अपनी वित्तीय देयताओं को पूरा नहीं करता है। चलनिधि जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य पर्याप्त चलनिधि बनाया रखना है और आवश्यकताओं के अनुसार निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

कंपनी पर्याप्त रिजर्व का पालन, बैंकिंग सुविधाओं और रिज़र्व उधार सुविधाओं, निरंतर पूर्वानुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की निगरानी करके और वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के परिपक्वता प्रोफाइल से मेल करके चलनिधि का प्रबंधन करती है।

**टिप्पणी सं.41 आस्थगित कर**

**वर्ष 2021–22 के लिए** — रु.लाख में

| | अथ शेष 01.04.2021 | पीएंडएल में मान्यता प्राप्त है | भविष्य के लाभ की संभावी जांच के कारण रिवेर्सल | पीएंडएल में मान्यता प्राप्त है | ओसीआई में मान्यता प्राप्त है | अंतिम शेष 31.03.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **आस्थगित कर देयता** | | | | | | |
| उचित मूल्य में भूमि का पुनमूल्यन | 19,897.52 | | | - | 576.00 | 20,473.52 |
| पीपीई के पुनर्मूल्यांकन के निपटान पर स्थगित कर देयता का रिवेर्सल | (4,056.00) | | | - | - | (4,056.00) |
| | **15,841.52** | | | **-** | **576.00** | **16,417.52** |
| **आस्थगित कर परिसंपत्तियां** | | | | | | |
| मूल्यह्रास | - | 21.00 | 21.00 | - | - | - |
| अवकाश नकदीकरण का प्रावधान | - | 81.00 | 81.00 | - | - | - |
| स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ (वीआरएस/वीएसएस) | - | | | - | - | - |
| संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | - | 5.00 | 5.00 | - | - | - |
| संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान | - | | | - | - | - |
| दीर्घकालिक करारों का प्रावधान | - | | | - | - | - |
| स्टॉक अप्रचलन के लिए प्रावधान | - | 1.00 | 1.00 | - | - | - |
| वैधानिक दावों के लिए प्रावधान | - | | | - | - | - |
| आस्थगित कर देयता की सीमा तक संचित आयकर की हानि | - | | | - | - | - |
| | **-** | **108.00** | **108.00** | **-** | **-** | **-** |
| **निवल आस्थगित कर देयता** | **15,841.52** | | | **-** | **576.00** | **16,417.52** |

**निवल आस्थगित कर देयता** — रु.लाख में

| | अथ शेष 01.04.2020 | पीएंडएल में मान्यता प्राप्त है | भविष्य के लाभ की संभावी जांच के कारण रिवेर्सल | पीएंडएल में मान्यता प्राप्त है | ओसीआई में मान्यता प्राप्त है | अंतिम शेष 31.03.2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **आस्थगित कर देयता** | | | | | | |
| उचित मूल्य में भूमि का पुनमूल्यन | 19,466.52 | | | - | 431.00 | 19,897.52 |
| पीपीई के पुनर्मूल्यांकन के निपटान पर स्थगित कर देयता का रिवेर्सल | (4,044.00) | | | - | (12.00) | (4,056.00) |
| | 15,422.52 | | | - | 419.00 | 15,841.52 |
| आस्थगित कर परिसंपत्तियां | | | | | | |
| **मूल्यह्रास** | - | 22.00 | 22.00 | - | - | - |
| अवकाश नकदीकरण का प्रावधान | - | 77.00 | 77.00 | - | - | - |
| स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ (वीआरएस/वीएसएस) | - | - | - | - | - | - |
| संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | - | 12.00 | 12.00 | - | - | - |
| संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान | - | 17.00 | 17.00 | - | - | - |
| दीर्घकालिक करारों का प्रावधान | - | - | - | - | - | - |
| स्टॉक अप्रचलन के लिए प्रावधान | - | 5.00 | 5.00 | - | - | - |
| वैधानिक दावों के लिए प्रावधान | - | 13.00 | 13.00 | - | - | - |
| | 3,031.00 | 146.00 | 146.00 | - | - | - |
| निवल आस्थगित कर देयता | **12,391.52** | **(146.00)** | **(146.00)** | **-** | **419.00** | **15,841.52** |

**42. समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ पर अतिरिक्त प्रकटन वित्तीय, परिसमापन और अन्य अनुपात**

| अनुपात | अंश–गणक के घटक दे | विभाजक के घटक | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए | % परिवर्तन | प्रबंधन द्वारा स्पष्टीकरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वर्तमान अनुपात | वर्तमान परिसंपत्तियाँ | वर्तमान देनदारियाँ | 1.00 | 1.11 | -9.98% | - |
| कर्ज इक्विटी अनुपात | कुल कर्ज | शेयरधारकों की इक्विटी | 13.73 | 12.32 | 11.41% | - |
| कर्ज सेवा कवरेज अनुपात | ऋण सेवा के लिए उपलब्ध अर्जन | ऋण सेवा | 0.03 | 0.06 | -51.74% | कंपनी वर्ष के दौरान उत्प्रेरक को बदलने के लिए और बाजार की प्रतिकूल स्थिति के कारण भी 157 दिनों की अवधि के लिए बंद थी, जो कंपनी के शुद्ध नुकसान का कारण बना। साथ ही 31 मार्च 2022 तक कुल देय ऋण और उस पर ब्याज के साथ–साथ ब्याज बकाया पर भी विचार किया गया है। |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| इक्विटी अनुपात पर प्रतिलाभ | कर के बाद निवल लाभ | शेयरधारकों | -1.98 | -0.27 | 621.78% | कंपनी वर्ष के दौरान उत्प्रेरक को बदलने के लिए और बाजार की प्रतिकूल स्थिति के कारण भी 157 दिनों की अवधि के लिए बंद थी, जो कंपनी के शुद्ध नुकसान का कारण बना। |
| वस्तुसूची कुलबिक्री अनुपात | बिक्री | औसत वस्तुसूची | 16.16 | 20.17 | -19.88% | - |
| व्यापार प्राप्य कुल बिक्री अनुपात | निवल बिक्री | औसत व्यापार प्राप्य | 70.18 | 71.09 | -1.29% | - |
| व्यापार देय कुल बिक्री अनुपात | निवल साख क्रय | औसत व्यापार देय | 9.58 | 7.89 | 21.43% | - |
| निवल पूंजी कुल बिक्री अनुपात | निवल बिक्री | कार्यशील पूंजी | -217.53 | 3.22 | 6665.18% | सरकार ऋण पर देय ब्याज में वृद्धि के कारण 2021–22 में वर्तमान देयता बढ़ गई है। |
| निवल लाभ अनुपात | निवल लाभ कर के बाद | निवल बिक्री | -0.07 | -0.02 | 236.39% | कंपनी वर्ष के दौरान उत्प्रेरक को बदलने के लिए और बाजार की प्रतिकूल स्थिति के कारण भी 157 दिनों की अवधि के लिए बंद थी, जो कंपनी के शुद्ध नुकसान का कारण बना। साथ ही 31 मार्च 2022 तक कुल देय ऋण और उस पर ब्याज के साथ–साथ ब्याज बकाया पर भी विचार किया गया है। मुख्य कच्चे माल में भारी वृद्धि हुई थी लेकिन बाजार की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण बिक्री मूल्य में वृद्धि नहीं हो सकती थी जिसके परिणामस्वरूप शुद्ध हानि हुई। |
| कार्यरत पूंजी पर प्रतिलाभ | ब्याज और कर के पहले लाभ (पीबीआईटी) | नियोजित पूंजी | -104.05 | -228.80 | -54.52% | |
| निवेश पर प्रतिलाभ | लाभांश | शेयर मूल्य | - | - | | |

**43 लाभ और हानि एवं अन्य व्यापक आय के विवरण की टिप्पणियाँ**

क) कंपनी ने 1 अप्रैल, 2016 तक अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए ले जाने वाले मूल्य जिसका मापन भारतीय जीएएपी के तहत किया है, फ्रीहोल्ड भूमि जहां उचित मूल्य (सर्कल दर) को डीमिड लागत माना जाता है को छोडकर को 1 अप्रैल,2016 (संक्रामण तिथि) जारी रखने के लिए चुना है।

ख) भारतीय जीएएपी के तहत, कंपनी ने वित्तीय संपत्तियों का मापन लागत पर किया है। संक्रमण तिथि को कंपनी ने इंड एएस 101 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि के प्रावधान को मान्यता दी। सभी वित्तीय देयताओं को परिशोधित लागत पर लिया गया है और ऐसे मतभेदों का उचित रूप से समाधान किया गया है।

ग) इंड एएस संक्रमण समायोजन पर आस्थगित कर समायोजन का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि कंपनी के नुकसान को देखते हुए कोई मौजूदा कर प्रभाव नहीं दिया गया था।

घ) कंपनी अपनी रोजगार के बाद की परिभाषित लाभ योजना से संबंधित लागतों को भारतीय जीएएपी और इंड एएस दोनों के तहत बीमांकिक आधार पर स्वीकार किया जाता है। भारतीय जीएएपी के तहत बीमांकिक लाभ और हानि शामिल सम्पूर्ण लागत और नियोजित परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ को लाभ या हानि में की जाती है। इंड एएस के तहत बीमांकिक लाभ और हानि शामिल सम्पूर्ण लागत और नियोजित परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ को अन्य व्यापक आय के माध्यम से प्रतिधारित अर्जनों के पूर्व डेबिट या क्रेडिट के साथ तुलनपत्र में तुरंत स्वीकार किया जाता है।

ङ) समायोजन का परिणामी योग को अन्य व्यापक आय शुद्ध में कर निहित लिया जाता है।

44 सेबी लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं (एलओडीआर) विनियम, 2015 का अनुपालन न करना– विनियम 17(1)(बी) के अनुसार, अध्यक्ष एक कार्यकारी निदेशक होने के नाते, निदेशक मंडल के कम से कम आधे में स्वतंत्र निदेशक शामिल होने चाहिए . वर्तमान में, कंपनी के बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं। तदनुसार, सेबी लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं (एलओडीआर) विनियम, 2015 (वित्तीय विवरणों के लिए नोट 47 देखें) के विनियम 18,19 और 20 का परिणामी गैर–अनुपालन है। सेबी लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं (एलओडीआर) विनियम, 2015 का गैर–अनुपालन – सेबी लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) (ए) के अनुसार, निदेशक मंडल के पास एक कम से कम एक महिला निदेशक के साथ कार्यकारी और गैर–कार्यकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन और निदेशक मंडल के कम से कम पचास प्रतिशत में गैर–कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे। वर्तमान में, कंपनी के बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं है।

45 बोर्ड ने कर्मचारियों के वेतन संशोधन को 25.01.2021 से लागू करने की सिफारिश की थी बशर्ते रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुमोदन प्राप्त हो। चूंकि कोई अंतिम अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है, 31.03.2022 तक लेखों में कोई समायोजन नहीं किया गया है।

46 कंपनी ने 721.54 लाख रुपये की अन्य व्यापक आय (पिछले वर्ष के निवल लाभ में 3139.89 लाख रुपये की अन्य व्यापक आय शामिल है) सहित शुद्ध घाटा दर्ज किया है। कंपनी ने 90196.19 लाख (पिछले वर्ष रु.87871.73 लाख) के नकारात्मक निवल मूल्य के साथ 101761.72 लाख रुपए ( पिछले वर्ष रु.99437.26 लाख रुपए) सहित शुद्ध घाटा दर्ज किया है। लेकिन इसकी वर्तमान संपत्ति इसकी वर्तमान देनदारियों से 7681.65 लाख रुपये (पिछले वर्ष 17941.50 लाख रुपये) से अधिक है। वर्ष के अंत में कंपनी के पास नकद और नकद समकक्षों की वर्तमान संपत्ति और अन्य बैंक शेष राशि रु.13510.73 लाख (पिछले वर्ष रु.14819.75 लाख) के तहत शेष है। वर्ष के दौरान कंपनी के टर्नओवर और लाभ को प्रभावित करने वाली प्रतिकूल बाजार स्थितियों के कारण कोची में फिनोल संयंत्र उत्प्रेरक के परिवर्तन के लिए 27.3.2021 से 25.07.2021 और 16.11.2021 से 26.12.2021 तक की अवधि के दौरान बंद रहा। इन शर्तों पर विचार करने के बाद कंपनी का स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम गोइंग कंसर्न के आधार पर तैयार किया गया है।

47 बोर्ड ने कर्मचारियों के वेतन संशोधन को 25.01.2021 से लागू करने की सिफारिश की थी बशर्ते रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुमोदन प्राप्त हो। चूंकि कोई अंतिम अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है, 31.03.2022 तक लेखों में कोई समायोजन नहीं किया गया है।

48 रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग जिसके तहत सहायक कंपनी कार्य करती है, दिनांक 29.01.2020 के पत्र के अनुसार,आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 22 जनवरी, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में निम्नलिखित को मंजूरी दी थी :

क) एचएफएल के संयंत्र/इकाई के संचालन को बंद करना और सहायक कंपनी को बंद करना।

ख) संयंत्र के बंद होने के कारण अधिशेष कर्मचारियों (नियमित और गैर–नियमित / तदर्थ) को वीआरएस / वीएसएस के माध्यम से अलग करना, उनके सभी बकाया वेतन / मजदूरी और वैधानिक बकाया के भुगतान करना, कंपनी का बंद होने के लिए पूर्ण और अंतिम कार्यान्वयन के लिए आवश्यक नाममात्र कर्मचारियों को छोड़कर । औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के अनुसार वीआरएस/वीएसएस का विकल्प नहीं चुनने वाले कर्मचारियों की छंटनी की जाएगी।

ग) भारत सरकार द्वारा 77.20 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया जिसका सहायक कंपनी को विशेष रूप से बंद करने से संबंधित व्यय के लिए उपयोग किया जाएगा जिसमें (क) सहायक कंपनी के कर्मचारियों के लिए वीआरएस / वीएस का कार्यान्वयन, उनकी देय राशि, वैधानिक बकाया, आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / उपयोगिताओं को भुगतान और एसबीआई कार्यशील पूंजी ऋण का भुगतान (ख) सहायक कंपनी के नाममात्र कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी और प्रशासनिक व्यय को दो साल के लिए सहायक कंपनी को बंद करने के लिए अस्थायी रूप से बनाए रखा जाएगा।

घ) उपरोक्त 77.20 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण को सहायक कंपनी द्वारा भारत सरकार को चुकाया जाएगा। यह जब भी निपटान किया जाता है और सहायक कंपनी को बंद करने से संबंधित सभी देनदारियों का समायोजन करने के बाद अनुषंगी कंपनी की भूमि और अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय से किया जाएगा ।

ङ) सहायक कंपनी को बंद करने संबंधी सभी देनदारियों के निपटान और 77.20 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण की अदायगी के बाद, संबंधितभूमि और अन्य परिसंपत्तियों के निपटान से अधिशेष आय, यदि कोई हो, का उपयोग भारत सरकार (रु.15.80 करोड़) को सहायक कंपनी की बकाया और उस पर ब्याज, के पुनर्भुगतान के लिए किया जाएगा। 31.03.2019 तक ब्याज को फ्रीजिंग किया गया। मूल ऋण राशि का पूरा या कुछ हिस्सा (15.80 करोड़ रुपये) और उस पर 31.3.2019 तक ब्याज अपर्याप्त बिक्री आय के कारण बकाया राशि को बट्टे खाते में डालना/माफ करना है।

च) सहायक कंपनी की भूमि के निपटान की सुविधा के लिए, मैसर्स एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जो एचएफएल की भूमि के क्रय में तेलंगाना सरकार / टीएसआईआईसी के निर्णय के परिणाम के अधीन भूमि निपटान का प्रबंधन और सहायता करने के लिए है।

छ) अनुषंगी कंपनी द्वारा एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा ई–नीलामी के माध्यम से संयंत्र/मशीनरी और चल संपत्ति का निपटान किया जाएगा।

उक्त निर्णय के अनुसरण में, एचएफएल को 26.05.2020 को 73.70 करोड़ रुपये और 15.03.2022 को 2.17 करोड़ रुपये भारत सरकार से ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्राप्त हुए थे। उपरोक्त सीसीईए आदेश के अनुसार और 31.03.2022 तक, 78 कर्मचारियों को राहत दी गई और उन्होंने 42.99 करोड़ रुपये का भुगतान किया। कर्मचारी बकाया के निपटान की दिशा में अर्थात वीआरएस का भुगतान, 1997 और 2007 वेतन संशोधन बकाया सहित कर्मचारियों को अन्य देय। इसके अलावा कंपनी ने एसबीआई के साथ कार्यशील पूंजी ऋण की राशि 5.15 करोड़ रुपये चुका दी थी और आरओसी के साथ चार्ज की संतुष्टि, लेनदारों को 8.93 करोड़ रुपये का भुगतान, जल शुल्क और नाममात्र कर्मचारियों को भुगतान किया गया था। 31.03.2022 तक उपयोग की गई कुल राशि 57.07 करोड़ रुपये थी। शेष राशि का उपयोग कंपनी के बंद होने को पूरा करने के लिए बनाए गए नाममात्र कर्मचारियों की बकाया राशि और अन्य परिचालन व्यय के निपटान के लिए किया जाएगा। उक्त प्रक्रिया अभी भी जारी है।

49 कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों" सहित) को या किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (यों) में कोई धनराशि उन्नत या ऋण या निवेश नहीं किया गया है''), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा ("अंतिम लाभार्थी") या प्रदान करेगा अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी।

50 कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("निधिपोषित पार्टियां") सहित किसी व्यक्ति (यों) या संस्था (ओं) में कोई धनराशि प्राप्त नहीं किया गया। इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा ("अंतिम लाभार्थी") या प्रदान करेगा अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।

51 बंद कंपनियों से संबंध

| बंद कंपनी का नाम | बंद कंपनी के साथ लेन–दें का स्वरूप | बकाया शेष | बंद कंपनी के साथ संबंध यदि कोई हो तो प्रकट किया जाना है। |
|---|---|---|---|
| एसस सर्विसस प्रा लि | सुरक्षा सेवा | 0.23 लाख रुपए | लेनदार |

52 सांविधिक अवधि के बाद आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है।

53 वर्ष के दौरान प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित किया गया है) को अलग–अलग या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया जाता है।

54 31.03.2022 तक कोई पूंजी–कार्य प्रगति पर नहीं है

55 विकास के तहत कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है

56 बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

57 कंपनी के पास चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं है।

58 कंपनी को किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

59 कंपनी का कोई लेनदेन नहीं है जो आयकर अधिनियम, 1961 (जैसे, आयकर अधिनियम 1961 के तहत खोज या सर्वेक्षण या के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकट किए गए लेखा बहियों में दर्ज नहीं किया गया है, जब तक कि 11 के तहत किसी भी योजना के प्रकटीकरण के लिए प्रतिरक्षा नहीं है और यह भी बताना होगा कि क्या पहले की अलिखित आय और संबंधित संपत्ति को वर्ष के दौरान खाते की पुस्तकों में ठीक से दर्ज किया गया है।

60 कंपनी को पिछले वर्षों के दौरान हुए नुकसान के कारण किसी भी सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है।

61 कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

62 समेकित वित्तीय विवरण निदेशक मंडल द्वारा 26.05.2022 को पारित एक प्रस्ताव के अनुसार जारी करने के लिए अधिकृत थे।

63 पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, पुनर्वर्गीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।.

**निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से**

हस्ता/–
**सजीव बी.**
सीएमडी एवं सीईओ
डीआईएन 09344438

हस्ता/–
**डॉ भरत जे कनावर**
निदेशक
डीआईएन
09466694

हस्ता/–
**पी ओ लुईस**
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता/–
**सुब्रमणियन एच**
कंपनी सचिव

स्थान : नवीं मुंबई
दिनांक : 26.05.2022

**संलग्न हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार**
**वीएसजे एंड एसोसिएट्स के लिए**
**सनदी लेखाकार**
**एफआरएन : 010560ए**

हस्ता/–
**सी ए.जोजो अगस्टिन**
साझेदार
सदस्यता सं.214088
यूडीआईएन: 22214088AKDYEI7538

स्थान: एरणाकुलाम
दिनांक : 30.05.2022

# HOCL
# ANNUAL REPORT 2021-22
# ENGLISH VERSION

**HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED [CIN L99999MH1960GOI011895]**

**AUDITORS**
**STATUTORY AUDITORS**
**M/S BSJ & ASSOCIATES,**
Chartered Accountants, Kochi

**INTERNAL AUDITORS**
**M/s Isaac & Suresh**
Chartered Accountants,Kochi

**COST AUDITORS**
**M/s. CY & Associates**
Cost Accountants, Mumbai

**BANKERS**
State Bank of India, Central Bank of India

**REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENTS**
**M/s. BIGSHARE SERVICES PVT. LTD.**
Registered Office : Bigshare Services Pvt Ltd.
Office No.S-6, 6th Floor, Pinnacle Business Park,
next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road,
Andheri (East) Mumbai – 400093.
Tel: 022 62638200
Fax : 022 62638299
Email: investor@bigshareonline.com

CONTENTS


| | Page No. |
|---|---|
| Board of Directors and Board Committees | 133 |
| Chairman's Statement | 135 |
| Notice of 61st Annual General Meeting | 137 |
| Directors' Report & Annexures | 144 |
| **Standalone Accounts** | |
| Independent Auditors' Report - Standalone | 170 |
| C&AG Report - Standalone | 176 |
| Balance Sheet - Standalone | 177 |
| Statement of Profit & Loss - Standalone | 178 |
| Cash flow Statement - Standalone | 181 |
| Notes to the Financial Statements - Standalone | 182 |
| **Consolidated Accounts** | |
| Independent Auditors' Report - Consolidated | 206 |
| C&AG Report - Consolidated | 210 |
| Consolidated Balance Sheet and other Statements, Notes etc. | 211 |


**HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED [CIN L99999MH1960GOI1011895]**

**REGISTERED & CORPORATE OFFICE:**
Office Nos. 401,402 &403, 4th Floor,
"V- Times Square", Plot No.3, Sector-15, CBD Belapur,
Navi Mumbai- 400614, Maharashtra.
Contact Nos.: 022-27575268/69
E-mail id : cs@hoclindia.com, corporate.cs@hoclindia.com
Website : www.hoclindia.com

**REGIONAL & MARKETING OFFICES DELHI :**
Core-6, Scope Complex,
1st Floor, Lodi Road, New Delhi - 110 003.
Tel : (011) 24361610 / 24364690 Fax : (011) 24360698

**MANUFACTURING FACILITIES**
**KOCHI UNIT :**
Ambalamugal P.O.,
Dist. Ernakulam, Pin - 682 302.
Tel: (0484) 2720911 / 2720912 / 13
Fax: (0484) 2720893
E-mail: kochi@hoclindia.com

**SUBSIDIARY COMPANY**
**HINDUSTAN FLUOROCARBONS LTD.:**
3303, Babukhan Estate, Basheerbagh,
Hyderabad - 500 001.
Telangana State. Tel : (040) 23241051 / 23237125.
Fax : (040) 23296455
E-Mail : hiflon@hotmail.com;hflshareholders@gmail.com

| BOARD OF DIRECTORS | |
|---|---|
| **Shri Sajeev B**. (DIN: 09344438) | Chairman & Managing Director (w.e.f. 06/09/2021)<br>Additional Charge, Director (Finance) (w.e.f. 22/09/2021 to 22/06/2022) |
| **Shri Yogendra Prasad Shukla** (DIN: 09674122) | Director (Finance) (w.e.f 04-07-2022) Director (Finance & CFO) (w.e.f 04-08-2022) |
| **Shri Satendra Singh AS&FA (Chem)** [DIN: 05195060] | Govt. Nominee Director (w.e.f 21-12-2021 to 14-10-2022) |
| **Shri Kanishk Kant Srivastava** (DIN: 09699641) | Govt. Nominee Director (w.e.f 30-03-2022) |
| **Dr. Bharat J. Kanabar** (DIN: 09466694) | Non-official Independent Director (w.e.f 24-12-2021) |
| **Shri Pratyush Mandal** (DIN: 09461918) | Non-official Independent Director (w.e.f 24-12-2021) |
| **Shri S.C. Mudgerikar** (DIN: 03498837) | Chairman & Managing Director – Additional Charge (From 02/08/2021 to 05/09/2021) & Director Finance – Additional Charge (w.e.f. 02/08/2021 to 22/09/2021) |
| **Shri S.B. Bhide** (DIN: 05323535) | Chairman & Managing Director (from 05/10/2016 to 31/07/2021) & Additional Charge of Director Finance from 06/11/2020 to 31/07/2021) |
| **Shri Samir Kumar Biswas, AS** (DIN: 0166491) | Govt. Nominee Director (upto 30-03-2022) |
| **Shri Ashish Upadhyay, AS&FA, MoP** (DIN: 06855349) | Govt. Nominee Director (w.e.f 22/11/2021 to 21/12/2021) |
| **Ms. Nirupama Kotru** (DIN: 09204338) | Govt. Nominee Director (w.e.f 07/10/2021 to 22/11/2021) |
| **Shri Rajesh M. Aggarwal AS&FA** (DIN: 03566931) | Govt. Nominee Director (upto 07/10/2021) |
| **Smt. Alka Tiwari** (DIN: 03502306) | Govt. Nominee Director (from 29/01/2019 to 26/05/2021) |

| KEY MANAGERIAL PERSONNEL | |
|---|---|
| **Shri P O Luise** | Chief Financial Officer (CFO) (w.e.f 06/11/2020 to 03/08/2022 ) |
| **Smt. Susheela S Kulkarni** | Company Secretary (upto 28/02/2022) |
| **Shri. Subramonian H** | Company Secretary (w.e.f 01/03/2022) |

**AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD**

| | |
|---|---|
| **Dr. Bharat J. Kanabar**<br>Non-Official Independent Director<br>Chairman, Audit Committee | **Shri Kanishk Kant Srivastava**<br>Non-Executive, Govt. Nominee Director<br>Member, Audit Committee |
| **Shri Pratyush Mandal**<br>Non-Official Independent Director<br>Member, Audit Committee | **Mr. Subramonian H, CS**<br>Secretary to Audit Committee |

**NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE (N & R Committee)**

| | |
|---|---|
| **Dr. Bharat J. Kanabar**<br>Non-Official Independent Director<br>Chairman, N.R. Committee | **Shri Pratyush Mandal**<br>Non-Official Independent Director<br>Member, N.R. Committee |
| **Shri Kanishk Kant Srivastava**<br>Non-Executive, Govt. Nominee Director<br>Member, N.R. Committee | **Mr. Subramonian H, CS**<br>Secretary to N.R. Committee |

**STAKEHOLDER RELATIONSHIP COMMITTEE (S.R.C)**

| | |
|---|---|
| **Shri Pratyush Mandal**<br>Non-Official Independent Director<br>Chairman, S.R.C | **Dr. Bharat J. Kanabar**<br>Non-Official Independent Director<br>Member, S.R.C |
| **Shri Sajeev B**<br>Member, S.R.C | **Mr. Subramonian H, CS**<br>Secretary to S.R.C |

**CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITTEE (CSR Committee)**

| | |
|---|---|
| **Shri Pratyush Mandal**<br>Non-Official Independent Director<br>Chairman, C.S.R Committee | **Dr. Bharat J. Kanabar**<br>Non-Official Independent Director<br>Member, C.S.R Committee |
| **Shri Sajeev B**<br>Member, C.S.R Committee | **Mr. Subramonian H, CS**<br>Secretary to C.S.R Committee |

**SHARE TRANSFER COMMITTEE (S.T. Committee)**

| | |
|---|---|
| **Shri Sajeev B, CMD**<br>Chairman of the S.T. Committee | **Mr. Subramonian H, CS**<br>Member & Secretary to the S.T. Committee |

# BOARD OF DIRECTORS

**SHRI SAJEEV B.**
Chairman & Managing Director
(w.e.f. 06/09/2021)

**SHRI S.B.BHIDE**
(DIN: 05323535)
Chairman & Managing Director
(from 05/10/2016 to 31/07/2021) &
Additional Charge of Director Finance
(from : 06/11/2020 to 31/07/2021)

**SHRI S.C.MUDGERIKAR**
(DIN: 03498837)
Chairman & Managing Director-Additional Charge
(from 02/08/2021 to 05/09/2021) &
Director Finance-Additional Charge
(w.e.f. 02/08/2021 to 22/09/2021)

**SHRI SATENDRA SINGH AS&FA (chem)**
(DIN: 05195060)
Govt. Nominee Director
(w.e.f 21-12-2021 to 14-10-2022)

**SHRI KANISHK KANT SRIVASTAVA**
(DIN: 09699641)
Govt. Nominee Director (w.e.f 30-03-2022)

**SHRI YOGENDRA PRASAD SHUKLA**
(DIN: 09674122)
Director (Finance) (w.e.f 04-07-2022)
Director (Finance & CFO) (w.e.f 04-08-2022)

**DR.BHARAT J. KANABAR**
(DIN: 09466694)
Non-official Independent Director (w.e.f 24-12-2021)

**SHRI PRATYUSH MANDAL**
(DIN: 09461918)
Non-official Independent Director
(w.e.f 24-12-2021)

**SHRI SAMIR KUMAR BISWAS**
(DIN:01664091)
Govt. Nominee Director
( Upto 30-03-2022)

**SHRI ASHISH UPADHYAY,AS&FA,MOP**
(DIN:06855349)
Govt. Nominee Director
( w.e.f 22/11/2021 to 21/12/2021)

**MS. NIRUPAMA KOTRU**
(DIN: 09204338)
Govt. Nominee Director
( w.e.f 07/10/2021 to 22/11/2021)

**SHRI RAJESH M. AGGARWAL AS&FA**
(DIN: 03566931)
Govt. Nominee Director
(w.e.f 27/05/2021) to 07/10/2021)

**SMT. ALKA TIWARI**
(DIN:03502306)
Govt. Nominee Director
(from29/01/2019 to 26/05/2021)

**CFO**

**SHRI P.O.LUISE**
Chief Financial Officer
(w.e.f 06/11/2020 to 03/08/2022 )

**CS**

**SMT. SUSHILA S. KULKARNI**
Company Secretary
(upto 28/02/2022)

**CS**

**SHRI. SUBRAMONIAN H**
Company Secretary
(w.e.f 01/03/2022)

## CHAIRMAN'S STATEMENT

**Dear Shareholders,**

On behalf of my Colleagues on the Board and myself, I extend a warm welcome and sincere gratitude, to all the shareholders of the Company. It is my pleasure to present to you the Annual Report for the FY 2021-22 of your company. This 61st Annual Report of your company, includes the Audited Annual Accounts, Director's Report and Auditor's Report along with the C&AG Nil Comments Report for the year 2021-22. Further, the 61st AGM Notice includes the Business items to be considered by the shareholders for approval at the 61st AGM scheduled to be held on Thursday, 29th September, 2022.

**PERFORMANCE:**

It gives me immense pleasure to place before you the highlights of your Company's performance during the FY 2021-22. Details of the achievements and initiatives taken by your company are provided in Directors Report.

Speaking in terms of financials, during the year 2021-22, your company has achieved a Gross Income of Rs.465.10 crore registering an increase of 7.86% as against the previous year Gross Income of Rs.431.19 crore. The company has incurred a Net Loss of Rs.23.24 crore during the year as against Net profit of Rs.15.97 crore during the previous year.

HOCL has only one functioning unit located at Ambalamugal, Dist Ernakulam in the state of Kerala which is commonly known as Kochi Unit. The Kochi unit is engaged in manufacture of Phenol, Acetone and Hydrogen Peroxide. In Kochi Unit Phenol and Hydrogen Peroxide Plants are operational. The Phenol Plant achieved a capacity utilization of 62 % and Hydrogen Peroxide plant achieved a capacity utilization of 82% during the year.

**FUTURE PLAN & REVIVAL / TURN AROUND PLAN:**

Restructuring Plan.

As per the Govt. approved restructuring plan vide order dated May 22, 2017, your company has closed the Rasayani Unit, and plant & equipment scrapped has been disposed off. Sale on unencumbured land in Rasayani and Panvel are in progress. The phenol and Hydrogen Peroxide plants at Kochi are in operation.

Future Plans

We have aimed to upgrade to the latest technology to improve productivity. We will expedite the land sale process to reduce the financial liabilities and thus bring down the finance costs. Further, we will explore the diversification into value added products to maximum extent possible to gain some level of protection against swings in the market prices.

**CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY**

Company since its inception is very much aware about its social responsibilities. For over five decades, as a socially responsible and sensitive corporate, your Company continues to remain committed to social thought and action to serve society through providing basic civic amenities to the neighbouring villages and rendering assistance in different forms.

Your company is not required to carry out any CSR activities on account of losses incurred during the previous years. However, the company has recognized its social obligations and carried out activities benefiting the society during the year under review. The details of the activities undertaken by the company under CSR and to fight Covid -19 are given in the Directors Report.

Swachh Bharat Abhiyan is given utmost importance by the company and various activities were undertaken and the details are placed in the Directors Report. Your company received Second Prize for Swachhta Pakhwada from Dept. of Chemicals & Petrochemicals in the year 2021.

As a part of Azadi ka Amrit Mahotsav, your company conducted various cleaning activities in its premises, stickers were prepared on Azadi ka Amrit Mahotsav and pasted in all official correspondences. Celebrations are organized/planned with various activities till August 2023.

As part of Yoga Day on 21st June 2021, Common Yoga Protocols were widely circulated for the information of all employees through our portal and social media.

**SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT:**

In the areas of Health, Hygiene and Environment, the company has undertaken periodic medical examination, as well as statutory requirements of fitness check-up under form No. 23 for its employees. Audiometry tests were carried out for those who are exposed with Noise and Autotoxicity tests were carried out for the Benzene handlers apart from other statutory regular check-ups. Periodic awareness session on Hygiene, Covid precautions and guidelines were imparted. In order to control the spread, fumigation and disinfection were done on regular basis.

In our commitment to environment, we have ensured that the level of pollutants from the factory were much below the permissible levels.

Your company has implemented several measures to prevent the spread of COVID-19 pandemic during the year like encouraging the use of protective measures such mask, hand hygiene, safe distance etc. Posters have been displayed at various locations to educate the employees in this regard. Homeopathic preventive medicines were supplied to the employees of all categories. Hot water dispensers were provided to various locations for use of the employees. Partitions were done at dining tables and wash areas of canteen to ensure physical distancing.

Continuing the use of RLNG (Re-gasified Liquified Natural Gas) has resulted in tremendous reduction in air pollution.

As part of protecting the environment, awareness sessions, competitions, Swachh Bharat activities, promoting employees for vegetable cultivation under a "Green Mission", Beautification of the plant premises involving the entire employees of the organisation were carried out.

During year 2021-22 HOCL received "Suraksha Puraskar" from National Safety Council, Kochi Chapter for the best safety performance for the year 2021 in the large chemical industries category.

**ISO CERTIFICATION:**

As part of the safety improvements, many positive measures have been undertaken by the organization to ensure safety of the plant and personnel. IMS (Integrated Management System) was implemented integrating Quality Management System (ISO-9001), Environment Management System (ISO-14001) and Occupational Health and Safety Management System (ISO 45001). This gives more importance to the safety and health aspects.

**INDUSTRIAL RELATIONS:**

People have been a great strength in your company. The overall Industrial relationship continued to be peaceful and cordial during the year and no strike or lockout took place during the year.

**CORPORATE GOVERNANCE:**

The Company continued to comply with the various requirement of Corporate Governance. The details in this regard form part of the Directors Report.

Company has substantially complied with the Guidelines on Corporate Governance for CPSEs laid down by Department of Public Enterprises and regularly submits reports to the Government. It complies with the applicable regulations of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

**HINDUSTAN FLUOROCARBONS LIMITED (HFL) - SUBSIDIARY:**

Your company has one subsidiary company namely; Hindustan Fluorocarbons Limited [HFL]. During the year, HFL has incurred a net loss of Rs.612.87 lakhs as against the net loss of Rs.2,483.09 lakhs of the previous year.

Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals vide No.P. 51015/06/2019-Ch. III dated 29-01-2020 informed the decision of Cabinet Committee on Economic Affairs, directing closure of Hindustan Fluorocarbons Limited and the same was approved by the shareholders on 30-03-2020.

Consequent to the decision of the Govt. of India for closure of subsidiary company Hindustan Fluorocarbons Ltd., an amount of Rs.75.87 crore has been released to the Subsidiary Company as loan from Govt. of India to meet the expenses related to VRS/VSS to employees and settling dues to bank and other liabilities.

**ACKNOWLEDGEMENT:**

I have been fortunate to be associated with HOCL right from the beginning of my career and to grow along with the Company. Now, as CMD, I am privileged to be heading HOCL. I place on record my appreciation and gratitude to all the employees and other stakeholders who had extended their support and co-operation during the year. I take this opportunity to acknowledge the support of my fellow Board members and the senior management team. In particular, I am grateful to various officials of the Government, especially Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Public Enterprises, Ministry of Finance, Ministry of Commerce & Industry, Government of Maharashtra, Kerala Government, all Bankers, Board Members, Statutory/Govt. Auditors, Cost Auditors and all the agencies concerned. My gratitude is also to the shareholders, and customers, who have helped us in the present phase of transformation of the company.

We on our part would continue our efforts for completion of the restructuring plan at the earliest, in our endeavour, towards the path of achieving early turnaround of the company. We look forward to your continued support in this continuing process.

In conclusion, I am optimistic that the company would sustain the achievement during the year and in the years ahead.

Sd/-

**Sajeev B**

**Chairman and Managing Director**

**DIN: 09344438**

## NOTICE

**Notice** is hereby given that the 61st Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Thursday, the 29th September, 2022 at 02:00 pm through Video Conferencing ("VC")/ other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the following Businesses:

**ORDINARY BUSINESS:**

1. To consider and to adopt the Standalone & Consolidated Audited Financial Statements comprising the Balance Sheet as on 31st March, 2022, the Profit & Loss Account for the year ended on that date, Cash Flow Statement, Schedules and Notes to Accounts attached thereto, together with the Director's Report and the Auditor's Report along with the Report of the Comptroller & Auditor General of India.
2. To reappoint as per GOI Order, the Government Nominee Director, Shri Satendra Singh, Additional Secretary & Financial Advisor, who retires at the AGM and being eligible offers himself for re-appointment.
3. To authorize Board of Directors to fix remuneration to be paid as statutory audit fees to the statutory auditors as and when appointed by the Comptroller & Auditor General of India [C&AG] for the FY 2022-23 in terms of the provisions of Section 139(5) read with Section 142 of the Companies Act, 2013 and to consider and, if thought fit, to pass the following resolution, as an Ordinary Resolution

   **RESOLVED THAT** the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to decide and fix the remuneration to the Statutory Auditors of the Company as appointed by the Comptroller and Auditor General of India for the financial year 2022-23."

**SPECIAL BUSINESS:**

4. **Appointment of Cost Auditor for the year 2022-23**

   To consider and approve the appointment of M/s. R.M. Bansal & Co, Cost Accountants, Kanpur having branch office at Tc 49/620(2) SafnamMrwa 61-A, Malliyidom, Thiruvananthapuram-695009. Kerala (Firm Registration No. 000022) as Cost Auditors of the Company for the FY 2022-23 and ratify the remuneration payable to M/s. R.M. Bansal as Cost Auditor fees for the Financial Year 2022-23 for the audit of Cost Accounts and Records of the company and to pass the following resolution as an Ordinary Resolution:

   **RESOLVED THAT** pursuant to Section 148 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, the Company hereby ratifies the remuneration payable Rs.50,000/-plus GST as a total fees for audit of Cost Account and Records of the Company and to issue Compliance Certificate/s thereof and to give Cost Audit Report for the year 2022-23 and for assisting in & e-filing of Cost Audit reports related XBRL e-forms in respect of Kochi Unit Products of the company for the Financial Year ending 31st March, 2023 to M/s. R.M. Bansal & Co (Firm Registration No. 000022), the Cost Auditors of the Company for the FY 2022-23."

5. **Appointment of Shri Kanishk Kant Srivastava (DIN 09699641) as Government Nominee Director**

   To consider and, if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolution, as **Special Resolution**:

   **RESOLVED THAT** pursuant to the provisions Sections 149, 152 and any other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Rules framed thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof and applicable regulations of Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Shri Kanishk Kant Srivastava [DIN 09699641] who was appointed by President of India vide Ministry of Chemicals & Fertilizers Order No.P-51011/6/2011-Chemical – III/ CPC dated 30th March, 2022, as Government Nominee Director on the Board of Directors of Hindustan Organic Chemicals Limited for a period of three (3) years with effect from 30th March, 2022 or until further whichever is earlier be and is hereby appointed as Government Nominee Director of the Company on terms and conditions fixed by Government of India and he shall be liable to retire by rotation."

6. **Appointment of Dr Bharat J Kanabar (DIN 09466694) as Non-Official Part-time Independent Director**

   To consider and, if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolution, as a **Special Resolution:**

   RESOLVED THAT pursuant to the provisions Sections 149, 152 and any other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Rules framed thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof and applicable regulations of Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Dr. Bharat J Kanabar, [DIN 09466694] who was appointed by President of India vide Ministry of Chemicals & Fertilizers Order No.P-53013/8/2019-CHEM.III-CPC dated 24th December, 2021, as a Part-time Non-official (Independent) Director on the Board of Directors of Hindustan Organic Chemicals Limited for a period of three (3) years with effect from the date of notification of appointment order or until further orders be and is hereby appointed as Non-official Independent Director with effect 24th December, 2021 on the Board of the Company for a period of three (3) years or till further orders from the Government of India and he shall be not liable to retire by rotation."

7. **Appointment of Shri Pratyush Mandal (DIN 09461918) as Non-Official Part-time Independent Director**

   To consider and, if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolution, as a Special Resolution:

   **RESOLVED THAT** pursuant to the provisions Sections 149, 152 and any other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Rules framed thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof and applicable regulations of Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Shri Pratyush Mandal, [DIN 09461918] who was appointed by President of India vide Ministry of Chemicals & Fertilizers Order No.P-53013/8/2019-CHEM.III-CPC dated 24th December, 2021, as a Part-time Non-official (Independent) Director on the Board of Directors of Hindustan Organic Chemicals Limited for a period of three (3) years with effect from the date of notification of appointment order or until further orders be and is hereby appointed as Non-official Independent Director with effect 24th December, 2021 on the Board of the Company for a period of three (3) years or till further orders from the Government of India he shall be not liable to retire by rotation."

8. **Shifting of Registered Office from Maharashtra to Kerala**

   To consider and, if thought fit, to pass with or without modification the following resolution as **Special Resolution:**

   **RESOLVED THAT**, pursuant to the provisions of Section 12, 13 and such other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Companies (Incorporation) Rules, 2014 (including any statutory modifications or re-enactments thereof) and any other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and subject to Confirmation/Approval of the Regional Director, subject to final approval of administrative ministry the consent of members be and is hereby accorded for shifting the registered office of the company from V Times Square, Office No.401, 402 and 403, 4th Floor, Plot No.3, Sector-15, CBD Belapur, Navi Mumbai – 400614 in the state of Maharashtra to HOCL Kochi Unit, Ambalamugal PO, Ernakulam district - 682302 in the state of Kerala."

   **RESOLVED FURTHER THAT** consequent to this change, clause 2 of the Memorandum of Association of the Company be substituted by the following:-

   *Clause 2: The Registered Office of the Company will be situated in the State of Kerala."*

   **RESOLVED FURTHER THAT** pursuant to the provisions of Section 88, 92, 94 and such other applicable provisions of the Companies Act, 2013 (including any amendments thereto or re-enactments thereof read with relevant Rules, the consent of members be and is hereby accorded to maintain & keep the Company's Common Seal, other records, various Statutory Registers and Books of Accounts, copies of returns, register of members and other registers/ records etc. at HOCL Kochi unit, Ambalamugal PO, in the District of Ernakulam - 682302 in the state of Kerala."

   **RESOLVED FURTHER THAT** Company Secretary or any one Director of the Company or a Practicing Company Secretary be and are hereby jointly or severally authorized to appear, represent, make such statements, furnish such information and do such things including but not limited to filing e-forms with the concerned Registrar of the Companies, as may be required, on behalf of the Company before the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs, Government of India, Registrar of Companies and any other Government Authority in the matter of the petition to be filed by the Company for Shifting of Registered Office and proposed alteration of the Situation Clause of the Memorandum of Association.

**By Order**
**of the Board of**
**Hindustan Organic Chemicals Ltd.**
**Sd/-**
**Subramonian H.**
**Company Secretary**
**[ACS 28380]**

**Place: CBD Belapur**
**Date: 30.08.2022**

Registered Office:
401, 402, 403, 4th Floor,
V-TIMES SQUARE Plot No. 3 Sector 15,
CBD Belapur Navi Mumbai
Thane MH 400614 IN

**Notes:**

1. In the view of continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its General Circular No.2/2022 dated 5th May, 2022 read with the General Circular No.20/2020 dated 5th May, 2020, General Circular No.02/2021 dated 13th January, 2021, General Circular No.19/2021 dated 8th December, 2021, and 21/2021 dated 14th December, 2021 (collectively referred to as "MCA Circulars") permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through VC/OAVM, without the physical presence at a common venue.

   In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODRR"), SEBI circulars and MCA Circulars, the 61st AGM of the Company is being held through VC/OAVM. For this purpose, necessary arrangements have been made by the Company with CDSL and instructions for the process to be followed for attending and participating in the AGM through VC/OAVM is forming part of this Notice. The proceedings of the AGM will be deemed to be conducted at the registered office of the Company

2. Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013, a member entitled to attend and Vote at AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and proxy need not to be a member of the Company. Since this AGM is being held pursuant to the MCA/SEBI Circulars through VC/OAVM, physical attendance of members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of Proxy by the members will not be available for the AGM and hence Proxy Form, Attendance Slip are not annexed to this Notice

3. Participation of Members through VC/OAVM will be reckoned for the purpose of Quorum for the AGM as per Section 103 of Companies Act, 2013.

4. Institutional Shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/ JPG Format) of the relevant Board resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) authorizing its representative to attend the AGM through VC/ OAVM on its behalf and to vote through remote E-voting. The said resolution/Authorization shall be sent to the Scrutinizer through e-mail to divya.dsmco@gmail.com and to the Company to: cs@hoclindia.com

5. The explanatory statements pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Special Business are appended to this notice.

6. Pursuant to Section 139 (5) of the Companies Act, 2013, the Auditors of the Company are to be appointed or re-appointed by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG). As per Section 142 of the Companies Act, 2013, the remuneration to the Auditors shall be fixed by the company in the AGM or in such manner as the company in general meeting may determine. The Statutory Auditors of the Company for the year 2022-23 is yet to be appointed by the C&AG. Accordingly, the Members may authorize the Board to fix an appropriate remuneration to the Statutory Auditors for the year 2022-23.

7. Shareholders may also note that Bigshare Services Pvt. Ltd. , Registrar and Share Transfer Agents [RTA] of the company have shifted their Corporate Office/ Operational Head Office to a new address as follows: Bigshare Services Pvt. Ltd. Office No.S-6, 6th Floor, Pinnacle Business Park, next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai – 400093.

   Members can also correspond with the RTA at their email id: investor@bigshareonline.com and vinod.y@bigshareonline.com

   Company is sharing below mentioned important information along with this 61st AGM Notice.

   Important Informations:

   I. Pursuant to SEBI circular SEBI/HO/MIRSD/DOP1/CIR/P/2018/73 dated 20th April, 2018 shareholders holding shares in physical form whose folio do not have/ have incomplete details with respect to PAN and Bank particulars are mandatorily required to furnish the PAN and Bank details to the Company/ Registrar & Transfer Agent (RTA)

   II. SEBI Notification dated June 08, 2018 read with notification dated January 24, 2022 any request for effecting transfer/transmission/transposition of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository. Hence, shareholders holding shares in physical form, are advised to dematerialize their shares.

   III. SEBI circulars Nos. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated 3rd November, 2021 and SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/687 dated 14th December, 2021 had mandated the submission of PAN, KYC and nomination details by members holding shares in physical form by 31st March, 2023. For submitting the information, Members may access relevant forms at https://www.hoclindia.com/disclosures

   IV. Members who hold physical shares may provide updated bank details by submitting hard copy of duly signed Form – ISR 1 along with relevant documents mentioned therein to RTA. The said form is available at https://www.hoclindia.com/disclosures

   V. Members who are holding shares in physical form and have not yet registered their nomination are requested to submit Form – SH 13 for registering their nomination, Form – SH 14 for making changes to their nomination details, Form – ISR 2 for updating the signature of member and Form – ISR 3 to opt out of nomination along with the relevant documents to RTA. The relevant forms are available at https://www.hoclindia.com/disclosures

   VI. As per SEBI circular nos. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2022/8 dated 25th January, 2022 and SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2022/70 dated 25th May, 2022 the listed companies with immediate effect shall issue the securities only in Demat mode while processing various investor request pertaining to issuance of duplicate share certificate, claim from unclaimed suspense account, renewal/exchange of securities certificate, endorsement, sub-division/splitting of share certificate etc. Therefore, members are requested to submit hard copy of duly signed Form – ISR 4 along with the relevant documents to RTA. The relevant form is available at https://www.hoclindia.com/disclosures

   VII. SEBI vide circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2022/65 dated 18th may, 2022 has simplified and standardized procedure for transmission of shares. Therefore, members are requested to make service request for transmission of shares by submitting hard copy of the duly signed Form – ISR 5 along with relevant documents to RTA. The relevant form is available at https://www.hoclindia.com/disclosures

8. Shareholders are requested to intimate immediately as and when there is any change in their addresses registered with the Company, their PAN, KYC details to the RTAs.

9. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Friday, the 23rd September, 2022 to Thursday, the 29th September, 2022 (both days inclusive)**

10. The Register of Directors and Key Managerial Personnel and their shareholding, maintained under Section 170 of the Act, and the Register of Contracts or Arrangements in which the directors are interested, maintained under Section 189 of the Act, will be available electronically for inspection by the members during the AGM. All documents referred to in the Notice, if any, will be available electronically for inspection without any fee by the members from the date of circulation of this notice up to the date of 61st AGM i.e. 29-09-2022. Members seeking to inspect such documents can send an email to cs@hoclindia.com

11. In compliance with Section 108 of the Act, read with the corresponding rules, and Regulation 44 of the SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODRR") the company has provided a facility to its members to exercise their votes electronically through the electronic voting ("e-voting") facility provided by the Central Depository Services Limited ("CDSL"). Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may participate in the AGM but shall not be entitled to cast their votes again. The manner of voting remotely by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email address is provided in the instructions for e-voting section which forms part of this notice. Board of Directors has appointed M/s. D.S. Momaya & Co LLP (FRN No. L2022MH012300), Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting in a fair and transparent manner.

12. The e-voting commences on **Monday, 26th September, 2022** from **09:00 am onwards** (IST) and ends on **Wednesday, 28th September, 2022** from **05:00 pm** (IST). During this period, members holding shares either in physical or dematerialized form, as on cut-off date (record date) i.e. as on **22nd September, 2022** may cast their votes electronically. The e-voting module will be disabled by the CDSL for voting thereafter. A member will not be allowed to vote again on any resolution on which vote has already been cast. The voting rights of members shall be proportionate to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. **22nd September, 2022**.

13. The facility for voting during the AGM will also be made available. Members present in the AGM through VC and who have not cast their vote on resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system during the AGM.

14. The cutoff date for sending 61st AGM notice & Annual report is on **26th August, 2022**. Any person who acquires shares of the company and becomes a member of the Company after sending of the Notice and holding

shares as of the cut off-date may obtain the login ID and password by sending a request at vinod.y@bigshareonline.com. However, if he/ she is already registered with the CDSL for remote e-voting then he/ she can use his/ her existing user ID and password for casting the vote.

15. In compliance with the MCA/SEBI Circulars, the 61st Annual Report 2021-22, the Notice of the 61st AGM, and instructions for e-voting are being sent only through electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s) as on the cut-off date i.e. **26th August, 2022**. Physical copy of the AGM notice along with the Annual Report 2021-22 shall be sent to those members who request for the same.

16 We urge members to support our commitment to environmental protection by choosing to receive the Company's Communication through email. Members holding shares in demat mode, who have not registered their email addresses are requested to register their email addresses with their respective depository participants and members holding shares in physical mode are requested to update their email addresses with the Company's RTA Bigshare Services Private Limited at investor@bigshareonline.com to receive the copies of the Annual report 2021-22 and other communications from the company in electronic mode.

17. Members may also note that the Notice of the 61st AGM and the Annual Report 2021-22 will also be available on the Company's Website www.hoclindia.com, website of the Stock exchange, i.e. BSE Limited, at www.bseindia.com; and on the website of the CDSL at www.evoting.com;

18. As per Regulation 40 of SEBI Listing Regulations, as amended from time to time, securities of listed companies can be transferred only in dematerialized form with effect from April 1, 2019, expect in case of request received for transmission or transposition of securities. In view of this and to eliminate all risks associated with the physical shares and for ease of portfolio management, members holding shares in physical form are requested to consider converting their holdings to dematerialized form. Members can contact the Company or Company's Registrars and Transfer Agents, Bigshare Services Private Limited for assistance in this regard.

19. SEBI has mandated the submission of the Permanent Account Number (PAN) by every participant in the securities market. Members holding shares in electronic form are, therefore, requested to submit their PAN to their depository participants (s). Members holding shares in physical form are required to submit their PAN details to the RTA i.e. Bigshare Services Private Limited.

20. Since the AGM will be held through VC/OAVM, Proxy form, Attendance Slip and the Route Map are not annexed to this Notice.

CDSL e-Voting System – For Remote e-voting and e-voting during AGM

1. As you are aware, in view of the situation arising due to COVID-19 global pandemic, the general meetings of the companies shall be conducted as per the general circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) No. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 2/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 8, 2021, December 14, 2021, May 5, 2022.The forthcoming AGM will thus be held through through video conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM). Hence, Members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/ OAVM.

2. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended), and MCA Circulars dated April 08, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020 the Company is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM/EGM. For this purpose, the Company has entered into an agreement with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized e-Voting's agency. The facility of casting votes by a member using remote e-voting as well as the e-voting system on the date of the AGM will be provided by CDSL.

3. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available to atleast 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.

4. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

5. Pursuant to MCA General Circulars, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members is not available for this AGM. However, in pursuance of Section 112 and Section 113 of the Companies Act, 2013, representatives of the members such as the President of India or the Governor of a State or body corporate can attend the AGM through VC/OAVM and cast their votes through e-voting.

6. In line with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, the Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Company at https://www.hoclindia.com/announcements. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com. The AGM Notice is also disseminated on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the AGM) i.e.www.evotingindia.com.

**THE INTRUCTIONS OF SHAREHOLDERS FOR REMOTE E-VOTING AND E-VOTING DURING AGM AND JOINING MEETING THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:**

**Instructions for remote e-voting**

(i)The remote e-voting voting period begins on **26th September, 2022 at 09:00 am (IST) and ends on 28th September, 2022 at 05:00 pm (IST).** During this period shareholders' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) of **22nd September, 2022** may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii) Shareholders who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote at the meeting venue.

(iii) Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 09.12.2020, under Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, listed entities are required to provide remote e-voting facility to its shareholders, in respect of all shareholders' resolutions. However, it has been observed that the participation by the public non-institutional shareholders/retail shareholders is at a negligible level.

Currently, there are multiple e-voting service providers (ESPs) providing e-voting facility to listed entities in India. This necessitates registration on various ESPs and maintenance of multiple user IDs and passwords by the shareholders.

In order to increase the efficiency of the voting process, pursuant to a public consultation, it has been decided to enable e-voting to **all the demat account holders**, **by way of a single login credential, through their demat accounts/ websites of Depositories/ Depository Participants**. Demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the ESPs, thereby, not only facilitating seamless authentication but also enhancing ease and convenience of participating in e-voting process.

(iv) In terms of SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Pursuant to above said SEBI circular, Login method for e-voting and joining virtual meetings for individual shareholders holding securities in Demat mode is given below

| Type of shareholders | Login Method |
|---|---|
| Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **CDSL** | 1) Userswho have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The URL for users to login to Easi / Easiest arehttps://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or visit www.cdslindia.com and click on Login icon and select New System Myeasi.<br>2) After successful loginthe Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companieswhere the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the CDSL e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.Additionally, there is also links provided to access the system ofall e-Voting Service Providersi.e. CDSL/NSDL/KARVY/LINKINTIME, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly.<br>3) If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration<br>4) Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link availableon www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting optionwhere the evoting is in progressand also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers. |
| Individual Shareholders holding securities in demat mode with **NSDL** | 1) If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.<br>2) If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select "Register Online for IDeAS "Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp<br>3) Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting |
| Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their **Depository Participants** | You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. |

**Important note:** Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

| Login type | Helpdesk details |
|---|---|
| Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **CDSL** | Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33. |
| Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **NSDL** | Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 |

(v) Login method for e-Voting and joining virtual meeting for **shareholders other than individual shareholders holding in Demat form & physical shareholders.**

1) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.

2) Click on "Shareholders" module.

3) Now enter your User ID

a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,

b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,

c. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.

4) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

5) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.

6) If you are a first-time user follow the steps given below:

| | For Shareholders holding shares in Demat Form other than individual and Physical Form |
|---|---|
| PAN | Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)<br>• Shareholders who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Company/RTA or contact Company/RTA. |
| Dividend Bank Details **OR** Date of Birth (DOB) | Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login.<br>• If both the details are not recorded with the depository or company, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (3). |

(vi) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(vii) Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(viii) For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(ix) Click on the EVSN for the relevant <Company Name> on which you choose to vote.

(x) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xi) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xii)After selecting the resolution, you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xiii)Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xivYou can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xv)If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

**(xvi)Facility for Non – Individual Shareholders and Custodians –Remote Voting**

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the "Corporates" module.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- Alternatively Non Individual shareholders are required to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Company at the email address viz; cs@hoclindia.com (designated email address by company) , if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE AGM THROUGH VC/ OAVM & E-VOTING DURING MEETING ARE AS UNDER:

1. The procedure for attending meeting & e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for Remote e-voting.
2. The link for VC/OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of Company will be displayed after successful login as per the instructions mentioned above for Remote e-voting.
3. Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the meeting. However, they will not be eligible to vote at the AGM.
4. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / IPads for better experience.
5. Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
6. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
7. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance **at least 14 days prior to meeting** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at (company email id). The shareholders who do not wish to speak during the AGM but have queries may send their queries in advance **14 days prior to meeting** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at (company email id). These queries will be replied to by the company suitably by email.
8. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.
9. Only those shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM.
10. If any Votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the AGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.

**PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE E MAIL ADDRESSES ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES FOR OBTAINING LOGIN CREDENTIALS FOR E-VOTING FOR THE RESOLUTIONS PROPOSED IN THIS NOTICE:**

1. For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to **Company/RTA email id**.
2. For Demat shareholders -, please provide Demat account detials (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to **Company/RTA email id**.

   If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33.

   All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at toll free no. 1800 22 55 33.

**By Order of the Board of**
**Hindustan Organic Chemicals Ltd.**

**Sd/-**
**Subramonian H.**
**Company Secretary**
**[ACS 28380]**

**Place: CBD Belapur**
**Date: 30.08.2022**

**Registered Office:**
**401, 402, 403, 4th Floor, V Times Square, Plot No.3**
**Sector 15, CBD Belapur, Navi Mumbai – 400614**

ADDITIONAL INORMATION OF DIRECTORS SEEKING RE-APPOINTMENT AT THE ANNUAL GENERAL MEETING AS REQUIRED UNDER REGULATION 36 (3) OF THE SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015, IN THE ORDER OF THE ITEMS MENTIONED IN THE NOTICE:

| Particulars | Shri Satendra Singh |
|---|---|
| DIN | 05195060 |
| Date of Birth | 28/08/1971 |
| Age | 51 |
| Date of appointment | 21/12/2021 |
| Relationship with Directors/KMP | No |
| Shareholding in the Company | No |
| Qualifications | B.E, M.A ( Public Policy), IAS (1995 batch) Jharkhand Cadre |
| Expertise in specific functional area | Shri Satendra Singh belongs to 1995 batch of Indian Administrative Services (IAS) from Jharkhand Cadre. He is currently working as Additional Secretary and Financial Advisor in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India, New Delhi.<br>Shri Satendra Singh has done B.E in Electronics from University of Roorkee. He has Master's Degree in Public Policy from Duke University, USA. He has participated in various short term courses at the National and International Levels. |
| Number of shares held in the company as on March 31, 2022 | Nil |
| List of directorship in other Companies | Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited |
| Chairman/ Member of the committee of Directors of other companies in which he is a Director as on March 31, 2022 | Nil |
| Number of Board meeting attended during the year 2021-22 | Two (2) |

**EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF COMPANIES ACT, 2013**

**Item No 4: Appointment of Cost Auditors for the year 2022-23**

In accordance with the provisions of Section 148 of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 ("the Rules") the Company is required to appoint Cost Auditors to audit the Cost Records of the Company for products and services specified under Rules issued in pursuance to the above Section.

The Board of Directors of the Company approved the appointment of M/s. R.M. Bansal & Co, Cost Accountants (Firm Registration No. 000022) as Cost Auditors of the Company to conduct cost audit of cost records maintained by the company for the FY 2022-23 at a total fees of Rs. 50,000/- plus GST and to issue of Compliance Certificate/s thereof and to give Cost Audit Report for the year 2022-23 and for assisting in & e-filing of Cost Audit reports related XBRL e-forms in respect of Kochi Unit Products for the FY 2022-23.

M/s. R.M. Bansal & Co, Cost Accountant have furnished certificates regarding their eligibility for appointment as Cost Auditor of the Company. In accordance with the provisions of Section 148 of the Act, read with the Rules, the remuneration payable to the Cost Auditor has to be ratified by the Shareholders of the Company. Accordingly, consent of the Members is sought for the said purpose.

The Board of Directors recommend the Ordinary Resolution set forth in Item No. 4 of the Notice for approval of the members.

None of the Directors or Key Managerial Personnel of the Company including their relatives are interested or concerned in the Resolution expect to the extent of their shareholding, if any, in the Company.

**Item No. 5: Appointment of Shri Kanishk Kant Srivastava (DIN 09699641) as Government Nominee Director**

As per the Articles of Association of the Company, power to appoint Directors vest with the President of India, through the Administrative Ministry. Accordingly, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals, Government of India vide Order No.P-51011/6/2011-Chemical-III-CPC dated 30th March, 2022 appointed Shri Kanishk Kant Srivastava as Government Nominee Director on the Board of Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL) for a period of three (3) years with effect from 30th March, 2022 or until further orders whichever is earlier.

The Company has received all statutory disclosures/declarations from Shri Kanishk Kant Srivastava as required under the provisions of Companies Act, 2013. The Board of Director in their meeting held on 26th May, 2022 noted the Government Order appointing Shri Kanishk Kant Srivastava as Government Nominee Director on the Board of HOCL for a period of three (3) years with effect from 30th March, 2022.

As per Articles of Association, though the power to appoint Directors of HOCL vest with Government of India, as per the provisions of Section 152(2) of the Companies Act, 2013, every director shall be appointed by the company in general meeting. Hence, the Board recommends the resolution set forth in Item No.5 for the approval of members by way of Special Resolution.

No director, key managerial personnel or their relatives except Shri Kanish Kant Srivastava, to whom the resolution relates, is interested in or concerned, financially or otherwise, in passing the proposed resolution set out in item no.5.

Profile of Shri Kanishk Kant Srivastava

| DIN | 09699641 |
|---|---|
| Date of Birth | 14/11/1980 |
| Date of appointment | 30.03.2022 |
| Relationship with Directors/KMP | No |
| Shareholding in the Company | No |
| Remuneration proposed to be paid | Nil |
| Expertise in specific functional area | Possessing experience in Government Services |
| Number of shares held in the company as on March 31, 2022 | Nil |
| List of directorship in other Listed Companies | Nil |
| Chairman/ Member of the committee of Directors of other companies in which he is a Director as on March 31, 2022 | Nil |
| Number of Board meeting attended during the year 2021-22 | NA |

**Item No. 6 of the Notice: Appointment of Dr Bharat J Kanabar (DIN 09466694) as Non-Official Part-time Independent Director**

As per the Articles of Association of the Company, power to appoint Directors vest with the President of India, through the Administrative Ministry. Accordingly, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals, Government of India vide Order No.P-53013/8/2019-CHEM.III-CPC dated 24th December, 2021 appointed Dr Bharat J Kanabar as part time Non-Official Director on the Board of Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL) for a period of three (3) years with effect from the date of notification of the appointment order or until further orders. Dr Bharat J Kanabar fulfills the requirement of an Independent Director as laid down under Section 149(6) of the Companies Act, 2013 and Regulation 16 of the SEBI LODRR.

The Company has received all statutory disclosures/declarations from Dr Bharat J Kanabar as required under the provisions of Companies Act, 2013. The Board of Directors has considered that Dr Bharat J Kanabar possesses diverse skills, leadership capabilities, expertise in various management related aspects, experience in medical field as being key requirements to this role.

Considering the above, Board of Director in their meeting held on 28th January, 2022 noted the Government Order appointing Dr Bharat J Kanabar as part time Non-Official Director on the Board of HOCL for a period of three (3) years with effect from 24th December, 2021 or until further order from Government of India. As per the provisions of the Section 149(13) of the Companies Act, 2013, Independent Director is not liable to retire by rotation. Accordingly, Dr Bharat J Kanabar is not liable to retire by rotation for a period of three (3) years with effect from 24th December, 2021 or until further orders of Government.

As per Articles of Association, though the power to appoint Directors of HOCL vest with Government of India, as per the provisions of Section 152(2) of the Companies Act, 2013, every director shall be appointed by the company in general meeting. Hence, the Board recommends the resolution set forth in Item No.6 for the approval of members by way of special resolution.

No director, key managerial personnel or their relatives except Dr Bharat J Kanabar, to whom the resolution relates, is interested in or concerned, financially or otherwise, in passing the proposed resolution set out in item no.6.

Profile of Dr Bharat J Kanabar

| | |
|---|---|
| DIN | 09466694 |
| Date of Birth | 06/07/1955 |
| Date of appointment | 24.12.2021 |
| Relationship with Directors/KMP | No |
| Shareholding in the Company | No |
| Remuneration proposed to be paid | Nil |
| Expertise in specific functional area | Possessing experience as Medical professional |
| Number of shares held in the company as on March 31, 2022 | Nil |
| List of directorship in other Listed Companies | Independent Directors in Hindustan Fluorocarbons Limited |
| Chairman/ Member of the committee of Directors of other companies in which he is a Director as on March 31, 2022 | Three (3) committees |
| Number of Board meeting attended during the year 2021-22 | Three (3) |

**Item No. 7: Appointment of Shri Pratyush Mandal (DIN 09461918) as Non-Official Part-time Independent Director**

As per the Articles of Association of the Company, power to appoint Directors vest with the President, through the Administrative Ministry. Accordingly, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals, Government of India vide Order No.P-53013/8/2019-CHEM.III-CPC dated 24th December, 2021 appointed Shri Pratyush Mandal as part time Non-Official Director on the Board of Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL) for a period of three (3) years with effect from the date of notification of the appointment order or until further orders. Shri Pratyush Mandal fulfills the requirement of an Independent Director as laid down under Section 149(6) of the Companies Act, 2013 and Regulation 16 of the SEBI LODRR.

The Company has received all statutory disclosures/declarations from Shri Pratyush Mandal as required under the provisions of Companies Act, 2013. The Board of Directors has considered that Shri Pratyush Mandal possesses diverse skills, leadership capabilities, expertise in management related aspects, and experience in social service related aspects as being key requirements to this role.

Considering the above, Board of Director in their meeting held on 28th January, 2022 noted the Government Order appointing Shri Pratyush Mandal as part time Non-Official Director on the Board of HOCL for a period of three (3) years with effect from 24th December, 2021 or until further order of Government of India. As per the provisions of the Section 149(13) of the Companies Act, 2013, Independent Director is not liable to retire by rotation. Accordingly, Shri Pratyush Mandal is not liable to retire by rotation for a period of three (3) years with effect from 24th December, 2021 or until further order of Government.

As per Articles of Association, though the power to appoint Directors of HOCL vest with Government of India, as per the provisions of Section 152(2) of the Companies Act, 2013, every director shall be appointed by the company in general meeting. Hence, the Board recommends the resolution set forth in Item No.7 for the approval of members by way of special resolution.

No director, key managerial personnel or their relatives except Shri Pratyush Mandal, to whom the resolution relates, is interested in or concerned, financially or otherwise, in passing the proposed resolution set out in item no.7.

Profile of Shri Pratyush Mandal

| | |
|---|---|
| DIN | 09461918 |
| Date of Birth | 05/07/1979 |
| Date of appointment | 24.12.2021 |
| Relationship with Directors/KMP | No |
| Shareholding in the Company | No |
| Remuneration proposed to be paid | Nil |
| Expertise in specific functional area | Possessing experience in social service for betterment and development of weaker, youth, women and backward section of the society. |
| Number of shares held in the company as on March 31, 2022 | Nil |
| List of directorship in other Listed Companies | Nil |
| Chairman/ Member of the committee of Directors of other companies in which he is a Director as on March 31, 2022 | Nil |
| Number of Board meeting attended during the year 2021-22 | Three (3) |

**Item No 8: Shifting of Registered Office from Maharashtra to Kerala**

The Govt. of India approved a restructuring plan for the Company on 25th May, 2017. As per the approved restructuring plan and with the prior approval of the shareholders of the company, operation of the Rasayani Unit was closed, employees were given VRS and sale of movable assets have been completed. However, the sale of the land is partially completed due to protest from Villagers / farmers who have been cultivating in vacant land. In view of this, after obtaining the approval for shifting the registered office, the land sale related matters will be taken cared by the company before the actual shifting of registered office to Kerala.

The Board of Directors of the company at the meeting held on 26th May, 2022 had given approval for Shifting Registered Office of the Company from CBD, Belapur, Navi-Mumbai, Maharashtra to Kochi, Kerala, subject to the approval of Shareholders and final approval from the Administrative Ministry and other regulatory authorities.

The Rationale for shifting of registered office from Mumbai to Kochi is provided below:-

- Kochi is one and only unit of HOCL functioning now. Top management will have a direct supervision and control over the affairs of the manufacturing unit, especially in the view of the fact that senior officers of Kochi Unit have retired/ retiring soon.
- Savings on the rent of Corporate Office building - Huge rent is paid for maintaining the office at Mumbai, whereas sufficient office space and facilities are available in Kochi to accommodate the office of the directors.
- Savings on the wage bill- HRA at Kochi is less by 10% than that of Mumbai.
- Better utilization of manpower- By clubbing the manpower of Corporate Office and Kochi Unit together at one location better utilization of manpower can be ensured.
- Savings on the travelling expenses of top management and senior officers for the visit to the plant and vice versa.
- More efficient administration with faster communication and also quick on the spot decisions due to the availability of decision makers at the manufacturing location itself.

Further, as per provisions of Section 12, 13 and such other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Companies (Incorporation) Rules, 2014 and other applicable rules a Special Resolution is required to be passed if the registered office of the company is shifted outside the local limits of a city, town or village where office is situated at the time of commencement of the Act and consequent Alteration of Memorandum of Association of a company.

Consequent to the proposed change, Clause 2 of the Memorandum of Association of the Company is proposed to be substituted as given below:-

***"Clause 2: The Registered Office of the Company will be situated in the State of Kerala, Kochi."***

Further, confirmation/approval from the Regional Director is also required if the registered office of the company is changed from jurisdiction of one Registrar to another Registrar.

As required under the provisions of the Companies Act, approval of Members is sought for shifting the registered office of the company from CBD Belapur, Navi Mumbai, Maharashtra to Kochi, Kerala and for alteration of the Memorandum of Association of the company.

The Board therefore recommends the Special Resolution set forth in Item No.8 of the Notice for approval of the members.

None of the Directors or Key Managerial Personnel of the Company including their relatives are interested or concerned in the Resolution expect to the extent of their shareholding, if any, in the Company.

**By Order of the Board of**
**Hindustan Organic Chemicals Ltd.**

**Sd/-**
**Subramonian H.**
**Company Secretary**
**[ACS 28380]**

**Place: CBD Belapur**
**Date: 30.08.2022**

**Registered Office:**
**401, 402, 403, 4th Floor, V Times Square, Plot No.3**
**Sector 15, CBD Belapur, Navi Mumbai – 400614**

## DIRECTORS REPORT

The Board of Directors presents herewith the 61st Annual Report of your Company along with the Audited Statement of Accounts for the financial year 2021-22.

### 1.FINANCIAL RESULTS

The financial results for the year ended 31.03.2022 with the comparative figures of company's operations for the previous year is as under:

**(Rs. in Lakhs)**

| Particulars | 2021-22 | 2020-21 |
|---|---|---|
| Revenue from operations | 43,367.39 | 41,157.80 |
| Other Income | 3,142.73 | 1,961.29 |
| **Total** | **46,510.12** | **43,119.09** |
| Expenditure excl. Dep. | 48,718.22 | 41,401.19 |
| **Profit before Depreciation & Tax** | **(2,208.10)** | **1,717.90** |
| Less Depreciation | 116.37 | 120.79 |
| **Profit /(Loss) before Tax** | **(2,324.47)** | **1,597.11** |
| Less : Provision of Tax | 0.00 | 0.00 |
| **Profit/(Loss) after Tax** | **(2,324.47)** | **1,597.11** |
| **Other Comprehensive Income for the year, net of tax** | **1,602.93** | **1,542.78** |
| **Total Comprehensive Income for the year** | **(721.54)** | **3,139.89** |

### 2. MEMORANDUM OF UNDERSTANDING WITH GOVERNMENT OF INDIA

Company has been entering into a Memorandum of Understanding (MOU) with the Ministry of Chemicals & Fertilizers, Government of India, setting the performance parameters and targets every year. Company secured "Good" rating for the year 2020-21.

### 3. COVID-19 IMPACT ANALYSIS

a. There is no considerable financial impact on account of Covid-19 pandemic during the year ended 31.03.2022.

b. COVID-19 has affected all the sectors of industry and commerce sectors that has much affected including logistics, auto, drugs, pharmaceuticals and electronic goods where our products are used. The impact of COVID-19 for the financial year 2021-22 may lead to decline in demand or prices, suspend or significantly reduce operations of factory and affect movement of interstate transportation of goods etc.

As per our current assessment, no significant impact on tangible assets, intangible assets, trade receivables, investments and other financial assets is expected, and we continue to monitor the changes in future economic conditions. The Management does not see any risk in the ability to continue as a going concern and meeting its liabilities as and when they fall due. However, the actual impact of Covid-19 on the Company's financial statements may differ from what is estimated.

### 4. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT

In accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and IND AS 110 – Consolidated Financial Statement, the audited consolidated financial statement for the period ending 31.03.2022 is provided in the Annual Report.

### 5. DIVIDEND

In view of the loss incurred during the current year, the Board of Directors do not recommend any Dividend for the year under review.

### 6. CHANGE IN NATURE OF BUSINESS IF ANY

Consequent to the decision of the Govt. of India for closure of Subsidiary Company Hindustan Fluorocarbons Ltd., an amount of Rs.75.87 crore has been released to the subsidiary company as interest free loan from Govt. of India to meet the expenses related to VRS/VSS to employees and settling dues to Bank and other liabilities.

### 7. FINANCIAL HIGHLIGHTS

During the year 2021-22, the company has achieved a Gross Income of Rs.465.10 crore registering an increase of 7.86 % as against the Previous Year Gross Income of Rs.431.19 Crore. The Company has incurred a Net Loss of Rs.23.24 Crore during the year as against Net profit of Rs.15.97 crore earned during the previous year.

### 8. NUMBER OF MEETINGS OF BOARD (including the dates of Board and committee meetings indicating the number of meetings attended by each director in every financial year)

During the year the Eight (8) Board Meetings were held on the following dates: 11th June, 2021, 30th July, 2021, 23rd September, 2021, 29th October, 2021, 3rd December, 2021, 28th January, 2022, 25th March, 2022, 28th March, 2022.

During the year the Audit Committee Meetings were held on the following dates 28th January, 2021, and 25th March, 2021.

Other details are furnished in the Corporate Governance Report in Annexure IV to this Report.

### 9. EXTRACT OF ANNUAL RETURN

Pursuant to sub-section 3(a) of Section 134 of the Companies Act 2013, read with Rule 12 of the Companies(Management and Administration) Rules, 2014 an extract of the Annual Return as at March 31, 2022 in form MGT 9 is appended as **Annexure I** to the Board's Report.

### 10. SUBSIDIARY COMPANY

Your company has one (1) subsidiary company namely; Hindustan Fluorocarbons Limited [HFL]. Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals vide No. P. 51015/06/2019-Ch. III dated 29th January, 2020 informed the decision of Cabinet Committee on Economic Affairs, directing closure of HFL, which was approved by the shareholders on 30th March, 2020. Pursuant to Section 129(3) of the Companies Act, 2013 read with Rule 5 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, a statement containing salient features of the financial statements of subsidiary company in Form AOC-1 is attached as **Annexure II** to the Board's Report.

### 11. RELATED PARTY TRANSACTIONS

All the Related Party Transactions that were entered into during the financial year were on arm's length basis and were in ordinary course of business. There were no materially significant transactions with Related Parties during the financial year 2021-2022 which were in conflict with the interest of the Company. Suitable disclosures as required under IND AS-24 have been made in Note No.38 of the Notes to the Financial Statements.

Particulars of contract/arrangements/transactions made with related parties, pursuant to Section 188(1) of the Companies Act, 2013 in the prescribed form AOC-2 is appended as **Annexure III** which forms part of this report.

### 12. MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS REPORT

The details in this regard forms part of Corporate Governance Report as **Annexure IV** to the Annual Report.

### 13. CORPORATE GOVERNANCE

Due to non-availability of Independent Directors for the substantial period of FY 2021-22, there has been non-compliance to that extent with various requirements of Corporate Governance under the provisions of Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and various Rules/ Regulations made there under. The details in this regard forms part of Corporate Governance report as **Annexure V** to the Annual Report. The requisite certificate from the practicing company secretaries confirming with the conditions of Corporate Governance is attached to the report on Corporate Governance.

### 14. COMPLIANCE OF CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES ISSUED BY DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES

DPE, Government of India, has laid down certain parameters for the purpose of grading the CPSEs on the basis of their compliance with guidelines on Corporate Governance and this report needs to be submitted to the Ministry of Chemicals & Fertilizers, Government of India on Quarterly basis. Company has been complying with the Guidelines on Corporate Governance for CPSEs laid down by DPE and regularly submits reports to the Ministry of Chemicals & fertilizers, Government of India. Applicable grade of 4th Quarter / year ended 31.03.2022 is "Excellent"

### 15. MANNER IN WHICH FORMAL ANNUAL EVALUATION OF PERFORMANCE OF BOARD, ITS COMMITTEES AND INDIVIDUAL DIRECTORS HAS BEEN CARRIED OUT :

The provisions of Section 134 (3)(p) of the Act shall not apply to a Government Company in case the Directors are evaluated by the Ministry, which is administratively in charge of the Company as per its own evaluation methodology. HOCL, being a Government Company, the performance evaluation of the Directors is carried out by the Administrative Ministry (MoC&F), Government of India, as per applicable Government guidelines.

**16. KEY MANAGERIAL PERSONNEL:**

The following are Key Managerial Personnel of the Company:

a) Shri Sajeev B - Chairman & Managing Director [DIN: 09344438]

b) Shri P.O Luise - CFO & GM (Finance)

c) Subramonian H - Company Secretary & Compliance Officer [ACS: 28380]

**17. DETAILS OF DIRECTORS AND/OR KMP'S WHO HAVE BEEN APPOINTED OR RESIGNED DURING THE YEAR:**

i. Consequent to the superannuation of Shri S. B. Bhide on 31st July, 2021 as per Govt. of India, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals ORDER No.P-51011/01/2021-CHEM.III-CPC dated 2nd August, 2021 Shri S.C. Mudgerikar, Chairman and Managing Director,Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limied (RCF) has assumed the Additional Charge of Chairman and Managing Director (CMD) and Director (Finance) of Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL) in addition to his duties and responsibilities as Chairman and Managing Director, Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited (RCF) with immediate effect for a period of three months or until further orders whichever is earlier.

ii. Consequent to the Govt. of India, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals ORDER No.P-51011/01/2021-Chem.III-CPC dated 06th September, 2021 Shri. Sajeev B., Chief General Manager, HOCL was appointed as Chairman and Managing Director of HOCL with effect from the date of his assumption of Charge of the post till the date of his superannuation, i.e. 31st May, 2025, or until further orders, whichever is earlier. Shri Sajeev B. is also holding additional charge of Chairman and Managing Director of Hindustan Fluorocarbons Limited, subsidiary company of HOCL.

As per Govt. of India, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals ORDER No.P-53011/02/2019-CHEM.III-CPC dated 10th March, 2022, Shri Sajeev B., CMD HOCL, has been entrusted Additional Charge to the post of Director (Finance) of HOCL for a period of Nine Months w.e.f. 22nd September, 2021 or till the appointment of a regular incumbent to the post, or until further orders, whichever is earliest.

iii. As per Govt. of India, Ministry of Chemicals & fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals Order No. P-51015/12/2014-CHEM.III-CPC dated 21st December, 2021 Shri. Satendra Singh, Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Chemicals & Fertilizers, was appointed as Government Nominee Director on the Board of Directors of Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL) in place of Shri Ashish Upadhyay.

iv. As per Govt. of India, Ministry of Chemicals & fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals Order No. P-53013/8/2019-CHEM.III-CPC dated 24th December, 2021 Dr Bharat J Kanabar was appointed as Non-official Independent Director on the Board of Directors of Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL) for a period of three (3) years with effect from date of order, or until further orders.

v. As per Govt. of India, Ministry of Chemicals & fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals Order No. P-53013/8/2019-CHEM.III-CPC dated 24th December, 2021 Shri Pratyush Mandal was appointed as Non-official Independent Director on the Board of Directors of Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL) for a period of three (3) years with effect from date of order, or until further orders.

vi. Mrs. Susheela S. Kulkarni, Company Secretary & Compliance Officer of the Company has superannuated from the services of the Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL) on 28th February, 2022 and accordingly, the Charge of Company Secretary, HOCL has been handed over to Mr. Subramonian H on 28th February, 2022. Subsequently, Mr Subramonian H has been appointed as Company Secretary & Compliance Officer of HOCL w.e.f 01.03.2022.

vii. As per Govt. of India, Ministry of Chemicals & fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals ORDER NO. P-51011/6/2011-Chemical.III/CPC dated 30th March, 2022 Shri. Kanishk Kant Srivastava, Director, Department of Chemical & Petrochemical, wasappointed as Government Nominee Director on the Board of Directors of Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL) w.e.f. 30th March, 2022, for a period of three years or till further orders, whichever is earlier, in place of Shri Samir Kumar Biswas, Additional Secretary, Department of Chemicals & Petrochemicals, who has been relieved from the Department w.e.f. 31st January, 2022.

**18. PARTICULARS OF EMPLOYEES**

Information regarding particulars of employees drawing remuneration in excess of the limit specified under Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 is not applicable as none of the employees of the Company has drawn remuneration in excess of the stipulated limit, during the year under review.

**19. COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE (AC) AND NON ACCEPTANCE OF ANY RECOMMENDATIONS OF AC (only for public and listed companies).**

As on 31st March, 2022 Audit Committee has only 2 Members. There is a vacancy of one (1) more Independent Director on the Board. As and when the appointment of Independent Director is done by the Ministry, company will reconstitute the Audit Committee.

Details of Composition, meetings of Audit Committee/Sub-Committee are provided in Corporate Governance Report in Annexure IV to this Report.

**20. COMMITTEES OF THE BOARD**

There was non-availability of Independent Directors for the substantial period of FY 2021-22. However, on 24th December, 2021 the Government appointed two (2) Independent Directors on the Board of HOCL. The Board of Directors of the company in the meeting held on 28th January, 2022 re-constituted following Committees:-

i. Audit Committee

ii. Nomination and Remuneration Committee

iii. Stakeholder Relationship Committee

iv. Corporate Social Responsibility Committee (CSR)

**21. SECRETARIAL STANDARDS**

Applicable Secretarial Standards, i.e., SS-1 and SS-2, relating to 'Meetings of the Board of Directors' and 'General Meetings', respectively, have been duly complied by the Company.

**22. DIRECTOR'S RESPONSIBILITY STATEMENT**

Your Directors make the following statement in terms of Section 134(5) of the Companies Act, 2013 -

i. That in the preparation of the annual accounts for the year ended 31st March, 2022; the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures.

ii. That such accounting policies as mentioned in the Notes on Accounts had been applied consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at the financial year ended 31st March, 2022 and the profit or loss of the Company for that period.

iii. That proper and sufficient care had been taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

iv. That the annual accounts for the year ended 31st March, 2022 had been prepared on a going concern basis.

v. Directors have laid down internal financial controls to be followed by the company and such internal financial controls are adequate and are operating effectively and

vi. That the Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

**23. INDEPENDENT DIRECTORS DECLARATION –**

TThere was non-availability of Independent Directors for the substantial period of FY 2021-22. However, on 24th December 2021, the Government appointed two (2) Independent Directors on HOCL Board. Accordingly, in compliance with the provisions of Regulation 25 (3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 separate meeting of Independent Directors was held on 25th March, 2022 and requirement of Independent Director Declaration was duly complied during the year under review. (FY 2021-2022).

**24. DISCLOSURE ON REAPPOINTMENT OF INDEPENDENT DIRECTORS**

No reappointment of Independent Directors was made during the year under review. (FY 2021-2022).

**25. COMPANY'S POLICY ON DIRECTOR'S APPOINTMENT AND REMUNERATION INCLUDING CRITERIA FOR DETERMINING QUALIFICATIONS, POSITIVE ATTRIBUTES, INDEPENDENCE OF DIRECTORS ETC.**

As per notification dated 5th June, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, provision of section 134(3) (e) of the Companies Act, 2013 regarding disclosure of its policy on Director's appointment and remuneration including criteria for determining qualifications, positive attributes, independence of a Director and other matter provided under sub- section (3) of section 178 of the Companies Act, 2013 are not applicable to a Government company.

Company being a CPSE, appointments of all the Directors on the Board of the Company are made by the Govt. of India/President of India and under the supervision, control and directions of the Department of Chemicals & Petrochemicals and the prescribed DPE Guidelines are being followed. The Terms and Conditions of appointment of Independent Directors and other directors, are as per the Government Orders are disclosed on the Company's website.

**26. RATIO OF DIRECTORS REMUNERATION TO MEDIAN EMPLOYEES REMUNERATION AND OTHER PRESCRIBED ELABORATE DISCLOSURES AND DETAILS:-**

The provisions of Section 134 (3)(e) of the Act are not applicable to a Government Company. Consequently, details on Company's policy on Directors' appointment and other matters are not provided under Section 178 (3) of the Act. Similarly, Section 197 of the Act shall not apply to a Government Company. Consequently, disclosure of the ratio of the remuneration of each Director to the median employee's remuneration and other such details including the statement showing the names and other particulars of every employee of the Company, who if employed throughout / part of the financial year, was in receipt of remuneration in excess of the limits set out in the Rules are not provided in terms of Section 197 (12) of the Act read with Rule 5 (1) / (2) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014. The Chairman & Managing Director and the Whole-time Directors of the Company did not receive any remuneration or commission from any of its Subsidiaries. HOCL, being a Government Company, its Directors are appointed / nominated by the Government of India as per the Government / DPE Guidelines which also include fixation of pay criteria for determining qualifications and other matters.

**27. AUDITORS**

a) Statutory Auditors

M/s. BSJ & Associates, Chartered Accountants, were appointed as Statutory Auditors of your Company for Corporate Office and Kochi Unit for FY 2021-2022 by C&AG.

The auditors have furnished a declaration confirming their independence as well as their arm's length relationship with the Company as well as declaring that they have not taken up any prohibited non-audit assignments for the Company. The Audit Committee reviews the independence and objectivity of the Auditors and the effectiveness of the audit process. The auditors attend the Annual General Meeting of the Company.

The Auditors in their report for the year have not reported any instances of fraud committed by the officers/employees of the company.

b) Cost Auditors

The Board of Directors had appointed M/s. C.Y. Associates, Cost Accountants as Cost Auditors of your Company for FY 2021-2022. In the 50th AGM held on 29th September, 2021 the members have ratified the remuneration payable to the Cost Auditors.

c) Internal Auditors

M/s. Isaac & Suresh, Chartered Accountants were appointed as Internal Auditor of your Company for Corporate office and Kochi unit for FY 2021-2022.

d) CAG Auditors

Supplementary Audit is conducted by Principal Director of Audit (Shipping), Mumbai. CAG Auditors have issued 'Nil' comment report which forms part of this Annual Report.

e) Secretarial Auditors

The Board had appointed D. S. Momaya & Co., Practising Company Secretaries to conduct Secretarial Audit for the FY 2021-2022. The Secretarial Audit Report for the Financial Year ended 31st March, 2022 is annexed to this Report as and complied with Section 204 of Companies Act and Regulation 24A of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Company has also obtained Annual Secretarial Compliance Report form the PCS D. S. Momaya& Co. for the year 2021-22 under Regulation 24A of Listing Regulation. The observations in the Secretarial Audit report and the management response is given below;

| Sl No. | Observation | Management Response |
|---|---|---|
| 1. | As per market capitalization for the year 2021-22 the company stands on rank 1627. Hence as it is within the top 2000 companies, the company is required to have minimum 6 directors on the Board. But as on March, 31 2022 the company is having only 5 directors on the Board. | HOCL is a CPSE (Central PSU/PSE) under the administrative control of the Ministry of Chemicals & Fertilizers (MoC&F), Dept. of Chemicals and Petro Chemicals (DCPC), Government of India. Hence, the MoC&F is the administrative ministry and as per Company's Articles of Association (AOA), the powers to appoint the Board of Directors of HOCL company vest with the GOI/ Administrative Ministry. Accordingly, HOCL had already sent our submission vide email dated 02.02.2022 and requested the Administrative Ministry along with Board's recommendations for the same to look into the appointment of one independent woman director on our company's Board at the earliest. As and when HOCL receive the order from the Ministry, the total number of directors would become six (6). |
| 2. | The Audit Committee, Stakeholders relationship committee and Nomination and Remuneration Committee (NRC) are not duly constituted with right mix of Independent Directors in compliance with relevant Regulations of SEBI Listing Obligation and Disclosure Requirements (LODR) Regulations, 2015 & Companies Act 2013. | HOCL is a CPSE (Central PSU/PSE) under the administrative control of the Ministry of Chemicals & Fertilizers (MoC&F), Dept. of Chemicals and Petro Chemicals (DCPC), Government of India. Hence, the MoC&F is the administrative ministry and as per Company's Articles of Association (AOA), the powers to appoint the Board of Directors of HOCL vest with the GOI/ Administrative Ministry. As and when the appointment of one more Independent director is done, the committees will be reconstituted. |
| 3. | TThe Audit Committee although reconstituted, consists only two independent directors which is not in compliance with Regulation 18 of SEBI LODR Regulations which states that the Audit Committee shall have minimum three directors as members. Similarly, the NRC of the Company comprises two independent directors and one executive director which is not in compliance with Regulation 19 of SEBI LODR Regulation which states that all directors of the committee shall be non-executive directors. | OOn 24.12.2021, the administrative ministry had appointed two (2) Independent Directors on the Board of HOCL though the requisition was submitted for the appointment of three (3) Independent Directors. Thereafter, in the Board meeting held on 28.01.2022, Board reconstituted three (3) member audit committee comprising two (2) Independent Directors with one Independent Director as the Chairperson of the Committee and one non-executive director/Independent Director to be nominated/appointed soon. Accordingly, HOCL constituted the audit committee with available Independent Directors. As mentioned earlier, HOCL is awaiting appointment of one more Independent Director from the administrative ministry. As and when the appointment is done, the audit committee will again be reconstituted.<br>The composition of HOCL Board as on 31.03.2022 is one (1) Executive Director (CMD), two (2) Government nominee directors and two (2) Independent Directors. Therefore, As and when the appointment of Independent Director is done by the Ministry, company will reconstitute the Nomination and Remuneration Committee. |

**28. Details of vigilance cases for the Financial Year 2021-22**

| Opening balance as on 01.04.2021 | Vigilance cases received during 01.04.2021 to 31.03.2022 | Disposed off | Balance |
|---|---|---|---|
| NIL | 01 | 01 | NIL |

**29. Status of pending CAG Paras and Management Replies**

| Name of the Audit Para | Brief of the para | Reporting status |
|---|---|---|
| Para No.2.1 of C&AG Report No.13 of 2014 | Irregularities in the transfer of autonomous management of HOCL school to Mahatma Education Society and unauthorized favors to Mahatma Education Society for expanding its activities and also failed to recover lease rent of Rs.6.54 crore. | HOCL has entered into an agreement on 16.10.2006 to lease the infrastructure facilities to Mahatma Education Society (MES) for managing the school for a period of 30 years. The management of MES in order to start professional courses has constructed new buildings and facilities in the premises in contravention of the terms of agreement. The Company has sent a notice for termination as per the terms of the agreement with MES. MES has filed a petition challenging the termination notice in the Dist. Magistrates Court Alibag. MES has filed petition in the Bombay High Court for appointment of Arbitrator in the dispute between HOCL and MES. The District Court has granted stay pending the final disposal of the Arbitration petition of MES. Company has filed a petition to vacate the stay granted by the District Court in the Bombay High Court.<br>At present, the petitions are pending before the Hon'ble Bombay High court to be heard. |

**30. SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT**

In the areas of Health, Hygiene and Environment, the company has undertaken periodic medical examination, as well as statutory requirements of fitness check-up under form No. 23 for its employees. Audiometry tests were carried out for those who are exposed with Noise and Autotoxicity tests were carried out for the Benzene handlers apart from other statutory regular check-ups.

Periodic awareness session on Hygiene, Covid precautions and guidelines were imparted. In order to control the spread, Fumigation and disinfection were done on regular basis.

In our commitment to Environment, we have ensured that the level of pollutants from the Factory and nearby surroundings was much below the permissible levels.

Continuing the use of RLNG (Re-gasifiedLiquified Natural Gas) has resulted in tremendous reduction in air pollution.

As part of protecting the environment, awareness sessions, competitions, Swachh Bharat activities, promoting employees for vegetable cultivation under a "Green Mission", Beautification of the plant premises involving the entire employees of the organization were carried out. On-line Effluent Monitoring and stack monitoring system is implemented to comply with Central Pollution Control Board regulations.

The Company has implemented several measures to prevent the spread of COVID-19 pandemic during the year like encouraging the use of protective measures like use of Mask, hand hygiene, safe distance etc. Posters have been displayed at various locations to educate the employees in this regard. Homeopathic preventive medicines were supplied to the employees of all categories. Hot Water dispensers were provided to various locations among employees. Partitions done at Dining Table and Wash Area of Canteen to ensure physical distancing.

Hydrogen Peroxide (H202) one of our products is widely used as a disinfectant. Company has distributed it to some of the Institutions/ Local Bodies, free of cost. In order to promote Hydrogen Peroxide, 6% concentrated H2O2 in 1 Litre containers was also launched.

As a part of preventive measures, the selection process for engaging apprentices under Apprentices Act was conducted through online mode. The selected candidates were allowed to join after certified for a negative RTPCR Test.Posters on Covid-19 are displayed at various locations to create awareness.

As part of the safety improvements, many positive measures have been undertaken by the organization to ensure safety of the plant and personnel. IMS (Integrated Management System) was implemented integrating Quality Management System (ISO-9001), Environment Management System (ISO-14001) and Occupational Health and Safety Management System (ISO 45001).

This gives more importance to the safety, health and environmental aspects. Implementation of Energy Management System (ISO-50001) is in progress.

The existing Accident /incident investigation procedure have been revised with 29 check points and depending upon the severity, the investigation is dealt with. Achieved 747920 safe man hours for the year 2021 with no reportable accidents in the organization.

Refresher training sessions on Fire and safety were imparted to the employees. Introduced additional safety training for contract employees prior to shutdown works for creating more awareness on the safety precautions and use of PPEs to be used while working inside the plant in addition to the Awareness on health and hygiene during Covid pandemic. Tool box talks were carried out for each critical works. Due to the restriction in conducting inhouse training due to pandemic, many relevant topics were organized through Online mode like Industrial safety, Behavioural based safety, Cleanliness and hygiene for safer plant operations, Process safety Management, Defensive driving, Safe wiring practices for Industrial technicians etc for the benefit of the employees.

For better safe working practices, introduced PPE matrix at individual plants for various operations and the same has been ensured by the individual supervisors in each plant. Introduction of Behavioural Based approach resulted in receiving increased number of "Near misses" from the employees, as a result proactive measures could be taken to prevent the accidents. Organised "SurakshaRadham", an initiative by the Department of Factories and Boilers, Govt of Kerala to our employees in the Hazards, Handling of Hazardous chemicals and the Occupational diseases. Safety walk through audits were carried out by the Statutory Functional Safety Committee and the safety points discussed in the meeting were addressed for better safe practices in the organization.

Introduced color coding of safety guards for all rotating equipments in the plant. Introduced online work permit system which was developed by our own internal resources. Through e-permit system separate work permits have to be generated for each work with safety parameters as prescribed. Rerouted the emergency escape after inspections, various competitions were organized for creating more awareness on safety among employees, observed National Safety day,National fire service day etc. Surveillance cameras were installed at various locations.

HOCL received "SurakshaPuraskar" from M/s. National Safety Council, Kochi Chapter among the large chemical Industries category for the best safety performance for the year 2021.

**31. RESERVATION AND OTHER WELFARE MEASURES FOR SCHEDULED CASTES/SCHEDULED TRIBES/ OTHER BACKWARD CLASSES AND PERSONS WITH DISABILITIES.**

All guidelines laid down in respect of Reservation and other welfare measures for Scheduled castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes are complied with. The provisions for special arrangement for Persons with Disabilities at work place have been complied with.

Representation of SC, ST and Women in employment position as on 31.03.2022

| Category | Total | SC | ST | WOMEN |
|---|---|---|---|---|
| A | 74 | 9 | 6 | 11 |
| B | 39 | 7 | 3 | - |
| C | 89 | 14 | 2 | 8 |
| D | 10 | 1 | - | - |
| Total | 212 | 31 | 11 | 19 |

**32. IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY.**

During the year under report, the company continued its efforts to promote Hindi as Official Language in its day to day official activities. 10 Hindi workshops were conducted during the year including special programme on Annual Programme 2021-22 issued by the dept. of OL. Hindi week and Hindi Fortnight were organized at corporate office and Kochi units on 14th – 21st September and 13th- 27th September respectively. During this period various competitions were also organized and large number of employees participated. HOCL, Kochi Unit bagged Third prize for the best implementation of OL policy by Town official language Implementation Committee (TOLIC). Our Corporate and Kochi Unit were actively participated in various programmes conducted by TOLIC (PSU). OL orientation programme was conducted exclusively for senior officers of Corporate and Kochi Office. All documents under section 3(3) of OL Act 1963 were issued both in Hindi and English. The Website of the company is available both in Hindi and English. Competitions in Hindi were organized in connection different day celebrations including Constitution Day, World environment Day, Vigilance Awareness Week. Various promotional scheme including incentives for better implementation of Official Language has been adopted by our organization.

**33. CITIZEN'S CHARTER, PUBLIC GRIEVANCE REDRESSAL (PG), CUSTOMER CARE SYSTEM (CCS) & RIGHT TO INFORMATION (RTI)**

In line with the provisions of RTI Act 2005 to promote transparency and accountability, our organisation has taken efforts to handle the Right to Information sought for. Company has laid down procedure to provide information through Public Information Officer/CPO and Appellate Authority.

RTI applications – Summary

The number of RTI applications received and disposed off during the year 2021-22 is given below:

| | |
|---|---|
| Total number of RTI applications received during the year 2021-22 | 30 |
| Applications rejected during the year 2021-22, if any | 0 |
| Information submitted during the year 2021-22 | 29 |
| Pending to reply as on 31.03.2022 | 01* |

** Reply to RTI application has been submitted subsequently.*

**34. MICRO & SMALL ENTERPRISES**

All efforts have been taken to comply with the Government Directive to procure items specified for procurement from MSMEs. Necessary procedures has been made in all tenders stating the eligibility of MSMEs to participate in tenders. We have removed the restricted clauses in the tender conditions and modified the same which will help in greater participation of MSMEs and especially SC/ST MSMEs in the procurement processes. Company has modified the purchase policy also to comply with the directions.

HOCL always takes efforts to fulfill the requirements. Our 95% of the purchases by value are petroleum products (LPG, Benzene, LNG and Hydrogen - which are our raw materials.) supplied by M/S. BPCL through pipeline transfer. These items are not manufactured by MSME's and not available in GeM portal. Out of the balance 5% procurement, HOCL 's target is to procure minimum 25% from MSME includes 4% from MSEs owned by SC/ST and 3% from women owned MSEs. Special efforts have been made to ensure participation of SC/ST representative, women representatives.

**35.SOCIAL, ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC RESPONSIBILITIES AND BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT**

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 with regard to disclosure of Business Responsibility Report is not applicable to your company. However, Hindustan Organic Chemicals Limited has adopted and realizes the benefits of Management Principles into daily activities to achieve the goals of the organization. These Management Principles will provide a foundation to continually improve upon the Organization's performance. The organization believes the following principles to align with the business processes.

1. Customer focus
2. Leadership
3. Utilization of resources with improved information flow within the organisation
4. Process approach; &its Continual improvement,
5. Risk & opportunity and real time decisions
6. Developing internal resources & maintaining better human relations at work.

We have adopted the "Process Approach" into daily operations including the PDCA Cycle. We have considered the utilization of Risk-Based Thinking when developing, implementing, and improving the effectiveness in most of our Management System. This approach enables Hindustan Organic Chemicals Limited to enhance the overall performance of the Organization by effectively controlling the interrelationships and the interdependencies among the processes.

The understanding and consistency with achieving customer specific requirements;

- The consideration of our processes in terms of added value;
- The achievement of effective process performance;
- Improvement of our processes based on real time data and information.

We also effectively plan and implement various actions to address risks and opportunities to maximize the outcomes including, but not limited to achieving improved results and preventing negative effects of our products, Operations, services.

Our businesses provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle and to promote the wellbeing of all employees, respect the interests of the stake holders, responsive towards all stake holders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized. Our businesses respect, protect, and make efforts to restore the environment in a safe and better manner by complying with the relevant Statutory regulations. Our businesses also support and provide value to their customers and consumers in a responsible manner.

**36. DETAILS OF CSR POLICY AND ITS IMPLEMENTATION DURING THE YEAR**

Company since its inception is very much aware about its social responsibility. For over five decades, as a socially responsible and sensitive corporate, your Company continues to remain committed to social thought and action to serve society through providing basic civic amenities to the neighbouring villages, rendering assistance in different forms.

As the average of three immediately preceding financial year is net loss, your Company is not required to carry out any CSR activities during the year under review. However, Company has recognized its social obligations and extended the following during the year 2021-22.

In order to help fighting the COVID-19 pandemic, Company extended the following during the year

- Sponsored an Ambulance jointly with FACT to Social Service Organization SevaBharti.
- Continued drinking water supply to nearby local residents.
- Covid Vaccination drives were organized. Provided Fogging Machine to nearby Panchayat.
- Extended vocational training facilities to the students of Engineering/Science/ Managment colleges for enhancing skill/knowledge
- Engaged professional students of ICAI/ICSI wo have completed intermediate level as trainees for imparting practical knowledge.

**Other activities.**

**SWACHH BHARAT ABHIYAN**

Won Second Prize for SwachhtaPakhwada from Dept. of Chemicals & Petrochemicals in the year 2021.

Conducted various activities in connection with the SwachhtaPakhwada 2021. Cleanliness drives were conducted outside the Company also. A Cleanliness drive was conducted by HOCL employees before reopening of the school (VHSS, Irumpanam) after Covid pandemic.

A meeting organized at Training Centre to chart out SwachhtaPakhwada activities with 20 volunteers selected from different functional departments. Executive Director and Nodal Officer briefed on the importance, planning of activities in view of Covid pandemic, the role of each team captains etc. to plan the activities as per action plan given to the Ministry. Circulars were issued on the action plans.

ED & UIC administered the Swachhta pledge through public address system, complying with COVID-19 protocol. Banners with logo on SwachhtaPakhwada displayed at prominent places of Factory and Township etc. All staff to take a resolution to keep office premises clean and plastic free, to manage old records properly and to participate in Swachhta activities. All employees made a resolution to contribute towards Clean and Green Environment.

Circulars issued to avoid single use plastic items and declared as "Plastic free zone".

Swachhta activities were conducted by different departments from 01.09.2021 onwards. Segregation and weeding out of old records, enlisting and keeping the same is still going on.

Various Competitions (in English/ Hindi/ Malayalam) were organized for the employees, apprentices/trainees - "Importance of Swachhta in the present pandemic Situation".

Various Competitions (in English/ Hindi/ Malayalam) were organized for the wards of employees (High School and College going students) – "Importance of Cleanliness & Hygiene in the present pandemic situation".

Webinar on Cleanliness and Hygienic environment for safer plant operation – organized by HOCL and hosted by Dept. of Chemicals & Petrochemicals – The resource person - Dr. M P Sukumaran Nair, Director, Centre for Green Technology & Management handled the session.

Swachhta cleaning activities done at Township with participation of wards, residents, employees and contract workers.

Awareness Session on Covid and importance of Swachhta in the pandemic situation to contain the spread of Covid-19. The classes were handled by Dr. Sheena Lal, Dy. Supt., Govt. Medical College, Manjeri and Ms. Sujatha B, Head Nurse.

**AZADI KA AMRIT MAHOTSAV**

As part of Azadi Ka Amrit Mahotsav conducted various cleaning activities in our premises, Stickers prepared on Azadi Ka Amrit Mahotsav and pasted in all official correspondences. Celebrations are organized/planned with various activities till August 2023.

**INTERNATIONAL YOGA DAY**

Yoga Day was celebrated on 21st June 2021, Common Yoga protocols were widely circulated for the information of all employees through our portal and social media.

**CITIZEN'S CHARTER, PUBLIC GRIEVANCE REDRESSAL (PG), CUSTOMER CARE SYSTEM (CCS) & RIGHT TO INFORMATION (RTI).**

In line with the provisions of RTI Act 2005 to promote transparency and accountability, our organization has taken efforts to handle the Right to Information sought for. Company has laid down procedure to provide information through Public Information Officer/CPIO and Appellate Authority.

**37. INDUSTRIAL RELATIONS:**

The overall Industrial Relation situation continues to be peaceful and cordial during the year 2021-22. There was no strike or lockout during the year.

**38. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS MADE UNDER SECTION 186 OF THE COMPANIES ACT, 2013**

There are no loans, guarantees, or investments made by the company under Section 186 of the Companies Act 2013 during the year under review and hence said provisions are not applicable.

Consequent to the decision of the Govt. of India for closure of Subsidiary Company Hindustan Fluorocarbons Ltd., an amount of Rs.75.87 Crore has been released as loan from Govt. of India to meet the expenses related to VRS/VSS to employees and settling dues to Bank and other liabilities.

**39. EXPLANATION OR COMMENTS ON QUALIFICATIONS, RESERVATIONS OR ADVERSE REMARKS OR DISCLAIMERS MADE BY THE AUDITORS AND PRACTISING COMPANY SECRETARY IN THEIR REPORTS**

There are no qualifications, reservations or adverse remarks made by the Statutory Auditors in their audit report for the Financial Year 2021-22.

The Secretarial Auditors of the company have submitted their Secretarial Audit Report for the year 2021-22. Reply to observations of Secretarial auditors is given in the director's report.

**40.MATERIAL CHANGES AND COMMITMENT, IF ANY, AFFECTING THE FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY OCCURRED BETWEEN THE END OF THE FINANCIAL YEAR TO WHICH THIS FINANCIAL STATEMENTS RELATE AND THE DATE OF THE REPORT**

**Nil**

**41.THE DETAILS IN RESPECT OF ADEQUACY OF INTERNAL FINANCIAL CONTROLS WITH REFERENCE TO THE FINANCIAL STATEMENTS:**

Company ensures existence of adequate internal controls through documented policy and procedures laid down in the manuals to be followed by the executives at various levels. Internal controls are supported by periodical internal audits and management reviews. The management is keen on these issues and initiated various measures such as upgrading the IT infrastructure, evaluating and implementing ERP software, web-based application and establishing connectivity amongst manufacturing units, Corporate office and branch offices for effective and proactive services and businesses.

Board periodically reviews the internal controls, audit programme, financial results and recommendations, the replies of the management to Government Audit and internal audit etc.

The Company has maintained adequate financial control system, commensurate with the size, scale and complexity of its operations and ensures compliance with various policies, practices and statutes in keeping with the organization's pace of growth and increasing complexity of operations.

**42.CONSERVATION ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO**

**A.** The steps taken and impact on conservation of energy:

Major Energy Conservation Activities / Projects Implemented in 2021-22

- Replacement of conventional lights with LED lights: Electrical energy saving Rs.3.8 lakhs/year
- Replacement of conventional motor with energy efficient IE3 motor: Electrical energy savings Rs.3.2 lakhs/year
- Impeller trimming of Benzene charge pump: Electrical energy saving Rs.2.51Lakhs/year
- Contract demand reduction of Township: annual saving of Rs.1.21Lakhs/year

Company is availing open access power trading, resulting in a saving of Rs.63.77 lakhs on power cost for the year 2021-22.

**A.** Technology Absorption: Nil

i. the efforts made towards technology absorption: Nil

ii. the benefits derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitution: Nil

iii. in case of imported technology (imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year): Nil

(a) the details of technology imported;

(b) the year of import;

(c) whether the technology been fully absorbed;

(d) if not fully absorbed, areas where absorption has not taken place, and the reasons thereof; and

iv. the expenditure incurred on Research and Development: Nil

**43. STATEMENT CONCERNING DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT POLICY OF THE COMPANY**

Key Threats include:

- Competition from domestic / imports and fluctuation in the input prices
- High input costs
- High utility costs
- High overheads
- Continued availability of anti-dumping support for the main products Phenol and Acetone.
- Working Capital availability for continuous operations
- High interest cost and employee remuneration.

Some risks and concerns:

- High manpower cost per ton of finished product.
- Depreciated plants, requiring high maintenance cost.
- Dumping in main products Phenol / Acetone.
- Volatility in main input Benzene.
- COVID-19 impact on downstream industries.

**44. SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATE COMPANIES WHICH HAVE BECOME OR CEASED TO BE.**

Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals vide No. P. 51015/06/2019-Ch. III dated 29-01-2020 informed the decision of Cabinet Committee on Economic Affairs, directing closure of Hindustan Fluorocarbons Limited, Subsidiary of HOCL, which was approved by the shareholders on 30-03-2020.

Consequent to the decision of the Govt. of India for closure of Subsidiary Company Hindustan Fluorocarbons Ltd., an amount of Rs.75.87 crore has been released as loan from Govt. of India to meet the expenses related to VRS/VSS to employees and settling dues to Bank and other liabilities.

**45. DEPOSITS:** NIL

During the period under review, the Company has not invited or accepted any deposits from the directors, shareholders and public.

**46. THE DETAILS OF SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATORS OR COURTS OR TRIBUNALS IMPACTING THE GOING CONCERN STATUS AND COMPANY'S OPERATIONS IN FUTURE:**

**Nil**

**47. DISCLOSURE UNDER SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013**

As per the requirement of The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition &Redressal) Act, 2013 ('Act') and rules made there under,

the Company has adopted a Sexual Harassment Policy for women to ensure healthy working environment without fear of prejudice, gender bias and sexual harassment. The policy has been widely disseminated. A Complaint Committee is in existence as per the Act. The Board states that there were no cases or complaints filed pursuant to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

**Annual Report for the year 2021 The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013-:**

No. of complaints received: Nil

No. of complaints disposed of: Nil

No. of cases pending for more than 90 days: Nil

No. of Workshop/Awareness programmes carried out:

1. Committee meeting/discussions with External Member
2. Awareness session to employees/Trainees/Women workers by the External Committee member at our premises.
3. Session on POSH Act 2013 organized by NIPM attended by the Committee members
4. Awareness training given to the newly joined trainees.

   Nature of action taken by the Employer: N.A.

**48. VIGILANCE MECHANISM: (Under Sec.177(9) of Companies Act,2013)**

Hindustan Organic Chemicals Limited, being a Government Company, a Vigilance Department is already existing in pursuance of CVC Guidelines. Therefore, Vigilance Mechanism is being handled by the Vigilance Department and the Company has already adopted a Vigilance Manual in pursuance of CVC Guidelines. Vigilance Manual is available on Company's Website.

**49. WHISTLE BLOWER POLICY**

As per the Regulation 22 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and as per section 177(9) of the Companies Act, 2013, every listed companies shall formulate a vigil mechanism/ Whistle Blower Policy for directors and employees to report genuine concerns. Your Company has adopted a Whistle Blower Policy to provide appropriate avenues to all permanent employees to make protected disclosure as per the whistle blower policy. The Policy provides for adequate Safeguards against victimization of employees who avail the mechanism and also provides for direct access to the Chairman of the Audit Committee. It is affirmed that no personnel of the Company has been denied access to the Chairman of the Audit Committee and that no complaints were received during the year in this regard. The Whistle Blower Policy is placed in the website of the company

**50. GENERAL**

No disclosure or reporting is required in respect of the following matters as there were no transactions on these items during the year under review:

- Issue of equity shares with differential rights as to dividend, voting or otherwise.
- Issue of shares (including sweat equity shares) to employees of the Company under any scheme.
- The Company does not have any scheme of provision of money for the purchase of its own shares by employees or by trustees for the benefit of employees.
- Neither the Managing Director nor the Whole-time Directors of the Company receive any remuneration or commission from any of its subsidiaries.
- No significant or material orders were passed by the Regulators or Courts or Tribunals which impact the going concern status and Company's operations in future save and except mentioned above during previous year.
- No fraud has been reported by the Auditors to the Audit Committee or the Board.
- There is no Corporate Insolvency Resolution Process initiated under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

**51. ACKNOWLEDGEMENT**

Board places on record its gratitude to the members of the Company for their continued support and confidence in the management

The Directors thank the Company's employees, customers, vendors, investors and other stake holders for their continuous support. The Directors also thank the Department of Chemicals and Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India, Governments of Maharashtra and Government of Kerala, and other Government departments and agencies, Banks, financial institutions for their co-operation. The Directors regret the loss of life due to COVID-19 pandemic and are deeply grateful and have immense respect for every person who risked their life and safety to fight this pandemic. The Directors appreciate and value the contribution made by every member of the Hindustan Organic Chemicals Limited family.

**For and behalf of the Board of Directors of**

**Hindustan Organic Chemicals Limited**

**Sd/-**

**Sajeev B.**
**Chairman and Managing Director**
**DIN : 09344438**

**Date: 26.05.2022**
**Place: CBD Belapur**

**Annexure I**

**EXTRACT OF ANNUAL RETURN**

**Form No. MGT -9**

As on the financial year ended 31.03.2022

**I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS**

| | | |
|---|---|---|
| i) | CIN | L99999MH1960GOI011895 |
| ii) | Registration Date | 12/12/1960 |
| iii) | Name of the Company | HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD., |
| iv) | Category/Sub-Category oftheCompany | CPSU |
| v) | Address of the Registered Office and contact Details | Office Nos. 401, 402 & 403, 4th Floor, "V- Times Square, Plot No.3, Sector-15, CBD, Belapur, Navi Mumbai- 400614 |
| vi) | Whether Listed Company | Yes |
| vii) | Name, Address and contact details of Registrar and Share Transfer Agent, if any | M/s. Bigshare Services Pvt. Ltd., Office No.S-6, 6th Floor, Pinnacle Business Park, next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai – 400093. Tel: 022 62638200 Fax : 022 62638299 Email:investor@bigshareonline.com |

**II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY:**

| Sl. No. | Name and description of main products/services | NIC Code of the product/ Service | % of total turnover of the Company |
|---|---|---|---|
| 1 | Phenol | 29071110 | 69.02 |
| 2 | Acetone | 29141100 | 21.54 |
| 3 | Hydrogen Peroxide | 28470000 | 5.86 |
| 4 | By Products | | 3.58 |

**III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES**

| S. No | Name and address of the company | CIN/GIN | Holding/ subsidiary/ Associate | % of shares held | Applicable section |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hindustan Fluorocarbons Ltd | L25206AP1983LC004037 | Subsidiary | 56.43 | 2(87) |

**IV. STATEMENT SHOWING SHAREHOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity):**

**i. Category-wise Share Holding**

| Statement Showing Shareholding Pattern | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category of Shareholder | No. of Shares held at the beginning of the year: 01/04/2021 | | | | No. of Shares held at the beginning of the year: 31/03/2022 | | | | % Change |
| | Demat | Physical | Total Shares | Total % | Demat | Physical | Total Shares | Total % | |
| (A)Shareholding of Promoter and Promoter Group2 | | | | | | | | | |
| Indian | | | | | | | | | |
| (a)INDIVIDUAL / HUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (b)Central / State government(s) | 39481500 | 0 | 39481500 | 58.78 | 39481500 | 0 | 39481500 | 58.78 | 0.00 |
| (c) BODIES CORPORATE | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (d) FINANCIAL INSTITUTIONS / BANKS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (e) ANY OTHERS (Specify) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (i) GROUP COMPANIES | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (ii) DIRECTORS RELATIVES | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| SUB TOTAL (A)(1) : | 39481500 | 0 | 39481500 | 58.78 | 39481500 | 0 | 39481500 | 58.78 | 0.00 |
| Foreign | | | | | | | | | |
| (a) BODIES CORPORATE | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (b) INDIVIDUAL | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (c) INSTITUTIONS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (d) QUALIFIED FOREIGN INVESTOR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (e) ANY OTHERS (Specify) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| SUB TOTAL (A)(2) : | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Total holding for promoters | | | | | | | | | |
| (A)=(A)(1) + (A)(2) | 39481500 | 0 | 39481500 | 58.78 | 39481500 | 0 | 39481500 | 58.78 | 0.00 |
| (B) PUBLIC SHAREHOLDING | | | | | | | | | |
| INSTITUTIONS | | | | | | | | | |
| a) Central / State government(s)Central / State government(s) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| b) FINANCIAL INSTITUTIONS / BANKS | | 11500 | 11500 | 0.02 | | 11500 | 11500 | 0.02 | (0.00) |
| c) MUTUAL FUNDS / UTI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| d) VENTURE CAPITAL FUNDS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| e) INSURANCE COMPANIES | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| f) FII'S | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| g) FOREIGN VENTURE CAPITAL INVESTORS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| h) QUALIFIED FOREIGN INVESTOR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| i) ANY OTHERS (Specify) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| j) FOREIGN PORTFOLIO INVESTOR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| k) ALTERNATE INVESTMENT FUND | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| SUB TOTAL : | 0 | 11500 | 11500 | 0.02 | 0 | 11500 | 11500 | 0.02 | (0.00) |
| NON INSTITUTIONS | | | | | | | | | |
| (a) BODIES CORPORATE | 1909587 | 38501 | 1948088 | 2.90 | 2210077 | 38501 | 2248578 | 3.35 | 0.45 |
| (b) Individual | | | | | | | | | |
| (1)(CAPITAL UPTO TO Rs. 1 Lakh) | 14383275 | 1597133 | 15980408 | 23.79 | 13148513 | 1588133 | 14736646 | 21.94 | (1.85) |
| (2)(CAPITAL GREATER THAN Rs. 1 Lakh) | 6429669 | 14800 | 6444469 | 9.59 | 7143603 | 14800 | 7158403 | 10.66 | 1.06 |
| ANY OTHERS (Specify) | | | | | | | | | |
| 1) HUF | 2060355 | 0 | 2060355 | 3.07 | 2361096 | 0 | 2361096 | 3.51 | 0.45 |
| 2) Trusts | 53335 | 0 | 53335 | 0.08 | 66335 | 0 | 66335 | 0.10 | 0.02 |
| ANY OTHERS (Specify) | | | | | | | | | |
| ANY OTHERS (Specify) | | | | | | | | | |
| (3)CLEARING MEMBER | 377703 | 100 | 377803 | 0.56 | 387629 | 0 | 387629 | 0.58 | 0.01 |
| (4) NON RESIDENT INDIANS (NRI) | 0 | 329100 | 329100 | 0.49 | 49524 | 329100 | 378624 | 0.56 | 0.07 |
| (5) NON RESIDENT INDIANS (REPAT) | 421031 | 0 | 421031 | 0.63 | 279077 | 0 | 279077 | 0.42 | (0.21) |
| (6) NON RESIDENT INDIANS (NON REPAT) | 63161 | 0 | 63161 | 0.09 | 62612 | 0 | 62612 | 0.09 | (0.00) |
| (7) DIRECTORS RELATIVES | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (8) MARKET MAKER | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (9) EMPLOYEE | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (10) OVERSEAS BODIES CORPORATES | 0 | 1100 | 1100 | 0.00 | 0 | 1100 | 1100 | 0.00 | 0.00 |
| (11) UNCLAIMED SUSPENSE ACCOUNT | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (12) IEPF | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| d) QUALIFIED FOREIGN INVESTOR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| e) NBFCs registered with RBI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB TOTAL : | 25698116 | 1980734 | 27678850 | 41.21 | 25708466 | 1971634 | 27680100 | 41.21 | 0.00 |
| Total Public Shareholding | 25699466 | 1992134 | 27691600 | 41.22 | 25708566 | 1983034 | 27691600 | 41.22 | (0.00) |
| (C) Shares held by Custodians and against which Depository Receipts have been issued | | | | | | | | | |
| a) Shares held by custodians | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (13) Promoter and Promoter Group | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (14) Public | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| SUB TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Total Public Shareholding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| GRAND TOTAL (A) + (B) + (C) | 65180966 | 1992134 | 67173100 | 100.00 | 65190066 | 1983034 | 67173100 | 100.00 | (0.00) |

**ii. Shareholding of Promoters:**

| Sr. No | Shareholder's Name | Shareholding at the beginning of the year 01/04/2021 | | | Shareholding at the beginning of the year 31/03/2022 | | | % change in share holding during the year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No. of Shares | % of total Shares of the company | %of Shares Pledged / Encumbered to total shares | No. of Shares | % of total Shares of the company | %of Shares Pledged/ Encumbered to total shares | |
| 1 | President of India | 39481500 | 58.78 | 0.0000 | 39481500 | 58.78 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Total | 39481500 | 58.78 | 0.0000 | 39481500 | 58.78 | 0.0000 | 0.0000 |

iii. Change in Promoter's Shareholding (please specify, if there is no change)-

No/Nil

iv. Shareholding Pattern of top ten shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs)

| Top Ten Non-promoter movement | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No | Name | Shareholding | | Date | Increase/ Decrease in Shareholding | Reason | No of Shares |
| | | No. of Shares At the Beginning (31/03/2021)/ end of the year (31/03/2022) | % total Shares of the Company | | | | |
| 1 | SUDHABEN PRAFULCHANDRA VAIDYA | 1321995 | 1.97 | 31-Mar-2021 | 0 | | 1321995 |
| | | | 2.07 | 16-Apr-2021 | 70000 | Buy | 1391995 |
| | | | 2.08 | 23-Apr-2021 | 6000 | Buy | 1397995 |
| | | | 2.09 | 07-May-2021 | 3550 | Buy | 1401545 |
| | | | 2.14 | 21-May-2021 | 36000 | Buy | 1437545 |
| | | | 2.21 | 04-Jun-2021 | 47000 | Buy | 1484545 |
| | | | 2.22 | 11-Jun-2021 | 5000 | Buy | 1489545 |
| | | | 2.12 | 18-Jun-2021 | -65000 | Sell | 1424545 |
| | | | 2.15 | 06-Aug-2021 | 20000 | Buy | 1444545 |
| | | | 2.20 | 13-Aug-2021 | 36000 | Buy | 1480545 |
| | | | 2.21 | 27-Aug-2021 | 5000 | Buy | 1485545 |
| | | | 2.22 | 03-Sep-2021 | 5000 | Buy | 1490545 |
| | | | 2.25 | 10-Sep-2021 | 20000 | Buy | 1510545 |
| | | | 2.65 | 17-Sep-2021 | 270000 | Buy | 1780545 |
| | | | 2.66 | 08-Oct-2021 | 5000 | Buy | 1785545 |
| | | | 2.69 | 24-Dec-2021 | 20000 | Buy | 1805545 |
| | | | 2.74 | 04-Feb-2022 | 35000 | Buy | 1840545 |
| | | 1840545 | 2.74 | 31-Mar-2022 | 0 | | 1840545 |
| 2 | PRAFULLCHANDRA BAPPALAL VAIDAY | 939097 | 1.40 | 31-Mar-2021 | 0 | | 939097 |
| | | | 1.41 | 14-May-2021 | 6750 | Buy | 945847 |
| | | | 1.45 | 21-May-2021 | 30000 | Buy | 975847 |
| | | | 1.50 | 04-Jun-2021 | 30000 | Buy | 1005847 |
| | | | 1.51 | 11-Jun-2021 | 5500 | Buy | 1011347 |
| | | | 1.50 | 18-Jun-2021 | -5000 | Sell | 1006347 |
| | | | 1.53 | 06-Aug-2021 | 20000 | Buy | 1026347 |
| | | | 1.58 | 13-Aug-2021 | 35000 | Buy | 1061347 |
| | | | 1.59 | 27-Aug-2021 | 10000 | Buy | 1071347 |
| | | | 1.60 | 03-Sep-2021 | 5000 | Buy | 1076347 |
| | | | 1.62 | 10-Sep-2021 | 10000 | Buy | 1086347 |
| | | | 1.74 | 17-Sep-2021 | 85000 | Buy | 1171347 |
| | | | 1.75 | 08-Oct-2021 | 5000 | Buy | 1176347 |
| | | | 1.78 | 04-Feb-2022 | 20500 | Buy | 1196847 |
| | | 1196847 | 1.78 | 31-Mar-2022 | 0 | | 1196847 |
| 3 | ANAND PRAFULCHANDRA VAIDYA | 652075 | 0.97 | 31-Mar-2021 | 0 | | 652075 |
| | | | 0.99 | 16-Apr-2021 | 10000 | Buy | 662075 |
| | | | 1.02 | 23-Apr-2021 | 24700 | Buy | 686775 |
| | | | 1.03 | 21-May-2021 | 6000 | Buy | 692775 |
| | | | 1.10 | 04-Jun-2021 | 48000 | Buy | 740775 |
| | | | 1.11 | 11-Jun-2021 | 5000 | Buy | 745775 |
| | | | 1.10 | 18-Jun-2021 | -5000 | Sell | 740775 |
| | | | 1.08 | 30-Jul-2021 | -15000 | Sell | 725775 |
| | | | 1.13 | 06-Aug-2021 | 35000 | Buy | 760775 |
| | | | 1.18 | 13-Aug-2021 | 31000 | Buy | 791775 |
| | | | 1.21 | 03-Sep-2021 | 22500 | Buy | 814275 |
| | | | 1.22 | 10-Sep-2021 | 5000 | Buy | 819275 |
| | | | 1.32 | 17-Sep-2021 | 65000 | Buy | 884275 |
| | | | 1.32 | 08-Oct-2021 | 3964 | Buy | 888239 |
| | | | 1.32 | 15-Oct-2021 | 1036 | Buy | 889275 |
| | | | 1.34 | 04-Feb-2022 | 10000 | Buy | 899275 |
| | | 899275 | 1.34 | 31-Mar-2022 | 0 | | 899275 |
| 4 | INDIAN SYNTANS INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | 510000 | 0.76 | 31-Mar-2021 | 0 | | 510000 |
| | | 510000 | 0.76 | 31-Mar-2022 | 0 | | 510000 |
| 5 | AVNI Paresh Shah | 369276 | 0.55 | 31-Mar-2021 | 0 | | 369276 |
| | | | 0.24 | 30-Apr-2021 | -209224 | Sell | 160052 |
| | | | 0.05 | 07-May-2021 | -123448 | Sell | 36604 |
| | | | 0.04 | 21-May-2021 | -9410 | Sell | 27194 |
| | | | 0.00 | 04-Jun-2021 | -27194 | Sell | 0 |
| | | | 0.00 | 31-Mar-2022 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HINA KIRTI DOSHI | 100000 | 0.15 | 31-Mar-2021 | 0 | | 100000 |
| | | | 0.30 | 22-Oct-2021 | 100000 | Buy | 200000 |
| | | 200000 | 0.30 | 31-Mar-2022 | 0 | | 200000 |
| 7 | SMS HOLDINGS PVT LTD | 193871 | 0.29 | 31-Mar-2021 | 0 | | 193871 |
| | | | 0.22 | 14-May-2021 | -43871 | Sell | 150000 |
| | | | 0.24 | 21-May-2021 | 10000 | Buy | 160000 |
| | | | 0.15 | 18-Jun-2021 | -61000 | Sell | 99000 |
| | | | 0.07 | 25-Jun-2021 | -49000 | Sell | 50000 |
| | | | 0.04 | 09-Jul-2021 | -25000 | Sell | 25000 |
| | | | 0.00 | 30-Jul-2021 | -25000 | Sell | 0 |
| | | | 0.00 | 31-Mar-2022 | 0 | | 0 |
| 8 | ADITI ANAND VAIDYA | 156500 | 0.23 | 31-Mar-2021 | 0 | | 156500 |
| | | | 0.24 | 16-Apr-2021 | 6000 | Buy | 162500 |
| | | | 0.24 | 21-May-2021 | 500 | Buy | 163000 |
| | | | 0.25 | 04-Jun-2021 | 5000 | Buy | 168000 |
| | | | 0.26 | 18-Jun-2021 | 3300 | Buy | 171300 |
| | | | 0.24 | 30-Jul-2021 | -7500 | Sell | 163800 |
| | | | 0.25 | 06-Aug-2021 | 3500 | Buy | 167300 |
| | | | 0.25 | 17-Sep-2021 | 1000 | Buy | 168300 |
| | | | 0.25 | 08-Oct-2021 | 1000 | Buy | 169300 |
| | | | 0.25 | 04-Feb-2022 | -2000 | Sell | 167300 |
| | | 167300 | 0.25 | 31-Mar-2022 | 0 | | 167300 |
| 9 | MANSI SHARE AND STOCK ADVISORS PVT LTD | 165134 | 0.25 | 31-Mar-2021 | 0 | | 165134 |
| | | | 0.56 | 30-Apr-2021 | 209224 | Buy | 374358 |
| | | | 0.25 | 07-May-2021 | -209224 | Sell | 165134 |
| | | | 0.21 | 14-May-2021 | -23668 | Sell | 141466 |
| | | | 0.14 | 21-May-2021 | -44768 | Sell | 96698 |
| | | | 0.00 | 04-Jun-2021 | -96698 | Sell | 0 |
| | | | 0.00 | 31-Mar-2022 | 0 | | 0 |
| 10 | GRACE R DEORA | 151617 | 0.23 | 31-Mar-2021 | 0 | | 151617 |
| | | | 0.18 | 30-Apr-2021 | -30000 | Sell | 121617 |
| | | 121617 | 0.18 | 31-Mar-2022 | 0 | | 121617 |

**v.Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:**

| Sl NO | For each of the Directors and KMP | Shareholding at the end of the year | | Cumulative Shareholding during the year | |
|---|---|---|---|---|---|
| | At the beginning of the year | No. of Shares | % total Shares of the Company | No of Shares | % total Shares of the Company |
| 1 | A) Mr.Subramonian H., CS | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | B)Mr. P.O. Luise, CFO | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 |
| 2 | Date wise Increase/Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment/ transfer / bonus/ sweat equity etc): | - | - | - | - |

**VI. INDEBTEDNESS:**

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment (Rupees In Lakhs)

| Description | Secured Loans excluding deposits | Unsecured Loans | Deposits | Total Indebt-edness |
|---|---|---|---|---|
| **Indebtedness at the beginning of the financial year** | | | | |
| i) Principal Amount | 0.00 | 46660.46 | 0.00 | 46660.46 |
| ii) Interest due but not paid | 2551.00 | 24421.18 | 0.00 | 26972.18 |
| iii) Interest accrued but not due | 0.00 | 2790.87 | 0.00 | 2790.87 |
| **Total (i+ii+iii)** | **2551.00** | **73872.51** | **0.00** | **76423.51** |
| **Change in Indebtedness during the financial year** | | | | |
| Addition (Interest) | 0.00 | 5097.73 | 0.00 | 5097.73 |
| Reduction (Principal) | 0.00 | 1404.00 | 0.00 | 1404.00 |
| **Indebtedness at the end of the financial year** | | | | |
| i) Principal Amount | 0.00 | 45256.46 | 0.00 | 45256.46 |
| ii) Interest due but not paid | 2551.00 | 29617.06 | 0.00 | 32168.06 |
| iii) Interest accrued but not due | 0.00 | 2692.72 | 0.00 | 2692.72 |
| **Total (i+ii+iii)** | **2551.00** | **77566.24** | **0.00** | **80117.24** |

**REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL:**

A. Remuneration to Whole time Director, Managing Director and/or Manager:

(Rupees In Lakhs)

| Sl No. | Particulars of Remuneration | Name of Whole- time Director/ Director Shri. S.B. Bhide, CMD (upto 31.7.21) | Name of Whole- time Director/ Director Shri. Sajeev B, CMD (from 6.9.2021) | Total Amount (Rs in Lakhs) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gross Salary<br>a) Salary as per provisionscontained in section 17(1) ofIncome Tax Act, 1961 | 29.91 | 20.74 | 50.65 |
| | b) Value of perquisites u/s 17(2) ofIncome Tax Act, 1961 | | | |
| | c) Profits in lieu of salary u/s 17(3)of Income Tax Act, 1961 | | | |
| 2. | Stock Option | - | | - |
| 3. | Sweat Equity | - | | - |
| 4. | Commission --As % of profit -Others, specif | - | | - |
| 5. | Others : retirement benefits | 1.48 | 2.45 | 3.93 |
| | Total(A) | 31.39 | 23.19 | 54.58 |
| | Ceiling as per the Act | | | |

B. Remuneration to other Directors:

(Rupees In Lakhs)

| Sl No | Particulars of Remuneration | Name of the Directors | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | [Sitting Fees paid to NOIDs for attending the Meetings of the Board/ Committees] | Dr. Bharat J. Kanabar | Shri.Pratyush Mandal | |
| 1. | Independent Director Fee for attending Board/ Committee Meetings [FY 2021-22] | 0.60 | 0.60 | |
| | Total | 0.60 | 0.60 | 1.20 |
| 2. | Other Non-Executive Directors. Fee for attending board committee meetings Commissions Others, please specify | — | — | |
| | Total (2) | | | |
| | Total (1+2) | 0.60 | 0.60 | 1.20 |
| | Total Managerial Remuneration | | | |
| | Overall Ceiling as per the Act | N.A | N.A | |

C. Remuneration to Key Managerial Personnel other than MD/Manager/WTD:

(Rupees In Lakhs)

| Sl. No. | Particulars of Remuneration | Key Managerial Personnel | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CFO [Mr. P. O. Luise | Company Secretary [Mrs. S.S. Kulkarni upto 28.02.2022] | Company Secretary [Mr. Subramonian H from 01.03.2022] | Total |
| 1. | Gross Salary<br>a)Salary as per provisions contained in section 17(1) of Income Tax Act, 1961 | 33.97 | 36.45 | 1.06 | 71.48 |
| | b)Value of perquisites u/s 17(2) of Income Tax Act,1961 | - | | | - |
| | c)Profits in lieu of salary u/s 17(3) of Income Tax Act,1961 | - | -<br>-<br>- | | - |
| 2. | Stock Option | - | - | | - |
| 3. | Sweat Equity | - | - | | - |
| 4. | Commission<br>As % of profit<br>Others, specify | - | -<br>-<br>- | | - |
| 5. | Others : retirement benefits | 3.39 | 3.53 | 0.14 | 7.06 |
| | Total | 37.36 | 39.98 | 1.20 | 78.54 |

**VI. PENALTIES/PUNISHMENT/COMPOUNDING OF OFFENCES: NIL**

| Type | Section of the Companies Act | Brief Description | Details of Penalty/ Punishment Compounding fees imposed | Authority [RD/NCLT/ COURT] | Appeal made, if any(give details) |
|---|---|---|---|---|---|
| A. COMPANY | | | | | |
| Penalty | - | - | - | - | - |
| Punishment | - | - | - | - | - |
| Compounding | - | - | - | - | - |
| B. DIRECTORS | | | | | |
| Penalty | - | - | - | - | - |
| Punishment | - | - | - | - | - |
| Compounding | - | - | - | - | - |
| C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT | | | | | |
| Penalty | - | - | - | - | - |
| Punishment | - | - | - | - | - |
| Compounding | - | - | - | - | - |

**Annexure II**

**Form AOC-I**

(Pursuant to first proviso to sub-section (3) of section 129 read with rule 5of Companies (Accounts) Rules, 2014)

**Statement containing salient features of the financial statement of subsidiaries/ associate companies/joint ventures**

**(Information in respect of each subsidiary to be presented with amounts in Rs.In Lakhs)**

**Rs. In Lakhs**

| | |
|---|---|
| 1. Sl.No.: | 1 |
| 2. Name of Subsidiary | Hindustan Fluorocarbons Ltd. |
| 3. Reporting period for the subsidiary concerned, if different from the holding company's reporting period: | No |
| 4. Reporting currency and Exchange rate as on the last date of the relevant financial year in the case of foreign subsidiaries: | NA |
| 5. Share Capital: | 1961.46 |
| 6. Reserves & Surplus (Other Equity) | (9842.48) |
| 7. Total Assets: | 7352.74 |
| 8. Total Liabilities: | 15233.76 |
| 9. Investment: | NIL |
| 10. Turnover (excluding GST) | 0.39 |
| 11. Profit before taxation: | (612.87) |
| 12. Provision for taxation: | NIL |
| 13. Profit after taxation: | (612.87) |
| 14. Total Comprehensive Income | (617.06) |
| 14. Proposed Dividend: | NIL |
| 15. % of shareholding: | 56.43 |

**For and on behalf of the Board of**

**Directors of Hindustan Organic Chemicals Limited**

**Sd/-**

**Sajeev B.**

**Date: 26.05.2022** **Chairman and Managing Director**

**Place: CBD Belapur** **DIN : 09344438**

**Annexure III**

**Form No. AOC-2**

**[Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014]**

Form for disclosure of particulars of contracts/arrangements entered into by the Company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arm's length transactions under third proviso thereto:

1. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis:

   There were no contracts or arrangements or transactions entered into during the year ended 31st March, 2022 which were not on arm's length basis.

2. Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis:

   The details of material contracts or arrangements or transactions on arm's length basis for the year.

| Name (s) of the related Party & Nature of relationship | Nature of contract/ arrangements/ transactions | Duration of contract/ arrangements/ transactions | Salient terms including the value, if any (Rs. in lakhs | Date of Board approval, if any | Amount paid as advance, if any |
|---|---|---|---|---|---|
| Hindustan Fluorocarbons Limited – Subsidiary Company | Interest on Loan | - | 63.62 | - | - |
| Bharat Petroleum Corporation Limited – Company controlled by Govt. of India | Purchase of raw materials | - | 22,883.56 | - | - |
| Bharat Petroleum Corporation Limited - Company controlled by Govt. of India | Sale of finished goods | - | 15.07 | - | - |
| Indian Oil Corporation Limited - Company controlled by Govt. of India | Purchase of raw materials | - | 478.67 | - | - |

**For and on behalf of the Board of**

**Directors of Hindustan Organic Chemicals Limited**

**Sd/-**

**Date: 26.05.2022** **Sajeev B**

**Place: CBD Belapur** **Chairman and Managing Director**

**DIN: 09344438**

**Annexure –IV**

**MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT**

The Management of Hindustan Organic Chemicals ltd (HOCL) presents its Analysis Report covering the Performance and Outlook of the Company. The Report contains business prospects and perspectives based on the current environment and strategic options to steer the Company through unforeseen and uncontrollable external factors.

HOCL Kochi Unit is having IMS (Integrated Management System) Certification (ISO - 9001), Environment Management System (ISO - 14001) and Occupational Health and Safety Management System ( ISO - 45001).

**1. KEY OPPORTUNITIES INCLUDE**

Capacity utilization of main products (Phenol and Acetone) of Kochi Unit has improved substantially after restructuring. This was mainly due to improved working capital position on account of funds raised from disinvestment of Rasayani Unit. The operating loss has been reduced due to improved working capital position and reduced interest expenditure, after the initiation of the restructuring process.

**2. KEY THREATS INCLUDE**

HOCL has only one unit at Ambalamugal, in the District Ernakulam in the state of Kerala, which is functioning at present. Kochi unit is engaged in manufacturing of Phenol, Acetone, and Hydrogen Peroxide. The market for main products at Kochi had high degree of volatility and was largely determined by international prices. Due to severe working capital deficiency, the Unit often worked below its capacity. There is severe competition in the horizon with private sector players set to establish capacities upto 2 lakh MT of Phenol against 40000 MT that the Unit had. Without anti-dumping duties, HOL Kochi unit will be unable to compete against imports. Kochi unit has its own inherent deficiencies such as outdated technology leading to productivity loss, high levels of fixed cost which is not being absorbed due to lower scale of operations, constraints in capacity expansion, absence of product diversification, lack of market competitiveness, etc

**3. SEGMENTWISE PERFORMANCE**

The Company is primarily in the business of manufacture and sale of chemicals.

| Product Segment | Year ended 31/03/2022 | | | Year ended 31/03/2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Target MT | Actual MT | Percentage Achieved | Target MT | Actual MT | Percentage Achieved |
| Chemicals | 60070 | 48866 | 81.35% | 65500 | 61844 | 94.42% |

**4. PRODUCT WISE PERFORMANCE (Production of Main Products)**

| Sr. No. | Name of Product | F.Y. 2021-22 | | F.Y. 2020-21 |
|---|---|---|---|---|
| | | Installed Capacity | Actual | Actual |
| 1 | Phenol | 40000 | 24745 | 35825 |
| 2 | Acetone | 24640 | 15560 | 22504 |
| 3 | H2O2 | 10450 | 8561 | 3515 |

**5. OUTLOOK FOR THE NEXT YEAR**

- Expedition of the land sale process so as to reduce the financial liabilities and thus bring down the finance costs.
- Upgrade to the latest technology so as to improve productivity;
- Explore the diversification into value added products to maximum extent possible so as to gain some level of protection against swings in the market prices.

**6. SOME RISKS & CONCERNS.**

- Lack of product diversification or downstream value addition
- Competition from cheaper Imports of main product Phenol and Acetone.
- Volatility in raw material feed stock prices based on fluctuations in crude prices.
- Inability to pass on the increase in raw material cost to the consumers due to availability of imported finished product at cheaper prices.
- Huge investments required for revamp/replacement/modernization of the old plants.
- Sale of balance unencumbered land at Rasayani / Panvel after receipt of NOC from Government of Maharashtra.
- Availability of working capital from Banks for continuous operation of the Plants at Kochi

**7. INTERNAL CONTROL SYSTEMS & THE ADEQUACY**

Internal controls are supported by Internal Audit and Management Reviews. Company ensures existence of adequate internal control through documented policy and procedures to be followed by the executives at various levels. The Management is keen on these issues and initiated various measures such as upgrading IT infrastructure, evaluating & implementing Tally ERP software, web based application and establishing connectivity amongst manufacturing units and branch offices for effective & proactive services and business benefits.

With the objective of improving the systems and removing bottlenecks, systems review is carried out and policies and procedure manuals are amended. HOCL Kochi unit is having ISO 9001:2015 (Quality Management System) and ISO 14001:2015 (Environmental Management System) certification. The existing certificate for ISO 9001 has been extended up to 1st September 2020 and ISO 14001:2015 is valid up to 07th March 2022 audit for further extension is in progress.

**8. REVIEW OF FINANCIAL PERFORMANCE:**

During the year 2021-22, the company has achieved a Gross Income of Rs.465.10 crore registering an increase of 7.86 % as against the Previous Year Gross Income of Rs.431.19 Crore. The Company has incurred a Net Loss of Rs.23.24 Crore during the year as against Net profit of Rs.15.97 crore incurred during the previous year.

In Kochi Unit, two plants (Phenol and Hydrogen plant) are operational. The Phenol Plant at Kochi unit achieved a capacity utilization of 62 % and Hydrogen Peroxide plant achieved a capacity utilization of 82% during the year.

**9. INFORMATION TECHNOLOGY – 2021-22**

Company has effective information systems for core business areas. However, company has envisaged a plan to meet changing demands keeping in view the technological changes and the way information & communication technology offering innovative services suiting to every business need. Company is in the process of implementing new Tally ERP software to replace the SAP system to be cost effective and suiting to the requirement of the Company.

Management ensures continual effort in the ever-changing technological environment, for improving and meeting with requirement like data security, information available, transparency and accuracy. Company is using open tendering / e-Tendering solution being provided by National Informatics Centre (NIC). Company has also registered with GEM Government platforms for procurement and TREDs for payment to MSMEs. Company is also following various guidelines of procurement through MSME's.

**10. COVID-19 IMPACT**

There is no considerable financial impact on account of Covid-19 pandemic during the year ended 31.03.2022.

COVID-19 has affected all the sectors of industry and commerce like logistics, auto, drugs, pharmaceuticals and electronic goods where our products are used. The impact of COVID-19 may lead to decline in demand or prices, suspend or significantly reduce operations of factory and affect movement of interstate transportation of goods etc.

As per our current assessment, no significant impact on tangible assets, intangible assets, trade receivables, investments and other financial assets is expected, and we continue to monitor the changes in future economic conditions. The Management does not see any risk in the ability to continue as a going concern and meeting its liabilities as and when they fall due. However, the actual impact of Covid-19 on the Company's financial statements may differ from what is estimated.

**11. CAUTIONARY STATEMENT**

Statement in this Management Discussion and Analysis describing the Company's objectives, projections, estimates and expectations may be 'forward looking statements' within the meaning of applicable laws and regulations. Actual results might differ substantially or materially from those expressed or implied. Important developments that could affect the Company's operations include a downtrend in the chemical industry - global or domestic or both, significant changes in political and economic environment in India or key markets abroad, tax laws, litigation, manpower cost, exchange rate fluctuations, interest and other costs.

**For and on behalf of the Board of**

**Hindustan Organic Chemicals Ltd.**

**Sd/-**

**Sajeev B**

**Date: 26.05.2022** **Chairman and Managing Director**

**Place: CBD Belapur** **DIN: 09344438**

**Annexure V**

**CORPORATE GOVERNANCE REPORT AS PER SCHEDULE V OF THE SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS 2015 FOR THE FY 2021-22.**

**"Vision: To Produce and market basic chemicals efficiently and economically in an environment friendly manner."**

**"Mission: To maintain optimum level of efficiency and productivity in the use of resources and secure optimum return on investment."**

**1. A brief statement on listed entity's philosophy on code of governance:**

As per the Code of Governance propounded by the Government, Corporate Governance involves a set of relationships between a Company's Management, its Board, its shareholders, and other stakeholders. Corporate Governance provides a principled process and structure through which the objectives of the Company, the means of attaining the objectives and systems of monitoring performance are set. Corporate Governance is a set of accepted principles by management of the inalienable rights of the shareholders as a true owner of the corporation and of their own rule as trustees on behalf of the shareholders. It is about commitment to values, ethical business conduct, and transparency and makes a distinction between personal and corporate funds in the management of a Company.

Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL) trusts on the conduct of its business activities and enhance the value of all those who are associated with the Company viz. shareholders, customers, suppliers, creditors, Government of India, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Public Enterprises, Various State Governments, other Governmental agencies / departments and the society at large. Essentially, it involves practicing good Corporate Governance and HOCL believes in transparency, accountability, and attaining maximum level of enrichment of the enterprise. HOCL also price the global recognition by ensuring the integrity, value addition to its domestic as also the international customers in its product commitments.

**2. Board of directors:**

**a. Composition and category of directors:**

E.g. promoter, executive, non-executive, independent non-executive, nominee director - institution represented and whether as lender or as equity investor);-

In accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company (as amended from time to time), the number of Directors of the Company shall be neither less than three nor more than fifteen. The Directors shall not require to hold any qualification shares.

As on 31-03-2022 the Board of HOCL consisted of 5 members with 1 Executive Director (i.e. CMD, HOCL), & 2 Government Nominee Directors & 2 Non-Official Independent Directors, all are acknowledged as leading professionals in their respective fields.

HOCL is a Govt. of India Undertaking (a CPSE) and as per Company's Articles of Association, the power to appoint all the Directors on the Board of the Company vests with the Govt. of India. As on 31-03-2022, there are 2 Independent Directors on the HOCL Board viz. Dr. Bharat J Kanabar & Shri Pratyush Mandal and Govt. Order is awaited for appointment of 1 Independent Director on HOCL Board.

**Composition of the Board:-**

As on 31-03-2022 the Board of Directors of the company consists of 5 Directors viz. Shri Sajeev B. (Chairman & Managing Director), Shri Satendra Singh, AS&FA, (Govt. Nominee Director), Shri Kanishk Kant Srivastava, (Govt. Nominee Director), Dr. Bharat J Kanabar, (Non-official Independent Director) & Shri Pratyush Mandal, (Non-official Independent Director).

In the context, Company has received Govt. Orders dated 24-12-2021, appointing Dr. Bharat J Kanabar & Shri Pratyush Mandal as Non-Official Independent Director on HOCL Board. As a result, presently there are only 2 Independent Directors on the Board of the Company as against the minimum requirement of 3 nos. of Independent Director on the Company's Board. There is also a vacancy of One Women Director on the Board of HOCL in accordance with the provisions of Rule 3 of Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 and hence the position of one (1) Independent Women Director is vacant in compliance with the provisions of Companies Act, 2013 & SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The matter regarding vacancy of One Independent Women Director on the HOCL Board was taken up in the Board Meeting held on 28-01-2022. Further, in this regard Company had requested the DCPC/Administrative to appoint of One woman Independent Director on HOCL Board. Accordingly, the appointment of Independent Directors on our Company's Board is awaited.

**b. Number of other Board Committees in which a Director is a Member or Chairperson (FY 2021-22) as on 31-03-2022:**

| Title (Mr./ Mrs) | Name of the DirectorCategory (Chairperson/ Executive/Non Executive/ independent/ Nominee) | No of Directorship in listedentities including this listed entity | Number of memberships in Audit/Stakeholder Committee(s) includingthis listed entity (Refer Regulation 26(1) of ListingRegulation) |
|---|---|---|---|
| Mr. | Sajeev B.<br>Chairman & Managing Director | 2 | 1 |
| Mr. | Satendra Singh<br>Govt. Nominee Director | 4 | 0 |
| Mr. | Kanishk Kant Srivastava<br>Govt. Nominee Director | 1 | 1 |
| Dr. | Bharat J. Kanabar<br>Non-official Independent Director | 2 | 4 |
| Mr. | Pratyush Mandal<br>Non-official Independent Director | 1 | 2 |

| Name of the Director | Names of the Listed Entities where the person is a Director and the category of Directorship other than this listed entity |
|---|---|
| Mr. Sajeev B. | a) Hindustan Fluoro Carbons Limited- Chairman and Managing Director (Additional Charge) |
| Mr. Satendra Singh | a) Hindustan Copper Ltd- Govt. Nominee Director.<br>b) National Aluminum Company- Govt. Nominee Director.<br>c) Khanji Bidesh India Ltd- Govt. Nominee Director. |
| Mr. Kanishk Kant Srivastava | N.A |
| Dr. Bharat J. Kanabar | a) Hindustan Fluoro Carbons Limited-- HOCL Nominee Independent Director. |
| Mr. Pratyush Mandal | N.A |

**c. Changes in the Board of Directors/KMP during the year 2021-22 :**

In compliance with Regulation 36(3) of the LODRRs, following information is furnished:

i. Consequent to the superannuation of S. B. Bhide on 31-07-2021 as per Govt. of India, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals ORDER No. P-51011/01/2021-CHEM.III-CPC dated 2nd August, 2021 Shri S. C. Mudgerikar, Chairman and Managing Director, Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited (RCF) has assumed the Additional Charge of Chairman and Managing Director (CMD) and Director (Finance) of Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL) in addition to his duties and responsibilities as Chairman and Managing Director, Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited (RCF) with immediate effect for a period of three months or until further orders, whichever is earlier.

ii. Accordingly, Shri S.C Mudgerikar holding the position of the CMD of the company. Consequent to the Govt. of India, Ministry of Chemicals & fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals ORDER No.P-51011/01/2021-Chem.III-CPC dated 6th September, 2021 Shri Sajeev B., Chief General Manager, HOCL was appointed as Chairman and Managing Director of HOCL with effect from the date of assumption of his charge of the post till the date of his superannuation i.e. 31-05-2025 or until further orders, whichever is earlier. Shri Sajeev B. is also holding additional charge of Chairman and Managing Director of Hindustan Fluorocarbons Limited, subsidiary of HOCL. As per Govt. of India, Ministry of Chemicals & Fertilizers Department of Chemicals & Petrochemicals ORDER No.P-53011/02/2019-CHEM.III-CPC dated 10-03-2022., Shri Sajeev B. CMD, HOCL, has been entrusted Additional Charge to the post of Director (Finance) of HOCL for a period of Nine Months w.e.f. 22-09-2021 or till the appointment of regular incumbent to the post or until further orders whichever is earliest.

iii. As per Govt. of India, Ministry of Chemicals & fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals Order No. P-51015/12/2014-CHEM.III-CPC dated 21st December, 2021 Shri. Satendra Singh, Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Chemicals & Fertilizers, was appointed as Government Nominee Director on the Board of Directors of Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL) in place of Shri Ashish Upadhyay.

iv. As per Govt. of India, Ministry of Chemicals & fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals Order No. P-53013/8/2019-CHEM.III-CPC dated 24th December, 2021 Dr Bharat J Kanabar was appointed as Non-official Independent Director on the Board of Directors of Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL) for a period of three (3) years with effect from date of order, or until further orders.

v. As per Govt. of India, Ministry of Chemicals & fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals Order No. P-53013/8/2019-CHEM.III-CPC dated 24th December, 2021 Shri Pratyush Mandal was appointed as Non-official Independent Director on the Board of Directors of Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL) for a period of three (3) years with effect from date of order, or until further orders..

vi. Mrs. Susheela S Kulkarni, Company Secretary & Compliance Officer of the Company has superannuated from the services of the Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL) on 28-02-2022 and accordingly, the charge of Company Secretary & Compliance Officer, HOCL has been handed over to Mr. Subramonian H on 28-02-2022.

vii. As per Govt. of India, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals ORDER No. P-51011/6/2011-Chemical.III/CPC dated 30th March, 2022 has appointed Shri Kanishk Kant Srivastava, Director, Department of Chemicals & Petrochemicals, as Govt. Nominee Director on the Board of Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL) w.e.f. 30-03-2022, for a period of three years or till further orders, whichever is earlier, in place of Shri Samir Kumar Biswas, Additional Secretary, Department of Chemicals & Petrochemicals, who has been relieved from the department w.e.f. 31-01-2022.

**d. Attendance of each director at the meeting of the board of directors and the last annual general meeting;**

| Directors | No. of Board meetings attended | Attendance at the last AGM |
|---|---|---|
| Mr. Sajeev B. | 6 | YES |
| Mr. Satendra Singh (w.e.f. 21-12-2021) | 2 | NO |
| Mr. Kanisk Kant Srivastava (w.e.f. 30-03-2022) | 0 | NA |
| Dr. Bharat J. Kanabar (w.e.f. 24-12-2021) | 3 | NA |
| Mr. Pratyush Mandal (w.e.f. 24-12-2021) | 3 | NA |
| Mr. Samir Kumar Biswas (up to 30-03-2022) | 6 | NO |
| Mr. S. B. Bhide (upto 31-07-2021) | 2 | NA |
| Mr. S.C Mudgerikar (from 02-08-2021 to 05-09-2021) | 0 | NA |
| Mr. Ashish Upadhyay (From 22-11-2021 to 21-12-2021) | 1 | NO |
| Ms. Nirupama Kotru (upto 22-11-2021) | 0 | NO |
| Mr. Rajesh Aggarwal (From 27-052-2021 to 07-10-2021) | 2 | NO |
| Mrs. Alka Tiwari (upto 26-05-2021) | 0 | NO |

**e. Number of meetings of the board of directors held during the Year2021-22 and the dates on which Board Meetings were held: -**

The Board of the Company met 8 times during the financial year 2021-22 on the following dates:

11th June 2021, 30th July, 2021, 23rd September, 2021, 29th October, 2021, 3rd December, 2021, 28th January, 2022, 25th March, 2022 and 28th March, 2022.

**f. Disclosure of relationships between directors inter-se: Not Applicable**

**g. Number of shares and convertible instruments held by non-executive directors; - Nil**

**h. Web link where details of familiarization programmes imparted to independent directors is disclosed. -https://www.hoclindia.com/corporate- governance**

**i. Skills/expertise/competence of the Board of Directors:**

i. The list of core skills/expertise/competencies identified by the board of directors as required in the context of its business(es) and sector(s) for it to function effectively and those actually available with the board;-

ii. The names of directors who have such skills / expertise / competence:-

| Director Name & Designation | Educational Qualification & Experience |
|---|---|
| Shri Sajeev B – Chairman & Managing Director | B.E Chemical. Shri Sajeev B., have a vast experience in managing purchasing & stores. He was also in charge of Purchase of all major Raw Materials and fuels besides procurement of Equipment and spares related to Mechanical, Electrical, Fire & Safety and Instrumentation Engineering Sections. Worked as General Manager & above positions in the following functional areas. Marketing, Finished Products, Corporate Long Range Planning, Technical Services, Production & Materials |
| Shri Satendra Singh – Government Nominee Director | Shri Satendra Singh belongs to 1995 batch of Indian Administrative Service (IAS) from Jharkhand Cadre. He is currently working as Additional Secretary and Financial Advisor in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India, New Delhi.<br>Shri Satendra Singh has done B.E in Electronics from university of Roorkee. He has Master's Degree in Public Policy from Duke University, USA. He has participated in various short term courses at the National and International Level |

| | |
|---|---|
| Shri Kanish Kant Srivastava – Governmen Nominee Director | Shri Kanishk Kant Srivastava was born on 14.11.1980. He is holding Master Degree in Statistics. He is a native of New Delhi. He is Possessing experience in Government Services. Presently he is Director (Chemicals), in Dept. of Chemicals & Petrochemicals. |
| Dr Bharat J Kanabar – Independent Director | Dr Bharat J Kanabar is a native of Gujarat. He was born in 06.07.1955. Dr Bharat J Kanabr is Consulting surgeon, practicing since 37 years in Amreli, Gujarat. He is the Chairman of Amreli Red-cross blood bank since 2006. He is active in many NGOS. He has worked extensively during both waves of covid to help the needy families. |
| Shri Pratyush Mandal – Independent Director | Shri Pratyush Mandal is a native of Howrah, West Bengal. He was born in 05.07.1979.<br>Shri Pratyush Mandal has completed B.SC degree from University of Culcutta. After completing education he has started career with a job in stock market sector. After five years of working in stock market, he has moved to social works. He has established NGO named Fuleswar Annapurna Gramin Vikas Kendra (Govt. registered) and doing various social works through this and other organizations.<br>Shri Pratyush Mandal is more that ten years intensively dedicated towards social service for betterment and development of weaker, youth, women and backward section of the society. |

**j. Board of Directors confirm that the Independent Director fulfill the conditions specified in these regulations and are independent of the management.**

**k. Detailed reasons for the resignation of an Independet Director who resigns before the expiry of his/her tenure along with confirmation by such director that there are no other material reasons other than those provided.**

**Not Applicable**

**3. Audit committee:**

**(a) Composition, Name of Members and Chairperson**;

On 24th December, 2021 the Government appointed two (2) Independent Director on the Board of HOCL. The Board of Directors of the Company at the meeting held on 26th May, 2022re-constituted Audit Committee with three Members viz. Dr. Bharat J. Kanabar as Chairperson and Shri Pratyush Mandal and Shri Kanish Kant Srivastava as Members of the Audit Committee.

**(b) Brief description of terms of reference;-**

The main purpose of the Audit Committee is to provide oversight of the Financial Reporting Process, the Audit Process, to review the Internal Control System and such other functions as specified under Section 177 of the Companies Act, 2013 and Regulation 18 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015.

Apart from all the matters provided in Regulations on Corporate Governance of the Listing Regulations and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, the Board /Committee (when met) reviewed reports of the Internal Auditors, met Statutory Auditors periodically and discussed their findings, suggestions, internal control systems, compliance with the Accounting Standards, scope of audit, Modified Opinion, Impact of audit qualifications in audit reports, Management Replies to auditors qualifications, observations of the Auditors etc. and other related matters.

The Board /Committee (when met) also reviewed the major accounting policies followed by the Company. The Board/Committee during the meetings also invited CMD, other Directors, CFO & other senior executives of the Company as it considers appropriate at its meetings. CMD, Head of Internal Audit attend the meetings of the Board/Audit Committee as special invitees. The representatives of the Statutory Auditors/branch auditors are also invited to attend the meetings. The Company Secretary is Secretary to the Committee.

**(c) Meetings and attendance :-** During the year 2021-22 the following Audit Committee Meetings were held:

The Audit Committee of the Company met 2 times during the financial year 2021-22 on : 28th January, 2022 & 25th March, 2022

| Audit Committee | No. of Audit Committee Meetings attended |
|---|---|
| Dr. Bharat J. Kanabar | 2 |
| Shri Pratyush Mandal | 2 |

**4. Nomination and Remuneration Committee:**

Due to Non-availability of Independent Directors for the substantial period of FY 2021-22, the Nomination and Remuneration Committee meeting could not be held. On 24th December, 2021 the Government appointed two (2) Independent Directors on the Board of HOCL. The Board of Directors of the company at the meeting held on 28th January, 2022 re-constituted Nomination and Remuneration Committee of the Board comprising of 2 Independent Directors.

**Brief description of terms of reference;**

In pursuance of the Provisions of Section 178 of Companies Act, 2013 and Regulation 19 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Role, the Terms of references and duties of the Nomination and Remuneration Committee (Committee), shall, inter-alia include the following:

Under Sec.178 of the Companies Act, 2013:

a. To identify persons who are qualified to become directors or who may be appointed in senior management, recommend to the Board their appointment and removal and shall carry out evaluation of every director's performance;

b. To formulate the criteria for determining qualifications, positive attributes and independence of a director;

c. To recommend to the board of directors a policy relating to the remuneration of the directors, key managerial personnel and other employees;

**As per Regulation 19 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015:**

1. Formulation of criteria for determining qualifications, positive attributes and independence of a director and recommend to the board of directors a policy relating to, the remuneration of the directors, key managerial personnel and other employees;

2. Formulation of criteria for evaluation of performance of independent directors and the board of directors;

3. Devising a policy on diversity of board of directors;

4. Identifying persons who are qualified to become directors and who may be appointed in senior management in accordance with the criteria laid down, and recommend to the board of directors their appointment and removal;

5. Whether to extend or continue the term of appointment of the independent director, on the basis of the report of performance evaluation of independent directors;"

Further the Chairman of the Committee may be present at the AGM to answer the shareholders' queries. However, it shall be up to the chairman to decide who shall answer the queries. Further the quorum for the meetings of the Committee would be 1/3 of total strength or 2 directors whichever is more and committee to meet at least once a year or at such intervals as the Committee members may mutually decide.

However, HOCL being a CPSE, DPE guidelines are also being followed in respect of all the issues relating to Nomination & Remuneration matters.

Composition, name of members and chairperson;

(b) In pursuance of applicable provisions of Section 178 of Companies Act, 2013 and Regulation 19 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Committee comprise of 3 Directors as Members viz. Dr. Bharat J. Kanabar, Shri Pratyush Mandal and Shri Kanishk Kant Srivastava as Members of the Committee with Dr Bharat J Kanabar as Chairperson of the Nomination and Remuneration Committee and Shri Subramonian H, CS, HOCL as Secretary to the Committee.

(c) Meeting and attendance during the year; Due to non-availability of Independent Directors for the Substantial Period of FY 2021-22, Nomination and Remuneration Committee Meeting could not be held during the FY 2021-22.

(d) Performance evaluation criteria for independent directors – Details are as given in the Terms of Reference of the Committee.

**5. Stakeholders Relationship Committee:**

Section 178(5) of the Companies Act, 2013 and Regulation 20 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 mandates for the constitution of a Stakeholders Relationship Committee (SRC) comprising of the Non-Executive Director as the Chairperson of the Committee and such other members as may be decided by the Board. The said Stakeholders Relationship Committee shall resolve the grievances of the security holders.

Due to non-availability of Independent Directors for the substantial period of FY 2021-22, Stakeholders Relationship Committee could not be held. On 24th December, 2021 the Government appointed two (2) Independent Directors on the Board of HOCL. The Board of Directors of the company at the meeting held on 28th January, 2022 re-constituted Stakeholders Relationship Committee comprising 2 NOIDs viz. Dr Bharat J. Kanabar as Member & Chairperson & Shri Pratyush Mandal and Shri Sajeev B., CMD HOCL, as Members of the Stakeholders Relationship Committee and Company Secretary to act Secretary to the Committee.

There were no pending complaints and requests for Demat during the year under review. This Committee is vested with the requisite powers and authorities to specifically look into the redressal of shareholders and investors grievances, all the related jobs are being handled and dealt with suitably by the company's RTAs.

**(a) Brief description of terms of reference :**

i. The Committee shall consider and resolve the grievances of security holders of the company;

ii. The Committee to meet on quarterly basis or once/ twice in a year or on need basis;

iii. Company Secretary to act as Secretary to the Committee;

iv. The quorum of the Meeting is 1/3 of the composition of the Committee or two Members, whichever is more.

v. The Committee shall also consider and resolve the grievances of the security holders of the Company including complaints related to the transfer of shares, non- receipt of declared dividends [if any], etc.;

vi. Such other terms or matters which may be within the purview of the Committee as may be decided by the Board or the Committee.;

**(b) The meeting of Stakeholders Relationship Committee.:-** Due to non-availability of Independent Directors for the substantial period of FY 2021-22, Stakeholders Relationship Committee meeting could not be held during FY 2021-22.

**6. Risk Management Committee: Not Applicable**

**7. Remuneration of Directors:**

**(a)** All pecuniary relationship or transactions of the non-executive directors vis-à- vis the listed entity shall be disclosed in the annual report; -- Necessary Disclosure relating to payment of Sitting Fees is made.

(b) Criteria of making payments to non-executive directors. Alternatively, this may be disseminated on the listed entity's website and reference drawn thereto in the Annual Report; -- Onlysitting fees for attending the meetings of the Board and Committee are being paid to the non-executive directors.

(c) Disclosures with respect to remuneration: in addition to disclosures required under the Companies Act, 2013, the following disclosures shall be made: -- Yes

i. All elements of remuneration package of individual directors summarized under major groups, such as salary, benefits, bonuses, stock options, pension etc.;

**Details of remuneration paid to the Directors for the year ended 31-03-2022 are as follows:**.

| SR No. | Name of the Directors | Salary including Benefits in Rs. (In Lakhs) | Sitting Fees Paid to NOIDs in Rs. (In Lakhs) | Total Amount in Rs. (In Lakhs) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Shri Sajeev B., CMD (w.e.f 06.09.2021) | 20.74 | | 20.74 |
| 2. | Shri Satendra Singh, AS&FA – Govt. Nominee Director | N.A | — | Nil |
| 3. | Shri Kanishk Kant Srivastava – Govt. Nominee Director | N.A | — | Nil |
| 4. | Dr. Bharat J. Kanabar – Independent Director | N.A | 0.60 | 0.60 |
| 5. | Shri Pratyush Mandal – Independent Director | N.A | 0.60 | 0.60 |

Upto August, 2018 Company's Independent Directors were paid sitting fees @ of Rs. 5,000/- per Director/Board Meeting/Committee Meeting and thereafter w.e.f November 2018 @ of Rs. 10,000/- per Director/Board Meeting/Committee Meeting for attending the meetings. During the substantial period of FY 2021-22 there were no Independent Directors on Company's Board. On 24th December, 2021 the Government appointed two Independent Directors on the Board of HOCL. Thereafter, two Independent Directors were paid Rs. 60,000/- each for attending Board/Committee Meetings held during FY 2021-22.

ii. Details of fixed component and performance linked incentives, along with the performance criteria; -- None / Nil

* The Company has not given any stock options.
* Non-executive Directors: The Company does not pay any remuneration to its non- executive Directors except sitting fees for attending the Board/committee meetings.

iii. Service contracts, notice period, severance fees: -

The Executive Directors have been appointed by the President of India for a period of five years or till attaining the age of superannuation, whichever is earlier. The appointment may be terminated even during this period by either side on three months' notice or on payment of three months' salary in lieu thereof.

iv. Stock option details, if any and whether issued at a discount as well as the period over which accrued and over which exercisable.- Nil

**8. Performance evaluation criteria for independent directors:**

Not Applicable. HOCL being a Govt. PSU, all the Board of Directors are appointed by the Government. The performance evaluation of all the Directors including Independent Directors is done by the Department of the Central Government or Ministry, which is administratively in charge of the company.

**9. Separate Meeting of Independent Directors:**

During the substantial period of FY 2021-22 there were no Independent Directors on the Company's Board. On 24th December, 2021 the Government appointed two (2) Independent Directors on the Board of HOCL. Thereafter, separate meeting of Independent Directors viz. Dr. Bharat J. Kanabar and Shri Pratyush Mandal was held on 25th March, 2022 in compliance with provisions of Section 149 (8) read with Schedule IV of the Companies Act, 2013 and Regulation 25 (3) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

**10. Share Transfer committee (constituted under Regulation 40 of the Listing Regulations):**

To approve physical transfer of shares and other transactions as mentioned under Regulation 40 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

(c) Name of the Director heading the Committee. :- Shri. Sajeev B., CMD as Chairman [in view of easy availability of the directors at the work place, to convene the required STC meetings once in every fortnightly/monthly or so, to manage effectively all the Bonds/ shareholders/ investors, transfers/grievances related matters in compliances with corporate governance norms of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and with suitable explanations to the Exchanges].

(d) Name and designation of compliance officer :-

Mr. Subramonian H, Company Secretary is designated as the Compliance Officer and acts as Member & Secretary to the Committee.

Share/Bonds Transfer System:

The Company's Share Transfer Committee is authorized to transfer securities as and when they are received from the company's registrar and transfer agents [viz. RTAs] (the valid transfer etc. documents). The dematerialized shares are directly transferred to the beneficiaries by the depositories.

All the correspondence with the shareholders and investors are duly carried out on behalf of the company by the company's RTAs.

As per Regulation 40 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company seeks to ensure that all transfers are approved for registration within the stipulated period. For this mechanism, the Company Secretary (the compliance officer) and company's RTAs have been entrusted with all the requisite powers and authorities, to carry out all the activities with regard to the shares related functions. With a view to expediting the approval process, the Committee meets regularly and approves all matters related to shares vis-à-vis transfers, deletion, transmission, and re-materialization of shares based on the requisitions from the RTAs.

The letters received from the investors were attended/resolved to the satisfaction of the investors. The transfer of shares was affected within the stipulated time.

The Committee met 5 times during the year. The details are as under: - 21-04-2021, 21-10-2021, 12-11-2021, 25-11-2021, 21-12-2021.

No. of Pending Share Transfers

As on 31st March, 2022 there is no Share transfer case pending (as confirmed by RTA).

**(e) Complaint Status for the period 01-04-2021 to 31-03-2022:**

i. Number of shareholders' complaints received during the year 2021-22-- 2 Nos.

ii. Number of shareholders' complaints received and disposed of during the year 2021- 22-- 2 Nos.

iii. Number not solved to the satisfaction of shareholders - 0

iv. Number of pending complaints at the end of the year ended 31-03-2022 – NIL

**11. CSR & Sustainability Development Committee :( Not Applicable)**

CSR & Sustainability Development Committee is not applicable for the HOCL. On 24th December, 2021 the Government appointed two (2) Independent Directors on the Company's Board. Thereafter, the Board of Directors of the Company at the meeting held on 28th January, 2022 re-constituted CSR & Sustainability Committee comprising of Independent Directors viz. Dr. Bharat J. Kanabar as Member and Chairperson of the Committee and other Independent Director, viz. Shri Pratyush Mandal and Shri Sajeev B., CMD HOCL, as its Members along with the Company Secretary to act as the Secretary of the Committee.

The terms of reference of the said CSR and SD Committee included among others, is as per Section 135 of the Companies Act, 2013 and Rules 2014 thereunder, alongwith Schedule VII, etc. Though the Company is not required to carry out any CSR activities on account of accumulated losses, following activities were undertaken during the year 2021-22:

In order to help fighting the COVID-19 pandemic, Company extended the following during the year.

- Sponsored an Ambulance jointly with FACT to Social Service Organization Seva Bharti.
- Continued Drinking Water Supply to nearby Local Residents.
- Covid Vaccination Drives were organized. Provided Fogging Machine to nearby Panchayat.
- Extended Vocational Training Facilities to the Students of Engineering/Science/ Management Colleges for enhancing skill/knowledge.

**12. General Body Meetings:**

**a) Location and time, where last three Annual General Meetings held;**

The last three Annual General Meetings of the Company were held as under:

| Particulars | F Y 2018-2019 | FY 2019-2020 | FY 2020-2021 |
|---|---|---|---|
| Date and | 26-09-2019 | 28-09-2020 | 29-09-2021 |
| Time | 2.00 p.m. | 2.00 p.m | 3.00 p.m |
| Venue | The Institute of Engineers (India) Auditorium- Hall, 1st Floor, Plot No.106, Sector-15, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614. | Through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual means ("OAVM") at the Registered Office of the Company at CBD Belapur. | Through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual means ("OAVM") at the Registered Office of the Company at CBD Belapur. |

- **Whether any special resolutions passed in the previous three Annual General Meetings; YES**
- **Whether any special resolution passed last year /during the year through postal ballot – No/None**

**13. CEO/CFO certification for Financial Year ending on 31st March, 2022.**

This is to certify that:

A. Financial statements and the cash flow statement for the year have been reviewed to the best of their knowledge and belief:

1) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

2) these statements together present a true and fair view of the listed entity's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

B. To the best of their knowledge and belief, no transactions are entered into by the listed entity during the year in which are fraudulent, illegal or violative of the listed entity's code of conduct.

C. They accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that they have evaluated the effectiveness of internal control systems of the listed entity pertaining to financial reporting and they have disclosed to the auditors and the audit committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which they are aware and the steps they have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

D. They have indicated to the auditors and the Audit committee: -

1) significant changes in internal control over financial reporting during the year;

2) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

3) instances of significant fraud of which they have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the listed entity's internal control system over financial reporting.

| | Sd/- | Sd/- |
|---|---|---|
| **Place: Navi Mumbai** | **P. O. Luise** | **Sajeev B.** |
| **Date: 26.05.2022** | **Chief Financial Officer** | **Chairman And Managing Director** |

**14. Code of Conduct for Directors and Senior Management Personnel:**

The Company has adopted (since 2007) a code of conduct and ethics applicable to the Board of Directors and Senior Management Personnel (one level below the Board of Directors) of the company. The Code requires Directors and employees to act honestly, fairly, ethically, and with transparency and integrity. The Board of Directors and Senior Management Personnel are required to affirm compliance with the code of conduct on an annual basis. The Code is displayed on the Company's website – www.hoclindia.com. All Directors and Senior Management Personnel have complied with the Code of Conduct and the compliance of the same has been affirmed by them to that effect. A declaration signed by Chairman and Managing Director is given below:

This is to certify that:

In line with the requirement of Regulation 26(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, all the Directors of the Board and Senior Management Personnel have affirmed that to the best of their knowledge and belief, they have complied with the provisions of the 'Code of Conduct for the Directors and Senior Management' during the financial year 2021-22.

**Sd/-**

**Place: Navi Mumbai** **Sajeev B**

**Date: 26.05.2022** **Chairman and Managing Director**

**15. Means of communication:**

(a) Quarterly results;

- These Quarterly, Half-Yearly reviewed and Annual Audited Financial Results of the Company are also submitted to the Stock Exchanges at BSE-E Portal online, immediately after they are approved by the Board. Also placed on company website.

(b) Newspapers wherein Results are normally published;

The results are published in a Regional Language News Papers (Navshakti) and English National Daily (The Free Press Journal) as per the requirements under the Listing Regulations with the Stock Exchanges.

(c) Any website, where displayed;

- The Quarterly, Half-Yearly Reviewed and Annual Audited Financial Results are regularly posted by the Company on its website: www. hoclindia.com

(d) Whether it also displays official news releases; -- No

(e) Presentations made to institutional investors or to the analysts. – No

- Management Discussion and Analysis Report forms part of this 61st Annual Report of the Company for the year 2021-22.
- Whenever a Director is appointed or re-appointed, Stock Exchanges are intimated through Fax/Speed Post/Courier Service. – Yes, through on line filing of the e-filing portal of the Exchange (BSE) under Corporate Announcements as per Regulation 29/30 & other applicable regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

**16. General shareholders information:**

**Company (HOCL) CIN:- L99999MH1960GOI011895**

**Compliance Officer:** Shri Subramonian H, Company Secretary is the Compliance Officer of the Company under Regulation 6 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Company's Website: www.hoclindia.com

Registered & Corporate Office Address: Office Nos.: 401,402,403, 4th Floor, "V- Times Square", Plot No.3, Sector-15, CBD, Belapur, Navi Mumbai- 400614, Maharashtra.

(a) The Schedule of the Current- 61st Annual General Meeting (AGM) of the Company – date, time and venue;

61st Virtual Annual General Meeting:

Date & Time: 29th September, 2022 at 02:00 PM.

Venue : Through Video Conference – Virtual AGM –Chairman, Company Secretary, Moderator for web link etc- at : HOCL Board Room, Registered Office and Corporate Office at 4th Floor,401-403, V Times Square, Plot No: 3, Sector-15, CBD Belapur, Navi Mumbai- 400614

(b) Financial year

The Company follows April - March as its Financial Year.

(c) Dividend payment date- Not applicable, in view of the continuous losses during the previous years as well as carry forward of the accumulated losses of the previous years, the Board of Directors do not recommend any Dividend for the year under review.

(d) the name and address of each stock exchange(s) at which the listed entity's securities are listed and a confirmation about payment of annual listing fee to stock exchange;: Company's shares are listed in Bombay Stock Exchange Ltd. [BSE]. Payment towards Annual Listing fees for the year 2021-22 amounting to Rs. 3,54,000/- was paid in May 2022 through RTGS to Stock Exchange (BSE) and duly complied with the same.

(e) Stock /script code; Scrip Code at BSE : 500449

ISIN of HOCL Equity Shares at NSDL & CDSL: INE048A01011

(f) Market price data- high, low (at BSE) during each month in last financial year; (2021-22)

| Month | Monthly Highest | Monthly Lowest |
|---|---|---|
| April, 2021 | 41 | 34.55 |
| May, 2021 | 45.00 | 36.85 |
| June, 2021 | 47.90 | 35.35 |
| July, 2021 | 40.40 | 35.00 |
| August, 2021 | 39.90 | 28.35 |
| September, 2021 | 46.10 | 33 |
| October, 2021 | 45.30 | 33.85 |
| November, 2021 | 37.80 | 32 |
| December, 2021 | 38.30 | 28.55 |
| January, 2022 | 39.80 | 33 |
| February,2022 | 37 | 25.35 |
| March, 2022 | 35.30 | 27.35 |

(g) Performance in comparison to broad-based indices such as BSE sensex,CRISIL Index etc;- --Nil

(h) In case the securities are suspended from trading, the directors report shall explain the reason thereof; N.A

(i) Registrar to an issue and Share Transfer Agent;

M/s. Bigshare Services Pvt. Ltd.

Office No.S-6, 6th Floor, Pinnacle Business Park, next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai – 400093

(j) Share transfer system;

The Company's Share Transfer Committee is authorized to transfer securities as and when they are received from the company's Registrar and Transfer Agents [viz. RTAs] (the valid transfer etc. documents). The dematerialized shares are directly transferred to the beneficiaries by the depositories.

All the correspondence with the shareholders and investors are duly carried out on behalf of the company by the company's RTAs.

The Company seeks to ensure that all transfers are approved for registration within the stipulated period. And for this mechanism the Company Secretary (the compliance officer) and company's RTAs have been entrusted with all the requisite powers and authorities, to carry out all the activities with regard to the shares related functions. With a view to expediting the approval process, the Committee meets regularly and approves all matters related to shares vis-à-vis transfers, deletion, transmission, dematerialization and rematerialization of shares based on the requisitions from the RTAs.

There was no pending complaints and requests for demat during the year under review.

This Committee is vested with the requisite powers and authorities to specifically look into the redressal of shareholders and investors grievances, which are being handled and dealt with suitably by the company's RTAs.

The letters received from the investors were attended/resolved to the satisfaction of the investors. The transfer of shares was effected within the stipulated time.

(k) Distribution of shareholding;

As on Date: 31-03-2022; (NSDL-CDSL-Physical)

| Shareholding of Nominal | | No. of Shareholders | Percentage of Total | Share Amount | Percentage of Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Rs. | Rs. | | | Rs. | |
| 1 | 5000 | 43861 | 88.3849 | 61541350 | 9.1616 |
| 5001 | 10000 | 2833 | 5.7088 | 24265650 | 3.6124 |
| 10001 | 20000 | 1445 | 2.9118 | 22682960 | 3.3768 |
| 20001 | 30000 | 477 | 0.9612 | 12377990 | 1.8427 |
| 30001 | 40000 | 224 | 0.4514 | 8256580 | 1.2291 |
| 40001 | 50000 | 233 | 0.4695 | 11274670 | 1.6785 |
| 50001 | 100000 | 327 | 0.6589 | 25015800 | 3.7241 |
| 100001 | 999999999999999 | 225 | 0.4534 | 506316000 | 75.3748 |
| TOTAL | | 49625 | 100.00 | 671731000 | 100 |

l) Dematerialization of shares and liquidity:- HOCL Equity Shares ISIN: INE048A01011

The shares of the Company are compulsorily traded in dematerialized mode. To facilitate the shareholders to dematerialize the shares, the Company has signed agreements with both the depositories i.e. National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depositories Services (India) Ltd (CDSL). In total 97.06% of the share capital of the Company (NSDL – 17.21% and CDSL - 79.85%) has been dematerialized as on 31st March 2022 - total accounts dematerialized is 34,206 involving 6,51,98,766 shares.

(m) Outstanding global depository receipts or American depository receipts or warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity:- Nil/ None.

(n) Commodity price risk or foreign exchange risk and hedging activities:- Nil/None

(o) Plant locations: -

| Sr. No. | Location | Main Product |
|---|---|---|
| 1. | Kochi | Phenol Complex |

(p) Address for correspondence: -

i. **Registered & Corporate Office at:** 401,402,403, 4th Floor, V Times Square, Sector-15, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614

ii. **R&T Agents address :**

M/s. Bigshare Services Pvt. Ltd.

Office No. S6 – 2 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai 400093, Maharashtra.

(q) List of all credit ratings obtained by the entity along with any revisions thereto during the relevant financial year, for all debt instruments of such entity or any fixed deposit programme or any scheme or proposal of the listed entity involving mobilization of funds, whether in India or abroad- N.A.

**17. Performance in comparison to broad based indices:**

| Period | Sensex | BSE-CPSE Index | HOCL Price Rs. (BSE) |
|---|---|---|---|
| March 2021 | 52,416.33 | 1,370.75 | 42.45 |
| March 2022 | 59,099.75 | 1,641.40 | 35.25 |

**18. Other Disclosures:**

a) Disclosures on materially significant related party transactions that may have potential conflict with the interests of listed entity at large;- None

b) web link where policy for determining 'material' subsidiaries is disclosed;- https://www.hoclindia.com/corporate-governance

i) A subsidiary of HOCL shall be considered 'material' if the income or net worth of the concerned subsidiary exceeds twenty percent of the consolidated income or net worth respectively, of HOCL and its subsidiaries, in the immediately preceding accounting year.

Further, HOCL shall not dispose-off shares in its material subsidiary which would reduce its shareholding (either on its own or together with subsidiaries) to less than 50% or cease the exercise of control over the subsidiary without the approval of the Central Govt. and without passing a special resolution in its General Meeting except in cases where such divestment is made under a scheme of arrangement duly approved by the Govt./by a Court/tribunal.

ii) Further, selling, disposing and leasing of assets amounting to more than twenty percent of the assets of the material subsidiary on an aggregate basis during a financial year shall require prior approval of the Central Govt. and the approval of shareholders by way of special resolution, unless the sale/ disposal/ lease is made under a scheme of arrangement duly approved by a Court/ Tribunal. The Policy for determining material subsidiaries is disclosed on the website of the Company https://www.hoclindia.com/corporate-governance

c) web link where policy on dealing with related party transactions; - www.hoclindia.com

There was no materially significant related party transaction with its Directors/or the Management or Subsidiary or relatives that may have potential conflict with the interests of Company at large.

d) Details of non-compliance by the listed entity, penalties, and strictures imposed on the listed entity by stock exchange(s) or the board or any statutory authority, on any matter related to capital markets, during the last three years; - None, as suitable explanations were submitted from time to time to the Stock Exchange (BSE).

e) Vigil Mechanism - Whistle blower policy:

The Company has instituted procedures for the receipt, retention and dealing with complaints.

Your Company has put in place a fraud prevention policy. As a part of compliance with the policy, Company has appointed nodal officers. The fraud prevention policy has been framed to provide a system for detection and prevention of fraud, reporting of any fraud that is detected or suspected and for dealing in matters pertaining to fraud. During the year under review, no such case was reported.

In addition, your Company has Vigilance Department (as per CVC guidelines) to bring greater transparency, integrity and efficiency. The focus of Vigilance department is on Preventive and Participative Vigilance.

Details of establishment of vigil mechanism whistle blower policy, and affirmation that no personnel have been denied access to the audit committee; Yes – details are also placed on the Company's website https://www.hoclindia.com/corporate-governance as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. No person has been denied access to the Audit Committee.

f) Details of compliance with mandatory requirements and adoption of the non-mandatory requirements;- Company has complied with all the mandatory requirements except optimum combination of Board and Constitution of Various Committees as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

g) Details of utilization of funds raised through preferential allotment or qualified institutions placement as specified under Regulation 32 (7A) – Not Applicable

h) A Certificate from a Company Secretary in Practice that none of the directors on the board of the company have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of companies by the Board/Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority – N.A

i) where the board had not accepted any recommendation of any committee of the board which is mandatorily required, in the relevant financial year, the same to be disclosed along with reasons thereof: -None

The Board of Directors has accepted all the recommendation made by the Audit Committee in their meeting.

j) Total fees for all services paid by the listed entity and its subsidiaries, on a consolidated basis, to the statutory auditor and all entities in the network firm/ network entity of which the statutory auditor is a part. – Total fees paid to the auditors during FY 2021-22 shall be disclosed in Annual Report

k) Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:

Annual Report for the year 2021 The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013-:

No. of complaints received: Nil

No. of complaints disposed of: Nil

No. of cases pending for more than 90 days: Nil

No. of Workshop/Awareness programmes carried out: One day Workshop was attended by our Committee Member. Awareness training given to the newly joined Trainees.

Nature of action taken by the Employer: N.A.

**19. Prevention of Insider Trading:**

The Company has adopted a Code of Conduct for prevention of Insider Trading with a view to regulate trading in securities by the Directors and designated employees of the Company. The Code requires pre-clearance for dealing in the Company's shares and prohibits the purchase or sale of Company shares by the Directors and designated employees while in possession of unpublished price sensitive information in relation to the Company and during the period when the Trading Window is closed. The Company Secretary of the company is responsible for implementation of the Code. All Board Directors and the designated employees have confirmed compliance with the Code.

**20. Management Discussion & Analysis Report:**

Management discussion & Analysis Report is annexed to the Directors' Report which forms part of this Annual Report. (Annexure III)

Further it is affirmed that no personnel has been denied access to the audit committee;

- Details of compliance with mandatory requirements and adoption of the non-mandatory requirements; - Yes. – Duly effected as applicable and are provided in this report;
- Web link where policy for determining 'material' subsidiaries is disclosed;
  -- https://www.hoclindia.com/corporate-governance.The information /documents required to be hosted on the website of the Company under the provisions of the Act and SEBI (LODR) Regulations, 2015 were hosted as prescribed.
- Web link where policy on dealing with related party transactions; N.A.
- Disclosure of commodity price risks and commodity hedging activities. N.A.

**21. Non-compliance of any requirement of corporate governance report of sub- paras (2) to (10) above, with reasons thereof shall be disclosed. - Not applicable. [as all compliances as in (2) to (10) above were duly complied with.];**

As on 31-03-2022 all applicable compliances in connection with the Board's composition, other relevant and applicable compliances etc. were complied with, except to the extent of Independent Director on the Board and the Company, being PSU, such appointment of adequate number of Independent Directors on the Board of the Company is to be done by the Ministry and Company is awaiting necessary Govt. Orders appointing One (1) Independent Director on the Board of HOCL. All the other Disclosure requirements of the Listing regulations have been submitted to the BSE within stipulated time period. Company Secretary Responsibility statement under Corporate Governance Compliances- Submitted

**22. The Corporate Governance Report shall also disclose the extent to which the discretionary requirements as specified in Part E of Schedule II have been adopted.- Yes, as applicable.**

Following are the requirements as specified in Part E of Schedule II:

A. The Board

A Non-Executive Chairperson may be entitled to maintain a Chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties. – In the case of HOCL, Government has appointed executive director as Chairperson/Chairman of the Company.

B. Shareholder Rights.

A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders. – Yes- Through placing on company website & uploading on BSE portal regularly/quarterly/ half yearly/yearly.

C. Modified opinion(s) in audit report

The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion. – Is complied with accordingly. However, Auditors have given Unmodified Opinion for FY (2021-22)

D. Separate posts of chairperson and chief executive officer

The listed entity may appoint separate persons to the post of chairperson and Managing Director or Chief Executive Officer, such that the Chairperson shall be (a) be a non-executive director and (b) not be related to Managing Director or the Chief Executive officer as per the definition of the term "relative" defined under the Companies Act, 2013..-

In view of the fact that, the power to appoint all the Director at the Board of the company vests with the GOI/President of India as per Company's Articles of Association, in the case of HOCL Govt. has appointed executive person as Chairman & Managing Director (also a Chief Executive Officer).

E. Reporting of Internal Auditor

The internal auditor may report directly to the audit committee. - Yes.

F. Declaration to be added that the Company has made adequate disclosures required under Regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of sub-regulation (2) of regulation 46 of the Listing Regulations.

It is hereby confirmed and declared that, Company has made adequate disclosures required under Regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of sub- regulation (2) of regulation 46 of the Listing Regulations.

**23. Details of unclaimed Shares: Nil**

**24. Details of status of Listing fees paid:**

Presently Company's Equity Shares are listed with BSE Ltd.

Accordingly, payment towards Annual Listing fees for the year 2021-22 for Rs. 3,54,000/- was paid on during May, 2022 through RTGS to Stock Exchange (BSE) and duly complied with the same.

**25. Secretarial Audit Report:**

The Board has appointed M/s D. S. Momaya& Co, Practising Company Secretary to conduct Secretarial Audit for the FY 2021-2022. The Secretarial Audit Report for the Financial Year ended March 31, 2022 is annexed to this Report as Annexure and complied with Section 204 of Companies Act and Regulation 24A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the replies to observations (if any) from Auditor forms part of the Directors Report. The Company also obtained Annual Secretarial Compliance Report from M/s D. S. Momaya & Co. for the year 2021-22.

**26. Training of Board Members:**

During the year under review, necessary training facility has been provided to the Board Members including overview of Company's operations and Financial Position.

**27. Book Closure Date:**

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, the 23rd September, 2022 to Thursday, the 29th September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting (AGM) of the company to be held on 29th September, 2022.

**28. Policy for Determining Materiality of Evens or Information**

Company has adopted a policy or Determination of Materiality of Events or Information in terms of Regulation 30 of SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The Policy is disclosed on the website of the Company - https://www.hoclindia.com/corporate-governance

**29. Compliance of DPE Guidelines on Corporate Governance for the CPSEs Company (HOCL) being a CPSU is required to comply the Department of Public Enterprise (DPE) set out guidelines on Corporate Governance.**

And in this respect the Quarterly Reports (SER-Self Evaluation Report) are being submitted to the DCPC, Administrative Ministry and Annual SARs are also submitted to the DPE.

Accordingly, the Total Score of HOCL on C.G. Compliance for the 4th Quarter/year ended 31-03-2022 is 85/100 and the applicable grade of the said 4th Quarter/Year ended 31-03-2022 is **"Excellent".**

**For Hindustan Organic Chemicals Limited**

**Sd/-**

**Date :- 26.05.2022** **Subramonian H**

**Place:- Navi Mumbai** **Company Secretary & Compliance Officer**

**Certificate On Corporate Governance**

To
The Members of
Hindustan Organic Chemicals Limited
401, 402, 403, 4th Floor,
V-TIMES SQUARE, Plot No. 3,
Sector 15, CBD Belapur,
Navi Mumbai -, MH 400 614

1. We, Amrita Nautiyal & Associates, Practising Company Secretaries have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Hindustan Organic Chemicals Limited having CIN: L99999MH1960GOI011895 ("the Company"), for the year ended on 31st March, 2022, as stipulated in Regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of Regulation 46(2) and para C and D of Schedule V to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "Listing Regulations").
2. The compliance of provisions of corporate governance and other applicable regulations in this regard, and maintenance of secretarial records is the responsibility of the management of the Company. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control and procedures to ensure compliance with the conditions of the Corporate Governance stipulated in the Listing Regulations.
3. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test check basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the company.
4. Our examination was limited to examining the procedures and implementation process adopted by the Company for ensuring compliance of the conditions of the corporate governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Company.
5. We have examined the relevant records and documents maintained by the Company and made available to us for the purposes of providing reasonable assurance on the compliance with Corporate Governance requirements by the Company. We have obtained requisite information and explanations about the compliance of provisions of corporate governance, other applicable regulations and happening of certain events etc. which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of this certification.

**Opinion**

6. Based on our examination of the relevant records made available to us and according to the information and explanations provided to us and the representations provided by the

Management, we certify that the Company has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in Regulation 17 to 27 and clauses (b) to (i) of Regulation 46(2) and para C and D of Schedule V to the Listing Regulations during the year ended 31st March, 2022 Save and Except that

(I) the Board of Directors of the Company is not duly constituted as per requirements of regulation 17(1)(a) and regulation 17(1)(b) of the Listing Regulations. The company does not have an optimum combination of executive and non executive directors with at least one woman director. The Company needs to appoint minimum three Independent Directors.

(II) As of March 31, 2022 the Company is one of the top 2000 listed companies as per market capitalisation. As of March 31, 2022 the Company's Board comprises of only five Directors, out of which one is an Executive Director and four are non- executive Directors. The Company is not in compliance with provisions of Regulations 17(1)(c) and 17(2A) of the Listing Regulations respectively relating to minimum number of Directors and quorum for the Board Meeting.

(III) Consequently with effect from February 21, 2020 till December 24, 2021 the Company did not have Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Stakeholders Relationship and no meetings of Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee were held as required under regulations 18 19 and 20 of the Listing regulations.

7. We have been informed that the Company, being a Public Sector Undertaking, the authority of appointment of adequate number of Independent Directors and Women Directors on the Board is with the concerned Ministry of the Government of India and directions about appointment of Independent Directors and Women Director are awaited and that the Company has sent several letters to the concerned Ministry requesting appointment of adequate number of independent directors on their Board of the Company.
8. We state that above referred compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For Amrita Nautiyal & Associates

Sd/-

CS Amrita Nautiyal

Place: Mumbai — FCS No. 5079 CP No. 7989

Date: July 25th, 2022 — UDIN: F005079D000682591

**Form No. MR-3 SECRETARIAL AUDIT REPORT**

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

To,

The Members,
HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED
(CIN: L99999MH1960GOI011895)
401, 402, 403, 4th Floor, V-TIMES SQUARE,
Plot No. 3, Sector 15, CBD Belapur,
Navi Mumbai, Thane - 400614.

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED (CIN: L99999MH1960GOI011895) (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our Opinion thereon.

We note that Department of Chemicals & Petrochemicals vide File No. P. 51015/06/2019-Ch. III dated 29th January, 2020 has directed the Company for closure of Hindustan Fluorocarbons Limited which is the Subsidiary of the Company.

Based on our verificationofHINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED books, papers, minute books, forms and returns filed and scanned copies of the documents, evidences of submission provided and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that inouropinion,theCompany hasduringtheauditperiodcoveringtheFinancial Year endedon 31st March, 2022 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITEDfor the Financial Year ended on 31st March, 2022 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder;

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws Framed thereunder;

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made there under to extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowing- Not applicable to the Company during the financial year under review;

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'): -

a. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations,2011;

b. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations,1992;

c. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations,2009 (upto 10th November, 2018 and Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations,2018 (with effect from 11th November, 2018)- Not applicable as there was no reportable event during the financial year under review;

d. The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Regulations,2014- Not Applicable as the Company has not issued any shares/options during the period under review;

e. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations,2008- Not Applicable as the Company has not issued and listed any debt securities during the period under review;

f. The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client- Not applicable to the Company;

g. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009- Not Applicable as the Company has not delisted its equity shares from stock exchange during the period under reviewand

. The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998 (upto 10th of September 2018) and The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018 (from 11th September 2018)-Not Applicable as the Company has not bought back any of its securities during the period under review.

(vi) The Management has informed that the following Laws are specifically applicable to the Company:

a. Petroleum Act, 1934 and Rules, 2002;

b. Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals (Amendment) Rules, 2000;

c. The Hazardous Waste (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008;

d. Inflammable Substance Act, 1952;

e. Dangerous Machines (Regulation) Act 1983

f. Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises,2010;

g. The Factories Act, 1948;

h. The Sexual Harassment Of Women At Workplace (Prevention, Prohibition And Redressal) Act, 2013

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.

(ii) SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulation 2015 and Listing Agreements entered into by the Company with BSE Limited.

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc., mentioned above.

We further report that,the Board of Directors of the Company wasnot duly constituted as the company does not have requisite number of Independent Directors on its Board due to vacancy arises out of end of the term of existing Independent Directors from February 21, 2020 onwards. It was observed that during the period under review from 01-04-2021 to 23-12-2021 no Independent Directors were on the Board of the Company. The Company, being Public Sector Undertaking, such appointment of adequate number of Directors/Independent Directors on the Board of the Company is to be done by the Administrative Ministry.After several requests made by the Company to the Ministry, two independent Directors were appointed through Govt. Order dt.24-12-2021. There is a vacancy of one (1) more Independent Director. The Company still awaits the appointment of One Independent Women Director on the Board by the Administrative Ministry.

We further report thatas per the Market Capitalization for the year 2021-22, the Companystands on the rank 1627. Hence as it is within the top 2000 companies, the company is required to have minimum 6 directors on the Board. But as on March, 31 2022 the Company is having only 5 directors on the Board.

Consequently the Audit Committee, Stakeholders Relationship Committee and Nomination and Remuneration Committee (NRC) are not duly constituted with right mix of Independent Directors in compliance with relevant Regulations of SEBI Listing Obligation and Disclosure Requirements (LODR) Regulations, 2015& Companies Act 2013.

During the period under review it was observed that prior to the appointment of two independent directors i.e. before 28-01-2022 none of the Committees existed between 01-04-2021 to 27-01-2022 on the Board due to the vacancy of Independent Directors.On such appointment of two Independent Directors, the Audit Committee, Nomination &Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee were reconstituted at the Board Meeting of the Company held on 28-01-2022. However, the Audit Committee although reconstituted, consists only two independent directors which is not in compliance with Regulation 18 of SEBI LODR Regulations which states that the Audit Committee shall have minimum three directors as members. Similarly, the NRC of the Company comprises two independent directors and one executive director which are not in compliance with Regulation19 of SEBI LODR Regulation which states thatall directors of the committee shall be non-executive directors.

Further, adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that, the compliance by the Company of applicable financial Laws such as Direct and Indirect tax Laws and maintenance of financial records and books of accounts have not been reviewed in this audit since the same have been subject to review by Statutory financial auditors, CAG auditors, Tax auditors,Internal auditors, Cost auditors, and other designated professionals.

We further report that based on the review of compliance mechanism established by the Company and on the basis of the Compliance Certificate(s) issued by the Company Secretary/the Chairman and Managing Director and taken on record by the Board of Directors at their meetings(s), we are of the opinion that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period;

(i) No event has occurred which has a major bearing on the Company's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc.

(ii) During the year, there were no other instances of

a. Public/Right/Preferential issue of shares / debentures/sweat Equity, etc.

b. Redemption / buy-back of securities

c. Merger / amalgamation / reconstruction, etc.

d. Foreign technical collaborations.

This report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure hereto and forms part to this report.

For D. S. Momaya & Co.

Company Secretaries

Sd/-

CS Divya Momaya

Proprietor

Place: Navi Mumbai

FCS No. 7195/ CP No. 7885

Date: 17/05/2022

UDIN : F007195D000333587

ANNEXURE TO THE SECRETARIAL AUDIT REPORT

To

The Members,

Hindustan Organic Chemicals Limited

Our Secretarial Audit Report for the Financial Year ended 31st March, 2022 is to be read along with this letter.

Management's Responsibility

1. It is the responsibility of the management of the Company to maintain secretarial records, devise proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and regulations and to ensure that the systems are adequate and operate effectively.

Auditor's Responsibility

2. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records, standards and procedures followed by the Company with respect to secretarial compliances.

3. We believe that audit evidence and information obtained from the Company's management is adequate and appropriate for us to provide a basis for our opinion.

4. Wherever required, we have obtained the management's representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

Disclaimer

5. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For D. S. Momaya & Co.

Company Secretaries

Sd/-

CS Divya Momaya

Proprietor

Place: Navi Mumbai

FCS No. 7195/ CP No. 7885

Date: 17/05/2022

**COMPLIANCE CERTIFICATE OF CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES ISSUED BY DEPARTMENT OF PUBLIC SECTOR ENTERPRISES.**

To,

The Members of Hindustan Organic Chemicals Limited

We have examined the compliance of the conditions of Corporate Governance by Hindustan Organic Chemicals Limited (CIN: L99999MH1960GOI011895) for the financial year ended March 31, 2022, as stipulated in Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010, issued by the Department of Public Enterprises, Government of India.

The Compliance of conditions of Corporate Governance as stipulated in the Guidelines is the responsibility of Management. Our examination was limited to the procedures and implementation thereof adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the Financial Statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to explanation given to us, We certify that the Company has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 issued by the Department of Public Sector Enterprises except –

1. Clause 3.1.1 – The Board of Directors of the Company was not comprised with optimum combination of Functional, Nominee and Independent Directors during the period under review;
2. Clause 3.1.4– The Board of Directors of the Company did notcomprise of any Independent Director during the period from 01/04/2021 to 24/12/2021;
3. Clause 4.1.1 – With regard to the constitution of the Audit Committee, it was not comprised with minimum three members of which two third of the members should be Independent Directors during the period from 01/04/2021 to 27/01/2022;
4. Clause 4.2 – Role of Audit Committee, the Audit Committee could not perform its role during the period from 01/04/2021 to 27/01/2022 as the Audit committee was not in existence due to non-availability of Independent Directors.;
5. Clause 4.4 – With regard to holding of the Audit Committee meetings at-least four times in a financial year and not more than four months to elapse between two meetings. No meeting of the Audit Committee was held during the period from 01/04/2021 to 27/01/2022 as Audit Committee was not in existence. Consequent to the appointment of two Independent Directors on 24/12/2021, the audit committee met two times during the remaining period of FY 2021-22.
6. Clause 5.1 – With regard to constitution of Nomination & Remuneration Committee (NRC), the NRC was not in existence during the period from 01/04/2021 to 27/01/2022;
7. Clause 6.1 – At least one Independent Director on the Board of Directors of the holding company shall be a Director on the Board of Directors of its subsidiary company, no Independent Director of the Holding Company was on the Board of the Subsidiary Company from 01/04/2021 to 27/01/2022. Consequent to the appointment of two Independent Directors on 24/12/2021, one of the Independent Director i.e Bharatkumar Jashvantrai Kanabar was appointed on the Board of the Subsidiary Company w.e.f 28/01/2022;
8. Clause 6.2 – With regard to review of Financial Statements of the Subsidiary Company by the Audit Committee of the Holding Company, in the absence of Audit Committee during the substantial period of FY 2021-22 due to non-availability of Independent Directors, the Financial Statements of the Subsidiary Company were reviewed by the Board of Directors of the Holding Company.
9. Clause 7.1.1 – A statement in summary form of transaction with related parties in the normal and ordinary course of business shall be placed periodically before the Audit Committee, in the absence of the Audit Committee during the substantial period of FY 2021-22 due to non-availability of Independent Directors, the summary of Related Party Transactions were reviewed by the Board of Directors of the Company.

As informed by the Management, the Company being a Central Public Sector Undertaking (Government Company) all the powers regarding appointment and terms of the Directors are exercised by the Ministry of Chemicals & Fertilizers, Government of India. The Company had taken up the matter with the concerned Ministry for appointment of required number of Independent Directors on the Board, as a result of which the concerned Ministry vide its Government Order dated 24/12/2021 nominated two Independent Directors on the Board with effect from 24/12/2021. However, the Company still awaits the appointment of One Independent Women Director on the Board of the Company.

We further state that such compliances are neither an assurance as to the future viability of the Company nor its efficiency and effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For D.S. Momaya & Co. LLP

FRN: L2022MH012300

Sd/-

CS Divya Momaya

Place: Navi Mumbai
Date: 25/08/2022

Designated Partner
DPIN:00365757

UDIN:F007195D000847452

FCS No.7195, CP No.7885

**Certificate of Non-Disqualification of Directors**

[pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10)(i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

To,

The Board of Directors

Hindustan Organic Chemicals Limited

401, 402, 403, 4th Floor, V-TIMES SQUARE Plot No. 3,

Sector 15, CBD BelapurNavi Mumbai Thane MH 400614 IN

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from Hindustan Organic Chemicals Limited (CIN: L99999MH1960GOI011895) having Registered Office at 401, 402, 403, 4th Floor, V-TIMES SQUARE Plot No. 3, Sector 15, CBD BelapurNavi Mumbai Thane MH 400614 IN (hereinafter referred to as 'the Company'), produced before us by the Company for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10 (i) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in) as considered necessary and explanations furnished to us by the Company & its officers. We hereby certify that none of the Directors on the Board of the Company as stated below for the Financial Year ending on 31stMarch 2022 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other Statutory Authority

| Sr. No. | Name of Director | DIN | Date of appointment in company |
|---|---|---|---|
| 1. | KANISHK SRIVASTAVA | 09699641 | 30/03/2022 |
| 2. | SATENDRA SINGH | 05195060 | 21/12/2021 |
| 3. | SAJEEV BHASKARAN | 09344438 | 06/09/2021 |
| 4. | PRATYUSH MANDAL | 09461918 | 24/12/2021 |
| 5. | BHARATKUMAR JASHVANTRAI KANABAR | 09466694 | 24/12/2021 |

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Company. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For D.S. Momaya & Co. LLP

FRN: L2022MH012300

Sd/-

CS Divya Momaya

Place: Navi Mumbai
Date: 25/08/2022

Designated Partner
DPIN:00365757

UDIN:F007195D000847452

FCS No.7195, CP No.7885

# Financial Statements
# and
# Auditors Report
# 2021-22

## INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the members of
Hindustan Organic Chemicals Limited

**Report on the Audit of the Standalone Financial Statements**

**Opinion**

1. We have audited the accompanying standalone financial statements of HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED (the "Company"), which comprise the standalone Balance Sheet as at March 31, 2022, the standalone Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the standalone Statement of Changes in Equity and the standalone Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to the standalone financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as the "standalone financial statements").

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Companies Act, 2013, as amended, (the "Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended, ("Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2022, the loss and total comprehensive income, changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

**Basis for Opinion**

3. We conducted our audit of the standalone financial statements in accordance with the Standards on Auditing ("SA"s) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI") together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements under the provisions of the Act and the Rules made thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence obtained by us is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the standalone financial statements.

**Going Concern**

4. We draw attention to Note 46 of standalone Ind AS financial statements. The Company has reported net loss including other comprehensive income of Rs.721.54. Also, the Company has accumulated loss amounting to Rs.1,01,761.72 lakhs (previous year Rs.99,437.26 lakhs) with a negative net worth of Rs.90,196.19 lakhs (previous year Rs.87871.73 lakhs). But its current assets exceed its current liabilities by Rs.7681.65 lakhs (previous year Rs.17941.50 lakhs) The Company has a balance under current assets of Cash and Cash Equivalents and Other Bank balances of Rs.13,510.73 Lakhs (previous year Rs.14,819.75 lakhs) as at year end. During the year under report, phenol plant of the company was under shut down for changing catalyst for a period 4 months and for 41 days due to unfavorable market conditions, which have impacted the turnover and profit of the company. Also, the company is in the process of implementation of the Govt. approved restructuring plan. Accordingly, Sale of unencumbered land in Rasayani through NBCC and Panvel through e-auction are in progress and the proceeds will be used to refund the Government of India loans and its outstanding interest, which will result in increase of profit of the company. After considering these conditions, the standalone Ind AS financial statements of the Company have been prepared on going concern basis. Also refer Note 31 (c) financial statements.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

**Key Audit Matters**

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of the financial year ended March 31, 2022. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. For each matter below, our description of how our audit addressed the matter is provided in that context.

We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report. We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's responsibilities for the audit of the standalone financial statements section of our report, including in relation to these matters. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the standalone financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the matters below, provide the basis for our audit opinion on the accompanying standalone financial statements.

| Sl. No. | Key Audit Matters | How the audit addressed the key audit matters |
|---|---|---|
| i | The Company makes sales to various customers, whereby the prices of the products are subject to various factors including price variation in international level, volatility in foreign currencies, level of offtake by customers and demand supply situation in the market. Such prices are intimated to the regular customers and purchase order will be obtained accordingly. The discounts offered to the customers are also informed to the customers regularly. Price of the products are fixed on the basis of management's estimate and judgement. The amounts involved being material to these financial statements, and dependent on various factors stated above, revenue recognition was determined to be a key audit matter in our audit | Our audit procedures included the following:<br>▪ We have evaluated the Company's process and controls around revenue recognition, estimation of discounts and timing of recognizing sales as per sales terms, including testing effectiveness of such controls.<br>▪ We have inquired of key sales personnel regarding price adjustments, and discussed with management regarding their awareness of price fixation that could affect revenue.<br>▪ We checked the balance confirmations obtained from customers on a sample basis as at the year-end. Performed alternate audit procedures where such confirmations could not be obtained.<br>▪ We have performed procedures on the Company's key components, analysed the revenues, cost of sales and discounts / incentives in comparison with historical data.<br>▪ We also discussed with the management on the likely timing of issuance of credit notes to customers where discounts have been recorded and are pending to be passed on to the concerned customers.<br>▪ We tested sample of sales transactions at the year-end to determine the timing of recognition of such sales.<br>▪ We also obtained necessary representation from the management in regard to the timing of revenue recognition. |

| | | |
|---|---|---|
| ii | **Excess Kerala Value Added tax Input Credit Refund Receivable**<br><br>The Company is claimed refund of excess in input tax credit on purchases of raw materials and consumables from the Kerala Commercial Tax Department. The total refund due as on March 31, 2022 for the periods 2010-11, 2011-12, 2013-14, 2015-16 and 2016-17 is Rs.576.39 lakhs. The Company has filed refund claim applications in Form No.21B and 21CC with Assessing Authority for each year as per the Act, which is pending before assessing authority for further process/completion of the assessment.<br><br>The amounts involved is being material to these financial statements and dependent on decision of the assessing authority. | Our audit procedures included the following:<br><br>▪ Analyzed the relevant provisions of the Kerala Value Added Tax Act and Rules there under, to ascertain the claim of refund is prima facie acceptable by the authority.<br><br>▪ Reviewed the records and documents submitted to the Assessing Authority for claiming the refund and also the related correspondence received from the Assessing Authority.<br><br>▪ Reviewed the working/calculations of refund amount claimed. |
| iii | **Estimation of Provision & Contingent Liabilities**<br><br>The Company is involved in litigations, both for and against the Company, comprising of tax matters, legal compliances and other disputes. The Company assesses the need to make a provision or disclose a contingency on a case-to-case basis considering the underlying facts of each matter, in consultation with its advisors and consultants. This involves a high level of management Judgement and assumptions which impact the risk assessment and consequential provisioning and disclosure of contingencies in the financial statements. This area is significant to our audit, since the completeness and accuracy of accounting and disclosures for contingencies is dependent on such management judgement and assumptions. | Our audit procedures included the following:<br><br>▪ We evaluated and tested the Company's processes and controls for monitoring of claims, litigations, disputes, compliances and assessment thereof for determining the likely outcome.<br><br>▪ We read the summary of the litigations prepared by the management and discussed the material cases to determine the Company's assessment of the likelihood and magnitude of any liability that may arise.<br><br>▪ We discussed with the management, including the Company's internal tax experts and head of legal matters to understand the basis of management's judgements and estimates.<br><br>▪ We read the minutes of the board meetings, and tested the Company's legal expenses to determine the completeness of claims, disputes and litigations.<br><br>▪ We tested the adequacy of disclosures in the standalone financial statements.<br><br>▪ We also obtained necessary representation from the management in regard to the provisioning and disclosures in respect of the claims and Litigations. |

**Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon**

6. The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Board's Report including Annexures to Board's Report, Corporate Governance Report, and Shareholder Information, but does not include the standalone financial statements and our auditor's report thereon.

7. Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

8. In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

9. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

**Responsibilities of Management and those charged with Governance for the Standalone Financial Statements**

10. The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, including other comprehensive income, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) specified under section 133 of the Act and other accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

11. In preparing the standalone financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

12. The Board of Directors is responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

**Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements**

13. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

14. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
    - Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
    - Obtain an understanding of internal financial control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
    - Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the management and Board of Directors.
    - Conclude on the appropriateness of management's and Board of Director's use of the going concern basis of accounting in preparation of standalone financial statement and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt

on the Company's ability to continue as a going concern. If, we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

15. We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

16. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

17. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

**Report on Other Legal and Regulatory Requirements**

18. As required by Section 143(3) of the Act, based on our audit we report that:

a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.

c) The standalone Balance Sheet, the standalone Statement of Profit and Loss including Other Comprehensive Income, the standalone Statement of Changes in Equity and the standalone Statement of Cash Flows dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of account.

d) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Ind AS specified under Section 133 of the Act.

e) As per Notification No. G.S.R. 463(E) dated June 5, 2015, the Government Companies are exempted from provisions of section 164 (2) of the Act. Accordingly, we are not required to report whether any directors are disqualified in terms of provisions contained in the said section.

f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in **"Annexure C".** Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting.

g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i. The Company has disclosed the impact of pending litigations as at March 31, 2022 on its financial position in its standalone financial statements –Refer Note No.36 to the financial statement.

ii. The Company has made provision, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts

iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

iv. a. The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, as disclosed in the Note 48 to the financial statements, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other persons or entities, including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever ("Ultimate Beneficiaries") by or on behalf of the Company or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

b. The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, as disclosed in the Note 49 to the financial statements, no funds have been received by the Company from any persons or entities, including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever ("Ultimate Beneficiaries") by or on behalf of the Funding Parties or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

c. Based on the audit procedures performed that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e) contain any material mis-statement.

d. The company has not declared or paid dividend during the year under report and accordingly nothing to report with regard to compliance of provisions of section 123 of the Act.

19. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order") issued by the Central Government in terms of Section 143(11) of the Act, we give in **"Annexure A"** a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.

20. As required by the directions and sub directions issued by the office of the Comptroller & Auditor General of India under section 143 (5) of the Act, we give in the **"Annexure B"** a statement on the matters referred in those directions.

21. Non- Compliance of the SEBI Listing Obligation and Disclosure Requirements (LODR) Regulations, 2015:

The Company has not complied with the Regulations 17 (1)(a) and 17(1)(b) in respect of maintenance of an optimum combination of executive and non-executive directors with at least one woman director and not less than fifty percent of the Board of Directors shall comprise of non-executive directors and in respect of maintenance of at least half of the board of Directors comprised of Independent Directors respectively as the chairman being an executive director. Accordingly, there is consequent non-compliance of Regulations 18 and 19 of the SEBI Listing Obligation and Disclosure Requirements (LODR) Regulations, 2015 (Refer Note 44 to the Standalone Financial Statements).

**For *BSJ & Associates***
***Chartered Accountants***
**(Firm's Registration No.010560S)**

Sd/-
**CA. Jojo Augustine**
**Partner**
**(Membership No. 214088)**
**UDIN: 22214088AKDYEI7538**

Place: Ernakulam
Date: 30/05/2022

**Annexure 'A' to the Independent Auditor's Report**

(Referred to in paragraph 19 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of Hindustan Organic Chemicals Limited of even date)

1. (a) (i) The Company is maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of property, plant and equipment.

(ii) The Company is maintaining proper records showing full particulars of intangible assets.

(b) The Company has a program of verification to cover all items of property, plant and equipment in a phased manner which, in our opinion, is reasonable having regard to the size of the Company and the nature of its assets. Pursuant to this program, most of the items of property, plant and equipment were physically verified by the management during the year. No material discrepancies were noticed on such verification.

(c) According to the information and explanations given to us and based on the examination of the relevant records provided to us, the title deeds of all the immovable properties disclosed in the financial statements, are held in the name of the Company.

(d) The Company has revalued its land coming under property plant and equipment during the year and the revaluation is based on the valuation by a Registered Valuer. The change in value is Rs.1978.45 lakhs.

(e) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of records of the company, there are no proceedings initiated or pending against the company for holding any benami property under the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988 and rules made thereunder.

2. (a) The inventory has been physically verified by the management at reasonable intervals. In our opinion, the coverage and procedure of physical verification by the management is appropriate. The aggregate of discrepancies of 10% or more in each class of inventory noticed during the verification have been properly dealt with in the books of account.

(b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not been sanctioned any working capital limits from banks or financial institutions on the basis of the security of current assets at any point of time during the year. Accordingly, clause 3(ii)(b) of the Order is not applicable to the Company

3. (a) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not made any investments in or provided security to companies, firms, limited liability partnerships or any other parties during the year. The Company has not provided loans or provided advance in the nature of loans, or stood guarantee or provided security to any other entity during the year.

(b) Based on the audit procedure carried by us and as per the information and explanations given to us the Company had granted secured/unsecured varying interest rate/interest free loans to subsidiary as below:

| Particulars | Loan (Rs. In lakhs) |
|---|---|
| Aggregate amount during the year | 0.00 |
| Balance outstanding as at the Balance sheet date | 3197.08 |

(c) As these term loans had been granted during the year 2008-09, the reporting as to whether the terms and conditions of the grant of such loans are not prejudicial to the company's interest, is not applicable to this year.

(d) As per the loan agreement, loan of Rs.2069.72 lakhs shall be repaid in seven equal installments commencing from the financial year 2010-11 and Rs.887.36 lakhs shall be repaid in five equal installments commencing from the financial year 2010-11. Both the principal and interest on the above loans have not been received by the company as per the stipulation.

(e) The interest free term loan of Rs.2744.07 lakhs is overdue from the financial year 2017-18 onwards and the term loan with varying interest rate of Rs.453.01 lakhs and interest accrued thereon Rs.1017.79 lakhs as at balance sheet date is overdue from the financial year 2015-16 onwards. Except follow up, the company has not taken any other steps for its recovery.

(f) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, there is no loan or advance in the nature of loans granted falling due during the year, which has been renewed or extended or fresh loans granted to settle the overdues of existing loans or advances in the nature of loans given to same parties.

(g) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not granted any loans or advances in the nature of loans either repayable on demand or without specifying any terms or period of repayment.

4. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has complied with the provisions of Sections 185 and 186 of the Act in respect of grant of loans, making investments and providing guarantees and securities, as applicable.

5. The Company has not accepted deposits during the year and does not have any unclaimed deposits as at March 31, 2022 and therefore, the provisions of the clause 3(v) of the Order are not applicable to the Company.

6. We have broadly reviewed the books of account maintained by the company in pursuance to the rules made by the Central Government for maintenance of cost records under sub-section (1) of section 148 of the Act, for certain products of the company and are of the opinion that prima facie the prescribed accounts and records have been maintained. We have not, however, made a detailed examination of the records with a view to determine whether they are accurate and complete.

7. According to the information and explanations given to us, in respect of statutory dues:

(a) The Company has been regular in depositing undisputed statutory dues, including Provident Fund, Employees' State Insurance, Income Tax, Goods and Services Tax, Customs Duty, Cess and other material statutory dues applicable to it with the appropriate authorities.

(b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the company no undisputed amount payable in respect of goods and services tax, Provident Fund, Employees' State Insurance, Income Tax, Service Tax, Customs Duty, Value Added Tax, Cess and other statutory dues in arrears as at March 31, 2022 for a period of more than six months from the date they became payable

(c) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the company, there are no statutory dues relating to Goods and Services Tax, Provident Fund, Employees' State Insurance, Income Tax, Services Tax, Value Added Tax, Customs Duty, Cess and other statutory dues which have not been deposited as at March 31, 2022 on account of dispute, except as mentioned below:

| Sl. No. | Name of Statute | Nature of Dues | Period to which the amount relates (F.Y.) | Amount of dispute (Rs. In lakhs) | Forum where the disputes is pending |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Excise Act, 1944 | Exemption not allowed | 2006-07 | 104.63 | Customs, Excise & Services Tax Appellate Tribunal |
| 2 | Income Tax Act 1961 | Penalty Dues | 2001-02 | 70.49 | High Court |
| 3 | Income Tax Act 1961 | Disallowance of Expenses | 2010-11 | 21.50 | Income Tax Appellate Tribunal |

8. According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not surrendered or disclosed any transactions, previously unrecorded as income in the books of account, in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 as income during the year.

9. (a) The Company has defaulted in repayment of loans taken from Government of the India and the interest thereon and the details of which are given below:

| Nature of Borrowing including debt securities | Name of Lender | Amount not paid on due date (Rs. In lakhs) | Whether Principal or interest | No. of years of delay or unpaid | Remarks if any |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan Loan | Govt. of India | 537.79 | Interest | 20 | |
| Non Plan Loan | Govt. of India | 250.83 | Interest | 19 | |
| Plan Loan | Govt. of India | 540.67 | Interest | 19 | |
| Plan Loan | Govt. of India | 326.31 | Interest | 19 | |
| Secured Plan Loan | Govt. of India | 652.62 | Interest | 19 | |
| Plan Loan | Govt. of India | 652.62 | Interest | 19 | |
| Plan Loan | Govt. of India | 328.61 | Interest | 18 | |
| Plan Loan | Govt. of India | 462.20 | Interest | 18 | |
| Plan Loan | Govt. of India | 770.34 | Interest | 17 | |
| Plan Loan | Govt. of India | 566.68 | Interest | 17 | |
| Plan Loan | Govt. of India | 423.24 | Interest | 16 | |
| Plan Loan | Govt. of India | 654.81 | Interest | 16 | |
| Plan Loan | Govt. of India | 452.14 | Interest | 15 | |
| Plan Loan | Govt. of India | 147.36 | Interest | 14 | |
| Plan Loan | Govt. of India | 727.81 | Interest | 13 | |
| Non Plan Loan | Govt. of India | 554.48 | Interest | 13 | |
| Non Plan Loan | Govt. of India | 68.77 | Interest | 12 | |
| Non Plan Loan | Govt. of India | 1142.95 | Interest | 6 | |
| Plan Loan | Govt. of India | 660.00 | Principal | 12 | |
| | | 910.80 | Interest | 12 | |
| Plan Loan | Govt. of India | 843.00 | Principal | 11 | |
| | | 1163.34 | Interest | 11 | |
| Plan Loan | Govt. of India | 1760.00 | Principal | 9 | |
| | | 1821.60 | Interest | 9 | |
| Plan Loan | Govt. of India | 1057.00 | Principal | 6 | |
| | | 729.33 | Interest | 6 | |
| Non Plan Loan | Govt. of India | 2461.00 | Principal | 5 | |
| | | 1353.55 | Interest | 5 | |
| Non Plan Loan | Govt. of India | 845.60 | Principal | 4 | |
| | | 465.08 | Interest | 4 | |
| Non Plan Loan | Govt. of India | 8000.00 | Principal | 4 | |
| | | 4400.00 | Interest | 4 | |
| Non Plan Loan | Govt. of India | 13113.97 | Principal | 4 | |
| | | 7212.68 | Interest | 4 | |
| Non Plan Loan | Govt. of India | 8820.80 | Principal | 4 | |
| | | 4851.44 | Interest | 4 | |

(b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not been declared a wilful defaulter by any bank or financial institution or government or government authority.

(c) In our opinion and according to the information and explanations given to us by the management, the Company has not obtained term loan during the year and accordingly clause 3 (ix) (c) of the Order is not applicable to the company.

(d) According to the information and explanations given to us and on an overall examination of the balance sheet of the Company, we report that no funds raised on short-term basis have been used for long-term purposes by the Company.

(e) According to the information and explanations given to us and on an overall examination of the standalone financial statements of the Company, we report that the Company has not taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligations of its subsidiaries, as defined in the Act. The Company does not hold any investment in any associate or joint venture (as defined in the Act) during the year ended 31 March 2022.

(f) According to the information and explanations given to us and procedures performed by us, we report that the Company has not raised loans during the year on the pledge of securities held in its subsidiaries (as defined under the Act).

10. (a) The Company has not raised moneys by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) or term loans and hence reporting under clause 3(x)(a) of the Order is not applicable to the Company.

(b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year. Accordingly, clause 3(x)(b) of the Order is not applicable

11. (a) Based on examination of the books and records of the Company and according to the information and explanations given to us, considering the principles of materiality outlined in the Standards on Auditing, we report that no fraud by the Company or on the Company has been noticed or reported during the course of the audit.

(b) According to the information and explanations given to us, no report under sub-section (12) of Section 143 of the Act has been filed by the auditors in Form ADT-4 as prescribed under Rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government.

(c) According to the information and explanations given to us no whistle blower complaints received by the Company during the year.

12. The Company is not a Nidhi Company under section 406 of the Act and hence reporting under clause 3(xii) of the Order is not applicable to the company.

13. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is in compliance with section 177 and 188 of the Companies Act, 2013 where applicable, for all transactions with the related parties and the details of related party transactions have been disclosed in the standalone financial statements as required by the applicable accounting standards.

14. (a) Based on information and explanations provided to us and our audit procedures, in our opinion, the Company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business.

(b) We have considered the internal audit reports of the Company issued for the period under audit.

15. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not entered into any non-cash transactions with its directors or persons connected to its directors and hence, provisions of Section 192 of the Act are not applicable to the Company.

16. (a) The Company is not required to be registered under Section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Accordingly, clauses 3(xvi)(a) and 3(xvi)(b) of the Order are not applicable.

(b) The Company is not a Core Investment Company (CIC) as defined in the regulations made by the Reserve Bank of India. Accordingly, clause 3(xvi)(c) of the Order is not applicable.

(c) According to the information and explanations provided to us during the course of audit, the Group does not have any CICs.

17. The Company has incurred cash loss of Rs.2,208.10 lakhs. But in the immediately preceding financial year the company has not incurred cash loss.

18. There has been no resignation of the statutory auditors during the year. Accordingly, clause 3(xviii) of the Order is not applicable.

19. According to the information and explanations given to us and on the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realisation of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the standalone financial statements, our knowledge of the Board of Directors and management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material

uncertainty exists as on the date of the audit report that the Company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the Company as and when they fall due.

20. Based on examination of the books and records of the Company and according to the information and explanations given to us, there are no amounts which are required to be spent in accordance with the provisions of section 135 of the Act and accordingly, clause 3(xx) of the Order is not applicable.

**For *BSJ & Associates***
***Chartered Accountants***
**(Firm's Registration No.010560S)**
Sd/-
**CA. Jojo Augustine**
**Partner**
Place: Ernakulam **(Membership No. 214088)**
Date: 30/05/2022 **UDIN: 22214088AKDYEI7538**

**Annexure "B" to the Independent Auditor's Report**

(Referred to in paragraph 20 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of Hindustan Organic Chemicals Limited of even date)

As required by the directions and sub directions issued by the Comptroller and Auditor General of India under 143 (5) of the Act, we give below our comments on the matters referred therein.

**A. Directions**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Whether the Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of accounts along with financial implications if any may be stated | The year under report all accounting transactions except Fixed Assets register are maintained/ processed through Taly ERP and HRM Software System. Consolidation of accounts of Head office and Kochi Unit is being prepared using MS Office. Fixed Assets Register is maintained in MS Office-Excel. No instances of processing of accounting transactions outside the IT system |
| 2 | Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc made by a lender to the company due to company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.<br>Whether such cases are properly accounted for? | There is no such instances during the year under audit |
| 3 | Whether funds (grants/subsidy etc) received or receivable for specific schemes from central/ state Government or its agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the case of deviations. | No. The company has not received any fund for specific scheme from central or state agencies. |

**B. Sub-direction**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | State areas of land under encroachment and briefly explain the steps taken by the company to remove encroachment. | As per the information and explanation available to us, in Rasayani Unit, land admeasuring 22.717 acres is under encroachment as per the report of survey conducted by M/s The Geo Tek dated April 24, 2019. Also there is public road constructed in 10.576 acres of land and its value considered as Nil. 32.547 Acres of land is given to Maharashtra Industrial Development Corporation, Maharashtra State Electricity Board, Hindustan Insecticides Limited, and Mahatma Education Society.<br>We have been informed that the company has taken up matter before the Ministry and is in the process of necessary action for the recovery of encroached land. |
| 2 | Whether there is any effective system for follow up of accumulated trade receivables especially which are more than three years old? | As per the explanation and information provided to us and based on our verification of records of the company, the company has initiated legal recovery proceedings against certain trade receivables. But the system prevailing in the company for follow up of suit filed/ accumulated/ overdue trade receivables required to be further strengthened for the timely initiation of legal proceeding and the recovery of accumulated/ over due trade receivables. |
| 3 | Whether there was an adequate system for watching actual consumption against norms in case of raw materials, intermediaries and utilities? | As per the explanation and information provided to us and based on our verification of records of the company, company has an adequate system for observing the actual consumption against the standard/ norms. On monthly basis company is preparing comparison statements for each items of raw materials, intermediaries and utilities as part of Management Information System. |

**For *BSJ & Associates***
***Chartered Accountants***
**(Firm's Registration No.010560S)**
Sd/-
**CA. Jojo Augustine**
**Partner**
Place: Ernakulam **(Membership No. 214088)**
Date: 30/05/2022 **UDIN: 22214088AKDYEI7538**

**Annexure "C" to the Independent Auditor's Report**

(Referred to in paragraph 18(f) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of Hindustan Organic Chemicals Limited of even date)

**Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")**

We have audited the internal financial controls over financial reporting of HINDUSTAN ORGANICH CHEMICALS LIMITED (the "Company") as of March 31, 2022 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Company for the year ended on that date.

**Management's Responsibility for Internal Financial Controls**

The Board of Directors of the Company is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the respective company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

**Auditor's Responsibility**

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting of the Company based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the ICAI and the Standards on Auditing prescribed under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

**Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting**

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of the management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

**Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting**

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

**Opinion**

In our opinion, to the best of our information and according to the explanations given to us, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2021, based on the internal financial control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

**For *BSJ & Associates***
***Chartered Accountants***
**(Firm's Registration No.010560S)**

Sd/-
**CA. Jojo Augustine**
**Partner**
**(Membership No. 214088)**
**UDIN: 22214088AKDYEI7538**

Place: Ernakulam
Date: 30/05/2022

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED, FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022**

The preparation of the financial statements of Hindustan Organic Chemicals Limited for the year ended 31 March 2022 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the Company. The Statutory Auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 30 May 2022.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have decided not to conduct the supplementary audit of the financial statements of Hindustan Organic Chemicals Limited for the year ended 31 March 2022 under Section 143(6)(a) of the Act.

**For and on behalf of the**
**Comptroller and Auditor General of India**

**Sd/-**

**Place: Mumbai**
**Date: 02. August 2022**

**(P. V. Hari Krishna)**
**Principal Director of Audit (Shipping), Mumbai**

## Standalone Balance Sheet as at 31st March 2022

(Rs.Lakhs)

| Particulars | Notes | Current Year As at 31.03.2022 | Previous Year As at 31.03.2021 |
|---|---|---|---|
| **Assets** | | | |
| **Non Current assets** | | | |
| a) Property, Plant and equipment | 3a | 15,348.07 | 13,447.26 |
| b) Investment Property | 3b | 88.74 | 87.93 |
| c) Other Intangible assets | 3c | 27.25 | 22.53 |
| d) Financial Assets | | | |
| i) Investments | 4 | 1,063.44 | 838.92 |
| e) Other Non-current assets | 5 | 497.37 | 498.12 |
| Total (Non current assets) | | 17,024.87 | 14,894.76 |
| **Current assets** | | | |
| a) Inventories | 6 | 7,511.19 | 5,080.72 |
| b) Financial assets | | | |
| (i) Trade Receivables | 7 | 735.12 | 240.82 |
| (ii) Cash and cash equivalents | 8a | 2,014.53 | 3,286.97 |
| (iii) Bank balances other than (ii) above | 8b | 11,496.20 | 11,532.78 |
| (iv) Loans | 9 | 3,218.09 | 2,066.14 |
| c) Other current assets: | | | |
| (i) Interest and other receivables | 10 | 1,334.04 | 393.43 |
| (ii) Deposits, advances and other receivables | 11 | 2,859.25 | 2,596.95 |
| d) Property, plant and equipments held for sale | 3d | 99,219.74 | 99,219.74 |
| Total (Current Assets) | | **128,388.16** | **124,417.55** |
| **Total Assets** | | **145,413.03** | **139,312.31** |
| **Equity and Liabilities** | | | |
| **Equity** | | | |
| Equity Share capital | 12 | 6,726.96 | 6,726.96 |
| **Other equity** | | | |
| i) Securities Premium | 13a | 4,838.57 | 4,838.57 |
| ii) Retained Earnings | 13b | (101,761.72 ) | (99,437.26) |
| iii) Other comprehensive Income | 13c | 95,519.62 | 93,916.69 |
| Total Other Equity | | **(1,403.53)** | **(682.00)** |
| **Total Equity** | | **5,323.43** | **6,044.96** |
| **Liabilities** | | | |
| **Non-current liabilities:** | | | |
| **Financial liabilities:** | | | |
| a) Borrowings | 14 | - | 7,695.09 |
| a1) Lease liabilities | | - | - |
| b) Provisions | 15 | 2,980.57 | 3,334.69 |
| c) Deferred Tax liabilities (Net) | 16 | 16,402.52 | 15,761.52 |
| Total (Non-current liabilities) | | **19,383.09** | **26,791.30** |
| **Current liabilities:** | | | |
| a) Financial liabilities | | | |
| i) Dues to preference share holder | 17 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 1a) Lease liabilities | | - | - |
| ii) Trade payables: | | | |
| Dues to micro and small enterprises | 18 | 55.50 | 21.03 |
| Dues to Others | 18 | 4,096.34 | 1,626.99 |
| iii) Other financial liabilities | 19 | 7,695.09 | 8,187.29 |
| b) Provisions | 20 | 6,800.69 | 6,130.35 |
| c) Other current liabilities | 21 | 75,058.89 | 63,510.39 |
| Total (Current liabilities) | | **120,706.51** | **106,476.05** |
| Total Liabilities | | **140,089.60** | **133,267.35** |
| **Total equity and liabilities** | | **145,413.03** | **139,312.31** |
| Significant Accounting Policies | 2 | | |
| Notes to the Standalone Financial Statements | 1&3-62 | | |

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
**Sajeev B.**
CMD and CEO
DIN 09344438

Sd/-
**Dr. Bharat J. Kanabar**
Director
DIN 09466694

Sd/-
**P.O. Luise**
Chief Financial Officer

Sd/-
**Subramonian H.**
Company Secretary

Place: Navi Mumbai
Date: 26.05.2022

As per our report of even date attached
**For BSJ & Associates**
Chartered Accountants
FRN: 010560S

Sd/-
**CA. Jojo Augustine**
Partner
Membership No.214088
UDIN: 22214088AKDYEI7538

Place: Ernakulam
Date: 30.05.2022

# Standalone Statement of Profit and Loss for the year ended 31st March 2022

| Particulars | Note No. | Year ended 31.03.2022 | Year ended 31.03.2021 |
|---|---|---|---|
| INCOME: | | | |
| Revenue from operations-Sale of products | 22 | 43,367.39 | 41,157.80 |
| Other Income | 23 | 3,142.73 | 1,961.29 |
| **Total Income** | | **46,510.12** | **43,119.09** |
| **EXPENSES:** | | | |
| Cost of materials consumed | 24 | 27,879.70 | 20,105.11 |
| Changes in Inventories of Finished Goods and work-in- progress | 25 | (1,430.78) | 54.57 |
| Employee benefits expenses | 26 | 4,520.35 | 4,569.74 |
| Finance costs | 27 | 5,134.17 | 5,336.46 |
| Depreciation and amortization expenses | 28 | 116.37 | 120.79 |
| Other expenses | 29 | 12,614.78 | 11,335.31 |
| **Total expenses** | | **48,834.59** | **41,521.98** |
| Profit / (Loss) before exceptional items and tax | | **(2,324.47)** | **1,597.11** |
| Less: Exceptional items | | - | - |
| Profit / (Loss) before tax | | (2,324.47) | 1,597.11 |
| (1) Current tax | | - | - |
| (2) Deferred tax | | - | - |
| **Less: Tax expenses** | | **-** | **-** |
| **Profit / (Loss) for the period after tax** | | (2,324.47) | 1,597.11 |
| **Other Comprehensive Income** | | | |
| (i) Items that will not be reclassified to profit or loss | | | |
| a) Revaluation of Plant, property & equipments | 13c | 1,978.42 | 1,631.02 |
| Deferred Tax expenses | | (576.00) | (419.00) |
| b) Provision for diminution of investment | 13c | 224.52 | 509.86 |
| Deferred Tax expenses | | (65.00) | (148.00) |
| **c) Changes in defined benefit plan (Gratuity)** | **13c** | **40.99** | **-31.10** |
| **Other Comprehensive Income for the year, net of tax** | | **1,602.93** | **1,542.78** |
| Total Comprehensive Income for the year | | (721.54) | 3,139.89 |
| **Earnings per equity share (in Rupees)** | | | |
| Basic (Face value of Rs. 10 each ) | | (3.46) | 2.38 |
| Diluted (Face value of Rs. 10 each) | | (3.46) | 2.38 |
| **Significant Accounting Policies** | 2 | | |
| Notes to the Standalone Financial Statements | 1&3-62 | | |

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
**Sajeev B.**
CMD and CEO
DIN 09344438

Sd/-
**Dr. Bharat J. Kanabar**
Director
DIN 09466694

Sd/-
**P.O. Luise**
Chief Financial Officer

Sd/-
**Subramonian H.**
Company Secretary

Place: Navi Mumbai
Date: 26.05.2022

As per our report of even date attached
**For BSJ & Associates**
Chartered Accountants
FRN: 010560S

Sd/-
**CA. Jojo Augustine**
Partner
Membership No.214088
UDIN: 22214088AKDYEI7538

Place: Ernakulam
Date: 30.05.2022

**A. EQUITY SHARE CAPITAL**
**1. Current reporting period (2021-22)**

| Particulars | Balance at the beginning of the current reporting period | Changes in Equity Share Capital due to prior period errors | Restated balance at the beginning of the current reporting period | Changes in equity share capital during the current year | Balance at the end of the current reporting period |
|---|---|---|---|---|---|
| | 01.04.2021 | 2021-22 | 01.04.2021 | 2021-22 | 31.03.2022 |
| Equity shares of Rs.10 each | 6726.96 | 0 | 6726.96 | 0 | 6726.96 |

**2. Previous reporting period (2020-21)**

| Particulars | Balance at the beginning of the current reporting period | Changes in Equity Share Capital due to prior period errors | Restated balance at the beginning of the current reporting period | Changes in equity share capital during the current year | Balance at the end of the current reporting period |
|---|---|---|---|---|---|
| | 01.04.2020 | 2020-21 | 01.04.2020 | 2020-21 | 31.03.2021 |
| Equity shares of Rs.10 each | 6726.96 | 0 | 6726.96 | 0 | 6726.96 |

## B. OTHER EQUITY

| Particulars | Share application money pending allotment | Equity component of compound financial instrument | Reserves and surplus | | | | Items of Other Comprehensive Income (OCI) | | | | | | Money received against share warrants | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Capital Reserve | Securities Premium | Other Reserves (specify nature) | Retained Earnings | Debt instruments through Other Comprehensive Income | Equity Instruments through Other Comprehensive Income | Effective portion of Cash Flow Hedges | Revaluation Surplus | Exchange diff. on translating the financial statements of a foreign operation | Other items of OCI (Changes in Employees defined benefits plan) | | |
| 1. Current reporting period (2021-22) | | | | | | | | | | | | | | 2021-22 |
| Balance at the beginning of the current reporting period (01.04.2021) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4838.57 | 0.00 | (99497.02) | 0.00 | (192.08) | 0.00 | 93606.29 | 0.00 | 502.48 | 0.00 | (741.76) |
| Changes in accounting policy or prior period errors | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.76 |
| Restated balance at the beginning of the current reporting period | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4838.57 | 0.00 | (99437.26) | 0.00 | (192.08) | 0.00 | 93606.29 | 0.00 | 502.48 | 0.00 | (682.00) |
| Total Comprehensive Income for the current year | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (2324.46) | 0.00 | 224.52 | 0.00 | 1978.42 | 0.00 | 40.99 | 0.00 | (80.53) |
| Dividends | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transfer to retained earnings | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Any other change (to be specified) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (65.00) | 0.00 | (576.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (641.00) |
| Balance at the end of the current reporting period (31.03.2022) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4838.57 | 0.00 | (101761.72) | 0.00 | (32.56) | 0.00 | 95008.71 | 0.00 | 543.47 | 0.00 | (1403.53) |
| 2. Previous reporting period (2020-21) | | | | | | | | | | | | | | 2020-21 |
| Balance at the beginning of the current reporting period (01.04.2020) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4838.57 | 0.00 | (101103.24) | 0.00 | (553.94) | 0.00 | 92453.31 | 0.00 | 533.58 | 0.00 | (3831.72) |
| Changes in accounting policy or prior period errors | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.85 |
| Restated balance at the beginning of the current reporting period | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4838.57 | 0.00 | (101093.39) | 0.00 | (553.94) | 0.00 | 92453.31 | 0.00 | 533.58 | 0.00 | (3821.87) |
| Total Comprehensive Income for the current year | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1656.13 | 0.00 | 509.86 | 0.00 | 1631.02 | 0.00 | (31.10) | 0.00 | 3765.91 |
| Dividends | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transfer to retained earnings | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (59.04) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (59.04) |
| Any other change (Deferred Tax liability) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (148.00) | 0.00 | (419.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (567.00) |
| Balance at the end of the current reporting period (31.03.2021) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4838.57 | 0.00 | (99437.26) | 0.00 | (192.08) | 0.00 | 93606.29 | 0.00 | 502.48 | 0.00 | (682.00) |

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
**Sajeev B.**
CMD and CEO
DIN 09344438

Sd/-
**Dr. Bharat J. Kanabar**
Director
DIN 09466694

Sd/-
**P.O. Luise**
Chief Financial Officer

Sd/-
**Subramonian H.**
Company Secretary

Place: Navi Mumbai
Date: 26.05.2022

As per our report of even date attached
**For BSJ & Associates**
Chartered Accountants
FRN: 010560S

Sd/-
**CA. Jojo Augustine**
Partner
Membership No.214088
UDIN: 22214088AKDYEI7538

Place: Ernakulam
Date: 30.05.2022

## Standalone Cash flow Statement for the Year ended 31st March 2022

(Rs.in Lakhs)

| Description | For the year ended 31st March 2022 | For the year ended 31st March 2021 |
|---|---|---|
| **CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:** | | |
| **Profit / (Loss) for the period before tax** | (2,324.47) | 1,597.11 |
| Adjustments for : | | |
| Depreciation/Loss on impairment of Assets | 116.37 | 120.60 |
| Profit(-) / Loss on sale of Assets | - | (11.68) |
| Interest Income | (672.82) | (702.87) |
| Interest & Finance Charges | 5,809.17 | 6,011.46 |
| Income from investment property | (255.49) | (179.82) |
| Changes in defined Employee benefit plan-other comprehensive income | 40.99 | (31.10) |
| **Operating Cash Flows before Working Capital changes (A)** | **2,713.75** | **6,803.70** |
| **Adjustments for** | | |
| (Increase)/Decrease in Inventories | (2,430.47) | (460.58) |
| (Increase)/Decrease in Trade & Other Receivables | (1,673.44) | (1,975.17) |
| Increase/(Decrease) in Trade Payables & Other Liabilities | 1,812.49 | (2,573.04) |
| **Cash Generated from Operations (Working Capital Changes) (B)** | **(2,291.42)** | **(5,008.79)** |
| | | |
| **Net Cash flow from Operating activities (1) (A+B)** | **422.33** | **1,794.91** |
| **CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES :** | | |
| Purchase of Fixed Assets | (44.25) | (20.91) |
| Sale of fixed assets – Assets held for sale | - | 75.00 |
| Interest Income | 750.00 | 575.25 |
| Income from investments | 191.87 | 116.20 |
| **Net Cash flow from / (used in) Investing activities** | **897.62** | **745.54** |
| **CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:** | | |
| Increase/Decrease in Secured Loans | (1,161.82) | (600.00) |
| Increase/Decrease in Unsecured Loans | (1,394.13) | (980.63) |
| Interest Paid | (36.44) | (40.32) |
| **Net cash used in financing activities** | **(2,592.39)** | **(1,620.95)** |
| Net Increase Decrease in Cash and Cash Equivalents | (1,272.44) | 919.50 |
| Cash & Cash equivalents at the beginning of the period | 3,286.97 | 2,367.47 |
| **Cash & cash equivalents at the end of the period** | **2,014.53** | **3,286.97** |
| | | |
| **Cash & Cash equivalents as per above comprise of following** | | |
| a) Balances with banks (of the nature of cash and cash equivalents): | | |
| Current accounts | 239.30 | 115.54 |
| Saving Account (Refer Note i) | 149.25 | 145.23 |
| Deposits with original maturity of less than three months | 1,624.50 | 3,025.28 |
| b) Cash on Hand | 1.48 | 0.92 |
| **Total** | **2,014.53** | **3,286.97** |

Previous year figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to confirm to current year's classification.

For and on behalf of the Board of Directors

As per our report of even date attached
**For BSJ & Associates**
Chartered Accountants
FRN: 010560S

Sd/-
**Sajeev B.**
CMD and CEO
DIN 09344438

Sd/-
**Dr. Bharat J. Kanabar**
Director
DIN 09466694

Sd/-
**P.O. Luise**
Chief Financial Officer

Sd/-
**Subramonian H.**
Company Secretary

Sd/-
**CA. Jojo Augustine**
Partner
Membership No.214088
UDIN: 22214088AKDYEI7538

Place: Navi Mumbai
Date: 26.05.2022

Place: Ernakulam
Date: 30.05.2022

**Notes to the Standalone Financial statements for the period ended 31st March, 2022**

**1. Corporate Information**

Hindustan Organic Chemicals Limited (the company) is a public limited company domiciled in India and is incorporated under the provisions of the Companies Act applicable in India. Its shares are listed on Bombay Stock Exchange (BSE) in India. The registered office of the company is located at 401, 402 and 403, 4th Floor, V Times Square, Sector 15, CBD Belapur, Navi Mumbai 400614. The Company is principally engaged in the business of bulk industrial chemicals and chemical intermediates.

**2. Significant Accounting Policies**

**2.1 Basis of Preparation of Financial Statement**

These financial statements are prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND AS) under the historical cost convention on the accrual basis except for certain financial instruments which are measured at fair values, the provisions of the Companies Act , 2013 (`Act') (to the extent notified). The IND AS are prescribed under Section 133 of the Act read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016.

Accounting policies have been consistently applied except where a newly issued accounting standard is initially adopted or a revision to an existing accounting standard requires a change in the accounting policy hitherto in use.

The separate financial statements have been prepared on accrual basis and under historical cost basis, except for the following assets and liabilities which have been measured at fair value:

Derivative financial Instrument

Defined Benefit Plans – Plan Assets

Certain financial assets and liabilities measured at fair value (refer accounting policy regarding financial instruments),The financial statements are presented in Indian Rupee ('INR') or ('Rs.') which is also the Company's functional currency and all values are rounded to the nearest lakhs upto two decimals, except when otherwise indicated. Wherever the amount represented Rs. '0' (zero) construes value less than Rupees a lakh.

**Significant accounting estimates, assumptions and judgements**

The preparation of the Company's separate financial statements requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the accompanying disclosures, and the disclosure of contingent liabilities. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of assets or liabilities affected in future periods.

Estimates and assumptions

The preparation of the financial statements in conformity with IND AS requires management to make estimates, judgements and assumptions. These estimates, judgments and assumptions affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets and liabilities, the disclosures of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and reported amounts of revenues and expenses during the period. Application of accounting policies that require critical accounting estimates involving complex and subjective judgments and the use of assumptions in these financial statements have been disclosed at appropriate places.

Accounting estimates could change from period to period. Actual results could differ from those estimates. Appropriate changes in estimates are made as management becomes aware of changes in circumstances surrounding the estimates. Changes in estimates are reflected in the financial statements in the period in which changes are made and, if material, their effects are disclosed in the notes to the financial statements.

**Taxes**

Tax expense (Income Tax and Deferred Tax) in accordance with Ind-AS 12: Accounting for Taxes on Income has been recognised. There are many transactions and calculations undertaken during the ordinary course of business for which the ultimate tax determination is uncertain. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will impact the current and deferred tax provisions in the period in which the tax determination is made.The deferred tax asset is recognized and carried forward only to the extent that there is a virtual certainty that the assets will be realized in future.

**Employee benefits**

i. Short-term obligations

Liabilities for wages and salaries, including non-monetary benefits that are expected to be settled wholly within 12 months after the end of the period in which the employees render the related service are recognised in respect of employees' services up to the end of the reporting period and are measured at the amounts expected to be paid when the liabilities are settled. The liabilities are presented as current employee benefit obligations in the balance sheet.

ii. Other long-term employee benefit obligations

The liabilities for earned leave and sick leave are not expected to be settled wholly within 12 months after the end of the period in which the employees render the related service. They are therefore measured as the present value of expected future payments to be made in respect of services provided by employees up to the end of the reporting period using the projected unit credit method. The benefits are discounted using the market yields at the end of the reporting period that have terms approximating to the terms of the related obligation. Re measurements as a result of experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognised in profit or loss. The obligations are presented as current liabilities in the balance sheet if the entity does not have an unconditional right to defer settlement for at least twelve months after the reporting period, regardless of when the actual settlement is expected to occur.

iii. Post-employment obligations

"The Company operates the following post-employment schemes:

(a) Defined benefit plans such as gratuity, pension, post-employment medical plans; and

(b) Defined contribution plans such as provident fund.

iv. Defined benefit plans

The Company's gratuity scheme is a defined benefit plan. A defined benefit plan is a post employment benefit plan. The Company's net obligation in respect of defined benefit plans is calculated by estimating the amount of future benefits that employee have earned in return for their services in the current and prior periods.

v. Defined contribution plans

The company's provident fund scheme is a defined contribution plan. A defined contribution plan is a post employment benefit plan under which an entity pays fixed contributions and will have no obligation to pay further amounts. Obligation for contributions to defined contribution plans are recognised as employees benefit expenses in the statement of Profit and Loss when they are due.

i. Gratuity

Gratuity is a post employment defined benefit plan. The liability recognised in the Balance Sheet in respect of gratuity is the present value of the defined benefit obligation at the Balance Sheet date. The Company's liability is actuarially determined at the end of each year. Actuarial gains/ losses through re-measurement are recognised in other comprehensive income.

Pension and gratuity obligations

The liability or asset recognised in the balance sheet in respect of defined benefit pension and gratuity plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by actuaries using the projected unit credit method.

The present value of the defined benefit obligation denominated in INR is determined by discounting the estimated future cash outflows by reference to market yields at the end of the reporting period on government bonds that have terms approximating to the terms of the related obligation. The benefits which are denominated in currency other than INR, the cash flows are discounted using market yields determined by reference to high-quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms approximating to the terms of the related obligation.

The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the defined benefit obligation and the fair value of plan assets. This cost is included in employee benefit expense in the statement of profit and loss.

Re-measurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognised in the period in which they occur, directly in other comprehensive income.

They are included in retained earnings in the statement of changes in equity and in the balance sheet. Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognised immediately in profit or loss as past service cost.

a) Defined benefit plans (gratuity benefits), liability in respect of defined benefit plans is recognised in the balance sheet, and is measured as the present value of the defined benefit obligation at the reporting date less the fair value of the planned assets. The present value of the defined benefit obligation is based on expected future payments which arise from the fund at the reporting date, calculated annually by independent actuaries. Consideration is given to expected future salary levels and period of service etc.

b) Company's contribution to provident fund is accounted for on accrual basis.

c) Temporary employee benefits are recognized as an expense at the undiscounted amount in the statement of profit and loss of the year in which the related service is rendered.

d) Bonus is provided in accordance with provisions of Payment of bonus act,1965 on the basis of profitability.

e) Post employment and other long term employee benefits are recognised as an expense in the statement of profit and loss for the year in which the employee has rendered services. The expense is recognized at the present value of the amount payable determined using actuarial valuation technique. Actuarial gain and loss in respect of post employment and other long term benefits are charged to statement of profit and loss.

Fair value measurement of financial instruments

When the fair values of financial assets and financial liabilities recorded in the balance sheet cannot be measured on the basis of quoted prices in active markets, their fair value is measured using valuation techniques including the DCF model.The inputs to these models are taken from observation of the market where possible, but where this is not feasible, a degree of judgement is required in establishing fair values. Judgements include considerations of inputs such as liquidity risk,credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

Provision against obsolete and slow-moving inventories

The Company reviews the condition of its inventories and makes provision against obsolete and slow-moving inventory items which are identified as no longer suitable for sale or use, on the basis of technical assessment. The Company carries out an inventory review at each balance sheet date and makes provision against obsolete and slow-moving items. The Company reassesses the estimation on each balance sheet date providing provision for slow moving inventory at 50% and in the case of obsolete items at 100%.

Impairment of financial assets

Provision for doubtful debts / Loans / Advances is made in the Books in respect of Sundry Debtors outstanding for more than 3 years. In respect of other Debtors, Loans and Advances, provisions are made to the extent considered as not recoverable by the management.

Impairment of non-financial assets

"The Company assesses at each reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company estimates the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's fair value less cost of disposal and its value in use. It is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or group of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset should be considered as impaired and it is written down to its recoverable amount.

In assessing the value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessment of the time value of money and the risk specific to the asset. In determining fair value less cost of disposal, recent market transactions are taken into account. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used.These calculations are corroborated by valuation multiples, quoted share price for publicly traded subsidiaries or other available fair value indicators."

**2.2 Summary of significant accounting policies**

**a) Current versus Non-Current classification**

The Company presents assets and liabilities in the balance sheet based on current/ non-current classification. An asset is treated as current when it is:

- Expected to be realised or intended to be sold or consumed in normal operating cycle,
- Held primarily for the purpose of trading,
- Expected to be realised within twelve months after the reporting period, or
- Cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period

All other assets are classified as non-current.

Trade receivables which are expected to be realised within 12 months from the reporting date shall be classified as current. Outstanding more than 12 months shall be shown as noncurrent only unless efforts for its recovery have been made and it is likely that payment shall be received within 12 months from the reporting date. A Judicious decision shall be taken by units in this regard.

liability is current when:

- It is expected to be settled in normal operating cycle,
- It is held primarily for the purpose of trading,
- It is due to be settled within twelve months after the reporting period, or
- There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period payable shall be classified as Trade Payable if it is in respect of the amount due on account of goods purchased or services received in the normal course of business.

Trade payables which are expected to be settled within 12 months from the reporting date shall be shown as current.

The Company classifies all other liabilities as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

**b) Revenue recognition**

The Company earns revenue primarily from manufacturing chemical product.

Effective April 1, 2018, the Company has applied Ind AS 115 which establishes a comprehensive framework for determining whether, how much and when revenue is to be recognised. Ind AS 115 replaces Ind AS 18 Revenue and Ind AS 11 Construction Contracts. The Company has adopted Ind AS 115 using the cumulative effect method. The effect of initially applying this standard is recognised at the date of initial application (i.e. April 1, 2018). The impact of the adoption of the standard on the financial statements of the Company is insignificant.

Revenue is recognised upon transfer of control of promised products or services to customers in an amount that reflects the consideration which the Company expects to receive in exchange for those products or services.

Revenue is measured based on the transaction price, which is the consideration, adjusted for volume discounts, performance bonuses, price concessions and incentives, if any, as specified in the contract with the customer. Revenue also excludes taxes collected from customers.

As the Company is engaged only in chemical manufacturing business and operating from single location only therefore disaggregates revenue based on geography location and industrial vertical are not require.

The specific recognition criteria described below must also be met before revenue is recognised.

Sale of product

Revenue from the sale of prduct is recognised when the significant risks and rewards of ownership of the product have passed to the buyer. Revenue from the sale of product is measured at the fair value of the consideration received or receivable, net of returns and allowances, trade discounts, and volume rebates.

Rendering of services

Income from services are recognized as and when the services are rendered.

Interest income

Interest income from a financial asset is recognised using effective interest rate method. Interest income is included in other income in the statement of profit and loss.

Rental Income

Rental income arising from operating lease on investment properties is accounted for on a straight line basis over lease terms unless the receipts are structured to increase in line with expected general inflation to compensate for the expected inflationary cost increases and is included in the Statement of profit or loss due to its operating nature.

**c) Property, Plant and Equipment**

Items of Property, plant and equipment including Capital-work in-progress are stated at cost (except land valued at fair value), net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. Cost comprises the purchase price and any attributable cost of bringing the asset to its working condition for its intended use. Such cost includes the cost of replacing part of the plant and equipment and borrowing costs for long-term construction projects if the recognition criteria are met.

Subsequent expenditure related to an item of fixed asset is added to its book value only if it increases the future benefits from the existing asset beyond its previously assessed standard of performance. When significant parts of plant and equipment are required to be replaced at intervals, the Company depreciates them separately based on their specific useful lives as prescribed in schedule II of Companies Act,2013. All other repair and maintenance costs are recognised in statement of profit or loss as an when incurred. In respect of additions to /deletions from the Fixed Assets, depreciation is provided on pro-rata basis with reference to the month of addition/deletion of the Assets.

The management's considered view is that estimated useful lives as per the Schedule II of the Companies Act, 2013 are realistic and reflect fair approximation of the period over which the assets are likely to be used. The company reviews the useful life of the Property, plant & equipment and Intangible asset as at the end of each reporting period and these reassessment may result in change in depreciation expenditure in future period.

Depreciation is provided for property, plant and equipment on a straight line basis so as to expense the cost less residual value over their estimated useful lives of Property, plant and equipment as per Schedule II of the Companies Act 2013 as under:

1) Buildings : 3/5/30/60 years
2) Plant & equipments: 10/12/15/20 years
3) Furniture & fixtures: 10 years
4) Vehicles: 8/10 years
5) Office equipments: 3/5/6/8 years
6) Intangible assets: 5 years

Items of fixed assets that have been retired from active use and are held for disposal are valued at lower of their net book value or net realisable value."

**Investment Properties**

The company uses the carrying value as the deemed cost of investment properties. Investments in property that are not intended to be occupied substantially for use by, or in the operations of the company, have been classified as investment property. Investment properties are measured initially at its cost including transaction cost and where applicable borrowing costs. Subsequent to initial recognition, investment properties are stated at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment loss, if any. Subsequent cost are included in the assets carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the company and the cost of the item can be measured reliably. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the reporting period in which they are incurred.

Though the company measures investment property using cost based measurement, the fair value of investment property is disclosed in the notes. Fair values are determined based on an annual evaluation performed by an accredited external independent valuer.

The company depreciates its investment properties over the useful life which is similar to that of Property, Plant and Equipment.

Investment properties are derecognised either when they have been disposed of or when they are permanently withdrawn from use and no future economic benefit is expected from their disposal. The difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset is recognised in profit or loss in the period of derecognition.

**d) Property, plant and equipment held for sale**

Non-current assets or disposal groups classified as held for sale are measured at the lower of carrying amount and fair value less costs to sell.

Non-current assets or disposal groups are classified as held for sale if their carrying amounts will be recovered principally through sale transactions rather than through continuing use.This condition is regarded as met only when the sale is highly probable and the asset or disposal group is available for immediate sale in its present condition subject only to terms that are usual and customary for sales of such assets. Management must be committed to the sale, which should be expected to qualify for recognition as a completed sale within one year from the date of classification as held for sale, and actions required to complete the plan of sale should indicate that it is unlikely that significant changes to the plan will be made or that the plan will be withdrawn.

Property, Plant and Equipment and intangible assets are not depreciated or amortised once classified as held for sale.

Leasehold improvements over the period of lease

Leasehold Land:

Lease premium paid on leasehold land is amortised over the life of the lease.The residual values, useful lives and methods of depreciation of property, plant and equipment are reviewed at each financial year end and adjusted prospectively, if appropriate.

**e) Intangible assets**

i) Intangible assets consisting of computer software, SAP licence cost and Tally ERP cost are amortised over a period of 5 years on straight line basis (SLM) from the date of acquisition.

ii) Other intangible assets

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. Following initial recognition,intangible assets with definite life are carried at cost less any accumulated amortisation and accumulated impairment losses. Internally generated intangibles, excluding capitalised development costs, are not capitalised and the related expenditure is reflected in profit or loss in the period in which the expenditure is incurred. The amortisation period and the amortisation method for an intangible asset with a definite useful life are reviewed at least at the end of each reporting period.

Gains or losses arising from de-recognition of an intangible asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognised in the statement of profit or loss when the asset is derecognised. Research costs are expensed as an when incurred. Development expenditures on an individual project are recognised as an intangible asset when the Company can demonstrate technical and commercial feasibility of making the asset available for use or sale.

Following initial recognition of the development expenditure as an asset, the asset is carried at cost less any accumulated amortisation and accumulated impairment losses. Amortisation of the asset begins when development is complete and the asset is available for use. It is amortised over the period of expected future benefit. Amortisation expense is recognised in the statement of profit and loss unless such expenditure forms part of carrying value of another asset."

**f) Borrowing costs**

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalised as part of the cost of the asset. All other borrowing costs are expensed in the period in which they occur. Borrowing costs consist of interest and other costs that an entity incurs in connection with the borrowing of funds. Borrowing cost also includes exchange differences to the extent regarded as an adjustment to the borrowing costs.

**g) Foreign Currency Transactions and balances**

Transactions in foreign currency are recorded applying the exchange rate at the date of transaction. Monetary assets and Transactions in foreign currency are recorded applying the exchange rate at the date of transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currency remaining unsettled at the end of the year, are translated at the closing rate prevailing on the Balance Sheet date. Non-monetary items which are carried in terms of historical cost denominated in foreign currency are reported using the exchange rate at the date of transaction. Exchange differences arising as a result of the above are recognized as income or expenses in the statement of profit and loss. Exchange difference arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded during the year, or reported in previous financial statements, are recognised as income or expenses in the year in which they arise. Foreign exchange difference on foreign currency borrowings, loans given, settlement gain/loss and fair value gain/loss on derivative contract relating to borrowings are accounted and disclosed under finance cost. Such exchange difference does not include foreign exchange difference regarded as an adjustment to the borrowings cost and capitalised with cost of assets

**h) Fair value measurement**

"The Company measures financial instruments, such as, derivatives at fair value at each balance sheet date on a portfolio basis. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either in the principal market for the asset or liability, or in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.The principal or the most advantageous market must be accessible by the Company.The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest. A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use. The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximising the use of relevant observable inputs and minimising the use of unobservable inputs. All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorised within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole

Level 1 — Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities"

Level 2 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable

Level 3 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable

For assets and liabilities that are recognised in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorisation (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period. For the purpose of fair value disclosures, the Company has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

This note summarises accounting policy for fair value. Other fair value related disclosures are given in the relevant notes.

**i) Leases**

"The determination of whether an arrangement is (or contains) a lease is based on the substance of the arrangement at the inception of the lease. The arrangement is, or contains, a lease if fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets and the arrangement conveys a right to use the asset or assets, even if that right is not explicitly specified in an arrangement.

For arrangements entered into prior to 1 April 2015, the company has determined whether the arrangement contain lease on the basis of facts and circumstances existing on the date of transition."

Company as a lessee

"A lease is classified at the inception date as a finance lease or an operating lease. A lease that transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership to the Company is classified as a finance lease.Finance leases are capitalised at the commencement of the lease at the inception date fair value of the leased property or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are recognised in finance costs in the statement of profit and loss, unless they are directly attributable to qualifying assets, in which case they are capitalized in accordance with the Company's general policy on the borrowing costs. Contingent rentals are recognised as expenses in the periods in which they are incurred. A leased asset is depreciated over the useful life of the asset. However, if there is no reasonable certainty that the Company will obtain ownership by the end of the lease term, the asset is depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset and the lease term.

Operating lease payments are recognised as an expense in the statement of profit and loss on a straight-line basis over the lease term."

Company as a lessor

"Leases in which the Company does not transfer substantially all the risks and rewards of ownership of an asset are classified as operating leases. Rental income from operating lease is recognised on a straight-line basis over the term of the relevant lease.

Leases are classified as finance leases when substantially all of the risks and rewards of ownership transfer from the Company to the lessee. Amounts due from lessees under finance leases are recorded as receivables at the Company's net investment in the leases. Finance lease income is allocated to accounting periods so as to reflect a constant periodic rate of return on the net investment outstanding in respect of the lease."

**j) Inventories**

(i) Stores and spares, packing materials and raw materials are valued at lower of cost or net realisable value and for this purpose, cost is determined on moving weighted average basis. However, the aforesaid items are not valued below cost if the finished products in which they are to be incorporated are expected to be sold at or above cost.

(ii) Semi-finished products and finished products are valued at lower of cost or net realisable value and for this purpose, cost is determined on standard cost basis which approximates the actual cost. Variances, exclusive of abnormally low volume and operating performance, are adjusted to inventory.

(iii) By-products are valued at estimated net realizable value.

(iv) Trading goods are valued at lower of cost and net realizable value. Cost includes cost of purchase and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined on a weighted average basis.

Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale."

**k) Impairment of non-financial assets**

"The Company assesses, at each reporting date, whether there is an indication that an asset may be impaired. If any indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company estimates the asset's recoverable amount. An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or cash-generating unit's (CGU) fair value less costs of disposal and its value in use. Recoverable amount is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. When the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs of disposal, recent market transactions are taken into account. If no such transactions can be identified,an appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by valuation multiples, quoted share prices for publicly traded companies or other available fair value indicators."

For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date to determine whether there is an indication that previously recognised impairment losses no longer exist or have decreased. If such indication exists, the Company estimates the asset's or CGU's recoverable amount. A previously recognised impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognised. The reversal is limited so that the carrying amount of the

asset does not exceed its recoverable amount,nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognised for the asset in prior years. Such reversal is recognised in the statement of profit or loss. When the recoverable amount of the CGU is less than its carrying amount, an impairment loss is recognised.

**l) Provisions, contingent liabilities and contingent assets**

Provisions are recognised when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event,it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. When the Company expects some or all of a provision to be reimbursed, for example, under an insurance contract, the reimbursement is recognised as a separate asset, but only when the reimbursement is virtually certain. The expense relating to a provision is presented in the statement of profitand loss net of any reimbursement. If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre-tax rate that reflects,when appropriate, the risks specific to the liability. When discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognised as a finance cost. Provisions are reviewed at each balance sheet and adjusted to reflect the current best estimates.

Contingent liabilities are disclosed in respect of possible obligations that have risen from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the enterprise, or is a present obligation that arises from past events but is not recognised because either it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made.

**m) Financial instruments**

"A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial assets

Initial recognition and measurement

All financial assets are recognised initially at fair value plus, in the case of financial assets not recorded at fair value through profit or loss, transaction costs that are attributable to the acquisition of the financial asset.

Debt instruments at amortised cost

A 'debt instrument' is measured at its amortised cost if both the following conditions are met:

a) The asset is held within a business model whose objective is to hold assets for collecting contractual cash flows, and

b) Contractual terms of the asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

After initial measurement, such financial assets are subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate (EIR) method. Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortisation is included in other income in the statement of profit or loss. The losses arising from impairment are recognised in the statement of profit or loss."

Debt instrument at FVTOCI

A 'debt instrument' is classified at FVTOCI if both of the following criteria are met:

a) The objective of the business model is achieved both by collecting contractual cash flows and selling the financial assets, and

"b) The asset's contractual cash flows represent SPPI.

Debt instruments included within the FVTOCI category are measured initially as well as at each reporting date at fair value.Fair value movements are recognized in the other comprehensive income (OCI). However, the company recognizes interest income, impairment losses & reversals and foreign exchange gain or loss in the Profit and Loss. On de-recognition of the asset, cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from the equity to Profit and Loss. Interest earned whilst holding FVTOCI debt instrument is reported as interest income using the EIR method."

Debt instrument at FVTPL

FVTPL is a residual category for debt instruments. Any debt instrument, which does not meet the criteria for categorization as at amortized cost or as FVTOCI, is classified as FVTPL. In addition, the company may elect to designate a debt instrument, which otherwise meets amortized cost or FVTOCI criteria, as at FVTPL. However, such election is allowed only if doing so reduces or eliminates a measurement or recognition inconsistency (referred to as 'accounting mismatch').

The company has designated certain debt instrument as at FVTPL. Debt instruments included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized in the statement of profit and loss.

Equity investments

All equity investments in scope of Ind AS 109 are measured at fair value. Equity instruments which are held for trading are classified as at FVTPL. For all other equity instruments, the company may make an irrevocable election to present in other comprehensive income subsequent changes in the fair value. The company makes such election on an instrument-by-instrument basis. The classification is made on initial recognition and is irrevocable. If the company decides to classify an equity instrument as at FVTOCI, then all fair value changes on the instrument, excluding dividends, are recognized in the OCI. There is no recycling of the amounts from OCI to statement of profit and loss, even on sale of investment. However, the company may transfer the cumulative gain or loss within equity. Equity instruments included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized in the statement of profit and loss.

De-recognition

"A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a company of similar financial assets) is primarily derecognised (i.e. removed from the Company's balance sheet) when:

the rights to receive Cash flows from the asset have expired, or

the company has transferred its rights to receive Cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either(a) the company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

When the company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if and to what extent it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the company continues to recognise the transferred asset to the extent of the Company's continuing involvement. In that case, the company also recognises an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company has retained. Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the company could be required to repay."

Impairment of financial assets

"In accordance with Ind AS 109, the company applies expected credit loss (ECL) model for measurement and recognition of impairment loss on the following financial assets and credit risk exposure:

a) Financial assets that are debt instruments, and are measured at amortised cost e.g., loans, debt securities, deposits,trade receivables and bank balance

b) Financial assets that are debt instruments and are measured as at FVTOCI

c) Lease receivables under Ind AS 17

d) Trade receivables or any contractual right to receive cash or another financial asset that result from transactions that are within the scope of Ind AS 18 (referred to as 'contractual revenue receivables' in these financial statements)

e) Financial guarantee contracts which are not measured as at FVTPL

The company follows 'simplified approach' for recognition of impairment loss allowance on:

Trade receivables and Other receivables

The application of simplified approach does not require the company to track changes in credit risk. Rather, it recognises impairment loss allowance based on lifetime ECLs at each reporting date, right from its initial recognition. For recognition of impairment loss on other financial assets and risk exposure, the company determines that whether there has been a significant increase in the credit risk since initial recognition. If credit risk has not increased significantly, 12-month ECL is used to provide for impairment loss.

However, if credit risk has increased significantly, lifetime ECL is used. If, in a subsequent period, credit quality of the instrument improves such that there is no longer a significant increase in credit risk since initial recognition, then the entity reverts to recognising impairment loss allowance based on 12-month ECL.

Lifetime ECL are the expected credit losses resulting from all possible default events over the expected life of a financial instrument. The 12-month ECL is a portion of the lifetime ECL which results from default events that are possible within 12 months after the reporting date.

ECL is the difference between all contractual cash flows that are due to the company in accordance with the contract and all the cash flows that the entity expects to receive (i.e., all cash shortfalls), discounted at the original EIR. When estimating the cash flows, an entity is required to consider:

All contractual terms of the financial Instrument (including prepayment, extension, call and similar options) over the expected life of the financial instrument. However, in rare cases when the expected life of the financial instrument cannot be estimated reliably, then the entity is required to use the remaining contractual term of the financial instrument.

Cash flows from the sale of collateral Held or Other credit enhancements that are integral to the contractual terms. financial assets measured as at amortised cost, contractual revenue receivables and lease receivables: ECL is presented as an allowance, i.e., as an integral part of the measurement of those assets in the balance sheet. The allowance reduces the net carrying amount. Until the asset meets write-off criteria, the company does not reduce impairment allowance from the gross carrying amount."

**n) Financial liabilities**

Initial recognition and measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at fair value through profit or loss, loans and borrowings, or payables, as appropriate. All financial liabilities are recognised initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs. The Company's financial liabilities include trade and other payables, loans and borrowings including bank overdrafts, financial guarantee contracts and derivative financial instruments.

Subsequent measurement

The measurement of financial liabilities depends on their classification, as described below:

Financial liabilities at fair value through profit or loss

Financial liabilities at fair value through profit or loss include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at fair value through profit or loss. Financial liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entered into by the company that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by Ind AS 109. Gains or losses on liabilities held for trading are recognised in the statement of profit and loss.

Loans and borrowings

This is the category most relevant to the company. After initial recognition, interest-bearing loans and borrowings are subsequently measured at amortised cost using the EIR method. Gains and losses are recognised in profit or loss when the liabilities are derecognised as well as through the EIR amortisation process. Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortisation is included as finance costs in the statement of profit and loss. This category generally applies to borrowings.

Financial guarantee contracts

Financial guarantee contracts issued by the company are those contracts that require a payment to be made to reimburse the holder for a loss it incurs because the specified debtor fails to make a payment when due in accordance with the terms of a debt instrument. Financial guarantee contracts are recognised initially as a liability at fair value, adjusted for transaction costs that are directly attributable to the issuance of the guarantee. Subsequently, the liability is measured at the higher of the amount of loss allowance determined as per impairment requirements of Ind AS 109 and the amount recognised less cumulative amortisation.

De-recognition

A financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as the de-recognition of the original liability and the recognition of a new liability. The difference in the respective carrying amounts is recognised in the statement of profit and loss.

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the standalone balance sheet if there is a currently enforceable legal right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, to realise the assets and settle the liabilities simultaneously.

**o) Derivative financial instruments**

Initial recognition and subsequent measurement. The Company uses derivative financial instruments, such as forward currency contracts, full currency swaps and interest rate swaps contracts to hedge its foreign currency risks and interest rate risks respectively. Such derivative financial instruments are initially recognised at fair value on the date on which a derivative contract is entered into and are subsequently re-measured at fair value. Derivatives are carried as financial assets when the fair value is positive and as financial liabilities when the fair value is negative.

**p) Cash and cash equivalents**

Cash and cash equivalent in the balance sheet comprise cash at banks and on hand and short-term deposits with an original maturity of three months or less, which are subject to an insignificant risk of changes in value. For the purpose of the statement of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash and short-term deposits,as defined above, net of outstanding bank overdrafts as they are considered an integral part of the Company's cash management.

**q) Cash dividend**

The Company recognises a liability to make cash distributions to equity holders when the distribution is authorised and the distribution is no longer at the discretion of the Company. As per the corporate laws in India, a distribution is authorised when it is approved by the shareholders. A corresponding amount is recognised directly in equity.

**r) Taxes**

**Current income tax**

Current income tax assets and liabilities are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authorities in accordance with the Income-tax Act, 1961. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that are enacted or substantively enacted, at the reporting date.

Current income tax relating to items recognised outside profit or loss is recognised outside profit or loss (either in other comprehensive income or in equity). Current tax items are recognised in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity. Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate.

**Deferred tax**

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date. Deferred tax liabilities are recognised for all taxable temporary differences, except:When the deferred tax liability arises from the initial recognition of Goodwill or an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss

in respect of taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries, associates and interests in the temporary differences will not reverse in the foreseeable future Deferred tax assets are recognised for all deductible temporary differences, the carry forward of unused tax credits and any unused tax losses. Deferred tax assets are recognised to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits and unused tax losses can be utilised, except: When the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not

a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss. The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised. Deferred tax assets are re-assessed at each reporting date and are recognised to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax asset to be recovered. Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realised or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Deferred tax relating to items recognised outside profit or loss is recognised outside profit or loss (either in othercomprehensive income or in equity). Deferred tax items are recognised in correlation to the underlying transaction eitherin OCI or directly in equity.

**s) Minimum Alternate Tax (MAT)**

Minimum Alternate Tax (MAT) paid as per Indian Income Tax Act, 1961 is in the nature of unused tax credit which can be carried forward and utilised when the Company will pay normal income tax during the specified period. Deferred tax assets on such tax credit is recognised to the extent that it is probable that the unused tax credit can be utilised in the specified future period. The net amount of tax recoverable from, or payable to, the taxation authority is included as part of receivables or payables in the balance sheet.

**t) Government grants**

Government grants are recognised where there is reasonable assurance that the grant will be received and all attached conditions will be complied with. When the grant relates to an expense item, it is recognised as income on a systematic basis over the periods that the related costs, for which it is intended to compensate, are expensed. When the grant relates to an asset, it is recognised as income in equal amounts over the expected useful life of the related assets.

Export Benefits:

"Duty free imports of raw materials under Advance License for imports as per the Import and Export Policy are matched with the exports made against the said licenses and the net benefit/obligation has been accounted by making suitable adjustments in raw material consumption.

The benefit accrued under the Duty Drawback, Merchandise Export Incentive Scheme and other schemes as per the Import and Export Policy in respect of exports made under the said schemes is included as 'Export Incentives' under the head 'Other operating revenue'."

**u) Earnings Per Share:**

Basic earnings per share are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. For the purpose of calculating diluted earnings per share, the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders and the weighted average number of shares outstanding during the period are adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares.

**v) Contingent Liability and Contingent assets**

A contingent liability is a possible obligation that arises from past events whose existence will be confirmed by the occurrence or non—occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Company or a present obligation that is not recognized because it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation. A contingent liability also arises in extremely rare cases where there is a liability that cannot be recognized because it cannot be measured reliably. The Company does not recognize a contingent liability but discloses its existence in the financial statements. A contingent assets is not recognised unless it becomes virtually certain that an inflow of economic benefits will arise. When an inflow of economic benefits is probable, contingent assets are disclosed in the financial statements. Contingent liabilities and contingent assets are reviewed at each balance sheet date.

**w) Share-Based Payments:**

Measurement and disclosure of the employee share based payment plans is done in accordance with Ind AS 102, Share-Based Payment. The Company measures compensation cost relating to employee stock options using the fair value method. Compensation expense is amortised over the vesting period of the option on a straight line basis.

**x) Errors and Omissions of earlier period:**

Errors and omissions in individual items of Income and Expenditure relating to earlier periods, exceeding `1 Lakh is accounted in the respective period, if possible, or adjusted against opening retained earnings.

**y)** No funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

2) No funds have been received by the Company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries

**Recent Accounting Pronouncements**

The Ministry of Corporate Affairs through Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2020 has notified the following new and amendments to Ind AS which the company has applied as they are effective for annual period that begins on or after April 1, 2020.

**Ind AS 103: Business Combination**

Definition of term "business" has been substituted with "an integrated set of activities and assets that is capable of being conducted and managed for the purpose of providing goods or services to customers, generating investment income (such as dividends or interest) or generating other income from ordinary activities. Accordingly, providing goods or services to customers has been added. This amendment is necessary because every business involves providing goods or services to the customers. There is no impact in the financial statement of the company as this Ind AS Is not applicable.

**Ind AS 107 and Ind AS 109: Financial Instrument**

Hedge accounting is a method of accounting where entries to adjust the fair value of a security and its opposing hedge are treated as one. Hedge accounting attempts to reduce the volatility created by the repeated adjustment to a financial instrument's value, known as fair value accounting or mark to market. This reduction in volatility is done by combining the instrument and the hedge as one entry, which offsets the opposing movements. For hedging relationships to which an entity applies an entity shall disclose (a) the significant interest rate benchmarks to which the entity's hedging relationships are exposed (b) the extent of the risk exposure the entity manages that is directly affected by the interest rate benchmark reform (c) how the entity is managing the process to transition to alternative benchmark rates (d) a description of significant assumptions or judgements the entity made in applying these paragraphs (for example, assumptions or judgements about when the uncertainty arising from interest rate benchmark reform is no longer present with respect to the timing and the amount of the interest rate benchmark-based cash flows); and (e) the nominal amount of the hedging instruments in those hedging relationships.

Following temporary exceptions have also being provided from applying specific hedge accounting requirements a) For assessing highly probable requirement for cash flow hedges b) Reclassifying the amount accumulated in the cash flow hedge reserve c) Assessing the economic relationship between the hedged item and the hedging instrument d) Designating a component of an item as a hedged item. There is no impact in the financial statement of the company as this Ind AS Is not applicable.

**Ind AS 116: Leases**

Due to the COVID- 19, and thereafter the lockdown in India, many businesses have been shut or partially opened resulting into adverse impact on Revenue & Cash flow. Accordingly, the lease payment has been affected and the businesses are demanding the rent concession from their vendors. If the below mentioned conditions are fulfilled, then entity treat the Rent concession without lease modification. (a) the change in lease payments results in revised consideration for the lease that is substantially the same as, or less than, the consideration for the lease immediately preceding the change; (b) any reduction in lease payments affects only payments originally due on or before the 30th June, 2021 (for example, a rent concession would meet this condition if it results in reduced lease payments on or before the 30th June, 2021 and increased lease payments that extend beyond the 30th June, 2021); and (c) there is no substantive change to other terms and conditions of the lease. There is no impact in the financial statement of the company as this Ind AS Is not applicable.

**Ind AS 1 and 8: Presentation of Financial Statements and Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors**

A new definition of material has been introduced by this amendment, this is more refined and also most expected by the industry, some of the examples of circumstances have also been provided for more clarity.

Material: Information is material if omitting, misstating or obscuring it could reasonably be expected to influence decisions that the primary users of general purpose financial statements make on the basis of those financial statements, which provide financial information about a specific reporting entity. Materiality depends on the nature or magnitude of information, or both. An entity assesses whether information, either individually or in combination with other information, is material in the context of its financial statements taken as a whole.

Information is obscured if it is communicated in a way that would have a similar effect for primary users of financial statements to omitting or misstating that information. The following are examples of circumstances that may result in material information being obscured: –

a) information regarding a material item, transaction or other event is disclosed in the financial statements but the language used is vague or unclear

b) information regarding a material item, transaction or other event is scattered throughout the financial statements

c) dissimilar items, transactions or other events are inappropriately aggregated;

d) similar items, transactions or other events are inappropriately disaggregated; and

e) the understandability of the financial statements is reduced as a result of material information being hidden by immaterial information to the extent that a primary user is unable to determine what information is material.

Assessing whether information could reasonably be expected to influence decisions made by the primary users of a specific reporting entity`s general purpose financial statements requires an entity to consider the characteristics of those users while also considering the entity 's own circumstances.

The primary users to whom general purpose financial statements are directed. Financial statements are prepared for users who have a reasonable knowledge of business and economic activities and who review and analyses the information diligently. At times, even well-informed and diligent users may need to seek the aid of an adviser to understand information about complex economic phenomena.

The Company has duly considered the changes in definition of 'materiality' for presentation of Financial Statements and Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors.

**Ind AS 10 Events after the Reporting Period**

A paragraph 21 of the Ind AS 10 have been substituted, in the amendment any non-adjusting events that could reasonably be expected to influence decisions that the primary users of general-purpose financial statements make on the basis of those financial statements which provide financial information about a specific reporting entity have been added.

Accordingly, the following disclosure to be provided

a) the nature of the event; and

b) an estimate of its financial effect, or a statement that such an estimate cannot be made.

The company duly considered the aforesaid amendment for the preparation, disclosure and presentation of financial statements.

**Ind AS 34 Interim Financial Reporting**

Consequential amendment and accounting of restructuring plan.

**Ind AS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets**

A management or board decision to restructure taken before the end of the reporting period does not give rise to a constructive obligation at the end of the reporting period unless the entity has, before the end of the reporting period

a) started to implement the restructuring plan; or

b) announced the main features of the restructuring plan to those affected by it in a sufficiently specific manner to raise a valid expectation in them that the entity will carry out the restructuring.

This amendment is not applicable to the company.

**Recent Indian Accounting Standards (Ind AS)**

The Central Government, in consultation with the National Financial Reporting Authority has notified the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2021 to further amend the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015. In this amendment, the following new and amendments brought into Indian Accounting Standards, which the Group has duly applied, wherever applicable during the year:

**Ind AS – 103: Business Combination**

The first amendment relates to recognition condition of the identifiable assets acquired, the liabilities assumed and any non-controlling interest in the acquire. To qualify for recognition as part of applying the acquisition method, the identifiable assets acquired and liabilities assumed must meet the definitions of assets and liabilities in the Frame work for the Preparation and Presentation of Financial Statements in accordance with Indian Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India at the acquisition date. The Company does not expect any impact from this amendment.

**Ind AS – 105: Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations**

The amendment provides for the change in the definition of recoverable amount – recoverable amount means the higher of an asset's fair value less costs of disposal. The Company does not expect any impact from this amendment.

**Ind AS – 107: Financial Instruments – Disclosures**

The amendment provides for additional disclosures related to interest rate benchmark reform on an entity's financial instruments and risk management strategy. The Company does not expect any impact from this amendment.

**Ind AS – 109: Financial Instruments**

The amendment provides for changes in the basis for determining the contractual cash flows as a result of interest rate benchmark reform by way of amending the contractual terms specified at the initial recognition of the financial instrument, in a way that was not considered by or contemplated in the contractual terms at the initial recognition of the financial instrument, without amending the contractual terms and/or because of the activation of an existing contractual term. The Company does not expect any impact from this amendment.

**Ind AS – 114: Regulatory Deferral Accounts**

This amendment provide for the change in accounting polices in respect of regulatory deferral account balances. An entity shall not change its accounting policies in order to start to recognise regulatory deferral account balances. An entity may only change its accounting policies for the recognition, measurement, impairment and derecognition of regulatory deferral account balances if the change makes the financial statements more relevant to the economic decision-making needs of users and no less reliable, or more reliable and no less relevant to those needs. An entity shall judge relevance and reliability using the criteria in paragraph 10 of Ind AS 8. The Company does not expect any impact from this amendment.

**Ind AS – 116: Leases**

The amendment provides for the change the basis for determining future lease payments as a result of interest rate benchmark reform. A lease modification is required by interest rate benchmark reform if, and only if, both of these conditions are met:(a) the modification is necessary as a direct consequence of interest rate benchmark reform; and(b) the new basis for determining the lease payments is economically equivalent to the previous basis. The Company does not expect any impact from this amendment.

The Central Government, in consultation with the National Financial Reporting Authority has notified the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules,2022 to further amend the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015. In this amendment, the following new and amendments brought into Indian Accounting Standards, which the Group has not applied as they are effective from April 1, 2022:

**Ind AS – 16: Property Plant and Equipment**

The amendment provides for directly attributable cost in respect of costs of testing whether the asset is functioning properly, after deducting the net proceeds from selling any items produced while bringing the asset to that location and condition (such as samples produced when testing equipment). Excess of net sale proceeds of items produced over the cost of testing, if any, shall not be recognised in the profit or loss but deducted from the directly attributable costs considered as part of cost of an item of property, plant, and equipment. The Company does not expect any impact from this amendment.

**Ind AS – 37: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets**

This amendment provides for, in respect of onerous contract, the cost of fulfilling a contract comprises the costs that relate directly to the contract. Costs that relate directly to a contract consist of both-(a) the incremental costs of fulfilling that contract(b) an allocation of other costs that relate directly to fulfilling contracts. It also provides for, before a separate provision for an onerous contract is established, an entity recognises any impairment loss that has occurred on assets used in fulfilling the contract. The Company does not expect any impact from this amendment.

NOTE 3 - Property, Plant and equipment

| Sl. No. | Description | GROSS BLOCK | | | | DEPRECIATION / AMORTISATION / IMPAIRMENT | | | | NET BLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | As at 01.04.2021 | Additions | Deletions | As at 31.03.2022 | Up to 01.04.2021 | Deletions | Provided during the year | Up to 31.03.2022 | As on 31.03.2022 | As on 31.03.2021 |
| **a. Property, Plant and equipment** | | | | | | | | | | | |
| 1a | Land and Land Development | 578.25 | 0.00 | 0.00 | 578.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578.25 | 578.25 |
| 1b. | -do- Revaluation | 10427.55 | 1978.45 | 0.00 | 12406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12406.00 | 10427.55 |
| 1c | Leased Asset | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Buildings | 1282.52 | 0.00 | 0.00 | 1282.52 | 881.32 | 0.00 | 18.41 | 899.73 | 382.79 | 401.20 |
| 3. | Plant and Equipment | 24923.78 | 18.59 | 0.00 | 24942.37 | 22965.77 | 0.00 | 78.28 | 23044.05 | 1898.32 | 1958.01 |
| 4 | Furniture, Fixtures and Equipments | 114.77 | 0.36 | 0.00 | 115.13 | 102.42 | 0.00 | 0.85 | 103.27 | 11.86 | 12.35 |
| 5. | Vehicles | 117.98 | 0.65 | 0.00 | 118.63 | 107.70 | 0.00 | 0.84 | 108.54 | 10.09 | 10.28 |
| 6. | Office Equipment | 671.13 | 11.90 | 0.00 | 683.03 | 614.52 | 0.00 | 7.79 | 622.31 | 60.72 | 56.61 |
| 7. | Library Books | 13.47 | 0.00 | 0.00 | 13.47 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 13.43 | 0.04 | 0.04 |
| | Sub-total | 38129.45 | 2009.95 | 0.00 | 40139.40 | 24685.16 | 0.00 | 106.17 | 24791.33 | 15348.07 | 13444.29 |
| **8** | **Assets held for disposal** | 99276.42 | 0.00 | 0.00 | 99276.42 | 56.68 | 0.00 | 0.00 | 56.68 | 99219.74 | 99219.74 |
| | **Total** | **137405.87** | **2009.95** | **0.00** | **139415.82** | **24741.84** | **0.00** | **106.17** | **24848.01** | **114567.81** | **112664.03** |
| **Capital work- in- progress** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| | | | | | | | | | | | |
| b. | **Investment property Land** | 16.71 | 0.00 | 0.00 | 16.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.71 | 16.71 |
| b1. | **Investment property Building** | 136.89 | 0.00 | 0.00 | 136.89 | 62.70 | 0.00 | 2.16 | 64.86 | 72.03 | 74.19 |
| | **Total** | 153.60 | 0.00 | 0.00 | 153.60 | 62.70 | 0.00 | 2.16 | 64.86 | 88.74 | 90.90 |
| | | | | | | | | | | | |
| c) Intangible assets - Computer software | | 429.55 | 12.75 | 0.00 | 442.30 | 407.02 | 0.00 | 8.02 | 415.04 | 27.25 | 22.53 |
| | | | | | | | | | | | |
| | **G. Total** | **137989.02** | **2022.70** | **0.00** | **140011.72** | **25211.56** | **0.00** | **116.35** | **25327.91** | **114683.80** | **112777.46** |

1. During the year there is no change in the management estimates of the useful life for various class of Property, plant and equipments and Intangible assets.
2. Company had given 1.03 acre of land at Ambalamugal in Kochi to M/s. Sterling Gas Limited as operating lease under cancellable lease agreement. Investment properties are distinguished from owner occupied property based on area covered under lease agreement and the value of investment has been determined using pro-rata basis.
3. Company own 184 residential flats at Kochi comprising of 155104 Sq. Ft. out of which 46594 Sq. ft. consisting of 55 flats has been earmarked as investment property for letting out

| **Amounts recognised in profit or loss for investment properties** | 31.03.2022 | 31.03.2021 |
|---|---|---|
| Rental income including contingent rent | 24.07 | 24.94 |
| Direct operating expenses from property that generated Rental Income | 7.20 | 8.73 |
| Direct operating expenses from property that did not generate rental income | 0.00 | 0.00 |
| Income from investment properties before depreciation | **16.87** | **16.21** |
| Depreciation | 2.16 | 2.17 |
| Income from investment properties | **14.71** | **14.04** |
| Fair value of investment property (Land) | | |
| Investment property-Sterling Gas Ltd | 111.66 | 94.52 |
| Investment property-Township | 371.35 | 338.29 |
| **Total** | **483.01** | **432.81** |

Estimation of fair value:

The fair value of investment property has been determined by an external registered independent property valuer having professional qualification.

### 3d) Property, plant and equipments held for sale

| Description of the Non-Current Assets | Facts and Circumstances of the sale | Manner of disposal | Timing of disposal | N ET BLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | As on 31.03.2022 | As on 31.03.2021 |
| Land | Closure of Rasayani unit and disposal of assets. | Direct sale of 152 acres of land to BPCL and balance through NBCC. | Within 12 months | 99094.84 | 99094.84 |
| Buildings | | E-auction through MSTC | -do- | 65.15 | 65.15 |
| Plant and Equipment | | -do- | -do- | 58.81 | 58.81 |
| Furniture, Fixtures and Equipments | | -do- | -do- | 0.94 | 0.94 |
| **Total** | | | | **99219.74** | **99219.74** |

Note: The company is in the process of implementation of the Govt. Approved restructuring plan vide order dated May 22, 2017, the company has closed the Rasayani Unit, plant and equipment scrapped has been disposed off. Sale of unencumbured land in Rasayani through NBCC and Panvel land through e-auction are in progress. The Phenol plant at Kochi is in operation.

### 4. Investments

| Description | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
|---|---|---|
| **Non current** | | |
| **Investment stated at Cost** | | |
| (A) Investments in Equity Instruments | | |
| a. Investment in Subsidiary (Quoted) | | |
| 11060000 (previous year 11060000) Equity Shares of Rs. 10 each fully paid in Hindustan Fluorocarbons Ltd. (Holding 56.43% of shares) | 1,106.00 | 1,106.00 |
| Less: Provision for impairment in value of investment (Market value as on 31.03.2022 Rs.9.57, Previous Year Rs. 7.54 per share) * | 47.56 | 272.08 |
| Sub-total | **1,058.44** | **833.92** |
| **Investment in Unquoted Equity Shares of Kerala Enviro Infrastucture Ltd** | | |
| (50000 Unquoted Equity Shares @ Rs.10/-) | 5.00 | 5.00 |
| Less :- Provision for impairment in value of investment | - | - |
| | 5.00 | 5.00 |
| **Total Non-Current Investments** | **1,063.44** | **838.92** |
| Aggregate amount of quoted investments (Market Value) | 1,058.44 | 833.92 |
| Aggregate amount of quoted investments (Cost) | 1,106.00 | 1,106.00 |
| Aggregate amount of unquoted investments | 5.00 | 5.00 |
| Aggregate amount of provision for impairment | 47.56 | 272.08 |
| **Total Non-Current Investments** | **1,063.44** | **838.92** |

* Gain/loss in value of investment is recognised in Other comprehensive income since the market value was Rs.9.57 per share as on 31.03.2022 and Rs.7.54 per share as on 31.03.2021 (Face value Rs.10 per share).

### 5. Other Non-Current Assets

| | | |
|---|---|---|
| i) Deposits with customs, MSEB, KSEB, BSNL, Rent deposit & Registrar HC. | 497.37 | 498.12 |
| **Total** | **497.37** | **498.12** |

### 6. Inventories (Valued at lower of cost and net realisable value)

| | | |
|---|---|---|
| a. Raw materials and components | 1,699.53 | 1,281.06 |
| b. Work in progress | 1,133.84 | 960.65 |
| c. Finished goods | 2,265.34 | 1,007.75 |
| d. Store and spares | 2,795.21 | 2,233.76 |
| Less: Allowances for obsolesence | (382.73) | (402.50) |
| Total | **7,511.19** | **5,080.72** |

* Allowances for stores obsolesence are made at 50% of the Slow moving items above five years and at 100% for obsolete items.

### 7. Trade Receivables

| Current | | |
|---|---|---|
| Secured | - | - |
| Considered good - Unsecured | 735.12 | 240.82 |
| Credit impaired | 1,489.46 | 1,474.13 |
| Less: Allowance for doubtul trade receivable | (1,489.46) | (1,474.13) |
| Less: Bills Receivables discounted | - | - |
| **Total trade receivables** | **735.12** | **240.82** |

Allowance is made in the accounts for trade receivables which in the opinion of the management are considered credit impaired. The Company is consistently following the practice of creating allowance for those trade receivables which remain outstanding for more than three years or doubtful of recovery.The disclosure of movement as required under Indian Accounting Standard 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

| Allowance for doubtful Trade receivables | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
|---|---|---|
| Provision at the beginning of the year | 1,474.13 | 1,465.78 |
| Provisions made during the year | 16.77 | 40.80 |
| Released during the year * | 1.44 | 32.45 |
| Provision at the end of the year | 1,489.46 | 1,474.13 |

*During the year the Company has written off Trade Receivables to the tune of Rs.1.44 Lakh(previous year 32.45) for which allowance has already been created.

Trade Receivables ageing schedule

| Particulars | Not due | Outstanding for following periods from due date periods | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Less Than 6 Months | 6 Months - 1 Year | 1- 2 Years | 2- 3 Years | More Than 3 years | |
| Current Year | 2021-22 | | | | | | |
| (i) Undisputed Trade receivables-considered good | 291.20 | 431.89 | 3.11 | 5.83 | | | 732.03 |
| (ii) Undisputed Trade Receivables-which have significant increase in credit risk | | | | | 3.09 | | 3.09 |
| (iii) Undisputed Trade Receivables-credit impaired | | | | | | 598.64 | 598.64 |
| (iv) Disputed Trade Receivables-considered good | | | | | | | 0.00 |
| (v) Disputed Trade Receivables-which have significant increase in credit risk | | | | | | 891.03 | 891.03 |
| (vi)Disputed Trade Receivables-credit impaired Total | 291.20 | 431.89 | 3.11 | 5.83 | 3.09 | 1489.67 | 2224.79 |
| Less Allowances for expected credit loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1489.67 | 1489.67 |
| Net Amount Previous Year | 291.20 | 431.89 | 3.11 | 5.83 | 3.09 | 0.00 | 735.12 |
| Previous Year | 2020-21 | | | | | | |
| (i) Undisputed Trade receivables-considered good | 58.60 | 133.60 | 6.81 | 4.78 | | | 203.79 |
| (ii) Undisputed Trade Receivables-which have significant increase in credit risk | | | | | 37.03 | | 37.03 |
| (iii)Undisputed Trade Receivables-credit impaired | | | | | | 583.10 | 583.10 |
| (v) Disputed Trade Receivables-considered good | | | | | | | 0.00 |
| (v) Disputed Trade Receivables-which have significant increase in credit risk. | | | | | | | 0.00 |
| (vi) Disputed Trade Receivables-credit impaired | | | | | | 891.03 | 891.03 |
| Total | 58.60 | 133.60 | 6.81 | 4.78 | 37.03 | 1474.13 | 1714.95 |
| Less: Allowances for expected credit loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1474.13 | 1474.13 |
| Net Amount | 58.60 | 133.60 | 6.81 | 4.78 | 37.03 | 0.00 | 240.82 |

### 8a. Cash and cash equivalents

Rs. in Lakh

| Description | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
|---|---|---|
| Balances with banks (of the nature of cash and cash equivalents): | | |
| Current accounts | 239.30 | 115.54 |
| Saving Account * | 149.25 | 145.23 |
| Deposits with original maturity of less than three months | 1624.50 | 3025.28 |
| Cash on Hand | 1.48 | 0.92 |
| | **2014.53** | **3286.97** |

* Balance in Saving account is earmarked for the rental dues of Harchandrai House as per the direction of Small Causes Court, Mumbai.

### 8b. Other Bank Balance

Rs. in Lakh

| | | |
|---|---|---|
| Fixed Deposit against BG/LC | 5592.19 | 5026.49 |
| Fixed deposit for maturity of more than three months but less than 12 month | 5904.01 | 6506.29 |
| Total | **11496.20** | **11532.78** |

| 9. Loans (Current asset) | | |
|---|---|---|
| A) Current Loans and Advances to related parties | | |
| Secured | | |
| (M/s. Hindustan Fluorocarbons Ltd.) | 3197.08 | 3197.08 |
| Less: Provision for Doubtful repayment | 0.00 | 1161.82 |
| Net amount | **3197.08** | **2035.26** |
| (B) Loans to employees | | |
| a. Unsecured, Considered good | 21.01 | 30.88 |
| (C) Advance to suppliers | | |
| Doubtful | 65.00 | 65.00 |
| Less: Allowance for doubtul advance to suppliers | 65.00 | 65.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| Total loans - Current | **3218.09** | **2066.14** |

Loans and receivables are non-derivative financial assets which generate a fixed or variable interest income for the Company

Subsidiary Company Hindustan Fluorocarbons Ltd has created mortgage in favour of the company on 84.31 acres of land at Rudraram Village, Medak Dist., Telengana state towards zero coupon loan of Rs.2744.07 Lakh outstanding, the interest bearing loan of Rs.453.01 Lakh and interest accruing thereon till the date of repayment of loan together with interest accrued. As per the valuation report by an external registed independent valuer having professional qualification the value of the property/ security comes to Rs.10196.76 Lakh, therefore provision for doubtful of recovery of loan and accrued interest already provided amounting to Rs.2122.34 Lakh (loan Rs.1161.82 Lakh and interest Rs.960.52 lakhs) has been written back during the year 2021-22.

| Description | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
|---|---|---|
| **10. Interest and other receivables** | | |
| **Current** | | |
| A) Interest receivable | | |
| Unsecured, Considered good | | |
| **Accrued Interest on Deposits** | **316.25** | **393.43** |
| Accrued Interest on Advance | 106.08 | 106.08 |
| Less: Provision for Doubtful repayment | 106.08 | 106.08 |
| **Net amount** | **0.00** | **0.00** |
| **Accrued Income from Township** | 5.53 | 5.53 |
| **Less : Allowances** | 5.53 | 5.53 |
| | **0.00** | **0.00** |
| **B) Interest Receivables from related parties** | | |
| **(M/s. Hindustan Fluorocarbons Ltd.)** | 1,017.79 | 960.52 |
| Less: Provision for Doubtful repayment | - | (960.52) |
| **Net amount** | **1017.79** | **0.00** |
| Total Other Financial Assets | **1334.04** | **393.43** |

| 11. Deposits, advances and other receivables Rs. in Lakh | | |
|---|---|---|
| i) Deposits with the Collectorate of Central Excise and Customs | 7.37 | 7.53 |
| Less : Allowances | 2.90 | 2.90 |
| Sub-total | **4.47** | **4.63** |
| ii) Statutory receivables - Duties & Taxes, Prepaid Taxes | 842.07 | 1468.02 |
| Less: Allowances | 4.29 | 4.29 |
| Sub-total | **837.78** | **1463.73** |
| iii) Advances to suppliers | 277.26 | 211.48 |
| Less: Allowances | 4.31 | 1.44 |
| | **272.95** | **210.04** |
| iv) Deposits - Gratuity, EMD & Rent | **1544.33** | **679.69** |
| v) Prepaid Expense | 163.01 | 196.36 |
| vi) Other Advances Recoverable | 28.56 | 27.61 |
| vii) Accrued income on Employee Advances | 8.15 | 14.89 |
| viii) Recoverable from employees | 60.41 | 60.41 |
| Sub-total | **260.13** | **299.27** |
| Less: Allowance | 60.41 | 60.41 |
| Sub-total | **199.72** | **238.86** |
| Total | **2859.25** | **2596.95** |

Gratuity deposit of Rs.1490.61 Lakh (previous year Rs.625.98 lakh) in LIC/ICICI Bank towards Employees Group Gratuity Fund Trust created against Gratuity liability.

**12. Share Capital** **Rs. in Lakh**

| Description | As at 31.03.2022 | | As at 31.03.2021 | |
|---|---|---|---|---|
| | Nos. | Rs. | Nos. | Rs. |
| **Authorised Share Capital** | | | | |
| Equity Shares of Rs. 10 each | | | | |
| Opening Balance | 100000000 | 10000.00 | 100000000 | 10000.00 |
| Increase/(decrease) during the year | - | 0.00 | - | 0.00 |
| Closing balance | 100000000 | 10000.00 | 100000000 | 10000.00 |
| Preference Shares of Rs. 10 each | | | | |
| Opening Balance | 270000000 | 27000.00 | 270000000 | 27000.00 |
| Increase/(decrease) during the year | - | 0.00 | - | 0.00 |
| Closing balance | 270000000 | 27000.00 | 270000000 | 27000.00 |
| Total authorised capital | 370000000 | 37000.00 | 370000000 | 37000.00 |
| Issued equity capital | | | | |
| Equity shares of Rs. 10 each issued, subscribed and fully paid | | | | |
| Opening balance | 67173100 | 6717.31 | 67173100 | 6717.31 |
| Add: Paid-up amount on shares forfeited | - | 9.65 | - | 9.65 |
| Increase/(decrease) during the year | - | 0.00 | - | 0.00 |
| **Total - Equity share capital** | **67173100** | **6726.96** | **67173100** | **6726.96** |

**Terms/ rights attached to equity shares**

The Company has only one class of equity shares having at par value of Rs.10 per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share. In the event of liquidation of the Company, the holders of equity shares will be entitled to receive remaining assets of the Company, after distribution of all preferential amounts. The distribution will be in proportion to the number of equity shares held by the shareholders.

**Details of shareholders holding more than 5% shares in the company and Shareholding of Promoters**

| Name of the shareholder | As at 1.03.2022 | | As at 31.03.2021 | | % change during the year |
|---|---|---|---|---|---|
| | No. of shares | % Holding | No. of shares | % Holding | |
| Equity shares of INR 10 each fully paid: The Government of India (Promoter) | 39,481,500 | 58.78% | 39,481,500 | 58.78% | Nil |
| During the year 2010-11, the Company forfeited 193000 shares of Rs.10 each (Rs.5 paid up) for non payment of allotment and call monies and the amount paid towards application money in respect of these forfeited shares has been transferred to "Share's Forfeiture Account". | | | | | |

| 13. Other equity<br>Description | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
|---|---|---|
| a) Securities Premium Reserve | | |
| Opening balance | 4838.57 | 4838.57 |
| Increase/(decrease) during the year | **0.00** | **0.00** |
| Closing balance | **4838.57** | **4838.57** |
| **b) Retained Earnings** | | |
| Opening balance | (99,497.02) | (101,103.24) |
| Changes in accounting policy or prior period errors | 59.76 | 9.85 |
| Restated balance at the beginning of the period | (99,437.26) | (101,093.39) |
| Add: Profit / (Loss) for the year | (2,324.46) | 1,597.09 |
| **Add: Profit on sale of Land** | **-** | **59.04** |
| Closing balance | **(101761.72)** | **(99437.26)** |
| c) Other comprehensive income | | |
| i) Revaluation of Property, plant & Equipments | | |
| Opening balance | 93,606.29 | 92,453.31 |
| Add: Revaluation during the year | 1,978.42 | 1,631.02 |
| Less: Reserve transferred to Retained Earning | - | (59.04) |
| Add : Reversal of Deferred Tax liability on account of sale | - | 12.00 |
| Add/(Less): Deferred Tax liability on account of revaluation during the year | (576.00) | (431.00) |
| Closing balance | **95,008.71** | **93,606.29** |
| ii) Equity Instrument through Other Comprehensive Income | | |
| Opening balance | (192.08) | (553.94) |
| Add/Less: Revaluation during the year | 224.52 | 509.86 |
| Less: Deferred Tax liability on account of revaluation during the year | (65.00) | (148.00) |
| Closing balance | **(32.56)** | **(192.08)** |

| | | |
|---|---|---|
| iii) Changes in Employees defined benefits plan | | |
| Opening | 502.48 | 533.58 |
| Add: | - | - |
| Less: Remeasurement of defined benefit plan | 40.99 | (31.10) |
| Closing balance | **543.47** | **502.48** |
| **Total** | **95,519.62** | **93,916.69** |
| **Total Other Equity** | **(1,403.53)** | **(682.00)** |

Securities Premium Reserve - Where the Company issues shares at a premium, whether for cash or otherwise, a sum equal to the aggregate amount of the premium received on those shares shall be transferred to "Securities Premium Reserve". The Company may issue fully paid-up bonus shares to its members out of the securities premium reserve and the Company can use this reserve for buy-back of shares.

**14. Borrowings (Non-Current Liability)**

| | | |
|---|---|---|
| Term Loan | | |
| Loans from Government of India | 0.00 | 7695.09 |
| Other Loan | 0.00 | 0.00 |
| Total | **0.00** | **7695.09** |

**15. Provisions (Long term liability)** **Rs. in Lakh**

| Description | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
|---|---|---|
| Opening | | |
| For Employee's Benefits - Leave encashment and Gratuity | 1104.09 | 1039.16 |
| For Employee's Benefits -Gratuity | 2200.93 | 2183.22 |
| Diff. in Fixed Assets | 20.52 | 3.73 |
| Provision for rent | 9.15 | 5.11 |
| Sub-total | **3334.69** | **3231.22** |
| Arising during the year: | | |
| For Employee's Benefits - Leave encashment | 0.00 | 64.93 |
| For Employee's Benefits -Gratuity | 0.00 | 17.71 |
| Diff. in Fixed Assets | 2.61 | 16.79 |
| Provision for rent | 173.83 | 4.04 |
| Sub-total | **176.44** | **103.47** |
| Utilised: | | |
| For Employee's Benefits - Leave encashment | 200.68 | 0.00 |
| For Employee's Benefits -Gratuity | 329.89 | 0.00 |
| Diff. in Fixed Assets | 0.00 | 0.00 |
| Provision for rent | 0.00 | 0.00 |
| Sub-total | **530.57** | **0.00** |
| Closing | | |
| For Employee's Benefits - Leave encashment | 903.42 | 1104.09 |
| For Employee's Benefits -Gratuity | 1871.04 | 2200.93 |
| Diff. in Fixed Assets | 23.13 | 20.52 |
| Provision for rent | 182.98 | 9.15 |
| **Total** | **2980.57** | **3334.69** |

**16. Deferred Tax liabilities**

| | | |
|---|---|---|
| Fair Value of Land | 16417.52 | 15841.52 |
| Fair Value of Investment in HFL | (15.00) | (80.00) |
| Net Deferred tax liability [Note No.41] | **16402.52** | **15761.52** |

The deferred tax asset has not been recognised as there is no vertual certainity about the future adequate taxable profitability of the company. Also refer Note No.41.

**17. Dues to preference share holder**

| | | |
|---|---|---|
| Opening Balance | 27000.00 | 27000.00 |
| Increase/(decrease) during the year | 0.00 | 0.00 |
| Closing balance | **27000.00** | **27000.00** |

Note

1. The preference shareholders have no voting rights.

2. The Government of India had released earlier in the year 2006-07 Rs.27000 Lakh (for financial restructuring Rs. 25000 Lakh and Caustic Soda Plant recommissioning Rs. 2000 Lakh) against allotment of 8% Non-Cumulative Redeemable Preference Shares, thereby broadening the capital base as per the revival scheme. The 8% Preference Shares were allotted to Government of India by the Board on 28th January, 2008, redeemable @ 20% commencing from 4th year with last redemption in the 8th year (ie.2015-16). At the request of the Company, Government of India had extended the commencement of redemption from financial year 2011-12 to financial year 2015-16 @ 25% each year. Government of India, had granted extension of redemption, subject to payment of interest @ 1.5 % pa, on the total amount of Rs.27000 Lakh and an amount of Rs.405 Lakh has been provided in the books of accounts during the year. Further interest @1 % is payable for default in repayment and accordingly interest amount of Rs.270 Lakh has been provided during the year.

**18. Trade payables**

| Description | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
|---|---|---|
| Current - Trade Payables | | |
| i) Outstanding dues of micro and small enterprises | 55.50 | 21.03 |
| ii) Outstanding dues of other than micro and small enterprises | 4096.34 | 1626.99 |
| | **4151.84** | **1648.02** |
| Amount due to Micro, Small and Medium enterprises: | | |
| a) i) Principal amount remaining unpaid as at the end of each accounting year | 55.50 | 21.03 |
| ii) Interest due thereon | 0.00 | 0.00 |
| iii) Interest due and payable for the period of delay in payment | 0.00 | 0.00 |
| iv) Interest accrued and remaining unpaid | 0.00 | 0.00 |
| v) Interest due and payable even in suceeding years | 0.00 | 0.00 |

b) Dues to Micro, Small and medium enterprises have been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information collected by the Management. All the dues to them are paid within due date and there is no overdue amount as on the closing date.

Trade payable ageing schedule

| Particulars | Not due | Outstanding for following periods from due date periods | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Less than 1 year | 1 -2 years | 2 -3 years | More Than 3 years | |
| Current Year | 2021-22 | | | | | |
| i) MSME | 55.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.50 |
| ii) Others | 3996.68 | 4.74 | 2.40 | 24.66 | 62.86 | 4091.34 |
| iii) Disputed dues - MSME | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| iv) Disputed dues : Others | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| | **4052.18** | **4.74** | **2.40** | **24.66** | **67.86** | **4151.84** |
| Previous year | 2020 -21 | | | | | |
| i) MSME | 21.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.03 |
| ii) Others | 1503.57 | 10.20 | 38.71 | 1.51 | 68.00 | 1621.99 |
| iii) Disputed dues - MSME | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| iv) Disputed dues : Others | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| | **1524.60** | **10.20** | **38.71** | **1.51** | **73.00** | **1648.02** |

**19. Other Current financial liabilities**

| Description | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
|---|---|---|
| Current maturities of Long term debt: | | |
| Current maturities of Govt loan | **7695.09** | **8187.29** |
| Total Borrowings | 7695.09 | 15882.38 |
| Less: Amount clubbed under "other current financial liabilities | 7695.09 | 8187.29 |
| Other payables | 0.00 | 0.00 |
| Non-current Borrowings (Net) | **0.00** | **7695.09** |
| Aggregate Secured loans | 0.00 | 0.00 |
| Aggregate Unsecured loans | 7695.09 | 15882.38 |

Note:

i) There is a continuing default in repayment of loan from Government of India since the year 2009-10 and the overdue amount towards principal is Rs.37561.37 Lakh (previous year Rs.30778.08 Lakh) and for interest accrued is Rs.32168.06 Lakh (previous year Rs.26972.25 Lakh), these amounts are shown under 'Other Current Liabilities'. Rs.7695.09 Lakh (previous year Rs.8187.29 Lakh) maturing in next 12 months is shown under Other Current financial Liabilities as 'current maturity of long-term borrowings'. The Company has during the year repaid loan overdue Principal amounts of Rs.1404.00 Lakh (previous year Rs.1556.00 Lakh).

**Note no.19a Details of Loan from Govt. of India as on 31.03.2022**

| Sl. No. | Govt. Sanction No. | Purpose | Date of Sanction Date | Date of drawal | Rate of Interest | No. of installments | Loan Amt. as on 31.03.2022 | Instalments due upto 31.03.2022 | Total Interest upto 31.03.2022 | Interest overdue upto 31.03.2022 | Current maturity of loan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Note No.24 (i) | | Note No.24 (v) | Note No.21 |
| 1 | 51/11/2009-Ch.III | For various projects in Kochi unit. | 01.12.2009 | 15.12.2009 | 11.50% | 5 | 660.00 | 660.00 | 933.05 | 910.80 | |
| 2 | 51/11/2009-Ch.III | -do- | 20.01.2010 | 22/01/2010 | 11.50% | 5 | 843.00 | 843.00 | 1181.67 | 1163.34 | |
| 3 | P.51012/01/2012-32 | For various projects | 12.09.2012 | 18/09/2012 | 11.50% | 5 | 1760.00 | 1760.00 | 1929.73 | 1821.60 | |
| 4 | P.51012/4/2013-32-Ch.III | For payment of interest on HOCL Bonds series XX with GoI guarantee. | 07.09.2015 | 10/09/2015 | 11.50% | 5 | 1057.00 | 1057.00 | 796.93 | 729.33 | |
| 5 | P.51012/4/2013-32-Ch.III | For payment of interest on HOCL Bonds series XX & XXI with GoI guarantee. | 22.09.2016 | 27/09/2016 | 11.00% | 5 | 2461.00 | 2461.00 | 1491.50 | 1353.55 | 0.00 |
| 6 | P.51012/4/2013-32-Ch.III | For payment of interest on HOCL Bonds series XX with GoI guarantee. | 02.08.2017 | 07/08/2017 | 11.00% | 5 | 1057.00 | 845.60 | 540.58 | 465.08 | 211.40 |
| 7 | P.51012/4/2013-32-Ch.III | For repayment of principal HOCL Bonds series XX with GoI guarantee. | 11.08.2017 | 14/08/2017 | 11.00% | 5 | 10000.00 | 8000.00 | 5093.15 | 4400.00 | 2000.00 |
| 8 | P.51012/4/2013-32-Ch.III | For repayment of principal and interest on HOCL Bonds series XXI with GoI guarantee. | 12.09.2017 | 19/09/2017 | 11.00% | 5 | 16392.46 | 13113.97 | 8171.08 | 7212.68 | 3278.49 |
| 9 | P.51012/4/2013-32-Ch.III | For payment of statutory dues related to employees and other. | 28.09.2017 | 29/09/2017 | 11.00% | 5 | 11026.00 | 8820.80 | 5462.85 | 4851.45 | 2205.20 |
| | Interest outstanding on secured loan from Govt. of India (Secured by Fixed assets). The principal of loan have been fully paid. | | | | | | | | 3329.41 | 3329.41 | |
| | Interest outstanding on unsecured loan from Govt. of India. The principal of loan have been fully paid. | | | | | | | | 5930.82 | 5930.82 | |
| | **Total** | | | | | | **45256.46** | **37561.37** | **34860.77** | **32168.06** | **7695.09** |

**Note: The loan amount of Rs.45256.46 lakhs are unsecured loans (Previous year total loan amount was Rs.46660.46 Lakhs).**

**20. Short Term Provisions**

| Description | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
|---|---|---|
| Opening | | |
| i) for Employee Benefits (Leave encash.) | 316.15 | 370.65 |
| ii) for Employee Benefits (Gratuity) | 77.31 | 79.14 |
| iii) for Employee remuneration | 20.81 | 20.81 |
| iv) for Statutory Claims | 6.08 | 60.10 |
| v) for Interest to others-PS | 4860.00 | 4185.00 |
| vi) for Penal Interest | 850.00 | 1032.06 |
| Sub-total | **6130.35** | **5747.76** |
| Arising during the year | | |
| i) for Employee Benefits (Leave encash.) | 77.39 | 201.92 |
| ii) for Employee Benefits (Gratuity) | 41.19 | 77.31 |
| iii) for Employee remuneration | 0.00 | 0.00 |
| iv) for Statutory Claims | 14.60 | 0.00 |
| v) for Interest to others-PS | 675.00 | 675.00 |
| vi) for Penal Interest | 0.00 | 0.00 |
| Sub-total | **808.18** | **954.23** |
| Utilised | | |
| i) for Employee Benefits (Leave encash.) | 79.09 | 256.43 |
| ii) for Employee Benefits (Gratuity) | 52.66 | 79.14 |
| iii) for Employee remuneration | 0.00 | 0.00 |
| iv) for Statutory Claims | 6.08 | 54.02 |
| v) for Interest to others-PS | 0.00 | 0.00 |
| vi) for Penal Interest | 0.00 | 182.06 |
| Sub-total | **137.83** | **571.64** |
| Closing | | |
| i) for Employee Benefits (Leave encash.) | 314.45 | 316.15 |
| ii) for Employee Benefits (Gratuity) | 65.83 | 77.31 |
| iii) for Employee remuneration | 20.81 | 20.81 |
| iv) for Statutory Claims | 14.60 | 6.08 |
| v) for Interest to others-PS | 5535.00 | 4860.00 |
| vi) for Penal Interest | 850.00 | 850.00 |
| Total | **6800.69** | **6130.35** |

During the year the Company has made provision in respect of Damages/Penalty/Penal interest and the total cumulative provision is given below.

a. Interest (1.5 %) on Preference Share (Rs.270 Crore) postponement of redemption for 4 year Rs.405 lakhs.

b. Interest on default in repayment of Preference Share Capital @ 1 % Rs.270 lakhs per year.

Total impact on account of the above is Rs.675 Lakhs per year.

**21. Other current liabilities**

| | | |
|---|---|---|
| i) Loan overdue- Loan from Government of India | 37561.37 | 30778.08 |
| ii) Advances from customers | 412.81 | 415.11 |
| iii) Deposits from Vendors / Customers | 209.09 | 199.36 |
| iv) Interest accrued but not due (on GoI Loan) | 2692.72 | 2790.87 |
| v) Interest accrued and due (on GoI Loan) | 32168.06 | 26972.18 |
| vi) Statutory Liabilities | 232.92 | 544.19 |
| vii) Employee related liabilities | 130.79 | 125.54 |
| viii) Payroll Recoveries Payable | 20.59 | 37.25 |
| ix) Other Liabilities | 1630.54 | 1647.81 |
| **Others - total** | **75058.89** | **63510.39** |

**22. Revenue from operations - Sale of products (Manufactured)**

| Description | Year ended 31.03.2022 | Year ended 31.03.2021 |
|---|---|---|
| Revenue disaggregation by class of products | | |
| Phenol | 29931.04 | 21037.77 |
| Acetone | 9341.88 | 17577.08 |
| Hydrogen Peroxide | 2542.01 | 822.53 |
| H. E. of Cumene | 867.79 | 1150.69 |
| Cumox Oil | 684.67 | 569.73 |
| Sale value of Products : Total | **43367.39** | **41157.80** |

**23. Other income**

| | | |
|---|---|---|
| Direct income: | | |
| Sale of Scrap | 2.85 | 36.88 |
| Sub-total | **2.85** | **36.88** |
| Interest income on | | |
| On Call and Term Deposits (Gross) | 672.82 | 702.87 |
| On Advances and Deposits with KSEB and others | 112.51 | 21.39 |
| On loan to Subsidiary Company | 63.62 | 63.62 |
| Delayed payment & Finance charges from trade receivable | 0.78 | 41.66 |
| Sub-total | **849.73** | **829.54** |
| Other non-operating income | | |
| Estate Rent | 78.58 | 53.16 |
| Transport, Water, Electricity,etc. recoveries | 7.46 | 2.83 |
| Sale of Tender Forms | 0.00 | 0.11 |
| Exchange rate Diff - Gain | 0.00 | 0.00 |
| Excess provision written back | 2143.56 | 936.23 |
| Profit on Sale of Assets | 0.00 | 15.96 |
| Miscellaneous Income | 60.55 | 86.58 |
| Sub-total | **2290.15** | **1094.87** |
| Total | **3142.73** | **1961.29** |
| Reversal of Excess Provision w/ back include the following: | | |
| 1. Excess provision written back-GAIL LNG | - | 790.96 |
| 2. Reversal of excess provision for DPC of EPS (Rasayani) | - | 91.02 |
| 3. Reversal of excess provision for doubtful debts | 1.43 | 1.11 |
| 4. Provision no longer required in various cases | - | 53.14 |
| 5. Excess Provision written back HFL | 2122.35 | - |
| 6. Excess Provision written back-Stores & Spares | 19.78 | - |
| Total | **2143.56** | **936.23** |

1. Miscellaneous income relating to 2020-21 Rs.33.72 lakhs has been incorrectly accounted due to error as such the comparative amount for the year 2020-21 is restated as per Ind As 8 .

(a) Nature of the prior perid error : Miscellaneous Income

(b) Amount of correction : Rs.33.72 lakhs

(c) Financial line item affected: Note No.23 (Miscellaneous Income)

2. Miscellaneous income relating to 2019.20 Rs.5.04 lakhs has been incorrectly accounted due to error as such the comparative amount has been restated in the opening retained earnings as on 01.04.2021.

(a) Nature of the prior perid error : Miscellaneous Income

(b) Amount of correction : Rs.5.04 lakhs

(c) Financial line item affected: Note No.23 (Miscellaneous Income)

**24. Cost of raw material and components consumed**

| Description | Year ended 31.03.2022 | Year ended 31.03.2021 |
|---|---|---|
| Inventory at the beginning of the year | 1281.06 | 515.89 |
| Add: Purchases | 28298.17 | 20870.28 |
| Less: inventory at the end of the year | 1699.53 | 1281.06 |
| Cost of raw material and components consumed | **27879.70** | **20105.11** |

**25. Changes in Inventories of Finished Goods and WIP**

**(Increase) / Decrease in inventory**

| Description | Year ended 31.03.2022 | Year ended 31.03.2021 |
|---|---|---|
| Inventories at the beginning of the year | | |
| (i) Stock-in-Process | 960.65 | 835.12 |
| (ii) Stock for Captive consumption | 87.91 | 138.14 |
| (iii) Main Products | 900.63 | 952.58 |
| (iv) By Products | 19.21 | 97.13 |
| Sub-total | **1968.40** | **2022.97** |
| Inventories at the end of the year | | |
| (i) Stock-in-Process | 1133.84 | 960.65 |
| (ii) Stock for Captive consumption | 571.60 | 87.91 |
| (iii) Main Products | 1659.54 | 900.63 |
| (iv) By Products | 34.20 | 19.21 |
| Sub-total | 3399.18 | 1968.40 |
| Changes in Inventories of finished goods and work in progress | **(1430.78)** | **54.57** |

**26. Employee benefits expense**

| Description | Year ended 31.03.2022 | Year ended 31.03.2021 |
|---|---|---|
| a) Salary, Wages and allowances | 3284.33 | 3370.44 |
| b) Company's contribution to Provident Fund and Other funds | 326.28 | 336.64 |
| c) Gratuity payment including premium for Group Gratuity- cum-Life assurance scheme | 167.67 | 201.43 |
| d) Provision for Leave Encashment | 279.77 | 266.09 |
| e) Staff welfare expenses | | |
| Medical amenities | 121.03 | 86.48 |
| Canteen and Nutrition amenities | 262.63 | 258.94 |
| Other welfare expenses | 33.13 | 49.72 |
| Sub-total | **416.79** | **395.14** |
| Voluntary Retirement benefits (VRS &VSS) | 45.51 | 0.00 |
| | **4520.35** | **4569.74** |
| Sub-total | 3399.18 | 1968.40 |
| Changes in Inventories of finished goods and work in progress | **(1430.78)** | **54.57** |

The Company had announced a VRS Scheme on 20.02.2017 which was kept open for one month initially and further extended by another 15 days. One employee who was opted for VRS scheme was retained for restructuring procees was relieved during the year 2021-22.

Leave encashment relating to 2019.20 Rs.12.66 lakhs has been incorrectly accounted due to error as such the comparative amount has been restated in the opening retained earnings as on 01.04.2021.

(a) Nature of the prior perid error : Leave encashment

(b) Amount of correction : Rs.12.66 lakhs

'(c) Financial line item affected: Note No.26 (Employee benefit expense)

**27. Finance costs**

| Description | Year ended 31.03.2022 | Year ended 31.03.2021 |
|---|---|---|
| Interest: | | |
| On Fixed Loans (Govt. Loan) | 5097.73 | 5296.14 |
| On Other Loans | 0.00 | 0.00 |
| Interest - Others | 10.10 | 30.82 |
| | 5107.83 | 5326.96 |
| Other Borrowing Cost-Bank charges | 26.34 | 9.50 |
| Total finance costs | **5134.17** | **5336.46** |

**28. Depreciation and amortization expense**

| Description | Year ended 31.03.2022 | Year ended 31.03.2021 |
|---|---|---|
| Depreciation of tangible assets | 108.34 | 115.56 |
| Amortization of intangible assets | 8.03 | 5.23 |
| Total | **116.37** | **120.79** |

**29. Other expenses**

| Description | Year ended 31.03.2022 | Year ended 31.03.2021 |
|---|---|---|
| Consumption of Stores and Spares | | |
| i) Catalyst and Chemicals | 340.70 | 367.49 |
| ii) Consumable stores | 342.14 | 257.56 |
| iii) Packing materials | 484.16 | 360.34 |
| | **1167.00** | **985.39** |
| Utilities | | |
| Power | 1671.16 | 1766.28 |
| Fuel | 5988.21 | 5162.90 |
| Water | 219.29 | 214.52 |
| | **7878.66** | **7143.70** |
| Repairs & Maintenance: | | |
| Building | 140.78 | 109.19 |
| Plant and Machinery | 383.89 | 195.43 |
| Other Assets | 132.62 | 160.51 |
| | **657.29** | **465.13** |
| Administration Expenses: | | |
| Rent | 72.09 | 17.02 |
| Insurance | 206.44 | 213.27 |
| Rates and taxes | 464.36 | 370.86 |
| Consultancy charges | 104.06 | 72.00 |
| Payment to Auditors: | | |
| For Statutory audit | 4.60 | 5.60 |
| For Other audits | 1.60 | 1.40 |
| For Reimb. of Expenses | 0.76 | 0.85 |
| Other expenses: | | |
| Power for Township | 16.80 | 16.87 |
| Water for Township | 21.87 | 18.26 |
| Security Expenses | 269.62 | 237.62 |
| Advertisement Expenses | 6.38 | 5.21 |
| Hire of Vehicles Expenses | 24.48 | 23.82 |
| Loss on Sale / Disposal of Assets | 0.00 | 4.09 |
| Other Misc. Exp. | 90.51 | 129.04 |
| | **1283.57** | **1115.91** |
| Selling and distribution expenses: | | |
| Cash Discount | 753.18 | 786.44 |
| Other Selling expenses | 0.00 | 0.06 |
| | **753.18** | **786.50** |
| Provisions: | | |
| Provision for Doubtful Debts | 16.77 | 40.80 |
| Provision for Statutory claims | 0.00 | 44.04 |
| Provision for Penal interest | 675.00 | 675.00 |
| Provision for Unidentified assets | 2.61 | 16.79 |
| Provision for doubtful receipt | 180.70 | 62.05 |
| | **875.08** | **838.68** |
| **Total** | **12614.78** | **11335.31** |

**Notes**:

1. An amount of Rs.22.64 lakhs excess provided towards Rates & Taxes during the year 2020-21 due to error as such the comparative amount for the year 2020-21 is restated as per Ind As 8
   (a) Nature of the prior perid error : Rates & Taxes
   (b) Amount of correction : Rs.22.64 lakhs
   (c) Financial line item affected: Note No.29 (Rates & Taxes))
2. An amount of Rs.21.14 lakhs excess provided towards Rates & Taxes during the year 2019-20 due to error as such the comparative amount for the year 2019-20 is restated in the opening retained rearnings as per Ind As 8
   (a) Nature of the prior perid error : Rates & Taxes
   (b) Amount of correction : Rs.21.14 lakhs
   (c) Financial line item affected: Note No.29 (Rates & Taxes))
3. An amount of Rs.0.06 lakhs excess provided towards Hire charges during the year 2019-20 due to error as such the comparative amount for the year 2019-20 is restated in the opening retained earnings as per Ind As 8
   (a) Nature of the prior perid error : Hire charges
   (b) Amount of correction : Rs.0.06 lakhs
   (c) Financial line item affected: Note No.29 (Hire charges))
4. An amount of Rs.6.44 lakhs short provided towards Miscellaneous Expense during the year 2020-21 due to error as such the comparative amount for the year 2020-21 is restated as per Ind As 8
   (a) Nature of the prior perid error : Miscellaneous Expense
   (b) Amount of correction : Rs.6.44 lakhs
   (c) Financial line item affected: Note No.29 (Miscellaneous Expense))
5. An amount of Rs.3.73 lakhs short provided towards Hire charges during the year 2019-20 due to error as such the comparative amount for the year 2019-20 is restated in the opening retained earnings as per Ind As 8
   (a) Nature of the prior perid error : Miscellaneous Expense
   (b) Amount of correction : Rs.3.73 lakhs
   (c) Financial line item affected: Note No.29 (Miscellaneous Expense))

**30 EMPLOYEES BENEFIT PLAN:**

**A. Provision for leave encashment**

The Company has made a provision and levied Rs.1217.87 Lakh (previous year Rs.1420.24 lakh) for leave encashment as on 31st March, 2022, as per the Ind AS-19 based on Actuarial Valuation and the unpaid amount of leave encashment claims submitted by the employees.

**B. Provident fund**

Employees receive benefits from the provident fund managed by the Company upto 30th June 2018. From 1st July 2018 onwards the Company has transferred the Provident fund accounts of all employees to Employees Provident Fund Organisation (EPFO) and managed by EPFO. The employee and employer each make monthly contributions to the Provident Fund/Pension Fund plan equal to 12% of the employees' salary/wages.

**C. Gratuity**

Gratuity plan is governed by the Payment of Gratuity Act, 1972 and employee who has completed five years of service is entitled to gratuity and the level of benefits provided depended on the member's length of service and salary at retirement age. The Employees' Gratuity Fund Scheme, which is a defined benefit plan, is managed by the Trust through an Annuity Scheme maintained with Life Insurance Corporation of India (LIC). The balance fund available with LIC is Rs.1490.18 lakh (Previous year Rs.625.73 lakh) and depoist with ICICI Bank Rs.0.43 lakh (Previous year Rs. 0.25 lakh)

| 1. Funded Status of the plan | | Rs. in Lakh |
|---|---|---|
| **Particulars** | **As at 31.03.2022** | **As at 31.03.2021** |
| Present value of funded obligations | 1936.87 | 2278.24 |
| Fair value of plan assets | (1490.61) | (625.98) |
| Net Liability (Asset) | 446.26 | 1652.26 |

| 2a. Profit and loss account for current period | | Rs. in Lakh |
|---|---|---|
| **Particulars** | **As at 31.03.2022** | **As at 31.03.2021** |
| Current Service Cost | 77.30 | 78.41 |
| Past Service cost and loss/gain on curtailments and settlement | 0.00 | 0.00 |
| Net Interest cost | 90.36 | 123.02 |
| Total included in 'Employee Benefit Expense' (P&L) | 167.66 | 201.43 |

| 2b. Other Comprehensive Income for the current period | | Rs. in Lakh |
|---|---|---|
| **Particulars** | **As at 31.03.2022** | **As at 31.03.2021** |
| Components of actuarial gain/losses on obligations: | | |
| Due to Change in financial assumptions | (77.19) | 68.22 |
| Due to change in demographic assumption | 0.00 | 0.00 |
| Due to experience adjustments | 53.39 | (24.18) |
| Return on plan assets excluding amounts included in interest income | (17.19) | (12.94) |
| Amounts recognized in Other Comprehensive Income | (40.99) | 31.10 |

| 3. Reconciliation of defined benefit obligation | | Rs. in Lakh |
|---|---|---|
| **Particulars** | **As at 31.03.2022** | **As at 31.03.2021** |
| Opening Defined Benefit Obligation | 2278.24 | 2278.38 |
| Transfer in/(out) obligation | 0.00 | 0.00 |
| Current service cost | 77.30 | 78.41 |
| Interest Cost | 113.68 | 123.02 |
| Components of actuarial gain/losses on obligations: | | |
| Due to Change in financial assumptions | (77.18) | 68.22 |
| Due to change in demographic assumption | 0.00 | 0.00 |
| Due to experience adjustments | 53.39 | (24.18) |
| Past Service Cost | 0.00 | 0.00 |
| Loss(gain) on curtailments | 0.00 | 0.00 |
| Liabilities Extinguished on settlement | 0.00 | 0.00 |
| Liabilities assumed in an amalgamation in the nature of purchase | 0.00 | 0.00 |
| Exchange diffeences on foreign plans | 0.00 | 0.00 |
| Benefits paid | (508.55) | (245.61) |
| Closing defined benefit Obligation | 1936.88 | 2278.24 |

| 4. Reconciliation of plan Assets | | Rs. in Lakh |
|---|---|---|
| | **As at 31.03.2022** | **As at 31.03.2021** |
| Opening value of plan assets | 625.98 | 15.34 |
| Transfer in (out) plan assets | 0.00 | 0.00 |
| Expenses deducted from the fund | 0.00 | 0.00 |
| Inerest Income | 23.32 | 0.00 |
| Return on plan assets excluding amounts included in interest income | 17.20 | 12.94 |
| Assets distributed on settlements | 0.00 | 0.00 |
| Contributions by employer | 1280.00 | 597.70 |
| Assets acquired in an amalgamation in the nature of | | |
| purchase | 0.00 | 0.00 |
| Exchange rate differences on foreign plans | 0.00 | 0.00 |
| Benefits paid | (455.89) | 0.00 |
| Closing value of plan assets | 1490.61 | 625.98 |

| 5. Reconciliation of net defined benefit liability | | Rs. in Lakh |
|---|---|---|
| | **As at 31.03.2022** | **As at 31.03.2021** |
| Net opening provision in books of accounts | 1652.26 | 2263.05 |
| Transfer in (out) obligation | 0.00 | 0.00 |
| Transfer (in) out plan assets | 0.00 | 0.00 |
| Employee benefits Expense as per Annexure 2 | 167.66 | 201.43 |
| Amounts recognized in other comprehensive income | (40.99) | 31.10 |
| | 1778.93 | 2495.58 |
| Benefits paid by the company | (52.66) | (245.62) |
| Benefits settled (Rasayani Unit) | 0.00 | 0.00 |
| Contributions to plan assets | (1280.00) | (597.70) |
| Closing provision in the books of accounts | 446.27 | 1652.26 |

| Reconciliation of Assets Ceiling | | Rs. in Lakh |
|---|---|---|
| | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
| Opening Value of Assets Ceilng | 0.00 | 0.00 |
| Interest on Opening Value of Assets Ceiling | 0.00 | 0.00 |
| Loss/Gain on Assets due to surplus/Deficit | 0.00 | 0.00 |
| Closing Value of Plan Assets Ceiling | 0.00 | 0.00 |

| 6. Composition of the Plan assets | | Rs. in Lakh |
|---|---|---|
| Particulars | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
| | % | % |
| Government of India Seccurities | 0% | 0% |
| State government seccurites | 0% | 0% |
| High Quality Corporate Bonds | 0% | 0% |
| Equity shares of listed companies | 0% | 0% |
| Property | 0% | 0% |
| Special Deposit Scheme | 0% | 0% |
| Policy of Insurance | 100% | 100% |
| Bank Balance | 0% | 0% |
| Other Investments | 0% | 0% |
| Total | 100% | 100% |

| 7. Bifurcation of liability as per schedule III | | Rs. in Lakh |
|---|---|---|
| Particulars | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
| Current liability | 65.83 | 77.30 |
| Non - Current liability | 380.42 | 1574.96 |
| Net Liability | **446.25** | **1652.26** |

| 8.Principle acturial assumptions | | Rs. in Lakh |
|---|---|---|
| Particulars | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
| Discount Rate | 6.40% | 5.60% |
| Salary Growth rate | 7.00% | 7.00% |
| | | |
| Withdrawal rates | 3% at Younger ages | 3% at Younger ages |
| | reducing to 1% at | reducing to 1% at |
| | older ages | older ages |
| Rate of Return on Plan Assets | 6.40 | 5.60% p.a |

| 9. Maturity Profile of Defined Benefit Obligation | | As at 31.03.2022 |
|---|---|---|
| | Cash Flows Rs. In lakh | Distribution (%) |
| Year 1 Cash Flow | 579.48 | 21.3% |
| Year 2 Cash Flow | 202.80 | 7.4% |
| Year 3 Cash Flow | 263.39 | 9.7% |
| Year 4 Cash Flow | 195.97 | 7.2% |
| Year 5 Cash Flow | 189.48 | 6.9% |
| Year 6 to Year 10 | 634.85 | 23.3% |

The future accrual is not considerd in arriving at the above cash flows

The expected contribution for the next year is Rs 65.83 Lakh.

The Average outstanding term of obligations (years) as at valuation date is 4.56 years

| 10.Sensitivity to key assumptions | | Rs. in Lakh |
|---|---|---|
| Particulars | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
| Discount Rate Sensitivity | | |
| Increase by 0.5 % | 1891.72 | 2225.37 |
| (% change) | -2.33% | -2.32% |
| Decrease by 0.5% | 1984.37 | 2333.87 |
| (% change) | 2.45% | 2.44% |
| Salary Growth rate Sensitivity | | |
| Increase by 0.5 % | 1956.58 | 2303.18 |
| (% change) | 1.02% | 1.09% |
| Decrease by 0.5% | 1916.53 | 2251.70 |
| (% change) | -1.05% | -1.16% |
| Withdrawal rate(W R) Sensitivity | | |
| W. R x 110% | 1939.82 | 2280.95 |
| (% change) | 15.00% | 0.12% |
| W. R x 90% | 1933.97 | 2275.61 |
| (% change) | -15.00% | -0.12% |

A description of methods used for sensitivity analysis and its Limitations:

Sensitivity analysis is performed by varying a single parameter while keeping all the other parameters unchanged.

Sensitivity analysis fails to focus on the interrelationship between underlying parameters. Hence, the results may vary if the two or more variables are changed simultaneously.

The method used does not indicate anything about the likelihood of change in any parameter and the extent of the change if any

**Appendix A: Break-up of defined benefit obligation**

| | | Rs. in Lakh |
|---|---|---|
| Particulars | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
| Vested | 1,933.41 | 2,269.01 |
| Non-vested | 3.46 | 9.23 |
| Total | 1,936.87 | 2,278.24 |
| Closing Value of Plan Assets Ceiling | 0.00 | 0.00 |

| Appendix B: Age wise distribution of defined benefit obligation | | Rs. in Lakh |
|---|---|---|
| Age (In years) | DBO | |
| | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
| Less than 25 | - | - |
| 25 to 35 | 13.20 | 16.61 |
| 35 to 45 | 193.73 | 208.81 |
| 45 to 55 | 807.53 | 923.87 |
| 55 and above | 922.41 | 1128.95 |
| Accrued gratuity for Left Employees | - | - |
| Total | **1936.87** | **2278.24** |

| Appendix C: Past service wise distribution of defined benefit obligation | | Rs. in Lakh |
|---|---|---|
| Age (In years) | DBO | |
| | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
| 0 to 4 | 3.46 | 3.75 |
| 4 to 10 | 65.08 | 61.17 |
| 10 to 15 | 162.12 | 165.53 |
| 15 and above | 1706.21 | 2047.79 |
| Accrued gratuity for Left Employees | - | - |
| Total | **1936.87** | **2278.24** |

**MAJOR RISK TO THE PLAN**

**A. Acturial Risk:**

It is the risk that benefits will cost more than expected. This can arise due to one of the following reasons:

Adverse salary growth experience:

Salary hikes that are higher than the assumed salary escalations will result into an increase in obligation at a rate that is higher than expected.

Variability in mortality rates:

If actual mortality rates are higher than assumed mortality rate assumption then the Gratuity Benefits will be paid earlier than expected. Since there is no condition of vesting on the death benefit, the acceleration of cashflow will lead to an actuarial loss or gain depending on the relative values of the assumed salary growth and discount rate.

Variability in withdrawal rates:

If actual withdrawal rates are higher than assumed withdrawal rate assumption then the Gratuity Benefits will be paid earlier than expected. The impact of this will depend on whether the benefits are vested as at the resignation date.

**B. Investment Risk**

For funded plans that rely on insurers for managing the assets, the value of assets certified by the insurer may not be the fair value of instruments backing the liability. In such cases, the present value of the assets is independent of the future discount rate. This can result in wide fluctuations in the net liability or the funded status if there are significant changes in the discount rate during the inter-valuation period.

**C. Liquidity Risk** :

Employees with high salaries and long durations or those higher in hierarchy, accumulate significant level of benefits. If some of such employees resign/retire from the company there can be strain on the cashflows.

**D. Market Risk:**

Market risk is a collective term for risks that are related to the changes and fluctuations of the financial markets. One actuarial assumption that has a material effect is the discount rate. The discount rate reflects the time value of money. An increase in discount rate leads to decrease in Defined Benefit Obligation of the plan benefits & vice versa. This assumption depends on the yields on the corporate/government bonds and hence the valuation of liability is exposed to fluctuations in the yields as at the valuation date.

**E. Legislative Risk:**

Legislative risk is the risk of increase in the plan liabilities or reduction in the plan assets due to change in the legislation/regulation. The government may amend the Payment of Gratuity Act thus requiring the companies to pay higher benefits to the employees. This will directly affect the present value of the Defined Benefit Obligation and the same will have to be recognized immediately in the year when any such amendment is effective.

The Summary of the assumptions used in the valuations is given below:

**Financial Assumptions (Table 9)**

| Particulars | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
|---|---|---|
| Discount rate | 6.40% p.a | 5.60% p.a |
| Salary Growth rate | 7.00% p.a | 7.00% p.a |
| Rate of Return on Plan Assets | 6.40% p.a | 5.60% p.a |

**Demographic Assumptions**

**Withdrawal rates p.a (Table 10)**

| Age Band | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
|---|---|---|
| 25 and below | 3.00% | 3.00% |
| 25 to 35 | 2.50% | 2.50% |
| 35 to 45 | 2.00% | 2.00% |
| 45 to 55 | 1.50% | 1.50% |
| 55 and above | 1.00% | 1.00% |

**Mortality rates**

Sample rates p.a of Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Table 11

| Age (In years) | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
|---|---|---|
| 20 | 0.09% | 0.09% |
| 30 | 0.10% | 0.10% |
| 40 | 0.17% | 0.17% |
| 50 | 0.44% | 0.44% |
| 60 | 1.12% | 1.12% |

Method of Valuation

Actuaries has used projected unit credit (PUC) Method to value the Defined benefit obligation.

**31 PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT**

a) Originally the Rasayani unit of the Company was in possession of land admeasuring 1012.355 acres (as per revenue records). Out of the said land, 251 acres were sold to BPCL and 20 acres were sold to ISRO during the year 2017-18, 38.687 acres were sold to BPCL in the year 2018-19. In the year 2019-20, 85.27 acres of land sold to BPCL and 0.386 acre was sold to IOCL (Petrol pump area). Out of the balance land of 65.840 acres, 22.717 acres has been idenitified as encroached, 32.547 acres in possession of MIDC, MSEB, HIL, MES etc, and 10.576 acres of public road, considered at Nil value. The said encroachment has been determined on the basis of the survey carried out by the company through M/s. The Geo Tek vide their report dated April 24, 2019. The balance 551.172 acres (Previous year 551.172 acres) of land has been revalued at the ready recknor rate or the agreed rate of sale to BPCL valuing to Rs.832.95 Crore (Previous year Rs. 832.95 Crore).

b) As per the communication received from Municipal commissioner Panvel, regarding the actual area of plot No.11 & 12 of survey No.738 on which there is a public road passing through and thereby the total area of Panvel land available for sale has reduced from 8 acre to 7.09 acre. Accordingly the reserve price (fair value) has been reduced to Rs.158 crore. Further HOCL has applied for NOC from govt. of Maharashtra for sale of land which is yet to be received.

c) The company is in the process of implementation of the Govt. Approved restructuring plan vide order dated May 22, 2017, the company has closed the Rasayani Unit, plant and equipment scrapped has been disposed off. Sale of unencumbured land in Rasayani through NBCC and Panvel land through e-auction are in progress. The Phenol plant at Kochi is in operation.

**32 INVESTMENT**

a) The Company has an investment of Rs.1106.00 lakh (previous year Rs.1106.00 lakh) in the equity share of subsidiary company M/s. Hindustan Fluorocarbons Ltd. (HFL) which is under BIFR since 1994. The net worth of the Company based on its latest audited balance sheet as at 31st March, 2022 is negative. Market value of the shares (face value Rs.10) as on 31.03.2022 was Rs.9.57 (Previous year Rs.7.54 lakh). Provision has been made in the books towards diminution in the value of these investments amounting to Rs.47.56 lakh (Previous year Rs.272.08 lakh). Government of India has decided to close down M/s.HFL as per CCEA decision on 29.01.2020. An amount of Rs.75.87 crore (Rs.73.70 crore on 26.05.2020 and Rs.2.17 crore on 15.03.2022) has been released by Government of India as interest free loan to meet the VRS expenses and for clearing dues to Bank and suppliers.

b) During the year 2007-08, the Modified Draft Rehabilitation Scheme (MDRS) for revival of subsidiary - Hindustan Flurocarbon Ltd. (HFL) was approved by BIFR for implementation. As part of implementation of MDRS, HOCL had waived interest of Rs.2260.26 lakh accumulated on loan given to HFL and converted the unsecured loan amounting to Rs.2744.07 lakh as Zero Coupon Loan (ZCL), into secured loan by on HFL creating first charge on immovable property (land 84.31 acre valued to the extent of Rs. 2035.25 lakh as per Govt. rate) in favour of HOCL. This loan was payable in 7 equal annual instalments commencing from 2010-11, aggregating to Rs.2744.07 lakh (Previous year Rs.2744.07 lakh) which has become due and payable in full. Further, the Company had given loans to HFL aggregating to Rs. 453.01 lakh (Previous Year Rs. 453.01 lakh) 10.25% to 14.50% which has become payable in full. This loan is also secured by first charge on the HFL immovable property. A provision was made for the shortfall in the security to the extent of Rs.2122.34 lakh including interest as on 31st March, 2021. As per the valuation report by an external registered independent valuer having professional qualification the value of the secured property is Rs.10196.76 lakh as on date. Therefore, the provision of Rs.2122.35 lakh provided in the books is reversed on 31.03.2022.

c) The company has entered into an agreement on 16.10.2006 to lease the school infrastructure facilities to M/s.Mahatma Education Society (MES) for managing the school for a period of 30 years. The management of MES in order to start professional courses has constructed new buildings and facilities in the premises in contravention of the terms of agreement. The company has sent a notice for termination as per the tems of the agreement to M/s.MES. M/s.MES has filed a petition challenging the termination notice in the Dist. Magistrates Court Alibag. MES has filed petition in the Bombay High Court for appointment of Arbitrator in the dispute between HOCL and MES. The District Court has granted stay pending the final disposal of the Arbitration petition of MES. Company has filed a petition to vacate the stay granted by the District Court in the Bombay High Court.

**33 EARNING PER SHARE**

| Earnings per share has been calculated as follows: | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
|---|---|---|
| Net Profit/(Loss) after Tax ( Rs. in lakh ) | (2324.47) | 1597.11 |
| Weighted average number of equity shares | 67173100 | 67173100 |
| Nominal Value per equity share ( Rs. ) | 10.00 | 10.00 |
| Basic / Diluted Earning per equity share ( Rs. ) | (3.46) | 2.38 |

**34 SEGMENT REPORTING.**

Since the company is manufacturing only Chemicals, there are no separate reportable primary and secondary segments and all the chemicals manufactured by the company are considered to have been representing as single reportable segment. The requirements of Indian Accounting Standard 108 with regard to disclosure of segmental results are therefore considered not applicable to the company.

**35 BALANCE CONFIRMATION**

Balances of trade receivables, trade payables, loans, advances, other current assets and borrowings are subject to confirmation / reconciliation and subsequent adjustments except in cases where confirmation has been received.

**36 Contingent Liabilities & Commitments**

| i) Contingent Liabilities | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
|---|---|---|
| a) Claims against the Company not Acknowledged as debts: | | |
| i) Income Tax Claims | 91.99 | 492.49 |
| ii) Excise duty / Service tax | 104.63 | 104.63 |
| iii) Gratuity for School teachers | 75.31 | 75.31 |
| iv) Other claims (Legal cases) | 272.90 | 272.90 |
| v) Rental claim Harchandrai House | 5949.98 | 5863.85 |
| vi) JNPT lease rent | 2974.52 | 2974.52 |
| vii) Penal interest on Govt. Loans | 7119.24 | 5940.71 |
| viii) Interest on interest on Govt. Loan | 40113.98 | 32981.28 |
| | **56702.55** | **48705.69** |
| b) Bank Guarantees issued from Banks | 102.19 | 150.07 |
| **ii) Commitments:** | | |
| Estimated amount of Contracts remaining to be executed on capital account and not provided for: | 36.27 | 88.63 |

**a) Claims against the Company not Acknowledged as debts:**

**i) Income Tax Claims: Rs.91.99 Lakh.**

There are various appeals for Assessment years are pending before authorities i.e. ITAT, High Court and other forums. The Company is awaiting for hearing, the details are as follows A Y 2002-03 Rs. 70.49 Lakh and AY 2011-12 Rs.21.50 Lakh.

The above assessments are under disputes at various appellate authorities. The company has not acknowledged the debts and the interest / penalty that would be leviable on the claims are not ascertainable.

**ii) Excise duty / Service tax**

The Company has ongoing disputes with Central excise authorities relating to the period 2006-07, amounting to Rs.104.63 Lakh. Company has filed Appeals at various Tribunals.

The above assessments are under disputes at various appellate authorities. The company has not acknowledged the debts and the interest / penalty that would be leviable on the claims are not ascertainable.

**iii) Gratuity for School teachers**

Case filed by the teaching staff of HOC Rasayani School for the period upto March 1997, pending before Bombay High Court (Rs.75.31 Lakh).

**iv) Other claims (Legal cases): Rs.272.90 Lakh.**

a) Case filed by the Company against the award passed by MAC Tribunel, Trichur in relation to Phenol Tanker accident in 1994 (Rs.118 Lakh)

b) ESI corporation has raised a demand for contribution during the period from 01.04.1992 to 31.10.1992 amounting to Rs.2.17 lakh. The matter is pending with ESI Court, Ernakulam, as desired by the ESI Court we had applied for exemption from ESI Act to the Govt. of India, hence no liability is created and a contingent liability to that extend is provided.

c) The Company had invited open tender for work of construction of "Civil and Structural works for Construction of Plant Building, Technical Service Building, R&D Building, etc of PU System House Project. Company had issued the Work Order to M/s Shetusha Engineers & Constructions Pvt. Ltd. (SECPL). On account of delay and other shortcomings in the completion, company had deducted Liquidated damages. SECPL objected for the said deductions and filed an Arbitration Application before the Hon'ble High Court, Mumbai. Later the M/s SECPL had unconditionally withdrawn the said Arbitration Application from the Court. Further, M/s SECPL had filed Suit before the Hon'ble High Court, Mumbai against the Company for passing the Decree against the Company towards payment of Rs.113.35 Lakh including interest.

d) The Company invoked the peformance gurantee given by M/s Vakharia Construction Company, Mumbai (VCC) to whom civil contracts had been alloted as the contract works were not completed as per the terms of the work order. The matter was referred to arbitration and later went to the High Court. The court ordered the company to deposit Rs.12 lakhs and M/s VCC is allowed to withdraw the amount on submission of bank gurantee. The appeals filed before the Hight Court were dismissed. Now M/s VCC raised demand for bank gurantee commission paid to the bank and interest at the rate of 18% as the money decree passed by the Trial Court in favour of VCC was stayed due to filing civil application by the company. The liability estimated on this is Rs.39.38 lakhs and the matter is pending before court of law and accordingly shown under contigent liabilities.

**v) Rental claim Harchandrai House Rs.5949.98 Lakh**

As the company has not vacated the office premises taken on lease from M/s Harchandrai & Sons as per their notice they initiated legal proceedings and stopped to accept the lease rent. The company vacated the office premises during the year 2014. The rent not accepted by the landlord till the vacation of the office premises amounting to Rs.580.80 lakhs has been provided in the accounts. Landlords filed the Mesne Profit Application before Small Causes Court, Mumbai for Mesne profit for the period from 01/06/2000 to till the possession of the said premises. The Mense profit application filed by M/s.Harchandrai & Sons is allowed by the Court of Small Causes, Mumbai on 02.05.2022 directing the Company to pay the mesne profit @Rs.138/- per sq.ft. for the period from 01/06/2000 to 31/12/2006, for subsequent period @Rs.274/-per sq.ft. together with an interest@9% p.a. The total amount as per Order of Small Causes court, Mumbai for mesne profit for the period from 01/06/2000 to 31/03/2014 and interest thereon works out to Rs.6713.75 lakh. The valuer appointed by HOCL has submitted his report and the average rate is assessed @Rs.48.91 per sq.ft. which is not considered by the Small Causes Court, Mumbai. As per the legal opinion, the company is filing appeal against the Order and the Company is of the opinion that there is uncertainties in crystalisation of demand other than the amount calculated as per the report of the HOCL valuer assessing mesne profit @Rs.48.91 per sq.ft. The amount of mesne profit calculated based on the report of HOCL valuer @Rs.48.91 per sq.ft is Rs.763.78 lakh out of which an amount of Rs.593.97 lakh has already been provided in the books of account for the year 2021-22, hence an additional provision of Rs.169.81 lakh has been provided as on 31.03.2022. The difference amount of Rs.5949.98 lakh (6713.76-763.78) is shown as contingent liability.

**vi) JNPT lease rent: Rs.2974.52 Lakh**

The Company has entered into MoU with Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) to hand over the land alloted to the company for setting up Liquid Tank Farm on lease bais along with assets of the company 'as is where is basis'. The JNPT raised a demand of Rs.4124 lakhs towards lease rentals and other charges. The company has instituted arbitral proceedings and Arbitral Tribunal issed the awared in favour of the company. The assets of the company valued as per the MoU at Rs.1638.50 lakhs and same is agreed . The undisputed amount of lease rent payable by the Company to JNPT was computed on a mutual understanding between the Parties on the basis of arbitral award is Rs. 805.13 lakhs, water charges 0.65 Lakh, way leave charges Rs.297.09 Lakhs and Service tax of way leave charges Rs.46.61 lakhs. The company has shown balance amount of demand of JNPT after adjusting undispute lease rental paid as contingent liability since the appeal filed against the arbitral awards pending for hearing before High Court and the company is of the opinion that no provision is required as there is uncertainities in crystatlisation of demand at this stage of litigation. The registration and handing over of the tank form is still pending.

**vii) Interest at higher rate on Govt. Loans: Rs.7119.24 Lakh and Interest on defaulted interest Govt. Loan 40113.98**

The Government of India reserves the right to raise the rate of interest in respect of loans granted to the company, in case of default of repayment of principal on the due date and also charge interest at rate on default in any of the payment of interest due. As there is default in payment of principal loan as well as interest due thereon, the company, in anticipation that the Government of India may demand higher rate on principal and interest on interest outstanding, arrived the additional interest liability and shown as contingent laibility. As per the balance confirmation given by the Government of India, the interest at the higher rate and interest on defualted interest have not been included.

viii) The amount of claims in respect of legal cases filed against the Company for labour matters relating to regular and retired employees and not acknowledged as debts is not ascertainable.

**b) Bank Guarantees issued Rs.102.19 Lakh**

"The Company has submitted bank guarantees to Kerala State Electricity Board amounting to Rs.101 lakh, BPCL Rs.3500 lakh, OMPL Rs.1000 lakh GAIL Rs.870 lakh and Rs.1.19 Lakh to others. The company does not expect any outflow in respect of the above. Contingent liability and commitments has been shown against bank guarantees issued to KSEB Rs.101 lakh and others Rs.1.19 lakh only."

**II) Estimated amount of Contracts remaining to be executed on capital account and not provided for: Rs.36.27 Lakh**

**Rs. In lakh**

| Work order issued for the following contracts. | **2021-22** | **2020-21** |
|---|---|---|
| a) Tally implementation (Balance amount) | | 13.18 |
| b) 2x15 KVA UPS for Phenol plant | 21.61 | 21.61 |
| c) Laying water supply pipeline to township | | 9.75 |
| d) Restoration charge/Licence fee/ performance guarantee for road cutting permission from concerned authorities | 14.66 | 14.66 |
| e) 60T Weigh bridge | | 18.05 |
| e) EPAPX system | | 5.23 |
| f) 132 KW FLP motor | | 6.16 |
| Total | 36.27 | 88.64 |

**37 Disclosure relating to error or omission as per Ind AS 8**

The following expenditure/income had been incorrectly accounted during the year 2021-22 due to error. The comparative expenditure/income in the financial statement of the year 2020-21 have been restated to correct the errors. The effect of the restatement on the financial statement is summarised below.

**(Rs. In lakh)**

| | **As at 31.03.2022** | **As at 31.03.2021** |
|---|---|---|
| Increase in Other Income (Refer Note 23) | 33.72 | 5.04 |
| Decrease in Other Expenses (Refer Note 29) | 22.64 | |
| Increase in Other Expenses (Refer Note 29) | (6.45) | (1.33) |
| Total | 49.91 | 3.71 |
| Income tax laiblity | - | - |
| (Increase)/decrease in Equity | 49.91 | 3.71 |
| (Increase)/decrease in Earning Per Share | 0.07 | 0.01 |
| (Increase)/decrease in Diluted Earning Per Share | 0.07 | 0.01 |

1. Miscellaneous income relating to 2020-21 Rs.33.72 lakhs has been incorrectly accounted due to error as such the comparative amount for the year 2020-21 is restated as per Ind As 8 .
   (a) Nature of the prior perid error : Miscellaneous Income
   (b) Amount of correction : Rs.33.72 lakhs
   (c) Financial line item affected: Note No.23 (Miscellaneous Income)
2. An amount of Rs.22.64 lakhs excess provided towards Rates & Taxes during the year 2020-21 due to error as such the comparative amount for the year 2020-21 is restated as per Ind As 8
   (a) Nature of the prior perid error : Rates & Taxes
   (b) Amount of correction : Rs.22.64 lakhs
   (c) Financial line item affected: Note No.29 (Rates & Taxes)
3. An amount of Rs.6.45 lakhs short provided towards Miscellaneous Expense during the year 2020-21 due to error as such the comparative amount for the year 2020-21 is restated as per Ind As 8
   (a) Nature of the prior perid error : Miscellaneous Expense
   (b) Amount of correction : Rs.6.45 lakhs
   (c) Financial line item affected: Note No.29 (Miscellaneous Expense)

| | (Rs. In lakh) |
|---|---|
| Opening retained earnings as on 01.04.2021 | (99,497.02) |
| Add: Increase in other income (Note No.23) | 5.04 |
| Less: Increase in leave encashment ( Note No.26) | (12.66) |
| Add: decrease in rates and taxes (Note No.29) | 21.14 |
| Add: Decrease in hire charge(Note No.29) | 0.06 |
| Less: Increase in hire charge(Note No.29) | (3.73) |
| Reinstated retained earnings as on 01.04.2020 | (99,487.17) |

1. Miscellaneous income relating to 2019.20 Rs.5.04 lakhs has been incorrectly accounted due to error as such the comparative amount has been restated in the opening retained earnings as on 01.04.2021.
   (a) Nature of the prior perid error : Miscellaneous Income
   (b) Amount of correction : Rs.5.04 lakhs
   (c) Financial line item affected: Note No.23 (Miscellaneous Income)
2. Leave encashment relating to 2019.20 Rs.12.66 lakhs has been incorrectly accounted due to error as such the comparative amount has been restated in the opening retained earnings as on 01.04.2021.
   (a) Nature of the prior perid error : Leave encashment
   (b) Amount of correction : Rs.12.66 lakhs
   (c) Financial line item affected: Note No.26 (Employee benefit expense)
3. An amount of Rs.21.14 lakhs excess provided towards Rates & Taxes during the year 2019-20 due to error as such the comparative amount for the year 2019-20 is restated in the opening retained rearnings as per Ind As 8
   (a) Nature of the prior perid error : Rates & Taxes
   (b) Amount of correction : Rs.21.14 lakhs
   (c) Financial line item affected: Note No.29 (Rates & Taxes)
4. An amount of Rs.0.06 lakhs excess provided towards Hire charges during the year 2019-20 due to error as such the comparative amount for the year 2019-20 is restated in the opening retained earnings as per Ind As 8
   (a) Nature of the prior perid error : Hire charges
   (b) Amount of correction : Rs.0.06 lakhs
   (c) Financial line item affected: Note No.29 (Hire charges)
5. An amount of Rs.3.73 lakhs short provided towards Hire charges during the year 2019-20 due to error as such the comparative amount for the year 2019-20 is restated in the opening retained earnings as per Ind As 8
   (a) Nature of the prior perid error : Miscellaneous Expense
   (b) Amount of correction : Rs.3.73 lakhs
   (c) Financial line item affected: Note No.29 (Miscellaneous Expense)

38 RELATED PARTY DISCLOSURE AS PER Ind- AS 24

Since Government of India owns 58.78% of the Company's equity share capital (under the administrative control of Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals), the disclosures relating to transactions with the Government and other Government controlled entities have been reported in accordance with para 26 of Ind AS 24.

List of related parties where control exists and also related parties with whom transactions have taken place and relationships:

| Sr. No. | Name of the Related Party Relationship | Relationship | Details of Transaction | Amt. of Transaction during 2021-22 | Outstanding at the end of the year (31.03.2022) | Amt. of Transaction during 2020-21 | Outstanding at the end of the year (31.03.2021) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hindustan Flurocarbon Ltd. (HFL) | Subsidiary company with 56.43% share holding. | Interest on loan given to HFL | 63.62 | 4214.87 | 63.62 | 4157.60 |
| 2a | Bharat Petroleum Corporation Ltd | Controlled by Government of India. | Purchase of Raw materials (LPG, Benzene, FO, H2 & LNG) | 22883.56 | 3051.35 | 21389.53 | 945.93 |
| 2b | Bharat Petroleum Corporation Ltd | Controlled by Government of India. | Sale of Finished Goods (H2O2) | 15.07 | 22.84 | 22.28 | 22.33 |
| 4a | Indian Oil Corporation Limited | Controlled by Government of India. | Purchase of Raw materials (Benzene) | 478.67 | 0.00 | 1825.19 | 0.00 |
| 4b | Indian Oil Corporation Limited | Controlled by Government of India. | Sale of Rasayani land (Petol pump area) | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 |
| 5 | Fertilisers And Chemicals Travancore Limited (FACT) | Controlled by Government of India. | Purchase of Raw materials (Sulphuric acid) | 0.00 | 0.00 | 12.66 | 0.00 |
| Trust constituted by the Company | | | | | | | |
| 6 | HOCL Group Gratuity Trust | -do- | Investment and interest on investment | 1320.93 | 1490.61 | 610.89 | 626.23 |

**REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL**

| | | Short-term employee benefits | Post-term employee benefits | Other long-term benefits | Termination benefits | Share-based payments | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2021-2022** | | | | | | | |
| **A. Remuneration to Whole time Director, Managing Director and/or Manager:** | | | | | | | |
| | Shri. S.B. Bhide, CMD (upto 31.7.21) | 29.91 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.39 |
| | Shri. Sajeev B, CMD (from 6.9.2021) | 20.74 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.19 |
| **B. Remuneration to Other Directors** | | | | | | | |
| i) Govt. Nominee Directors | | | | | | | |
| Shri. Satendra Singh, ASFA (C&F) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Shri. Samir Kumar Biswas, JS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ii) Independent Directors | | | | | | | |
| (Sitting fee paid to NOIDs for attending the Meetings of the Board/Committees) | | | | | | | |
| | Dr. Bharat J. Kanabar | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| | Shri Pratyush Mandal | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| **C. Key Managerial Personnel** | | | | | | | |
| Shri. P.O. Luise, CFO | | 33.97 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.36 |
| Mrs.S.S. Kulkarni,CS (upto 28.02.22) | | 36.45 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.98 |
| Shri. Subramonian H (from 1.3.2022) | | 1.06 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| Total | | 123.33 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.32 |
| | | | | | | | |

| 2020-21 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. Remuneration to Whole time Director, Managing Director and/or Manager:** | | | | | | |
| Shri. S.B. Bhide, CMD | 32.35 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.76 |
| Shri. C.P. Bhatia, DF (upto 05.11.20) | 20.94 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.29 |
| **B. Remuneration to Other Directors** | | | | | | |
| i) Govt. Nominee Directors | | | | | | |
| Ms. Alka Tiwari, AS&FA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Shri. Samir Kumar Biswas, JS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ii) Independent Directors | | | | | | |
| (Sitting fee paid to NOIDs for attending the Meetings of the Board/Committees) | | | | | | |
| Nil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **C. Key Managerial Personnel** | | | | | | |
| Mrs. Susheela S. Kulkarni, CS | 27.82 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.33 |
| Mr. P.O. Luise, CFO (From 06.11.20) | 10.00 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.28 |
| Total | 91.11 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.66 |

Note: In the ordinary course of its business, the Company enters into transactions with other Government controlled entities (not included in the list above). The Company has transactions with other Government-controlled entities,including but not limited to the followings:

Sales and purchases of goods and ancillary materials; Rendering and receiving of services; Receipt of dividends; Loans and advances; Depositing and borrowing money; Guarantees and Uses of public utilities.

These transactions are conducted in the ordinary course of business on terms comparable to those with other entities that are not Government controlled entities.

| | As at 31st March, 2022 | | | | As at 31st March, 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Total | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Total |
| Financial assets : | | | | | | | | |
| Loans | - | - | 3218.09 | 3218.09 | - | - | 2066.14 | 2066.14 |
| Trade Receivables | - | - | 735.12 | 735.12 | - | - | 240.82 | 240.82 |
| Investments | 1058.44 | - | 5.00 | 1063.44 | 833.92 | - | 5.00 | 838.92 |
| Cash and cash equivalents | - | - | 2014.53 | 2014.53 | - | - | 3286.97 | 3286.97 |
| Bank balances other than Cash | | | 11496.20 | 11496.20 | | | 11532.78 | 11532.78 |
| Other Financial Assets | - | - | 1334.04 | 1334.04 | - | - | 393.43 | 393.43 |
| **Total Financial assets** | **1,058.44** | **-** | **18,802.98** | **19,861.42** | **833.92** | **-** | **17,525.14** | **18359.06** |
| Financial liabilities | | | | | | | | - |
| Non Cumulative Preference share | - | - | 27000.00 | 27000.00 | - | - | 27000.00 | 27000.00 |
| Borrowings | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | 7695.09 | 7695.09 |
| Trade payables | - | - | 4151.84 | 4151.84 | - | - | 1648.02 | 1648.02 |
| **Other current financial liabilities** | **-** | **-** | **7695.09** | **7695.09** | **-** | **-** | **8187.29** | **8187.29** |
| **Total Financial liabilities** | **-** | **-** | **38,846.93** | **38,846.93** | **-** | **-** | **44,530.40** | **44530.40** |

**39b. Categories of Financial Instruments**

**A Fair Values hierarchy :**

| | As at 31st March, 2022 | | | | As at 31st March, 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FVTPL | FVOCI | Amortised Cost | Total | FVTPL | FVOCI | Amortised Cost | Total |
| **Financial assets :** | | | | | | | | |
| Loans | - | - | 3218.09 | 3218.09 | - | - | 2066.14 | 2066.14 |
| Trade Receivables | - | - | 735.12 | 735.12 | - | - | 240.82 | 240.82 |
| Investments | - | - | 1063.44 | 1063.44 | - | - | 838.92 | 838.92 |
| Cash and cash equivalents | - | - | 2014.53 | 2014.53 | - | - | 3286.97 | 3286.97 |
| Bank balances other than Cash | - | - | 11496.20 | 11496.20 | - | - | 11532.78 | 11532.78 |
| Other Financial Assets | - | - | 1334.04 | 1334.04 | - | - | 393.43 | 393.43 |
| **Total Financial assets** | **-** | **-** | **19,861.42** | **19,861.42** | **-** | **-** | **18,359.06** | **18,359.06** |
| **Financial liabilities** | | | | **-** | | | | **-** |
| Non Cumulative Preference share | - | - | 27000.00 | 27000.00 | - | - | 27000.00 | 27000.00 |
| Borrowings | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | 7695.09 | 7695.09 |
| Trade payables | - | - | 4151.84 | 4151.84 | - | - | 1648.02 | 1648.02 |
| Other current financial liabilities | - | - | 7695.09 | 7695.09 | - | - | 8187.29 | 8187.29 |
| **Total Financial liabilities** | | | **38,846.93** | **38,846.93** | | | **44,530.40** | **44,530.40** |

**40 Financial risk management**

**i. Market risk**

Market risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. Such changes in the values of financial instruments may result from changes in the foreign currency exchange rates, interest rates, credit, liquidity and other market changes. The Company's exposure to market risk is primarily on account of foreign currency exchange rate risk.

**a) Foreign currency exchange rate risk**

The fluctuation in foreign currency exchange rates may have potential impact on the statement of profit and loss and other comprehensive income and equity, where any transaction references more than one currency or where assets / liabilities are denominated in a currency other than the functional currency of the Company but as company balance in foreign currency hence comapny is not exposed to foreign currecncy exchange rate risk

**b) Interest rate risk**

The Company's investments are primarily in subsidiary through quoted equity share and unquated equity share of other entity therefore none of the investment activity is generating interest out of the investment. Hence, the Company is not significantly exposed to interest rate risk.

**ii. Credit risk**

Credit risk is the risk of financial loss arising from counterparty failure to repay or service debt according to the contractual terms or obligations. Credit risk encompasses of both, the direct risk of default and the risk of deterioration of creditworthiness as well as concentration of risks. Credit risk is controlled by analysing credit limits and creditworthiness of customers on a continuous basis to whom the credit has been granted after obtaining necessary approvals for credit.

Financial instruments that are subject to concentrations of credit risk principally consist of trade receivables, unbilled receivables, investments, cash and cash equivalents, bank deposits and other financial assets, company generating revenue for individually in excess of 10% or more of the Company's revenue for the year ended March 31, 2022 from the below mention customer.

| Name of customer | Amt of revenue | % of total revenue |
|---|---|---|
| Pooja Petro Chemicals | 13276.60 | 31% |
| Sonkamal Enterprises P Ltd | 10446.56 | 24% |
| Ramesh Kumar & Company | 5210.93 | 12% |

**Geographic concentration of credit risk**

Geographical concentration of trade receivables, unbilled receivables (previous year: unbilled revenue) and contract assets is allocated based on the location of the customers.

**iii. Liquidity risk**

Liquidity risk refers to the risk that the Company cannot meet its financial obligations. The objective of liquidity risk management is to maintain sufficient liquidity and ensure that funds are available for use as per requirements.

The company manages liquidity risk by maintaining adequate reserve, banking facilities and reserve borrowing facilities, continuosly monitoring forecast and actual cash flow and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilties.

**41 Deferred Tax**

| For the Year 2021-22 | | | | | | Rs. in Lakh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Opening Balance 01.04.2021 | Recognisable in P & L | Reversal on account of Probability checking of Future Profit | Recognised in P & L | Recognised in OCI | Closing Balance 31.03.2022 |
| Deferred Tax Liability | | | | | | |
| Revaluation of land in Fair Value | 19,897.52 | | | - | 576.00 | 20,473.52 |
| Reversal of deferred tax liability on disposal of revalued of PPE | (4,056.00) | | | - | - | (4,056.00) |
| Fair Value of Investment in HFL | (80.00) | | | | 65.00 | (15.00) |
| | **15,761.52** | | | **-** | **641.00** | **16,402.52** |
| Deferred Tax Asset | | | | | | |
| Depreciation | - | 21.00 | 21.00 | - | - | - |
| Provision for Leave Encashment | **-** | **81.00** | **81.00** | **-** | **-** | **-** |
| Voluntary Retirement Benefits (VRS/VSS) | - | | | - | - | - |
| Provision for Doubtful Debts | - | 5.00 | 5.00 | - | - | - |
| Provision for Doubtful Advances | - | | | - | - | - |
| Provision for Long Term Agreements | - | | | - | - | - |
| Provision for Obsolescence | - | 1.00 | 1.00 | - | - | - |
| Provision for Statutory claims | - | | | - | - | - |
| Accumulated Income tax loss to the extent of deferred tax liability | - | | | - | - | - |
| | **-** | | | **-** | **-** | **-** |
| **Net Deferred tax liability** | **15,761.52** | **108.00** | **108.00** | **-** | **641.00** | **16,402.52** |

| For the Year 2020-21 | | | | | | Rs. in Lakh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Opening Balance 01.04.2020 | Recognisable in P & L | Reversal on account of Probability checking of Future Profit | Recognised in P & L | Recognised in OCI | Closing Balance 31.03.2021 |
| Deferred Tax Liability | | | | | | |
| Revaluation of land in Fair Value | 19,466.52 | | | - | 431.00 | 19,897.52 |
| Reversal of deferred tax liability on disposal of revalued of PPE | (4,044.00) | | | - | (12.00) | (4,056.00) |
| Fair Value of Investment in HFL | (228.00) | | | | 148.00 | (80.00) |
| | **15,194.52** | | | **-** | **567.00** | **15,761.52** |
| Deferred Tax Asset | | | | | | |
| Depreciation | - | 22.00 | 22.00 | - | - | - |
| Provision for Leave Encashment | **-** | **77.00** | **77.00** | **-** | **-** | **-** |
| Voluntary Retirement Benefits (VRS/VSS) | - | - | - | - | - | - |
| Provision for Doubtful Debts | - | 12.00 | 12.00 | - | - | - |
| Provision for Doubtful Advances | - | 17.00 | 17.00 | - | - | - |
| Provision for Long Term Agreements | - | - | - | - | - | - |
| Provision for Stock Obsolescence | - | 5.00 | 5.00 | - | - | - |
| Provision for Statutory claims | - | 13.00 | 13.00 | - | - | - |
| | **3,031.00** | **146.00** | **146.00** | **-** | **-** | **-** |
| **Net Deferred tax liability** | **12,163.52** | **(146.00)** | **(146.00)** | **-** | **567.00** | **15,761.52** |

**42. Additional disclosures**

**Financial, Liquidity and Other Ratios**

| Ratios | Components of Numerator | Components of Denominator | For the Year ended 31.03.2022 | For the Year ended 31.03.2021 | % Variance | Explanation by Management |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | Current Assets | Current Liabilities | 1.06 | 1.17 | -9.97% | - |
| Debt Equity Ratio | Total debt | Shareholders' Equity | 20.12 | 17.11 | 17.61% | - |
| Debt Service Coverage Ratio | Earnings available for debt service | Debt service | 0.03 | 0.08 | -58.77% | The company was in shut down for a period of 157 days during the year for changing the catalyst and also due to unfavourable market condition, which contributed to net loss of the company. Also the total loan due and outstanding along with interest thereon as on 31st March 2022 has been considered. |
| Return on Equity Ratio | Net profit after tax | Shareholders' Equity | -0.41 | 0.36 | -214.46% | The company was in shut down for a period of 157 days during the year for changing the catalyst and also due to unfavourable market condition, which contributed to net loss of the company |
| Inventory Turnover Ratio | Sales | Average Inventory | 16.16 | 20.62 | -21.65% | - |
| Trade Receivables Turnover Ratio | Net Sales | Average Trade Receivables | 88.87 | 80.15 | 10.89% | - |
| Trade Payables Turnover Ratio | Net Credit Purchases | Average Trade Payables | 9.76 | 7.93 | 22.99% | - |
| Net Capital Turnover Ratio | Net Sales | Working Capital | 5.65 | 2.29 | -146.10% | Current liability has increased in 2021-22 due to the increase of interest due on govt. loan. |
| Net Profit Ratio | Net profit after tax | Net Sales | -0.05 | 0.04 | -238.13% | The company was in shut down for a period of 157 days during the year for changing the catalyst and also due to unfavourable market condition, which contributed to net loss of the company. Also there was a huge increase in the main raw mateial but the selling price could not have increase due to the unfavourable market conditins which resulted in net loss. |
| Return on Capital Employed | Profit Before Interest and Taxes (PBIT) | Capital Employed | 0.65 | 1.26 | -48.19% | |
| Return on Investment | Dividend | Share Price | - | - | 0.00% | |

**43 Notes to Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income**

a) The Company has elected to continue with the carrying value for all its Property, Plant and Equipment as of April 1, 2016 measured under Indian GAAP as deemed cost as of April 1, 2016 (transition date) except Freehold Land where fair value (circle rate) has been considered as deemed cost.

b) Under Indian GAAP, the Company measured financial assets at cost. As at the transition date, the company recognised the provision for expected credit loss for certain financial assets as per the criteria set out in Ind AS 101. All the financials liabilities have been carried at amortized cost and such differences have been appropriately addressed.

c) The Company recognises costs related to its post-employment defined benefit plan on an actuarial basis both under Indian GAAP and Ind AS. Under Indian GAAP, the entire cost including actuarial gains and losses and return on planned assets are charged to profit or loss. Under Ind AS, actuarial gains and losses and return on planned assets recognised immediately in the Balance Sheet with a corresponding debit or credit to retained earnings through Other Comprehensive Income.

d) Consequential sum of the adjustments carried out in the other comprehensive income net of tax implications thereon.

44 Non- Compliance of the SEBI Listing Obligation and Disclosure Requirements (LODR) Regulations, 2015- as per Regulation 17(1)(b), the chairman being an executive director, at least half of the board of Directors should be comprised of Independent Directors. Currently, the Company does not have required number of Independent Directors on its board. Accordingly, there is consequent non-compliance of Regulations 18,19 and 20 of the SEBI Listing Obligation and Disclosure Requirements (LODR) Regulations, 2015 (Refer Note 47 to Financial Statements). Non- Compliance of the SEBI Listing Obligation and Disclosure Requirements (LODR) Regulations, 2015 - as per the Regulation 17 (1) (a) of the SEBI Listing Obligation and Disclosure Requirements (LODR) Regulations, 2015, Board of Directors shall have an optimum combination of executive and non-executive directors with at least one woman director and not less than fifty percent of the Board of Directors shall comprise of non-executive directors. Currently, the Company does not have woman director on its Board.

45 There is no considerable financial impact on account of Covid-19 pandemic during the year ended 31.03.2022.

46 The company has reported net loss including other comprehensive income of Rs.721.54 lakhs (Previous year net profit including other comprehensive income of Rs.3139.89 lakhs) Also the company has accumulated loss amounting to Rs.101761.72 lakhs (Previous year Rs.99437.26 lakhs) with a negative networth of Rs.90196.19 lakhs (Previous year Rs.87871.73 lakhs). But its current assets exceeds its current liabilities by Rs.7681.65 lakhs (Previous year Rs.17941.50 lakhs). The company has a balance under current assets of cash and cash equivalents and other bank balances of Rs.13510.73 lakhs (Previous year Rs.14819.75 lakhs) as at the year end. The Phenol Plant at Kochi was under shutdown during the period from 27.3.2021 to 25.07.2021 for change of Catalyst and from 16.11.2021 to 26.12.2021 due to unfavourable market conditions impacting the Turnover and Profit of the Company during the year. After considering these conditions, the standalone financial result of the company have been prepared on going concern basis.

47 Board recommended to implement salary revision of employees w.e.f. 25.01.2021 subject to the approval of Ministry of Chemicals and Fertilizers. Since no final approval has been received no adjustment in accounts is made as on 31.03.2022.

48 No funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

49 No funds have been received by the Company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

**50 Relationship with Struck off Companies**

| Name of struck off Company | Nature of transactions with struck-off Company | Balance outstanding | Relationship with the Struck off company, if any, to be disclosed |
|---|---|---|---|
| Access Services P Ltd | Security service | Rs.0.23 lakh | Creditor |

51 No charge or satisfaction yet to be registered with ROC beyond the statutory period.

52 No Loans or Advances in the nature of loan is granted to promoters, directors, KMPs and the related parties (as defined under Companies Act, 2013,) either severally or jointly with any other person during the year.

53 There is no capital- work- in progress as on 31.03.2022

54 There is no intangible assets under development

55 No proceedings have been initiated or pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and the rules made there under.

56 Company has no borrowings from banks or financial institutions on the basis of security of current assets.

57 Company is not declared as a wilful defaulter by any bank or financial Institution or other lender.

58 Company has no transaction which are not recorded in the books of accounts that has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (such as, search or survey or any other relevant provisions of the Income Tax Act, 1961), unless there is immunity for disclosure under 11 any scheme and also shall state whether the previously unrecorded income and related assets have been properly recorded in the books of account during the year.

59 The Company is not required mandatorily to carry out any CSR activities on account of losses incurred during the previous years.

60 The Company has not traded or invested in Crypto currency or Virtual Currency during the financial year.

61 The standalone financial statements were authorized for issue in accordance with a resolution passed by the Board of Directors on 26.05.2022.

62 Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to correspond with the current year's classification / disclosure.

For and on behalf of the Board of Directors

As per our report of even date attached
**For BSJ & Associates**
Chartered Accountants
FRN: 010560S

Sd/-
**Sajeev B.**
CMD and CEO
DIN 09344438

Sd/-
**Dr. Bharat J. Kanabar**
Director
DIN 09466694

Sd/-
**P.O. Luise**
Chief Financial Officer

Sd/-
**Subramonian H.**
Company Secretary

Sd/-
**CA. Jojo Augustine**
Partner
Membership No.214088
UDIN: 22214088AKDYEI7538

Place: Navi Mumbai

Date: 26.05.2022

Place: Ernakulam

Date: 30.05.2022

## CONSOLIDATED ACCOUNTS

### INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To
The Members of
Hindustan Organic Chemicals Limited

**Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements**

**Opinion**

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements of Hindustan Organic Chemicals Limited (the "Company") and its subsidiary, (the Company and its subsidiary together referred to as the "Group") which comprise the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2022, and the Consolidated Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the Consolidated Statement of Changes in Equity and the Consolidated Statement of Cash Flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. (hereinafter referred to as the "consolidated financial statements").
2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid consolidated financial statements, give the information required by the Companies Act, 2013 (the "Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards ("Ind AS") prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended and other accounting principles generally accepted in India, of the consolidated state of affairs of the Group as at March 31, 2022, the consolidated Loss, consolidated total comprehensive income, consolidated changes in equity and its consolidated cash flows for the year ended on that date.

**Basis for Opinion**

3. We conducted our audit of the consolidated financial statements in accordance with the Standards on Auditing ("SA"s) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI") together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements under the provisions of the Act and the Rules made thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence obtained by us is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the consolidated financial statements.

**Going Concern**

4. We draw attention to Note 46 of consolidated Ind AS financial statements. The Company has reported net loss including other comprehensive income of Rs.721.54. Also, the Company has accumulated loss amounting to Rs.1,01,761.72 lakhs (previous year Rs.99,437.26 lakhs) with a negative net worth of Rs.90,196.19 lakhs (previous year Rs.87871.73 lakhs). But its current assets exceed its current liabilities by Rs.7681.65 lakhs (previous year Rs.17941.50 lakhs) The Company has a balance under current assets of Cash and Cash Equivalents and Other Bank balances of Rs.13,510.73 Lakhs (previous year Rs.14,819.75 lakhs) as at year end. During the year under report, phenol plant of the company was under shut down for changing catalyst for a period 4 months and for 41 days due to unfavorable market conditions, which have impacted the turnover and profit of the company. Also, the company is in the process of implementation of the Govt. approved restructuring plan. Accordingly, Sale of unencumbered land in Rasayani through NBCC and Panvel through e-auction are in progress and the proceeds will be used to refund the Government of India loans and its outstanding interest, which will result in increase of profit of the company. After considering these conditions, the standalone Ind AS financial statements of the Company have been prepared on going concern basis. Also refer Note 31 (c) financial statements.
5. We draw attention to the material uncertainty related to going concern to the audit opinion of the financial statement of M/s Hindustan Fluorocarbons Limited, a subsidiary of the Holding Company issued by independent firm of Chartered Accountants vide its report dated May 24, 2022 reproduced as under:

   "Attention is drawn to Note 35 (Note 48 in Consolidated Financial Statement) to the Notes of Accounts, wherein there is disclosure regarding the decision of the Cabinet Committee on Economic Affairs to close the operations of the Company which has been communicated to them through letter dated 29th Jan, 2020 from Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals, Govt. of India vide File No.51015/06/2019 together with timelines for implementation of the said directions, the process of which is being initiated by the Board. In this regard while noting the above in our view considering the decision of the Government to close the operations of the company and the steps taken by the company including grant of interest fee unsecured loan for settling various liabilities by GOI, receipt of the same, significant payments being made, out of total estimated liabilities by year end, plan of action for balance payment, initiation of follow up measures regarding various legal cases filed by against the company and its follow up, adoption of applicable Ind AS 105 in the books of account, there is material uncertainty relating to going concern and Company is no longer a going concern. entity"

**Emphasis Matter**

6. We draw attention to the following Emphasis Matters to the audit opinion of the financial statement of related to going concern to the audit opinion of the financial statement of M/s Hindustan Fluorocarbons Limited, a subsidiary of the Holding Company issued by independent firm of Chartered Accountants vide its report dated May 24, 2022 reproduced as under:

(i) "We draw attention to Note No.36 to the Notes to Accounts as regards Management's evaluation of COVID-19 impact on the future performance of the Company in the light of decision to close the operations of the Company as per the decision of the Govt. Our opinion is not modified in this regard."

(ii) "We draw attention to Note No. 26 in the Notes to Accounts regarding the case filed by one party against the Company wherein the Hon'ble High Court has given stay on disposal of the assets of the Company; this may affect the process of closure of the Company as directed by the Govt. of India. Our opinion is not modified in this regard."

(iii) "We draw attention is drawn to Note 27 depicting Litigations before Various Authorities and in particular therein case filed by M/s Rockwell Industries Limited (Petitioner) against the Company wherein there were filings/appeals from both the parties in several forums – Arbitration, City Civil Court, High Court, Supreme Court – and the said Petitioner got judgment in their favour, on which the Company obtained Stay Order. The Company had, during the year, made a provision for the principal amount of Rs.269 Lakhs in this case, taking into account the legal rulings/proceedings, while contesting the case. Our opinion is not modified in this regard."

(iv) "We draw attention to Note No.2(a) in the Notes to Accounts regarding the decision of the GoI to close the operations of the Company resulting in the Company ceasing to be a Going Concern entity and the adoption of applicable Accounting Standard Ind-AS 105 'Non Current Assets held for Sale or Discontinuing Operations'. Accordingly, the Company had re-classified the assets which are part of disposal group as 'assets held for sale' at its carrying cost without providing for any pro-rata depreciation in the absence of any specific cut off date being adopted for the purpose which is not determinable. Our opinion is not modified in this regard.

**Key Audit Matters**

7. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the financial year ended March 31, 2022. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. For each matter below, our description of how our audit addressed the matter is provided in that context.

   We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report. We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements section of our report, including in relation to these matters. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the matters below, provide the basis for our audit opinion on the accompanying consolidated financial statements.

| Sl. No. | Key Audit Matters | How the audit addressed the key audit matters |
|---|---|---|
| i | The Company makes sales to various customers, whereby the prices of the products are subject to various factors including price variation in international level, volatility in foreign currencies, level of offtake by customers and demand supply situation in the market. Such prices are intimated to the regular customers and purchase order will be obtained accordingly. The discounts offered to the customers are also informed to the customers regularly. Price of the products are fixed on the basis of management's estimate and judgement. The amounts involved being material to these financial statements, and dependent on various factors stated above, revenue recognition was determined to be a key audit matter in our audit | Our audit procedures included the following:<br>▪ We have evaluated the Company's process and controls around revenue recognition, estimation of discounts and timing of recognizing sales as per sales terms, including testing effectiveness of such controls.<br>▪ We have inquired of key sales personnel regarding price adjustments, and discussed with management regarding their awareness of price fixation that could affect revenue.<br>▪ We checked the balance confirmations obtained from customers on a sample basis as at the year-end. Performed alternate audit procedures where such confirmations could not be obtained.<br>▪ We have performed procedures on the Company's key components, analysed the revenues, cost of sales and discounts / incentives in comparison with historical data.<br>▪ We also discussed with the management on the likely timing of issuance of credit notes to customers where discounts have been recorded and are pending to be passed on to the concerned customers.<br>▪ We tested sample of sales transactions at the year-end to determine the timing of recognition of such sales.<br>▪ We also obtained necessary representation from the management in regard to the timing of revenue recognition. |

| | | |
|---|---|---|
| ii | **Excess Kerala Value Added tax Input Credit Refund Receivable**<br>The Company is claimed refund of excess in input tax credit on purchases of raw materials and consumables from the Kerala Commercial Tax Department. The total refund due as on March 31, 2022 for the periods 2010-11, 2011-12, 2013-14, 2015-16 and 2016-17 is Rs.576.39 lakhs. The Company has filed refund claim applications in Form No.21B and 21CC with Assessing Authority for each year as per the Act, which is pending before assessing authority for further process/ completion of the assessment.<br>The amounts involved is being material to these financial statements and dependent on decision of the assessing authority. | Our audit procedures included the following:<br>▪ Analyzed the relevant provisions of the Kerala Value Added Tax Act and Rules there under, to ascertain the claim of refund is prima facie acceptable by the authority.<br>▪ Reviewed the records and documents submitted to the Assessing Authority for claiming the refund and also the related correspondence received from the Assessing Authority.<br>▪ Reviewed the working/calculations of refund amount claimed. |
| iii | **Estimation of Provision & Contingent Liabilities**<br>The Company is involved in litigations, both for and against the Company, comprising of tax matters, legal compliances and other disputes. The Company assesses the need to make a provision or disclose a contingency on a case-to-case basis considering the underlying facts of each matter, in consultation with its advisors and consultants. This involves a high level of management Judgement and assumptions which impact the risk assessment and consequential provisioning and disclosure of contingencies in the financial statements. This area is significant to our audit, since the completeness and accuracy of accounting and disclosures for contingencies is dependent on such management judgement and assumptions. | Our audit procedures included the following:<br>▪ We evaluated and tested the Company's processes and controls for monitoring of claims, litigations, disputes, compliances and assessment thereof for determining the likely outcome.<br>▪ We read the summary of the litigations prepared by the management and discussed the material cases to determine the Company's assessment of the likelihood and magnitude of any liability that may arise.<br>▪ We discussed with the management, including the Company's internal tax experts and head of legal matters to understand the basis of management's judgements and estimates.<br>▪ We read the minutes of the board meetings, and tested the Company's legal expenses to determine the completeness of claims, disputes and litigations.<br>▪ We tested the adequacy of disclosures in the consolidated financial statements.<br>▪ We also obtained necessary representation from the management in regard to the provisioning and disclosures in respect of the claims and Litigations. |

**Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon**

8. The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Board's Report including Annexures to Board's Report, Corporate Governance, Shareholder's Information and Chairman's statement, but does not include the consolidated financial statements, and our auditor's report thereon.

9. Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

10. In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information and in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

11. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

**Responsibilities of Management and those Charged with Governance for the consolidated financial statements**

12. The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation and presentation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance including other comprehensive income, consolidated changes in equity and consolidated cash flows of the Group in accordance with the Ind AS and other accounting principles generally accepted in India. The respective Boards of Directors of the companies included in the Group are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the Directors of the Company, as aforesaid.

13. In preparing the consolidated financial statements, the respective Boards of Directors of the companies included in the Group are responsible for assessing the ability of the respective entities to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the respective Boards of Directors either intend to liquidate their respective entities or to cease operations, or have no realistic alternative but to do so.

14. The respective Boards of Directors of the companies included in the Group are also responsible for overseeing the financial reporting process of the Group.

**Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements**

15. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

16. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal financial control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company and its subsidiary companies which are companies incorporated in India, has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Group to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the financial statements of such entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors.

17. We communicate with those charged with governance of the Company and such other entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

18. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

19. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

**Other Matter**

20. We did not audit the standalone financial statements/ information of subsidiary whose financial statements is included in the consolidated financial statements of the Company. The financial statements/financial information of the subsidiary reflects total assets of Rs. 7352.74 lakhs as at 31st March 2022 and total revenue of Rs.281.76 lakhs and total comprehensive loss of Rs. 617.06 lakhs for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial statements.

21. This financial statements/information have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect the subsidiary and our report in terms of section 143(3) and (11) of the Act, insofar as it relates to the aforesaid subsidiary is based solely on the reports of its auditors. Our opinion is not modified in respect of this matter.

**Report on Other Legal and Regulatory Requirements**

22. As required by Section 143(3) of the Act, based on our audit we report that:

a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit of the aforesaid consolidated financial statements.

b) In our opinion, proper books of account as required by law relating to preparation of the aforesaid consolidated financial statements have been kept so far as it appears from our examination of those books.

c) The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), Consolidated Statement of Changes in Equity and the Consolidated Statement of Cash Flows dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of account maintained for the purpose of preparation of the consolidated financial statements.

d) In our opinion, the aforesaid consolidated financial statements comply with the Ind AS specified under section 133 of the Act.

e) As per the notification no. G.S.R. 463(E) dated June 05, 2015, the Government companies are exempted from provisions of section 164(2) of the Act. Accordingly, we are not required to report whether any director(s) are disqualified in terms of provisions contained in said section.

f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in **"Annexure B"** which is based on the auditors' reports of the Company and its subsidiary companies incorporated in India. Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of those companies.

g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i. The consolidated financial statements disclose the impact of pending litigations on the consolidated financial position of the Group – Refer Note 36 to the consolidated financial statements;

ii. The Group has made provision, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts.

iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Group.

iv. a. The respective Managements of the Company and its subsidiary which is incorporated in India whose financial statements have been audited under the Act have represented to us and the other auditors of such subsidiary that, to the best of their knowledge and belief, as disclosed in the Note 49 to the consolidated financial statements, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company or any of such subsidiary to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company or any of such subsidiaries, associates and joint ventures ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries

b. The respective Managements of the Company and its subsidiary which is incorporated in India whose financial statements have been audited under the Act have represented to us and the other auditors of such subsidiary that, to the best of their knowledge and belief, as disclosed in the Note 50 to the consolidated financial statements, no funds have been received by the Company or any of such subsidiary, from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company or any of such subsidiaries, associates and joint ventures shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

c. Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances performed by us and that performed by the auditors of the subsidiary which is incorporated in India whose financial statement has been audited under the Act, nothing has come to our or other auditors' notice that has caused us or the other auditors to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e) contain any material mis-statement.

d. The company has not declared or paid dividend during the year under report and accordingly nothing to report with regard to compliance of provisions of section 123 of the Act.

23. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order") issued by the Central Government in terms of Section 143(11) of the Act, we report clause 3 (xxi) of the Order as below:

The Statutory Auditors of the subsidiary, M/s Hindustan Fluorocarbons Ltd has made qualification/ adverse remarks in paragraphs (ix)(a) and (xix) of the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 report.

24. As required by the directions and sub directions issued by the office of the Comptroller & Auditor General of India under section 143 (5) of the Act, we give in the **"Annexure A"** a statement on the matters referred in those directions.

25. Non- Compliance of the SEBI Listing Obligation and Disclosure Requirements (LODR) Regulations, 2015:

The Company has not complied with the Regulations 17 (1)(a) and 17(1)(b) in respect of maintenance of an optimum combination of executive and non-executive directors with at least one woman director and not less than fifty percent of the Board of Directors shall comprise of non-executive directors and in respect of maintenance of at least half of the board of Directors comprised of Independent Directors respectively as the chairman being an executive director. Accordingly, there is consequent non-compliance of Regulations 18 and 19 of the SEBI Listing Obligation and Disclosure Requirements (LODR) Regulations, 2015 (Refer Note 44 to the Consolidated Financial Statements).

**For BSJ & Associates**
**Chartered Accountants**
(Firm's Registration No.010560S)

Sd/-
**CA. Jojo Augustine**
Partner
(Membership No. 214088)
UDIN: 22214088AKDZMH2878

Place: Ernakulam
Date: 30/05/2022

**ANNEXURE 'A' TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

(Referred to in paragraph 24 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report even date)

**AUDIT REPORT ON THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2022 AS PER THE DIRECTION AND SUB-DIRECTION OF THE COMPROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143 (5) OF COMPANIES ACT, 2013**

**A. Direction**

| Sl. No. | C & AG Direction | Comments of Statutory Auditors | |
|---|---|---|---|
| | | Holding Company | Subsidiary Company |
| 1 | Whether the Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of accounts along with financial implications if any may be stated | The year under report all accounting transactions except Fixed Assets register are maintained/processed through Taly ERP and HRM Software System. Consolidation of accounts of Head office and Kochi Unit is being prepared using MS Office. Fixed Assets Register is maintained in MS Office-Excel. No instances of processing of accounting transactions outside the IT system | As per the information, explanations and records produced for our verification, the Company has a system in place to process all the accounting transactions through IT system and there are no instances of processing of accounting transactions outside the IT system; |
| 2 | Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/ write off of debts /loans/ interest etc made by a lender to the company due to company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.<br>Whether such cases are properly accounted for? | There is no such instances during the year under audit | There are no instances of any restructuring of existing loan availed by the Company or cases of waiver/ write off of debts/loans/interest made by a Lender to the Company on account of company's inability to repay the loan; |
| 3 | Whether funds (grants/ subsidy etc) received or receivable for specific schemes from central/ state Government or its agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the case of deviations. | No. The company has not received any fund for specific scheme from central or state agencies. | As per the information, explanations and records produced for our verification, during the year under review, as a part of closure direction given by GoI, an amount of Rs.7720 lakhs was sanctioned by GoI as interest free term loan to be exclusively utilized for closure related expenditure including (a) implementation of VRS/VSs for HFL employees, their dues, statutory dues, payment to suppliers/ contractors/ utilities dues and repayment of SBI working capital loan (b) salary/wages and administrative expenses of HFL's skeletal staff to be temporarily retained for completing the closure of HFL for two years. The table given below as **annexure** shows the said interest free loan amount sanctioned, received and spent during the financial year 2021-22 for the said purpose against each head of expenditure: |

**Annexure:**

| Sl. No. | Particulars of Fund requirements for closure | Estimated Amount | Amount Released | Actual amount spent upto 31.03.2022 | Amount yet to be spent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Implementation of VRS/VSS | 2350 | 2232 | 1232 | 1000 |
| 2 | Payment of salary/ wages and statutory dues of employees | 2000 | 1840 | 1652 | 188 |
| 3 | Payment of wage revision arrears (1997 & 2007) | 1430 | 1430 | 1415 | 015 |
| 4 | Provision for salary/ wages and administrative expenses of skeletal staff to be retained for implementation of closure plan (for 2 years @ 350 Lakhs per year) | 700 | 967 | 672 | 295 |
| 5 | Suppliers / Contractors dues | 525 | 403 | 137 | 266 |
| 6 | Working capital cash credit (SBI) | 515 | 515 | 515 | 0 |
| 7 | Water & Electricity dues | 200 | 200 | 84 | 116 |
| | Total | **7720** | **7587** | **5707** | **1880** |

**B. Sub-direction**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | State areas of land under encroachment and briefly explain the steps taken by the Company to remove encroachments. | As per the information and explanation available to us, in Rasayani Unit, land admeasuring 22.717 acres is under encroachment as per the report of survey conducted by M/s The Geo Tek dated April 24, 2019. Also there is public road constructed in 10.576 acres of land and its value considered as Nil. 32.547 Acres of land is given to Maharashtra Industrial Development Corporation, Maharashtra State Electricity Board, Hindustan Insecticides Limited, and Mahatma Education Society.<br>We have been informed that the company has taken up matter before the Ministry and is in the process of necessary action for the recovery of encroached land. | Not reported |
| 2 | Whether there is any effective system for follow up of accumulated trade receivables especially which are more than three years old? | As per the explanation and information provided to us and based on our verification of records of the company, the company has initiated legal recovery proceedings against certain trade receivables. But the system prevailing in the company for follow up of suit filed/ accumulated/ overdue trade receivables required to be further strengthened for the timely initiation of legal proceeding and the recovery of accumulated/ overdue trade receivables. | Not reported |
| 3 | Whether there was an adequate system for watching actual consumption against norms in case of raw materials, intermediaries and utilities? | As per the explanation and information provided to us and based on our verification of records of the company, company has an adequate system for observing the actual consumption against the standard/norms. On monthly basis company is preparing comparison statements for each item of raw materials, intermediaries and utilities as a part of Management Information System. | Not reported |

**For BSJ & Associates**
**Chartered Accountants**
(Firm's Registration No.010560S)

Sd/-
**CA. Jojo Augustine**
Partner
(Membership No. 214088)
UDIN: 22214088AKDZMH2878

Place: Ernakulam
Date: 30/05/2022

**ANNEXURE 'B' TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

(Referred to in paragraph 22 (f) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report even date)

**Report on the Internal Financial Controls**

**under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")**

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Hindustan Organic Chemicals Limited ("the Company") and its subsidiary, which is incorporated in India, as of March 31, 2022 in conjunction with our audit of the consolidated financial statements of the Company for the year ended on that date.

**Management's Responsibility for Internal Financial Controls**

The Board of Directors of the Company and its subsidiary incorporated in India is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the respective companies considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to respective company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

**Auditor's Responsibility**

Our responsibility is to express an opinion on the internal financial controls over financial reporting of the Group based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the Standards on Auditing prescribed under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the revised consolidated financial statements, whether due to fraud or error. We believe that the audit evidence we have obtained, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the internal financial controls system over financial reporting of the Group.

**Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting**

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that:

(1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;

(2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and

(3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

**Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting**

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

**Opinion**

In our opinion, to the best of our information and according to the explanations given to us, the Group has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2022, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Group considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

**For BSJ & Associates**
**Chartered Accountants**
(Firm's Registration No.010560S)

Sd/-
**CA. Jojo Augustine**
Partner
(Membership No. 214088)
UDIN: 22214088AKDZMH2878

Place: Ernakulam
Date: 30/05/2022

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) READ WITH SECTION 129(4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED, FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022**

**The preparation of consolidated financial statements of Hindustan Organic Chemicals Limited for the year ended 31 March 2022 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the Company. The Statutory Auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) read with section 129(4) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 read with section 129(4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 30 May 2022.**

**I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have decided not to conduct the supplementary audit of the consolidated financial statements of Hindustan Organic Chemicals Limited for the year ended 31 March 2022 under Section 143(6)(a) read with section 129(4) of the Act.**

**For and on behalf of the**
**Comptroller and Auditor General of India**

**Sd/-**
**(P. V. Hari Krishna)**
**Principal Director of Audit (Shipping), Mumbai**

**Place: Mumbai**
**Date: 02. August 2022**

# Consolidated Balance Sheet as at 31st March, 2022

| | Notes | Current Year As at 31.03.2022 | Previous Year As at 31.03.2021 |
|---|---|---|---|
| **ASSETS** | | | |
| **I. Non Current assets** | | | |
| a) Property, Plant and equipment | 3a | 15,348.07 | 13,447.26 |
| b) Investment Property | 3b | 88.74 | 87.93 |
| c) Other Intangible assets | 3c | 27.25 | 22.53 |
| d) Financial Assets | | | |
| (i) Investments | 4 | 5.00 | 5.00 |
| e) Other Non-current Assets | 5 | 497.37 | 498.12 |
| **Total Non current Assets** | | **15,966.43** | **14,060.84** |
| Current assets | | | |
| a) Inventories | 6 | 7,651.25 | 5,347.58 |
| b) Financial assets | | | |
| (i) Trade Receivables | 7 | 864.28 | 371.61 |
| (ii) Cash and cash equivalents | 8a | 2,169.32 | 3,304.59 |
| (iii) Bank balances other than (ii) above | 8b | 11,576.05 | 11,535.88 |
| (iv) Loans | 9 | 21.01 | 30.88 |
| C) Other current assets | | | |
| i) Interest and Other receivables | 10 | 395.52 | 502.74 |
| ii) Deposits, Advances and Other Receivables | 11 | 4,919.26 | 4,953.32 |
| iii) Property, Plant and Equipments held for sale | 3d | 103,929.34 | 103,936.66 |
| **Total Current Assets** | | **131,526.03** | **129,983.26** |
| **Total Assets** | | **147,492.46** | **144,044.10** |
| **EQUITY AND LIABILITIES** | | | |
| **1. Equity** | | | |
| **a) Equity Share capital** | 12 | 6,726.96 | 6,726.96 |
| b) Other equity | | | |
| (i) Securities Premium | 13a | 4,838.57 | 4,838.57 |
| (ii) Retained Earnings | 13b | (108,198.87) | (103,421.22) |
| (iii) Other comprehensive Income | 13c | 96,450.23 | 95,009.17 |
| **Total Other Equity** | | **(6,910.07)** | **(3,573.48)** |
| **Total Equity** | | **(183.11)** | **3,153.48** |
| Non Controlling interest | | **(3,432.91)** | **(3,164.05)** |
| **2. Liabilities** | | | |
| **Non-current liabilities:** | | | |
| a) Financial liabilities | | | |
| i) Borrowings | 14 | - | 7,695.09 |
| ia) Lease liabilities | | | |
| b) Provisions | 15 | 2,980.57 | 3,334.69 |
| c) Deferred Tax liabilities (Net) | 16 | 16,402.52 | 15,841.52 |
| **Total Non-current liabilities** | | **19,383.09** | **26,871.30** |
| **Current liabilities:** | | | |
| a) Financial liabilities | | | |
| i) Dues to preference share holder | 17 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| ia) Lease liabilities | | | |
| (ii) Borrowings | 17a | 9,167.00 | 8,950.00 |
| (iii) Trade payables | | | |
| Dues to micro and small enterprises | 18 | 55.50 | 25.62 |
| Dues to Others | 18 | 4,144.71 | 1,679.30 |
| (iv) Other financial liabilities | 19 | 8,531.68 | 9,023.90 |
| b) Provisions | 20 | 6,996.14 | 6,362.73 |
| c) Other current liabilities | 21 | 75,830.36 | 64,141.82 |
| Current Liabilities - Total | | **131,725.39** | **117,183.37** |
| **Total equity and liabilities** | | **147,492.46** | **144,044.10** |
| Significant Accounting Policies | 2 | | |
| Notes to the Financial Statements | 1&3-63 | | |

For and on behalf of the Board of Directors

As per our report of even date attached
**For BSJ & Associates**
Chartered Accountants
FRN: 010560S

Sd/-
**Sajeev B.**
CMD and CEO
DIN 09344438

Sd/-
**Dr. Bharat J. Kanabar**
Director
DIN 09466694

Sd/-
**CA. Jojo Augustine**
Partner
Membership No.214088
UDIN: 22214088AKD2MH2878

Sd/-
**P.O. Luise**
Chief Financial Officer

Sd/-
**Subramonian H.**
Company Secretary

Place: Navi Mumbai
Date: 26.05.2022

Place: Ernakulam
Date: 30.05.2022

# Consolidated Statement of Profit and Loss for the year ended 31st March, 2022

| Particulars | Note No. | Year ended 31.03.2022 | Year ended 31.03.2021 |
|---|---|---|---|
| Revenue from operations: | | | |
| Revenue from operations-Sale of products | 22 | 43,367.72 | 41,524.71 |
| Other Income | 23 | 3,360.54 | 2,147.57 |
| **Total Income** | | **46,728.26** | **43,672.28** |
| | | | |
| **Expenses:** | | | |
| Cost of Materials Consumed | 24 | 27,888.46 | 20,275.68 |
| Changes in Inventories of Finished Goods and WIP | 25 | (1,430.78 ) | 145.23 |
| Employee Benefits Expenses | 26 | 4,759.47 | 6,788.41 |
| Finance Costs | 27 | 5,143.18 | 5,361.86 |
| Depreciation and amortization expenses | 28 | 116.37 | 290.23 |
| Other Expenses | **29** | **13,188.90** | **11,639.58** |
| **Total expenses** | | 49,665.60 | 44,500.99 |
| Profit / (Loss) before exceptional items and tax | | (2,937.34) | (828.71) |
| Less: Exceptional items | | - | - |
| Profit / (Loss) before tax | | (2,937.34) | (828.71) |
| (1) Current tax | | - | - |
| **(2) Deferred tax** | | **-** | **-** |
| **Tax expenses:** | | 0.00 | 0.00 |
| **Profit / (Loss) for the period** | | **(2,937.34)** | **(828.71)** |
| **Other Comprehensive Income:** | | | |
| (i) Items that will not be reclassified to profit or loss | | | |
| a) Revaluation of Plant, property & equipments | 13c | 1,978.42 | 1,631.02 |
| Deferred Tax expenses | 13c | (576.00) | (419.00) |
| b) Provision for diminution of investment | | | |
| Deferred Tax expenses | | - | - |
| c) Changes in defined benefit plan | 13c | 36.80 | (58.74) |
| d) Financial Instruments through OCI at amortised cost | | - | - |
| **Other Comprehensive Income for the year, net of tax** | | 1,439.22 | 1,153.28 |
| Total Comprehensive Income for the year | | (1,498.12) | 324.57 |
| | | | |
| Net profit attributable to | | | |
| **a) Owners of the Company** | | (2,670.31) | 253.17 |
| b) Non controlling interest | | (267.03) | (1,081.88) |
| Other Comprehensive income attributable to | | | |
| **a) Owners of the Company** | | 1,441.05 | 1,174.62 |
| b) Non controlling interest | | (1.83) | (21.34) |
| Total Comprehensive income attributable to | | | |
| a) Owners of the Company | | (1,229.27) | 1,427.79 |
| b) Non controlling interest | | (268.85) | (1,103.22) |
| Earnings per equity share (in Rupees) | | | |
| Basic (Face value of Rs. 10 each ) | | (4.37) | (1.23) |
| Diluted (Face value of Rs. 10 each) | | (4.37) | (1.23) |
| Significant Accounting Policies | 2 | | |
| Notes to the Financial Statements | 1&3-63 | | |

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
**Sajeev B.**
CMD and CEO
DIN 09344438

Sd/-
**Dr. Bharat J. Kanabar**
Director
DIN 09466694

Sd/-
**P.O. Luise**
Chief Financial Officer

Sd/-
**Subramonian H.**
Company Secretary

Place: Navi Mumbai
Date: 26.05.2022

As per our report of even date attached
**For BSJ & Associates**
Chartered Accountants
FRN: 010560S

Sd/-
**CA. Jojo Augustine**
Partner
Membership No.214088
UDIN: 22214088AKD2MH2878

Place: Ernakulam
Date: 30.05.2022

**A. EQUITY SHARE CAPITAL**
**1. Current reporting period (2021-22)**

| Particulars | Balance at the beginning of the current reporting period | Changes in Equity Share Capital due to prior period errors | Restated balance at the beginning of the current reporting period | Changes in equity share capital during the current year | Balance at the end of the current reporting period |
|---|---|---|---|---|---|
| | 01.04.2021 | 2021-22 | 01.04.2021 | 2021-22 | 31.03.2022 |
| Equity shares of Rs.10 each | 6726.96 | 0 | 6726.96 | 0 | 6726.96 |

**2. Previous reporting period (2020-21)**

| Particulars | Balance at the beginning of the current reporting period | Changes in Equity Share Capital due to prior period errors | Restated balance at the beginning of the current reporting period | Changes in equity share capital during the current year | Balance at the end of the current reporting period |
|---|---|---|---|---|---|
| | 01.04.2020 | 2020-21 | 01.04.2020 | 2020-21 | 31.03.2021 |
| Equity shares of Rs.10 each | 6726.96 | 0 | 6726.96 | 0 | 6726.96 |

## B. OTHER EQUITY

| Particulars | Share application money pending allotment | Equity component of compound financial instrument | Reserves and surplus | | | | Items of Other Comprehensive Income (OCI) | | | | | | Money received against share warrants | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Capital Reserve | Securities Premium | Other Reserves (specify nature) | Retained Earnings | Debt instruments through Other Comprehensive Income | Equity Instruments through Other Comprehensive Income | Effective portion of Cash Flow Hedges | Revaluation Surplus | Exchange diff. on translating the financial statements of a foreign operation | Other items of OCI (Changes in Employees defined benefits plan) | | |
| 1. Current reporting period (2021-22) | | | | | | | | | | | | | | 2021-22 |
| Balance at the beginning of the current reporting period (01.04.2021) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4838.57 | 0.00 | (103480.99) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95296.80 | 0.00 | (287.63) | 0.00 | -3633.25 |
| Changes in accounting policy or prior period errors | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.77 |
| Restated balance at the beginning of the current reporting period | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4838.57 | 0.00 | (103421.22) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95296.80 | 0.00 | (287.63) | 0.00 | -3573.48 |
| Total Comprehensive Income for the current year | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (4777.65) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1978.42 | 0.00 | (2.35) | 0.00 | -2801.58 |
| Dividends | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transfer to retained earnings | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Any other change (to be specified) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -576.00) | 0.00 | 40.99 | 0.00 | -535.01 |
| Balance at the end of the current reporting period (31.03.2022) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4838.57 | 0.00 | (108198.87) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96699.22 | 0.00 | (248.99) | 0.00 | -6910.07 |
| 2. Previous reporting period (2020-21) | | | | | | | | | | | | | | 2020-21 |
| Balance at the beginning of the current reporting period (01.04.2020) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4838.57 | 0.00 | (103744.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94143.82 | 0.00 | (228.89) | 0.00 | (4990.50) |
| Changes in accounting policy or prior period errors | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.85 |
| Restated balance at the beginning of the current reporting period | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4838.57 | 0.00 | (103734.15) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94143.82 | 0.00 | (228.89) | 0.00 | (4980.65) |
| Total Comprehensive Income for the current year | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1631.02 | 0.00 | (58.74) | 0.00 | 1885.21 |
| Dividends | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transfer to retained earnings | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (59.04) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (59.04) |
| Any other change (Deferred Tax liability) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (419.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (419.00) |
| Balance at the end of the current reporting period (31.03.2021) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4838.57 | 0.00 | (103421.22) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95296.80 | 0.00 | (287.63) | 0.00 | (3573.48) |

For and on behalf of the Board of Directors

**As per our report of even date attached**
**For BSJ & Associates**
Chartered Accountants
FRN: 010560S

Sd/-
**Sajeev B.**
CMD and CEO
DIN 09344438

Sd/-
**Dr. Bharat J. Kanabar**
Director
DIN 09466694

Sd/-
**P.O. Luise**
Chief Financial Officer

Sd/-
**Subramonian H.**
Company Secretary

Sd/-
**CA. Jojo Augustine**
Partner
Membership No.214088
UDIN: 22214088AKD2MH2878

Place: Navi Mumbai

Date: 26.05.2022

Place: Ernakulam

Date: 30.05.2022

## Consolidated Cash flow Statement for the Year ended 31st March 2022

(Rs.in Lakhs)

| Description | For the year ended 31st March 2022 | For the year ended 31st March 2021 |
|---|---|---|
| **CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:** | | |
| **Profit / (Loss) for the period** | (2,937.34) | (828.71) |
| Adjustments for : | | |
| Depreciation/Loss on impairment of Assets | 116.37 | 290.24 |
| Profit(-) / Loss on sale of Assets | - | (11.68) |
| Interest Income | (789.01) | (817.73) |
| Interest & Finance Charges | 5,881.80 | 6,100.48 |
| Income from investment | (255.49) | (179.82) |
| Changes in defined Employee benefit plan-other comprehensive income | 36.80 | (80.08) |
| **Effect of measurement of financail instrumet at amortised cost** | - | - |
| **Operating Cash Flows before Working Capital changes (A)** | **2,053.13** | **4,472.70** |
| Adjustments for | | |
| (Increase)/Decrease in Inventories | (2,303.67) | (311.22) |
| (Increase)/Decrease in Trade & Other Receivables | (1,671.81) | (1,650.34) |
| **Increase/(Decrease) in Trade Payables & Other Liabilities** | **2,173.59** | **(7,480.87)** |
| **Cash Generated from Operations (Working Capital Changes) (B)** | **(1,801.89)** | **(9,442.43)** |
| **Net Cash flow from Operating activities (1) (A+B)** | **251.24** | **(4,969.73)** |
| CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES : | | |
| Purchase of Fixed Assets | (44.25) | (20.91) |
| Sale of fixed assets - Assets held for sale | 7.31 | 71.92 |
| Interest Income | 906.58 | 584.50 |
| **Income from investments** | **191.87** | **116.20** |
| **Net Cash flow from / (used in) Investing activities (2)** | 1,061.51 | 751.71 |
| CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES: | | |
| Increase/Decrease in Secured Loans | (1,161.82) | (600.00) |
| Increase/Decrease in Unsecured Loans | (1,394.13) | (980.63) |
| **Increase/Decrease in Unsecured Loans (Net of Repayments)** | **217.00** | **6,864.75** |
| Effect of measurement of financail instrumet at amortised cost | - | - |
| Interest Paid | (109.07) | (129.34) |
| **Net cash used in financing activities (3)** | **(2,448.02)** | **5,154.78** |
| Net Increase Decrease in Cash and Cash Equivalents (1+2+3) | (1,135.27) | 936.76 |
| Cash & cash equivalents at the beginning of the period | 3,304.59 | 2,367.83 |
| Cash & cash equivalents at the end of the period | 2,169.32 | 3,304.59 |
| | | |
| **Cash & Cash equivalents as per above comprise of following** | | |
| a) Balances with banks (of the nature of cash and cash equivalents): | | |
| Current accounts | 233.15 | 107.39 |
| Saving Account (Refer Note i) | 310.19 | 171.00 |
| Deposits with original maturity of less than three months | 1,624.50 | 3,025.28 |
| b) Cash on Hand | 1.48 | 0.92 |
| **Total** | **2,169.32** | **3,304.59** |

For and on behalf of the Board of Directors

**As per our report of even date attached**
**For BSJ & Associates**
Chartered Accountants
FRN: 010560S

Sd/-
**Sajeev B.**
CMD and CEO
DIN 09344438

Sd/-
**Dr. Bharat J. Kanabar**
Director
DIN 09466694

Sd/-
**P.O. Luise**
Chief Financial Officer

Sd/-
**Subramonian H.**
Company Secretary

Sd/-
**CA. Jojo Augustine**
Partner
Membership No.214088
UDIN: 22214088AKD2MH2878

Place: Navi Mumbai
Date: 26.05.2022

Place: Ernakulam
Date: 30.05.2022

**Notes to the Consolidated Financial statements for the period ended 31st March, 2022**

**1. Corporate Information**

Hindustan Organic Chemicals Limited (the company) is a public limited company domiciled in India and is incorporated under the provisions of the Companies Act applicable in India. Its shares are listed on Bombay Stock Exchange (BSE) in India. The registered office of the company is located at 401, 402 and 403, 4th Floor, V Times Square, Sector 15, CBD Belapur, Navi Mumbai 400614. The Company is principally engaged in the business of bulk industrial chemicals and chemical intermediates.

**2. Significant Accounting Policies**

**2.1 Basis of Preparation of Financial Statement**

These financial statements are prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND AS) under the historical cost convention on the accrual basis except for certain financial instruments which are measured at fair values, the provisions of the Companies Act , 2013 (`Act') (to the extent notified). The IND AS are prescribed under Section 133 of the Act read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016.

Accounting policies have been consistently applied except where a newly issued accounting standard is initially adopted or a revision to an existing accounting standard requires a change in the accounting policy hitherto in use.

The separate financial statements have been prepared on accrual basis and under historical cost basis, except for the following assets and liabilities which have been measured at fair value:

Derivative financial Instrument

Defined Benefit Plans – Plan Assets

Certain financial assets and liabilities measured at fair value (refer accounting policy regarding financial instruments),The financial statements are presented in Indian Rupee ('INR') or ('Rs.') which is also the Company's functional currency and all values are rounded to the nearest lakhs upto two decimals, except when otherwise indicated. Wherever the amount represented Rs. '0' (zero) construes value less than Rupees a lakh.

**Significant accounting estimates, assumptions and judgements**

The preparation of the Company's separate financial statements requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the accompanying disclosures, and the disclosure of contingent liabilities. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of assets or liabilities affected in future periods.

Estimates and assumptions

The preparation of the financial statements in conformity with IND AS requires management to make estimates, judgments and assumptions. These estimates, judgments and assumptions affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets and liabilities, the disclosures of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and reported amounts of revenues and expenses during the period. Application of accounting policies that require critical accounting estimates involving complex and subjective judgements and the use of assumptions in these financial statements have been disclosed at appropriate places.

Accounting estimates could change from period to period. Actual results could differ from those estimates. Appropriate changes in estimates are made as management becomes aware of changes in circumstances surrounding the estimates. Changes in estimates are reflected in the financial statements in the period in which changes are made and, if material, their effects are disclosed in the notes to the financial statements.

**Taxes**

Tax expense (Income Tax and Deferred Tax) in accordance with Ind-AS 12: Accounting for Taxes on Income has been recognised. There are many transactions and calculations undertaken during the ordinary course of business for which the ultimate tax determination is uncertain. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will impact the current and deferred tax provisions in the period in which the tax determination is made.The deferred tax asset is recognized and carried forward only to the extent that there is a virtual certainty that the assets will be realized in future.

**Employee benefits**

i. Short-term obligations

Liabilities for wages and salaries, including non-monetary benefits that are expected to be settled wholly within 12 months after the end of the period in which the employees render the related service are recognised in respect of employees' services up to the end of the reporting period and are measured at the amounts expected to be paid when the liabilities are settled. The liabilities are presented as current employee benefit obligations in the balance sheet.

ii. Other long-term employee benefit obligations

The liabilities for earned leave and sick leave are not expected to be settled wholly within 12 months after the end of the period in which the employees render the related service. They are therefore measured as the present value of expected future payments to be made in respect of services provided by employees up to the end of the reporting period using the projected unit credit method. The benefits are discounted using the market yields at the end of the reporting period that have terms approximating to the terms of the related obligation. Re measurements as a result of experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognised in profit or loss. The obligations are presented as current liabilities in the balance sheet if the entity does not have an unconditional right to defer settlement for at least twelve months after the reporting period, regardless of when the actual settlement is expected to occur.

iii. Post-employment obligations

The Company operates the following post-employment schemes:

(a) Defined benefit plans such as gratuity, pension, post-employment medical plans; and

(b) Defined contribution plans such as provident fund.

iv. Defined benefit plans

The Company's gratuity scheme is a defined benefit plan. A defined benefit plan is a post employment benefit plan. The Company's net obligation in respect of defined benefit plans is calculated by estimating the amount of future benefits that employee have earned in return for their services in the current and prior periods.

v. Defined contribution plans

The company's provident fund scheme is a defined contribution plan. A defined contribution plan is a post employment benefit plan under which an entity pays fixed contributions and will have no obligation to pay further amounts. Obligation for contributions to defined contribution plans are recognised as employees benefit expenses in the statement of Profit and Loss when they are due.

i. Gratuity

Gratuity is a post employment defined benefit plan. The liability recognised in the Balance Sheet in respect of gratuity is the present value of the defined benefit obligation at the Balance Sheet date. The Company's liability is actuarially determined at the end of each year. Actuarial gains/ losses through re-measurement are recognised in other comprehensive income.

Pension and gratuity obligations

The liability or asset recognised in the balance sheet in respect of defined benefit pension and gratuity plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by actuaries using the projected unit credit method.

The present value of the defined benefit obligation denominated in INR is determined by discounting the estimated future cash outflows by reference to market yields at the end of the reporting period on government bonds that have terms approximating to the terms of the related obligation. The benefits which are denominated in currency other than INR, the cash flows are discounted using market yields determined by reference to high-quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms approximating to the terms of the related obligation.

The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the defined benefit obligation and the fair value of plan assets. This cost is included in employee benefit expense in the statement of profit and loss.

Re-measurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognised in the period in which they occur, directly in other comprehensive income.

They are included in retained earnings in the statement of changes in equity and in the balance sheet. Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognised immediately in profit or loss as past service cost.

a) Defined benefit plans (gratuity benefits), liability in respect of defined benefit plans is recognised in the balance sheet, and is measured as the present value of the defined benefit obligation at the reporting date less the fair value of the planned assets. The present value of the defined benefit obligation is based on expected future payments which arise from the fund at the reporting date, calculated annually by independent actuaries. Consideration is given to expected future salary levels and period of service etc.

b) Company's contribution to provident fund is accounted for on accrual basis.

c) Temporary employee benefits are recognized as an expense at the undiscounted amount in the statement of profit and loss of the year in which the related service is rendered.

d) Bonus is provided in accordance with provisions of Payment of bonus act,1965 on the basis of profitability.

e) Post employment and other long term employee benefits are recognised as an expense in the statement of profit and loss for the year in which the employee has rendered services. The expense is recognized at the present value of the amount payable determined using actuarial valuation technique. Actuarial gain and loss in respect of post employment and other long term benefits are charged to statement of profit and loss.

Fair value measurement of financial instruments

When the fair values of financial assets and financial liabilities recorded in the balance sheet cannot be measured on the basis of quoted prices in active markets, their fair value is measured using valuation techniques including the DCF model.The inputs to these models are taken from observation of the market where possible, but where this is not feasible, a degree of judgement is required in establishing fair values. Judgements include considerations of inputs such as liquidity risk,credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

Provision against obsolete and slow-moving inventories

The Company reviews the condition of its inventories and makes provision against obsolete and slow-moving inventory items which are identified as no longer suitable for sale or use, on the basis of technical assessment. The Company carries out an inventory review at each balance sheet date and makes provision against obsolete and slow-moving items. The Company reassesses the estimation on each balance sheet date providing provision for slow moving inventory at 50% and in the case of obsolete items at 100%.

Impairment of financial assets

Provision for doubtful debts / Loans / Advances is made in the Books in respect of Sundry Debtors outstanding for more than 3 years. In respect of other Debtors, Loans and Advances, provisions are made to the extent considered as not recoverable by the management.

Impairment of non-financial assets

The Company assesses at each reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company estimates the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's fair value less cost of disposal and its value in use. It is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or group of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset should be considered as impaired and it is written down to its recoverable amount.

In assessing the value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessment of the time value of money and the risk specific to the asset. In determining fair value less cost of disposal, recent market transactions are taken into account. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used.These calculations are corroborated by valuation multiples, quoted share price for publicly traded subsidiaries or other available fair value indicators."

**2.2 Summary of significant accounting policies**

**a) Current versus Non-Current classification**

The Company presents assets and liabilities in the balance sheet based on current/ non-current classification. An asset is treated as current when it is:

- Expected to be realised or intended to be sold or consumed in normal operating cycle,
- Held primarily for the purpose of trading,
- Expected to be realised within twelve months after the reporting period, or
- Cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period

All other assets are classified as non-current.

Trade receivables which are expected to be realised within 12 months from the reporting date shall be classified as current. Outstanding more than 12 months shall be shown as noncurrent only unless efforts for its recovery have been made and it is likely that payment shall be received within 12 months from the reporting date. A Judicious decision shall be taken by units in this regard.

liability is current when:

- It is expected to be settled in normal operating cycle,
- It is held primarily for the purpose of trading,
- It is due to be settled within twelve months after the reporting period, or
- There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period payable shall be classified as Trade Payable if it is in respect of the amount due on account of goods purchased or services received in the normal course of business.

Trade payables which are expected to be settled within 12 months from the reporting date shall be shown as current.

The Company classifies all other liabilities as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

**b) Revenue recognition**

The Company earns revenue primarily from manufacturing chemical product.

Effective April 1, 2018, the Company has applied Ind AS 115 which establishes a comprehensive framework for determining whether, how much and when revenue is to be recognised. Ind AS 115 replaces Ind AS 18 Revenue and Ind AS 11 Construction Contracts. The Company has adopted Ind AS 115 using the cumulative effect method. The effect of initially applying this standard is recognised at the date of initial application (i.e. April 1, 2018). The impact of the adoption of the standard on the financial statements of the Company is insignificant.

Revenue is recognised upon transfer of control of promised products or services to customers in an amount that reflects the consideration which the Company expects to receive in exchange for those products or services.

Revenue is measured based on the transaction price, which is the consideration, adjusted for volume discounts, performance bonuses, price concessions and incentives, if any, as specified in the contract with the customer. Revenue also excludes taxes collected from customers.

As the Company is engaged only in chemical manufacturing business and operating from single location only therefore disaggregates revenue based on geography location and industrial vertical are not require.

The specific recognition criteria described below must also be met before revenue is recognised.

Sale of product

Revenue from the sale of prduct is recognised when the significant risks and rewards of ownership of the product have passed to the buyer. Revenue from the sale of product is measured at the fair value of the consideration received or receivable, net of returns and allowances, trade discounts, and volume rebates..

Rendering of services

Income from services are recognized as and when the services are rendered.

Interest income

Interest income from a financial asset is recognised using effective interest rate method. Interest income is included in other income in the statement of profit and loss.

Rental Income

Rental income arising from operating lease on investment properties is accounted for on a straight line basis over lease terms unless the receipts are structured to increase in line with expected general inflation to compensate for the expected inflationary cost increases and is included in the Statement of profit or loss due to its operating nature.

**c) Property, Plant and Equipment**

Items of Property, plant and equipment including Capital-work in-progress are stated at cost (except land valued at fair value), net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. Cost comprises the purchase price and any attributable cost of bringing the asset to its working condition for its intended use. Such cost includes the cost of replacing part of the plant and equipment and borrowing costs for long-term construction projects if the recognition criteria are met.

Subsequent expenditure related to an item of fixed asset is added to its book value only if it increases the future benefits from the existing asset beyond its previously assessed standard of performance. When significant parts of plant and equipment are required to be replaced at intervals, the Company depreciates them separately based on their specific useful lives as prescribed in schedule II of Companies Act,2013. All other repair and maintenance costs are recognised in statement of profit or loss as an when incurred. In respect of additions to /deletions from the Fixed Assets, depreciation is provided on pro-rata basis with reference to the month of addition/deletion of the Assets.

The management's considered view is that estimated useful lives as per the Schedule II of the Companies Act, 2013 are realistic and reflect fair approximation of the period over which the assets are likely to be used. The company reviews the useful life of the Property, plant & equipment and Intangible asset as at the end of each reporting period and these reassessment may result in change in depreciation expenditure in future period.

Depreciation is provided for property, plant and equipment on a straight line basis so as to expense the cost less residual value over their estimated useful lives of Property, plant and equipment as per Schedule II of the Companies Act 2013 as under:

1) Buildings : 3/5/30/60 years
2) Plant & equipments: 10/12/15/20 years
3) Furniture & fixtures: 10 years
4) Vehicles: 8/10 years
5) Office equipments: 3/5/6/8 years
6) Intangible assets: 5 years

Items of fixed assets that have been retired from active use and are held for disposal are valued at lower of their net book value or net realisable value."

**Investment Properties**

The company uses the carrying value as the deemed cost of investment properties. Investments in property that are not intended to be occupied substantially for use by, or in the operations of the company, have been classified as investment property. Investment properties are measured initially at its cost including transaction cost and where applicable borrowing costs. Subsequent to initial recognition, investment properties are stated at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment loss, if any. Subsequent cost are included in the assets carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the company and the cost of the item can be measured reliably. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the reporting period in which they are incurred.

Though the company measures investment property using cost based measurement, the fair value of investment property is disclosed in the notes. Fair values are determined based on an annual evaluation performed by an accredited external independent valuer.

The company depreciates its investment properties over the useful life which is similar to that of Property, Plant and Equipment.

Investment properties are derecognised either when they have been disposed of or when they are permanently withdrawn from use and no future economic benefit is expected from their disposal. The difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset is recognised in profit or loss in the period of derecognition.

**d) Property, plant and equipment held for sale**

Non-current assets or disposal groups classified as held for sale are measured at the lower of carrying amount and fair value less costs to sell.

Non-current assets or disposal groups are classified as held for sale if their carrying amounts will be recovered principally through sale transactions rather than through continuing use.This condition is regarded as met only when the sale is highly probable and the asset or disposal group is available for immediate sale in its present condition subject only to terms that are usual and customary for sales of such assets. Management must be committed to the sale, which should be expected to qualify for recognition as a completed sale within one year from the date of classification as held for sale, and actions required to complete the plan of sale should indicate that it is unlikely that significant changes to the plan will be made or that the plan will be withdrawn.

Property, Plant and Equipment and intangible assets are not depreciated or amortised once classified as held for sale.

Leasehold improvements over the period of lease

Leasehold Land:

Lease premium paid on leasehold land is amortised over the life of the lease. The residual values, useful lives and methods of depreciation of property, plant and equipment are reviewed at each financial year end and adjusted prospectively, if appropriate.

**e) Intangible assets**

i) Intangible assets consisting of computer software, SAP licence cost and Tally ERP cost are amortised over a period of 5 years on straight line basis (SLM) from the date of acquisition.

ii) Other intangible assets

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. Following initial recognition,intangible assets with definite life are carried at cost less any accumulated amortisation and accumulated impairment losses. Internally generated intangibles, excluding capitalised development costs, are not capitalised and the related expenditure is reflected in profit or loss in the period in which the expenditure is incurred.The amortisation period and the amortisation method for an intangible asset with a definite useful life are reviewed at least at the end of each reporting period.

Gains or losses arising from de-recognition of an intangible asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognised in the statement of profit or loss when the asset is derecognised. Research costs are expensed as an when incurred. -Development expenditures on an individual project are recognised as an intangible asset when the Company can demonstrate technical and commercial feasibility of making the asset available for use or sale.

Following initial recognition of the development expenditure as an asset, the asset is carried at cost less any accumulated amortisation and accumulated impairment losses. Amortisation of the asset begins when development is complete and the asset is available for use. It is amortised over the period of expected future benefit. Amortisation expense is recognised in the statement of profit and loss unless such expenditure forms part of carrying value of another asset."

**f) Borrowing costs**

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalised as part of the cost of the asset. All other borrowing costs are expensed in the period in which they occur. Borrowing costs consist of interest and other costs that an entity incurs in connection with the borrowing of funds. Borrowing cost also includes exchange differences to the extent regarded as an adjustment to the borrowing costs.

**g) Foreign Currency Transactions and balances**

Transactions in foreign currency are recorded applying the exchange rate at the date of transaction. Monetary assets and Transactions in foreign currency are recorded applying the exchange rate at the date of transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currency remaining unsettled at the end of the year, are translated at the closing rate prevailing on the Balance Sheet date. Non-monetary items which are carried in terms of historical cost denominated in foreign currency are reported using the exchange rate at the date of transaction. Exchange differences arising as a result of the above are recognized as income or expenses in the statement of profit and loss. Exchange difference arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded during the year, or reported in previous financial statements, are recognised as income or expenses in the

year in which they arise.Foreign exchange difference on foreign currency borrowings, loans given, settlement gain/loss and fair value gain/loss on derivative contract relating to borrowings are accounted and disclosed under finance cost. Such exchange difference does not include foreign exchange difference regarded as an adjustment to the borrowings cost and capitalised with cost of assets

**h) Fair value measurement**

The Company measures financial instruments, such as, derivatives at fair value at each balance sheet date on a portfolio basis.Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place eitherin the principal market for the asset or liability, or in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.The principal or the most advantageous market must be accessible by the Company.The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricingthe asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximising the use of relevant observable inputs and minimising the use of unobservable inputs. All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorised within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole

Level 1 — Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities"

Level 2 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable

Level 3 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable

For assets and liabilities that are recognised in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorisation (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.For the purpose of fair value disclosures, the Company has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

This note summarises accounting policy for fair value. Other fair value related disclosures are given in the relevant notes.

**i) Leases**

The determination of whether an arrangement is (or contains) a lease is based on the substance of the arrangement at the inception of the lease. The arrangement is, or contains, a lease if fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets and the arrangement conveys a right to use the asset or assets, even if that right is not explicitly specified in an arrangement.

For arrangements entered into prior to 1 April 2015, the company has determined whether the arrangement contain lease on the basis of facts and circumstances existing on the date of transition."

Company as a lessee

A lease is classified at the inception date as a finance lease or an operating lease. A lease that transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership to the Company is classified as a finance lease.Finance leases are capitalised at the commencement of the lease at the inception date fair value of the leased property or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are recognised in finance costs in the statement of profit and loss, unless they are directly attributable to qualifying assets, in which case they are capitalized in accordance with the Company's general policy on the borrowing costs. Contingent rentals are recognised as expenses in the periods in which they are incurred.A leased asset is depreciated over the useful life of the asset. However, if there is no reasonable certainty that the Company will obtain ownership by the end of the lease term, the asset is depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset and the lease term.

Operating lease payments are recognised as an expense in the statement of profit and loss on a straight-line basis over the lease term."

Company as a lessor

Leases in which the Company does not transfer substantially all the risks and rewards of ownership of an asset are classified as operating leases. Rental income from operating lease is recognised on a straight-line basis over the term of the relevant lease.

Leases are classified as finance leases when substantially all of the risks and rewards of ownership transfer from the Company to the lessee. Amounts due from lessees under finance leases are recorded as receivables at the Company's net investment in the leases. Finance lease income is allocated to accounting periods so as to reflect a constant periodic rate of return on the net investment outstanding in respect of the lease."

**j) Inventories**

(i) Stores and spares, packing materials and raw materials are valued at lower of cost or net realisable value and for this purpose, cost is determined on moving weighted average basis. However, the aforesaid items are not valued below cost if the finished products in which they are to be incorporated are expected to be sold at or above cost.

(ii) Semi-finished products and finished products are valued at lower of cost or net realisable value and for this purpose, cost is determined on standard cost basis which approximates the actual cost. Variances, exclusive of abnormally low volume and operating performance, are adjusted to inventory.

(iii) By-products are valued at estimated net realizable value.

(iv) Trading goods are valued at lower of cost and net realizable value. Cost includes cost of purchase and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined on a weighted average basis.

Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale."

**k) Impairment of non-financial assets**

The Company assesses, at each reporting date, whether there is an indication that an asset may be impaired. If any indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company estimates the asset's recoverable amount. An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or cash-generating unit's (CGU) fair value less costs of disposal and its value in use. Recoverable amount is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. When the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs of disposal, recent market transactions are taken into account. If no such transactions can be identified,an appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by valuation multiples, quoted share prices for publicly traded companies or other available fair value indicators."

For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date to determine whether there is an indication that previously recognised impairment losses no longer exist or have decreased. If such indication exists, the Company estimates the asset's or CGU's recoverable amount. A previously recognised impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognised. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount,nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognised for the asset in prior years. Such reversal is recognised in the statement of profit or loss. When the recoverable amount of the CGU is less than its carrying amount, an impairment loss is recognised.

**l) Provisions, contingent liabilities and contingent assets**

Provisions are recognised when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event,it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. When the Company expects some or all of a provision to be reimbursed, for example, under an insurance contract, the reimbursement is recognised as a separate asset, but only when the reimbursement is virtually certain. The expense relating to a provision is presented in the statement of profitand loss net of any reimbursement.If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre-tax rate that reflects,when appropriate, the risks specific to the liability. When discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognised as a finance cost. Provisions are reviewed at each balance sheet and adjusted to reflect the current best estimates.

Contingent liabilities are disclosed in respect of possible obligations that have risen from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the enterprise, or is a present obligation that arises from past events but is not recognised because either it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made.

**m) Financial instruments**

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial assets

Initial recognition and measurement

All financial assets are recognised initially at fair value plus, in the case of financial assets not recorded at fair value through profit or loss, transaction costs that are attributable to the acquisition of the financial asset.

Debt instruments at amortised cost

A 'debt instrument' is measured at its amortised cost if both the following conditions are met:

a) The asset is held within a business model whose objective is to hold assets for collecting contractual cash flows, and
b) Contractual terms of the asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

After initial measurement, such financial assets are subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate (EIR) method. Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortisation is included in other income in the statement of profit or loss. The losses arising from impairment are recognised in the statement of profit or loss."

Debt instrument at FVTOCI

A 'debt instrument' is classified at FVTOCI if both of the following criteria are met:

a) The objective of the business model is achieved both by collecting contractual cash flows and selling the financial assets, and

"b) The asset's contractual cash flows represent SPPI.

Debt instruments included within the FVTOCI category are measured initially as well as at each reporting date at fair value.Fair value movements are recognized in the other comprehensive income (OCI). However, the company recognizes interest income, impairment losses & reversals and foreign exchange gain or loss in the Profit and Loss. On de-recognition of the asset, cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from the equity to Profit and Loss. Interest earned whilst holding FVTOCI debt instrument is reported as interest income using the EIR method."

Debt instrument at FVTPL

FVTPL is a residual category for debt instruments. Any debt instrument, which does not meet the criteria for categorization as at amortized cost or as FVTOCI, is classified as FVTPL. In addition, the company may elect to designate a debt instrument, which otherwise meets amortized cost or FVTOCI criteria, as at FVTPL. However, such election is allowed only if doing so reduces or eliminates a measurement or recognition inconsistency (referred to as 'accounting mismatch'). The company has designated certain debt instrument as at FVTPL. Debt instruments included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized in the statement of profit and loss.

Equity investments

All equity investments in scope of Ind AS 109 are measured at fair value. Equity instruments which are held for trading are classified as at FVTPL. For all other equity instruments, the company may make an irrevocable election to present in other comprehensive income subsequent changes in the fair value. The company makes such election on an instrument-by-instrument basis. The classification is made on initial recognition and is irrevocable. If the company decides to classify an equity instrument as at FVTOCI, then all fair value changes on the instrument,excluding dividends, are recognized in the OCI. There is no recycling of the amounts from OCI to statement of profit and loss, even on sale of investment. However, the company may transfer the cumulative gain or loss within equity.Equity instruments included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized in the statement of profit and loss.

De-recognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a company of similar financial assets) is primarily derecognised (i.e. removed from the Company's balance sheet) when:

the rights to receive Cash flows from the asset have expired, or

the company has transferred its rights to receive Cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either(a) the company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or

(b) the company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

When the company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if and to what extent it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the company continues to recognise the transferred asset to the extent of the Company's continuing involvement. In that case, the company also recognises an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company has retained. Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the company could be required to repay."

Impairment of financial assets

In accordance with Ind AS 109, the company applies expected credit loss (ECL) model for measurement and recognition of impairment loss on the following financial assets and credit risk exposure:

a) Financial assets that are debt instruments, and are measured at amortised cost e.g., loans, debt securities, deposits,trade receivables and bank balance

b) Financial assets that are debt instruments and are measured as at FVTOCI

c) Lease receivables under Ind AS 17

d) Trade receivables or any contractual right to receive cash or another financial asset that result from transactions that are within the scope of Ind AS 18 (referred to as 'contractual revenue receivables' in these financial statements)

e) Financial guarantee contracts which are not measured as at FVTPL

The company follows 'simplified approach' for recognition of impairment loss allowance on:

Trade receivables andOther receivables

The application of simplified approach does not require the company to track changes in credit risk. Rather, it recognises impairment loss allowance based on lifetime ECLs at each reporting date, right from its initial recognition. For recognition of impairment loss on other financial assets and risk exposure, the company determines that whether there has been a significant increase in the credit risk since initial recognition. If credit risk has not increased significantly, 12-month ECL is used to provide for impairment loss.

However, if credit risk has increased significantly, lifetime ECL is used. If, in a subsequent period, credit quality of the instrument improves such that there is no longer a significant increase in credit risk since initial recognition, then the entity reverts to recognising impairment loss allowance based on 12-month ECL.

Lifetime ECL are the expected credit losses resulting from all possible default events over the expected life of a financial instrument. The 12-month ECL is a portion of the lifetime ECL which results from default events that are possible within 12 months after the reporting date.

ECL is the difference between all contractual cash flows that are due to the company in accordance with the contract and all the cash flows that the entity expects to receive (i.e., all cash shortfalls), discounted at the original EIR. When estimating the cash flows, an entity is required to consider:

All contractual terms of the financial Instrument (including prepayment, extension, call and similar options) over the expected life of the financial instrument. However, in rare cases when the expected life of the financial instrument cannot be estimated reliably, then the entity is required to use the remaining contractual term of the financial instrument.

Cash flows from the sale of collateral Held or Other credit enhancements that are integral to the contractual terms. financial assets measured as at amortised cost, contractual revenue receivables and lease receivables: ECL is presented as an allowance, i.e., as an integral part of the measurement of those assets in the balance sheet. The allowance reduces the net carrying amount. Until the asset meets write-off criteria, the company does not reduce impairment allowance from the gross carrying amount."

**n) Financial liabilities**

Initial recognition and measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at fair value through profit or loss, loans and borrowings, or payables, as appropriate. All financial liabilities are recognised initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs. The Company's financial liabilities include trade and other payables, loans and borrowings including bank overdrafts,financial guarantee contracts and derivative financial instruments.

Subsequent measurement

The measurement of financial liabilities depends on their classification, as described below:

Financial liabilities at fair value through profit or loss

Financial liabilities at fair value through profit or loss include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at fair value through profit or loss. Financial liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entered into by the company that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by Ind AS 109.Gains or losses on liabilities held for trading are recognised in the statement of profit and loss.

Loans and borrowings

This is the category most relevant to the company. After initial recognition, interest-bearing loans and borrowings are subsequently measured at amortised cost using the EIR method. Gains and losses are recognised in profit or loss when the liabilities are derecognised as well as through the EIR amortisation process.Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortisation is included as finance costs in the statement of profit and loss. This category generally applies to borrowings.

Financial guarantee contracts

Financial guarantee contracts issued by the company are those contracts that require a payment to be made to reimburse the holder for a loss it incurs because the specified debtor fails to make a payment when due in accordance with the terms of a debt instrument. Financial guarantee contracts are recognised initially as a liability at fair value, adjusted for transaction costs that are directly attributable to the issuance of the guarantee. Subsequently, the liability is measured at the higher of the amount of loss allowance determined as per impairment requirements of Ind AS 109 and the amount recognised less cumulative amortisation.

De-recognition

A financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as the de-recognition of the original liability and the recognition of a new liability. The difference in the respective carrying amounts is recognised in the statement of profit and loss.

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the standalone balance sheet if there is a currently enforceable legal right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis,to realise the assets and settle the liabilities simultaneously.

**o) Derivative financial instruments**

Initial recognition and subsequent measurement,The Company uses derivative financial instruments, such as forward currency contracts, full currency swaps and interest rate swaps contracts to hedge its foreign currency risks and interest rate risks respectively. Such derivative financial instruments are initially recognised at fair value on the date on which a derivative contract is entered into and are subsequently re-measured at fair value. Derivatives are carried as financial assets when the fair value is positive and as financial liabilities when the fair value is negative.

**p) Cash and cash equivalents**

Cash and cash equivalent in the balance sheet comprise cash at banks and on hand and short-term deposits with an original maturity of three months or less, which are subject to an insignificant risk of changes in value.For the purpose of the statement of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash and short-term deposits,as defined above, net of outstanding bank overdrafts as they are considered an integral part of the Company's cash management.

**q) Cash dividend**

The Company recognises a liability to make cash distributions to equity holders when the distribution is authorised and the distribution is no longer at the discretion of the Company. As per the corporate laws in India, a distribution is authorised when it is approved by the shareholders. A corresponding amount is recognised directly in equity.

**r) Taxes**

**Current income tax**

"Current income tax assets and liabilities are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authorities in accordance with the Income-tax Act, 1961. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that are enacted or substantively enacted, at the reporting date.

Current income tax relating to items recognised outside profit or loss is recognised outside profit or loss (either in other comprehensive income or in equity). Current tax items are recognised in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity. Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate."

**Deferred tax**

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.Deferred tax liabilities are recognised for all taxable temporary differences, except:When the deferred tax liability arises from the initial recognition of Goodwill or an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss

In respect of taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries, associates and interests in the temporary differences will not reverse in the foreseeable future Deferred tax assets are recognised for all deductible temporary differences, the carry forward of unused tax credits and any unused tax losses. Deferred tax assets are recognised to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits and unused tax losses can be utilised, except: When the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss. The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised. deferred tax assets are re-assessed at each reporting date and are recognised to the extent that it hasbecome probable that future taxable profits will allow the deferred tax asset to be recovered.Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realised or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.Deferred tax relating to items recognised outside profit or loss is recognised outside profit or loss (either in other comprehensive income or in equity). Deferred tax items are recognised in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity.

**s) Minimum Alternate Tax (MAT)**

Minimum Alternate Tax (MAT) paid as per Indian Income Tax Act, 1961 is in the nature of unused tax credit which can be carried forward and utilised when the Company will pay normal income tax during the specified period. Deferred tax assets on such tax credit is recognised to the extent that it is probable that the unused tax credit can be utilised in the specified future period. The net amount of tax recoverable from, or payable to, the taxation authority is included as part of receivables or payables in the balance sheet.

**t) Government grants**

Government grants are recognised where there is reasonable assurance that the grant will be received and all attached conditions will be complied with. When the grant relates to an expense item, it is recognised as income on a systematic basis over the periods that the related costs, for which it is intended to compensate, are expensed. When the grant relates to an asset, it is recognised as income in equal amounts over the expected useful life of the related assets.

Export Benefits:

"Duty free imports of raw materials under Advance License for imports as per the Import and Export Policy are matched with the exports made against the said licenses and the net benefit/obligation has been accounted by making suitable adjustments in raw material consumption.

The benefit accrued under the Duty Drawback, Merchandise Export Incentive Scheme and other schemes as per the Import and Export Policy in respect of exports made under the said schemes is included as 'Export Incentives' under the head 'Other operating revenue'."

**u) Earnings Per Share:**

Basic earnings per share are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the period.For the purpose of calculating diluted earnings per share, the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders and the weighted average number of shares outstanding during the period are adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares.

**v) Contingent Liability and Contingent assets**

A contingent liability is a possible obligation that arises from past events whose existence will be confirmed by the occurrence or non—occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Company or a present obligation that is not recognized because it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation. A contingent liability also arises in extremely rare cases where there is a liability that cannot be recognized because it cannot be measured reliably. The Company does not recognize a contingent liability but discloses its existence in the financial statements.A contingent assets is not recognised unless it becomes virtually certain that an inflow of economic benefits will arise.When an inflow of economic benefits is probable, contingent assets are disclosed in the financial statements.Contingent liabilities and contingent assets are reviewed at each balance sheet date.

**w) Share-Based Payments:**

Measurement and disclosure of the employee share based payment plans is done in accordance with Ind AS 102, Share-Based Payment. The Company measures compensation cost relating to employee stock options using the fair value method. Compensation expense is amortised over the vesting period of the option on a straight line basis.

**x) Errors and Omissions of earlier period:**

Errors and omissions in individual items of Income and Expenditure relating to earlier periods, exceeding `1 Lakh is accounted in the respective period, if possible, or adjusted against opening retained earnings.

**xi).**1. No funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company or any of its subsidiaries, associates and joint ventures which are companies incorporated in India to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company or any of such subsidiaries, associates and joint ventures ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

2. No funds have been received by the Company or any of its subsidiaries, associates and joint ventures which are companies incorporated in India from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company or any of such subsidiaries, associates and joint ventures shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

**Recent Accounting Pronouncements**

The Ministry of Corporate Affairs through Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2020 has notified the following new and amendments to Ind AS which the company has applied as they are effective for annual period that begins on or after April 1, 2020

**Ind AS 103: Business Combination**

Definition of term "business" has been substituted with "an integrated set of activities and assets that is capable of being conducted and managed for the purpose of providing goods or services to customers, generating investment income (such as dividends or interest) or generating other income from ordinary activities. Accordingly, providing goods or services to customers has been added. This amendment is necessary because every business involves providing goods or services to the customers. There is no impact in the financial statement of the company as this Ind AS Is not applicable.

**Ind AS 107 and Ind AS 109: Financial Instrument**

Hedge accounting is a method of accounting where entries to adjust the fair value of a security and its opposing hedge are treated as one. Hedge accounting attempts to reduce the volatility created by the repeated adjustment to a financial instrument's value, known as fair value accounting or mark to market. This reduction in volatility is done by combining the instrument and the hedge as one entry, which offsets the opposing movements. For hedging relationships to which an entity applies an entity shall disclose

(a) the significant interest rate benchmarks to which the entity's hedging relationships are exposed

(b) the extent of the risk exposure the entity manages that is directly affected by the interest rate benchmark reform

(c) how the entity is managing the process to transition to alternative benchmark rates

(d) a description of significant assumptions or judgements the entity made in applying these paragraphs (for example, assumptions or judgements about when the uncertainty arising from interest rate benchmark reform is no longer present with respect to the timing and the amount of the interest rate benchmark-based cash flows); and

(e) the nominal amount of the hedging instruments in those hedging relationships.

Following temporary exceptions have also being provided from applying specific hedge accounting requirements

a) For assessing highly probable requirement for cash flow hedges

b) Reclassifying the amount accumulated in the cash flow hedge reserve

c) Assessing the economic relationship between the hedged item and the hedging instrument d) Designating a component of an item as a hedged item. There is no impact in the financial statement of the company as this Ind AS Is not applicable.

**Ind AS 116: Leases**

Due to the COVID- 19, and thereafter the lockdown in India, many businesses have been shut or partially opened resulting into adverse impact on Revenue & Cash flow. Accordingly, the lease payment has been affected and the businesses are demanding the rent concession from their vendors. If the below mentioned conditions are fulfilled, then entity treat the Rent concession without lease modification. (a) the change in lease payments results in revised consideration for the lease that is substantially the same as, or less than, the consideration for the lease immediately preceding the change; (b) any reduction in lease payments affects only payments originally due on or before the 30th June, 2021 (for example, a rent concession would meet this condition if it results in reduced lease payments on or before the 30th June, 2021 and increased lease payments that extend beyond the 30th June, 2021); and (c) there is no substantive change to other terms and conditions of the lease. There is no impact in the financial statement of the company as this Ind AS Is not applicable.

**Ind AS 1 and 8: Presentation of Financial Statements and Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors**

A new definition of material has been introduced by this amendment, this is more refined and also most expected by the industry, some of the examples of circumstances have also been provided for more clarity.

Material: Information is material if omitting, misstating or obscuring it could reasonably be expected to influence decisions that the primary users of general purpose financial statements make on the basis of those financial statements, which provide financial information about a specific reporting entity. Materiality depends on the nature or magnitude of information, or both. An entity assesses whether information, either individually or in combination with other information, is material in the context of its financial statements taken as a whole.

Information is obscured if it is communicated in a way that would have a similar effect for primary users of financial statements to omitting or misstating that information. The following are examples of circumstances that may result in material information being obscured: –

a) information regarding a material item, transaction or other event is disclosed in the financial statements but the language used is vague or unclear

b) information regarding a material item, transaction or other event is scattered throughout the financial statements

c) dissimilar items, transactions or other events are inappropriately aggregated;

d) similar items, transactions or other events are inappropriately disaggregated; and

e) the understandability of the financial statements is reduced as a result of material information being hidden by immaterial information to the extent that a primary user is unable to determine what information is material.

Assessing whether information could reasonably be expected to influence decisions made by the primary users of a specific reporting entity`s general purpose financial statements requires an entity to consider the characteristics of those users while also considering the entity 's own circumstances.

The primary users to whom general purpose financial statements are directed. Financial statements are prepared for users who have a reasonable knowledge of business and economic activities and who review and analyses the information diligently. At times, even well-informed and diligent users may need to seek the aid of an adviser to understand information about complex economic phenomena.

The Company has duly considered the changes in definition of 'materiality' for presentation of Financial Statements and Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors.

**Ind AS 10 Events after the Reporting Period**

A paragraph 21 of the Ind AS 10 have been substituted, in the amendment any non-adjusting events that could reasonably be expected to influence decisions that the primary users of general-purpose financial statements make on the basis of those financial statements which provide financial information about a specific reporting entity have been added.

Accordingly, the following disclosure to be provided

a) the nature of the event; and

b) an estimate of its financial effect, or a statement that such an estimate cannot be made.

The company duly considered the aforesaid amendment for the preparation, disclosure and presentation of financial statements.

**Ind AS 34 Interim Financial Reporting**

Consequential amendment and accounting of restructuring plan.

**Ind AS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets**

A management or board decision to restructure taken before the end of the reporting period does not give rise to a constructive obligation at the end of the reporting period unless the entity has, before the end of the reporting period

a) started to implement the restructuring plan; or

b) announced the main features of the restructuring plan to those affected by it in a sufficiently specific manner to raise a valid expectation in them that the entity will carry out the restructuring.

This amendment is not applicable to the company.

**New Standards or Other Amendments Issued but not yet Effective:**

**Recent Indian Accounting Standards (Ind AS)**

The Central Government, in consultation with the National Financial Reporting Authority has notified the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules,2021 to further amend the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015. In this amendment, the following new and amendments brought into Indian Accounting Standards, which the Group has duly applied, wherever applicable during the year:

**Ind AS – 103: Business Combination**

The first amendment relates to recognition condition of the identifiable assets acquired, the liabilities assumed and any non-controlling interest in the acquire. To qualify for recognition as part of applying the acquisition method, the identifiable assets acquired and liabilities assumed must meet the definitions of assets and liabilities in the Frame work for the Preparation and Presentation of Financial Statements in accordance with Indian Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India at the acquisition date. The Company does not expect any impact from this amendment.

**Ind AS – 105: Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations**

The amendment provides for the change in the definition of recoverable amount – recoverable amount means the higher of an asset's fair value less costs of disposal. The Company does not expect any impact from this amendment.

**Ind AS – 107: Financial Instruments – Disclosures**

The amendment provides for additional disclosures related to interest rate benchmark reform on an entity's financial instruments and risk management strategy. The Company does not expect any impact from this amendment.

**Ind AS – 109: Financial Instruments**

The amendment provides for changes in the basis for determining the contractual cash flows as a result of interest rate benchmark reform by way of amending the contractual terms specified at the initial recognition of the financial instrument, in a way that was not considered by—or contemplated in—the contractual terms at the initial recognition of the financial instrument, without amending the contractual terms and/or because of the activation of an existing contractual term. The Company does not expect any impact from this amendment.

**Ind AS – 114: Regulatory Deferral Accounts**

This amendment provide for the change in accounting polices in respect of regulatory deferral account balances. An entity shall not change its accounting policies in order to start to recognise regulatory deferral account balances. An entity may only change its accounting policies for the recognition, measurement, impairment and derecognition of regulatory deferral account balances if the change makes the financial statements more relevant to the economic decision-making needs of users and no less reliable, or more reliable and no less relevant to those needs. An entity shall judge relevance and reliability using the criteria in paragraph 10 of Ind AS 8. The Company does not expect any impact from this amendment.

**Ind AS – 116: Leases**

The amendment provides for the change the basis for determining future lease payments as a result of interest rate benchmark reform. A lease modification is required by interest rate benchmark reform if, and only if, both of these conditions are met:(a) the modification is necessary as a direct consequence of interest rate benchmark reform; and(b) the new basis for determining the lease payments is economically equivalent to the previous basis. The Company does not expect any impact from this amendment.

**Recent Indian Accounting Standards (Ind AS)**

The Central Government, in consultation with the National Financial Reporting Authority has notified the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules,2022 to further amend the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015. In this amendment, the following new and amendments brought into Indian Accounting Standards, which the Group has not applied as they are effective from April 1, 2022:

**Ind AS – 16: Property Plant and Equipment**

The amendment provides for directly attributable cost in respect of costs of testing whether the asset is functioning properly, after deducting the net proceeds from selling any items produced while bringing the asset to that location and condition (such as samples produced when testing equipment). Excess of net sale proceeds of items produced over the cost of testing, if any, shall not be recognised in the profit or loss but deducted from the directly attributable costs considered as part of cost of an item of property, plant, and equipment. The Company does not expect any impact from this amendment.

**Ind AS – 37: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets**

This amendment provides for, in respect of onerous contract, the cost of fulfilling a contract comprises the costs that relate directly to the contract. Costs that relate directly to a contract consist of both-(a) the incremental costs of fulfilling that contract(b) an allocation of other costs that relate directly to fulfilling contracts. It also provides for, before a separate provision for an onerous contract is established, an entity recognises any impairment loss that has occurred on assets used in fulfilling the contract. The Company does not expect any impact from this amendment.

**3 - PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT**

| Sl. No. | Description | GROSS BLOCK | | | | | DEPRECIATION / AMORTISATION / IMPAIRMENT | | | | | NET BLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | As at 01.04.2021 | Additions | Deletions | Adj. | As at 31.03.2022 | Up to 01.04.2021 | Deletions | Provided during the year | Adj. | Up to 31.03.2022 | As on 31.03.2022 | As on 31.03.2021 |
| a. Property, Plant and equipment | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Land and Land Development | 11005.80 | 1978.45 | 0.00 | 0.00 | 12984.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12984.25 | 578.25 |
| 2 | Buildings | 1282.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1282.52 | 881.32 | 0.00 | 18.41 | 0.00 | 899.73 | 382.79 | 10427.55 |
| 3 | Plant and Equipment | 24923.78 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 24942.37 | 22965.77 | 0.00 | 78.28 | 0.00 | 23044.05 | 1898.32 | 401.20 |
| 4 | Furniture, Fixtures and Equipments | 114.77 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 115.13 | 102.42 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 103.27 | 11.86 | 1958.01 |
| 5 | Vehicles | 117.98 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 118.63 | 107.70 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 108.54 | 10.09 | 12.35 |
| 6 | Office Equipment | 671.13 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 683.03 | 614.52 | 0.00 | 7.79 | 0.00 | 622.31 | 60.72 | 10.28 |
| 7 | Library Books | 13.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.47 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.43 | 0.04 | 56.61 |
| | Sub-total | 38129.45 | 2009.95 | 0.00 | 0.00 | 40139.40 | 24685.16 | 0.00 | 106.17 | 0.00 | 24791.33 | 15348.07 | 13444.25 |
| 8 | Assets held for disposal | 110177.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110177.37 | 6240.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6248.03 | 103929.34 | 103936.66 |
| | Total | 148306.82 | 2009.95 | 0.00 | 0.00 | 150316.77 | 30925.87 | 0.00 | 106.17 | 0.00 | 31039.36 | 119277.41 | 117380.91 |
| b. | **Investment property Land** | 16.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.71 | 16.71 |
| b1. | **Investment property Building** | 136.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.89 | 62.70 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 64.86 | 72.03 | 74.19 |
| | **Total** | 153.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.60 | 62.70 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 64.86 | 88.74 | 90.90 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| c) Intangible assets - Computer software | | 663.40 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 676.15 | 640.87 | 0.00 | 8.02 | 0.00 | 648.89 | 27.26 | 22.53 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | **G. Total (a + b + c)** | 149123.82 | 2022.70 | 0.00 | 0.00 | 151146.52 | 31629.44 | 0.00 | 116.35 | 0.00 | 31753.11 | 119393.41 | 117494.34 |

1. During the year there is no change in the management estimates of the useful life for various class of Property, plant and equipments and Intangible assets.
2. Kochi unit of the Holding Company had given 1.03 acre of land to M/s. Sterling Gas Limited as operating lease under cancellable lease agreement. Investment properties are distinguished from owner occupied property based on area covered under lease agreement and the value of investment has been determined using pro-rata basis.
3. The holding Company own 184 residential flats at Kochi comprising of 155104 Sq. Ft. out of which 46594 Sq. ft. consisting of 55 flats has been earmarked as investment property for letting out.
4. In the books of subsidiary company, land included in asset held for disposal is revalued as per Ind AS and the original land value before Ind AS revaluation is Rs.59 Lakhs. The other assets above are only optional for Ind AS valuation method of adoption and the subsidiary Company has adopted the cost method. Factory land of 126.13 acres is located at Rudraram P.O., Kandi Mandal, Sangareddy Dist. Telangana State and land is freehold in which built up area is 6.72 acres and balance is vacant land. HOCL is secured part of land to the extent of 84.31 acres and part of the land i.e., 15.11 acres which was secured by SBI got vacated with ROC on 15.12.2020 based on the NOC given by SBI.

| **Amounts recognised in profit or loss for investment properties** | **31.03.2022** | **31.03.2021** |
|---|---|---|
| Rental income including contingent rent | 24.07 | 24.94 |
| Direct operating expenses from property that generated Rental Income | 7.20 | 8.73 |
| Direct operating expenses from property that did not generate rental income | 0.00 | 0.00 |
| Income from investment properties before depreciation | 16.87 | 16.21 |
| Depreciation | 2.16 | 2.17 |
| Income from investment properties | **14.71** | **14.04** |
| Fair value of investment property (Land) | | |
| Investment property-Sterling Gas Ltd | 111.66 | 94.52 |
| **Investment property-Township** | **371.35** | **338.29** |
| **Total** | **483.01** | **432.81** |

Estimation of fair value:

The fair value of investment property has been determined by an external independent property valuer having professional qualification.

**NOTE 3 - FIXED ASSETS**

**d) Non current assets held for sale**

| Description of the Non-Current Assets | Facts and Circumstances of the sale | Manner of disposal | Timing of disposal | N ET BLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | As on 31.03.2022 | As on 31.03.2021 |
| Land | Closure of Rasayani unit of Holding company & subsidiary company and disposal of assets. | Direct sale of 152 acres of land to BPCL and balance through NBCC. | Within 12 months | 102149.66 | 102149.66 |
| Buildings | | E-auction through MSTC | -do- | 207.19 | 207.19 |
| Plant and Equipment | | -do- | -do- | 1565.46 | 1565.46 |
| Furniture, Fixtures and Equipments | | -do- | -do- | 6.35 | 13.54 |
| Office Equipments-Computers | | Handing over to JNPT | **-do-** | **0.67** | **0.81** |
| | | | | **103929.34** | **103936.66** |

Note:

(1) The holding company is in the process of implementation of the Govt. Approved restructuring plan vide order dated May 22, 2017, the company has closed the Rasayani Unit, plant and equipment scrapped has been disposed off. Sale of unencumbered land in Rasayani through NBCC and Panvel land through e-auction are in progress. The Phenol plant at Kochi is in operation.

(2) The subsidiary company as per the letter dated 29.01.2020 from the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals, under which the Company functions, Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) in its meeting held on 22nd Jan, 2020 had approved for shutting down the operations of the plant/unit of HFL & closure of the Company.

HOCL

| Description of the Non-Current Assets | Facts and Circumstances of the sale | Manner of disposal | Timing of disposal | NET BLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | As on 31.03.2022 | As on 31.03.2021 |
| Land | Closure of Rasayani unit of Holding company and disposal of assets. | Direct sale of 152 acres of land to BPCL and balance through NBCC. | Within 12 months | 99094.83 | 99094.83 |
| Buildings | | E-auction through MSTC | -do- | 65.15 | 65.15 |
| Plant and Equipment | | -do- | -do- | 58.81 | 58.81 |
| Furniture, Fixtures and Equipments | | -do- | -do- | 0.94 | 0.95 |
| **Office Equipments-Computers** | | Handing over to JNPT | **-do-** | **0.00** | **0.00** |
| | | | Total | 99094.83 | 99094.83 |

HFL

| Description of the Non-Current Assets | Facts and Circumstances of the sale | Manner of disposal | Timing of disposal | NET BLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | As on 31.03.2022 | As on 31.03.2021 |
| Land | | | Within 12 months | 3054.83 | 3054.83 |
| Buildings | | | -do- | 142.04 | 142.04 |
| Plant and Equipment | | | -do- | 1506.65 | 1506.65 |
| Furniture, Fixtures and Equipments | | | -do- | 5.41 | 12.59 |
| **Office Equipments-Computers** | | | **-do-** | **0.67** | **0.81** |
| | | | Total | 3054.83 | 3054.83 |

| Description | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
|---|---|---|
| **Financial Assets** | | |
| **4. Investments** | | |
| Investment stated at Cost: | | |
| Investment in Unquoted Equity Shares of Kerala Enviro Infrastucture Ltd. | | |
| (50000 Unquoted Equity Shares @ Rs.10/-) | 5.00 | 5.00 |
| Less :- Provision for impairement in value of investment | 0.00 | 0.00 |
| | 5.00 | 5.00 |
| **Total Non-Current Investments** | **5.00** | **5.00** |
| **Aggregate amount of quoted investments (Market Value)** | 0.00 | 0.00 |
| Aggregate amount of quoted investments (Cost) | 0.00 | 0.00 |
| Aggregate amount of unquoted investments | 0.00 | 0.00 |
| Aggregate amount of provision for impairment | | |
| Total Non-Current Investments | 0.00 | 0.00 |

**5. Other Non-Current Assets**

| Description | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
|---|---|---|
| i) Deposits with customs, MSEB, KSEB, BSNL, Rent deposit & Registrar HC. | 497.37 | 498.12 |
| Sub-total | 497.37 | 498.12 |
| ii) Other Deposits | 0 | 0 |
| **Total** | **497.37** | **498.12** |

**6. Inventories (Valued at lower of cost and net realisable value)**

| | | |
|---|---|---|
| **a. Raw materials and components** | **1701.86** | **1293.11** |
| b. Work in progress | 1133.84 | 960.65 |
| c. Finished goods | 2265.34 | 1007.75 |
| d. Store and spares | 2932.94 | 2488.57 |
| Less; Allowances for obsolesence * | **-382.73** | **-402.50** |
| Total | **7651.25** | **5347.58** |

* In the books of holding company, Allowances for stores obsolesence are made at 50% of the Slow moving items above five years and at 100% for obsolate items.

**7. Trade Receivables**

| Financial Assets | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
|---|---|---|
| Current | | |
| Secured | 0 | 0.00 |
| Considered good - Unsecured | 864.28 | 371.61 |
| Credit impaired | 1489.46 | 1474.13 |
| Less: Allowance for doubtul trade receivable | -1489.46 | -1474.13 |
| Less: Bills Receivables discounted | **0** | **0.00** |
| **Total trade receivables** | **864.28** | **371.61** |

i) In the books of holding company, Allowance is made in the accounts for trade receivables which in the opinion of the management are considered credit impaired. The Company is consistently following the practice of creating allowance for those trade receivables which remain outstanding for more than three years or doubtful of recovery.

ii) In the books of subsidiary company balance standing to the debit/credit of parties is subject to confirmation by them and review by the Company.

iii) In the books of Subsidiary company, Debts over due includes towards case filed in High Court of Andhra Pradesh, which is pending amounting to Rs.129.16 Lakhs (Previous year Rs 129.16 lakhs)

The disclosure of movement as required under Indian Accounting Standard 37

| Allowance for doubtful Trade receivables | | |
|---|---|---|
| Provision at the beginning of the year | 1474.13 | 1465.78 |
| Provisions made during the year | 16.77 | 40.80 |
| Released during the year * | 1.44 | 32.45 |
| **Provision at the end of the year** | **1489.46** | **1474.13** |

* During the year the holding company has written off trade receivables to the tune ofRs.1.44 lakh (previous year Rs. 32.44 Lakh) for which allowance has already been created.

**Trade Receivables ageing schedule**

| Particulars | Not due | Outstanding for following periods from due date periods | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Less Than 6 Months | 6 Months - 1 Year | 1- 2 Years | 2- 3 Years | More Than 3 years | |
| **Current Year** | **2021-22** | | | | | | |
| (i) Undisputed Trade receivables-considered good | 291.20 | 431.89 | 3.11 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 732.03 |
| (ii) Undisputed Trade Receivables-which have significant increase in credit risk | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 3.09 |
| (iii) Undisputed Trade Receivables-credit impaired | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598.64 | 598.64 |
| (iv) Disputed Trade Receivables-considered good | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.16 | 129.16 |
| (v) Disputed Trade Receivables-which have significant increase in credit risk | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (vi)Disputed Trade Receivables-credit impaired | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 922.67 | 922.67 |
| **Total** | **291.20** | **431.89** | **3.11** | **5.83** | **3.09** | **1650.47** | **2385.59** |
| Less Allowances for expected credit loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1521.31 | 1521.31 |
| **Net Amount Previous Year** | **291.20** | **431.89** | **3.11** | **5.83** | **3.09** | **129.16** | **864.28** |
| **Previous Year** | **2020-21** | | | | | | |
| (i) Undisputed Trade receivables-considered good | 58.60 | 133.60 | 6.81 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 203.79 |
| (ii) Undisputed Trade Receivables-which have significant increase in credit risk | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.03 | 0.00 | 37.03 |
| (iii)Undisputed Trade Receivables-credit impaired | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583.10 | 583.10 |
| (v) Disputed Trade Receivables-considered good | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.26 | 130.79 |
| (v) Disputed Trade Receivables-which have significant increase in credit risk. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (vi) Disputed Trade Receivables-credit impaired | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1184.50 | 1184.50 |
| **Total** | **58.60** | **135.13** | **6.81** | **4.78** | **37.03** | **1896.86** | **2139.21** |
| Less: Allowances for expected credit loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1767.60 | 1767.60 |
| **Net Amount** | **58.60** | **135.13** | **6.81** | **4.78** | **37.03** | **129.26** | **371.61** |

| 8a. Cash and cash equivalents | | |
|---|---|---|
| Balances with banks (of the nature of cash and cash equivalents): | | |
| Current accounts | 233.15 | 107.39 |
| Saving Account * | 310.19 | 171 |
| Deposits with original maturity of less than three months | 1624.5 | 3025.28 |
| Cash on Hand | 1.48 | 0.92 |
| **Total** | **2169.32** | **3304.59** |

* Balance in Saving account of the Holding company is earmarked for the rental dues of Harchandrai House as per the direction of Small Causes Court, Mumbai.

| Description | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
|---|---|---|
| **8b. Other Bank Balance** | | Rs. in Lakh |
| Fixed Deposit against LC/BG | 5595.43 | 5029.59 |
| Fixed deposit for maturity of more than three months but less than 12 month | 5980.62 | 6506.29 |
| **Total** | **11576.05** | **11535.88** |

| 9. Loans (Current asset) | | |
|---|---|---|
| (A) Loans to employees | | |
| a. Unsecured, Considered good | 21.01 | 30.88 |
| | 21.01 | 30.88 |
| (B) Advance to Suppliers | | |
| Doubtful | 65.00 | 65.00 |
| Less: Allowance for doubtul doubtful advance | 65.00 | 65.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| Total loans | **21.01** | **30.88** |

Loans and receivables are non-derivative financial assets which generate a fixed or variable interest income for the Holding Company.

| 10. Interest and other receivables | | |
|---|---|---|
| **(A) Interest receivable** | | |
| a. Unsecured, Considered good | | |
| Accrued Interest on Deposits | 395.52 | 502.74 |
| Accrued interest on Advance | 106.08 | 106.08 |
| Less: Provision for Doubtful Receipt | 106.08 | 106.08 |
| | **0.00** | **0.00** |
| Accrued Income from Township | 5.53 | 5.53 |
| Less : Allowances | 5.53 | 5.53 |
| | **0.00** | **0.00** |
| **Total** | 0.00 | 0.00 |
| **B) Miscellaneous advance recoverable** | | |
| a. Unsecured, Considered good | | |
| b. Doubtful | **0.00** | **0.00** |
| Less: Allowance for doubtful other financial assets | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| **Total** | **395.52** | **502.74** |

Subsidiary Company Hindustan Fluorocarbons Ltd has created mortgage in favour of the Holding Company on 84.31 acre of land at Rudraram Vill, Medak Dist., Telengana state towards zero coupon loan of Rs.2744.07 lakhs, interest bearing loan of Rs.453.01 lakhs and interest accrued thereon amounting to Rs.1017.79 lakhs are outstanding.

The Subsidiary company has outstanding Govt. plan loan of Rs.360 lakhs. availed for manufacture of MPTFE and Rs.1320 lakhs. availed for refurbishment of the Plant @11.5% p.a. and both the loans repayable in 5 annual installments commencing from F.Y. 2015-16. The Company had repaid Rs.1.00 Crore with interest of Rs.24.92 lakh during the month of March, 2017 and accordingly principal and interest outstandings were adjusted. The instalment due for F.Y. 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 and 2019-20 amounting to Rs.1,580.00 lakh shown in Note-17a under the head 'current borowings'. The company had received Letter No. P.51015/06/2019-CH III(Vol.II) dated 29.01.2020 on closure of the subsidiary company in which interest on Rs. 1580 Lakhs will be freezed up to 31.03.2019. Hence interest has not been charged for the year 2021-22.

| Description | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
|---|---|---|
| **11. Deposits, advances and other receivables Rs. in Lakh** | | |
| (i) Deposits with the Collectorate of Central Excise and Customs | 7.37 | 7.53 |
| Less : Allowances | 2.90 | 2.90 |
| Sub-total | 4.47 | 4.63 |
| (ii) Statutory receivables - Duties & Taxes | 877.51 | 1477.10 |
| Less :- Allowances | 4.29 | 4.29 |
| Sub-total | 873.22 | 1472.81 |
| **(iii) Advances to suppliers** | | |
| - Considered good | 277.26 | 217.12 |
| Less: Allowances for doubtful | 4.31 | 1.44 |
| Sub-total | 272.95 | 215.68 |
| (iv) Deposits - Gratuity, EMD , Rent etc. | 3554.32 | 3002.68 |
| (v) Prepaid Expenses | 171.95 | 205.03 |
| (vi) Other Advances Recoverable | 34.20 | 27.61 |
| (vii) Accrued income on Employee Advances | 8.15 | 24.88 |
| (viii) Recoverable form Employees | 60.41 | 60.41 |
| Sub-total | 274.71 | 317.93 |
| Less:Allowances | 60.41 | 60.41 |
| | 214.30 | 257.52 |
| Total | 4919.26 | 4953.32 |

In the books of holding company gratuity deposit of Rs.1490.61 (previous year Rs.625.98 lakh) Lakh in LIC/ICICI Bank towards Employees Group Gratuity Fund Trust created against Gratuity liability.

12. Share Capital

| Description | As at 31.03.2022 | | As at 31.03.2021 | |
|---|---|---|---|---|
| | Nos. | Rs. | Nos. | Rs. |
| **Authorised Share Capital** | | | | |
| Equity Shares of Rs. 10 each | | | | |
| Opening Balance | 100000000 | 10000.00 | 100000000 | 10000.00 |
| Increase/(decrease) during the year | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Closing balance | 100000000 | 10000.00 | 100000000 | 10000.00 |
| Preference Shares of Rs. 10 each | | | | |
| Opening Balance | 270000000 | 27000.00 | 270000000 | 27000.00 |
| Increase/(decrease) during the year | - | 0.00 | - | 0.00 |
| Closing balance | 270000000 | 27000.00 | 270000000 | 27000.00 |
| Total authorised capital | 370000000 | 37000.00 | 370000000 | 37000.00 |
| | | | | |
| Issued equity capital | | | | |
| Equity shares of Rs. 10 each issued, subscribed and fully paid | | | | |
| Opening balance | 67173100 | 6717.31 | 67173100 | 6717.31 |
| Add: Paid-up amount on shares forfeited | 0 | 9.65 | 0 | 9.65 |
| Increase/(decrease) during the year | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total - Equity share capital | 67173100 | 6726.96 | 67173100 | 6726.96 |

Terms/ rights attached to equity shares

The Company has only one class of equity shares having a par value of Rs.10 per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share. In the event of liquidation of the Company, the holders of equity shares will be entitled to receive remaining assets of the Company, after distribution of all preferential amounts. The distribution will be in proportion to the number of equity shares held by the shareholders.

Details of shareholders holding more than 5% shares in the company and Shareholding of Promoters

| Name of the shareholder | As at 1.03.2022 | | As at 31.03.2021 | | % change during the year |
|---|---|---|---|---|---|
| | No. of shares | % Holding | No. of shares | % Holding | |
| Equity shares of INR 10 each fully paid: The Government of India (Promoter) | 39,481,500 | 58.78% | 39,481,500 | 58.78% | Nil |
| During the year 2010-11, the Company forfeited 193000 shares of Rs.10 each (Rs.5 paid up) for non payment of allotment and call monies and the amount paid towards application money in respect of these forfeited shares has been transferred to "Share's Forfeiture Account". | | | | | |

Promoters Shareholding at the end of the Year (Subsidiary Company)

| Name of the shareholder | As at 31.03.2022 | | As at 31.03.2021 | | % change during the year |
|---|---|---|---|---|---|
| | No. of shares | % Holding | No. of shares | % Holding | |
| Hindustan Organic Chemicals Ltd | 11,060,000 | 58.78% | 39,481,500 | 58.78% | Nil |
| Andhra Pradesh Industrial Development Corporation | 870,000 | 4.44% | 870,000 | 4.44% | Nil |
| Equity shares of INR 10 each fully paid | | 60.87% | | 60.87% | |

**13. Other equity**

| Description | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
|---|---|---|
| a) Securities Premium Reserve | | |
| Opening balance | 4,838.57 | 4,838.57 |
| Increase/(decrease) during the year | - | - |
| Closing balance | 4,838.57 | 4,838.57 |
| b) Retained Earnings | | |
| **Opening balance** | **(103,480.99)** | **(103,744.00)** |
| Changes in accounting policy or prior period errors | 59.77 | 9.85 |
| Restated balance at the beginning of the period | (103,421.22) | (103,734.15) |
| Add: Profit for the year | (4,777.65) | 253.89 |
| Add: Fair value of land sold | - | 59.04 |
| **Closing balance** | **(108,198.87)** | **(103,421.22)** |
| c) Other comprehensive income | | |
| i) Revaluation of Property, plant & Equipments | | |
| Opening balance | 95,296.80 | 94,143.82 |
| Add: Revaluation during the year | 1,978.42 | 1,631.02 |
| Less : Cost of sale of revalued assets | - | - |
| Less: Reserve transferred to Retained Earning | - | (59.04) |
| Add : Reversal of Deferred Tax liability on account of sale | - | 12.00 |
| Add/Less : Deferred Tax liability on account of revaluation during the year | (576.00) | (431.00) |
| Closing balance | 96,699.22 | 95,296.80 |
| ii) Changes in Employees defined benefits plan | | |
| Opening balance | (287.63) | (228.89) |
| Add/Less: Revaluation during the year | (2.35) | (58.74) |
| Less:Re-measurement of defined benefit plan | 40.99 | - |
| Less: Deferred Tax liability on account of revaluation during the year | - | - |
| | (248.99) | (287.63) |
| iii) Equity Instrument through Other Comprehensive Income | | |
| Opening balance | - | - |
| Add: | - | - |
| Less: Remeasurement of defined benefit plan | - | - |
| Closing balance | - | - |
| Grand Total | 96,450.23 | 95,009.17 |
| Total Other Equity | (6,910.07) | (3,573.48) |

Securities Premium Reserve - Where the Holding Company issued shares at a premium, whether for cash or otherwise, a sum equal to the aggregate amount of the premium received on those shares shall be transferred to "Securities Premium Reserve". The Company may issue fully paid-up bonus shares to its members out of the securities premium reserve and the Company can use this reserve for buy-back of shares.

**14. Borrowings (Non-Current Liability)**

| Description | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
|---|---|---|
| Loans from Government of India | 0.00 | 7695.09 |
| Total | 0.00 | 7695.09 |

**15. Provisions (Long term liability)** **Rs. in Lakh**

| Description | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
|---|---|---|
| Opening | | |
| For Employee's Benefits - Leave encashment | 1104.09 | 1039.16 |
| For Employee's Benefits -Gratuity | 2200.93 | 2183.22 |
| Diff. in Fixed Assets | 20.52 | 3.73 |
| Provision for rent | 9.15 | 5.11 |
| Sub-total | 3334.69 | 3231.22 |
| Arising during the year | | |
| For Employee's Benefits - Leave encashment | 0.00 | 64.93 |
| For Employee's Benefits -Gratuity | 0.00 | 17.71 |
| Diff. in Fixed Assets | 2.61 | 16.79 |
| Provision for rent | 173.83 | 4.04 |
| Sub-total | 176.44 | 103.47 |
| Utilised | | |
| For Employee's Benefits - Leave encashment | 200.68 | 0.00 |
| For Employee's Benefits -Gratuity | 329.89 | 0.00 |
| Diff. in Fixed Assets | 0.00 | 0.00 |
| Provision for rent | 0.00 | 0.00 |
| Sub-total | 530.57 | 0.00 |
| Closing | | |
| For Employee's Benefits - Leave encashment | 903.42 | 1104.09 |
| For Employee's Benefits -Gratuity | 1871.04 | 2200.93 |
| Diff. in Fixed Assets | 23.13 | 20.52 |
| Provision for rent | 182.98 | 9.15 |
| Total | 2980.57 | 3334.69 |

**16. Deferred Tax liabilities**

| Description | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
|---|---|---|
| Fair Value of Land | 16417.52 | 15841.52 |
| Fair Value of Investment | **(15.00)** | **0.00** |
| Net Deferred tax liability [Note No.41] | **16402.52** | **15841.52** |

The deferred tax asset has not been recognised as there is no vertual certainity about the future adequate taxable profitability of the company. Also refer Note No.41.

**17. Dues to preference share holder**

| Description | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
|---|---|---|
| Opening Balance | **27000.00** | **27000.00** |
| Increase/(decrease) during the year | **0.00** | **0.00** |
| Closing balance | **27000.00** | **27000.00** |

Note

1. The preference shareholders have no voting rights.

2. The Government of India had released earlier in the year 2006-07 Rs.27000 lakhs (for financial restructuring Rs. 25000 lakhs and Caustic Soda Plant recommissioning Rs. 2000 lakhs) against allotment of 8% Non-Cumulative Redeemable Preference Shares, thereby broadening the capital base as per the revival scheme of the holding company. The 8% Preference Shares were allotted to Government of India by the Board on 28th January, 2008, redeemable @ 20% commencing from 4th year with last redemption in the 8th year (ie.2015-16). At the request of the Company, Government of India had extended the commencement of redemption from financial year 2011-12 to financial year 2015-16 @ 25% each year, subject to payment of interest @ 1.5 % pa, on the total amount of Rs.27000 lakhs and an amount of Rs.405 lakhs has been provided in the books of accounts during the year. Further interest @1% is payable for default in repayment and accordingly interest amount of Rs.270 lakhs has been provided during the year.

**17a. current Borrowings**

| Description | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
|---|---|---|
| Loans repayable On Demand | | |
| Interest free loan from Govt. of India * | **7587.00** | **7370.00** |
| Govt of India Plan Loan | **1580.00** | **1580.00** |
| Total current Borrowings | 9167.00 | 8950.00 |
| Aggregate Secured loans | 0.00 | 0.00 |
| Aggregate Unsecured loans | 9167.00 | 8950.00 |

Note:

* GOI has disbursed loan of Rs. 7370 lakh on 22.05.2020 and Rs.217 lakh on 15.03.2022 as interest free loan to the subsidiary company for settling the dues of employees, creditors and closure of loans as per decision of CCEA

**18. Trade payables**

| Description | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
|---|---|---|
| Current - Trade Payable | | |
| i) Outstanding dues of micro and small enterprises | 55.50 | 25.62 |
| ii) Outstanding dues of other than micro and small enterprises | 4144.71 | 1679.30 |
| Total | 4200.21 | 1704.92 |
| Amount due to Micro, Small and Medium enterprises: | | |
| Particulars | | |
| a) i) Principal amount remaining unpaid as at the end of each accounting year | 55.50 | 25.62 |
| ii) Interest due thereon | - | - |
| iii) Interest due and payable for the period of delay in payment | - | - |
| iv) Interest accrued and remaining unpaid | - | - |
| v) Interest due and payable even in suceeding years | - | - |
| v) Interest due and payable even in suceeding years | 0.00 | 0.00 |

b) Dues to Micro, Small and medium enterprises have been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information collected by the Management. All the dues to them are paid within due date and there is no overdue amount as on the closing date.

Trade payable ageing schedule

| Particulars | Not due | Outstanding for following periods from due date periods | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Less than 1 year | 1 -2 years | 2 -3 years | More Than 3 years | |
| **Current Year** | **2021-22** | | | | | |
| i) MSME | 55.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.50 |
| ii) Others | 3996.68 | 4.74 | 2.40 | 26.55 | 109.34 | 4139.71 |
| iii) Disputed dues - MSME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| iv) Disputed dues : Others | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| | | | | | | |
| | 4052.18 | 4.74 | 2.40 | 26.55 | 114.34 | 4200.21 |
| **Previous year** | **2020 -21** | | | | | |
| i) MSME | 21.03 | 0.28 | 0.01 | 0.47 | 2.72 | 24.51 |
| ii) Others | 1503.57 | 11.74 | 39.48 | 1.54 | 119.08 | 1675.41 |
| iii) Disputed dues - MSME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| iv) Disputed dues : Others | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| | | | | | | |
| | 1524.60 | 12.02 | 39.49 | 2.01 | 126.80 | 1704.92 |

19. Other Current financial liabilities

Rs. in Lakh

| Description | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
|---|---|---|
| Current maturities of Long term debt: | | |
| Current maturities of Govt loan | 7695.09 | 8187.29 |
| Interest accrued and due on borrowings | 787.54 | 787.54 |
| Other payables | 49.05 | 49.07 |
| | 8531.68 | 9023.90 |
| Total Borrowings | **8531.68** | **16718.99** |
| Less: Amount clubbed under "other current financial liabilities | 8531.68 | 9023.90 |
| Other payables | | |
| Non-current Borrowings (Net) | 0.00 | 7695.09 |
| Aggregate Secured loans | 0.00 | 0.00 |
| Aggregate Unsecured loans | **8531.68** | **16718.99** |

Note:

i) There is a continuing default in repayment of loan from Government of India since the year 2009-10 and the overdue amount towards principal is Rs.37561.37 Lakh (previous year Rs.30778.08 Lakh) and for interest accrued is Rs.32168.06 Lakh (previous year Rs.26972.25 Lakh), these amounts are shown under 'Other Current Liabilities'. Rs.7695.09 Lakh (previous year Rs.8187.29 Lakh) maturing in next 12 months is shown under Other Current financial Liabilities as 'current maturity of long-term borrowings'. The Company has during the year repaid loan overdue Principal amounts of Rs.1404.00 Lakh (previous year Rs.1556.00 Lakh).

**19 a. Details of loan from Govt. of India as on 31.03.22**

| Sl. No. | Govt. Sanction No. | Purpose | Date of Sanction Date | Date of drawal | Rate of Interest | No. of installments | Loan Amt. as on 31.03.2022 | Instalments due upto 31.03.2022 | Total Interest upto 31.03.2022 | Interest overdue upto 31.03.2022 | Current maturity of loan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Note No.24 (i) | | Note No.24 (v) | Note No.21 |
| 1 | 51/11/2009-Ch.III | For various projects in Kochi unit. | 01.12.2009 | 15.12.2009 | 11.50% | 5 | 660.00 | 660.00 | 933.05 | 910.80 | |
| 2 | 51/11/2009-Ch.III | -do- | 20.01.2010 | 22/01/2010 | 11.50% | 5 | 843.00 | 843.00 | 1181.67 | 1163.34 | |
| 3 | P.51012/01/2012-32 | For various projects | 12.09.2012 | 18/09/2012 | 11.50% | 5 | 1760.00 | 1760.00 | 1929.73 | 1821.60 | |
| 4 | P.51012/4/2013-32-Ch.III | For payment of interest on HOCL Bonds series XX with GoI guarantee. | 07.09.2015 | 10/09/2015 | 11.50% | 5 | 1057.00 | 1057.00 | 796.93 | 729.33 | |
| 5 | P.51012/4/2013-32-Ch.III | For payment of interest on HOCL Bonds series XX & XXI with GoI guarantee. | 22.09.2016 | 27/09/2016 | 11.00% | 5 | 2461.00 | 2461.00 | 1491.50 | 1353.55 | 0.00 |
| 6 | P.51012/4/2013-32-Ch.III | For payment of interest on HOCL Bonds series XX with GoI guarantee. | 02.08.2017 | 07/08/2017 | 11.00% | 5 | 1057.00 | 845.60 | 540.58 | 465.08 | 211.40 |
| 7 | P.51012/4/2013-32-Ch.III | For repayment of principal HOCL Bonds series XX with GoI guarantee. | 11.08.2017 | 14/08/2017 | 11.00% | 5 | 10000.00 | 8000.00 | 5093.15 | 4400.00 | 2000.00 |
| 8 | P.51012/4/2013-32-Ch.III | For repayment of principal and interest on HOCL Bonds series XXI with GoI guarantee. | 12.09.2017 | 19/09/2017 | 11.00% | 5 | 16392.46 | 13113.97 | 8171.08 | 7212.68 | 3278.49 |
| 9 | P.51012/4/2013-32-Ch.III | For payment of statutory dues related to employees and other. | 28.09.2017 | 29/09/2017 | 11.00% | 5 | 11026.00 | 8820.80 | 5462.85 | 4851.45 | 2205.20 |
| | Interest outstanding on secured loan from Govt. of India (Secured by Fixed assets). The principal of loan have been fully paid. | | | | | | | | 3329.41 | 3329.41 | |
| | Interest outstanding on unsecured loan from Govt. of India. The principal of loan have been fully paid. | | | | | | | | 5930.82 | 5930.82 | |
| | Total | | | | | | 45256.46 | 37561.37 | 34860.77 | 32168.06 | 7695.09 |

Note: The loan amount of Rs.45256.46 lakhs are unsecured loans (Previous year total loan amount was Rs.46660.46 Lakhs)

II. Subsidiary Company

1 GOI has disbursed loan of Rs.7370 Lakhs on 22-May-2020 for settling the dues of Employees, Creditors and closure of Loans and disbursed Rs.217 lakhs on 15.03.2022 as per decision of CCEA.

2 The company had outstanding plan loan of Rs.360 Lakhs availed for manufacture of MPTFE and Rs. 1320 Lakhs availed for refurbishment of the Plant @11.5% p.a. and both the loans repayable in 5 annual installments commencing from F.Y. 2015-16. The Company had repaid Rs.1.00 Crore with interest of Rs.24.92 lac during the month of March, 2017 and accordingly principal and interest outstandings were adjusted. The instalment due for F.Y. 2015-16,2016-17, 2017-18, 2018-19 and 2019-20 amounting to Rs. 1,580.00 lacs shown in Note-17a. Company had received letter no.P.51015/06/2019-Ch.III(Vol.II) dated 29.01.2020 on closure of HFL in which interest on Rs.15.80 crore will be freezed upto 31.03.2019. Hence interest has not been charged for the year 2021-22.

**20. Short Term Provisions**

| Description | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
|---|---|---|
| Opening | | |
| i) for Employee Benefits (Leave encash.) | 316.15 | 370.65 |
| ii) for Employee Benefits (Gratuity) | 77.31 | 79.14 |
| iii) for Employee remuneration | 20.81 | 20.81 |
| iv) for Statutory Claims | 6.08 | 60.10 |
| v) for Interest to others-PS | 4860.00 | 4185.00 |
| vi) for Penal Interest | 850.00 | 1032.06 |
| **Sub-total** | **6130.35** | **5747.76** |
| Arising during the year | | |
| i) for Employee Benefits (Leave encash.) | 77.39 | 201.92 |
| ii) for Employee Benefits (Gratuity) | 41.19 | 77.31 |
| iii) for Employee remuneration | 0.00 | 0.00 |
| iv) for Statutory Claims | 14.60 | 0.00 |
| v) for Interest to others-PS | 675.00 | 675.00 |
| vi) for Penal Interest | 0.00 | 0.00 |
| **Sub-total** | **808.18** | **954.23** |
| Utilised | | |
| i) for Employee Benefits (Leave encash.) | 79.09 | 256.43 |
| ii) for Employee Benefits (Gratuity) | 52.66 | 79.14 |
| iii) for Employee remuneration | 0.00 | 0.00 |
| iv) for Statutory Claims | 6.08 | 54.02 |
| v) for Interest to others-PS | 0.00 | 0.00 |
| vi) for Penal Interest | 0.00 | 182.06 |
| **Sub-total** | **137.83** | **571.64** |
| Closing | | |
| i) for Employee Benefits (Leave encash.) | 314.45 | 316.15 |
| ii) for Employee Benefits (Gratuity) | 65.83 | 77.31 |
| iii) for Employee remuneration | 20.81 | 20.81 |
| iv) for Statutory Claims | 14.60 | 6.08 |
| v) for Interest to others-PS | 5535.00 | 4860.00 |
| vi) for Penal Interest | 850.00 | 850.00 |
| **Total** | **6800.69** | **6130.35** |

**21. Other current liabilities**

| Description | Year ended 31.03.2022 | Year ended 31.03.2021 |
|---|---|---|
| i) Loan overdue- Loan from Government of India | 37561.37 | 30778.08 |
| ii) Advances from customers | 412.81 | 415.11 |
| iii) Deposits from Vendors / Customers | 209.09 | 199.36 |
| iv) Interest accrued but not due (on GoI Loan) | 2692.72 | 2790.87 |
| v) Interest accrued and due (on GoI Loan) | 32168.06 | 26972.18 |
| vi) Statutory Liabilities | 232.92 | 544.19 |
| vii) Employee related liabilities | 130.79 | 125.54 |
| viii) Payroll Recoveries Payable | 20.59 | 37.25 |
| ix) Other Liabilities | 1630.54 | 1647.81 |
| **Others - total** | **75058.89** | **63510.39** |

**22. Revenue from operations - Sale of products (Manufactured)**

| Description | Year ended 31.03.2022 | Year ended 31.03.2021 |
|---|---|---|
| Revenue disaggregation by class of products | | |
| Phenol | 29931.04 | 21037.77 |
| Acetone | 9341.88 | 17577.08 |
| Hydrogen Peroxide | 2542.01 | 822.53 |
| H. E. of Cumene | 867.79 | 1150.69 |
| Cumox Oil | 684.67 | 569.73 |
| **Sale value of Products : Total** | **43367.39** | **41157.80** |

**23. Other income**

| Description | Year ended 31.03.2022 | Year ended 31.03.2021 |
|---|---|---|
| Direct income | | |
| Sale of Scrap | 2.85 | 36.88 |
| Sub-total | 2.85 | 36.88 |
| Interest income on | | |
| On Call and Term Deposits (Gross) | 789.01 | 817.73 |
| On Advances and Deposits with MIDC,MSEB and others | 112.51 | 21.39 |
| Delayed payment & Finance charges from Trade Receivables | 0.78 | 41.66 |
| **Sub-total** | **902.30** | **880.78** |
| Other non-operating income | | |
| Estate Rent | 78.58 | 53.16 |
| Transport, Water, Electricity,etc. recoveries | 7.46 | 2.83 |
| Sale of Tender Forms | 0.00 | 0.11 |
| Exchange rate Diff - Gain | 0.00 | 0.00 |
| Miscellaneous Income | 225.79 | 221.62 |
| Excess provision written back | 2143.56 | 936.23 |
| Profit on Sale of Assets | 0.00 | 15.96 |
| Sub-total | 2455.39 | 1229.91 |
| Total | 3360.54 | 2147.57 |
| Reversal of Excess Provision w/ back include the following: | | |
| 1. Excess provision written back-GAIL LNG | | 790.96 |
| 2. Reversal of excess provision for DPC of EPS (Rasayani) | | 91.02 |
| 3. Reversal of excess provision for doubtful debts | 1.43 | 1.11 |
| 4. Provision no longer required in various cases | | 53.14 |
| 5. Excess Provision written back HFL | 2122.35 | |
| 6. Excess Provision written back-Stores & Spares | 19.78 | |
| **Total** | **2143.56** | **936.23** |

In the books of holding company

1. Miscellaneous income relating to 2020-21 Rs.33.72 lakhs has been incorrectly accounted due to error as such the comparative amount for the year 2020-21 is restated as per Ind As 8 .

   (a) Nature of the prior perid error : Miscellaneous Income

   (b) Amount of correction : Rs.33.72 lakhs

   '(c) Financial line item affected: Note No.23 (Miscellaneous Income)

2. Miscellaneous income relating to 2019.20 Rs.5.04 lakhs has been incorrectly accounted due to error as such the comparative amount has been restated in the opening retained earnings as on 01.04.2021.

   (a) Nature of the prior perid error : Miscellaneous Income

   (b) Amount of correction : Rs.5.04 lakhs

   '(c) Financial line item affected: Note No.23 (Miscellaneous Income)

**24. Cost of raw material and components consumed**

| Description | Year ended 31.03.2022 | Year ended 31.03.2021 |
|---|---|---|
| Inventory at the beginning of the year | 1293.11 | 582.73 |
| Add: Purchases | 28298.17 | 20986.06 |
| Less: inventory at the end of the year | 1702.82 | 1293.11 |
| Cost of raw material and components consumed | 27,888.46 | 20,275.68 |

**25. Changes in Inventories of Finished Goods and WIP**

**(Increase)/decrease in inventory**

**Inventories at the beginning of the year**

| Description | Year ended 31.03.2022 | Year ended 31.03.2021 |
|---|---|---|
| (i) Stock-in-Process | 960.65 | 913.28 |
| (ii) Stock for Captive consumption | 87.91 | 138.14 |
| (iii) Main Products | 900.63 | 964.63 |
| (iv) By Products | 19.21 | 97.13 |
| | 1968.40 | 2113.18 |
| Inventories at the end of the year | | |
| (i) Stock-in-Process | 1133.84 | 960.65 |
| (ii) Stock for Captive consumption | 571.60 | 87.91 |
| (iii) Main Products | 1659.54 | 900.63 |
| (iv) By Products | 34.20 | 19.21 |
| | 3399.18 | 1968.40 |
| Changes in Inventories of finished goods and work in progress | -1430.78 | 144.78 |

**26. Employee benefits expense**

| Description | Year ended 31.03.2022 | Year ended 31.03.2021 |
|---|---|---|
| a) Salaries and wages | 3488.50 | 3732.48 |
| b) Company's Contribution to Provident Fund | 349.29 | 371.26 |
| c) Gratuity | 167.67 | 201.43 |
| e) Provision for Leave Encashment | 279.77 | 266.09 |
| f) Staff welfare expenses | 5.51 | 16.94 |
| Medical amenities | 121.03 | 86.48 |
| Canteen and Nutrition amenities | 262.63 | 258.94 |
| Other welfare expenses | 33.13 | 49.72 |
| g) Termination benefits | 6.43 | 1805.07 |
| | 4713.96 | 6788.41 |
| Voluntary retirement benefits (VRS & VSS) | 45.51 | 0.00 |
| **Total** | **4759.47** | **6788.41** |

**27. Finance costs**

| Description | Year ended 31.03.2022 | Year ended 31.03.2021 |
|---|---|---|
| Interest: | | |
| On Fixed Loans (Govt. Loan) | 5097.70 | 5308.54 |
| On Other Loans | 9.02 | 0.00 |
| Interest - Others | 10.12 | 40.36 |
| | 5116.84 | 5348.90 |
| Other Borrowing Cost-Bank charges | 26.34 | 12.96 |
| **Total finance costs** | **5143.18** | **5361.86** |

**28. Depreciation and amortization expense**

| Description | Year ended 31.03.2022 | Year ended 31.03.2021 |
|---|---|---|
| Depreciation of tangible assets | 108.34 | 115.56 |
| Amortization of intangible assets | 8.03 | 174.67 |
| Total | 116.37 | 290.23 |

**29. Other expenses**

| Description | Year ended 31.03.2022 | Year ended 31.03.2021 |
|---|---|---|
| **Consumption of Stores and Spares** | | |
| i) Catalyst and Chemicals | 340.70 | 367.49 |
| ii) Consumable stores | 359.66 | 275.02 |
| iii) Packing materials | 484.16 | 360.34 |
| | 1184.52 | 1002.85 |
| **Utilities** | | |
| Power | 1692.82 | 1869.53 |
| Fuel | 5989.18 | 5162.90 |
| Water | 219.29 | 214.52 |
| | 7901.29 | 7246.95 |
| **Repairs & Maintenance:** | | |
| Building | 140.78 | 109.19 |
| Plant and Machinery | 383.89 | 196.18 |
| Other Assets | 134.69 | 163.41 |
| | 659.36 | 468.78 |
| **Administration Expenses:** | | |
| Rent | 78.14 | 23.75 |
| Insurance | 219.46 | 281.62 |
| Rates and taxes | 467.64 | 383.56 |
| Consultancy / Professional charges | 104.06 | 72.00 |
| Payment to Auditors: As Auditors | | |
| For Statutory audit | 6.45 | 7.25 |
| For Other audits | 1.60 | 1.40 |
| For Reimb. of Expenses | 0.76 | 0.85 |
| Other expenses: | | |
| Power for Township | 16.80 | 16.87 |
| Water for Township | 21.87 | 18.26 |
| Security Expenses | 289.30 | 257.25 |
| Advertisement Expenses | 6.38 | 5.21 |
| Hire of Vehicles Expenses | 24.48 | 23.82 |
| Loss on Sale of Assets/Disposal | 0.00 | 4.09 |
| Miscellaneous Expenses | 309.53 | 257.16 |
| Corporate Social Responsibility | 0.00 | 0.00 |
| | 1546.47 | 1353.09 |
| **Selling and distribution expenses:** | | |
| Cash Discount | 753.18 | 786.44 |
| Other selling expenes | 0.00 | 0.06 |
| | 753.18 | 786.50 |
| **Provisions:** | | |
| Provision for Doubtful Debts | 16.77 | 40.80 |
| Provision for statutory claims | 0.00 | 44.04 |
| Provision for Penal interest | 675.00 | 675.00 |
| Provision for Unidentified assets | 2.61 | 16.79 |
| Provision for Doubtful receipts | 180.70 | 4.78 |
| Legal liability provision | 269.00 | 0.00 |
| | 875.08 | 781.41 |
| **Total** | 12919.90 | 11639.58 |

Notes:

In the books of holding company

1. An amount of Rs.22.64 lakhs excess provided towards Rates & Taxes during the year 2020-21 due to error as such the comparative amount for the year 2020-21 is restated as per Ind As 8
   (a) Nature of the prior perid error : Rates & Taxes
   (b) Amount of correction : Rs.22.64 lakhs
   (c) Financial line item affected: Note No.29 (Rates & Taxes)
2. An amount of Rs.21.14 lakhs excess provided towards Rates & Taxes during the year 2019-20 due to error as such the comparative amount for the year 2019-20 is restated in the opening retained rearnings as per Ind As 8
   (a) Nature of the prior perid error : Rates & Taxes
   (b) Amount of correction : Rs.21.14 lakhs
   (c) Financial line item affected: Note No.29 (Rates & Taxes)
3. An amount of Rs.0.06 lakhs excess provided towards Hire charges during the year 2019-20 due to error as such the comparative amount for the year 2019-20 is restated in the opening retained earnings as per Ind As 8.
   (a) Nature of the prior perid error : Hire charges
   (b) Amount of correction : Rs.0.06 lakhs
   (c) Financial line item affected: Note No.29 (Hire charges)
4. An amount of Rs.6.44 lakhs short provided towards Miscellaneous Expense during the year 2020-21 due to error as such the comparative amount for the year 2020-21 is restated as per Ind As 8.
   (a) Nature of the prior perid error : Miscellaneous Expense
   (b) Amount of correction : Rs.6.44 lakhs
   (c) Financial line item affected: Note No.29 (Miscellaneous Expense)
5. An amount of Rs.3.73 lakhs short provided towards Hire charges during the year 2019-20 due to error as such the comparative amount for the year 2019-20 is restated in the opening retained earnings as per Ind As 8.
   (a) Nature of the prior perid error : Miscellaneous Expense
   (b) Amount of correction : Rs.3.73 lakhs
   (c) Financial line item affected: Note No.29 (Miscellaneous Expense)

**30 EMPLOYEES BENEFIT PLAN:**

**A Provision for leave encashment**

The Holding Company has made a provision of Rs.1217.87 Lakh (previous year Rs.1420.24 lakh) for leave encashment as on 31st March, 2022, as per the Ind AS-19 based on Actuarial Valuation and the unpaid amount of leave encashment claims submitted by the employees.

**B. Provident fund**

Holding Comapny: Employees receive benefits from the provident fund managed by the Company upto 30th June 2018. From 1st July 2018 onwards the Company has transferred the Provident fund accounts of all employees to Employees Provident Fund Organisation (EPFO) and managed by EPFO. The employee and employer each make monthly contributions to the Provident Fund/Pension Fund plan equal to 12% of the employees' salary/wages.

Subsidiary Company: Provident Fund is exempted under section 17 of Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act,1952. Conditions for grant of exemption stipulate that the employer shall make good deficiency, if any, in the interest rate declared by the trust vis-à-vis statutory rate.

**C. Gratuity**

Gratuity plan is governed by the Payment of Gratuity Act, 1972 and employee who has completed five years of service is entitled to gratuity and the level of benefits provided depended on the member's length of service and salary at retirement age. The Employees' Gratuity Fund Scheme, which is a defined benefit plan, is managed by the Trust through an Annuity Scheme maintained with Life Insurance Corporation of India (LIC). The balance fund available with LIC is Rs.1490.18 lakh (Previous year Rs.625.73 lakh) and depoist with ICICI Bank Rs.0.43 lakh (Previous year Rs. 0.25 lakh).

In the case of subsidiary company the balance of fund available is Rs.4.73 lakh (previous year 4.73 lakh)

All dues on account of gratuity of Rasayani unit and Kochi unit employees relieved upto 31.03.2022 have been paid and there are no further dues.

Details of Actuarial Valuation of Gratuity Details:

| **1. Funded Status of the plan** | | Rs. in Lakh |
|---|---|---|
| **Particulars** | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
| Present value of unfunded obligations | 0.00 | 0.00 |
| Present value of funded obligations | 2079.41 | 2423.48 |
| Fair value of plan assets | (1495.48) | (630.71) |
| Net Liability (Asset) | 583.93 | 1792.77 |

| **2a. Profit and loss account for current period** | | **Rs. In Lakh** |
|---|---|---|
| Current Service Cost | 79.88 | 83.45 |
| Past Service cost and loss/gain on curtailments and settlement | 0.00 | 0.00 |
| Net Interest cost | 98.95 | 152.28 |
| Total included in 'Employee Benefit Expense' (P&L) | 178.83 | 235.73 |

| **2b. Other Comprehensive Income for the current period** | | **Rs. In Lakh** |
|---|---|---|
| Components of actuarial gain/losses on obligations: | | |
| Due to Change in financial assumptions | (77.19) | 68.22 |
| Due to change in demographic assumption | 0 | 0.00 |
| Due to experience adjustments | 57.58 | 24.8 |
| Return on plan assets excluding amounts included in interest income | (17.19) | (12.94) |
| Amounts recognized in Other Comprehensive Income | -36.80 | 80.08 |

| **3. Reconciliation of defined benefit obligation** | | **Rs. In Lakh** |
|---|---|---|
| Opening Defined Benefit Obligation | 2423.48 | 3228.38 |
| Transfer in/(out) obligation | 0 | 0.00 |
| Current service cost | 79.88 | 82.73 |
| Interest Cost | 122.27 | 152.28 |
| Components of actuarial gain/losses on obligations: | 0 | 0 |
| Due to Change in financial assumptions | (77.18) | 68.22 |
| Due to change in demographic assumption | 0 | 0 |
| Due to experience adjustments | 57.67 | 25.14 |
| Past Service Cost | 0 | 0 |
| Loss(gain) on curtailments | 0 | 0 |
| Liabilities Extinguished on settlement | 0 | 0 |
| Liabilities assumed in an amalgamation in the nature of purchase | 0 | 0 |
| Exchange diffeences on foreign plans | 0 | 0 |
| Benefits paid | (508.55) | (245.61) |
| Closing defined benefit Obligation | 2097.57 | 3311.14 |

| **4. Reconciliation of plan Assets** | | Rs. In Lakh |
|---|---|---|
| Opening value of plan assets | 630.71 | 19.74 |
| Transfer in (out) plan assets | 0 | 0 |
| Expenses deducted from the fund | 0 | 0 |
| Inerest Income | 23.32 | 0 |
| Return on plan assets excluding amounts included in interest income | 17.2 | 12.94 |
| Assets distributed on settlements | 0 | 0 |
| Contributions by employer | 1298.15 | 1485.52 |
| Assets acquired in an amalgamation in the nature of | 0 | 0 |
| purchase | 0 | 0 |
| Exchange rate differences on foreign plans | 0 | 0 |
| Benefits paid | (455.89) | (887.49) |
| Closing value of plan assets | 1495.48 | 630.71 |
| Exchange diffeences on foreign plans | 0 | 0 |
| Benefits paid | (508.55) | (245.61) |
| Closing defined benefit Obligation | 2097.57 | 3311.14 |

| 5. Reconciliation of net defined benefit liability | | Rs. In Lakh |
|---|---|---|
| | As at 31.03.2022 | As at 031.03.2021 |
| Transfer in (out) obligation | 0 | 0 |
| Transfer (in) out plan assets | 0 | 0 |
| Employee benefits Expense as per Annexure 2 | 167.66 | 201.43 |
| Amounts recognized in other comprehensive income | (40.99) | 31.1 |
| Sub-total | 1778.93 | 2495.58 |
| Benefits paid by the company | (52.66) | (245.62) |
| Benefits settled (Rasayani Unit) | 0 | 0 |
| Contributions to plan assets | (1280) | (597.7) |
| Closing provision in the books of accounts | 446.27 | 1652.26 |
| Reconciliation of Assets Ceiling | | Rs. In Lakh |
| Opening Value of Assets Ceilng | 0 | 0 |
| Interest on Opening Value of Assets Ceiling | 0 | 0 |
| Loss/Gain on Assets due to surplus/Deficit | 0 | 0 |
| Closing Value of Plan Assets Ceiling | 0 | 0 |

| 6. Composition of the Plan assets | | Rs. In Lakh |
|---|---|---|
| | % | % |
| Government of India Seccurities | 0 | 0 |
| State government seccurites | 0 | 0 |
| High Quality Corporate Bonds | 0 | 0 |
| Equity shares of listed companies | 0 | 0 |
| Property | 0 | 0 |
| Special Deposit Scheme | 0 | 0 |
| Policy of Insurance | 100 | 100 |
| Bank Balance | 0 | 0 |
| Other Investments | 0 | 0 |
| **Total** | **100** | **100** |
| | **As at 31.03.2022** | **As at 031.03.2021** |
| Opening Value of Assets Ceilng | 0 | 0 |
| Interest on Opening Value of Assets Ceiling | 0 | 0 |
| Loss/Gain on Assets due to surplus/Deficit | 0 | 0 |
| Closing Value of Plan Assets Ceiling | 0 | 0 |

| 7. Bifurcation of liability as per schedule III | | Rs. In Lakh |
|---|---|---|
| Current liability | 65.83 | 77.30 |
| Non - Current liability | 380.42 | 1574.96 |
| Net Liability | 446.25 | 1652.26 |

| 8.Principle acturial assumptions | | Rs. In Lakh |
|---|---|---|
| Discount Rate | 6.40% | 5.60% |
| Salary Growth rate | 7.00% | 7.00% |
| | | |
| Withdrawal rates | 3% at Younger ages | 3% at Younger ages |
| | reducing to 1% at | reducing to 1% at |
| | older ages | older ages |
| Rate of Return on Plan aaets | 5.60% | 5.60% |

| 9.Expected Cash Flows based on past service liability | | Rs. In Lakh |
|---|---|---|
| | Cash Flows | Distribution(%) |
| Year 1 Cash Flow | 579.48 | 21.30% |
| Year 2 Cash Flow | 202.80 | 7.40% |
| Year 3 Cash Flow | 263.39 | 9.70% |
| Year 4 Cash Flow | 195.97 | 7.20% |
| Year 5 Cash Flow | 189.48 | 6.90% |
| Year 6 to Year 10 | 634.85 | 23.30% |
| Rate of Return on Plan aaets | 5.60% | 5.60% |

The future accrual is not considerd in arriving at the above cash flows

The expected contribution for the next year is Rs 65.83 Lakh.

The Average outstanding term of obligations (years) as at valuation date is 4.56 years

| 10.Sensitivity to key assumptions | | Rs. In Lakh |
|---|---|---|
| Particulars | As at 31.03.2022 | As at 031.03.2021 |
| Discount Rate Sensitivity | | |
| Increase by 0.5 % | 1891.72 | 2225.37 |
| (% change) | -2.33% | -2.32% |
| Decrease by 0.5% | 1984.37 | 2333.87 |
| (% change) | 2.45% | 2.44% |
| Salary Growth rate Sensitivity | | |
| Increase by 0.5 % | 1956.58 | 2303.18 |
| (% change) | 1.02% | 1.09% |
| Decrease by 0.5% | 1916.53 | 2251.7 |
| (% change) | -1.05% | -1.16% |
| Withdrawal rate( W R )Sensitivity | | |
| W. R x 110% | 1939.82 | 2280.95 |
| (% change) | 15.00% | 0.12% |
| W. R x 90% | 1933.97 | 2275.61 |
| (% change) | -15.00% | -0.12% |

A description of methods used for sensitivity analysis and its Limitations:

Sensitivity analysis is performed by varying a single parameter while keeping all the other parameters unchanged.

Sensitivity analysis fails to focus on the interrelationship between underlying parameters. Hence, the results may vary if the two or more variables are changed simultaneously.

The method used does not indicate anything about the likelihood of change in any parameter and the extent of the change if any.

| Appendix A: Break-up of defined benefit obligation | | Rs. In Lakh |
|---|---|---|
| **Particulars** | **As at 31.03.2022** | **As at 031.03.2021** |
| Vested | 1,933.41 | 2,269.01 |
| Non-vested | 3.46 | 9.23 |
| Total | 1,936.87 | 2,278.24 |

| Appendix B: Age wise distribution of defined benefit obligation | | |
|---|---|---|
| **Age (In years)** | **DBO (in Rs. in lakh)** | |
| | **As at 31.03.2022** | **As at 031.03.2021** |
| Less than 25 | - | - |
| 26 to 35 | 13.20 | 16.61 |
| 36 to 45 | 193.73 | 208.81 |
| 46 to 55 | 807.53 | 923.87 |
| 56 and above | 922.41 | 1128.95 |
| Accrued gratuity for Left Employees | - | - |
| Total | 1936.87 | 2278.24 |

| Appendix C: Past service wise distribution of defined benefit obligation | | |
|---|---|---|
| **Age (In years)** | **DBO (in Rs. in lakh)** | |
| | **As at 31.03.2022** | **As at 031.03.2021** |
| 0 to 4 | 3.46 | 3.75 |
| 4 to 10 | 65.08 | 61.17 |
| 10 to 15 | 162.12 | 165.53 |
| 15 and above | 1706.21 | 2047.79 |
| Accrued gratuity for Left Employees | - | |
| **Total** | **1936.87** | **2278.24** |

**MAJOR RISK TO THE PLAN**

**A. Acturial Risk:**

It is the risk that benefits will cost more than expected. This can arise due to one of the following reasons:

**Adverse salary growth experience:**

Salary hikes that are higher than the assumed salary escalations will result into an increase in obligation at a rate that is higher than expected.

**Variability in mortality rates:**

If actual mortality rates are higher than assumed mortality rate assumption then the Gratuity Benefits will be paid earlier than expected. Since there is no condition of vesting on the death benefit, the acceleration of cashflow will lead to an actuarial loss or gain depending on the relative values of the assumed salary growth and discount rate.

**Variability in withdrawal rates:**

If actual withdrawal rates are higher than assumed withdrawal rate assumption then the Gratuity Benefits will be paid earlier than expected. The impact of this will depend on whether the benefits are vested as at the resignation date.

**B. Investment Risk**

For funded plans that rely on insurers for managing the assets, the value of assets certified by the insurer may not be the fair value of instruments backing the liability. In such cases, the present value of the assets is independent of the future discount rate. This can result in wide fluctuations in the net liability or the funded status if there are significant changes in the discount rate during the inter-valuation period.

**C. Liquidity Risk :**

Employees with high salaries and long durations or those higher in hierarchy, accumulate significant level of benefits. If some of such employees resign/retire from the company there can be strain on the cashflows.

**D. Market Risk:**

Market risk is a collective term for risks that are related to the changes and fluctuations of the financial markets. One actuarial assumption that has a material effect is the discount rate. The discount rate reflects the time value of money. An increase in discount rate leads to decrease in Defined Benefit Obligation of the plan benefits & vice versa. This assumption depends on the yields on the corporate/ government bonds and hence the valuation of liability is exposed to fluctuations in the yields as at the valuation date.

**E. Legislative Risk:**

Legislative risk is the risk of increase in the plan liabilities or reduction in the plan assets due to change in the legislation/regulation. The government may amend the Payment of Gratuity Act thus requiring the companies to pay higher benefits to the employees. This will directly affect the present value of the Defined Benefit Obligation and the same will have to be recognized immediately in the year when any such amendment is effective.

The Summary of the assumptions used in the valuations is given below:

| **Financial Assumptions** | | |
|---|---|---|
| | As at 31.03.2022 | As at 031.03.2021 |
| Discount rate | 6.40% p.a | 5.60% p.a |
| Salary Growth rate | 7.00% p.a | 7.00% p.a |
| Rate of Return on plan assets | 6.40% p.a | 5.60% p.a |

**Demographic Assumptions**

Withdrawal rates p.a

| Age Band | As at 31.03.2022 | As at 031.03.2021 |
|---|---|---|
| 25 and below | 3.00% | 3.00% |
| 25 to 35 | 2.50% | 2.50% |
| 35 to 45 | 2.00% | 2.00% |
| 45 to 55 | 1.50% | 1.50% |
| 55 and above | 1.00% | 1.00% |

**Mortality rates**

Sample rates p.a of Indian Assured Lives Mortality (2012-14)

| Age Band | As at 31.03.2022 | As at 031.03.2021 |
|---|---|---|
| 25 and below | 3.00% | 3.00% |
| 25 to 35 | 2.50% | 2.50% |
| 35 to 45 | 2.00% | 2.00% |
| 45 to 55 | 1.50% | 1.50% |
| 55 and above | 1.00% | 1.00% |

Method of Valuation

Actuaries has used projected unit credit (PUC) Method to value the Defined benefit obligation.

**31 PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT**

a) Originally the Holding Company at Rasayani was in possession of land (as per revenue records) admeasuring 1012.355 acres. Out of the said land 251 acres were sold to BPCL and 20 acres were sold to ISRO during the year 2017-18, 38.687 acres were sold to BPCL in the year 2018-19. In the year 2019-20, 85.27 acres of land sold to BPCL and in 2020-21, 0.386 acre was sold to IOCL (Petrol pump area). Out of the said land, 65.840 acres (previous year 66.024 acres) includes 22.717 acres which has been idenitified as encroached, 32.547 acres has been given to MIDC, MSEB, HIL, MES etc, 10.576 acres of public road and hence considered at Nil value. The said encroachment has been determined on the basis of the survey carried out by the company through M/s. The Geo Tek vide their report dated April 24, 2019. The balance 551.172 acres of land has been revalued at the ready recknor rate or the agreed rate of sale to BPCL amounting to Rs. 832.95 crore.

b) As per the communication received from Municipal commissioner Panvel, regarding the actual area of plot No.11 & 12 of survey No.738 on which there is a public road passing through and thereby the total area of Panvel land available for sale has reduced from 8 acre to 7.09 acre. Accordingly the reserve price (fair value) has been reduced to Rs.158 crore. Further HOCL has applied for NOC from govt. of Maharashtra for sale of land which is yet to be received.

c) The holding company is in the process of implementation of the Govt. Approved restructuring plan vide order dated May 22, 2017, the company has closed the Rasayani Unit, plant and equipment scrapped has been disposed off. Sale of unencumbured land in Rasayani through NBCC and Panvel land through e-auction are in progress. The Phenol plant at Kochi is in operation.

**32 INVESTMENT**

a) The Holding Company has an investment of Rs.1106.00 lakh (previous year Rs.1106.00 lakh) in the equity share of subsidiary company M/s. Hindustan Fluorocarbons Ltd. (HFL) which is under BIFR since 1994. The net worth of the Company based on its latest audited balance sheet as at 31st March, 2022 is negative. Market value of the shares (face value Rs.10) as on 31.03.2022 was Rs.9.57 lakh (Previous year Rs.7.54 lakh). Provision has been made in the books towards diminution in the value of these investments amounting to Rs.47.56 (Previous year Rs.272.08 lakh). Government of India has decided to close down M/s.HFL as per CCEA decision on 29.01.2020. An amount of Rs.75.87 crore (Rs.73.70 crore on 26.05.2020 and Rs.2.17 crore on 15.03.2022) has been released by Government of India as interest free loan to meet the VRS expenses and for clearing dues to Bank and suppliers.

b) During the year 2007-08, the Modified Draft Rehabilitation Scheme (MDRS) for revival of subsidiary - Hindustan Flurocarbon Ltd. (HFL) was approved by BIFR for implementation. As part of implementation of MDRS, HOCL had waived interest of Rs.2260.26 lakh accumulated on loan given to HFL and converted the unsecured loan amounting to Rs.2744.07 lakh as Zero Coupon Loan (ZCL), into secured loan by on HFL creating first charge on immovable property (land 84.31 acre valued to the extent of Rs. 2035.25 lakh as per Govt. rate) in favour of HOCL. This loan was payable in 7 equal annual instalments commencing from 2010-11, aggregating to Rs.2744.07 lakh (Previous year Rs.2744.07 lakh) which has become due and payable in full. Further, the Company had given loans to HFL aggregating to Rs. 453.01 lakh (Previous Year Rs. 453.01 lakh) 10.25% to 14.50% which has become payable in full. This loan is also secured by first charge on the HFL immovable property. A provision was made for the shortfall in the security to the extent of Rs.2122.34 lakh including interest (loan Rs.1161.82 lakh and interest Rs.960.52 lakh) as on 31st March, 2021. As per the valuation report by an external registered independent valuer having professional qualification the value of the secured property is Rs.10196.76 lakh as on date. Therefore, the provision of Rs.2122.34 lakh provided in the books is reversed on 31.03.2022.

c) The company has entered into an agreement on 16.10.2006 to lease the school infrastructure facilities to M/s.Mahatma Education Society (MES) for managing the school for a period of 30 years. The management of MES in order to start professional courses has constructed new buildings and facilities in the premises in contravention of the terms of agreement. The company has sent a notice for termination as per the tems of the agreement to M/s.MES. M/s.MES has filed a petition challenging the termination notice in the Dist. Magistrates Court Alibag. MES has filed petition in the Bombay High Court for appointment of Arbitrator in the dispute between HOCL and MES. The District Court has granted stay pending the final disposal of the Arbitration petition of MES. Company has filed a petition to vacate the stay granted by the District Court in the Bombay High Court.

| 33 EARNING PER SHARE | | Rs. In Lakh |
|---|---|---|
| **Earnings per share has been calculated as follows:** | **As at 31.03.2022** | **As at 031.03.2021** |
| Net Profit/(Loss) after Tax ( Rs. in Lakh ) | -2937.34 | -828.71 |
| Weighted average number of equity shares | 67173100 | 67173100 |
| Nominal Value per equity share ( Rs. ) | 10 | 10 |
| Basic / Diluted Earning per equity share ( Rs. ) | -4.37 | -1.23 |

**34 SEGMENT REPORTING.**

Since the company is manufacturing only Chemicals, there are no separate reportable primary and secondary segments and all the chemicals manufactured by the company are considered to have been representing as single reportable segment. The requirements of Accounting Standard 17 with regard to disclosure of segmental results are therefore considered not applicable to the company.

**35 BALANCE CONFIRMATION**

Balances of trade receivables, trade payables, loans, advances, other current assets and borrowings are subject to confirmation / reconciliation and subsequent adjustments except in cases where confirmation has been received.

| 36 .Contingent Liabilities & Commitments | | Rs. In Lakh |
|---|---|---|
| **I) Contingent Liabilities** | **As at 31.03.2022** | **As at 031.03.2021** |
| a) Claims against the Company not Acknowledged as debts: | | |
| i) Income Tax Claims | 91.99 | 492.49 |
| ii) Excise duty / Service tax | 104.63 | 104.63 |
| iii) Gratuity for School teachers | 75.31 | 75.31 |
| iv) Other claims (Legal cases) | 286.36 | 286.36 |
| v) Rental claim Harchandrai House | 5949.98 | 5863.85 |
| vi) JNPT lease rent | 2974.52 | 2974.52 |
| vii) Damages on Delayed payment of PF with interest | 94.89 | 94.89 |
| viii) Penal interest on Govt. Loans | 7119.24 | 5940.71 |
| ix) Interest on interest on Govt. Loan | 40113.98 | 32981.28 |
| Sub-total | 56810.90 | 48814.04 |
| b) Bank Guarantees issued from Banks | 116.69 | 164.57 |
| **II) Commitments:** | | |
| Estimated amount of Contracts remaining to be executed on capital account and not provided for: | 36.27 | 88.63 |

**a) Claims against the Company not Acknowledged as debts:**

**i) Income Tax Claims: Rs.91.99 Lakh**

There are various appeals for Assessment years are pending before authorities i.e. ITAT, High Court and other forums. The Company is awaiting for hearing, the details are as follows A Y 2002-03 Rs. 70.49 Lakh and AY 2011-12 Rs.21.50 Lakh.

The above assessments are under disputes at various appellate authorities. The company has not acknowledged the debts and the interest / penalty that would be leviable on the claims are not ascertainable.

**ii) Excise duty / Service tax**

The Holding Company has ongoing disputes with Central excise authorities relating to the period 2006-07, amounting to Rs.104.63 Lakh. Company has filed Appeals at various Tribunals.

The above assessments are under disputes at various appellate authorities. The company has not acknowledged the debts and the interest / penalty that would be leviable on the claims are not ascertainable.

**iii) Gratuity for School teachers**

Case filed by the teaching staff of HOC Rasayani School for the period upto March 1997, pending before Bombay High Court (Rs.75.31 Lakh).

**iv) Other claims (Legal cases): Rs.286.36 Lakh.**

a) Case filed by the Holding Company against the award passed by MAC Tribunel, Trichur in relation to Phenol Tanker accident in 1994 (Rs.118 Lakh)

b) ESI corporation has raised a demand for contribution during the period from 01.04.1992 to 31.10.1992 amounting to Rs.2.17 lakh (Holding Company). The matter is pending with ESI Court, Ernakulam, as desired by the ESI Court we had applied for exemption from ESI Act to the Govt. of India, hence no liability is created and a contingent liability to that extend is provided. ESI case of subsidiary company amounting to Rs.13.46 Lakh.

c) The Holding Company had invited open tender for work of construction of "Civil and Structural works for Construction of Plant Building, Technical Service Building, R&D Building, etc of PU System House Project. Company had issued the Work Order to M/s Shetusha Engineers & Constructions Pvt. Ltd. (SECPL). On account of delay and other shortcomings in the completion, company had deducted Liquidated damages. SECPL objected for the said deductions and filed an Arbitration Application before the Hon'ble High Court, Mumbai. Later the M/s SECPL had unconditionally withdrawn the said Arbitration Application from the Court. Further, M/s SECPL had filed Suit before the Hon'ble High Court, Mumbai against the Company for passing the Decree against the Company towards payment of Rs.113.35 Lakh including interest.

d) The Holding Company invoked the peformance gurantee given by M/s Vakharia Construction Company, Mumbai (VCC) to whom civil contracts had been alloted as the contract works were not completed as per the terms of the work order. The matter was referred to arbitration and later went to the High Court. The court ordered the company to deposit Rs.12 lakhs and M/s VCC is allowed to withdraw the amount on submission of bank gurantee. The appeals filed before the Hight Court were dismissed. Now M/s VCC raised demand for bank gurantee commission paid to the bank and interest at the rate of 18% as the money decree passed by the Trial Court in favour of VCC was stayed due to filing civil application by the company. The liability estimated on this is Rs.39.38 lakhs and the matter is pending before court of law and accordingly shown under contigent liabilities.

**v) Rental claim Harchandrai House Rs.5949.975 Lakh**

The holding company has not vacated the office premises taken on lease from M/s Harchandrai & Sons as per their notice they initiated legal proceedings and stopped to accept the lease rent. The company vacated the office premises during the year 2014. The rent not accepted by the landlord till the vacation of the office premises amounting to Rs.580.80 lakhs has been provided in the accounts. Landlords filed the Mesne Profit Application before Small Causes Court, Mumbai for Mesne profit for the period from 01/06/2000 to till the possession of the said premises. The Mense profit application filed by M/s.Harchandrai & Sons is allowed by the Court of Small Causes, Mumbai on 02.05.2022 directing the Company to pay the mesne profit @Rs.138/- per sq.ft. for the period from 01/06/2000 to 31/12/2006, for subsequent period @Rs.274/-per sq.ft. together with an interest@9% p.a. The total amount as per Order of Small Causes court, Mumbai for mesne profit for the period from 01/06/2000 to 2014 and interest yhereon works out to Rs.6713.75 lakh. The valuer appointed by HOCL has submitted his report and the average rate is assessed @Rs.48.91 per sq.ft. which is not considered by the Small Causes Court, Mumbai. As per the legal opinion we are filing appeal against the Order and the Company is of the ipinion that there is uncertainties in crystallisation of demand other than the amount calculated as per the report of the HOCL valuer assessing mesne profit @Rs.48.91 per sq.ft. The amount of mesne profit calculated based on the report of HOCL valuer @Rs.48.91 per sq.ft is Rs.763.78 lakh out of which an amount of Rs.593.97 lakh has already provided in the books of account for the year 2021-22, hence an additional provision of Rs.169.81 lakh has been provided as on 31.03.2022. The difference amount of Rs.5949.97 lakh (6713.75-763.78) is shown as contingent liability.

**vi) JNPT lease rent: Rs.2974.52 Lakh**

The Company has entered into MoU with Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) to hand over the land alloted to the company for setting up Liquid Tank Farm on lease bais along with assets of the company 'as is where is basis'. The JNPT raised a demand of Rs.4124 lakhs towards lease rentals and other charges. The company has instituted arbitral proceedings and Arbitral Tribunal issed the awared in favour of the company. The assets of the company valued as per the MoU at Rs.1638.50 lakhs and same is agreed . The undisputed amount of lease rent payable by the Company to JNPT was computed on a mutual understanding between the Parties on the basis of arbitral award is Rs. 805.13 lakhs. The company has shown balance amount of demand of JNPT after adjusting undispute lease rental paid as contingent liability since the appeal filed against the arbitral awards pending for hearing before High Court and the company is of the opinion that no provision is required as there is uncertainities in crystatlisation of demand at this stage of litigation.The registration and handingover of the tank form is still pending.

**vii) Damages on Delayed payment of PF with interest (Subsidiary company): Rs.94.89 Lakh**

Damages on delayed payments of Provident fund with interest thereon from 2000 to 2011. Application filed on 14.05.2014 due to pendency of cases, matter could not be reached due to statutory provisions under the Act, Govt. of India have not constituted to hear the pending cases with BIFR.

**viii) Interest at higher rate on Govt. Loans: Rs.7119.24 Lakh and Interest on defaulted interest Govt. Loan 40113.98**

The Government of India reserves the right to raise the rate of interest in respect of loans granted to the company, in case of default of repayment of principal on the due date and also charge interest at rate on default in any of the payment of interest due. As there is default in payment of principal loan as well as interest due thereon, the company, in anticipation that the Government of India may demand higher rate on principal and interest on interest outstanding, arrived the additional interest liability and shown as contingent laibility. As per the balance confirmation given by the Government of India, the interest at the higher rate and interest on defualted interest have not been included.

ix) The amount of claims in respect of legal cases filed against the Company for labour matters relating to regular and retired employees and not acknowledged as debts is not ascertainable.

x) M/s. Rockwell Industries Ltd has filed a case against the Subsidiary Company for Rs.269.00 lakhs plus interest and Hon'ble High Court of Telangana has given stay on disposal of assets of the Subsidiary Company.

**b) Bank Guarantees issued Rs.116.69 lakh**

The Holding Company has submitted bank guarantees to Kerala State Electricity Board amounting to Rs.101 lakh, BPCL Rs.3500 lakh, OMPL Rs.1000 lakh GAIL Rs.870 lakh and Rs.1.19 Lakh to others. The company does not expect any outflow in respect of the above. Contingent liability and commitments has been shown against bank guarantees issued to KSEB Rs.101 lakh and others Rs.15.69 lakh only."

**II) Estimated amount of Contracts remaining to be executed on capital account and not provided for: Rs.23.49 Lakh**

| Work order issued for the following contracts. | | Rs. In Lakh |
|---|---|---|
| | 2021-22 | 2020-21 |
| a) Tally implementation (Balance amount) | | 13.18 |
| b) 2x15 KVA UPS for Phenol plant | 21.61 | 21.61 |
| c) Laying water supply pipeline to township | | 9.75 |
| d) Restoration charge/Licence fee/ performance guarantee for road cutting permission from concerned authorities | 14.66 | 14.66 |
| e) 60T Weigh bridge | | 18.05 |
| e) EPAPX system | | 5.23 |
| f) 132 KW FLP motor | | 6.16 |
| Total | | 88.64 |

**37 Disclosure relating to error or omission as per Ind AS 8**

The following expenditure/income had been incorrectly accounted during the year 2021-22 due to error. The comparative expenditure/income in the financial statement of the year 2020-21 have been restated to correct the errors. The effect of the restatement on the financial statement is summarised below. the financial statement is summarised below.

| Description | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
|---|---|---|
| Increase in Other Income (Refer Note 23) | 33.72 | 5.04 |
| Increase in Other Expenses (Refer Note 29) | (6.44) | (1.33) |
| Decrease in Other Expenses (Refer Note 29) | 22.64 | - |
| Total | 49.92 | 3.71 |
| Income tax laiblity | | |
| (Increase)/decrease in Equity | 49.91 | 3.71 |
| (Increase)/decrease in Earning Per Share | 0.07 | 0.01 |
| (Increase)/decrease in Diluted Earning Per Share | 0.07 | 0.01 |

1. Miscellaneous income relating to 2019.20 Rs.5.04 lakhs has been incorrectly accounted due to error as such the comparative amount has been restated in the opening retained earnings as on 01.04.2021.

   (a) Nature of the prior perid error : Miscellaneous Income

   (b) Amount of correction : Rs.5.04 lakhs

   (c) Financial line item affected: Note No.23 (Miscellaneous Income)

2. Leave encashment relating to 2019.20 Rs.12.66 lakhs has been incorrectly accounted due to error as such the comparative amount has been restated in the opening retained earnings as on 01.04.2021.

   (a) Nature of the prior perid error : Leave encashment

   (b) Amount of correction : Rs.12.66 lakhs

   (c) Financial line item affected: Note No.26 (Employee benefit expense)

3. An amount of Rs.21.14 lakhs excess provided towards Rates & Taxes during the year 2019-20 due to error as such the comparative amount for the year 2019-20 is restated in the opening retained rearnings as per Ind As 8

   (a) Nature of the prior perid error : Rates & Taxes

   (b) Amount of correction : Rs.21.14 lakhs

   (c) Financial line item affected: Note No.29 (Rates & Taxes)

4. An amount of Rs.0.06 lakhs excess provided towards Hire charges during the year 2019-20 due to error as such the comparative amount for the year 2019-20 is restated in the opening retained earnings as per Ind As 8

   (a) Nature of the prior perid error : Hire charges

   (b) Amount of correction : Rs.0.06 lakhs

   (c) Financial line item affected: Note No.29 (Hire charges)

5. An amount of Rs.3.73 lakhs short provided towards Hire charges during the year 2019-20 due to error as such the comparative amount for the year 2019-20 is restated in the opening retained earnings as per Ind As 8

   (a) Nature of the prior perid error : Miscellaneous Expense

   (b) Amount of correction : Rs.3.73 lakhs

   (c) Financial line item affected: Note No.29 (Miscellaneous Expense)

| | (Rs. In lakh) |
|---|---|
| Opening retained earnings as on 01.04.2021 | (99,497.02) |
| Add: Increase in other income (Note No.23) | 5.04 |
| Less: Increase in leave encashment ( Note No.26) | -12.66 |
| Add: decrease in rates and taxes (Note No.29) | 21.14 |
| Add: Decrease in hire charge(Note No.29) | 0.06 |
| Less: Increase in hire charge(Note No.29) | -3.73 |
| Reinstated retained earnings as on 01.04.2020 | (99,487.17) |

**38 RELATED PARTY DISCLOSURE AS PER Ind- AS 24**

Since Government of India owns 58.78% of the Company's equity share capital (under the administrative control of Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals), the disclosures relating to transactions with the Government and other Government controlled entities have been reported in accordance with para 26 of Ind AS 24.

List of related parties where control exists and also related parties with whom transactions have taken place and relationships:

| Sr. No. | Name of the Related Party Relationship | Relationship | Details of Transaction | Amt. of Transaction during 2021-22 | Outstanding at the end of the year (31.03.2022) | Amt. of Transaction during 2020-21 | Outstanding at the end of the year (31.03.2021) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hindustan Flurocarbon Ltd. (HFL) | Subsidiary company with 56.43% share holding. | Interest on loan given to HFL | 63.62 | 4214.87 | 63.62 | 4157.60 |
| 2a | Bharat Petroleum Corporation Ltd | Controlled by Government of India. | Purchase of Raw materials (LPG, Benzene, FO, H2 & LNG) | 22883.56 | 3051.35 | 21389.53 | 945.93 |
| 2b | Bharat Petroleum Corporation Ltd | Controlled by Government of India. | Sale of Finished Goods (H2O2) | 15.07 | 22.84 | 22.28 | 22.33 |
| 4a | Indian Oil Corporation Limited | Controlled by Government of India. | Purchase of Raw materials (Benzene) | 478.67 | 0.00 | 1825.19 | 0.00 |
| 4b | Indian Oil Corporation Limited | Controlled by Government of India. | Sale of Rasayani land (Petol pump area) | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 |
| 5 | Fertilisers And Chemicals Travancore Limited (FACT) | Controlled by Government of India. | Purchase of Raw materials (Sulphuric acid) | 0.00 | 0.00 | 12.66 | 0.00 |
| Trust constituted by the Company | | | | | | | |
| 6 | HOCL Group Gratuity Trust | -do- | Investment and interest on investment | 1320.93 | 1495.48 | 610.89 | 630.71 |

**REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL**

| | | Short-term employee benefits | Post-term employee benefits | Other long-term benefits | Termination benefits | Share-based payments | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | | | | | | | |
| A. Remuneration to Whole time Director, Managing Director and/or Manager: | | | | | | | |
| | Shri. S.B. Bhide, CMD (upto 31.7.21) | 29.91 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.39 |
| | Shri. Sajeev B, CMD (from 6.9.2021) | 20.74 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.19 |
| B. Remuneration to Other Directors | | | | | | | |
| i) Govt. Nominee Directors | | | | | | | |
| Shri. Satendra Singh, ASFA (C&F) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Shri. Samir Kumar Biswas, JS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ii) Independent Directors | | | | | | | |
| (Sitting fee paid to NOIDs for attending the Meetings of the Board/Committees) | | | | | | | |
| | Dr. Bharat J. Kanabar | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| | Shri Pratyush Mandal | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| C. Key Managerial Personnel | | | | | | | |
| Shri. P.O. Luise, CFO | | 33.97 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.36 |
| Mrs.S.S. Kulkarni,CS (upto 28.02.22) | | 36.45 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.98 |
| Shri. Subramonian H (from 1.3.2022) | | 1.06 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| **Total** | | **123.33** | **10.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **134.32** |
| 2021-22 | | | | | | | |
| **A. Remuneration to Whole time Director, Managing Director and/or Manager:** | | | | | | | |
| Shri. S.B. Bhide, CMD | | 32.35 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.76 |
| Shri. C.P. Bhatia, DF (upto 05.11.20) | | 20.94 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.29 |
| **B. Remuneration to Other Directors** | | | | | | | |
| i) Govt. Nominee Directors | | | | | | | |
| Ms. Alka Tiwari, AS&FA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Shri. Samir Kumar Biswas, JS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ii) Independent Directors | | | | | | | |
| (Sitting fee paid to NOIDs for attending the Meetings of the Board/Committees) | | | | | | | |
| Nil | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **C. Key Managerial Personnel** | | | | | | | |
| Mrs. Susheela S. Kulkarni, CS | | 27.82 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.33 |
| Mr. P.O. Luise, CFO (From 06.11.20) | 10.00 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.28 | |
| **Total** | **91.11** | **11.55** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **102.66** | |

Note:

In the ordinary course of its business, the Company enters into transactions with other Government controlled entities (not included in the list above). The Company has transactions with other Government-controlled entities,including but not limited to the followings: followings:

Sales and purchases of goods and ancillary materials; Rendering and receiving of services; Receipt of dividends; Loans and advances; Depositing and borrowing money; Guarantees and Uses of public utilities.

Sales and purchases of goods and ancillary materials; Rendering and receiving of services; Receipt of dividends; Loans and advances; Depositing and borrowing money; Guarantees and Uses of public utilities.

**Note-39 Financial Instruments**

**39a. Fair Value measurement hierarchy**

A Level 1 — Includes financial instruments measured using quoted prices. This includes listed equity instruments, traded bonds and mutual funds that have quoted price. The fair value of all equity instruments (including bonds) which are traded in the stock exchanges is valued using the closing price as at the reporting period. The mutual funds are valued using the closing NAV. Company do not have any such investment

Level 2 — The fair value of financial instruments that are not traded in an active market (for example, traded bonds, over-the-counter derivatives) is determined using valuation techniques which maximise the use of observable market data and rely as little as possible on entity-specific estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

"Level 3 — If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in Level 3. This is the case for unlisted equity securities, contingent consideration and indemnification asset"

| | As at 31st March, 2022 | | | | As at 31st March, 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Total | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Total |
| Financial assets : | | | | | | | | |
| Loans | - | - | 21.01 | 21.01 | - | - | 30.88 | 30.88 |
| Trade Receivables | - | 129.16 | 735.12 | 864.28 | - | 130.79 | 240.82 | 371.61 |
| Investments | | - | 5.00 | 5.00 | | - | 5.00 | 5.00 |
| Cash and cash equivalents | - | 154.79 | 2014.53 | 2169.32 | - | 17.62 | 3286.97 | 3304.59 |
| Bank balances other than Cash | | 79.85 | 11496.20 | 11576.05 | | 3.10 | 11532.78 | 11535.88 |
| Other Financial Assets | - | 1995.92 | 1334.04 | 3329.96 | - | 2,349.31 | 393.43 | 2742.74 |
| **Total Financial assets** | **0.00** | **2359.72** | **15605.90** | **17965.62** | **0.00** | **2500.82** | **15489.88** | **17990.70** |
| Financial liabilities | | | | | | | | |
| Non Cumulative Preference share | | | 27000.00 | 27000.00 | 0.00 | 0.00 | 27000.00 | 27000.00 |
| Borrowings | | 9167.00 | 0.00 | 9167.00 | 0.00 | 8950.00 | 7695.09 | 16645.09 |
| Trade payables | | 48.37 | 4151.84 | 4200.21 | 0.00 | 56.90 | 1648.0 | 1704.92 |
| Other current financial liabilities | | 49.05 | 8482.63 | 8531.68 | 0.00 | 49.07 | 8974.83 | 9023.90 |
| Total Financial liabilities | | | 39634.47 | 48898.89 | 0.00 | 9055.97 | 45317.94 | 54373.91 |

**39b. Categories of Financial Instrument**

**A Fair Values hierarchy :**

| | As at 31st March, 2022 | | | | As at 31st March, 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FVTPL | FVOCI | Amortised Cost | Total | FVTPL | FVOCI | Amortised Cost | Total |
| Financial assets : | | | | | | | | |
| Loans | | | 21.01 | 21.01 | | | 30.88 | 30.88 |
| Trade Receivables | | | 864.28 | 864.28 | | | 371.61 | 371.61 |
| Investments | | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | 5.00 |
| Cash and cash equivalents | | | 2169.32 | 2169.32 | | | 3304.59 | 3304.59 |
| Bank balance other than cash | | | 11576.05 | 11576.05 | | | 11535.88 | 11535.88 |
| Other Financial Assets | | | 3329.96 | 3329.96 | | | 2742.74 | 2742.74 |
| Total Financial assets | | | 17,965.62 | 17,965.62 | 0 | 0 | 17990.70 | 17990.70 |
| Financial liabilities | | | | | | | | |
| Non Cumulative Preference share | | | 27000.00 | 27000.00 | | | 27000.00 | 27000.00 |
| Borrowings | | | 9167.00 | 9167.00 | | | 16645.09 | 16645.09 |
| Trade payables | | | 4200.21 | 4200.21 | | | 1704.92 | 1704.92 |
| Other current financial liabilities | | | 8531.68 | 8531.68 | | | 9023.90 | 9023.90 |
| Total Financial liabilities | | | 48,898.89 | 48,898.89 | 0 | 0 | 54373.91 | 54373.91 |

Additional information on entities included in consolidated Financial statements

| | Net asset i.e total assets minus total liabilities | | Share in profit or (loss) | | Share in other comprehensive income | | Share in total comprehensive income | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | As % of consolidated net assets | Amount (Rs. lakhs) | As % of consolidated profit or loss | Amount (Rs. lakhs) | As % of consolidated other comprehensive income | Amount (Rs. lakhs) | As % of consolidated total comprehensive income | Amount (Rs. lakhs) |
| Indian | | | | | | | | |
| 1.Hindustan Fluorocarbons Ltd | 217.95% | (7881.02) | 20.86% | (612.87) | -0.29% | (4.19) | 41.18% | (617.06) |
| Subsidiary | | | | | | | | |

**40 Financial risk management**

**i. Market risk**

Market risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. Such changes in the values of financial instruments may result from changes in the foreign currency exchange rates, interest rates, credit, liquidity and other market changes. The Company's exposure to market risk is primarily on account of foreign currency exchange rate risk.

**a) Foreign currency exchange rate risk**

The fluctuation in foreign currency exchange rates may have potential impact on the statement of profit and loss and other comprehensive income and equity, where any transaction references more than one currency or where assets / liabilities are denominated in a currency other than the functional currency of the Company but as company balance in foreign currency hence comapny is not exposed to foreign currecncy exchange rate risk

**b) Interest rate risk**

The Company's investments are primarily in subsidiary through quoted equity share and unquated equity share of other entity therefore none of the investment activity is generating interest out of the investment. Hence, the Company is not significantly exposed to interest rate risk.

**ii. Credit risk**

Credit risk is the risk of financial loss arising from counterparty failure to repay or service debt according to the contractual terms or obligations. Credit risk encompasses of both, the direct risk of default and the risk of deterioration of creditworthiness as well as concentration of risks. Credit risk is controlled by analysing credit limits and creditworthiness of customers on a continuous basis to whom the credit has been granted after obtaining necessary approvals for credit.

Financial instruments that are subject to concentrations of credit risk principally consist of trade receivables, unbilled receivables, investments, cash and cash equivalents, bank deposits and other financial assets, company generating revenue for individually in excess of 10% or more of the Company's revenue for the year ended March 31, 2022 from the below mention customer.

| Name of customer | Amt of revenue | % of total revenue |
|---|---|---|
| Pooja Petro Chemicals | 13276.60 | 31% |
| Sonkamal Enterprises P Ltd | 10446.56 | 24% |
| Ramesh Kumar & Company | 5210.93 | 12% |

**Geographic concentration of credit risk**

Geographical concentration of trade receivables, unbilled receivables (previous year: unbilled revenue) and contract assets is allocated based on the location of the customers.

**iii. Liquidity risk**

Liquidity risk refers to the risk that the Company cannot meet its financial obligations. The objective of liquidity risk management is to maintain sufficient liquidity and ensure that funds are available for use as per requirements.

The company manages liquidityrisk by maintaining adequate reserve, banking facilities and reserve borrowinf fcailities, continuosly monitoring forecast and actual cash flow and by matching the maturiy profiles of financial assets and liabilties.

**No.41 Deferred Tax**

| For the Year 2021-22 | | | | | | Rs. in Lakh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Opening Balance 01.04.2021 | Recognisable in P & L | Reversal on account of Probability checking of Future Profit | Recognised in P & L | Recognised in OCI | Closing Balance 31.03.2022 |
| Deferred Tax Liability | | | | | | |
| Revaluation of land in Fair Value | 19,897.52 | | | - | 576.00 | 20,473.52 |
| Reversal of deferred tax liability on disposal of revalued of PPE | (4,056.00) | | | - | - | (4,056.00) |
| | 15,841.52 | | | - | 576.00 | 16,417.52 |
| Deferred Tax Asset | | | | | | |
| Depreciation | - | 21.00 | 21.00 | - | - | - |
| Provision for Leave Encashment | - | **81.00** | **81.00** | - | - | - |
| Voluntary Retirement Benefits (VRS/VSS) | - | | | - | - | - |
| Provision for Doubtful Debts | - | 5.00 | 5.00 | - | - | - |
| Provision for Doubtful Advances | - | | | - | - | - |
| Provision for Long Term Agreements | - | | | - | - | - |
| Provision for Obsolescence | - | 1.00 | 1.00 | - | - | - |
| Provision for Statutory claims | - | | | - | - | - |
| Accumulated Income tax loss to the extent of deferred tax liability | - | | | - | - | - |
| | - | 108.00 | 108.00 | - | - | - |
| Net Deferred tax liability | 15,841.52 | | | - | 576.00 | 16,417.52 |

| For the Year 2020-21 | | | | | | Rs. in Lakh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Opening Balance 01.04.2020 | Recognisable in P & L | Reversal on account of Probability checking of Future Profit | Recognised in P & L | Recognised in OCI | Closing Balance 31.03.2021 |
| Deferred Tax Liability | | | | | | |
| Revaluation of land in Fair Value | 19,466.52 | | | - | 431.00 | 19,897.52 |
| Reversal of deferred tax liability on disposal of revalued of PPE | (4,044.00) | | | - | (12.00) | (4,056.00) |
| | 15,422.52 | | | - | 419.00 | 15,841.52 |
| Deferred Tax Asset | | | | | | |
| Depreciation | - | 22.00 | 22.00 | - | - | - |
| Provision for Leave Encashment | - | 77.00 | 77.00 | - | - | - |
| Voluntary Retirement Benefits (VRS/VSS) | - | - | - | - | - | - |
| Provision for Doubtful Debts | - | 12.00 | 12.00 | - | - | - |
| Provision for Doubtful Advances | - | 17.00 | 17.00 | - | - | - |
| Provision for Long Term Agreements | - | - | - | - | - | - |
| Provision for Stock Obsolescence | - | 5.00 | 5.00 | - | - | - |
| Provision for Statutory claims | - | 13.00 | 13.00 | - | - | - |
| | 3,031.00 | 146.00 | 146.00 | - | - | - |
| Net Deferred tax liability | 12,391.52 | (146.00) | (146.00) | - | 419.00 | 15,841.52 |

**42. Additional disclosures to Consolidated Financial Statements**

Financial, Liquidity and Other Ratios

| Ratios | Components of Numerator | Components of Denominator | For the Year ended 31.03.2022 | For the Year ended 31.03.2021 | % Variance | Explanation by Management |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| Current Ratio | Current Assets | Current Liabilities | 1.00 | 1.11 | -9.98% | - |
| | | | | | | |
| Debt Equity Ratio | Total debt | Shareholders' Equity | 13.73 | 12.32 | 11.41% | - |
| | | | | | | |
| Debt Service Coverage Ratio | Earnings available for debt service | Debt service | 0.03 | 0.06 | -51.74% | The holding company was in shut down for a period of 157 days during the year for changing the catalyst and also due to unfavourable market condition, which contributed to net loss of the company. Also the total loan due and outstanding along with interest thereon as on 31st March 2022 has been considered. |
| Return on Equity Ratio | Net profit after tax | Shareholders' Equity | -1.98 | -0.27 | 621.78% | The holding company was in shut down for a period of 157 days during the year for changing the catalyst and also due to unfavourable market condition, which contributed to net loss of the company |
| Inventory Turnover Ratio | Sales | Average Inventory | 16.16 | 20.17 | -19.88% | - |
| | | | | | | |
| Trade Receivables Turnover Ratio | Net Sales | Average Trade Receivables | 70.18 | 71.09 | -1.29% | - |
| Trade Payables Turnover Ratio | Net Credit Purchases | Average Trade Payables | 9.58 | 7.89 | 21.43% | - |
| Net Capital Turnover Ratio | Net Sales | Working Capital | -217.53 | 3.22 | 6665.18% | The holding company's Current liability has increased in 2021-22 due to the increase of interest due on govt. loan. |
| Net Profit Ratio | Net profit after tax | Net Sales | -0.07 | -0.02 | 236.39% | The holding company was in shut down for a period of 157 days during the year for changing the catalyst and also due to unfavourable market condition, which contributed to net loss of the company. Also there was a huge increase in the main raw mateial but the selling price could not have increase due to the unfavourable market conditins which resulted in net loss. |
| Return on Capital Employed | Profit Before Interest and Taxes (PBIT) | Capital Employed | -104.05 | -228.80 | -54.52% | |
| Return on Investment | Dividend | Share Price | - | - | | |

**43. Notes to Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income**

a) The Company has elected to continue with the carrying value for all its Property, Plant and Equipment as of April 1, 2016 measured under Indian GAAP as deemed cost as of April 1, 2016 (transition date) except Freehold Land where fair value (circle rate) has been considered as deemed cost.

b) Under Indian GAAP, the Company measured financial assets at cost. As at the transition date, the company recognised the provision for expected credit loss for certain financial assets as per the criteria set out in Ind AS 101. All the financials liabilities have been carried at amortized cost and such differences have been appropriately addressed.

c) Represents Deferred Tax adjustments on the Ind AS transition adjustments. However considering the losses of the company no current tax impact was given.

d) The Company recognises costs related to its post-employment defined benefit plan on an actuarial basis both under Indian GAAP and Ind AS. Under Indian GAAP, the entire cost including actuarial gains and losses and return on planned assets are charged to profit or loss. Under Ind AS, actuarial gains and losses and return on planned assets recognised immediately in the Balance Sheet with a corresponding debit or credit to retained earnings through Other Comprehensive Income.

e) Consequential sum of the adjustments carried out in the other comprehensive income net of tax implications thereon.

44 Non- Compliance of the SEBI Listing Obligation and Disclosure Requirements (LODR) Regulations, 2015- as per Regulation 17(1)(b), the chairman being an executive director, at least half of the board of Directors should be comprised of Independent Directors. Currently, the Company does not have required number of Independent Directors on its board. Accordingly, there is consequent non-compliance of Regulations 18,19 and 20 of the SEBI Listing Obligation and Disclosure Requirements (LODR) Regulations, 2015 (Refer Note 47 to Financial Statements). Non-Compliance of the SEBI Listing Obligation and Disclosure Requirements (LODR) Regulations, 2015 - as per the Regulation 17 (1) (a) of the SEBI Listing Obligation and Disclosure Requirements (LODR) Regulations, 2015, Board of Directors shall have an optimum combination of executive and non-executive directors with at least one woman director and not less than fifty percent of the Board of Directors shall comprise of non-executive directors. Currently, the Company does not have woman director on its Board.

45 There is no considerable financial impact on account of Covid-19 pandemic during the year ended 31.03.2022. As the Subsidiary Company is presently working towards closure of its Unit and related activities, there is no separate impact due to Covid-19 pandemic.

46 The Holding Company has reported net loss including other comprehensive income of Rs.721.54 lakhs (Previous year net profit including other comprehensive income of Rs.3139.89 lakhs) Also the company has accumulated loss amounting to Rs.101761.72 lakhs (Previous year Rs.99437.26 lakhs) with a negative networth of Rs.90196.19 lakhs (Previous year Rs.87871.73 lakhs). But its current assets exceeds its current liabilities by Rs.7681.65 lakhs (Previous year Rs.17941.50 lakhs). The company has a balance under current assets of cash and cash equivalents and other bank balances of Rs.13510.73 lakhs (Previous year Rs.14819.75 lakhs) as at the year end. The Phenol Plant at Kochi was under shutdown during the period from 27.3.2021 to 25.07.2021 for change of Catalyst and from 16.11.2021 to 26.12.2021 due to unfavourable market conditions impacting the Turnover and Profit of the Company during the year. After considering these conditions, the standalone financial result of the company have been prepared on going concern basis.

47 Board recommended to implement salary revision of employees of Holding company w.e.f. 25.01.2021 subject to the approval of Ministry of Chemicals and Fertilizers. Since no final approval has been received no adjustment in accounts is made as on 31.03.2022.

48 As per the letter dated 29.01.2020 from the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals, under which the Subsidiary Company functions, Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) in its meeting held on 22nd Jan, 2020 had approved the following:

a) Shutting down the operations of the plant/unit of HFL & closure of the Subsidiary Company.

b) Separating the employees (regular and non-regular/adhoc) rendered surplus due to closure of plant through VRS/VSs, after payment of all their outstanding salary/wages and statutory dues, except for skeletal staff required to implement the full and final closure of the company. Employees not opting for VRS/VSS will be retrenched as per the provisions of Industrial Disputes Act, 1947.

c) Grant of interest free loan of Rs.77.20 crore by Govt. of India to Subsidiary Company to be utilized exclusively for closure related expenditure including (a) implementation of VRS/VSs for Subsidiary Company employees, their dues, statutory dues, payment to suppliers /contractors /utilities dues and repayment of SBI working capital loan (b) salary/wages and administrative expenses of Subsidiary Company 's skeletal staff to be temporarily retained for completing the closure of Subsidiary Company for two years.

d) Above interest free loan of Rs.77.20 crore will be repaid by Subsidiary Company to Govt. of India from the sale proceeds of land and other assets of the Subsidiary Company, as and when disposed off and after settling all the liabilities related to closure of the Subsidiary Company.

e) After settlement of all liabilities related to closure of Subsidiary Company and repayment of interest free loan of Rs.77.20 crores, surplus proceeds from disposal of land and other assets, if any, will be used for repayment of Subsidiary Company's outstanding Govt of India (Rs.15.80 crore) and interest thereon, with freezing of interest upto 31.3.2019. Full or part of the principal loan amount (Rs.15.80 crore) and interest thereon upto 31.3.2019 remaining unpaid due to insufficient sale proceeds is to be written off/waived.

f) for facilitating disposal of Subsidiary Company 's land, M/s NBCC (India) Ltd may be appointed as Land Management Agency (LMA) to manage and assist in the land disposal subject to outcome of the decision of Telangana Govt/TSIIC on purchasing land of HFL.

g) Disposal of plant/machinery and movable assets will be done by Subsidiary Company through e-auction by MSTC Ltd.

In pursuance of the said decision, HFL had received an amount of Rs.73.70 Crores on 26.05.2020 and Rs.2.17 crores on 15.03.2022 as interest free loan from GoI. As per the above CCEA Order and as at 31.03.2022, 78 employees were relieved and had made payments of Rs.42.99 Cr. towards settlement of employee dues viz. VRS payments, Other payables to Employees including 1997 & 2007 wage revision arrears. Further Company had repaid Working Capital Loan with SBI amounting to Rs.5.15 Cr and satisfaction of charge was filed with ROC, payment of Rs.8.93 Crores dues to Creditors, Water charges and payment to skeletal staff. The total amount utilized upto 31.03.2022 was Rs.57.07 Crores. The balance amount will be utilized for settling the dues of skeletal staff retained and other operating expenditure for completing the closure of the Company. The said process is still going on.

49 No funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

50 No funds have been received by the Company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

| Name of struck off Company | Nature of transactions with struck-off Company | Balance outstanding | Relationship with the Struck off company, if any, to be disclosed |
|---|---|---|---|
| Access Services P Ltd | Security service | Rs.0.23 lakh | Creditor |

52 No charge or satisfaction yet to be registered with ROC beyond the statutory period.

53 No Loans or Advances in the nature of loan is granted to promoters, directors, KMPs and the related parties (as defined under Companies Act, 2013,) either severally or jointly with any other person during the year.

54 There is no capital- work- in progress as on 31.03.2022

55 There is no intangible assets under development

56 No proceedings have been initiated or pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and the rules made there under.

57 Company has no borrowings from banks or financial institutions on the basis of security of current assets.

58 Company is not declared as a wilful defaulter by any bank or financial Institution or other lender.

59 Company has no transaction which are not recorded in the books of accounts that has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (such as, search or survey or any other relevant provisions of the Income Tax Act, 1961), unless there is immunity for disclosure under 11 any scheme and also shall state whether the previously unrecorded income and related assets have been properly recorded in the books of account during the year.

60 The Company is not required mandatorily to carry out any CSR activities on account of losses incurred during the previous years.

61 The Company has not traded or invested in Crypto currency or Virtual Currency during the financial year.

62 The Consolidated financial statements were authorized for issue in accordance with a resolution passed by the Board of Directors on 26.05.2022

63 Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to correspond with the current year's classification / disclosure.

For and on behalf of the Board of Directors

As per our report of even date attached
**For BSJ & Associates**
Chartered Accountants
FRN: 010560S

Sd/-
**Sajeev B.**
CMD and CEO
DIN 09344438

Sd/-
**Dr. Bharat J. Kanabar**
Director
DIN 09466694

Sd/-
**P.O. Luise**
Chief Financial Officer

Sd/-
**Subramonian H.**
Company Secretary

Sd/-
**CA. Jojo Augustine**
Partner
Membership No.214088
UDIN: 22214088AKD2MH2878

Place: Navi Mumbai
Date: 26.05.2022

Place: Ernakulam
Date: 30.05.2022

# NOTES

# NOTES

# NOTES

# NOTES

# NOTES

एच ओ सी

# हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड

# HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED


**पंजीकृत एवं कार्पोरेट कार्यालय** : 401,402,403 चौथा तल, V टाइम स्कवेयर,प्लॉट सं.3,सेक्टर 15, सीबीडी बेलापुर,नवी मुंबई - 400614

महाराष्ट्र संपर्क सं 022 27575268/69 ई-मेल आईडी:cs@hoclindia.com, corporate.cs@hoclindia.com वेबसाईट : www.hoclindia.com

**Registered & Corporate Office:** Offce Nos. 401,402 & 403, 4th Floor, V- Times Square, Plot No.3 Sector-15, CBD, Belapur, Navi Mumbai- 400614.

Maharashtra. Contact Nos.: 022-27575268/69, E-mail id : cs@hoclindia.com, corporate.cs@hoclindia.com Website : www.hoclindia.com



Designed & Printed By : DJ Mediaprint & Logistic Ltd. I Sales@djcorp.in